vol 3

1732 सहीह मुस्लिम

हदीस नं. 2779

सहीह मुस्लिम

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक़रीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

तौफिक बुक डिपो, 2241/41 कुचा चैलान,
दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस,
जोधपुर (राज.) 93143-66303

अल कौसर ट्रेडर्स,
जोधपुर 94141-920119

मकतबा अस्सून्नह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

शैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वाराणासी 094519-15874

आई.आई.सी.
नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा
(गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी)
0547-2222013

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-10271

ALL INDIA DISTRIBUTOR

AL KITAB INTERNATIONAL

JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR

POPULAR BOOK STORE

OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

सहीह मुस्लिम

<u>तालीफ़</u>

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

<u>उर्दू तर्जुमा</u>

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

<u>तख़रीज</u>

मौलाना अदनान दुर्वेश

<u>तक़रीज़</u>

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

ज़िल्द नम्बर

हदीस नं. 1732 से 2779 तक

नाम किताब	सहीह मुस्लिम जिल्द - 3	
तालीफ़	इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)	
उर्दू तर्जुमा	फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अल्वी	
हिन्दी तर्जुमा	दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)	
तख़रीज	मौलाना अदनान दुर्वेश	
तक़रीज़	मौलाना इरशादुल हक़ असरी	
तस्हीह व नज़्रे सानी	मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878)	
लेज़र टाइपसेटिंग	मुहम्मद गुफ़रान अन्सारी	
मेनेजिग डायरेक्टर	अली हम्ज़ा, (82338-55857)	
प्रिण्टिंग	आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741	
बाइंडिंग	कमाल बाईण्डिंग हाउस, यादगार मास्टर जहुरुद्दीन साहब मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615	
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	जमादिल आख़िर 1441 हिजरी (जनवरी 2020 इस्वी)	
तादादा कॉपी : 500	तादाद पेज: 676	क़ीमत: रु. 600/- जिल्द (रु. 4500 आठ जिल्द सेट)

प्रकाशक	मर्कज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर
ज़ेरे निगरानी	शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

फेहरिस्ते-मजामीन

इस किताब के कुल 31 बाब और 267 हदीसें हैं।

كتاب صلاة المسافرين وقصرها

किताबु सलातिल मुसाफ़िरीन व क़सरिहा
(मुसाफ़िरों की नमाज़ और उसके क़स्र का बयान)

हदीस नम्बर 1732 से 1836 तक

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ .

(1732) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) जब फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ लेते तो अगर मैं जागती होती तो मेरे साथ बातचीत फ़रमाते, वरना (अगर मैं बेदार न होती) आप लेट जाते।

(सहीह बुख़ारी : 1161, 1168, अबू दाऊद : 1263, तिर्मिज़ी : 418)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

(1733) इमाम साहब एक दूसरी सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

(अबू दाऊद : 1263)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ कि फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेटना फ़र्ज़ या लाज़िम या शर्त नहीं है। जैसाकि इमाम इब्ने हज़म का नज़रिया है, ये एक इस्तिहबाबी अमल है।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ " قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ " .

(1734) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नमाज़ पढ़ते तो जब वित्र पढ़ने लगते तो फ़रमाते, 'ऐ आइशा! उठो और वित्र पढ़ लो।'

फ़ायदा: इस हदीस़ से मालूम होता है कि इंसान रात के आख़िरी हिस्से में सिर्फ़ वित्र पढ़ने के लिये भी उठ सकता है।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ .

(1735) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को अपनी नमाज़ पढ़ते और वो (आइशा) आपके सामने अर्ज़ में लेटी होतीं, जब आपके वित्र बाक़ी होते तो आप उन्हें जगा देते और वो वित्र पढ़ लेतीं।

(1736) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के हर हिस्से में वित्र पढ़े हैं और आख़िर में आपके वित्र सहरी के वक़्त को पहुँच गये।
(सहीह बुख़ारी : 996, अबू दाऊद : 1435)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، -وَاسْمُهُ وَاقِدٌ وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، كِلاَهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .

फ़ायदा : वित्र का आख़िरी वक़्त सहरी का वक़्त है और इससे पहले इशा की नमाज़ के बाद जब चाहे पढ़ सकता है और आपने उम्मत की सहूलत के लिये रात के हर हिस्से में इस पर अमल फ़रमाया है और आप ज़िन्दगी के आख़िरी दौर में वित्र रात के आख़िरी हिस्से में पढ़ लेते थे।

(1737) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के हर हिस्से में वित्र पढ़े हैं, रात के इब्तिदाई हिस्से में दरम्यान में और आख़िर में आपके वित्र सुबह सहरी के वक़्त तक को पहुँच गये।
(तिर्मिज़ी : 456, नसाई : 3/230, इब्ने माजह : 1185)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .

(1738) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के हर हिस्से में वित्र पढ़े हैं और आख़िर में आपके वित्र रात के आख़िरी हिस्से को पहुँच गये या वित्र की इन्तिहा आख़िरी हिस्से पर हुई है।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، - قَاضِي كِرْمَانَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ .

बाब 18 : रात की नमाज़ के मुतफ़रिंक़ात और जो इससे सोया रहा या बीमार हो गया

باب جَامِعِ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ " . فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ

(1739) सअ़द बिन हिशाम बिन आ़मिर ने अल्लाह तआ़ला की राह में जंग (जिहाद) करने का इरादा किया तो मदीना मुनव्वरा आ गये और वहाँ अपनी जायदाद फ़रोख़्त करने का इरादा किया ताकि उससे हथियार और घोड़े ख़रीद लें और अपनी मौत तक रोमियों से जिहाद में मशग़ूल रहें लिहाज़ा जब मदीना आ गये तो अहले मदीना के कुछ लोगों से मिले तो उन्होंने उन्हें इस इरादे से रोका और उसे बताया कि नबी (ﷺ) की हयाते मुबारका में छः लोगों ने इस काम का इरादा किया था तो नबी (ﷺ) ने उन्हें इससे रोका और फ़रमाया, 'क्या मैं तुम्हारे लिये नमूना नहीं हूँ?' तो जब अहले मदीना ने उसे ये बताया तो उन्होंने अपनी बीवी जिसको तलाक़ दे चुके थे, से रुजूअ कर लिया और उससे रुजूअ के लिये गवाह बनाये। फिर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर होकर उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के वित्र के बारे में सवाल किया तो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें ऐसी शख़्सियत से आगाह न करूँ जो रूए ज़मीन के तमाम अफ़राद से रसूलुल्लाह (ﷺ) के वित्र को ज़्यादा जानती हैं? सअ़द ने कहा, वो कौन है? उन्होंने कहा, आइशा (रज़ि.) है। उनसे जाकर पूछें, फिर

آكر मुझे इसका जवाब बताना। (सअ़द कहते हैं) मैं उनकी तरफ़ चल पड़ा और हकीम इब्ने अफ़लह को मिला और उसे उन तक अपने साथ चलने के लिये कहा तो उसने कहा, मैं उनके क़रीब नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उन्हें दो जमाअ़तों के बारे में कुछ कहने से बाज़ किया था तो उन्होंने जाने पर इसरार किया। सअ़द कहते हैं, तो मैंने उनको क़सम दी तो वो जाने के लिये आमादा हो गये तो हम आइशा (रज़ि.) की तरफ़ चल पड़े और उनसे (पहुँचकर) हाज़िरी की इजाज़त तलब की तो उन्होंने इजाज़त मरहमत फ़रमाई और हम उनकी ख़िदमत में हाज़िर हो गये। उन्होंने पूछा, क्या हकीम हो? उन्होंने उसे पहचान लिया। उसने कहा, जी हाँ। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? उसने कहा, सअ़द बिन हिशाम है। उन्होंने पूछा, हिशाम कौन? उसने कहा, आमिर का बेटा। तो उन्होंने उसके लिये रहमत की दुआ की और उनके लिये कलिमाते ख़ैर कहे। क़तादा ने बताया (आमिर) ग़ज़्व-ए-उहुद में शहीद हो गये थे। मैंने पूछा, ऐ मोमिनो की माँ! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के अख़्लाक़ के बारे में बताइये, उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम क़ुरआन नहीं पढ़ते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी का अख़्लाक़ क़ुरआन ही है। (यानी आपकी सीरत व किरदार अमली क़ुरआन है) सअ़द कहते हैं, मैंने इस पर उठने का इरादा कर लिया, ये तहिय्या करके कि मौत तक किसी से कुछ नहीं पूछूँगा। फिर मुझे ख़याल

صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ . فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ثُمَّ ائْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِبِهَا لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلاَّ مُضِيًّا .- قَالَ - فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا . فَقَالَتْ أَحَكِيمٌ فَعَرَفَتْهُ . فَقَالَ نَعَمْ . فَقَالَتْ مَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا - قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ . فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى . قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ . - قَالَ - فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلاَ أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَىْءٍ حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ] يَا أَيُّهَا

الْمُزَّمِّلُ{ قُلْتُ بَلَى . قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ . - قَالَ - قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ فَتِلْكَ

आया तो मैंने पूछा, मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ियाम के बारे में बताइये? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम याअय्युहल मुज़्ज़म्मिल नहीं पढ़ते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह तआला ने इस सूरत के शुरू में रात के क़ियाम को फ़र्ज़ क़रार दिया तो अल्लाह के नबी और आपके साथियों ने साल भर क़ियाम किया और अल्लाह तआला ने इस सूरत की आख़िरी आयतें बारह माह तक आस्मान पर रोके रखीं, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने इस सूरत के आख़िर में तख़्फ़ीफ़ का हुक्म नाज़िल फ़रमाया। तो रात का क़ियाम फ़र्ज़ होने के बाद नफ़ल ठहरा। सअद कहते हैं, मैंने पूछा, ऐ मोमिनों की माँ! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के वित्र के बारे में बताइये तो उन्होंने फ़रमाया, हम आपके लिये आपकी मिस्वाक और वुज़ू का पानी तैयार करके रखते थे तो अल्लाह तआला रात को जब चाहता आपको बेदार कर देता तो आप मिस्वाक करके वुज़ू कर लेते और नौ (9) रकआत पढ़ते। उनमें आप आठवीं पर बैठते, अल्लाह का ज़िक्र करते उसकी हम्द बयान करते और दुआ करते, फिर सलाम फेरे बग़ैर उठ खड़े होते। फिर उठकर नवीं रकअत पढ़ते फिर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करते। हम्द बयान करते और उससे दुआ फ़रमाते, फिर हमें सुनाकर सलाम फेरते । फिर सलाम फेरने के बाद बैठकर दो रकअत पढ़ते। ऐ बेटे! तो ये ग्यारह रकआत हो गईं तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उम्र रसीदा हो गये और गोश्त

تِسْعٌ يَا بُنَىَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ . - قَالَ - فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ صَدَقَتْ لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ . - قَالَ - قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا .

बढ़ गया (जिस्म मुबारक भारी हो गया) तो आप सात वित्र पढ़ने लग गये और दो रकअतों के बारे में पहला तरीक़ा क़ायम रखा। ऐ बेटे! ये नौ (9) रकआत हो गईं और अल्लाह के नबी जब कोई नमाज़ शुरू करते तो उस पर दवाम व हमेशगी करना पसंद फ़रमाते। अगर रात के क़ियाम पर नींद या बीमारी ग़ालिब आ जाती तो आप दिन को बारह रकआत पढ़ लेते और मैं नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रात में पूरा क़ुरआन पढ़ा हो और न ही आपने कोई रात सुबह तक नमाज़ पढ़ी और न रमज़ान के सिवा पूरे महीने के रोज़े रखे। सअद ने कहा, मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तरफ़ चल पड़ा और उन्हें उनकी हदीस़ सुनाई तो उन्होंने कहा, आइशा ने सच फ़रमाया। अगर मैं उनके क़रीब जाता होता या उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ करता तो उनके पास जाता, ताकि मुझे ये हदीस़ रूबरू सुनातीं। सअद कहते हैं, मैंने कहा, अगर मुझे इल्म होता कि आप उनके पास नहीं जाते तो मैं आपको उनकी हदीस़ न सुनाता।

(अबू दाऊद : 1342, 1343, 1344, 1345)

मुफ़रदातुल हदीस़ : क़ुराअ: थोड़ा **अला रज्अतिला:** तलाक़ से रूजू पर गवाह बना लिये **बिरद्दिहा अलैक:** तेरे सवाल का जो जवाब दूं मुझे बताना **फस्तल्हक़्तुहू इलैहा:** मैंने उससे उनके पास जाने के लिये साथ चलने का मुतालबा किया **माअना बिकारिबिहा:** मैं उनके पास जाना नहीं चाहता **अश्शीअतैनर:** शीआ गिरोह और जमात को कहते हैं दो गिरोहों से मुराद हजरत उस्मान के किसास का मुतालबा करने वाले और हज़रत अली के हिमायती हैं यानी आप किसी का साथ न दें **फअबत फ़ीहा मुज़िय्यन:** उन्होंने उनके मामले में मुदाख़लत न करने से इन्कार कर दिया यानी किसास का मुतालबा करने वालों की हिमायत की।

फ़वाइद : (1) अगर कोई किसी मामले में मशवरा ले तो उसे मशवरा सहीह सहीह, शरीअत के मुताबिक़ देना चाहिये और बीवी व बच्चों से अलग-थलग हो जाना और जायदाद को बेचकर ज़िन्दगी जिहाद के लिये वक़्फ़ कर देना दुरुस्त नहीं है। ज़िन्दगी के हर मसले में हुज़ूर (ﷺ) की ज़िन्दगी को नमूना बनाया जायेगा और हर काम में आपका तरीक़ा ही मश्अले राह होगा। (2) अगर किसी आलिम से कोई मसला पूछा जाये और वहाँ उससे बेहतर बताने वाला मौजूद हो तो उसकी तरफ़ राहनुमाई करनी चाहिये और उसके जवाब से आगाही हासिल करने की कोशिश करना बेहतर होगा। (3) मसला पूछने के लिये आलिम के आश्ना (जान पहचान) और वाक़िफ़कार को साथ ले जाना बेहतर है। (4) हुज़ूर (ﷺ) की ज़िन्दगी, आपकी सीरत व किरदार और हर अमल क़ुरआन के मुताबिक़ था, गोया आप क़ुरआन करीम की अमली तफ़्सीर थे। (5) जब तक पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं हुई थीं, तहज्जुद सबके लिये फ़र्ज़ थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाबा पर एक साल तक रात का क़ियाम फ़र्ज़ रहा। फिर सूरह मुज़्ज़म्मिल की आख़िरी आयत इन्न रब्बक यअ्लमु.... से इसकी फ़र्ज़िय्यत मन्सूख़ हो गई और अक्सर उलमाए उम्मत के नज़दीक तहज्जुद की नमाज़ आप (ﷺ) पर भी फ़र्ज़ नहीं रही थी, लेकिन आपने सारी उम्र इसकी पाबंदी फ़रमाई है। (6) इस हदीस से मालूम होता है आप आख़िरी उम्र में नौ (9) रकआत पढ़ते थे, जिनमें सिर्फ़ आठवीं रकअत पर बैठते और उसमें तशह्हुद, ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह तआला की हम्द व सना और दुआ फ़रमाते और फिर उठकर नवीं रकअत पढ़ते और उस पर सलाम फेरते और क़ियामुल्लैल को ही वित्र कहा जाता है। इसलिये वित्र पढ़ने का एक तरीक़ा ये भी है। (7) आख़िरी उम्र में जब आप उम्र रसीदा होने के साथ भारी-भरकम भी हो गये तो सिर्फ़ सात रकआत पढ़ने लगे और बाद में दो रकअत बैठकर पढ़ लेते थे। (8) नींद या बीमारी के ग़ल्बे की वजह से अगर आपकी तहज्जुद की नमाज़ रह जाती तो चूंकि आपका उमूमी अमल रात में ग्यारह रकआत पढ़ने का था, इसलिये इसकी जगह आप दिन को बारह रकआत पढ़ लेते। (9) रात के क़ियाम को ही वित्र भी कहते हैं, ये पहले फ़र्ज़ था फिर इसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। अब वित्र फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नते मुअक्कदा है। कुछ लोग इसे फ़र्ज़ क़रार देते हैं, कुछ फ़र्ज़ से नीचे वाजिब का एक दर्जा अपने पास से बनाकर वाजिब क़रार देते हैं, उन लोगों की बात दुरुस्त नहीं।

(1740) सअद बिन हिशाम ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, फिर मदीना की तरफ़ चल पड़े ताकि अपनी जायदाद फ़रोख़्त कर दें, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(1741) सअद बिन हिशाम बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के पास गया और उनसे वित्र के बारे में सवाल किया, उसके बाद पूरी हदीस है और उसमें है कि आइशा (रज़ि.) ने पूछा, हिशाम कौन है? जवाब मिला आमिर का बेटा। उन्होंने कहा, आमिर अच्छा आदमी था, उहुद के दिन शहीद हुआ।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فِيهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ . قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ .

(1742) ज़ुरारह बिन औफ़ा बयान करते हैं कि सअद बिन हिशाम मेरा पड़ौसी था तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी है। आगे मज़्कूरा बाला हदीस है और उसमें है, आइशा (रज़ि.) ने पूछा, हिशाम कौन है? जवाब मिला, आमिर का बेटा। उन्होंने (आइशा) ने कहा, वो ख़ूब इंसान था। रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्व-ए-उहुद में शहीद हुआ और उसमें है, हकीम बिन अफ़लह ने कहा, याद रखें! अगर मैं जान लेता कि आप उनके पास नहीं जाते हैं तो मैं आपको उनकी हदीस न बताता।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ، كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ وَفِيهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ . قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ . وَفِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا .

फ़ायदा : ऊपर वाली तवील (लम्बी) हदीस से मालूम होता है कि ये अल्फ़ाज़ सअद बिन हिशाम ने कहे और इस हदीस से मालूम होता है ये हकीम बिन अफ़लह ने कहे चूंकि ये दोनों हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास आये थे अल्फ़ाज़ सअद ने कहे और हकीम ने ताईद की। इसलिये उसकी तरफ़ ही निस्बत कर दी गई और हज़रत इब्ने अब्बास ने हज़रत अली की ख़ातिर हज़रत आइशा के पास जाना छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जाना शुरू कर दिया था।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

(1743) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ जब रह जाती, बीमारी या किसी और वजह से तो दिन को बारह (12) रकआत पढ़ते।

(नसाई : 3/259, तिर्मिज़ी : 445)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلاَّ رَمَضَانَ .

(1744) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब कोई अमल शुरू करते तो उसको क़ायम रखते और जब रात की नमाज़ से सो जाते या बीमार हो जाते तो दिन को बारह (12) रकआत पढ़ लेते और फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुबह तक नमाज़ पढ़ते नहीं देखा और न ही आपने रमज़ान के सिवा मुसलसल महीने भर रोज़े रखे।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،

(1745) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो अपने वज़ीफ़े (मामूल) से सोया रहा या उसके कुछ हिस्से से सो गया और उसने उसे नमाज़े फ़ज्र और नमाज़े ज़ुहर के दरम्यान पढ़ लिया तो उसे उसके लिये ऐसे ही रखा जायेगा गोया कि उसने उसे रात ही को पढ़ा है।'

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " .

(अबू दाऊद : 1313, तिर्मिज़ी : 581, नसाई : 3/259-260, इब्ने माजह : 1343)

फ़ायदा : अगर इंसान का रात के किसी हिस्से में कोई विर्द या वज़ीफ़ा और अ़मल हो और वो किसी वजह से रात को वो अ़मल या वज़ीफ़ा न कर सके तो उसे उस पर हमेशगी व दवाम को बरक़रार रखने के लिये दिन को ज़ुहर से पहले-पहले कर लेना चाहिये। इस तरह वो रात को अदा किया गया अ़मल ही शुमार होगा और उसका दवाम बरक़रार रहेगा।

باب صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

बाब 19 : अव्वाबीन की नमाज़ का वक़्त वो है जब ऊँट के बच्चों के पैर जलने लगें

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ " .

(1746) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने कुछ लोगों को चाश्त की नमाज़ पढ़ते देखा तो कहा, हाँ! ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नमाज़ इसके सिवा वक़्त में पढ़ना अफ़ज़ल है। क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है, '(इताअ़त गुज़ार) तौबा करने वाले लोगों की नमाज़ उस वक़्त होती है जब ऊँट के बच्चों के पैर जलने लगते हैं।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अव्वाब : औब से माख़ूज़ है जिसका मानी है लौटना, रुजूअ़ करना, मुराद है तौबा व इनाबत करने वाले, इताअ़त व फ़रमांबरदारी की तरफ़ लौटने वाले। **(2) तरमज़ु :** रमज़ा से माख़ूज़ है, वो रेत जो सूरज की हरारत व तपिश से गर्म होकर तपने लगती है। **(3) अल्फ़िसाल :** फ़सील की जमा है ऊँट या गाय का वो बच्चा जो माँ से अलग कर दिया गया हो। मुराद ये है कि जब ऊँटों के छोटे बच्चों के पाँव रेत की तपिश से जलने लगते हैं।

(1747) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अहले क़ुबा के पास उस वक़्त पहुँचे जबकि वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने फ़रमाया, 'तौबा करने वालों की नमाज़ का वक़्त वो है जबकि ऊँटों के बच्चों के पाँव जलने लगें।'

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ " صَلاَةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि अव्वाबीन की नमाज़ का वक़्त वो है जबकि लोग राहत व आराम के लिये माइल हो चुके होते हैं, यानी ज़वाल से कुछ पहले, सूरज के तुलूअ होने से लेकर ज़वाले शम्स तक जो नमाज़ पढ़ी जाती है, वक़्त के लिहाज़ से उसके अलग-अलग नाम हैं, सूरज के अच्छी तरह तुलूअ होने के बाद इशराक़, ख़ासा बुलंद होने पर ज़ुहा (चाश्त) और ज़वाल से कुछ वक़्त पहले सलातुल अव्वाबीन। चूंकि ये राहत व सुकून और आराम का वक़्त है इसलिये इसको अफ़ज़ल और बेहतर क़रार दिया गया है। क्योंकि इंसान अपनी राहत व आराम को क़ुर्बान करके ये नमाज़ पढ़ता है।

बाब 20 : रात की नमाज़ दो-दो रकअ़त है और वित्र रात के आख़िरी हिस्से में एक रकअ़त है

باب صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

(1748) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रात की नमाज़ के बारे में सवाल किया? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रात की नमाज़ दो-दो रकअ़त है, जब तुममें से किसी को सुबह होने का अन्देशा पैदा हो जाये तो वो एक रकअ़त पढ़ ले, ये उसकी तमाम नमाज़ को वित्र (ताक़) बना देगी।'

(सहीह बुख़ारी : 990, अबू दाऊद : 1326, नसाई : 3/233)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि रात की नमाज़ दो-दो रकअ़त पर सलाम फेरकर पढ़ना बेहतर है और हज़रत इब्ने उ़मर ने इसका यही मतलब समझा है। इसलिये अहनाफ़ की ये तावील कि वो दूसरी रकअ़त पर बैठकर उठते। इब्ने उ़मर (रज़ि.) के फ़हम और हदीस़ के ज़ाहिरी मफ़्हूम के ख़िलाफ़ है और अहनाफ़ के यहाँ तो रावी के फ़हम को उसकी हदीस़ पर भी तरजीह हासिल है और यहाँ रावी के फ़हम को नज़र अन्दाज़ सिर्फ़ इसलिये किया गया है ताकि वित्र की एक रकअ़त को तस्लीम न करना पड़े और ये तावील की जा सके कि आख़िरी दोगाना के साथ, दो रकअ़त की बजाए एक रकअ़त पढ़कर तीन वित्र पढ़ लिये जायें, हालांकि ये तावील हदीस़ के आख़िरी अल्फ़ाज़ कि **ये रकअ़त उसकी सारी नमाज़ को वित्र बना देगी** के मुनाफ़ी है क्यों कि इससे तो आख़िरी दोगाना वित्र बना है, फिर इसको पहले दोगानों से मिलाने की क्या ज़रूरत है?

(1749) इमाम साहब अलग-अलग सनदों के बाद कहते हैं कि सालिम अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) से रात की नमाज़ के बारे में सवाल किया? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दो-दो रकअ़त है और जब तुम्हें सुबह होने का अन्देशा हो तो एक रकअ़त पढ़ लो।'

(इब्ने माजह : 1320)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ " مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ " .

(1750) अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! रात की नमाज़ की क्या कैफ़ियत है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रात की नमाज़ दो-दो रकअ़त है और जब तुम्हें सुबह होने का ख़तरा हो तो एक रकअ़त पढ़ लो।'

(नसाई : 3/228)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "

(1751) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) से पूछा और मैं आपके और सवाल करने वाले के दरम्यान था। तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! रात की नमाज़ की कैफ़ियत क्या है? आपने फ़रमाया, 'दो-दो। फिर जब तुझे सुबह का डर हो तो एक रकअ़त पढ़ ले और वित्र अपनी नमाज़ के आख़िर में पढ़।' फिर आपसे साल के आख़िर में एक आदमी ने पूछा और मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से उसी जगह (यानी दरम्यान में) पर था तो मुझे मालूम नहीं वो वही आदमी था या कोई और तो आपने उसे उसी तरह जवाब दिया।

(अबू दाऊद : 1421, नसाई : 3/233)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ " مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِكَ وِتْرًا " . ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ أَدْرِي هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि वित्र आख़िर में पढ़ना चाहिये, ये नहीं होना चाहिये कि रात को वित्र पढ़कर सो जाये या उठकर वित्र पढ़ ले, फिर दोगाना नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन ये उसके लिये है जिसका तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना मामूल हो। रहा वो इंसान जिसका तहज्जुद पढ़ना मामूल नहीं है, किसी दिन जाग गया तो उसने चाहा कि चलो जाग ही गया तो नमाज़ पढ़ ले तो ऐसा इंसान अगरचे सोने से पहले वित्र पढ़ चुका है वो नमाज़ पढ़ सकता है। अब इसको आख़िर में दोबारा वित्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगरचे कुछ सहाबा से ये भी स़ाबित है कि वो पहले एक रकअ़त को इस निय्यत से पढ़ ले कि सोने से पहले पढ़ा वित्र, दोगाना हो जाये, फिर नमाज़ दो-दो रकअ़त पढ़ता रहे और आख़िर में एक वित्र पढ़ ले, मगर सहाबी का अ़मल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसा करना स़ाबित नहीं। इस हदीस़ का ये मतलब नहीं है कि अगर उसने नमाज़ के आख़िर में वित्र पढ़ लिया है तो अब वो दो रकअ़त नहीं पढ़ सकता। क्योंकि वित्र के बाद दो रकअ़त हुज़ूर (ﷺ) से स़ाबित है। अगरचे आप बैठकर पढ़ते। क्योंकि आपके स़वाब में बैठने की सूरत में यानी कमी वाक़ेअ़ नहीं होती और हमें उठकर पढ़ना चाहिये। क्योंकि हमारे बैठने से अज्र में कमी वाक़ेअ़ होती है। नीज़ ये अ़मल कभी-कभार होना चाहिये, इसको मामूल नहीं बनाना चाहिये और कुछ हज़रात के नज़दीक आपकी इक़्तिदा और इत्तिबाअ़ के नुक़्त-ए-नज़र से बैठकर दो रकअ़त पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है।

(1752) इमाम साहब दूसरी सनदों से रिवायत बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक आदमी ने सवाल किया, दोनों उस्तादों ने ऊपर वाली रिवायत बयान की मगर साल के आख़िर में पूछने वाला वाक़िया बयान नहीं किया।

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ .

(1753) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वित्र सुबह से पहले-पहले पढ़ लो।'

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، - قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، - أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : बादिरू : जल्दी कर लो, उज्लत से काम लो।

(1754) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल है, जो रात को नमाज़ पढ़े, वो नमाज़ की इन्तिहा वित्र पर करे क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) इसी का हुक्म देते थे।
(नसाई : 3/231)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .

(1755) इमाम साहब दूसरी सनदों से बयान करते हैं कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने बताया, नबी (ﷺ) का फ़रमान है, 'रात को अपनी

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح،

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " .

नमाज़ के आख़िर में वित्र पढ़ो।'
(सहीह बुख़ारी : 998, अबू दाऊद : 1438)

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُهُمْ .

(1756) इब्ने जुरैज ने कहा, नाफ़ेअ ने बताया कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहा करते थे, 'जो शख़्स रात को नमाज़ पढ़े वो सुबह से पहले नमाज़ का आख़िरी हिस्सा वित्र को बनाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) उन (अपने साथियों) को यही हुक्म दिया करते थे।
(सहीह बुख़ारी : 998, अबू दाऊद : 1438)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

(1757) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वित्र रात के आख़िर में एक रकअ़त है।'
(नसाई : 3/232, 1689)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

(1758) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'वित्र रात के आख़िर में एक रकअ़त है।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ

(1759) अबू मिजलज़ बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से वित्र के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है, 'रात

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " . وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

के आख़िर में एक रकअ़त है।' और मैंने इब्ने उ़मर से पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है, 'रात के आखिर में एक रकअ़त है।'

फ़ायदा : इब्ने उ़मर और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत से साबित होता है कि वित्र आख़िर में एक ही पढ़ा जायेगा और इस सरीह हदीस़ की मौजूदगी में ये कहना कि दोगाना से मिली हुई एक रकअ़त है, अ़सबियत की इन्तिहा है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُوتِرُ صَلاَةَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى فَإِنْ أَحَسَّ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى " . قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . وَلَمْ يَقُلِ ابْنِ عُمَرَ .

(1760) उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बयान करते हैं कि हमें इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बताया कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जबकि आप मस्जिद में थे आवाज़ दी और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रात की नमाज़ को वित्र कैसे बनाऊँ? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो नमाज़ पढ़े, दो-दो रकअ़त पढ़े, फिर अगर वो महसूस करे कि सुबह हो रही है, एक रकअ़त पढ़ ले तो ये एक रकअ़त उसकी सारी नमाज़ को वित्र (ताक़) बना देगी।' अबू कुरैब ने उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह कहा, आगे इब्ने उ़मर नहीं कहा।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1761) इब्ने सीरीन कहते हैं, मैंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से पूछा, मुझे सुबह की नमाज़ से पहले दो रकअ़तों के बारे में बताइये, क्या मैं उनमें क़िरअत तवील कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को दो-दो रकअ़त पढ़ते थे और एक रकअ़त वित्र पढ़ लेते। मैंने कहा, मैं आपसे इसके बारे में नहीं पूछ रहा। उन्होंने

يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ - قَالَ - قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ . قَالَ إِنَّكَ لَضَخْمٌ أَلاَ تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ . قَالَ خَلَفٌ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلاَةِ .

कहा, तुम भारी-भरकम यानी कुन्द ज़हन हो। क्या मुझे बात मुकम्मल करने का मौक़ा नहीं दोगे? रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को दो-दो रकअ़त पढ़ते थे और एक वित्र पढ़ते और सुबह से पहले दो रकअ़त पढ़ते गोया आपको इक़ामत सुनाई दे रही है। ख़लफ़ की हदीस़ में है, मुझे सुबह से पहले दो रकअ़त के बारे में बताइये, अल्ग़दाति के लफ़्ज़ से पहले सलात का लफ़्ज़ बयान नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 995, तिर्मिज़ी : 461, इब्ने माजह : 1144, 1174)

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) का मक़सद ये था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की सुन्नतों में क़िरअत लम्बी नहीं करते थे, इसलिये तुम्हें उनमें लम्बी क़िरअत नहीं करनी चाहिये।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ . بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ . وَفِيهِ فَقَالَ بَهْ بَهْ إِنَّكَ لَضَخْمٌ .

(1762) अनस बिन सीरीन कहते हैं, मैंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से पूछा, फिर मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की और उसमें ये इज़ाफ़ा किया, रात के आख़िरी हिस्से में एक रकअ़त वित्र पढ़ते और मेरे दोबारा सवाल पर कहा, बह-बह बस-बस रुक जा! तू एक कुन्द ज़हन आदमी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " . فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ مَا مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

(1763) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रात की नमाज़ दो-दो रकअ़त है और जब तुम समझो तुम्हें सुबह पा रही है, यानी सुबह हो रही है तो एक रकअ़त वित्र पढ़ लो।' तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) से पूछा गया, मस़ना मस़ना का क्या मफ़्हूम है? उन्होंने कहा, हर दो रकअ़त के बाद सलाम फेरे।

फ़ायदा : ये हदीस़ इस बात की सरीह दलील है कि इब्ने उमर मस़ना-मस़ना (दो-दो) का मफ़्हूम यही समझते थे कि हर दोगाना पर सलाम फेरे और आख़िर में अलग-अलग एक रकअ़त पढ़ ले। इसलिये इस हदीस़ का ये मानी नहीं हो सकता कि आख़िरी दोगाना पर सलाम फेरे बग़ैर इसके साथ एक रकअ़त पढ़कर तीन वित्र बना ले।

(1764) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वित्र सुबह से पहले-पहले पढ़ लो।'
(तिर्मिज़ी : 468, नसाई : 3/231, इब्ने माजह : 1189)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا " .

(1765) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) से सवाल किया गया वित्र के बारे में तो आपने फ़रमाया, 'वित्र सुबह से पहले पढ़ लो।'

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ، سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ " أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ " .

बाब 21 : जिसे ये डर हो कि वो रात के आख़िरी हिस्से में उठ नहीं सकेगा, वो रात के शुरू में वित्र पढ़ ले

باب مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ

(1766) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसे ख़तरा हो कि वो रात के आख़िरी हिस्से में उठ नहीं सकेगा, वो वित्र उसके शुरू में पढ़ ले और अगर उसे उम्मीद हो कि वो उसके आख़िर में उठेगा तो वो वित्र रात के आख़िर में पढ़े क्योंकि रात के आख़िरी हिस्से की नमाज़ में (फ़रिश्तों की या दिल की) हाज़िरी होती है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ

आख़िरِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ " . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَحْضُورَةٌ .

और ये अफ़ज़ल है।' अबू मुआविया ने मशहूदा की जगह महज़ूरा कहा। (दोनों का मानी एक है)

(तिर्मिज़ी : 455, इब्ने माजह : 1187)

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ " .

(1767) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसे तुममें से ख़दशा हो कि वो रात के आख़िर में उठ नहीं सकेगा तो वो वित्र पढ़ ले और जिसे रात को उठने का वसूक़ व ऐतिमाद हो, वो उसके आख़िर में वित्र पढ़े क्योंकि रात के आख़िरी हिस्से में क़िरअत के वक़्त रहमत के फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं या दिल हाज़िर होता है और ये बेहतर है।'

फ़ायदा : रात को उठने वाले के लिये यही बेहतर है कि वो वित्र रात की नमाज़ के आख़िर में पढ़े, लेकिन जिसका ये मामूल नहीं है कि वो रात को उठे, उसे वित्र सोने से पहले पढ़ लेना चाहिये। अगर वो किसी दिन जाग जाये तो वो रात की नमाज़ पढ़ सकता है, दोबारा वित्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।

باب أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ

बाब 22 : बेहतरीन नमाज़ वो है जिसमें क़ियाम लम्बा हो

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ " .

(1768) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेहतरीन नमाज़ वो है जिसमें क़ुनूत लम्बा हो।'

(इब्ने माजह : 1421)

मुफ़रदातुल हदीस़ : क़ुनूत : नमाज़, क़ियाम, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ, इज्ज़ो ख़ाकसारी, सुकूत व ख़ामोशी, दुआ और इताअत व फ़रमांबरदारी, सब मआनी के लिये इस्तेमाल होता है और नमाज़ में ये तमाम मआनी मौजूद हैं और यहाँ बिल्इत्तिफ़ाक़ इसका मानी क़ियाम है। यानी क़िरअत तवील करना, क्योंकि लम्बी क़िरअत के बग़ैर क़ियाम लम्बा नहीं हो सकता।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ قَالَ " طُولُ الْقُنُوتِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ .

(1769) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया, कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया, 'लम्बा क़ियाम।' यानी जिस नमाज़ में क़ियाम तवील हो। अबू बकर ने हद्दसना अल आमश की जगह अनिल आमश कहा।

फ़ायदा : वित्र में दुआए कुनूत की कोई रिवायत मुसन्निफ़ की शर्त पर नहीं है, इसलिये इमाम साहब ने दुआए कुनूत का ज़िक्र नहीं किया, अइम्मए अरबआ का मस्लक ये है कि इमाम मालिक के नज़दीक वित्र में कुनूत नहीं है। बाक़ी तीनों अइम्मा के नज़दीक रमज़ान के आख़िरी निस्फ़ में क्योंकि हज़रत उबइ बिन कअब रमज़ान के आख़िरी निस्फ़ में ही वित्र के अंदर कुनूत करते थे। जब वो हज़रत उमर (रज़ि.) के हुक्म के मुताबिक़ नमाज़े तरावीह पढ़ाने लगे थे, इमाम अहमद का दूसरा क़ौल भी यही है। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक कुनूत का मौक़ा और महल रुकूअ के बाद है। क्योंकि बाक़ी नमाज़ों में कुनूत रुकूअ के बाद किया जाता है और अहनाफ़ के नज़दीक रुकूअ से पहले है। अगर तमाम अहादीस़ को सामने रखा जाये तो मालूम होता है। वित्र में दोनों की गुंजाइश है, रुकूअ से पहले पढ़ ले या रुकूअ के बाद।

باب فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ

बाब 23 : रात में एक घड़ी है जिसमें दुआ कुबूल होती है

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ " .

(1770) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आपने फ़रमाया, 'रात में एक घड़ी है जो मुसलमान बन्दा उसको पा लेता है, उसमें वो दुनिया और आख़िरत की जिस ख़ैर व भलाई का सवाल करता है अल्लाह उसे अता फ़रमाता है और ये घड़ी हर रात में होती है।'

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " .

(1771) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर रात में एक घड़ी है, मुसलमान इंसान उसको पा लेता है उसमें अल्लाह तआला से जिस ख़ैर का भी सवाल करता है, वो उसे इनायत फ़रमाता है।'

फ़ायदा : हर रात में एक घड़ी यक़ीनी है, जिसमें मुसलमान इंसान की हर नेक और जाइज़ दुआ क़ुबूल होती है। लेकिन उस घड़ी का तअय्युन (फ़िक्स टाइम) किसी हदीस़ से स़ाबित नहीं है। लेकिन अगले बाब की रिवायात से यही मालूम होता है कि ये घड़ी रात की आख़िरी तिहाई हिस्से में है। इसलिये इंसान को कोशिश करनी चाहिये कि वो रात के आख़िरी तिहाई हिस्से में उठे और अल्लाह तआला से दीन व दुनिया की ख़ैर का सवाल करे।

باب التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالإِجَابَةِ فِيهِ

बाब 24 : रात के आख़िरी हिस्से में दुआ और यादे इलाही की तरग़ीब और उसमें उनकी क़ुबूलियत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ " .

(1772) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बायन करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमारा रब जो बहुत अ़ज़मत व बुज़ुर्गी और रिफ़अत (बुलंदी) का मालिक है, हर रात जब रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा रह जाता है आसमाने दुनिया पर उतरता है और फ़रमाता है, कौन है जो मुझसे माँगे कि मैं उसको दूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे कि मैं उसको पूरा करूँ और कौन है जो मुझसे बख़्शिश तलब करे कि मैं उसे बख़्श दूँ।'

(सहीह बुख़ारी : 7494, 6321, 1145, अबू दाऊद : 1315, 4733, तिर्मिज़ी : 3498)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ " .

(1773) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमारा रब तबारक व तआला हर रात, रात का पहला तिहाई गुज़रने के बाद उतरता है और फ़रमाता है, 'मैं बादशाह हूँ! मैं बादशाह हूँ! कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ क़ुबूल करूँ, कौन है जो मुझसे माँगे और मैं उसे दूँ, कौन है जो मुझसे माफ़ी तलब करे और मैं उसे माफ़ कर दूँ।' सुबह रोशन होने तक वो यही ऐलान फ़रमाता रहता है।'
(तिर्मिज़ी : 446)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ " .

(1774) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब रात का आधा या दो तिहाई हिस्सा गुज़र जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर उतरते हैं और फ़रमाते हैं, 'क्या कोई साइल (सवाल करने वाला) है? उसे दिया जाये। क्या कोई दुआ करने वाला है? उसकी दुआ क़ुबूल की जाये। क्या कोई बख़िशश का तालिब है? उसे बख़्शा जाये।' यहाँ तक कि सुबह फूट पड़ती है, यानी सुबह हो जाती है।'

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُوَرِّعِ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ،

(1775) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला आधी रात या रात के आख़िरी तिहाई हिस्से के वक़्त आसमाने दुनिया पर उतरते हैं और फ़रमाते हैं, 'कौन

يقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ . ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلاَ ظَلُومٍ " . قَالَ مُسْلِمٌ ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ .

मुझसे दुआ करेगा कि मैं उसकी दुआ क़ुबूल करूँ? या मुझसे सवाल करेगा ताकि मैं उसे इनायत करूँ?' फिर फ़रमाते हैं, 'कौन उस ज़ात को क़र्ज़ देगा जो मोहताज और फ़क़ीर नहीं है और न ही हक़ मारने वाला है?''

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ " ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلاَ ظَلُومٍ " .

(1776) इमाम साहब दूसरे उस्ताद से सअ़द बिन सईद की सनद से रिवायत बयान करते हैं, जिसमें ये इज़ाफ़ा है, 'फिर अल्लाह तबारक व तआ़ला अपने हाथ फैला कर फ़रमाते हैं, 'कौन उस ज़ात को क़र्ज़ देगा जो मोहताज नहीं है और न ही हक़ दबाने वाली है।''

मुफ़रदातुल हदीस़ : अ़दीम और अ़दूम : अअ़्दमर्रजुल के मुहावरे से माख़ूज़ है, जिसका मानी मोहताज व क़ल्लाश होना है। इसके सैग़े सिफ़त मुअ़दिम, अ़दीम और अ़दूम लाते हैं, मोहताज और फ़क़ीर व क़ल्लाश।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لاِبْنَىْ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ

(1777) हज़रत अबू सईद और अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला मोहलत देता है यहाँ तक कि जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुज़र जाता है, आसमाने दुनिया की तरफ़ उतरते हैं और फ़रमाते हैं, क्या कोई मग़्फ़िरत का तालिब है? क्या कोई तौबा करने वाला है? क्या कोई सवाली है? क्या

يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ " .

कोई दुआ करने वाला है?' यहाँ तक कि फ़ज्र फूट पड़ती है।'

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ، مَنْصُورٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ .

(1778) यही हदीस़ मुसन्निफ़ एक और सनद से नक़ल करते हैं, लेकिन मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत मुकम्मल और मुफ़स्सल है।

फ़वाइद : (1) मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत में अल्लाह तआला के आसमाने दुनिया पर नाज़िल होने का तज़्किरा है और अल्लाह तआला का उतरना या नाज़िल होना उसकी दूसरी सिफ़ात की तरह एक फ़ैअ़ली सिफ़त है। जिस तरह उसकी ज़ात की हक़ीक़त और कैफ़ियत को जानना मुम्किन नहीं है। लेकिन ये तय है कि वो ख़ालिक़ है, इसलिये उसकी ज़ात उसकी शान के मुताबिक़ है मख़्लूक़ की तरह नहीं है। इसी तरह तमाम सिफ़ात ज़ाती हों या फ़ैअ़ली, उनकी कैफ़ियत और हक़ीक़त को जानना हमारे बस में नहीं है और उसकी सिफ़ात, उसकी शाने ख़ालिक़ियत के मुताबिक़ हैं। मख़्लूक़ की सिफ़ात के मुशाबेह और मुमासिल नहीं हैं और उन पर बिला कैफ़ ईमान लाना तमाम सलफ़ और उम्मत सहाबा व ताबेईन, अइम्मए दीन, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का अ़क़ीदा है। इसलिये ये तावील करना कि वो मुतवज्जह होता है या उसकी रहमत उतरती है या उसके फ़रिश्ते उतरते हैं , ये पहले उसकी सिफ़ात को मख़्लूक़ की सिफ़ात पर क़ियास करना है और फिर उनका इंकार करना है। अगर उसकी सिफ़ात को उसके शायाने शान माना जाये। उनकी किसी कैफ़ियत व शक्ल का तअयीन न किया जाये तो सिफ़ात के इंकार की ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। क्या रहमत या फ़रिश्ता ये कह सकता है कि मुझसे माँगो, मैं दूँ। मुझे पुकारो, मैं दुआ क़ुबूल करूँ या मुझसे माफ़ी तलब करो, मैं माफ़ करूँ। **(2)** अल्लाह तआला के नुज़ूल का वक़्त अबू हुरैरह (रज़ि.) की पहली हदीस़ में रात का आख़िरी तिहाई (हिस्सा) है। दूसरी हदीस़ है कि पहले तिहाई गुज़रने के बाद उतरता है तो ज़ाहिर है आख़िरी तिहाई (हिस्सा), पहले तिहाई के बाद ही आता है। इसलिये तीसरी हदीस़ में शतरुल्लैल और स़लास़ा है और शतर का मानी अहम हिस्सा भी होता है। इसलिये शतर और स़लास़ा दो तिहाई का मानी एक ही है कि वो तिहाई रात गुज़रने के बाद तीसरी और आख़िरी तिहाई में उतरता है। इसलिये तमाम रिवायात का मक़सद यही है कि आख़िरी तिहाई में ऐलान फ़रमाता है। इसलिये अल्फ़ाज़ में बज़ाहिर तआरुज़ है लेकिन हक़ीक़तन तज़ाद (टकराव) नहीं कि तरजीह की ज़रूरत पेश आये। इमाम तिर्मिज़ी अ़ल्लामा

इराक़ी और हाफ़िज़ इब्ने हजर ने आख़िर तिहाई की रिवायात को तरजीह दी है। (3) कौन है जो ऐसी ज़ात को क़र्ज़ दे जो मोहताज और हक़ मारने वाली नहीं, से मुराद अल्लाह तआला की राह में सदक़ा व ख़ैरात करना है और उसको क़र्ज़ से इसलिये ताबीर किया गया है कि अल्लाह तआला उसको कई गुना बढ़ा-चढ़ाकर बन्दे को वापस फ़रमाता है। (4) इन रिवायात से रात के आख़िरी तिहाई की फ़ज़ीलत साबित होती है और बन्दों को शौक़ और रग़बत दिलाई गई है कि वो उस वक़्त उठकर अल्लाह के हुज़ूर अपनी गुज़ारिशात पेश करें, उससे अपनी हाजात (ज़रूरतों) को माँगें, अपने गुनाहों और कोताहियों की माफ़ी तलब करें और अपने दामन को अपनी मुरादों से भरें।

باب التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ

बाब 25 : क़ियामे रमज़ान यानी तरावीह की तरग़ीब (शौक़) दिलाना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(1779) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख़्स ने रमज़ान का क़ियाम ईमान व एहतिसाब के साथ किया उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 2209, नसाई : 3/201-202, 4/155-157, 8/177)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ

(1780) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के क़ियाम की तरग़ीब उसका ताकीदी हुक्म दिये बग़ैर देते थे। आप फ़रमाते, 'जिसने रमज़ान का क़ियाम ईमान और एहतिसाब के साथ किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।' रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात तक मामला यही रहा। फिर अबू बकर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त में मामला यही रहा और उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के इब्तिदाई दौर में भी सूरते हाल यही रही।

(अबू दाऊद : 1371, तिर्मिज़ी : 808, नसाई : 4/129, 4/156)

عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ .

फ़वाइद : (1) अज़ीमह : ताकीदी और लाज़िमी हुक्म को कहते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के शुरूआती दौर तक तरावीह की तरग़ीब व शौक़ दिलाया जाता था। **(2) ईमान व एहतिसाब :** ये दोनों दीनी इस्तिलाहें हैं, जिनसे हमारे आमाल का ताल्लुक़ और रब्त हमारे ख़ालिक़ व मालिक के साथ क़ायम होता है और यही ईमान व एहतिसाब ही हमारे आमाल के लिये क़ल्ब व रूह हैं, जिनसे हमारे आमाल में वज़न और जान पैदा होती है और किसी क़द्रो-क़ीमत के हामिल ठहरते हैं। अगर ये न हों तो फिर बड़े-बड़े आमाल भी बेवज़न और खोखले हैं और क़यामत के दिन किसी क़द्रो-मन्ज़िलत के हामिल नहीं होंगे। सिर्फ़ खोटे सिक्के होंगे और ईमान व एहतिसाब के साथ बन्दे का अमल अल्लाह के यहाँ इतना अज़ीज़ और क़ीमती ठहरता है कि उसके सबब उसके सालों-साल के गुनाह माफ़ हो सकते हैं। ईमान का ये मानी है कि उसके अमल की बुनियाद और उसका मुहर्रिक व दाई अल्लाह व रसूल को मानना और उनके वादे-वईद पर यक़ीन रखना है। यानी अमल ईमान का तक़ाज़ा और मुतालबा समझकर करना है। इसके पसे मन्ज़र में कोई ख़्वाहिश और जज़्बा नहीं है (यानी रिया और दिखावा) और एहतिसाब का मक़सद ये है कि अमल का सबब और बाइस अल्लाह और रसूल के बताये हुए अज्र व सवाब की तमअ और उम्मीद है कोई दूसरा जज़्बा और मक़सद उसका मुहर्रिक नहीं है और अमली वक़्त इस निय्यत का इन्तिज़ार रहे। इस्तिहज़ार है यानी अमल करते वक़्त अज्र व सवाब की ये निय्यत की जाये।

(1781) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे और जो लोग लैलतुल क़द्र का क़ियाम ईमान व एहतिसाब के साथ करेंगे, उनके सारे पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 1901)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(1782) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स लैलतुल क़द्र का क़ियाम करेगा और उसको पा लेगा (मेरे ख़्याल में आपने फ़रमाया) ईमान और एहतिसाब के साथ, उसे माफ़ कर दिया जायेगा।'

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا - أُرَاهُ قَالَ - إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ " .

(1783) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। तो कुछ लोगों ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर आपने दूसरी रात नमाज़ पढ़ी तो लोगों की तादाद में इज़ाफ़ा हो गया। फिर तीसरी या चौथी रात लोग जमा हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ नहीं लाये। जब सुबह हुई तो आपने फ़रमाया, 'मुझे तुम्हारे पास आने से सिर्फ़ इस चीज़ ने रोका कि मुझे ख़तरा पैदा हो गया था कि कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न हो जाये।' और ये रमज़ान का वाक़िया है।
(सहीह बुख़ारी : 1129, 2011, अबू दाऊद : 1373)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ " قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ " . قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) ने आख़िरी अशरे में सिर्फ़ तीन दिन मस्जिद में तरावीह की नमाज़ पढ़ी और उसमें आठ रकआत तरावीह और तीन वित्र पढ़े हैं। चूंकि हर दिन लोगों के शौक़ और रग़बत में इज़ाफ़ा होता रहा और उनकी तादाद बढ़ती रही। इसलिये आपने सहाबा किराम का शौक़ व रग़बत देखकर ये ख़तरा महसूस फ़रमाया कि कहीं इस शौक़ व रग़बत की बिना पर अल्लाह तआला तरावीह को लाज़िम न ठहरा दे। इसलिये आपने जमाअत रोक दी। इस पर ये ऐतिराज़ नहीं हो सकता कि पाँच फ़राइज़ पर इज़ाफ़ा तो नहीं हो सकता था। क्योंकि पाँच नमाज़ें तो रोज़ाना पढ़ी जाती हैं और तरावीह का ताल्लुक़ सिर्फ़ माहे रमज़ान से है। इसलिये इसकी फ़र्ज़िय्यत से पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़ा न होता। रमज़ान तो सिर्फ़ एक माह ही है और ये मतलब भी हो सकता है कि तरावीह की नमाज़ नफ़ल ही रहती। लेकिन जिसको

पढ़नी होती उसको जमाअत की पाबंदी लाज़िमन करनी पड़ती। अब आपके बाद चूंकि वह्य का आना बंद हो गया है और नया हुक्म जारी नहीं हो सकता, इसलिये जमाअत की सूरत में तरावीह पढ़ने की फ़र्ज़िय्यत का ख़तरा नहीं रहा। इसलिये अब उम्मत के अक्सर उलमा, इमाम शाफ़ेई और उनके अक्सर अस्हाब (साथी) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और कुछ मालिकिया के नज़दीक तरावीह जमाअत के साथ पढ़ना अफ़ज़ल है। क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर से लेकर आज तक मुसलमानों का इस पर अमल है और ये मुसलमानों का इम्तियाज़ और शिआर की शक्ल इख़्तियार कर गई है लेकिन इमाम मालिक, इमाम अबू यूसुफ़ और कुछ शवाफ़ेअ के नज़दीक इसका घर में इन्फ़िरादी तौर पर एहतिमाम करना अफ़ज़ल है।

(1784) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को निकले और मस्जिद में नमाज़ पढ़नी शुरू की। कुछ लोगों ने आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। सुबह हुई तो लोगों ने इसका चर्चा किया और लोग पहले से ज़्यादा हो गये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) दूसरी रात निकले और लोगों ने आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। सुबह हुई तो लोगों ने इसका तज़्किरा किया। तीसरी रात लोग मस्जिद में ज़्यादा जमा हो गये तो आप निकले और उन्होंने आपकी इक़्तिदा की। जब चौथी रात आई तो मस्जिद नमाज़ियों के लिये तंग हो गई और रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ न लाये। उनमें से कुछ लोग नमाज़ की सदा बुलंद करने लगे लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ न लाये, यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाये। जब सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए। फिर ख़ुत्बा पढ़कर फ़रमाया, 'हम्द व सलात

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلاَةَ . فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى

الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " .

के बाद! वाक़िया ये है कि आज रात तुम्हारा मामला मुझ पर मख़्फ़ी (छुपा) न था, लेकिन मुझे ये ख़दशा पैदा हो गया कि रात की नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाये और तुम इससे आजिज़ आ जाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 924, नसाई : 4/155)

फ़ायदा : अगर इंसान के लिये कोई चीज़ लाज़िम और फ़र्ज़ न हो, सिर्फ़ उसको उसका शौक़ और रग़बत दिलाई जाये तो वो उसको अपने लिये गिराँ और मुश्किल नहीं समझता। लेकिन फ़र्ज़िय्यत की सूरत में पाबंदी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिये शरीअत में नवाफ़िल के मुक़ाबले में फ़राइज़ की तादाद कम है। अगर तरावीह बाजमाअत फ़र्ज़ हो जाती तो इंसान उसका पाबंद हो जाता। इसलिये वो उसमें गिरानी और मशक़्क़त समझता और उससे अक़ीदत के बावजूद कमज़ोरी और बेबसी का इज़हार करता, जिसका आज हम फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी की सूरत में मुशाहिदा कर सकते हैं कि कितने फ़ीसद लोग नमाज़ बाजमाअत का एहतिमाम और पाबंदी करते हैं। इसलिये आपने फ़रमाया, 'फ़तअजिज़ू अन्हा' तुम इसको गिराँ समझते और आजिज़ी व कमज़ोरी का इज़हार करते।

नोट : यहाँ हिन्दो-पाक के नुस्ख़ों में बाब है कि शबे क़द्र के मन्दूब क़ियाम की ताकीद और उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि शबे क़द्र सत्ताइसवीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ سَمِعْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ - وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَقَالَ أُبَىٌّ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي - وَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَىُّ لَيْلَةٍ هِيَ . هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1785) ज़िर्र बयान करते हैं कि उबइ बिन कअ़ब (रज़ि.) को बताया गया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) कहते हैं, जो इंसान साल भर क़ियाम करेगा वो शबे क़द्र को पायेगा। तो उबइ (रज़ि.) ने कहा, बग़ैर इसके कि इन्शाअल्लाह कहें कि अल्लाह की क़सम! जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है शबे क़द्र रमज़ान में है और अल्लाह की क़सम! मैं ख़ूब जानता हूँ ये कौनसी रात है, ये वही रात है जिसके क़ियाम का हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया था। ये सत्ताइसवीं सुबह की रात है और इसकी

बِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لَهَا .

अलामत ये है कि इसके दिन की सुबह सूरज रोशन बग़ैर शुआओं के तुलूअ होता है।
(अबू दाऊद : 1378, नसाई : 4/150-155)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ أُبَىٌّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهَا وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ - وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ - هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ .

(1786) ज़िर्र बिन हुबैश कहते हैं, मुझे उबइ (रज़ि.) ने लैलतुल क़द्र के बारे में कहा, अल्लाह की क़सम! मैं इसके बारे में अच्छी तरह इल्म रखता हूँ और मेरा ज़न्ने ग़ालिब ये है कि ये वही रात है जिसके क़ियाम का हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया, ये सत्ताइसवीं रात है। हियल्लैलतुल्-लती अमरना बिहा के बारे में शोबा को शक लाहिक़ हुआ है कि ये अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के हैं। क्योंकि ये रिवायत उन्हें उनके साथी ने सुनाई थी।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ . وَمَا بَعْدَهُ .

(1787) इमाम साहब दूसरी सनदों से शोबा की रिवायत नक़ल करते हैं लेकिन उसमें ये बयान नहीं करते, 'शोबा को शक है' से लेकर आख़िर तक।

फ़ायदा : हज़रत उबइ बिन कअ़ब (रज़ि.) शबे क़द्र सत्ताइसवीं को क़रार देते थे और उस पर यक़ीन की बिना पर क़सम भी उठाते थे और इसमें कोई शुब्हा नहीं, कई बार शबे क़द्र सत्ताइसवीं होती है। शबे क़द्र के बारे में रिवायात रमज़ान के रोज़ों के अबवाब में रिवायत की गई हैं इसलिये इसका तज़्किरा वहीं होगा।

बाब 26 : नबी (ﷺ) की रात की नमाज़ और दुआ और आपका क़ियाम

باب الدُّعَاءِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ

(1788) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने एक रात अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के यहाँ गुज़ारी। नबी (ﷺ) रात को उठे और अपनी पेशाब—पाखाना की हाजत पूरी की। फिर अपना चेहरा और हाथ धोये, फिर सो गये। फिर उठे और मश्कीज़े के पास आकर उसका बंधन खोला फिर दरम्याना वुज़ू किया और पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और वुज़ू अच्छी तरह किया। फिर उठकर नमाज़ शुरू की तो मैं उठा और मैंने अंगड़ाई ली, इस डर से कि आप ये न समझें कि मैं आपके हालात जानने की ख़ातिर जाग रहा था। मैंने वुज़ू किया, आप खड़े हुए और नमाज़ पढ़ने लगे तो मैं आपकी बायें जानिब खड़ा हो गया। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घुमाकर अपनी दायें जानिब खड़ा कर लिया तो रात को रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ तेरह रकअत मुकम्मल हुई। फिर आप लेट गये और सोकर ख़र्राटे लेने लगे। आप जब सोते थे तो ख़र्राटे लेते थे। फिर आपके पास बिलाल (रज़ि.) आये और आपको नमाज़ की इत्तिलाअ दी। आपने उठकर नमाज़ पढ़ी (सुन्नते फ़ज्र अदा कीं) और वुज़ू न किया और अपनी दुआ में कहा, 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर पैदा फ़रमा और मेरी आँखों में नूर पैदा कर दे और मेरे सुनने में नूर पैदा फ़रमा

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا

وَخَلْفِي نُورًا وَعَظِّمْ لِي نُورًا " . قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ .

और मेरे दायें नूर कर दे और मेरे बायें नूर कर दे और मेरे ऊपर नूर कर दे और मेरे नीचे नूर कर दे और मेरे आगे नूर कर दे और मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे नूर को बढ़ा दे।' और इब्ने अ़ब्बास के शागिर्द कुरैब ने बताया सात का ताल्लुक़ जिस्म से है और सलमा बिन कुहैल कहते हैं, मेरी मुलाक़ात अ़ब्बास (रज़ि.) के किसी बेटे से हुई तो उसने मुझे वो सात आ़ज़ा बताये, उसने बताया, मेरे पुट्ठों, मेरे गोश्त, मेरे ख़ून, मेरे बालों, मेरी खाल को नूर कर दे और दो और चीज़ें बताईं।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) शिनाक़ : उस रस्सी को कहते हैं, जिससे मश्कीज़े को खूंटी के साथ बांधा जाता है और उस तस्मे को भी कहते हैं जिससे मश्कीज़े का मुँह बांधा जाता है। **(2) तमत्तैतु :** मैंने अंगड़ाई ली। **(3) सबअ़न फ़ित्ताबूत :** इसके मानी में इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने इसका मानी सद्र (सीना) किया है, कुछ दिल के इर्द-गिर्द पसलियाँ वग़ैरह, कुछ ने सन्दूक़ किया है। सात बातें मेरे सन्दूक़ में लिखी पड़ी हैं लेकिन सहीह मानी ये है कि सात चीज़ें जिनका इंसानी जिस्म से ताल्लुक़ है लेकिन मैं उनको भूल गया हूँ। इसलिये उनके शागिर्द सलमा बिन कुहैल ने हज़रत अ़ब्बास के किसी लड़के ने पूछा, उसने वो सात चीज़ें बताईं लेकिन सलमा लिसान और नफ़्स भूल गये, बाक़ी पाँच बयान कर दीं।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है कि सेहते जमाअ़त और इमामत के लिये ये ज़रूरी नहीं है कि इमाम किसी को नमाज़ पढ़ाने की निय्यत करे। क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नमाज़ पढ़ रहे थे और बाद में पेशगी इत्तिलाअ़ के बग़ैर इब्ने अ़ब्बास भी आपके साथ शरीक हो गये। जिससे मालूम होता है, नाबालिग़ बच्चे की नमाज़ और उसका मुक़्तदी बनना सहीह है। **(2)** अगर मुक़्तदी सिर्फ़ एक हो तो वो दायें तरफ़ खड़ा होगा, अगर वो नावाक़िफ़ियत की बिना पर बायें तरफ़ खड़ा हो जाये तो उसको घुमाकर पीछे से दायें तरफ़ किया जायेगा। **(3)** किसी बुज़ुर्ग या नेक शख़्सियत के हालात का तजस्सुस इसलिये करना ताकि उनको अपनाया जा सके दुरुस्त है। **(4)** आप रात को दुआए नूरी करते थे, जिसका मक़सद ये था कि ऐ अल्लाह! मेरे दिल, मेरे क़ल्ब, मेरी रूह, मेरे जिस्म और जिस्म के हर हिस्से में और मेरी रग-रग और रेशे में नूर भर दे। सिर्फ़ मुझे ही अज़ सर ता पैर नूर न बना बल्कि मेरे गर्दो-पेश, मेरे आगे पीछे और ऊपर नीचे हर तरफ़ नूर ही नूर कर दे। ताकि मैं लोगों के लिये हर ऐतिबार और हर हैसियत से मश्अ़ले राह बनूँ और मेरे हर क़ौल व फ़ैअ़ल और हरकत में नूर ही नूर हो। **(5)** इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास आपको आ़लिमुल ग़ैब नहीं समझते थे, इसलिये कहते हैं कि मैं अंगड़ाई लेकर

उठा ताकि आप ये न समझें कि मैं आपके हालात जानने के लिये जाग रहा था। (6) बक़ौल इमाम क़स्तलानी अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) का लड़का अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह था।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ خَالَتُهُ - قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ

(1789) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन्होंने एक रात उम्मुल मोमिनीन मैमूना के यहाँ गुज़ारी जो उनकी ख़ाला हैं। तो मैं सिरहाने यानी बिस्तर के अ़र्ज़ में लेटा और रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपकी अहलिया उसके तूल (लम्बाई) में लेटे, रसूलुल्लाह (ﷺ) सो गये। जब रात आधी हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद तो रसूलुल्लाह (ﷺ) बेदार हो गये और अपने हाथ से अपने चेहरे से नींद ज़ाइल करने लगे। फिर आपने सूरह आले इमरान की आख़िरी दस आयात की तिलावत फ़रमाई। फिर आप एक लटके हुए मश्कीज़े के पास गये और उससे वुज़ू किया और अच्छी तरह वुज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। इब्ने अ़ब्बास कहते हैं, मैं उठा और मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह यही अ़मल किया। फिर जाकर आपके पहलू में खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना दायाँ हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे कान को पकड़कर मरोड़ने लगे। आपने दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी, फिर दो रकअ़त, फिर दो रकअ़त, फिर दो रकअ़त, फिर दो रकअ़त, फिर दो रकअ़त पढ़ीं फिर वित्र पढ़ा। फिर लेट गये यहाँ तक कि आपके पास मुअज़्ज़िन आया तो आपने उठकर दो हल्की-हल्की रकअ़तें पढ़ीं, फिर तशरीफ़ ले गये और सुबह की नमाज़ पढ़ाई।

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

(सहीह बुख़ारी : 183, 922, 1198, 4570, 4571-4572, 698, अबू दाऊद : 1364, 1367, नसाई : 3/210, इब्ने माजह : 1363)

फ़वाइद : (1) नाबालिग़ महरम का मियाँ-बीवी के साथ ज़मीन पर एक बिस्तर में सो जाना दुरुस्त है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) आपके सिरहाने या बायें चौड़ाई में सोये थे और आपकी अहलिया लम्बाई में और ये तभी मुम्किन है कि आपका बिस्तर ज़मीन पर हो। **(2)** लेकिन उस दौर में जिन्सी जज़्बात, वक़्त से पहले बेदार नहीं होते थे। जबकि आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बच्चा बुलूग़त से बहुत पहले बालिग़ हो जाता है। इसलिये बच्चों के सामने मियाँ-बीवी को इकट्ठा लेटना नहीं चाहिये। **(3)** नमाज़ में बेदार रखने के लिये साथ खड़ा हो जाने वाले बच्चे का कान मरोड़ना दुरुस्त है। **(4)** रात को बेदार होकर सूरह आले इमरान की आख़िरी दस आयतों की तिलावत करनी चाहिये।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ قَلِيلاً ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقُمْتُ . وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ .

(1790) मुसन्निफ़ दूसरे उस्ताद से यही रिवायत करते हैं जिसमें ये इज़ाफ़ा है, फिर आपने पानी के एक मश्कीज़े का रुख़ किया। मिस्वाक की और वुज़ू किया, वुज़ू मुकम्मल किया, लेकिन पानी बहुत कम बहाया। फिर मुझे हरकत दी और मैं सीधा हो गया। यानी मेरी नींद दूर हो गई। बाक़ी हदीसे मज़्कूरा बाला की तरह है।

मुफ़रदातुल हदीस : शन्नुन और **शजबुन :** पुराने मश्कीज़े को कहते हैं। (बौसीदा मश्क)

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(1791) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सोया और उस रात रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया, खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे, मैं आपके बायें खड़ा हो गया तो आपने मुझे पकड़कर अपने दायें कर

عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ فَقَالَ حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ .

लिया। उस रात आपने तेरह रकआत पढ़ीं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) सो गये यहाँ तक कि ख़र्राटे लेने लगे और आप जब सोते थे ख़र्राटे लेते थे, फिर आपके पास मुअज़्ज़िन आया, आप तशरीफ़ ले गये और नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। अम्र कहते हैं, मैंने ये हदीस़ बुकैर बिन अल्अशज्ज को सुनाई तो उसने कहा, कुरैब ने मुझे ये हदीस़ सुनाई थी।

फ़ायदा : इमाम साहब ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ये हदीस़ तक़रीबन पन्द्रह सनदों से बयान की है। कुछ में तफ़्सील है और कुछ में इज्माल व इख़्तिसार। इसलिये असल हक़ीक़त तमाम रिवायात को सामने रखने से खुलती है। वगरना कुछ इज्माली रिवायात को ही सामने रखा जाये तो इस वाक़िये के बारे में उलझन पैदा होती है। हर जगह रिवायत का सहीह मफ़्हूम समझने के लिये ज़रूरी है कि वाक़िये से मुताल्लिक़ा तमाम रिवायात को इकट्ठा किया जाये और मज्मूआ से मतलब व मानी अख़ज़ किया जाये।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقُلْتُ لَهَا إِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَيْقِظِينِي . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَجَعَلْتُ إِذَا

(1792) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने एक रात अपनी ख़ाला मैमूना बिन्ते हारिस़ (रज़ि.) के यहाँ बसर की। उनसे मैंने अर्ज़ किया, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उठें तो आप मुझे बेदार कर दें। रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे, मैं आपकी बायें जानिब खड़ा हो गया। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने दायें पहलू में खड़ा कर लिया। तो जब मुझे झपकी आने लगती, आप मेरे कान की लौ पकड़ लेते। तो आपने ग्यारह रकआत पढ़ीं। फिर आपने गोठ मारी यहाँ तक कि मैं आपके सोने की वजह से

أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي - قَالَ - فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

आपकी साँस की आवाज़ सुन रहा था। यानी आप ख़र्राटे ले रहे थे तो जब आपके सामने सुबह वाज़ेह हो गई, आपने हल्की-फुल्की दो रकअतें पढ़ीं।

फ़ायदा : यहाँ नमाज़ के शुरूआत में जो आपने दो हल्की रकअत पढ़ी थी, उनको नज़र अन्दाज़ कर दिया गया। क्योंकि आपने तेरह रकआत पढ़ी थीं। जैसाकि सराहतन गुज़र चुका है और यहाँ सोने की सूरत इहतिबा को बताया गया है और इहतिबा कहते हैं, अपनी टांगें पेट के साथ मिलाकर पुश्त की तरफ़ से कपड़े के साथ बांध लेना, ताकि इंसान को गिरने से सहारा मुयस्सर आ जाये।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - قَالَ وَصَفَ وُضُوءَهُ وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً لأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

(1793) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के यहाँ रात बसर की। रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को उठे और बौसीदा मश्क से, जो लटकी हुई थी वुज़ू किया। वुज़ू ख़फ़ीफ़ किया। आपके वुज़ू की ये कैफ़ियत बयान की कि पानी कम इस्तेमाल किया और मर्रात भी कम थे (यानी आज़ा तीन बार न धोये)।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मैंने उठकर नबी (ﷺ) जैसा अमल किया, फिर आकर आपके बायें तरफ़ खड़ा हो गया। आपने मुझे पीछे से घुमाकर अपनी दायें जानिब खड़ा कर लिया और नमाज़ पढ़ी। फिर लेटकर सो गये यहाँ तक कि ख़र्राटे लेने लगे। फिर बिलाल (रज़ि.) ने आकर आपको नमाज़ की इत्तिलाअ दी। आप तशरीफ़ ले गये और सुबह की नमाज़ पढ़ाई और वुज़ू न किया। सुफ़ियान बयान करते हैं (सोकर उठकर वुज़ू न करना) नबी (ﷺ) का ख़ास्सह है आपकी आँखें सोती

عليه وسلم تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ .

हैं और आपका दिल नहीं सोता।

(सहीह बुख़ारी : 138, 726, 859, तिर्मिज़ी : 232, नसाई : 1/215, इब्ने माजह : 423)

मुफ़रदातुल हदीस़ : अख़्लफ़नी : मुझे पीछे से घुमाया ताकि मैं आपके सामने न आऊँ।

फ़ायदा : गहरी नींद से इंसान के होश व हवास क़ायम नहीं रहते और हवा के ख़ारिज होने का पता नहीं चलता। इसलिये ऐसी नींद को वुज़ू के टूटने का महल और मौक़ा समझा जाता है और इंसान को नये सिरे से वुज़ू करना पड़ता है। लेकिन चूंकि आप (ﷺ) के होश व हवास क़ायम रहते थे। इसलिये आपकी गहरी नींद को मुज़िन्न-ए-नक़्ज़ (वुज़ू टूटने का महल) नहीं समझा जाता और आप नींद से बेदार होकर उसी तरह बिला वुज़ू नमाज़ पढ़ लेते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوِ الْقَصْعَةِ فَأَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ - قَالَ - فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَكَامَلَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ

(1794) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के यहाँ रात गुज़ारी। मैं देखने का मुन्तज़िर रहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ कैसे पढ़ते हैं तो आप उठे, पेशाब किया फिर अपना चेहरा और हथेलियाँ धोईं, फिर सो गये। फिर उठकर मश्कीज़े के पास गये और उसका बंधन खोला। फिर बड़े लगन या प्याले में पानी डाला और उसको अपने हाथ से झुकाया। फिर दो वुज़ूओं के दरम्यान अच्छी तरह वुज़ू किया। यानी न वुज़ू बहुत हल्का और न उसमें मुबालग़ा किया। फिर उठकर नमाज़ पढ़ने लगे। मैं आकर आपके पहलू में आपकी बायें जानिब खड़ा हो गया। आपने मुझे पकड़कर अपने दायें खड़ा कर दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ पूरी तेरह (13) रकअ़त हुई। फिर आप सो गये यहाँ तक कि खराटे लेने लगे और हम आपको जब आप सो जाते, आपके खर्राटों से पहचानते थे। फिर

وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا أَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِي نُورًا " .

आप नमाज़ के लिये निकले और नमाज़ पढ़ाई और आप अपनी नमाज़ और अपने सज्दे में ये दुआ माँगने लगे (ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर पैदा फ़रमा और मेरे कानों में नूर और मेरी आँखों में नूर और मेरे दायें नूर और मेरे बायें नूर पैदा फ़रमा और मेरे आगे और मेरे पीछे नूर पैदा फ़रमा और मेरे ऊपर और मेरे नीचे नूर कर दे और मेरे लिये नूर पैदा फ़रमा। या फ़रमाया, मुझे सरापा नूर बना दे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : बक़ैतु : मैंने इन्तिज़ार किया, ध्यान रखा। **जफ़नह** : बड़ा बर्तन। **क़स्अह** : प्याला।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है आपने दुआए नूरी, अपनी नमाज़ और अपने सज्दे में भी माँगी है जबकि कुछ आगे आने वाली रिवायात से मालूम होता है कि आपने ये दुआ नमाज़ के लिये जाते वक़्त रास्ते में की है। मालूम होता है, आपने इस रात ये दुआ तीनों मौक़ों पर की है और आपने अपने हर अ़ज़्व (अंग) के मुनव्वर होने या सरापा नूर होने की दुआ की है ताकि आपका हर अ़ज़्व (अंग) वही काम करे, जिसके लिये उसको पैदा किया गया है और आपका कोई अ़ज़्व (अंग) इल्म व हिदायत की रोशनी से महरूम न हो, बल्कि आपकी जिहाते सित्ता (छः दिशायें) नूर और रोशनी से ही मुनव्वर हों और आपके हर सू (जानिब) इल्म व हिदायत की रोशनी फैले।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، . قَالَ سَلَمَةُ فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ. وَقَالَ " وَاجْعَلْنِي نُورًا " . وَلَمْ يَشُكَّ .

(1795) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के यहाँ था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) आये, आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है लेकिन उसमें शक के बग़ैर वज्अ़ल्नी नूरा है यानी मुझे सरापा नूर बना दे।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ وَقَالَ " أَعْظِمْ لِي نُورًا " . وَلَمْ يَذْكُرْ " وَاجْعَلْنِي نُورًا " .

(1796) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के यहाँ रात गुज़ारी और मज़्कूरा बाला रिवायात बयान की लेकिन उसमें चेहरे और हथेलियाँ धोने का ज़िक्र नहीं है। हाँ! ये कहा, फिर आप मश्क के पास आये, उसका बंधन खोला और दरम्यानी क़िस्म का वुज़ू किया। फिर बिस्तर पर आकर सो गये। फिर आप दोबारा उठे और मश्क के पास आये, उसका बंधन खोला फिर दोबारा वही वुज़ू किया और कहा, 'मुझे अज़ीम नूर दे।' और ये नहीं कहा, मुझे सरापा नूर कर दे।

फ़ायदा : अबू रशदैन इब्ने अब्बास के मौला कुरैब की कुन्नियत।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْوُضُوءِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً . قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ

(1797) सलमा बिन कुहैल को कुरैब ने बताया कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गुज़ारी। उन्होंने (इब्ने अब्बास) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उठकर मश्कीज़े के पास गये और उससे पानी उण्डेला और वुज़ू किया और पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वुज़ू में कोई कमी नहीं की और पूरा वाक़िया बयान किया और उसमें ये भी है कि आपने उस रात दुआ में उन्नीस (19) कलिमात कहे। सलमा कहते हैं, कुरैब ने वो कलिमात मुझे बताये थे और मैंने उनमें से बारह कलिमात

فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَىْ عَشْرَةَ وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَىَّ نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا " .

को याद रखा और बाक़ी भूल गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर पैदा फ़रमा और मेरी ज़बान में नूर पैदा फ़रमा और मेरे कान में नूर पैदा फ़रमा और मेरी आँख में नूर पैदा फ़रमा और मेरे ऊपर नूर कर दे और मेरे नीचे नूर कर दे और मेरे दायें और मेरे बायें नूर कर दे और मेरे आगे और मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे अंदर नूर पैदा फ़रमा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नूर दे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : **सकब** और **सब्ब :** दोनों के मानी (उण्डेलना) डालना है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا لأَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ - قَالَ - فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ .

(1798) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक रात मैमूना (रज़ि.) के घर सोया, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके यहाँ थे और मैं देखना चाहता था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ की कैफ़ियत कैसी है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बताते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ वक़्त अपनी अहलिया से बातचीत फ़रमाई और फिर सो गये और पूरा वाक़िया बयान किया और उसमें ये भी है कि (फिर उठे) वुज़ू किया और मिस्वाक की।

(सहीह बुख़ारी : 4569, 6215, 7452)

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(1799) अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि वो एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास सोये। पस (तहज्जुद के वक़्त) रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे और आपने मिस्वाक की और वुज़ू फ़रमाया और आप ये आयाते मुबारका पढ़ रहे थे, 'यक़ीनन

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ} فَقَرَأَ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا . اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا "

आसमानों और ज़मीनों की तख़्लीक़ में और दिन और रात के आने-जाने में ख़ालिस अक़्ल रखने वालों के लिये अस्बाक़ (नसीहत) हैं।' सूरह आले इमरान के ख़त्म तक ये आयात तिलावत फ़रमाईं। फिर आप खड़े हुए और दो रकअ़तें पढ़ीं, उनमें क़ियाम, रुकूअ़ और सुजूद बहुत तवील किया। फिर बिस्तर की तरफ़ वापस पलटे और सो गये। यहाँ तक कि आपके साँस की आवाज़ सुनाई देने लगी यानी खर्राटे लेने लगे। फिर आपने इस तरह तीन बार किया। छः रकआत पढ़ीं। हर बार आप मिस्वाक करते, वुज़ू फ़रमाते और इन आयात की तिलावत फ़रमाते। फिर आपने तीन वित्र पढ़े फिर मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी तो आप नमाज़ के लिये निकले और आप ये दुआ कर रहे थे, 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर पैदा फ़रमा और मेरी ज़बान में नूर पैदा फ़रमा और मेरी समअ़ व बसर (कानों व आँखों) में नूर पैदा फ़रमा और मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे आगे नूर कर दे और मेरे ऊपर नूर कर दे और मेरे नीचे नूर कर दे, ऐ अल्लाह! मुझे नूर इनायत फ़रमा दे।'

(अबू दाऊद : 1353-1354, नसाई : 3/236-237)

फ़वाइद : (1) कुछ रिवायत से मालूम होता है आपने शुरू में दो हल्की रकअ़तें पढ़ीं। जिनको रावी ने यहाँ नज़र अन्दाज़ कर दिया है। लेकिन दूसरी रिवायात की रू से दो पढ़ी हैं। फिर आपने तीन मर्तबा अलग दो रकअ़त तवील क़ियाम, रुकूअ़ और सुजूद के साथ पढ़ी हैं और हर मर्तबा आप दरम्यान में सोये हैं और फिर नींद के असर को ज़ाइल करने के लिये मिस्वाक और वुज़ू फ़रमाया है और आयाते सूरह आले इमरान की तिलावत फ़रमाई है। इस तरह छः रकआत पढ़ी हैं।

उसके बाद आपने पाँच रकआत पढ़ी हैं और उनमें भी चार दो-दो करके पढ़ी हैं और आख़िर में एक वित्र पढ़ा है। रावी ने आख़िरी दोगाना के बाद अलग पढ़े जाने वाले वित्र को उसका हिस्सा बनाकर तीन वित्र बना दिये हैं। हालांकि तफ़्सीली रिवायात में ये बात मौजूद है कि आपने उस रात तेरह (13) रकआत पढ़ी हैं और हर दोगाना पर सलाम फेरा है और आख़िर में एक वित्र पढ़ा है। इसलिये मुज्मल और मुख़्तसर रिवायात का मफ़्हूम, मुफ़स्सल रिवायात की रोशनी में ही मुतअय्यन होगा, वगरना तआरुज़ (टकराव) होगा। क्योंकि इस रिवायत से तो यही मालूम होता है कि आपने कुल 9 रकआत पढ़ी हैं। लेकिन पिछली रिवायात में तेरह रकअत पढ़ने की सराहत गुज़र चुकी है। **(2)** इस रिवायत से मालूम होता है आप हर दो रकअत पढ़ने के बाद सो जाते थे और उठकर दोबारा नमाज़ पढ़ने से पहले पूरे एहतिमाम से वुज़ू फ़रमाते थे। इसलिये अगर इंसान नींद से उठकर दोबारा वुज़ू करे तो इंसान के लिये चुस्ती और निशात का बाइस होगा। आपकी नींद नाक़िजे वुज़ू नहीं, उसके बावजूद आपने वुज़ू फ़रमाया। लेकिन मालूम होता है आपने इस रात आम मामूल से हट कर काम किया, हर दो रकअत के बाद सोना आपका मामूल न था और न ही उठकर दोबारा वुज़ू करना आपकी आदते मुबारका थी और आप रकआत भी आम तौर पर ग्यारह ही पढ़ते थे और दुआए नूरी मस्जिद को जाते ही पढ़ते थे। जबकि उस रात आपने ये दुआ नमाज़ और सज्दे में भी पढ़ी है।

(1800) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने एक रात अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के पास बसर की। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नफ़ली नमाज़ पढ़ने के लिये उठे। रसूलुल्लाह (ﷺ) उठकर मश्क की तरफ़ गये और वुज़ू फ़रमाया। फिर उठकर नमाज़ शुरू कर दी। जब मैंने आपको ये करते देखा तो मैं भी उठा और मैंने मश्क से वुज़ू किया। फिर मैं आपकी बायें जानिब खड़ा हो गया तो आपने अपनी पुश्त के पीछे से मेरा हाथ पकड़ा, इसी तरह पीछे से मुझे दायें जानिब फेर लिया। अता कहते हैं, मैंने पूछा, क्या ये नफ़ली नमाज़ में था? उन्होंने कहा, हाँ!

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ . قُلْتُ أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : यअ्दिलुनी कज़ालिक : यानी जिस तरह आपने मेरे हाथ को अपनी पुश्त (पीठ) के पीछे से पकड़ा था, उसी तरह अपने पीछे ही से बायें जानिब से दायें जानिब कर लिया।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ .

(1801) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे अ़ब्बास (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजा और आप मेरी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के घर में थे। तो वो रात मैंने आपके साथ गुज़ारी। आप रात को उठकर नमाज़ पढ़ने लगे और मैं उठकर आपके बायें खड़ा हो गया। तो आपने मुझे अपनी पुश्त के पीछे से पकड़ा और अपनी दायें जानिब कर लिया।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ .

(1802) मुसन्निफ़ ने एक दूसरे उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है।
(अबू दाऊद : 610)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

(1803) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को तेरह (13) रकआ़त पढ़ा करते थे।
(सहीह बुख़ारी : 1138, तिर्मिज़ी : 442)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ فَصَلَّى . رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

(1804) ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) बयान करते हैं कि (मैंने दिल में ख़याल किया) मैं आज रात रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ का गहरी नज़र से मुशाहिदा करूँगा। आपने दो हल्की रकअतें पढ़ीं। फिर दो रकअतें पढ़ी। यानी बहुत ही ज़्यादा लम्बी रकअतें अदा कीं। फिर दो रकअतें पढ़ीं। जो उनसे पहली दो रकअत से हल्की थीं। फिर दो रकअतें जो अपने से पहले दो रकअतों से हल्की थीं। फिर दो रकअतें पढ़ीं जो अपने से पहले से कमतर थीं। फिर दो रकअतें पढ़ीं जो अपने से पहली से कम थीं, फिर वित्र पढ़ा। तो ये तेरह (13) रकआत हुईं।
(अबू दाऊद : 1366, इब्ने माजह : 1362)

मुफ़रदातुल हदीस़ : लअरमुक़न्न : मैं गहरी और तवील नज़र से जायज़ा लूँगा।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ, आप नमाज़ की शुरूआत दो ख़फ़ीफ़ (हल्की) रकअतों से फ़रमाते थे। उसके बाद दो इन्तिहाई लम्बी रकअतें पढ़ते। उसके बाद हर बाद वाला दोगाना पहले से कम होता जाता और आख़िर में आप एक वित्र पढ़ लेते और जिस तरह ख़ुद आग़ाज़ में दो हल्की रकअतें पढ़ते, दूसरों को भी यही हुक्म देते थे। जैसाकि आगे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत आ रही है। अगर दो हल्की रकआत को शुमार न करें तो रकआत ग्यारह होंगी।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ

(1805) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। तो हम एक घाट पर पहुँचे तो आपने फ़रमाया, 'ऐ जाबिर! क्या तुम पानी पिलाने के लिये नहीं उतरोगे?' मैंने कहा, क्यों नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) उतरे और

فَقَالَ " أَلاَ تُشْرِعُ يَا جَابِرُ " . قُلْتُ بَلَى - قَالَ - فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَشْرَعْتُ - قَالَ - ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا -قَالَ - فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

मैंने पानी पिलाना शुरू किया। फिर आप क़ज़ाए हाजत के लिये तशरीफ़ ले गये और मैंने आपके लिये पानी रखा। आप वापस आये और वुज़ू फ़रमाया। फिर उठकर नमाज़ पढ़नी शुरू की। आपने एक कपड़े में नमाज़ पढ़ीं, जिसे आपने मुख़ालिफ़ अतराफ़ पर डाला हुआ था, यानी दायें किनारे को बायें कन्धे पर और बायें किनारे को दायें कन्धे पर। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया तो आपने मेरा कान पकड़कर मुझे अपने दायें कर लिया।

मुफ़रदातुल हदीस़ : मशरअह : पानी की घाट। **अला तुश्रिअ :** क्या तुम ऊँटों को पानी पीने के लिये घाट पर नहीं ले जाओगे।

फ़ायदा : अगर मुक़्तदी एक हो तो उसे (इमाम के दायें खड़ा होना होता है, अगर वो ग़लत जगह पर खड़ा हो जाये तो इमाम पकड़कर उसे अपने दायें खड़ा करेगा और इस काम से इमाम या मुक़्तदी की नमाज़ मुतास्सिर (ख़राब) नहीं होगी।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، -قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، - أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

(1806) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को नमाज़ पढ़ने के लिये उठते, अपनी नमाज़ का इफ़्तिताह (शुरूआत) दो हल्की रकअतों से फ़रमाते।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ

(1807) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई रात को (नमाज़ के लिये) उठे तो वो अपनी नमाज़ की शुरूआत दो हल्की रकअतों से करे।'

(1808) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब आधी रात को नमाज़ के लिये उठते तो फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! तू ही हम्द का हक़दार है, तू ही आसमानों और ज़मीन का नूर है और तू ही शुक्र का मुस्तहिक़ है, तू आसमानों और ज़मीन का निगरान है और तेरे लिये ही हम्द है, तू आसमानों और ज़मीन का (और जो कुछ उनमें है उनका) मालिक है और तू बरहक़ है और तेरा वादा हक़ है और तेरा क़ौल अटल है और तेरी मुलाक़ात क़तई (हक़) है और जन्नत मौजूद है और आग मौजूद है और क़यामत वाक़ेअ होकर रहेगी। ऐ अल्लाह! मैंने अपने आपको तेरे सुपुर्द कर दिया और तुझ ही पर मैं ईमान लाया और तुझ ही पर मैंने ऐतिमाद व भरोसा किया और तेरी ही तरफ़ रुजूअ किया और तेरी ही तौफ़ीक़ से तेरे मुन्किरों से झगड़ा किया और तेरे ही हुज़ूर में फ़ैसला लाया। यानी तुझे ही हकम तस्लीम किया। तू मेरे अगले-पिछले, छुपे और खुले गुनाह बख़्श दे तू ही मेरा इलाह है। तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है।'
(अबू दाऊद : 771, तिर्मिज़ी : 3418)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नूरुस्समावाति वल्अर्ज़ : आसमान व ज़मीन तुझ ही से मुनव्वर और रोशन है और तेरे नूर ही से आसमान व ज़मीन वाले हिदायत व रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और तेरे ही नूर से आसमान व ज़मीन की हर चीज़ अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो रही। **(2) क़य्यामुस्समावाति वल्अर्ज़ :** आसमान व ज़मीन को तू ही क़ायम रखे हुए है तू हर चीज़ का निगेहबान और मुहाफ़िज़ है और आसमान व ज़मीन तेरे ही ज़ेरे इन्तिज़ाम चल रहे हैं। **(3) रब्बुस्समावाति वल्अर्ज़ :** रब का मानी होता है जिसकी बात मानी जाये, जो हर चीज़ की ज़रूरत व हाजत को पूरा करे यानी मुश्किलकुशा और हाजत रवा हो, आक़ा व मालिक और मुन्तज़िम व मुदब्बिर हो यानी हर चीज़ का तू ही मालिक व

आक़ा है और हर जगह तेरी फ़रमांरवाई है और तू ही हर चीज़ की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। (4) **अन्तल हक़्क़** : हक़ का इस्तेमाल मुख़्तलिफ़ मआनी के लिये होता है जो चीज़ अपने ज़ुहूर और वजूद के लिहाज़ से बिल्कुल वाज़ेह और बय्यिन हो उसको भी हक़ कहते हैं। इसलिये अल्लाह तआला को हक़ कहा गया। ये और जिसका वाक़ेअ होना क़तई और यक़ीनी हो। यानी जो चीज़ शुद्नी हो उसको भी हक़ कहते हैं। इसलिये क़यामत और अल्लाह की मुलाक़ात को हक़ कहा गया है और जिसके वजूद और तहक़्क़ुक़ में किसी क़िस्म का शक व शुब्हा न हो वो भी हक़ है। इसलिये अल्लाह के वादे और जन्नत व दोज़ख़ को हक़ कहा गया है और जो चीज़ झगड़े और इख़्तिलाफ़ के दरम्यान क़ौले फ़ैसल की हैसियत रखती है उसको भी हक़ कहते हैं। इसलिये अल्लाह के क़ौल और क़ुरआन को हक़ कहा गया है। बातिल के मुक़ाबले में भी ये लफ़्ज़ आता है और ग़ायत व मक़सद के लिये भी, इसलिये आसमान व ज़मीन की तख़्लीक़ को बिल्हक़ क़रार दिया गया है। (5) **ल-क अस्लम्तु** : इस्लाम का मानी है, अपने आपको किसी के हवाले और सुपुर्द कर देना, सरे तस्लीम ख़म कर देना, उसकी इताअत व फ़रमांबरदारी करना। (6) **इलैक अनब्तु** : इनाबत, रुजूअ और वापसी को कहते हैं। यानी मैंने हर अम्र व मामले में तेरी तरफ़ ही रुजूअ किया और तेरी ही तरफ़ मुतवज्जह हुआ। (7) **बिक ख़ासम्तु** : तेरे मुख़ालिफ़ीन व मुन्किरीन से तेरे ही अता करदा दलाइल व बराहीन और क़ुव्वत व ताक़त से मुक़ाबला किया। (8) **इलैक हाकम्तु** : मैं हर फ़ैसला तेरी ही अदालत में लाया, तुझे ही हकम व फ़ैसल तस्लीम किया। तेरे सिवा किसी को भी हकम नहीं माना और जब मैं हर ऐतिबार और हर हैसियत से तेरा हूँ तू ही तो मेरे हर क़िस्म के क़ुसूर और कोताहियाँ माफ़ फ़रमा। क्योंकि तू ही मेरा माबूद और इलाह है। (9) **मा क़द्दम्तु वमा अख़्ख़रतु** : जो इस वक़्त कर चुका हूँ या आइन्दा मुझसे सादिर होंगे या जो काम बाद में करना चाहिये था, वो मैंने पहले कर दिया और जो पहले करना चाहिये था उसको मुअख़्ख़र कर दिया। पस तक़दीम और ताख़ीर की कोताही को माफ़ फ़रमा।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكٍ لَمْ يَخْتَلِفَا إِلاَّ فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

(1809) यही रिवायात इमाम मालिक की तरह इब्ने जुरैज और इब्ने उयय्ना ने भी बयान की हैं। इब्ने जुरैज और इमाम मालिक के अल्फ़ाज़ यकसाँ हैं, सिर्फ़ दो लफ़्ज़ों में इख़्तिलाफ़ है। इब्ने जुरैज ने क़य्याम की बजाय क़य्यिम कहा और अस्रर्तु की जगह मा अस्रर्तु इब्ने उयय्ना की रिवायत में कुछ इज़ाफ़ा है और कुछ कलिमात में मालिक और इब्ने जुरैज की मुख़ालिफ़त है।

مَكَانَ قَيَّامُ قَيِّمُ وَقَالَ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفٍ .

(सहीह बुख़ारी : 1120, 6317, 7385, 7442, 7499, नसाई : 3/309, इब्ने माजह : 1355)

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، الْقَصِيرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّفْظُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفَاظِهِمْ .

(1810) इमाम साहब ने एक दूसरी सनद से भी मज़्कूरा बाला रिवायत से मिलती-जुलती रिवायत बयान की है।

(अबू दाऊद : 772)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ " اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " .

(1811) अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) से पूछा, नबी (ﷺ) जब रात को नमाज़ के लिये उठते थे तो नमाज़ का आग़ाज़ कौनसे कलिमात से करते थे? उन्होंने जवाब दिया, जब आप रात को क़ियाम करते तो नमाज़ का आग़ाज़ इस दुआ से करते, 'ऐ अल्लाह! जिब्राईल, मीकाईल और इस्राफ़ील के आक़ा और मालिक़! ऐ आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाने वाले! पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाले! तेरे बन्दे जिन बातों में इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं तू ही उनके दरम्यान फ़ैसला फ़रमायेगा। जिन बातों में इख़्तिलाफ़ किया गया है तू ही मुझे उनमें हक़ पर क़ायम रख या अपनी तौफ़ीक़ से मुझे जिस हक़ में इख़्तिलाफ़ किया गया है, मेरी रहनुमाई फ़रमा, बेशक तू ही सीधी राह दिखाने वाला है।'

(अबू दाऊद : 772, 768, तिर्मिज़ी : 3420, नसाई : 3/212, इब्ने माजह : 1357)

(1812) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े होते तो ये दुआ पढ़ते, 'मैंने अपना चेहरा हर तरफ़ से यकसू होकर उस ज़ात की तरफ़ कर दिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाया है और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं। मेरी नमाज़ और मेरी क़ुर्बानी या मेरा हर दीनी अमल और मेरा जीना और मेरा मरना, सब अल्लाह के लिये है जो कायनात का आक़ा व मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसका हुक्म मिला है और मैं फ़रमांबरदारी करने वालों में से हूँ। ऐ अल्लाह! तू ही बादशाह और मालिक है, तेरे सिवा कोई बन्दगी के लायक़ नहीं है, तू मेरा मालिक व आक़ा है और मैं तेरा बन्दा हूँ, मैंने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म किया और मैं अपने गुनाह का ऐतिराफ़ करता हूँ, पस मेरे सारे गुनाहों को बख़्श दे क्योंकि तेरे सिवा गुनाहों को बख़्शने वाला कोई नहीं और मेरी बेहतरीन अख़्लाक़ की तरफ़ रहनुमाई फ़रमा। तेरे सिवा बेहतरीन अख़्लाक़ की तरफ़ रहनुमाई करने वाला कोई नहीं और बुरे अख़्लाक़ मेरी तरफ़ से फेर दे। तेरे सिवा मुझसे बुरे अख़्लाक़ को दूर करने वाला कोई नहीं। तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ और तेरी ख़िदमत व इताअत के लिये तैयार हूँ। हर क़िस्म की ख़ैर व भलाई तेरे हाथ में है और बुराई का तेरी तरफ़ गुज़र नहीं है, मुझे तेरा ही सहारा है और तेरी ही तरफ़ मेरा रुख़ है तू बरकत वाला और रिफ़अत व बुलंदी वाला है। मैं तुझसे बख़्शिश का साइल हूँ और तेरे हुज़ूर तौबा करता हूँ।' और जब आप

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ، الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ

وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي " . وَإِذَا رَفَعَ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ " . وَإِذَا سَجَدَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " . ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

रुकूअ करते तो फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर झुका हुआ हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ और मैंने अपने आपको तेरे ही सुपुर्द कर दिया है। मेरे कान और मेरी आँखें और मेरा मग़ज़ और मेरी हड्डियाँ और मेरी रग, पुट्ठे तेरे ही हुज़ूर झुके हुए हैं।' और जब रुकूअ से उठते तो दुआ करते, 'ऐ अल्लाह हमारे रब! तेरे ही लिये हम्द है (ऐसी वसीअ और बेइन्तिहा) जिससे आसमानों की वुस्अतें भर जायें और ज़मीन की वुस्अतें भर जायें और जो कुछ उनके दरम्यान है यानी दरम्यान का सारा ख़ला पुर हो जाये और उनके सिवा तू जो चाहे वो भर जाये।' और जब आप सज्दा करते तो कहते, 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर ही सज्दारेज़ हूँ और मैं तुझ पर ही ईमान लाया और अपने आपको तेरे ही हवाले किया, मेरा चेहरा उस ज़ात के सामने सज्दा करता है जिसने उसे पैदा किया और उसकी शक्ल व सूरत बनाई और उसके कान और उसकी आँखें तराशीं और बरकत वाला है, बेहतरीन ख़ालिक़।' फिर तशह्हुद और सलाम के दरम्यान आख़िर में ये दुआ पढ़ते, 'ऐ अल्लाह! जो ख़तायें मैंने पहले कीं या बाद में कीं और छुपकर कीं या ऐलानिया (खुले) कीं और जो भी ज़्यादती मैंने की और जिसका तुझे मुझसे ज़्यादा इल्म है, सब माफ़ कर दे। मुझे बख़्श दे। तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है और तेरे सिवा इबादत का मक़दूर कोई नहीं है।'

(अबू दाऊद : 744, 760-761, 1509, तिर्मिज़ी : 266, 3421, 3422, 3423, नसाई : 2/130, 1049, 1125, इब्ने माजह : 864, 1045)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) वज्जहतु वजहि-य हनीफ़ा : मैंने हर तरफ़ से रुख़ फेर लिया है और हर तरफ़ से कटकर आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले की तरफ़ कर लिया है। इसलिये मेरा मुश्रिकों से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। **(2) सलाती व नुसुकी :** नुसुक इबादत व बन्दगी और हर दीनी काम को कहते हैं लेकिन यहाँ मक़सूद क़ुर्बानी है और ये दोनों लफ़्ज़ महया व ममाती के मुक़ाबले में हैं कि मेरी ज़िन्दगी में दोई (दूजी) और शराकत नहीं है। जब तक ज़िन्दा हूँ उसकी तरफ़ मुतवज्जह हूँ और नमाज़ इसकी अ़लामत है और जब मेरी मौत आयेगी तो जान उसी पर क़ुर्बान करूँगा। ज़िन्दगी के आख़िरी साँस तक उससे मुँह नहीं मोड़ूँगा। क्योंकि अल्लाह का मानी है मेरी मौत का मालिक वही है और कोई और उसका मालिक नहीं है। इसलिये मौत व हयात उसके लिये ख़ास हैं, किसी और का उनमें कोई हक़ और हिस्सा नहीं है। क्योंकि वही रब्बुल आ़लमीन है यानी तमाम कायनात का आक़ा, मालिक व फ़रमांरवा, परवरदिगार और मुदब्बिर व मुन्तज़िम है। कायनात के नज़्म व नस्क़ और इन्तिज़ाम व इन्सिराम में किसी का दख़ल नहीं है। इसलिये मेरी मौत व हयात में किसी का दख़ल नहीं। इसलिये मैं उसका फ़रमांबरदार और इताअ़तगुज़ार हूँ, उसका बन्दा और गुलाम होने की बिना पर उस बादशाहे हक़ीक़ी से अपनी लग़्ज़िशों और कोताहियों की माफ़ी का तलबगार हूँ और उस मालिक के बग़ैर ये काम कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वही इलाह है। अख़्लाक़े हसना इख़्तियार करने की तौफ़ीक़ वही इनायत फ़रमा सकता है और अख़्लाक़े सय्यिआ से वही बचा सकता है। उसके सिवा किसी के इख़्तियार में नहीं है कि वो अख़्लाक़े हसना को अपनाने की तौफ़ीक़ दे और बुरे अख़्लाक़ से महफ़ूज़ रखे क्योंकि हर क़िस्म की ख़ैर व भलाई उसके हाथ में है। इसलिये मैं उसकी इताअ़त और फ़रमाबंरदारी पर क़ायम हूँ और हर वक़्त उसके लिये तैयार हूँ। वो ख़ालिक़े शर ज़रूर है लेकिन बुराई का उसकी तरफ़ गुज़र नहीं। **(3) वश्शर्रु लैस इलैक :** यानी शर तक़र्रुब और नज़दीकी का बाइस़ नहीं बन सकता। क्योंकि शर तेरी बारगाह में पहुँचता नहीं, तुझ तक सिर्फ़ कलिमाते ख़ैर और आ़माले सालेहा ही पहुँचते हैं। न शर की तेरी तरफ़ निस्बत हो सकती है क्योंकि तेरी निस्बत और तेरे ऐतिबार से वो शर नहीं है बल्कि हिक्मते बालिग़ा पर मबनी है इसलिये उसमें शर हमारे ऐतिबार से है और अदब व तौक़ीर का तक़ाज़ा भी यही है कि शर की निस्बत अपनी तरफ़ की जाये। अपने मालिक और आक़ा की तरफ़ न की जाये, हम चूंकि तेरे सहारे क़ायम हैं, इसलिये हमारा रुख़ तेरी ही तरफ़ है और हमारी हर चीज़ हमारी नस-नस, अंग-अंग और जोड़-जोड़ तेरे हुज़ूर झुका है और तू अपने इनामात व एहसानात के सबब जो बेहदो-बेइन्तिहा हैं। इस क़द्र हम्द और शुक्र का हक़दार है कि आसमान व ज़मीन और उनके दरम्यान ख़ला भी अगर तेरी हम्द व शुक्र से भर जायें तो भी तेरे फ़ैज़ व करम का हक़ अदा नहीं हो सकता। इसलिये हम हर क़िस्म की कोताहियों से जो हो चुकी हैं या होंगी, माफ़ी के ख़्वास्तगार हैं। क्योंकि हम हर क़िस्म की खुली-छुपी, छोटी-बड़ी कोताहियों के मुर्तकिब होते रहते हैं और तेरे सिवा कोई उन्हें माफ़ नहीं कर सकता।

وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ، إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ، الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الأَعْرَجِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ " وَجَّهْتُ وَجْهِي " . وَقَالَ " وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ " . وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . وَقَالَ " وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ " . وَقَالَ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ " . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ .

(1813) इमाम साहब यही रिवायत दूसरे उस्ताद के वास्ते से बयान करते हैं, इसमें है रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ का आग़ाज़ करते तो अल्लाहु अकबर कहने के बाद वज्जहतु वजहि-य दुआ पढ़ते और उसमें अना मिनल मुस्लिमीन की बजाय अना अव्वलुल मुस्लिमीन है कि मैं सबसे पहले इताअत गुज़ार हूँ और इताअत व फ़रमांबरदारी में पहले मक़ाम व मर्तबे पर फ़ाइज़ हूँ और उसमें है जब आप रुकूअ से अपना सर उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते और सव्वरहू के बाद फ़अह्सन सुवरहू उसको बेहतरीन शक्ल व सूरत इनायत फ़रमाई। और उसमें है कि अल्लाहुम्-मग़्फ़िरली मा क़द्दम्तु वाली दुआ सलाम फेरने के बाद पढ़ते। तशह्हुद और सलाम फेरने के दरम्यान का ज़िक्र नहीं किया।

फ़ायदा : अहादीसे मज़्कूरा बाला (ऊपर की हदीसों) से मालूम होता है कि आप नमाज़ के आग़ाज़ में दुआयें फ़रमाते थे और हदीसे अली वाली तवील दुआ भी तकबीरे तहरीमा के बाद पढ़ते थे। इसलिये अहनाफ़ का ये कहना कि ये तकबीरे तहरीमा से पहले शुरू की जायेगी दुरुस्त नहीं है और इस हदीस में ये क़ैद भी नहीं है कि आप ये दुआ रात की नमाज़ में पढ़ते थे। अगरचे इमाम मुस्लिम ने इसको रात की नमाज़ की अहादीस में ही बयान किया है।

बाब 27 : रात की नमाज़ में तवील (लम्बी) क़िरअत करना मुस्तहब है यानी पसन्दीदा अमल है

باب اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ . ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا . ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . فَكَانَ

(1814) इमाम साहब मुख़्तलिफ़ असातिज़ा से रिवायत करते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक रात मैंने नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़नी शुरू की। आपने सूरह बक़रह पढ़नी शुरू कर दी। मैंने दिल में सोचा, आप सौ आयतें पढ़कर रुकूअ फ़रमायेंगे, मगर आपने उसके बाद क़िरअत जारी रखी। मैंने सोचा, आप पूरी सूरत एक रकअत में पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ते रहे। मैंने सोचा, आख़िर में रुकूअ करेंगे, मगर आपने सूरह निसा शुरू कर दी। आपने वो पूरी पढ़ डाली, फिर सूरह आले इमरान शुरू कर दी, उसको पूरा पढ़ डाला। आप ठहर-ठहर कर क़िरअत फ़रमाते रहे। जब तस्बीह वाली आयत से गुज़रते तो सुब्हानअल्लाह कहते और जब सवाल वाली आयत से गुज़रते (पढ़ते) तो सवाल करते और जब तअव्वुज़ (अल्लाह से पनाह माँगना) वाली आयत से गुज़रते तो अल्लाह से पनाह माँगते। फिर आपने रुकूअ किया और मुसलसल 'सुब्हान रब्बियल अज़ीम' कहते रहे और आपका रुकूअ आपके क़ियाम के क़रीब था। फिर आपने 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह' कहा। फिर आपने तवील क़ोमा किया, जो रुकूअ के बराबर था। फिर सज्दा किया और सुब्हान रब्बियल अअ्ला कहते रहे और

سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ . قَالَ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" .

आपका सज्दा आपके क़ियाम के क़रीब था और जरीर की रिवायत में है कि आपने कहा, समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल् हम्द यानी रब्बना लकल हम्द का इज़ाफ़ा है।
(अबू दाऊद : 871, तिर्मिज़ी : 262-263, नसाई : 2/176,177, 2/177, 2/224, 3/225-226, 2/190, इब्ने माजह : 1951, 897)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि आप रात की नमाज़ में क़िरअत तवील फ़रमाते थे और क़ियाम की तवालत के साथ, रुकूअ, क़ोमा और सज्दा भी क़ियाम की तरह लम्बा करते और उसमें तस्बीहात का तकरार फ़रमाते। क़िरअत आहिस्ता-आहिस्ता, ठहर-ठहर कर फ़रमाते। इसके अलावा आयतों के मफ़्हूम व मानी के मुताबिक़ जहाँ तस्बीह की ज़रूरत होती वहाँ सुब्हानअल्लाह कहते। जहाँ अल्लाह तआला से माँगने की ज़रूरत होती वहाँ सवाल करते और जहाँ अल्लाह तआला से तअव्वुज़ से पनाह तलब करने की ज़रूरत होती, वहाँ तअव्वुज़ फ़रमाते। इस तरह क़ियाम मज़ीद तवील हो जाता और हदीस़ से ये भी साबित होता है कि नमाज़ में सूरतों की तर्तीब से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपने सूरह आले इमरान से पहले निसा पढ़ी है। हालांकि सूरह आले इमरान पहले है और सूरह निसा बाद में है। जो लोग नमाज़ में सूरतों को तर्तीब से पढ़ना वाजिब क़रार देते हैं उनकी बात हदीस़ के ख़िलाफ़ है।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، -قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قَالَ قِيلَ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ .

(1815) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ शुरू की। आपने बहुत तवील नमाज़ पढ़ी यहाँ तक कि मैंने एक बुरे काम का इरादा कर लिया। तो उनसे पूछा गया, आपने किस बात का इरादा किया था? उन्होंने कहा, मैंने इरादा किया कि मैं बैठ जाऊँ और आपको खड़ा छोड़ दूँ।
(सहीह बुख़ारी : 1135, इब्ने माजह : 1418)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(1816) इमाम साहब ने एक दूसरे उस्ताद से भी यही हदीस़ नक़ल की है।

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने रात के नवाफ़िल आपकी इक़्तिदा में पढ़ने शुरू किये और आपने इस क़द्र तवील क़ियाम फ़रमाया कि इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) के लिये आपके साथ खड़ा रहना मुश्किल हो गया तो उनके दिल में ये ख़्वाहिश पैदा हुई कि मैं बैठ जाऊँ। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) चूंकि खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे इसलिये हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसको आपकी तौक़ीर और अदब व एहतिराम के मुनाफ़ी (ख़िलाफ़) समझा। इसलिये इसको बुरे फ़ैअ़ल से ताबीर किया कि आप खड़े हों और मैं बैठ जाऊँ तो ये एक नापसन्दीदा तर्ज़े अ़मल है। इसलिये वो दिक़्क़त व कुल्फ़त के बावजूद खड़े रहे और नफ़ल में बैठने की गुंजाइश से फ़ायदा उठाना गवारा न किया।

बाब 28 : रात भर सुबह तक सोये रहने वाले की सूरते हाल (रात की नमाज़ की तरग़ीब ख़्वाह रकआ़त कम हों)

باب مَا رُوِيَ فِيمَنْ، نَامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى أَصْبَحَ

(1817) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक ऐसे आदमी का ज़िक्र किया गया जो रात भर सुबह तक सोया रहा, आपने फ़रमाया, 'वो ऐसा शख़्स है कि शैतान ने उसके कानों में बोल (पेशाब) कर दिया है।' या फ़रमाया, 'उसके कान में पेशाब किया है।'

(सहीह बुख़ारी : 1144, 3270, नसाई : 3/304, इब्ने माजह : 1330)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ " ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ " . أَوْ قَالَ " فِي أُذُنِهِ " .

फ़ायदा : इंसान के कानों में शैतान का पेशाब करना, एक इस्तिआ़रा और किनाया है। जिसका मक़सद ये है कि शैतान उस इंसान के बिगाड़ और फ़साद का बाइस बना है। यानी वो शैतान का पैरोकार है और उस पर शैतान हाकिम व ग़ालिब है और ये बईद नहीं है कि वाक़ेई शैतान पेशाब करता है। लेकिन जिस तरह ख़ुद उसका पता नहीं चलता। उसके पेशाब का भी पता नहीं चलता। लेकिन उसके सबब कानों में गिरानी और भारीपन पैदा हो जाता है। इसलिये इंसान की आँख ही नहीं खुलती और वो दिन चढ़े तक सोया रहता है और सुबह की फ़र्ज़ नमाज़ में भी शरीक नहीं हो सकता।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ " أَلاَ تُصَلُّونَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا . فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ " وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً " .

(1818) हज़रत अली बिन अबी तालिब बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) रात को उनके और फ़ातिमा (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'तुम उठकर नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते?' तो मैंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे नुफ़ूस अल्लाह के हाथ में हैं तो जब वो चाहता है हमें बेदार कर लेता है या जब उठाना चाहता है उठा देता है। जब मैंने आप से ये कहा आप वापस चले गये। फिर मैंने आपसे सुना कि आप वापस पलटते हुए, अपनी रान पर हाथ मारकर फ़रमा रहे थे, 'इंसान सबसे बढ़कर हुज्जतबाज़ है।'

(सहीह बुख़ारी : 1127, 4724, 7348, 7465, नसाई : 3/205-206)

फ़वाइद : (1) इंसान अपने अज़ीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों को नफ़ल व नवाफ़िल की तरग़ीब दे और उनके हालात की ख़बरगीरी करे। (2) इंसान को किसी की नसीहत और नेकी के काम की तरग़ीब पर कट हुज्जती से काम नहीं लेना चाहिये। बल्कि उसको क़ुबूल करना चाहिये और अपने क़ुसूर व कोताही को ऐतिराफ़ करना चाहिये या कोई वाक़ेई उ़ज़्र पेश करना चाहिये। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने तक़दीर को बहाना बनाया, इसलिये आपने उसको पसंद नहीं किया और आपने अपनी रान पर हाथ मारकर इस पर हैरत और तअ़ज्जुब का इज़हार किया कि उन्होंने फ़ौरन बिला सोचे-समझे ये जवाब क्यों दिया।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلاَثَ

(1819) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'शैतान जब तुममें से कोई सो जाता है तो उसकी गुद्दी पर तीन गिरहें (गांठ) लगाता है। हर गिरह पर थपकी देता है कि अभी रात बहुत लम्बी है। तो जब इंसान बेदार होकर अल्लाह तआ़ला को याद करता है, एक गिरह खुल जाती है और

عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيلاً فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ " .

जब वो वुज़ू करता है, उससे दूसरी गिरह खुल जाती है फिर जब नमाज़ पढ़ता है, सारी गिरहें खुल जाती हैं और वो सुबह चाक व चोबंद हश्शाश-बश्शाश पाक तबीअत करता है, वगरना सुबह गन्दा दिल और सुस्त उठता है।'
(नसाई : 3/203-204)

फ़ायदा : रात को इंसान जब सोता है तो शैतान की ख़्वाहिश और कोशिश ये होती है कि इंसान रात भर सुबह तक सोया रहे और वो नमाज़े फ़ज्र में भी शरीक न हो सके। इसके लिये वो हर मुसलमान इंसान की गुद्दी पर तीन गिरहें लगाता है और उनको मज़बूत करता है ताकि वो खुल न सकें। लेकिन अगर इंसान हिम्मत और अज़्म से काम ले, उठ खड़ा हो और बेदारी की दुआयें पढ़े तो एक गिरह खुल जाती है। शैतान की तासीर कम हो जाती है और जब वुज़ू करता है तो उससे दूसरी गिरह भी खुल जाती है और उसके तसल्लुत व ग़ल्बे की कोशिश मज़ीद कमज़ोर हो जाती है और जब इंसान कम से कम रकअत पढ़ लेता है तो शैतान का हरबा व चाल बिल्कुल नाकाम हो जाता है। इंसान की सुस्ती व काहिली काफ़ूर हो जाती है और उसकी तबीअत में ख़ुशगवारी और हशाशत व बशाशत पैदा हो जाती है और वो मुस्तैद व होशियार हो जाता है। बड़े सुकून व इत्मीनान से सुबह की नमाज़ में शरीक होता है। इससे मालूम होता है शैतान के तसल्लुत व ग़ल्बे और उसके कैद व मक्र से आज़ादी का परवाना ज़िक्रे इलाही और नमाज़ है। इसके बग़ैर इंसान शैतान से अपने आपको बचा नहीं सकता। अगर इंसान रात भर सोया रहे और सुबह की नमाज़ में भी शरीक न हो सके तो इंसान के लिये राहे रास्त पर चलना और दीनी ज़िन्दगी गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। अच्छे और नेक कामों के लिये रग़बत और शौक़ पैदा नहीं होता। उनसे ग़फ़लत और कोताही बरतता है। तबीअत में उसके लिये आमादगी नहीं पाता।

باب اسْتِحْبَابِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ

बाब 29 : नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ना बेहतर है और मस्जिद में पढ़ना जाइज़ है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

(1820) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कुछ नमाज़ें घर में पढ़ा करो और उन्हें क़ब्रें न बनाओ।'

" اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " .

(सहीह बुख़ारी : 432, अबू दाऊद : 1043, 1448, इब्ने माजह 1377)

फ़ायदा : फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये जमाअत की पाबंदी ज़रूरी है। इसलिये वो तो मस्जिद में ही पढ़ी जायेंगी या तहिय्यतुल मस्जिद का ताल्लुक़ तो मस्जिद ही से है, इसके सिवा सुनने मुअक्कदा और सुनने ग़ैर मुअक्कदा, नवाफ़िल (चाश्त, इशराक़, अव्वाबीन, तहज्जुद) घर में पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल है और ला तत्तख़िज़ुहा क़ुबूरा का मक़सद ये है कि घरों में क़ब्रें न बनाओ और न घरों को क़ब्रिस्तान समझो। जहाँ नमाज़ नहीं होती अपने आपको क़ब्रिस्तान के मुर्दे न समझो, जिन पर नमाज़ नहीं है या घरों को महज़ आरामगाह न समझो कि नींद भी एक क़िस्म की मौत है, इसलिये ये समझो घर तो महज़ सोने और आराम करने के लिये है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " .

(1821) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'घरों में नमाज़ पढ़ो और उन्हें क़ब्र न ठहराओ।'
(सहीह बुख़ारी : 1187)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا " .

(1822) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई अपनी मस्जिद की नमाज़ पूरी कर ले, तो अपनी नमाज़ से अपने घर के लिये भी कुछ हिस्सा रखे, क्योंकि उसकी अपने घर में नमाज़ पढ़ने से अल्लाह उसके घर में ख़ैर व भलाई पैदा करेगा।'

फ़ायदा : फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद का हिस्सा है और नफ़ल व नवाफ़िल और सुनन घर का हिस्सा हैं, जो इंसान के घर में ख़ैर व बरकत और भलाई का बाइस बनते हैं। इंसान के अहलो-अयाल उसको देखकर नमाज़ पढ़ते और सीखते हैं। अल्लाह की रहमत और उसके फ़रिश्तों के नाजिल होने से शैतान और उसकी ज़ुर्रियत वहाँ से भागती है।

(1823) हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है और उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह को याद नहीं किया जाता, ज़िन्दा और मुर्दा की सी है।'
(सहीह बुख़ारी : 6407)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ " .

फ़ायदा : घरों की ज़िन्दगी अल्लाह तआला की याद से है और अल्लाह तआला की याद का अहम और सबसे अज़ीम ज़रिया नमाज़ है। तो जिस घर के मकीन (रहने वाले) नमाज़ी होंगे और वो घर में नमाज़ पढ़ेंगे, उनका घर ज़िन्दा होगा और वो ख़ुद भी ज़िन्दा होंगे, लेकिन जिस घर वाले नमाज़ नहीं पढ़ते, वो घर भी मुर्दा और रूहानी व अख़्लाक़ी तौर पर उसके बासी भी मुर्दा। ज़िन्दगी ईमान से मिलती है और नमाज़ ईमान की अलामत और शनाख़्त है।

(1824) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बक़रह पढ़ी जाती है।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ " .

फ़ायदा : घरों में नमाज़ न पढ़ना उनको क़ब्रिस्तान क़रार देना है, जो शहरे ख़मूशाँ हैं और उसमें दुनियवी ज़िन्दगी की चहल-पहल नहीं है। सूरह बक़रह में शैतानी हथकण्डों की वज़ाहत की गई है और उससे बचने का इलाज तजवीज़ किया गया है, इसलिये इसमें ये ख़ुसूसियत है कि अगर उसको सोच-समझकर पढ़ा जाये और इस पर अमल की कोशिश की जाये तो शैतान को इंसान की ज़िन्दगी में दर आने का मौक़ा नहीं मिलता और जिस तरह शैतान अज़ान सुनकर दुम दबाकर भाग खड़ा होता है, सूरह बक़रह की तिलावत से भी बिदकता है और भागता है और इंसान पर तसल्लुत जमाने की हिम्मत व हौसला नहीं पाता।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ حَصِيرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا - قَالَ - فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ - قَالَ - ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ - قَالَ - فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ " .

(1825) हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चटाई का एक छोटा सा हुजरा बनाया और रसूलुल्लाह (ﷺ) उसमें नमाज़ पढ़ने के लिये तशरीफ़ लाये। लोगों ने उस तक आपका पीछा किया और आकर आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने लगे। फिर एक और रात आये और जमा हो गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके पास आने में ताख़ीर कर दी और उनके पास तशरीफ़ न लाये। सहाबा किराम ने अपनी आवाज़ें बुलंद कीं, ताकि आप आवाज़ें सुनकर तशरीफ़ ले आयें और दरवाज़े पर कंकर मारे। रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्से की हालत में उनकी तरफ़ घर से निकले और उन्हें फ़रमाया, 'तुम मुसलसल ये काम करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख़्याल हुआ कि ये नमाज़ तुम पर लाज़िम क़रार दे दी जायेगी, तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ा करो, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ के सिवा इंसान की वही नमाज़ बेहतर है जो घर में पढ़े।'

(सहीह बुख़ारी : 731, 6113, 7290, अबू दाऊद : 1044, 1447, तिर्मिज़ी : 450, नसाई : 3/198)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ख़सफ़ह : खजूर के पत्ते, **हसीर :** चटाई जो खजूर के पत्तों ही से बनाई जाती है और आपने एक महफ़ूज़ (सुरक्षित) और लोगों की नज़रों से ओझल अपने लिये मस्जिद में एक तरफ़ चटाई का अहाता बनाया, ताकि उसके अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। **(2) ततब्बअ इलैहि रिजालुन :** तलाश व जुस्तजू से लोग वहाँ तक पहुँच गये और एक गिरोह जमा हो गया।

फ़ायदा : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) की रिवायत में इख़्तिसार के साथ आपकी नमाज़े तरावीह का ज़िक्र है, जिस पर बहस गुज़र चुकी है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ " وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ " .

(1826) हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने मस्जिद में चटाई से एक हुजरा बनाया और उसमें चंद रातें नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि आपके पास लोग जमा हो गये। फिर मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की और उसमें ये इज़ाफ़ा किया, आपने फ़रमाया, 'अगर तुम पर नमाज़ फ़र्ज़ कर दी गई तो तुम सब इसकी पाबंदी नहीं कर सकोगे।'

باب فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

बाब 30 : दाइमी (हमेशगी वाले) अमल की फ़ज़ीलत

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ " . وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَثْبَتُوهُ .

(1827) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक चटाई थी और आप उसको रात को हुजरा बना कर उसमें नमाज़ पढ़ते। तो सहाबा किराम भी आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने लगे और आप दिन को उसको बिछा लेते थे। एक रात लोग कसरत के साथ जमा हो गये तो आपने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! इतने आमाल की पाबंदी करो, जितने की तुम्हें क़ुदरत हासिल है क्योंकि अल्लाह तआला (अज्र व सवाब देने से) नहीं उकतायेगा। तुम ही (अमल से) उकताओगे और अल्लाह के नज़दीक महबूब अमल वो है जिस पर दवाम व हमेशगी की जाये, अगरचे वो थोड़ा ही हो।' और आले मुहम्मद का रवैया यही था जब वो कोई अमल करते, उसको हमेशा बरक़रार रखते।

(सहीह बुख़ारी : 730, 5861, अबू दाऊद : 1368, नसाई : 2/68-69, इब्ने माजह : 942)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) स़ाबू : लोग जमा हो गये। **(2) मा तुतीक़ून :** जिसकी ताक़त रखते हो। **(3) फ़इन्नलाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लू :** अल्लाह तआला बदला व जज़ा देने से नहीं उकतायेगा, तुम ही अमल करने से उकताओगे। अरबी मुहावरा है फ़ुलानुन ला यन्क़तिउ हत्ता तन्क़तिअ ख़ुसूमह : फ़लाँ इंसान बहस व तम्हीस से नहीं थकता, इसका फ़रीक़ मुख़ालिफ़ ही थक हारकर बस कर देता है और अल्लाह तआला के लिये मलल या सआमह लफ़्ज़ महज़ लफ़्ज़ी मुशाबिहत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वरना अल्लाह तआला थकने या उकताने से पाक है।

फ़ायदा : जब इंसान कोई नेक काम करना शुरू करे तो वो अपनी मक़्दरत व ताक़त का लिहाज़ रखे कि मैं ये काम हमेशा किस हद तक कर सकता हूँ, क्योंकि वो काम जिस पर हमेशगी और दवाम किया जाये, वो उस काम से बढ़ जाता है जो ज़्यादा हो और चंद दिन के बाद थक हार कर उसको छोड़ दिया जाये और ज़ाहिर है ऐसे अमल से मुराद नफ़्ली अमल है। जिसको इंसान ज़ाती और शख़्सी तौर पर अपने ज़ुरूफ़ व अहवाल के मुताबिक़ अपनाता है वो आमाल जो फ़र्ज़ हैं, उनमें कमी व बेशी तो इंसान के इख़्तियार से बाहर है। वो तो शरीअत के मुक़र्रर करदा तरीक़े के मुताबिक़ ही किये जायेंगे, इसलिये नफ़्ली नमाज़ को इन्फ़िरादी तौर पर घर में पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल क़रार दिया गया है और हज़रत उमर (रज़ि.) ने तरावीह की जमाअत आम अफ़राद की सहूलत और आसानी के लिये शुरू करवाई, लेकिन बेहतर और पसन्दीदा अमल इसको क़रार दिया गया कि उसे इंसान इन्फ़िरादी तौर पर रात के आख़िरी हिस्से में पढ़े।

(1828) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा अमल अल्लाह तआला को ज़्यादा पसंद है? आपने फ़रमाया, 'जिस पर हमेशगी की जाये अगरचे कम हो।'
(सहीह बुख़ारी : 6465)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ " أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ " .

(1829) अल्क़मा बयान करते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) से सवाल किया कि ऐ मोमिनों की अम्मी जान! रसूलुल्लाह (ﷺ) का अमल कैसे होता था? क्या आप (अमल के लिये) कुछ दिन मख़्सूस करते थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं!

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى

आपका अ़मल दाइमी (हमेशगी वाला) होता था और तुममें से किसमें इस क़द्र इस्तिताअ़त (ताक़त) है जिस क़द्र इस्तिताअ़त रसूलुल्लाह (ﷺ) में मौजूद थी?
(सहीह बुख़ारी : 6466, 1987, अबू दाऊद : 1370)

الله عليه وسلم هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ قَالَتْ لاَ ‏.‏ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَطِيعُ.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान में ख़ुसूसन उसके आख़िरी अ़शरे में क़ियाम का ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाते। बल्कि कई बार सारी रात बेदार रहते। हदीस़ में सवाल से मुराद ये है कि हफ़्ते के सात दिनों में से किसी दिन जैसे जुमेरात को आप कोई ख़ास अ़मल ज़्यादा करते थे? तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि नहीं। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी नफ़ली इबादत के लिये दिनों को ख़ास नहीं करते थे कि आप उन्हीं दिनों में वो काम करें और दूसरे दिनों में वो काम न करें, ताकि ये न समझ लिया जाये कि ये काम उन्हीं दिनों के साथ ख़ास है। इसलिये किसी अच्छे और नेक अ़मल के लिये अपनी तरफ़ से दिन मख़्सूस कर लेना और फिर हर हालत में उसकी पाबंदी करना और लोगों को भी उसकी तरग़ीब दिलाना, दीन में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा है और ईजादे बन्दा है, जिसकी दीन में गुंजाइश नहीं है।

(1830) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला के यहाँ महबूब तरीन काम वो है जिस पर दवाम (हमेशगी) किया जाये, अगरचे वो क़लील मिक़्दार में (थोड़ा) हो।' क़ासिम बिन मुहम्मद कहते हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) जब कोई अ़मल शुरू करतीं तो उसकी पाबंदी करतीं और उसको लाज़िम कर लेतीं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ ‏.‏

باب أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلاَتِهِ أَوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ

बाब 31 : जिसे नमाज़ में ऊँघ आये या क़ुरआन पढ़ना दुश्वार हो जाये या उसे ज़िक्र की क़ुदरत न रहे उसे ये हुक्म है कि वो सो जाये या उस कैफ़ियत का ख़ातमे तक बैठ जाये

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ " مَا هَذَا " . قَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ . فَقَالَ " حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ " . وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ " فَلْيَقْعُدْ " .

(1831) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में दाख़िल हुए और दो सुतूनों के दरम्यान रस्सी लटकी हुई थी तो आपने पूछा, 'ये क्या है?' सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ज़ैनब की रस्सी है, वो नमाज़ पढ़ती रहती हैं, जब सुस्त पड़ती हैं या थक जाती हैं तो इसको पकड़ लेती हैं। इस पर आपने फ़रमाया, 'इसे खोल दो, हर शख़्स उस वक़्त तक नमाज़ पढ़े, जब तक चुस्त और हशाश-बशाश रहे, जब सुस्त पड़ जाये या थक जाये तो बैठे रहे।' ज़ुहैर की रिवायत में क़अद की बजाए फ़ल्यक़्उद है यानी माज़ी की बजाए अम्र का सेग़ा है।

(अबू दाऊद : 1312)

وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(1832) यही हदीस मुसन्निफ़ ने अपने दूसरे उस्ताद से बयान की है।

(सहीह बुख़ारी : 1150, नसाई : 3/219, इब्ने माजह : 1371)

फ़ायदा : अल्लाह तआ़ला ने दीन के अंदर सहूलत और आसानी रखी है और इंसान को उसकी वुस्अत व मक़्दरत के मुताबिक़ मुकल्लफ़ ठहराया है। इसलिये नफ़ली इबादत में इंसान को उस वक़्त

तक ही मशग़ूल रहना चाहिये। जब तक वो चाक व चौबंद हो और हशाशत व बशाशत और सहूलत के साथ उसको कर सकता हो, जब उसमें सुस्ती, काहिली और फ़ुतूर व थकन पैदा हो जाये तो आराम करे, जब सुस्ती और थकन दूर हो जाये और उसके पास फ़ुरसत और मौक़ा हो तो फिर अ़मल कर ले।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ هَذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا " .

(1833) उरवह बिन ज़ुबैर को रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा आइशा (रज़ि.) ने बताया कि हौला बिन्ते तुवैत बिन हबीब बिन असद बिन अ़ब्दुल उ़ज़्ज़ा उनके पास से गुज़री, जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास मौजूद थे। तो मैंने अ़र्ज़ किया, ये हौला बिन्ते तुवैत है और लोगों का ख़्याल है ये रात भर नहीं सोती। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रात भर नहीं सोती! उतना अ़मल अपनाओ जिसकी तुम ताक़त रखते हो, अल्लाह की क़सम! अल्लाह नहीं उकतायेगा, तुम ही उकता जाओगे।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ، عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي

(1834) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये जबकि मेरे पास एक औरत मौजूद थी तो आपने पूछा, 'ये कौन है?' इस पर मैंने कहा, ये एक औरत है जो रात भर नहीं सोती। आपने फ़रमाया, 'उतना अ़मल इख़्तियार करो जो तुम्हारे बस में हो, अल्लाह की क़सम! अल्लाह सवाब देने से नहीं

امْرَأَةٌ فَقَالَ " مَنْ هَذِهِ " . فَقُلْتُ امْرَأَةٌ لاَ تَنَامُ تُصَلِّي . قَالَ " عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا " . وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ .

उकतायेगा, तुम ही अमल से उकता जाओगे, अल्लाह को वही इताअत पसंद है जिस पर अमल करने वाला मुदावमत (हमेशगी) करे।' अबू उसामा की रिवायत में है, ये बनू असद की औरत है।

(इब्ने माजह : 4238, 1681, सहीह बुख़ारी : 43, नसाई : 3/218, 8/122)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ " .

(1835) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई शख़्स नमाज़ में ऊँघने लगे तो वो सो जाये यहाँ तक कि उसकी नींद दूर हो जाये, क्योंकि जब तुममें कोई शख़्स ऊँघ की हालत में नमाज़ पढ़ता है तो मुम्किन है वो दुआ और इस्तिग़फ़ार करने की बजाए अपने आपको बुरा-भला कहने लगे।'

(इब्ने माजह : 1370, सहीह बुख़ारी : 212, अबू दाऊद : 1310)

फ़ायदा : इंसान जब नमाज़ पढ़ता है और उस पर नींद ग़ालिब होना शुरू होती है तो उसे ये मालूम नहीं रहता, मेरे मुँह और ज़बान से क्या निकला है और इस वजह से किसी नुक़्ते की कमी व बेशी हो जाती है जैसाकि मअरूफ़ उर्दू शेअर है :

हम दुआ लिखते रहे वो दग़ा पढ़ते रहे
एक नुक़्ते ने हमें महरम से मुज्रिम बना दिया

इंसान दुआ करता है, अल्लाहुम्मग़्-फ़िरली ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा, अगर इसकी जगह ये कह दे अल्लाहुम्मअ्-फ़िरली तो इसका मानी होगा, ऐ अल्लाह! मुझे ज़मीन में धँसा दे, या मुझे ज़मीन पर पटख़ दे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ " .

(1836) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई शख़्स रात को क़ियाम करे और उसकी ज़बान पर क़िरअत मुश्किल हो जाये, ज़बान पर क़िरअत जारी न रहे (क्योंकि नींद आ रही है) और उसे पता न चले वो क्या कह रहा है तो उसे लेट जाना चाहिये।'
(अबू दाऊद : 1311)

मुफ़रदातुल हदीस़ : इस्तअ्जमल क़ुरआन : क़िरअत में बन्दिश और रुकावट पैदा हो या ज़बान में रवानी न रहे।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ कि नींद के ग़ल्बे की सूरत में, नमाज़ पढ़ना बंद कर देना चाहिये। जब नींद ले ले तो फिर नमाज़ पढ़ ले और ग़ल्ब-ए-नींद का ये मक़सद है कि ज़बान पर जारी होने वाले अल्फ़ाज़ का पता न रहे कि मैंने कौनसा लफ़्ज़ पढ़ा है, मानी का जानना लाज़िम नहीं है। अगरचे बेहतर यही है कि इंसान कम से कम नमाज़ की दुआओं और आम तौर पर पढ़े जाने वाली सूरतों का मानी सीखे ताकि नमाज़ के अंदर ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ पैदा हो और मआनी व मतालिब की तरफ़ ध्यान की वजह से उसका ज़हन इधर-उधर न भटके।

नोट : अज्मी नुस्ख़ों में फ़ज़ाइलुल क़ुरआन से नई किताब शुरू हो गई है लेकिन अरबी नुस्ख़े में अभी किताब सलातुल मुसाफ़िरीन के अबवाब चल रहे हैं।

इस किताब के कुल 25 बाब और 114 हदीसें हैं।

باب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

किताबु फ़ज़ाइलिल क़ुरआनि वग़ैरिही
(क़ुरआन के फ़ज़ाइल और उसके मुताल्लिक़ात)

हदीस़ नम्बर 1837 से 1950 तक

किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन का तआरुफ़ (परिचय)

ये किताब भी दरहक़ीक़त किताबुस्सलात ही का तसलसुल है। कुरआन मजीद की तिलावत नमाज़ के अहम तरीन अरकान में से है। इस किताब ने दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे मुस्बत तब्दीली पैदा की। इसकी तालीमात से सिर्फ़ मानने वालों ने फ़ायदा नहीं उठाया, न मानने वालों की ज़िन्दगियाँ भी इसकी बिना पर बदल गईं। ये किताब मज्मूई तौर पर बनी नौए इंसान के अफ़्कार में मुस्बत तब्दीली, रहमत, शफ़क़त, मसावात, इंसाफ़ और रहमदिली के जज़्बात में इज़ाफ़े का बाइस बनी। ये किताब इस कायनात की सबसे अज़ीम और सबसे अहम सच्चाइयों को वाशगाफ़ करती है। मानने वालों के लिये इसकी बरकात, इबादात के दौरान में उरूज पर पहुँच जाती हैं। इसके ज़रिये से इंसानी शख़्सियत इर्तिक़ा के अज़ीम मराहिल तय करती है। इसकी दो तीन आयतें तिलावत करने का अज्र व सवाब ही इंसान के वहम व गुमान से ज़्यादा है।

इसकी रहमतें और बरकतें हर एक के लिये आम हैं। इस बात का ख़ास एहतिमाम किया गया है कि इसे हर कोई पढ़ सके। जिस तरह कोई पढ़ सकता है वही बाइसे फ़ज़ीलत है। ये किताब उम्मियों (अनपढ़ों) में नाज़िल हुई। एक उम्मी भी इसे याद कर सकता है, इसकी तिलावत कर सकता है। थोड़ी कोशिश करे तो इसे समझ सकता है और समझ ले और अपना ले तो दाना तरीन इंसानों में शामिल हो जाता है। इसकी तिलावत में जो जमाल और समाअत में जो लज़्ज़त है इसकी दूसरी कोई मिसाल मौजूद नहीं।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने कुरआन मजीद के हिफ़्ज़, इसकी फ़ज़ीलत, इसके हवाले से बात करने के आदाब, ख़ूबसूरत आवाज़ में तिलावत करने, इसके सुनने के आदाब, नमाज़ में इसकी क़िरअत, छोटी और बड़ी सूरतों की तिलावत के फ़ज़ाइल, मुख़्तलिफ़ लहजों में कुरआन के नुज़ूल के हवाले से अहादीसे मुबारका ज़िक्र की हैं। इसी किताब में इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी ख़ुसूसी तर्तीब के तहत नमाज़ के मम्नूआ औक़ात और कुछ नवाफ़िल के इस्तिहबाब की रिवायतें भी बयान की हैं।

باب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

क़ुरआन के फ़ज़ाइल और उसके मुताल्लिक़ात

باب الأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا. وَجَوَازِ قَوْلِ أُنْسِيتُهَا

बाब 1 : क़ुरआन की निगेहदाश्त का हुक्म और ये कहना, मैंने फ़लाँ आयत भुला दी है (भूल गया हूँ) नापसन्दीदा है (और ये कहना जाइज़ है, मैं आयत भुला दिया गया हूँ)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ " يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا " .

(1837) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात को एक आदमी की क़िरअत सुनी तो फ़रमाया, 'अल्लाह उस इंसान पर रहम फ़रमाये, उसने मुझे फ़लाँ-फ़लाँ आयत याद दिला दी, जिसे मैं फ़लाँ-फ़लाँ सूरत से छोड़ चुका था।'
(सहीह बुख़ारी : 5038)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुरआनी आयात की तब्लीग़ व किताबत के बाद किसी आयत को भूल भी जाते थे, लेकिन ये भूलना आरिज़ी होता था, कई बार वो आयत ख़ुद ही दोबारा ज़हन में आ जाती थी और कई बार दूसरे से सुनकर। इसलिये आपने फ़रमाया, 'बशरी हैसियत से मैं भी तुम्हारी तरह भूल जाता हूँ।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ . فَقَالَ " رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا " .

(1838) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में एक आदमी की क़िरअत पर कान धरे हुए थे तो आपने फ़रमाया, 'अल्लाह उस पर रहम फ़रमाये, उसने मुझे फ़लाँ आयत याद दिला दी है जो मुझे भुला दी गई थी।'
(सहीह बुख़ारी : 6335)

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने अपने घर में रात को तहज्जुद पढ़ने वाले दो आदमियों की आवाज़ मस्जिद से सुनी, एक आवाज़ पहचान ली कि ये अ़ब्बाद बिन बिश्र (रज़ि.) हैं, उनको भी दुआ दी और दूसरे सहाबी अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद अन्सारी (रज़ि.) की आवाज़ भी सुनी। लेकिन उनको पहचान नहीं सके, आयत याद दिलाने वाले यही थे, उनके हक़ में भी दुआ फ़रमाई और इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि रात को मस्जिद में बुलंद आवाज़ से क़िरअत करना जाइज़ है। बशर्तेकि ये रिया व सुम्आ या ख़ुद पसन्दी के लिये न हो और दूसरों के लिये तकलीफ़ या उनकी इबादत में ख़लल अन्दोज़ी का बाइस़ न बने।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ " .

(1839) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाफ़िज़े क़ुरआन की मिस़ाल उन ऊँटों की तरह है, जिसका पाँव रस्सी से बान्धा गया है, अगर उसने उनकी निगेहदाश्त की तो वो क़ाबू में रखेगा और अगर उन्हें छोड़ देगा तो वो भाग जायेंगे।'
(सहीह बुख़ारी : 5031, नसाई : 2/154)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्इबिलिल् मुअ़क़्क़लह : बन्धे हुए ऊँट। **मुअ़क़्क़लह :** इक़ाल से माख़ूज़ है। इक़ाल रस्सी को कहते हैं। **(2) इन आ़ह-द अ़लैहा अम्सकहा :** अगर वो (मालिक) ऊँट का ख़्याल व ध्यान रखेगा और रस्सी क़ायम रहेगी तो ऊँट उसके क़ब्ज़े में रहेंगे। **(3) व इन अत्लक़हा ज़हबत :** अगर उन्हें रस्सी से आज़ाद कर देगा तो वो चले जायेंगे।

फ़ायदा : ऊँट ऐसा हैवान है जो बहुत भगोड़ा है, वो भाग खड़ा हो तो रस्सी को क़ाबू करना आसान नहीं होता। इसलिये रस्सी को क़ाबू में रखने के लिये ज़रूरी है कि वो अपनी रस्सी में बन्धा रहे। क्योंकि

रस्सी खोल दी या टूट गई तो वो निकल खड़ा होगा। इस तरह कुरआन मजीद को याद रखने की सूरत और उसकी इक़ाल, उसकी तिलावत व क़िरअत पर इस्तिमरार व दवाम है, अगर इंसान उसकी हमेशा तिलावत नहीं करेगा तो वो उसके ज़हन से निकल जायेगा और उसे दोबारा याद करने की मेहनत व कोशिश बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बग़ैर याद नहीं होगा।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ، - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ . بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ " وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ "

(1840) यही रिवायत इमाम साहब ने अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान की है। मूसा बिन उक़बा की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, 'अगर हामिले कुरआन, रात और दिन को इसके पढ़ने का फ़रीज़ा सर अन्जाम देता है तो वो इसे याद रखेगा और जब इस फ़रीज़े को सर अन्जाम नहीं देगा तो वो इसे भूल जायेगा।'

(इब्ने माजह : 3783)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ

(1841) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इन्तिहाई नाज़ेबा बात है कि कोई इंसान ये कहे, मैं फ़लाँ-फ़लाँ आयत भूल गया हूँ, बल्कि वो भुला दिया गया है। कुरआन मजीद की तिलावत पर मुदावमत व हमेशगी करो, क्योंकि वो लोगों के सीने से

آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا " .

बन्धे हुए जानवरों से (ऊँटों से) ज़्यादा भागने वाला है।'

(सहीह बुख़ारी : 5032, 5039, तिर्मिज़ी : 5039, तिर्मिज़ी : 2942, नसाई : 2/154-155)

फ़ायदा : नसीतु आयत क़ज़ा व कज़ा कहने से ये साबित होता है कि कुरआन मजीद के भूलने में उसका अपना दख़ल है, उसने कुरआन मजीद की तिलावत और उसके तकरार करने से ग़फ़लत और कोताही बरती और उसकी बेध्यानी और बेख़्याली का नतीजा ये निकला कि वो कुरआन मजीद का कुछ हिस्सा भूल गया तो उसका ये ग़फ़लत बरतना और कुरआन मजीद की तिलावत से कोताही बरतना, उसकी निगेहदाश्त और मुहाफ़िज़त न करना इन्तिहाई नापसन्दीदा हरकत है। इसलिये असल मक़सूद इस लफ़्ज़ के इस्तेमाल की कराहत व नापसन्दीदगी नहीं है बल्कि असल मक़सूद उन अस्बाब व वुजूह की मज़म्मत है। जिनकी बिना पर ये लफ़्ज़ कहने की ज़रूरत पड़ी और बल हु-व नुस्सिया का मानी ये है कि ये उसके जुर्म व कुसूर या तिलावते कुरआन की मुहाफ़िज़त व निगेहदाश्त न करने की सज़ा है। अगर वो इसमें कोताही और ग़फ़लत का मुर्तकिब न होता तो ये सज़ा न मिलती, जिस तरह ऊँट अपनी रस्सी और इक़ाल को तुड़वाने की कोशिश करता है ताकि उसे भागदौड़ का मौक़ा मिले, उस तरह कुरआन मजीद अपनी तिलावत की निगेहदाश्त और मुवाज़िबत चाहता है वगरना हाफ़िज़ के सीने से निकल भागता है, जिस तरह ऊँट का मालिक पूरी कोशिश करता है कि ऊँट की रस्सी टूट न जाये, उसी तरह हाफ़िज़ की पूरी कोशिश होनी चाहिये कि तिलावते कुरआन की मुहाफ़िज़त व मुदावमत में रख़्ना पैदा न हो और ये तसल्सुल व राब्ता टूट न जाये।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ - وَرُبَّمَا قَالَ الْقُرْآنَ - فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ . قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ "

(1842) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने कहा, इन मसाहिफ़ के साथ तजदीदे अ़हद करते रहा करो यानी इनकी तिलावत की पाबंदी करो और कई बार उन्होंने मसाहिफ़ की बजाए कुरआन कहा, क्योंकि वो इंसानों के सीनों से, ऊँटों के अपनी रस्सियों से बढ़कर भागने वाला है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी को ये नहीं कहना चाहिये कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ आयत भूल गया हूँ, बल्कि वो भुला दिया गया है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अशद्दु तफ़स्सिया : वो ज़्यादा भागता है या ज़्यादा निकल खड़ा होता है। **(2) उक़ुल :** इक़ाल की जमा है, ज़ानूबंद। जिस रस्सी से ऊँट के पाँव को बांधा जाता है। **(3) तआहदू :** तजदीदे अहद करो, इससे ताल्लुक़ हर वक़्त क़ायम रखो। यानी इसकी तिलावत की पाबंदी करो, दरम्यान में ज़्यादा वक़्फ़ा न हो।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ، بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ " .

(1843) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बहुत बुरी बात है कि आदमी कहे कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ सूरत भूल गया या फ़लाँ-फ़लाँ आयत भूल गया, बल्कि वो भुलाया गया है।'

(सहीह बुख़ारी : 5032)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا " . وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لاِبْنِ بَرَّادٍ.

(1844) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस क़ुरआन की तिलावत का एहतिमाम करो, उस ज़ात की क़सम जिसकी मुट्ठी में मुहम्मद की जान है! ये ऊँटों के अपनी रस्सियों से बढ़कर भागने वाला है।'

(सहीह बुख़ारी : 5033)

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

बाब 2 : क़ुरआन को ख़ुश इल्हानी से पढ़ना पसन्दीदा है

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ

(1845) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला किसी चीज पर इस क़द्र कान नहीं धरता '(इन्तिहाई तवज्जह से

صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ " .

सुनता) जिस तरह नबी की आवाज़ पर जो ख़ुश इल्हानी से क़िरअत कर रहा हो, कान धरता है।'

(सहीह बुख़ारी : 5024, नसाई : 2/180)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अज़िन लिशैइन : कान धरना, एहतिमाम से सुनना, यानी इस्तिमाअ़ करना (ग़ौर से सुनना) और अल्लाह तआला का इस्तिमाअ़ भी उसकी ज़ात सिफ़ात की तरह उसके शायाने शान है, उसकी कैफ़ियत व सूरत को नहीं जाना जा सकता, इसलिये ये तावील करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इसकी बिना पर नबी को क़ुर्ब बख़्शता है या इस पर अज्रे जज़ील और वाफ़िर सवाब इनायत फ़रमाता है। **(2) यतग़न्-न बिल्क़ुरआन :** वो अपनी किताब की ख़ुश इल्हानी और हुस्ने सौत के साथ क़िरअ़त करता है। क़ुरआन से मुराद या तो मस्दरी मानी है क़िरअत करना या मक़्रूअ मुराद है यानी जिस किताब की वो तिलावत करता है।

फ़ायदा : क़ुरआन मजीद को ख़ुश आवाज़ी और ख़ुश इल्हानी से पढ़ना चाहिये लेकिन इसको गाना और तजवीद के उसूल व ज़वाबित को नज़र अन्दाज़ करके तरन्नुम पैदा करना पसन्दीदा नहीं है और ये भी तसन्नोअ़ और बनावट से पाक हो, तकल्लुफ़ और तसन्नोअ़ अल्लाह के यहाँ पसन्दीदा नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'ऐ नबी! कह दे कि मैं तुमसे इस पर मज़दूरी का सवाल नहीं करता और न ही मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से हूँ।'

कई हज़रात ने यतग़न्ना का मानी वो किया है जो घोड़ों के रखने वाले के अज्र व सवाब वाली हदीस़ में तग़न्नया का है यानी क़ुरआन या अपनी किताब को बाइसे इस्तिग़ना समझता है, उसके मुक़ाबले में किसी और किताब की ज़रूरत व एहतियाज नहीं समझा या किसी इंसान का अपने आपको मोहताज नहीं समझता। ये मानी अगरचे अपनी जगह दुरुस्त है और ऐसा ही होना चाहिये लेकिन इस हदीस़ में मक़सद ख़ुश इल्हानी ही है। जैसाकि दूसरी हदीस़ है ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअसवातिकुम क़िरअत को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ " كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ " .

(1846) मुअ़न्निफ़ ने यही हदीस़ अपने दूसरे उस्ताद से बयान की है लेकिन उसमें मा अज़िन नबी के बजाए कमा यअ़ज़न लिनबिय्यिन के अल्फ़ाज़ हैं।

(1847) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला किसी चीज़ पर कान नहीं धरता जिस क़द्र कान इस नबी की ख़ुश इल्हानी पर धरता है जो क़िरअत ख़ुश इल्हानी से करता है, इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ता है।' (सहीह बुख़ारी : 7544, अबू दाऊद : 1473, नसाई : 2/180)

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ " .

फ़ायदा : हसनिस्सौत नबी की आवाज़ पर कान धरना जबकि वो बुलंद आवाज़ से क़िरअत करता है, इस बात की दलील है कि यतग़न्ना बिल्कुरआन से मुराद ख़ुश इल्हानी और बुलंद आवाज़ी से पढ़ना है, बेनियाज़ी और तकल्लुफ़ मुराद नहीं है।

(1848) मुसन्निफ़ ने यही हदीस़ अपने दूसरे उस्ताद से भी बयान की है। लेकिन समि-अ रसूलल्लाह की बजाए इन्-न रसूलल्लाह है।

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ، مَالِكٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ سَوَاءً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَلَمْ يَقُلْ سَمِعَ .

(1849) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला किसी चीज़ पर कान नहीं धरता जैसे वो नबी पर कान धरता है जो ख़ुश इल्हानी से क़िरअत करता है, उसके लिये आवाज़ बुलंद करता है।'

وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ " .

(1850) मुसन्निफ़ यही हदीस़ अपने दूसरे उस्तादों से बयान करते हं, सिर्फ़ इस फ़र्क़ के साथ कि पहली जगह अज़निही था और इस जगह इज़्निही है। इस सूरत में मानी इजाज़त देना होगा, पहली सूरत में मानी कान धरना

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

وسلم . مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ " كَإِذْنِهِ."

था। इसलिये बक़ौल क़ाज़ी अयाज़ इसमें उस काम पर आमादा करना और हुक्म देने का मफ़्हूम पैदा हो जाता है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، - وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَوِ الأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " .

(1851) हज़रत बुरैदा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अब्दुल्लाह बिन क़ैस या अश्अरी को आले दाऊद की ख़ुश इल्हानी में से हिस्सा मिला है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : मिज़मार : बांसुरी को कहते हैं लेकिन यहाँ मुराद ख़ूबसूरत आवाज़ और ख़ुश इल्हानी है। आले दाऊद से मुराद, दाऊद (अलै.) हैं। उनकी ख़ूबसूरत आवाज़ ज़रबुल मसल है। क्योंकि उनकी आवाज़ इन्तिहाई ख़ूबसूरत थी और अब्दुल्लाह बिन क़ैस, हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) का नाम है।

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي مُوسَى " لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " .

(1852) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू मूसा को फ़रमाया, 'अगर तुम मुझे कल रात देखते जब मैं तुम्हारी क़िरअत को इन्तिहाई तवज्जह से सुन रहा था (तो तुम बहुत ख़ुश होते) तुम्हें दाऊद (अलै.) की ख़ुश इल्हानी से ख़ूबसूरत आवाज़ नसीब हुई है।'

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) को इन्तिहाई शीरीं आवाज़ बख़्शी थी और उनकी आवाज़ में कुरआन सुनने में बड़ा लुत्फ़ आता था। इसलिये अबू मूसा अश्अरी अपने घर में तिलावत कर रहे थे, वहाँ से हुज़ूर (ﷺ) और हज़रत आइशा (रज़ि.) का गुज़र हुआ तो दोनों मियाँ-बीवी उनकी क़िरअत सुनने के लिये खड़े हो गये। यही वाक़िया एक रात दूसरी ज़ौजे मोहतरमा के साथ पेश आया। हज़रत अबू मूसा को मालूम हुआ तो कहने लगे, अगर उस वक़्त मुझे पता चलता तो मैं ख़ूबसूरत आवाज़ में मज़ीद हुस्न पैदा कर देता। इससे मालूम होता है क़ारी का ख़ूबसूरत आवाज़ कुरआन की लज़्ज़त और मिठास में इज़ाफ़े का बाइस़ बनता है।

बाब 3 : फ़तहे मक्का के दिन नबी (ﷺ) की सूरह फ़तह की तिलावत का तज़्किरा

باب ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ فِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ . قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَىَّ النَّاسُ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ .

(1853) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल मुज़नी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़तहे मक्का वाले साल रास्ते में अपनी सवारी पर सूरह फ़तह की तिलावत फ़रमाई और अपनी क़िरअत में आवाज़ को दोहराया। मुआविया बिन क़ुर्रह कहते हैं, अगर मुझे ये अन्देशा न होता कि लोग मेरे गिर्द जमा हो जायेंगे तो मैं तुम्हें आपकी क़िरअत की नक़ल उतार कर सुनाता।

(सहीह बुख़ारी : 4281, 4835, 7540, अबू दाऊद : 1467)

फ़ायदा : तरजीअ़, तकरार या दोहराने को कहते हैं, चूंकि आप सवारी पर थे, इसलिये आवाज़ में ज़ेर व बम (उतार चढ़ाव) पैदा होता था, सवारी की हरकत से आवाज़ में लरज़िश पैदा होती है, जिसकी वजह से हुस्ने सौत में इज़ाफ़ा होता है और सुनने वाले को लज़्ज़त व सुरूर हासिल होता है। आपकी आवाज़ और तरजीअ़ से अ़जीब कैफ़ियत पैदा होती थी।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ . قَالَ فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلاَ

(1854) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़तहे मक्का के दिन अपनी ऊँटनी पर बैठे हुए सूरह फ़तह पढ़ते हुए देखा। अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल के शागिर्द कहते हैं कि इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने क़िरअत में तरजीअ़ की यानी गुनगुनाहट पैदा की। मुआविया कहते हैं अगर मुझे लोगों (के

النَّاسُ لأَخَذْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

जमा होने) का अन्देशा न होता तो मैं तुम्हारे लिये वही तरीक़ा अपनाता जो इब्ने मुग़फ़्फ़ल ने नबी (ﷺ) का बयान किया था, यानी उस तरह क़िरअत करके सुनाता।

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने आपकी क़िरअत की हिकायत व नक़ल करते हुए आवाज़ को खींचा था जैसे आ आ आ।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ، اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ .

(1855) इमाम साहब ने दूसरे उस्ताद से यही रिवायत नक़ल की है और ख़ालिद बिन हारिस की रिवायत यही है कि आप चलती हुई सवारी पर सूरह फ़तह की तिलावत फ़रमा रहे थे।

باب نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

बाब 4 : कुरआन मजीद की तिलावत पर सकीनत उतरना

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ " .

(1856) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी सूरह कहफ़ की तिलावत कर रहा था और उसके पास दो लम्बी रस्सियों में बन्धा हुआ घोड़ा खड़ा था। उसे एक बदली ने ढांप लिया और वो बदली घूमने और क़रीब आने लगी और उसका घोड़ा उससे बिदकने लगा। जब सुबह हुई तो वो नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपको ये माजरा सुनाया। आपने फ़रमाया, 'ये सकीनत थी, जो कुरआन की क़िरअत की बिना पर उतरी।'

(सहीह बुख़ारी : 5011)

मुफ़रदातुल हदीस़ : शतन : तवील और लम्बी रस्सी को कहते हैं जिससे घोड़ा बान्धा जाता है।

फ़ायदा : सकीनत, इत्मीनाने क़ल्ब और दिली सुकून को कहते हैं, जो अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल व करम और उसकी रहमत का नतीजा है और कुरआन की क़िरअत अल्लाह तआ़ला की रहमत का सबब है और इस हदीस़ में उसको एक शक्ल दी गई है। इसलिये इमाम नववी (रह.) ने लिखा है, सकीनत अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ात में से एक मख़्लूक़ है, जो तमानियत और रहमत का बाइस़ बनती है और उसके साथ फ़रिश्ते होते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اقْرَأْ فُلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ " .

(1857) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने सूरह कहफ़ की क़िरअत शुरू की और घर में एक चौपाया था, वो बिदकने लगा। उसने देखा कि जानवर को धुंद या बदली ने ढांपा हुआ है, उसने ये वाक़िया नबी (ﷺ) को बताया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ शख़्स! पढ़ते रहते, ये तो सकीनत थी जो क़िरअत के वक़्त उतरी या कुरआन की ख़ातिर नाज़िल हुई।'

(सहीह बुख़ारी : 2614, तिर्मिज़ी : 2885)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ . فَذَكَرَا نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ تَنْقُزُ .

(1858) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद से रिवायत बयान की है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उसमें तन्फ़िरु की बजाए तन्कुज़ु है। तन्फ़िरु का मानी बिदकना है और तन्कुज़ु का मानी उछलना-कूदना कि वो कूदने लगा या उछलने लगा।

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ

(1859) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) एक रात अपने खलियान में क़िरअत कर रहे थे कि अचानक उनका घोड़ा या घोड़ी कूदने लगी। वो पढ़ते रहे, फिर दोबारा कूदने

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا قَالَ أُسَيْدٌ فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا - قَالَ - فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَإِ ابْنَ حُضَيْرٍ " . قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَإِ ابْنَ حُضَيْرٍ " . قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَإِ ابْنَ حُضَيْرٍ " . قَالَ فَانْصَرَفْتُ . وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا خَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ " .

लगी। वो पढ़ते रहे, वो फिर गर्दिश करने लगी। उसैद कहते हैं, मुझे ख़ौफ़ पैदा हुआ कि (वो मेरे बेटे) यहया को रौंद डालेगी, मैं उठकर घोड़ी के पास गया तो अचानक मेरे सर पर सायबान जैसी कोई चीज़ थी, उसमें चिराग़ों जैसी चीज़ें थीं। वो सायबान फ़िज़ा में चढ़ गया था यहाँ तक कि मुझे नज़र आना बंद हो गया। मैं सुबह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गया और अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! इस दौरान कि मैं कल आधी रात अपने खलियान में क़िरअत कर रहा था कि अचानक मेरी घोड़ी चक्कर लगाने लगी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ इब्ने हुज़ैर! पढ़ते रहते।' मैंने कहा, मैंने क़िरअत जारी रखी फिर वो घूमी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ इब्ने हुज़ैर! पढ़ते रहते।' मैंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) मैंने क़िरअत जारी रखी फिर वो घूमी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ इब्ने हुज़ैर! पढ़ते रहते।' मैंने कहा, मैं हट गया, क़िरअत से बाज़ आ गया (मेरा बेटा) यहया उसके क़रीब था, मैं डर गया कि वो उसे रौंद देगी, तो मैंने सायबान जैसी चीज़ देखी उसमें चिराग़ों जैसी चीज़ें थीं, वो फ़िज़ा में चढ़ने लगी यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो फ़रिश्ते थे, तेरी क़िरअत सुन रहे थे और अगर तुम पढ़ते रहते तो लोग सुबह उनको देख लेते, वो उनसे ओझल न होते।'

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने सूरह कहफ़ पढ़ने वाला, हज़रत उसैद (रज़ि.) को क़रार दिया है लेकिन बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत उसैद (रज़ि.) सूरह बक़रह पढ़ रहे थे। हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शमास (रज़ि.) के साथ भी ये वाक़िया पेश आया है, लेकिन वो भी सूरह बक़रह पढ़ रहे थे। इसलिये सूरह कहफ़ पढ़ने वाला कोई तीसरा सहाबी है या उन्होंने सूरह बक़रह के बाद सूरह कहफ़ पढ़ी है। इससे मालूम होता है, फ़रिश्तों को देखना मुम्किन है, मुहाल नहीं है।

باب فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ " .

बाब 5 : हाफ़िज़े क़ुरआन की फ़ज़ीलत

(1860) हज़रत मूसा अश्अरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, उस मोमिन की मिसाल जो क़ुरआन मजीद की तिलावत करता है, नारंगी की सी है। उसकी ख़ुश्बू उम्दा और उसका ज़ायक़ा ख़ुशगवार है और वो मोमिन जो क़ुरआन मजीद की तिलावत नहीं करता, उसकी मिसाल खजूर की सी है। उसकी ख़ुश्बू नहीं और उसका ज़ायक़ा शीरीं है और वो मुनाफ़िक़ जो क़ुरआन की तिलावत करता है उसकी मिसाल रेहाना के फूल की है। उसकी ख़ुश्बू उम्दा है और ज़ायक़ा कड़वा है और उस मुनाफ़िक़ की मिसाल जो क़ुरआन नहीं पढ़ता अंदराइन (तमे) की तरह है, उसकी ख़ुश्बू नहीं होती और उसका ज़ायक़ा कड़वा है।'

(सहीह बुख़ारी : 5020, 5059, 7560, अबू दाऊद : 4830, तिर्मिज़ी : 2865, इब्ने माजह : 214)

फ़ायदा : ईमान एक आला और उम्दा वस्फ़ है जो मुस्तक़िल तौर पर एक कमाल और ख़ूबी है। अगर इसके साथ क़ुरआन मजीद का हक़्क़े तिलावत अदा किया जाये यानी क़ुरआन मजीद की तिलावत की पाबंदी की जाये और उस पर अमल किया जाये, जैसा कि कुछ रिवायात में अमल की सराहत मौजूद है तो ये नूर अला नूर है। ईमान के हुस्नो-कमाल में इज़ाफ़ा हो जाता है और उसको चार चाँद लग जाते हैं।

लेकिन अगर क़ुरआन मजीद का हक़ अदा न किया जाये, इसकी तिलावत न की जाये या इस पर अ़मल न किया जाये तो इसका हुस्नो-कमाल मान्द पड़ जाता है। निफ़ाक़ एक बुरी ख़स्लत है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इसमें ख़ूबी है और बातिनी तौर पर ख़बासत है, इसलिये तिलावते क़ुरआन और इस पर सच्चा-झूठा अ़मल बज़ाहिर एक ख़ूबी है लेकिन अगर मुनाफ़िक़ क़ुरआन की तिलावत न करे और इस पर कुछ न कुछ अ़मल भी न करे तो ज़ाहिरी ख़ूबी भी मान्द पड़ जाती है और अंदर का ख़बस नुमायाँ हो जाता है। इसलिये कुछ रिवायात में लै-स लहा रीह की बजाए रीहुहा मुर्रुन है कि उसकी कड़वाहट सूंघी ज सकती है, इसके तल्ख़ ज़ायक़े का असर इसकी बू पर भी पड़ता है।

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ بَدَلَ الْمُنَافِقِ الْفَاجِرِ .

(1861) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से भी यही रिवायत बयान करते हैं, जिसमें हम्माम की रिवायत में मुनाफ़िक़ की जगह फ़ाजिर (बदकार) का लफ़्ज़ है।

باب فَضْلِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ

बाब 6 : माहिरे क़ुरआन की फ़ज़ीलत और जो इसमें अटकता है उसका अज्र

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، - قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ " .

(1862) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने क़ुरआन मजीद में महारत पैदा कर ली (और उसकी बिना पर क़ुरआन को बेतकल्लुफ़ रवाँ पढ़ने लगा) वो मुअज़्ज़ज़ और फ़रमांबरदार फ़रिश्तों के साथ होगा और जो इंसान क़ुरआन मजीद पढ़ता है और (महारत न होने की वजह से ज़हमत और मशक़्क़त के साथ) उसमें अटकता है और दुश्वारी महसूस करता है उसको दो अज्र मिलेंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 4937, अबू दाऊद : 1454, तिर्मिज़ी : 2904)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अल्माहिरु बिल्कुरआन : जो कुरआन मजीद के पढ़ने में माहिर और पुख़्ता हो। हिफ़्ज़ व इत्क़ान की वजह से क़िरअत करने में लुक्नत और ज़हमत नहीं होती। **(2) अस्सफ़रतिल किरामिल बररह :** सफ़रह साफ़िर की जमा है मुसाफ़िर, रसूल और एलची को कहते हैं या लिखने वाले और इससे मुराद फ़रिश्ते हैं। **(3) अल्किराम :** करीम की जमा है, मुअ़ज़्ज़ज़ व मोहतरम, अल्बररह बार की जमा है ख़ूब कार वफ़ादार और इताअ़त शिआ़र। **(4) यततअ़तउ फ़ीहि :** उसमें अटकता है, तवक़्क़ुफ़ करता है, महारत न होने की बिना पर रवानी पैदा नहीं होती।

फ़ायदा : अल्लाह तआला के जो बन्दे कुरआन को अल्लाह का कलाम मान कर यक़ीन करते हुए, उससे शग़फ़ व तअ़ल्लुक़ रखते हैं, अगर कसरते तिलावत और उसके एहतिमाम की वजह से उसमें महारत हासिल करके बेतकल्लुफ़ रवाँ पढ़ते हैं, उसके मतालिब व मआ़नी पर ग़ौर व फ़िक्र करते हैं और उस पर अ़मल करने की कोशिश करते हैं उनको मुअ़ज़्ज़ज़ व मोहतरम हामिले वह्य फ़रिश्तों की रिफ़ाक़त व साथ होने की सआ़दत हासिल होगी। लेकिन जो बन्दे ईमान के तक़ाज़े की बिना पर कुरआन मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन सलाहियत व महारत की कमी की वजह से तकल्लुफ़ के साथ अटक-अटक कर पढ़ते हैं और अज्र व सवाब के हुसूल की ख़ातिर, पढ़ने में ज़हमत व मशक़्क़त बर्दाश्त करते हैं, उनको भी दिल बर्दाश्ता या शिकस्ता दिल होने की ज़रूरत नहीं है, उनको तिलावत के अज्र व सवाब के साथ ज़हमत व मशक़्क़त उठाने का अलग सवाब मिलता है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ " وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ " .

(1863) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं, वकीअ़ के अल्फ़ाज़ ये हैं, 'जो क़िरअत करता है और वो उसके लिये गिराँ और मशक़्क़त का बाइस है, उसके लिये दो अज्र हैं।'

باب اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ

बाब 7 : क़ुरआन मजीद अहले फ़ज़ल और उसमें महारत व हज़ाक़त रखने वालों को सुनाना बेहतर है, अगरचे पढ़ने वाला सुनने वाले से अफ़ज़ल व बरतर है

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأُبَىٍّ " إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ " . قَالَ آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ " اللَّهُ سَمَّاكَ لِي " . قَالَ فَجَعَلَ أُبَىٌّ يَبْكِي .

(1864) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उबय से फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें क़ुरआन सुनाऊँ।' उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह तआला ने आपको मेरा नाम लेकर फ़रमाया है? आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मुझे तेरा नाम लेकर फ़रमाया है।' तो हज़रत उबय रोने लगे।
(सहीह बुख़ारी : 4960, 6292)

फ़ायदा : अहले इल्म और साहिबे कमाल की क़द्रदानी के लिये उसको एक आला और अफ़ज़ल शख़्सियत का क़ुरआन सुनाना एक पसन्दीदा तर्ज़े अमल है जिससे उसकी हौसला अफ़ज़ाई होती है और उसको शर्फ़ व सआदत नसीब होता है।

हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) को उनके क़ुरआन में महारत व शग़फ़ की बिना पर ये बुलंद मक़ाम नसीब हुआ कि अल्लाह तआला ने उनका नाम लेकर अपने रसूल को उनको क़ुरआन मजीद सुनाने की सआदत से मुशर्रफ़ फ़रमाने का हुक्म दिया, ताकि आइन्दा भी कोई उस्ताद अपने शागिर्द को क़ुरआन सुनाने में आर (शर्म) महसूस न करे और ताकि शागिर्द अपने उस्ताद का लहजा और तर्ज़ अच्छी तरह महफ़ूज़ करे और आगे अपने शागिर्दों को उसी तरह पढ़ाये और हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) को इस दोहरी सआदत के हुसूल पर इस क़द्र फ़रहत व मसर्रत हासिल हुई कि वो इसका हक़्क़े शुक्र अदा न कर सकते थे, इसलिये रो पड़े कि मैं क्या, मेरी हैसियत क्या और कहाँ? इतना शर्फ़ कि रब्बे कायनात नाम लेकर, अपने रसूल को मुझे ये शर्फ़ इनायत फ़रमाने का हुक्म सादिर फ़रमाये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ " إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} " . قَالَ وَسَمَّانِي لَكَ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَبَكَى .

(1865) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सूरह लम यकुनिल्लज़ी-न कफ़रू सुनाऊँ।' उन्होंने पूछा, अल्लाह ने आपके सामने मेरा नाम लिया है? या आपको मेरा नाम बताया है? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' तो वो रोने लगे।
(सहीह बुख़ारी : 3809, 4959)

फ़ायदा : सूरह लम यकुनिल्लज़ी-न कफ़रू एक मुख़्तसर सूरत है जिसमें दीन के उसूल व मुबादी और अहम अरकान को बयान किया गया है। काफ़िर व मुश्रिक लोगों का अन्जाम व मक़ाम और ईमान व अ़मले सालेह से मुत्तसिफ़ लोगों का शर्फ़ व क़द्र और बदला बयान किया गया है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُبَىٍّ بِمِثْلِهِ .

(1866) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद से यही रिवायत बयान की है।

بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ

बाब 8 : क़ुरआन मजीद सुनने की फ़ज़ीलत और हाफ़िज़े क़ुरआन से सुनने के लिये पढ़ने की फ़रमाइश करना और क़िरअत के वक़्त रोना और उस पर ग़ौर व फ़िक्र करना

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ

(1867) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'मुझे क़ुरआन मजीद सुनाओ।' तो मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं आपको सुनाऊँ? आप पर तो

لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ " إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " . فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ } فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا{ رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ .

उतरा है? आपने फ़रमाया, 'मेरी ख़्वाहिश है कि मैं इसे दूसरे से सुनूँ।' तो मैंने सूरह निसा पढ़नी शुरू की, जब में इस आयत पर पहुँचा, 'उस वक़्त क्या हाल होगा, जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लायेंगे और आपको उन पर गवाह बनाकर लायेंगे।' मैंने अपना सर ऊपर उठाया या मेरे पहलू में मौजूद आदमी ने मुझे दबाया तो मैंने अपना सर उठाया, मैंने देखा, आपके आँसू जारी थे।

(सहीह बुख़ारी : 5049, 5050, 5055, 5056, 4582, अबू दाऊद : 3668, तिर्मिज़ी : 3024-3025)

फ़ायदा : आपने हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) को ख़ुद कुरआन मजीद सुनाया था और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से सुना है। जिससे मालूम होता है कि कुरआन मजीद दूसरों को सुनाना या दूसरों से सुनना दोनों ही उ़म्दा और आ़ला काम हैं और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) जब सूरह निसा की उस आयत पर पहुँचे जिसमें आपके बुलंद व बाला मर्तबे का बयान है कि आप अपनी उम्मत के लोगों पर गवाह होंगे या सब उम्मतों के गवाहों की तस्दीक़ फ़रमायेंगे तो आपको क़यामत के अहवाल, मैदाने हश्र की शिद्दत व दहशत और अपनी उम्मत पर शफ़क़त व रहमत ने रुला दिया। जिससे मालूम होता है कि कुरआन मजीद को ग़ौर व फ़िक्र और तदब्बुर व तफ़क्कुर से सुनना चाहिये ताकि इंसान उसके मज़ामीन से मुतास्सिर हो और उसमें सोज़ व गदाज़ और रिक़्क़ते क़ल्बी पैदा हो, जिसका इज़हार रोने की सूरत में ही हो सकता है।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَزَادَ هَنَّادٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ " اقْرَأْ عَلَيَّ " .

(1868) इमाम साहब ने ये रिवायत दूसरे उस्तादों से बयान की है और हन्नाद की रिवायत में जो इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे जबकि आप मिम्बर पर थे फ़रमाया, 'मुझे कुरआन सुनाओ।'

(1869) इब्राहीम बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को हुक्म दिया कि मुझे कुरआन मजीद सुनाओ। उन्होंने कहा, क्या मैं आपको सुनाऊँ जबकि कुरआन तो आप ही पर उतरा है? आपने फ़रमाया, 'मैं इसे अपने ग़ैर से सुनना पसंद करता हूँ।' इब्राहीम कहते हैं कि अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने आपको सूरह निसा शुरू से इस आयत तक सुनाई, 'उस वक़्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लायेंगे और आपको उन पर गवाह बनाकर लायेंगे।' तो आप इस आयत पर रो पड़े। मिस्अर ने एक दूसरी सनद से अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का ये क़ौल नक़ल किया कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं उन पर गवाह उस वक़्त था जब तक मैं उनमें रहा।' मिस्अर को शक है मा दुम्तु फ़ीहिम् कहा या मा कुन्तु फ़ीहिम कहा।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ، - وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ مِسْعَرٍ، - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ " اقْرَأْ عَلَىَّ " . قَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا} فَبَكَى . قَالَ مِسْعَرٌ فَحَدَّثَنِي مَعْنٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ " . شَكَّ مِسْعَرٌ .

(1870) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं हिम्स में था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा, हमें कुरआन मजीद सुनायें। तो मैंने उन्हें सूरह यूसुफ़ सुनाई तो लोगों में से एक आदमी ने कहा, अल्लाह की क़सम! ये इस तरह नहीं उतरी, मैंने कहा, तुम पर अफ़सोस, अल्लाह की क़सम! मैंने ये सूरत रसूलुल्लाह(ﷺ) को सुनाई थी तो आपने मुझे फ़रमाया, 'तूने ख़ूब पढ़ा।' इस दौरान में कि मैं उससे बातचीत कर रहा था कि

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ اقْرَأْ عَلَيْنَا . فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ - قَالَ - فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاللَّهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ . قَالَ قُلْتُ وَيْحَكَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي " أَحْسَنْتَ " . فَبَيْنَمَا

أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِدَكَ - قَالَ - فَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ .

अचानक मैंने उससे शराब की बदबू महसूस की तो मैंने कहा, क्या तू शराब पी कर किताबुल्लाह की तक्ज़ीब करता है? तू यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं तुझे कोड़े लगवाऊँ, फिर मैंने उसे हद लगवाई।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِي " أَحْسَنْتَ " .

(1871) इमाम साहब ने यही हदीस़ दूसरे उस्तादों से बयान की है, लेकिन अबू मुआविया की रिवायत में फ़क़ाल ली (अह्सन्-त) के अल्फ़ाज़ नहीं है कि आपने मुझे फ़रमाया, 'तूने बहुत अच्छा पढ़ा।'

फ़ायदा : कुरआन मजीद की किसी एक आयत की तक्ज़ीब कुफ़्र व इर्तिदाद है, उस आदमी ने सिर्फ़ आपके उस्लूबे क़िरअत का इंकार किया था। सूरत का इंकार नहीं किया था, लेकिन चूंकि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने ये सूरह इस उस्लूब व अन्दाज़ में हुज़ूर (ﷺ) को सुनाई थी इसलिये उन्होंने इसको किताबुल्लाह की तक्ज़ीब से ताबीर किया और फिर ये हरकत उसने शराब नौशी की हालत में की थी जिसमें इंसान के होश व हवास क़ायम नहीं रहते, इसलिये आपने इस हरकत पर गिरफ़्त नहीं की, सिर्फ़ शराबनौशी पर अमीरे शहर से हद लगवाई या उसकी इजाज़त से हद लगवाई। क्योंकि हद अमीर या क़ाज़ी की इजाज़त के बग़ैर नहीं लगाई जा सकती।

باب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ وَتَعَلُّمِهِ

बाब 9 : नमाज़ में कुरआन मजीद पढ़ने और उसके सीखने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

(1872) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुममें से कोई शख़्स पसंद करता है कि जब अपने घर वापस आये तो उसमें तीन हामिला बड़ी-बड़ी फ़रबा ऊँटनियाँ पाये?'

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ " . قُلْنَا نَعَمْ . قَالَ " فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ " .

हमने अ़र्ज़ किया, जी हाँ। आपने फ़रमाया, 'तीन आयात जिन्हें तुममें से कोई शख़्स अपनी नमाज़ में पढ़ता है, वो उसके लिये तीन हामिला भारी भरकम और मोटी ताज़ी ऊँटनियों से बेहतर हैं।'
(इब्ने माजह : 3782)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ख़लिफ़ात : ख़लिफ़ह की जमा है, उस हामिला ऊँटनी को कहते हैं जिसकी आधी मुद्दते हमल गुज़र चुकी हो। **(2) इज़ाम :** अ़ज़ीम की जमा है, क़दो-क़ामत में बड़ी, सिमान, समीन की जमा फ़रबा, मोटी ताज़ी।

फ़ायदा : एक मुसलमान इंसान के लिये जो अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर यक़ीन रखते हुए नमाज़ पढ़ता है और उसमें इन्तिहाई एहतिराम व अ़क़ीदत से क़िरअत करता है, एक आयत का अज्र व सवाब एक मोटी ताज़ी और भारी भरकम हामिला ऊँटनी के मिल जाने से बेहतर है और अहले अ़रब के यहाँ ऊँट ही सबसे आ़ला व उ़म्दा और क़ीमती सवारी थे। जो उनके सफ़र व हज़र, अमन व जंग का साथी था। गोया एक मुसलमान के लिये सबसे क़ीमती सामान और आ़ला सरवत नेकियाँ हैं जो आख़िरत की लाज़वाल (ना खत्म होने वाली) ज़िन्दगी में काम आने वाली हैं। ये दुनिया का आ़रिज़ी व फ़ानी माल नहीं चाहे वो कितना ही क़ीमती और उ़म्दा क्यों न हो, आख़िर फ़ानी है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىٍّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ . قَالَ " أَفَلاَ يَغْدُو

(1873) हज़रत उ़क़बा बिन आ़मिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये जबकि हम चबूतरे पर थे तो आपने फ़रमाया, 'तुममें से कौन शख़्स पसंद करता है कि रोज़ाना सुबह बुत्हान या अ़क़ीक़ की वादी में जाये और वहाँ से बग़ैर किसी की हक़ तल्फ़ी और क़तअ़ रहमी के दो बड़े-बड़े कोहान वाली ऊँटनियाँ लाये?' तो हमने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम सबको ये बात पसंद है। आपने फ़रमाया, 'तो फिर तुममें से कोई शख़्स सुबह मस्जिद में क्यों नहीं जाता कि वो अल्लाह की किताब की दो आयतें सीखे या

أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ " .

उनकी क़िरअत करे या दूसरे को सिखाये तो ये उसके लिये दो ऊँटनियों के मिलने से बेहतर है और तीन आयतें, तीन से बेहतर और चार उसके लिये चार से बेहतर। इस तरह जितनी आयतें सीखे-सिखाये या पढ़ेगा, वो उतनी तादाद में ऊँटनियों से बेहतर हैं।'
(अबू दाऊद : 1456)

मुफ़रदातुल हदीस : वादी बुतहान और वादीए अक़ीक़ : मदीना मुनव्वरा के क़रीबी मक़ामात हैं और सुफ़्फ़ह आपके दौर में मस्जिदे नबवी का एक चबूतरा था जिस पर सायबान था और बाहर से आने वाले तलबा और ज़रूरतमन्द अफ़राद इसमें ठहरते थे, जिनकी तादाद कमो-बेश होती रहती थी। कौमावैन कौमा का तस्निया है, बहुत बड़ी कोहान वाली ऊँटनी।

باب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ

बाब 10 : क़ुरआन मजीद, ख़ासकर सूरह बक़रह पढ़ने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، -وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ

(1874) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे, 'क़ुरआन पढ़ा करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने से ताल्लुक़ व रब्त रखने वालों का सिफ़ारिशी बनकर आयेगा। दो रोशन नूरानी सूरतें बक़रह और आले इमरान पढ़ा करो। क्योंकि वो क़यामत के दिन इस तरह आयेंगी गोया कि वो दो बादल या दो सायबान या गोया कि वो परिन्दों की सफ़ बान्धे हुए दो क़तारें हैं और अपने से ताल्लुक़ व रब्त रखने वालों की तरफ़ से मुदाफ़िअत करेंगी। सूरह बक़रह पढ़ा करो, क्योंकि इसकी तिलावत पर मुवाज़िबत और ग़ौर व फ़िक्र

مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ " . قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ .

करना बाइसे बरकत है और इसको नज़र अन्दाज़ करना बाइसे हसरत है और अहले बतालत इसकी ताक़त नहीं रखते।' मुआविया बयान करते हैं, मुझे ये बात पहुँची है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ज़हरावैनि : ज़ुहरा का तस्निया है रोशन, चमकीला, अपनी हिदायत व रोशनी और अज्रे अज़ीम की बिना पर सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान को ये नाम मिला। **(2) ग़मामतान :** ग़मामह बादल को कहते हैं और ग़यायतान ग़यायह सायबान को कहते हैं। **(3) फ़िरक़ान :** फ़िरक़ टोली, गिरोह। **(4) सवाफ़्फ़ :** साफ़्फ़ह, पर फैलाये हुए। **(5) बतलह :** बतलह से मुराद सहरह (साहिर की जमा) यानी जादूगर हैं।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुरआन मजीद पढ़ने की तरग़ीब देते हुए फ़रमाया है कि कुरआन अपने अस्हाब के लिये अल्लाह तआला के हुज़ूर सिफ़ारिश करेगा, अस्हाबे कुरआन से वो लोग मुराद हैं जो कुरआन करीम पर ईमान रखते हुए, इससे ताल्लुक़ और शग़फ़ को अल्लाह तआला की रज़ा और रहमत का ज़रिया ख़्याल करके, इसकी तिलावत करें, इसमें तदब्बुर व तफ़क्कुर करें , इसके अहकाम व हिदायात पर अमल पैरा होने का एहतिमाम करें या इसकी तालीम व हिदायत को आम करने और फैलाने के लिये तालीम व तदरीस, तब्लीग़ व तस्नीफ़ की सूरत में जद्दो-जहद करें, ये सब लोग कुरआन की सिफ़ारिश के हक़दार होंगे। इस हदीस़ में आपने कुरआन मजीद की क़िरअत व तिलावत की उमूमी तरग़ीब के बाद सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान की क़िरअत की मख़्सूस तरग़ीब दी है और फ़रमाया है कि ये क़यामत में और हश्र में जब हर शख़्स साये का बहुत ही हाजतमन्द होगा, ये दोनों सूरतें बादल या सायेदार चीज़ की तरह या परिन्दों की तरह अपने से ताल्लुक़ व शग़फ़ रखने वालों पर सायाफ़गन होंगी और उनकी तरफ़ से मुदाफ़िअत और जवाबदेही करेंगी और आख़िर में मज़ीद फ़रमाया, सूरह बक़रह के सीखने और पढ़ने में बड़ी बरकत है और इससे महरूमी में बड़ा ख़सारा है और अहले बतालत सुस्त व काहिल लोग इसकी पाबंदी और तिलावत की ताक़त नहीं रखते और इस हदीस़ के रावी मुआविया कहते हैं कि मुझे ये बताया गया है कि बतलह से मुराद सहरह जादूगर हैं। इस सूरत में मतलब ये होगा कि जिस घर में सूरह बक़रह की तिलावत का मामूल होगा, उस घर पर किसी जादूगर का जादू नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने सूरह बक़रह पढ़ने की ख़ासियत और तासीर ये बताई है कि जिस घर में सूरह बक़रह पढ़ी जाये, शैतान उस घर से भाग जाता है।

(1875) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें औ कअन्नहुमा की जगह व कअन्नहुमा है और मुआविया का क़ौल कि बतलह्‌ का मानी सहरह्‌ है, बयान नहीं किया गया।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَكَأَنَّهُمَا" فِي كِلَيْهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ بَلَغَنِي .

(1876) हज़रत नव्वास बिन सम्आन (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'क़यामत के दिन क़ुरआन को और उन क़ुरआन वालों को लाया जायेगा जो इस पर अमल करते थे, सूरह बक़रह्‌ और सूरह आले इमरान ये दोनों पेश-पेश होंगी।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन सूरतों के लिये तीन मिसालें बयान फ़रमाई, जिनको मैं आज तक नहीं भूला, आपने फ़रमाया, 'गोया कि वो दो बादल हैं या दो स्याह सायबान हैं, जिनके दरम्यान रोशनी और नूर है या गोया कि वो दो सफ़ बान्धे हुए परिन्दों की क़तारें हैं, वो अपने से ताल्लुक़ व रिश्ता रखने वालों की तरफ़ से वकालत व मुदाफ़िअत करेंगी।'
(तिर्मिज़ी : 2883)

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ، بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ " . وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ " كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तक़दुमुहु : क़ुरआन के आगे-आगे होंगी **(2) शरक़ :** रोशनी, नूर **(3) हिज़्क़ान :** दो गिरोह, दो क़तारें।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है अहले क़ुरआन या अस्हाबे क़ुरआन वही लोग होंगे जो क़ुरआन की सिर्फ़ क़िरअत व तिलावत पर किफ़ायत नहीं करते, बल्कि इस पर अमल पैरा होते हैं और बार-बार तिलावत का असली मक़सद यही है कि क़ुरआनी हिदायात व अहकामात हर वक़्त पेशे नज़र हैं और सूरह बक़रह्‌ और सूरह आले इमरान में ज़िन्दगी गुज़ारने के बारे में तमाम सूरतों से ज़्यादा उसूल व ज़वाबित और हिदायात व तालीमात मिलती हैं।

باب فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثِّ عَلَى قِرَاءَةِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ

बाब 11 : फ़ातिहा और सूरह बक़रह की आख़िरी आयतों की फ़ज़ीलत और बक़रह की आख़िरी दो आयतें पढ़ने की तरग़ीब

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ .

(1877) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि जिब्रईल (अलै.) नबी (ﷺ) के पास बैठे हुए थे कि इसी दौरान उन्होंने ऊपर से आवाज़ सुनी और अपना सर ऊपर उठाया और कहा, 'आसमान का ये दरवाज़ा आज ही खोला गया है, आज के सिवा कभी नहीं खोला, तो उससे एक फ़रिश्ता उतरा तो जिब्रईल से कहा, ये एक फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा है, आज से पहले कभी नहीं उतरा, उस फ़रिश्ते ने सलाम अ़र्ज़ किया और आपसे कहा, आपको दो नूरों की बशारत हो, जो आप ही को दिये गये हैं, आप से पहले किसी नबी को नहीं दिये गये, एक फ़ातिहतुल किताब और दूसरा सूरह बक़रह की आख़िरी आयतें। आप इनमें से जो जुम्ला भी पढ़ेंगे, उसमें माँगी हुई चीज़ आपको मिलेगी।'

फ़ायदा : सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़रह की आख़िरी आयतों को नूर से ताबीर किया गया है, जिसकी रोशनी में इंसान अपना सफ़र तय करता है, सूरह फ़ातिहा दीन जो ज़ाब्त-ए-हयात और रोशन ज़िन्दगी का नाम है, में इसका ख़ुलासा और निचोड़ बयान किया गया है और इसकी रोशनी में चलकर ही इंसान कामयाबी और कामरानी से सिराते मुस्तक़ीम पर गामज़न होकर मक़सूदे ज़िन्दगी हासिल कर सकता है। इसी तरह सूरह बक़रह की आख़िरी आयतों में अरकाने ईमान का बयान है और अपनी कामयाबी व कामरानी के लिये दुआ है, और हर मतलूब व महबूब चीज़ का सवाल है।

(1878) अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान करते हैं, बैतुल्लाह के पास मेरी मुलाक़ात हज़रत अबू मसऊद (रज़ि.) से हुई तो मैंने कहा, मुझे आपकी बयान करदा सूरह बक़रह की दो आयतों के बारे में हदीस़ पहुँची है तो उन्होंने कहा, हाँ! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सूरह बक़रह की आख़िरी दो आयतें जो शख़्स इनको रात को पढ़ लेगा, वो उसके लिये काफ़ी होंगी।'
(अबू दाऊद : 1397, तिर्मिज़ी : 2881, इब्ने माजह : 1368)

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الآيَتَيْنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ . فَقَالَ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ " .

फ़ायदा : सूरह बक़रह की आख़िरी दो आयतों से मुराद आमनर्रसूल से लेकर ख़ातिमे सूरत मुराद है और कफ़ताहु का मक़सद है वो रात के क़ियाम से किफ़ायत करेंगी, शैतान के शर व फ़साद से उसकी हिफ़ाज़त करेंगी और हर क़िस्म की आफ़तों और मुसीबतों से तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) फ़राहम करेंगी, उनका अज्र व स़वाब इंसान के लिये काफ़ी होगा।

(1879) इमाम साहब ने यही हदीस़ अपने दूसरे उस्तादों से भी बयान की है।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(1880) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने रात को सूरह बक़रह की ये दो आख़िरी आयतें पढ़ीं वो उसके लिये काफ़ी होंगी।' अल्क़मा के शागिर्द अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं बराहे रास्त अबू मसऊद को मिला जबकि वो बैतुल्लाह का

حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ

كَفَتَاهُ " . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

तवाफ़ कर रहे थे और उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे नबी (ﷺ) से ये रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَعَبْدِ، الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(1881) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से ये रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(1882) एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

باب فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

बाब 12 : सूरह कहफ़ और आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ، بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ "

(1883) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान सूरह कहफ़ की पहली दस आयतें याद करेगा वो फ़ित्नाए दज्जाल से महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहेगा।'

(अबू दाऊद : 4323, तिर्मिज़ी : 2886)

फ़ायदा : सूरह कहफ़ की शुरूआती दस आयतों में जो तम्हीदी मज़्मून है और उसके साथ अस्हाबे कहफ़ का वाक़िया बयान किया गया है, इसमें हर दज्जाली फ़ित्ने का तोड़ है क्योंकि इसमें ज़मीन और उसके साज़ो-सामान की रंगीनी और दिलकशी का नक़्शा खींच कर उसके आरिज़ी और फ़ना पज़ीर होने का दिलनशीं अन्दाज़ में तज़्किरा किया गया है और जिस दिल को इन आयतों में बयान करदा हक़ाइक़ और मज़ामीन का यक़ीन नसीब हो जायेगा वो दिल किसी दज्जाली फ़ित्ने से मुतास्सिर (प्रभावित) न होगा। इस तरह जो मुसलमान इन आयतों की इस ख़ासियत और बरकत पर यक़ीन रखते हुए इनको अपने दिल व दिमाग़ में जगह देगा और इनकी तिलावत करता रहेगा, वो (अस्हाबे कहफ़) की तरह महफ़ूज़ रहेगा।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ . وَقَالَ هَمَّامٌ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ كَمَا قَالَ هِشَامٌ.

(1884) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों से भी ये रिवायत नक़ल की है, जिसमें शोबा की हदीस़ में आख़िरी दस आयात कहा गया है और हम्माम ने हिशाम की तरह शुरूआती दस आयतें कहा है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ . قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ " وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ " .

(1885) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अबुल मुन्ज़िर! क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की कौनसी आयत सबसे अ़ज़ीम है?' मैंने अ़र्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल को ही ख़ूब इल्म है। आपने फ़रमाया, 'ऐ अबुल मुन्ज़िर! क्या तुम जानते हो अल्लाह की किताब की कौनसी आयत तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा अ़ज़मत वाली है?' मैंने अ़र्ज़ किया, अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हुवल् हय्युल क़य्यूम तो आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और फ़रमाया, 'अबुल मुन्ज़िर! तुम्हें इल्म मुबारक हो।'

(अबू दाऊद : 1460)

फ़ायदा : कुरआन मजीद की आयाते कलामे इलाही होने के ऐतिबार से यकसाँ हैसियत और मक़ाम की हामिल हैं, लेकिन अपने मज़ामीन व मतालिब के ऐतिबार से उनके अज्र व सवाब में फ़र्क़ है। जैसे एक तरफ़ सूरह लहब है जिसमें अबू लहब की बद अन्जामी और बदकारी का तज़्किरा है और दूसरी तरफ़ सूरह इख़्लास है जिसमें अल्लाह तआला की सिफ़ाते वहदानियत का ज़िक्र है तो इन दोनों के मज़ामीन में ज़मीन व आसमान का फ़र्क़ है। इसलिये इनका अज्र व सवाब कैसे यकसाँ हो सकता है? इस तरह कुरआन मजीद की तमाम आयतों से आयतुल कुर्सी में अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात का सबसे ज़्यादा (17 बार) तज़्किरा है और ये तमाम आयाते कुरआन की सरदार है।

باب فَضْلِ قِرَاءَةِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }

बाब 13 : कुल हुवल्लाहु अहद की फ़ज़ीलत

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " .

(1886) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुममें से कोई इस बात से आजिज़ है कि रात को तिहाई कुरआन की तिलावत करे? सहाबा ने अर्ज़ किया, वो तिहाई कुरआन की तिलावत कैसे कर सकता है? आपने फ़रमाया, 'कुल हुवल्लाहु अहद कुरआन मजीद के तिहाई हिस्से के बराबर है।'

फ़ायदा : कुरआन मजीद के मज़ामीन (टॉपिक्स) और मतालिब को तीन उन्वानात के तहत समेटा जाता है (अगरचे एक ऐतिबार से बक़ौले शारेह अक़ीदतुत्तहाविया पूरा कुरआन मजीद तौहीद के गिर्द घूमता है) तौहीद, रिसालत (शरीअत के अहकाम) और मआद (क़यामत) या बक़ौल क़ाज़ी अयाज़ सिफ़ाते इलाहिया, क़सस और अहकाम। इस सूरत में सिफ़ाते इलाहिया, तौहीद का तज़्किरा है इसलिये ये तिहाई कुरआन है या अल्लाह तआला ने इसे ये शर्फ़ और ख़ुसूसियत इनायत फ़रमाया है कि इसका अज्र व सवाब, तिहाई कुरआन के बराबर है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(1887) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से क़तादा ही की सनद से बयान करते हैं कि

بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ " .

आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद के तीन अजज़ा (हिस्से) किये हैं और कुरआन मजीद के अजज़ा में से कुल हुवल्लाहु अहद को एक जुज़ (हिस्सा) क़रार दिया है।'

अगरचे शाह वलीउल्लाह (रह.) ने उ़लूमे कुरआन पाँच क़रार दिये हैं।

फ़ायदा : इस हदीस़ से कुरआन मजीद के मतालिब-मज़ामीन की तीन उ़न्वानात के तहत तक़सीम की ताईद होती है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، - قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " احْشِدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " . فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ ‏{‏ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ‏}‏ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِنِّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ . ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلاَ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " .

(1888) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जमा हो जाओ! क्योंकि मैं तुम्हें तिहाई कुरआन मजीद सुनाऊँगा।' जो लोग जमा हो सकते थे, वो जमा हो गये। फिर नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये और आपने सूरह कुल हुवल्लाहु अहद सुनाई। फिर घर में चले गये तो हमने एक-दूसरे से कहा, आपके पास शायद आसमान से कोई अहम ख़बर आई, जिसकी वजह से आप अंदर तशरीफ़ ले गये हैं। फिर नबी (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें कहा था, मैं अभी तुम्हें तिहाई कुरआन (कुरआन का तीसरा हिस्सा) सुनाऊँगा, ख़बरदार! ये सूरत कुरआन के तीसरे हिस्से के बराबर है।' उहशुदू जमा हो जाओ।

(तिर्मिज़ी : 2900)

(1889) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'मैं तुम्हें तिहाई कुरआन सुनाता हूँ।' तो आपने कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद को आख़िर तक पढ़ा।

وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " . فَقَرَأَ ‏{‏ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ‏}‏ حَتَّى خَتَمَهَا .

(1890) हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को लश्कर का अमीर मुक़र्रर फ़रमाया और वो अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाता था और क़िरअत के आख़िर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता था। जब लश्कर वापस आया तो इस बात का तज़्किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने किया गया, इस पर आपने फ़रमाया, 'उसे पूछो! वो ऐसा किस मक़सद की ख़ातिर करता है?' सहाबा ने उससे पूछा, तो उसने जवाब दिया, (मैं इसलिये ऐसा करता हूँ कि) इसमें अल्लाह (रहमान) की सिफ़ात बयान की गई है, इस बिना पर इसको पढ़ना पसंद करता हूँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे बता दो! अल्लाह भी इससे मुहब्बत करता है।'
(सहीह बुख़ारी : 7375, नसाई : 2/171, 17914, 6/315)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ، مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ ‏{‏ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ‏}‏ فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " سَلُوهُ لأَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ " . فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ."

फ़ायदा : इस सूरत में अल्लाह तआला की तौहीद का बयान इन्तिहाई मुअस्सिर अन्दाज़ में किया गया है तो इस सूरत का बार-बार तकरार से पढ़ना, इस बात की अलामत है कि उस इंसान को अल्लाह

और उसकी सिफ़ात से मुहब्बत व प्यार है। क्योंकि मन अहब्ब शैअन अक्सरु ज़िक्रहू किसी अमल से मुहब्बत व प्यार उसको बार-बार करने पर आमादा करता है। किसी शख़्स से मुहब्बत व प्यार उसको बार-बार याद करने पर आमादा करता है और जज़ा-ए-विफ़ाक़ा बदला अमल के मुनासिब मिलता है। इसलिये अल्लाह से मुहब्बत, उसकी मुहब्बत का बाइस बनती है और वो भी अपने मुहिब्ब को अपना महबूब बना लेता है।

बाब 14 : मुअव्विज़तैन पढ़ने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} " .

(1891) हज़रत उ़क़बा बिन आ़मिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, **'क्या तुम्हें मालूम है कि आज रात जो आयतें मुझ पर उतारी गई हैं, उनके मिस्ल कभी नहीं देखी गईं? क़ुल अऊ़ज़ु बिरब्बिल् फ़लक़ और क़ुल् अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास।'**
(तिर्मिज़ी : 2902, नसाई : 2/158)

फ़ायदा : ये दोनों सूरतें इस लिहाज़ से बेमिसाल हैं कि इनमें शुरू से आख़िर तक यानी अव्वल से आख़िर तक तअव्वुज़ है। अल्लाह तआ़ला से हर क़िस्म के शुरूर (बुराई) चाहे उनका ताल्लुक़ ज़ाहिर से हो या बातिन से, पनाह तलब की गई है और अल्लाह तआ़ला ने इन दोनों सूरतों में शुरूर से हिफ़ाज़त की बेपनाह तासीर रखी है। इस तरह ये हर क़िस्म की बुराई से महफ़ूज़ रहने के लिये हैं। हिस्ने हसीन (मज़बूत क़िला) हैं और दोनों इख़्तिसार के बावजूद अपने मज़्मून में इन्तिहाई जामेअ़ और काफ़ी व शाफ़ी हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُنْزِلَ - أَوْ أُنْزِلَتْ - عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ " .

(1892) हज़रत उ़क़बा बिन आ़मिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, **'मुझ पर ऐसी आयतें नाज़िल की गई हैं कि उनकी मिस्ल कभी नहीं देखी गईं यानी मुअव्विज़तैन।'**

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ، بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

(1893) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से भी यही रिवायत बयान करते हैं और उसमें उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) के बारे में है कि वो मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के बुलंद मर्तबा साथियों में से थे।

باب فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

बाब 15 : उस इंसान की फ़ज़ीलत जो कुरआन के साथ लगा रहता है और इसे सिखाता है और उस इंसान की फ़ज़ीलत जो फ़िक़्ह वग़ैरह की सूरत में हिक्मत सीखता है, उस पर अमल करता है और उसकी तालीम देता है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ " .

(1894) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सिर्फ़ दो ख़ूबियाँ क़ाबिले रश्क हैं, एक उस आदमी की ख़ूबी जिसको अल्लाह तआला ने कुरआन की नेमत इनायत फ़रमाई फिर वो दिन-रात के औक़ात में उसके हक़ को अदा करने में लगा रहता है और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल व दौलत से नवाज़ा है और वो दिन-रात के औक़ात में उसे (शरीअत के मुताबिक़) ख़र्च करता रहता है।' (सहीह बुख़ारी : 7529, तिर्मिज़ी : 1936, इब्ने माजह : 4209)

फ़ायदा : दिन और रात के औक़ात में कुरआन पाक में मशग़ूल होने या उसके हक़ की अदायगी में लगे रहने की अलग-अलग सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि वो इसके दर्स व तदरीस, पढ़ने-पढ़ाने या

सीखने-सिखाने में मसरूफ़ रहता है, दूसरी सूरत ये है कि वो इसकी तब्लीग़ व इशाअ़त में मशग़ूल रहता है। तीसरी सूरत ये है कि वो पूरे फ़िक्र और एहतिमाम के साथ इसकी तालीमात व हिदायात के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने की कोशिश करता है। चौथी सूरत ये है कि उसे जब भी फ़ुरसत मुयस्सर आती है, नमाज़ में या तिलावत में लगा रहता है और माल के ख़र्च करने की सूरत ये है कि वो हर जाइज़ ज़रूरत के वक़्त, इसका ताल्लुक़ उसकी शख़्सियत, ख़ानदान से हो या अ़ज़ीज़ो-अक़ारिब से या दीन की नशरो-इशाअ़त से हो या इसके तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ाअ़ से या मुसलमानों की शख़्सी और इज्तिमाई ज़रूरत से, हर मौक़े और महल पर बेदरेग़ ख़र्च करता रहता है।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ " .

(1895) हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दो शख़्सों के अ़लावा किसी पर रश्क जाइज़ नहीं, एक वो इंसान जिसे अल्लाह तआ़ला ने ये किताब इनायत फ़रमाई और वो दिन-रात के औक़ात में इसमें लगा रहता है और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह तआ़ला ने माल व सरवत से नवाज़ा और वो दिन-रात के औक़ात में इससे सदक़ा करता रहता है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हसद : इसकी दो सूरतें हैं (1) हक़ीक़ी, जिसमें हसद करने वाला साहिबे नेमत से, उसे हासिलशुदा नेमत के ज़ाइल (ख़त्म) होने और छिनने की तमन्ना करता है कि उससे छिन जाये फिर मुझे मिले या न मिले बहरहाल उसके पास न रहे। **(2) मजाज़ी :** जिसको ग़िब्ता और रश्क भी कहते हैं। जिसमें दूसरे से नेमत के ज़ाइल होने या छिनने की आरज़ू और ख़्वाहिश नहीं होती, बल्कि ये ख़्वाहिश होती है कि मुझे भी ये नेमत हासिल हो ताकि मैं ये काम कर सकूँ, पहली सूरत बिल्इत्तिफ़ाक़ मना है और दूसरी सूरत क़ाबिले क़द्र है। और इस हदीस़ में यही मक़सूद है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ

(1896) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दो चीज़ों के अ़लावा किसी पर रश्क जाइज़ नहीं, एक वो आदमी जिसे अल्लाह तआ़ला ने बहुत माल दिया है और उसे हक़ की राह में बेदरेग़ ख़र्च करने की

قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " .

तौफ़ीक़ दी है, दूसरा वो इंसान जिसको अल्लाह तआला ने हिक्मत (दीन का सहीह फ़हम) दिया और वो उसके मुताबिक़ (अपने और दूसरों के) फ़ैसले करता है और लोगों को उसकी तालीम देता है।'
(सहीह बुख़ारी : 1409, 7141, 7316, इब्ने माजह : 4208)

फ़ायदा : हिक्मत का मानी है हर चीज़ को उसके मौक़े और महल पर रखना और ग़ैर सहीह महल से रोकना और अशिया (चीज़ों) की सहीह और असल हक़ीक़त को जानना और उसके मुताबिक़ अमल करना, आदिलाना और मुन्सिफ़ाना फ़ैसला करना।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى . قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا . قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ . قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ " .

(1897) आमिर बिन वासिला बयान करते हैं कि नाफ़ेअ बिन अब्दुल हारिस की उस्फ़ान के मक़ाम पर हज़रत उमर (रज़ि.) से मुलाक़ात हुई और हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें मक्का का गवर्नर मुक़र्रर किया था, इसलिये हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि आपने अहले वादी यानी मक्का के लोगों पर अपना नायब किसको बनाया है? नाफ़ेअ ने जवाब दिया, अबज़ा के बेटे को। तो पूछा, अबज़ा का बेटा कौन है? कहने लगे, हमारे आज़ाद करदा ग़ुलामों में से एक आज़ाद करदा ग़ुलाम है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, तुमने उन पर एक ग़ुलाम को अपना जाँनशीन बना डाला? तो नाफ़ेअ ने जवाब दिया, अल्लाह की किताब पढ़ने वाला है और वो फ़राइज़ का इल्म रखता है। उमर (रज़ि.) ने कहा, हाँ तुम्हारे नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला इस किताबे मजीद की वजह से बहुत से लोगों को ऊँचा करेगा और बहुत सों को नीचे गिरायेगा।' (इब्ने माजह : 218)

फ़ायदा : कुरआन मजीद इंसानों के लिये अल्लाह तआला का दस्तूरे हयात और ज़ाब्त-ए-ज़िन्दगी है और उसका फ़रमान और अहदनामा है। इसकी वफ़ादारी और ताबेदारी अल्लाह तआला की वफ़ादारी और इताअत गुज़ारी है और इस निज़ामे हयात और दस्तूरुल अमल से इन्हिराफ़ (मुँह मोड़ने) और बग़ावत, अल्लाह तआला से इन्हिराफ़ और सरकशी है और अल्लाह तआला का ये फ़ैसला है जो फ़र्द और जो क़ौम इसको अपना दस्तूरे ज़िन्दगी समझकर अपने कारोबारे हयात को इसका मुतीअ व फ़रमांबरदार बनायेगी, अल्लाह तआला उसको सरफ़राज़ व सरबुलंद फ़रमायेगा और इसके बरअक्स जो क़ौम और उम्मत इससे इन्हिराफ़ और सरकशी इख़्तियार करेगी और इस पर ईमान लाने के बाद इस पर अमल पैरा नहीं होगी तो वो कभी भी उरूज और तरक़्क़ी की मनाज़िल तय नहीं कर सकेगी। इस उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक़ मुसलमानों के उरूज और तरक़्क़ी के दौर में उन लोगों को ही आगे लाया जाता था और उन्हें ओहदे और मन्सब मिलते थे जो कुरआनी उलूम में माहिर होते थे। अपने इल्म कुरआन के बल-बूते पर एक आज़ाद करदा गुलाम मक्का के गवर्नर का जाँनशीन बना तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस पर ऐतिराज़ को वापस ले लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) की ये हदीस सुनाई। लेकिन हदीस में अक़्वामा का लफ़्ज़ इस तरफ़ इशारा करता है कि उरूज व ज़वाल के इस इलाही फ़ैसले और क़ानून का ताल्लुक़ अफ़राद व अश्ख़ास से नहीं है बल्कि क़ौमों और उम्मतों से है और इस्लाम और मुसलमानों की पूरी तारीख़ इस हदीस की सदाक़त की आईनादार (मार्गदर्शक) है कि जब मुसलमानों ने अपना ताल्लुक़ और राब्ता मज्मूई तौर पर दीन से जोड़ा, उन्हें सरफ़राज़ी और उरूज मिला और जब उनका ताल्लुक़ बहैसियते उम्मत व क़ौम दीन से टूटा तो वो इन्हितात और ज़वाल का शिकार हुए, जिसको आज हम अपनी आँखों से देख सकते हैं।

(1898) इमाम साहब ने यही हदीस अपने दूसरे उस्तादों से नक़ल की है।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ، عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، .

बाब 16 : कुरआन के सात हुरूफ़ पर होने का बयान और इसके मफ़्हूम की वज़ाहत

باب بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ

(1899) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत है कि हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को सूरह फ़ुरक़ान अपने अन्दाज़ में पढ़ते सुना, जो मेरे उस्लूबे क़िरअत से अलग था, हालांकि ये सूरत मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पढ़ाई थी तो क़रीब था कि मैं (उसके मुवाख़िज़े व गिरफ़्त में) जल्दबाज़ी से काम लूँ, लेकिन मैंने उसको मोहलत दी थी कि उन्होंने सलाम फेर दिया। फिर मैं उसकी चादर उनके गले में डालकर खींचता उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले आया और मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उस उस्लूब व अन्दाज़ के सिवा सूरह फ़ुरक़ान पढ़ते सुना है जो आपने मुझे पढ़ाया है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे छोड़ दो (और उसे फ़रमाया) पढ़ो।' तो उसने उस उस्लूब और लहजे में पढ़ा था जिसमें मैंने उसे पढ़ते सुना था। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐसे ही नाज़िल हुआ है।' फिर आपने मुझे फ़रमाया, 'पढ़ो।' मैंने पढ़ा, इस पर भी आपने फ़रमाया, 'ऐसे ही उतरा है। ये कुरआन सात हुरूफ़ पर नाज़िल किया गया है, पस उनमें से जो तुम्हारे लिये आसान हो, उस तरीक़े से पढ़ लो।'

(बुख़ारी : 2419, 4992, 5041, 6936, 7550, अबू दाऊद: 1475, तिर्मिज़ी:2943, नसाई : 2/150-152)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ، حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْسِلْهُ اقْرَأْ " . فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ لِيَ " اقْرَأْ " . فَقَرَأْتُ فَقَالَ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लब्बब्तुहु बिरिदाइही : मैंने उसके गले में, उसकी चादर डालकर खींचा। **(2) किदतु अन अअ्जल अ़लैह :** क़रीब था कि मैं जल्दी से उस पर पिल पड़ूँ, क़िरअत के दौरान ही उसे पकड़ लूँ।

(1900) मिस्वर बिन मख़रमा और अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल क़ारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को ये कहते सुना कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते मुबारका में हिशाम बिन हकीम को सूरह फ़ुरक़ान पढ़ते सुना...। आगे मज़्कूरा बाला वाक़िया बयान किया और उसमें ये इज़ाफ़ा है कि क़रीब था कि मैं उस पर नमाज़ में पिल पड़ूँ मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया, यहाँ तक कि उसने सलाम फेरा।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : उसाविरुहू : मैं उस पर हमला करूँ।

(1901) मुसन्निफ़ ने यही हदीस़ अपने दूसरे उस्ताद से बयान की है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَرِوَايَةِ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ .

फ़ायदा : क़ुरआन मजीद सात हुरूफ़ पर नाज़िल हुआ है, सात हुरूफ़ से क्या मुराद है, ये एक इन्तिहाई मअ़रिकतुल आरा (अलग-अलग राय) और तवील बहस़ है, जिसको उ़लूमे क़ुरआन के मुश्किल तरीन मबाहिस़ में से शुमार किया जाता है। अ़ल्लामा अ़ब्दुल अ़ज़ीम ज़रक़ानी ने अपनी किताब, (मनाहिलुल इरफ़ान, जिल्द 1) में इस पर बड़ी मुफ़स्सल बहस़ की है और चालीस के क़रीब अक़्वाल बताये हैं, मैं उनमें से सिर्फ़ उस क़ौल को नक़ल करता हूँ जिसे उन्होंने दलीलों की रोशनी में राजेह तरीन क़ौल क़रार दिया है कि सात हुरूफ़ से मुराद इख़्तिलाफ़े क़िरअत की सात नौइय्यतें हैं, अ़ल्लामा इब्ने क़ुतैबा, इमाम अबुल फ़ज़ल राज़ी, इमाम अबू बकर बाक़िलानी और मुहक़्क़िक़ इब्नुल जज़री ने इसे ही इख़्तियार किया है और सबसे पहले इमाम मालिक (रह.) ने इसको इख़्तियार किया है। लेकिन इन नौइय्यतों की तअ़यीन में उन हज़रात में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क़ है, लेकिन उन सब में अबुल फ़ज़ल राज़ी (रह.) का

इस्तक़रा, सबसे ज़्यादा जामेअ और मानेअ है, इसलिये हम उसे ही बयान करते हैं।

(1) **अस्मा का इख़्तिलाफ़ :** यानी इफ़राद, तस्निया, जमा (सिंगूलर–प्यूरल) और तज़्कीर व तानीस़त (मेल–फिमेल) का इख़्तिलाफ़।

(2) **अफ़्आल का इख़्तिलाफ़ :** यानी किसी क़िरअत में माज़ी का सेग़ा है, किसी में मुज़ारेअ का और किसी में अम्र है।

(3) **वुजूहे ऐराब का इख़्तिलाफ़ :** यानी मुख़्तलिफ़ क़िरअतों में ऐराब या हरकात मुख़्तलिफ़ हैं।

(4) अल्फ़ाज़ की कमी व बेशी का इख़्तिलाफ़ : यानी एक क़िरअत में कोई लफ़्ज़ कम है और दूसरी में ज़्यादा है।

(5) **तक़दीम व ताख़ीर का इख़्तिलाफ़ : यानी** एक क़िरअत में एक लफ़्ज़ पहले है और दूसरी में बाद में है।

(6) **बदलियत का इख़्तिलाफ़ :** एक क़िरअत में एक लफ़्ज़ और दूसरी में उसकी जगह दूसरा लफ़्ज़ है। लेकिन इस्लाम के शुरू-शुरू में एक लफ़्ज़ की जगह दूसरे लफ़्ज़ का होना बकस़रत था, लेकिन धीरे-धीरे जब अहले अ़रब क़ुरआनी ज़बान से पूरी तरह मानूस हो गये तो ये क़िस्म दिन-बदिन कम होती गई, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान में अपनी ज़िन्दगी का जिब्राईल (अ़लै.) के साथ आख़िरी दौर किया, जिसे अ़रज़ए अख़ीरह का नाम दिया जाता है, उसमें इस क़िस्म का इख़्तिलाफ़ बहुत कम रह गया, इसलिये मौजूदा क़िरअत में इस क़िस्म का इख़्तिलाफ़ बहुत कम है और हज़रत अबू बकर (रज़ि.) की हदीस़ में इस इख़्तिलाफ़ की तरफ़ ही इशारा है कि जब मामला सात हुरूफ़ तक पहुँच गया तो हज़रत जिब्राईल (अ़लै.) ने कहा, हर एक शाफ़ी-काफ़ी है। तावक़्त ये कि आप अ़ज़ाब की आयत को रहमत से या रहमत की आयत को अ़ज़ाब से मख़्लूत (मिला) न कर दें, जैसे आप कहते हैं, तआलि, अक़बिल, हलुम्म, इज़्हब, अश्रअ, अ़ज्जिल, यानी इन अल्फ़ाज़ को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करना दुरुस्त था।

(7) **लहजों का इख़्तिलाफ :** यानी तफ़ख़ीम, तरक़ीक़, इमाला, क़सर, मद, इज़्हार और इदग़ाम के इख़्तिलाफ़।

(1902) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिब्राईल (अ़लै.) ने मुझे क़ुरआन एक हर्फ़ पर पढ़ाया, मैंने उनसे ज़्यादा के लिये बातचीत की, मैं ज़्यादा का तक़ाज़ा करता

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم قَالَ " أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لاَ يَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ .

रहा और वो मेरे लिये हुरूफ़ में इज़ाफ़ा करते गये यहाँ तक कि बात सात हुरूफ़ तक पहुँच गई।' इमाम इब्ने शिहाब कहते हैं कि मुझे ख़बर पहुँची है कि उन सात हुरूफ़ में मामला यानी मक़सद व मतलब एक ही होता है। हलाल व हराम के ऐतिबार से कोई इख़ितलाफ़ पैदा नहीं होता।
(सहीह बुख़ारी : 4991)

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(1903) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं।

तम्बीह : याद रहे कि सब्अतु अहरूफ़ (सात हुरूफ़) से मुराद मौजूदा सात क़िरअतें नहीं बल्कि ये तो मुस्हफ़े उ़समान (रज़ि.) की ही रिवायात हैं जो सात बल्कि दस या उससे भी ज़्यादा क़ारी हज़रात से मरवी हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا

(1904) हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं मस्जिद में था कि एक आदमी आकर नमाज़ पढ़ने लगा और उसने ऐसी क़िरअत की जो मेरे लिये ग़ैर मानूस और अजनबी थी। फिर एक और आदमी आया, उसने ऐसे अन्दाज़ से क़िरअत की जो पहले आदमी से जुदा थी। जब हम सब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो मैंने अ़र्ज़ किया, इसने ऐसे लहजे और अन्दाज़ से क़िरअत की जो मेरे लिये ग़ैर मानूस और अजनबी थी और दूसरा आया तो उसने अपने साथी से अलग अन्दाज़ में क़िरअत की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया, उन दोनों ने क़िरअत की। इस पर

عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَءَا فَحَسَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَأْنَهُمَا فَسُقِطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلاَ إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِي " يَا أُبَىُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي .

नबी(ﷺ) ने उनके मामले और हालत की तहसीन फ़रमाई तो मेरे दिल में आपकी तकज़ीब (झुठलाना) का दाइया (शक व शुब्हा की सूरत में) इस ज़ोर से पैदा हुआ कि इतना शदीद दाइया जाहिलिय्यत के दौर में भी मेरे अंदर न था। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरी इस कैफ़ियत व हालत को देखा जो मुझ पर तारी थी, तो मेरे सीने पर हाथ मारा, जिससे मैं पसीना-पसीना हो गया और मुझे महसूस हुआ कि मैं डर के मारे गोया अल्लाह तआला को देख रहा हूँ और आपने मुझे फ़रमाया, 'मुझे हुक्म भेजा गया कि मैं क़ुरआन एक हर्फ़ पर पढ़ूँ तो मैंने अल्लाह के हुज़ूर गुज़ारिश की कि मेरी उम्मत के लिये आसानी फ़रमाइये तो मुझे दोबारा हुक्म मिला, इसे दो हर्फ़ पर पढ़िये। मैंने फिर उसके सामने अ़र्ज़ की कि मेरी उम्मत के लिये आसानी फ़रमाइये तो मुझे सह बारा हुक्म मिला कि इसे सात हुरूफ़ पर पढ़िये और तेरे लिये, तेरी हर गुज़ारिश पर जिसका तुम्हें जवाब मिला है एक दुआ माँगने की इजाज़त है तो मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ मेरे अल्लाह! मेरी उम्मत को बख़्श दे। ऐ मेरे अल्लाह! मेरी उम्मत को बख़्श दे और तीसरी दुआ मैंने उस दिन के लिये मुअख़्ख़र कर ली है जिस दिन तमाम मख़्लूक़ यहाँ तक कि इब्राहीम (अ़लै.) भी मेरी तरफ़ राग़िब होंगे।'

(अबू दाऊद : 1478, नसाई : 2/152-153)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़सुक़ि-त फ़ी नफ़्सी मिनत्तक्ज़ीब वला इज़ कुन्तु फ़िल्जाहिलिय्यह : जब आपने दोनों आदमियों की क़िरअत की तहसीन फ़रमाई तो मेरे दिल में

शैतान ने आपकी तकज़ीब का इस शिद्दत और ज़ोर से वस्वसा पैदा किया कि इतना शदीद (सख़्त) वस्वसा जाहिलिय्यत के दौर में भी मेरे दिल में पैदा नहीं हुआ था। **(2) ज़रब फ़ी सदरी :** (जब आपने मेरे चेहरे से मेरे दिल की कैफ़ियत भांप ली तो मेरे दिल से शैतानी वस्वसे और हक़ के बारे में उसके पैदा करदा शक व शुब्हा को दूर करने के लिये) मेरे सीने पर हाथ मारा, ताकि मुझे इत्मीनान और तस्कीन हासिल हो जाये। **(3) फ़फ़िज़्तु अरक़ा :** तो मैं अल्लाह के डर और ख़ौफ़ से पसीने से शराबोर हो गया और मेरी तमाम हैरत और परेशानी ख़त्म हो गई और मेरा दिल आपकी हक़्क़ानियत पर जम गया। **(4) मस्अलतुन तस्अलुनीहा :** अपनी हर अ़र्ज़ और हर दरख़्वास्त पर एक-एक दुआ माँग सकते हो, जिसकी क़ुबूलियत क़तई और यक़ीनी है। आपने तीन बार दरख़्वास्त की थी। इसलिये दो बार अपनी उम्मत के लिये मग़्फ़िरत की दुआ की और तीसरी अ़र्ज़ की दुआ को क़यामत के लिये शफ़ाअ़ते कुबरा के लिये महफ़ूज़ कर लिया।

फ़ायदा : इस हदीस़ में पहली बार को नज़र अन्दाज़ कर दिया गया है क्योंकि इसमें जिब्रईल आये थे और बाद में आपके सवाल करने पर, जाकर पूछकर आते रहे हैं, आगे इस बार को शुमार किया गया तो चौथी बार आने का तज़्किरा किया।

(1905) हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक आदमी अंदर दाख़िल हुआ और नमाज़ शुरू कर दी, उसने एक उस्लूब में क़िरअत की... और मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي، خَالِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَخْبَرَنِي أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَرَأَ قِرَاءَةً وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

(1906) हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बनू ग़िफ़ार के तालाब के पास तशरीफ़ फ़रमा थे कि आपके पास जिब्रईल (अ़लै.) आये और कहा, 'अल्लाह तआ़ला ने आपको हुक्म

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ

مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ - قَالَ -فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ . فَقَالَ " أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقَالَ " أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ " . ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ . فَقَالَ " أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ " . ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا .

दिया है कि आप अपनी उम्मत को एक हर्फ़ पर कुरआन पढ़ायें।' आपने फ़रमाया, 'मैं अल्लाह तआला से उसके हुज़ूर अफ़्व और बख़्शिश का सवाल करता हूँ और मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती।' फिर जिब्राईल (अलै.) आपके पास दोबारा आया और कहा, 'अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी उम्मत को कुरआन दो हर्फ़ों पर पढ़ाइये।' आपने कहा, 'मैं अल्लाह तआला से उसके हुज़ूर अफ़्व व बख़्शिश का ख़्वास्तगार हूँ और मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती।' फिर जिब्राईल (अलै.) आपके पास तीसरी बार आये और कहा, 'अल्लाह तआला आपको हुक्म देते हैं कि आप अपनी उम्मत को कुरआन तीन हर्फ़ों पर पढ़ायें।' आपने फ़रमाया, 'मैं अल्लाह तआला से उसके अफ़्व व दरगुज़र और मग़्फ़िरत का सवाल करता हूँ और ये मेरी उम्मत के बस में नहीं है।' फिर जिब्राईल (अलै.) आपके पास चौथी मर्तबा आये और कहा, 'अल्लाह तआला का आपको हुक्म है कि आप अपनी उम्मत को कुरआन सात हर्फ़ों पर पढ़ायें, वो जिस हर्फ़ पर भी पढ़ेंगे, सहीह पढ़ेंगे।'

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(1907) इमाम साहब यही हदीस़ दूसरी सनद से लाये हैं।

बाब 17 : क़िरअत आहिस्ता-आहिस्ता करना, हज़्ज़ यानी तेज़ी में हद से बढ़ जाने से इज्तिनाब (परहेज़) बरतना और एक रकअत में दो और उससे ज़्यादा सूरतों के पढ़ने का जवाज़

باب تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ وَهُوَ الإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي الرَّكْعَةِ

(1908) अबू वाइल से रिवायत है कि नहीक बिन सिनान नामी एक आदमी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के पास आया और पूछने लगा, ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! आप इस कलिमे को कैसे पढ़ते हैं, आप इसे अलिफ़ समझते हैं या 'मिम्-माइन् ग़ैरि आसिनिन' है या 'मिम्-माइन् ग़ैरि यासिनिन' (पानी जिसका ज़ायक़ा और रंग बदला नहीं होगा)? तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उससे पूछा, इस लफ़्ज़ के सिवा तमाम क़ुरआन मजीद की तहक़ीक़ तुमने कर ली है? उसने कहा, मैं तमाम मुफ़स्सल सूरतें एक रकअत में पढ़ता हूँ। इस पर हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया, शेअरों की सी तेज़ रफ़्तारी से पढ़ते हो? कुछ लोग क़ुरआन मजीद पढ़ते हैं और वो उनके हलक़ों (गलों) से नीचे नहीं उतरता और लेकिन वो जब दिल पर पड़ता है और उसमें रासिख़ हो जाता है तो नफ़ा देता है। बेहतरीन नमाज़ वो है जिसमें रुकूअ़ और सज्दे को अहमियत हासिल है और मैं उन मिलती-जुलती सूरतों को जानता हूँ जिनको रसूलुल्लाह (ﷺ) दो-दो मिलाकर

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا قَالَ إِنِّي لأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِنِّي لأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِي إِثْرِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قَدْ

أَخْبَرَنِي بِهَا . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ .

एक रकअ़त में पढ़ते थे। फिर अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) उठकर चले गये और अ़ल्क़मा भी उनके पीछे अंदर चले गये। फिर वापस आये और कहा, मुझे उन्होंने वो सूरतें बता दी हैं।

(बुख़ारी : 4996, तिर्मिज़ी : 602, नसाई ; 2/175)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) आसिनुन : वो पानी जिसका ज़ायक़ा और रंग बदल जाये उसको माउन् आसिन या माउन् यासिन कहते हैं। **(2) हज़्ज़ा कहज़्ज़िशशिअ़्र :** जिस तरह अश्आ़र को जल्दी-जल्दी बिला सोचे-समझे याद किया जाता है और नक़ल किया जाता है उस तरह तुमने बिला सोचे-समझे एक रकअ़त में इतनी सूरतें पढ़ डालीं। शेअ़रों की नक़ल व रिवायत में तेज़ी होती है लेकिन मज्मओ़ में पढ़ते वक़्त तरन्नुम और ख़ुश इल्हानी की जाती है। **(3) ला युजाविज़ु तराक़ियहुम :** तरक़ूह हँसली (हड्डी का नाम) को कहते हैं। यानी क़िरअत दिल तक नहीं पहुँचती और उसको मुतास्सिर नहीं करती, सिर्फ़ ज़बान पर रवाँ रहती है या ऊपर नहीं उठती और अल्लाह तआ़ला के यहाँ शर्फ़े क़ुबूलियत हासिल नहीं कर पाती।

फ़ायदा : क़ुरआन मजीद की पहली सात सूरतों को तिवाल कहते हैं और बाद वाली वो सूरतें जिनकी आयतें सौ से ऊपर हैं, मईन कहलाती हैं और उनके बाद वाली जिनकी आयतें सौ से कम हैं, मस़ानी कहलाती हैं और उसके बाद सूरह हुजुरात से शुरू होने वाली सूरतें मुफ़स्सल कहलाती हैं। हुजुरात से सूरह बुरूज तक तिवाले मुफ़स्सल, इससे आगे लम यकुनिल्लज़ी-न कफ़रू तक औसाते मुफ़स्सल और उससे आगे आख़िर तक क़िसारे मुफ़स्सल हैं। गोया कि नहीक नामी इंसान ने आख़िरी मन्ज़िल एक रकअ़त में पढ़ी तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, तुमने ठहर-ठहर कर ग़ौर व फ़िक्र और तदब्बुर के साथ क़िरअत नहीं की और इब्ने नुमैर की रिवायत में नहीक बिन सिनान का नाम नहीं है बल्कि बनू बजीला के एक आदमी की आमद का ज़िक्र है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي

(1909) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से नक़ल करते हैं कि अबू वाइल ने बताया कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास एक आदमी आया जिसे नहीक बिन सिनान कहा जाता था। उसके आख़िर में है कि अ़ल्क़मा आये ताकि अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास जायें तो हमने उससे कहा, अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ .

उन बाहमी मिलती-जुलती सूरतों के नाम पूछना जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रकअत में पढ़ते थे। वो उनके पास अंदर चले गये और उनसे उन सूरतों के बारे में पूछा, फिर हमारे पास तशरीफ़ लाये और बताया वो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की तर्तीब के मुताबिक़ मुफ़स्सल की (तक़रीबन) बीस सूरतें हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ إِنِّي لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ . عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ .

(1910) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें है कि अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, मैं उन बाहमी मुतशाबेह सूरतों को जानता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) दो-दो मिलाकर एक रकअत में पढ़ते थे यानी बीस सूरतें दस रकआत में।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي، وَائِلٍ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا - قَالَ - فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً - قَالَ - فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ أَلاَ تَدْخُلُونَ فَدَخَلْنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لاَ إِلاَّ أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ . قَالَ ظَنَنْتُمْ بِآلِ

(1911) अबू वाइल बयान करते हैं कि एक दिन हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, हमने दरवाज़े पर ठहर कर अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने हमें इजाज़त दे दी और हम कुछ वक़्त के लिये दरवाज़े पर रुक गये तो एक लौण्डी आई और उसने आकर कहा, दाख़िल क्यों नहीं होते? तो हम अंदर चले गये और वो बैठे तस्बीहात पढ़ रहे थे और उन्होंने पूछा, जब मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी थी तो फिर तुम्हारे लिये दाख़िले में कौनसी चीज़ रुकावट बनी? हमने अर्ज़ किया, रुकावट तो कोई नहीं थी। हमने सोचा शायद कुछ घर के अफ़राद सोये हुए हैं। उन्होंने फ़रमाया, तुमने

ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ قَالَ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَطْلُعْ فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ . فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا - فَقَالَ مَهْدِيٌّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا - قَالَ - فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ - قَالَ -فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ وَإِنِّي لأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم.

उम्मे अब्द के बेटे के घर वालों के बारे में ग़फ़लत का गुमान किया? फिर वो तस्बीह करने में मशग़ूल हो गये यहाँ तक कि उन्होंने ख़्याल किया कि सूरज निकल आया है तो फ़रमाया, ऐ लौण्डी देखो! क्या सूरज निकल आया है? उसने देखा, अभी सूरज नहीं निकला था। वो फिर तस्बीह में मशग़ूल हो गये यहाँ तक कि उन्होंने ख़्याल किया कि सूरज तुलूअ हो गया है तो कहा, ऐ लौण्डी! देखो, क्या सूरज तुलूअ हो गया है? उसने देखा कि सूरज तुलूअ हो चुका है तो उन्होंने कहा, शुक्रिये के लायक़ अल्लाह है जिसने ये दिन लौटा दिया। महदी कहते हैं, मेरे ख़्याल में उन्होंने ये भी कहा, हमारे गुनाहों की पादाश में हमें हलाक नहीं किया। लोगों में से एक आदमी ने कहा, मैंने कल रात तमाम मुफ़स्सल सूरतों की तिलावत की, इस पर अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, तेज़ जिस तरह शेअर तेज़ी से नक़ल किये जाते हैं, हमने मिलती-जुलती सूरतें नक़ल की हैं और मुझे वो जोड़े याद हैं जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) पढ़ा करते थे, मुफ़स्सल में से अठारह सूरतें और हाम्मीम वाली दो।
(सहीह बुख़ारी : 5043)

फ़ायदा : सुबह की नमाज़ से सूरज के तुलूअ (उगने) तक के वक़्त को ग़फ़लत और लापरवाही में नहीं गुज़ारना चाहिये, इसमें अपने आपको ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रखना चाहिये, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) अपने तमाम अफ़रादे ख़ाना को बेदार रखते थे, क्योंकि ये उसका फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मोहलत बख़्शी और हमारी ज़िन्दगी का ख़ात्मा नहीं कर दिया। इसलिये उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिये और दिन के इब्तिदाई वक़्त को ग़फ़लत और नींद में नहीं गुज़ारना चाहिये।

(1912) शक़ीक़ बयान करते हैं, बनू बजीला का एक आदमी जिसे नहीक बिन सिनान कहा जाता था। हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास आया और कहने लगा, मैं मुफ़स्सल सूरतें एक रकअ़त में पढ़ता हूँ तो अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया, तेज़ी है, जैसे शेअ़रों के लिये तेज़ी की जाती है? मुझे वो नज़ाइर बाहमी मिलती-जुलती सूरतें मालूम हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रकअ़त में दो-दो करके पढ़ते थे।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ .

(1913) वाइल बयान करते हैं कि एक आदमी अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास आया और कहा, मैंने आज रात मुफ़स्सल सूरतें एक रकअ़त में पढ़ी हैं तो अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया, शेअ़रों की सी तेज़ी के साथ? और अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया, मुझे वो नज़ाइर मालूम हैं जिनको रसूलुल्लाह (ﷺ) मिलाकर पढ़ा करते थे, उन्होंने मुफ़स्सल सूरतों में से बीस सूरतें जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) दो-दो मिलाकर एक रकअ़त में पढ़ते थे।

(सहीह बुख़ारी : 775, नसाई : 2/175)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ - قَالَ - فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .

फ़ायदा : (1) शक़ीक़ : अबू वाइल का नाम है और उम्मे अ़ब्द हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की वालिदा हैं। **(2)** सूरतों के जोड़े-जोड़े हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के नुस्ख़े की रू से ये हैं। (1) रहमान, नज्म (2) इक़्तरबतिस्साअ़त और अल्हाक़्क़ह (3) तूर और ज़ारियात (4) वाक़िअह और नून (5) सअल साइलुम् और नाज़िआ़त (6) वैलुल् लिल्मुतफ़्फ़िफ़ीन और

अबस (7) मुद्दस्सिर और मुज़म्मिल (8) हल अता और ला उक़सिमु (9) अम्म और मुर्सलात (10) दुख़ान और इज़श्शम्सु कुव्विरत उनमें हाम्मीम वाली सूरत सिर्फ़ दुख़ान है और तग़लीबन इज़श्शम्सु को आले हमीम में शुमार किया गया है। **(3)** हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का मक़सद ये है कि कुरआन मजीद ठहर-ठहर कर, मआनी व मतालिब पर ग़ौर व फ़िक्र करते हुए पढ़ना चाहिये जो इंसान एक रकअत में एक मन्ज़िल पा लेता है, वो उस पर ग़ौर व फ़िक्र नहीं कर सकता, इसलिये जो इंसान कुरआन मजीद के मआनी से आगाह नहीं है, वो जिस क़द्र चाहे पढ़ सकता है। कुछ सहाबा किराम से एक रकअत में कुरआन मुकम्मल तौर पर पढ़ना साबित है क्योंकि उस वक़्त वो सिर्फ़ क़िरअत करते थे, अल्फ़ाज़ के मआनी और मतलब पर ग़ौर व फ़िक्र को दूसरे औक़ात में उठा रखते थे, लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) को तीन रातों से कम में कुरआन पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। (बुख़ारी)

बाब 18 : क़िरअत के मुताल्लिक़ात

باب مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ

(1914) अबू इस्हाक़ से रिवायत है कि मैंने एक आदमी को देखा, उसने (अस्वद बिन यज़ीद से जबकि वो मस्जिद में कुरआन की तालीम दे रहे थे) सवाल किया, तुम इस आयत को कैसे पढ़ते हो? फ़हल मिम्-मुद्दकिर दाल पढ़ते हो या ज़ाल? उन्होंने जवाब दिया कि दाल पढ़ता हूँ। मैंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से सुना, वो बता रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुद्दक्किर दाल के साथ सुना है।

(सहीह बुख़ारी : 4869, 4870, 4871, 4872, 4874, 3345, अबू दाऊद : 3994, तिर्मिज़ी : 2937)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ أَدَالاً أَمْ ذَالاً قَالَ بَلْ دَالاً سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مُدَّكِرٍ " . دَالاً .

फ़ायदा : अरबी के सरफ़ी क़ाइदे की रू से इसको दोनों तरह पढ़ना जाइज़ है, अगरचे हमारी क़िरअत में दाल है लेकिन कुछ क़ारियों ने यहाँ ज़ाल पढ़ा है।

(1915) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस कलिमे को हल मिम्-मुद्दकिर पढ़ते थे, यानी दाल पढ़ते थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ " فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ " .

(1916) अल्क़मा से रिवायत है कि हम शाम गये तो हमारे पास अबू दरदा (रज़ि.) तशरीफ़ लाये और उन्होंने पूछा, क्या तुममें से कोई अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की क़िरअत में पढ़ता है? मैंने कहा, जी हाँ! मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने पूछा, तूने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को ये आयत कैसे पढ़ते हुए सुना है वल्लैलि इज़ा यग़्शा? मैंने कहा, वल्लैलि इज़ा यग़्शा वज़्ज़करि वल्उन्सा उन्होंने कहा, और मैंने भी अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे ही पढ़ते सुना है, लेकिन ये हज़रात चाहते हैं कि वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल्उन्सा पढ़ूँ, मैं उनके पीछे नहीं चलूँगा।'
(बुख़ारी : 4943, 4944, तिर्मिज़ी : 2939)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا . قَالَ فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ } وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى{ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى} . قَالَ وَأَنَا وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا وَلَكِنْ هَؤُلاَءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ . فَلاَ أُتَابِعُهُمْ .

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) और अबू दरदा (रज़ि.) की क़िरअत में वमा ख़लक़ का लफ़्ज़ नहीं था, लेकिन दूसरे सहाबा (रज़ि.) की क़िरअत में ये लफ़्ज़ था, इसलिये मुस्हफ़े उ़समानी में, सहाबा किराम की अक्सरियत की क़िरअत को इख़्तियार किया गया है, गोया वमा ख़लक़ का लफ़्ज़ बाद में उतरा।

(1917) अल्क़मा शाम आये और एक मस्जिद में दाख़िल हो गये, उसमें नमाज़ पढ़ी। फिर लोगों के हल्क़े में जाकर बैठ गये। एक आदमी आया तो मैंने महसूस किया वो लोगों में से कुछ इन्क़बाज़ रखता है और उनकी

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا - قَالَ - فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيهِ

تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ . قَالَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثُمَّ قَالَ أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

कैफ़ियत व हैयत से नाराज़ है, वो मेरे पहलू में बैठ गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है अब्दुल्लाह (रज़ि.) कैसे पढ़ते थे? आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

फ़ायदा : अगर क़ौम से मुराद सहाबा किराम हों तो मानी ये होगा, मैंने उसमें सहाबा किराम जैसा आम मजलिसों से परहेज़ देखा और उन्हें जैसे उनके तौर व अतवार देखे और क़ौम से मुराद हल्क़े वाले लोग हों तो मानी होगा। मैंने देखा, उन्होंने उनमें बैठना पसंद नहीं किया और उनके तौर व तरीक़े को अच्छा ख़्याल नहीं किया, इसलिये एक तरफ़ बैठे उनके अंदर दाख़िल नहीं हुए।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي، هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ . قَالَ مِنْ أَيِّهِمْ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . قَالَ هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَاقْرَأْ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ قَالَ فَقَرَأْتُ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى﴾ . قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا .

(1918) अल्क़मा से रिवायत है कि मैं हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) को मिला, उन्होंने मुझसे पूछा, तुम किन लोगों से हो? मैंने कहा, अहले इराक़ से। इन्होंने पूछा, उनके किन लोगों से? मैंने कहा, अहले कूफ़ा से। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की क़िरअत के मुताबिक़ पढ़ते हो? मैंने कहा, हाँ! उन्होंने कहा, वल्लैलि इज़ा यग़्शा पढ़ो। मैंने पढ़ा, वल्लैलि इज़ा यग़्शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वज़्ज़कर वल्उन्सा। वो हँस पड़े। फिर कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे ही पढ़ते सुना है।

फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को अहले कूफ़ा की तालीम के लिये वहाँ भेजा था, इसलिये कूफ़ा के अहले इल्म आपके शागिर्द थे और आपकी क़िरअत के मुताबिक़ पढ़ते थे और अहले शाम की क़िरअत दूसरी थी।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

(1919) अल्क़मा से रिवायत है कि मैं शाम आया और अबू दरदा (रज़ि.) को मिला, आगे इब्ने उलय्या (इस्माईल बिन इब्राहीम) की मज़्कूरा बाला हदीस़ की तरह बयान किया।

باب الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا.

बाब 19 : वो औक़ात जिनमें नमाज़ पढ़ने से रोका गया है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

(1920) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े अ़सर के बाद सूरज के ग़ुरूब होने तक नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है और सुबह के बाद नमाज़ से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये (उग जाये)।

(नसाई : 1/286)

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، - قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، - أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ، وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَىَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

(1921) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के कई साथियों से (यानी बहुत से सहाबा से) सुना है, उनमें उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) भी दाख़िल हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र के बाद सूरज तुलूअ होने (उगने) तक और अ़सर के बाद सूरज के ग़ुरूब होने (डूबने) तक नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(सहीह बुख़ारी : 581, अबू दाऊद : 1276, तिर्मिज़ी : 183, नसाई : 1/276-277, इब्ने माजह : 1250)

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ، الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ، بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ،

(1922) यही हदीस़ इमाम साहब अपने उस्तादों से बयान करते हैं, सईद और हिशाम की हदीस़ में है, सुबह के बाद यहाँ तक कि सूरज रोशन हो जाये या सूरज बुलंद और रोशन हो जाये।

عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي،
حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى
تَشْرُقَ الشَّمْسُ .

फ़वाइद : (1) अगर तशरुक़ (नून) को मुजर्रद बाब से पढ़ें तो मानी होगा, यहाँ तक कि सूरज निकल आये। यानी तुलूअ होने के मानी में होगा, अगर इसको मज़ीद फ़ीहि बाब से पढ़ें तो मानी होगा सूरज रोशन और बुलंद हो जाये, यानी ये तुलूअ की तफ़्सीर और वज़ाहत कर दी गई है कि महज़ सूरज का निकल आना काफ़ी नहीं है बल्कि उसका बुलंद और ऊँचा हो जाना मक़सूद है। (2) वो औक़ात जिनमें नमाज़ पढ़ने से रोका गया है, वो तफ़्सीली तौर पर पाँच हैं (1) जब सूरज निकल रहा हो (2) जब सूरज गुरूब हो रहा हो (3) निस्फ़ुन्नहार के वक़्त जब सूरज ढलने के क़रीब हो (4) सुबह के बाद (5) असर के बाद। इज्माली तौर पर ये औक़ात तीन हैं (1) सुबह की नमाज़ के बाद से सूरज निकलने तक (2) जब सूरज ठहरा हुआ हो यानी निस्फ़ुन्नहार के वक़्त (3) नमाज़े असर के बाद से सूरज के गुरूब होने तक।

सुबह के सिलसिले में कुछ इख़्तिलाफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक और हम्बलियों के मशहूर क़ौल के मुताबिक़, तुलूअे फ़ज्र से सूरज निकलने तक सुबह की सुन्नतों और नमाज़े फ़ज्र के सिवा कोई नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है और जुम्हूर के नज़दीक सुबह की नमाज़ के बाद सूरज के बुलंद होने तक नफ़ली नमाज़ जाइज़ नहीं है और सुबह की सुन्नतें अगर पहले न पढ़ी हों तो उनको पढ़ा जा सकता है।

इनके औक़ात में नमाज़ पढ़ने के बारे में अइम्मा का इख़्तिलाफ़ : (1) ज़ाहिरिया के नज़दीक इन औक़ात में नमाज़ पढ़ना जाइज़ है और अहादीसे नही मन्सूख़ हैं।

(2) अहनाफ़, मालिकिया और हनाबिला के एक क़ौल के मुताबिक़ तवाफ़ की रकआत के सिवा, हर क़िस्म के नवाफ़िल पढ़ना नाजाइज़ है, अहनाफ़ के नज़दीक इन औक़ात में (तुलूअ, गुरूब और इस्तवा) फ़राइज़ की क़ज़ाई भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन गुरूबे शम्स के वक़्त उस दिन की असर पढ़ी जा सकती है। फ़ज्र के बाद असर के बाद फ़र्ज़ नमाज़ की क़ज़ाई जाइज़ है। लेकिन मालिक, शाफ़ेई, इस्हाक़ वग़ैरह के नज़दीक इन तमाम औक़ात में फ़राइज़ की क़ज़ाई जाइज़ है। (3) इमाम शाफ़ेई के नज़दीक और इमाम अहमद के एक क़ौल की रू से जिसे हाफ़िज़ इब्ने तैमिया (रह.) और इब्ने क़य्यिम (रह.) ने पसंद किया है, इन औक़ात में सबबी नमाज़ यानी जिस नमाज़ का सबब और इल्लत मौजूद हो, जैसे फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा, तहिय्यतुल वुज़ू, तहिय्यतुल मस्जिद, सुजूदुत्तिलावत, सलातुल कुसूफ़ और सलातुल जनाइज़ ये जाइज़ हैं और सहीह मौक़िफ़ यही है। लेकिन सूरज के निकलते वक़्त, सूरज के

गुरूब होते वक़्त और सूरज के इस्तवा के वक़्त जानबूझकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है क्योंकि चंद मिनट इन्तिज़ार कर लेना कोई मुश्किल नहीं है, हाँ उस दिन की नमाज़े फ़ज्र अगर एक रकअ़त सूरज निकलने से पहले पढ़ सकता हो, इस तरह उस दिन की अ़सर अगर सूरज के गुरूब से एक रकअ़त पहले पढ़ सकता हो तो फिर उनका पढ़ना सहीह अहादीस़ की रव से जाइज़ है। इमाम मालिक के नज़दीक सूरज के इस्तवा के वक़्त नमाज़ पढ़ना है। वो इसको मम्नूआ औक़ात में शुमार नहीं करते, लेकिन बाक़ी अइम्मा के नज़दीक सहीह मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक़ भी मम्नूअ औक़ात में दाख़िल है।

अ़ल्लामा सईदी अहनाफ़ का मौक़िफ़ इन अल्फ़ाज़ में लिखते हैं, तुलूए आफ़ताब, गुरूबे आफ़ताब और आफ़ताब का इस्तवा जिसको उ़र्फ़े आ़म में ज़वाल कहते हैं, इन औक़ात में नमाज़ पढ़ना नाजाइज़ है। ख़्वाह नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़ल, अदा या क़ज़ा और तुलूए फ़ज्र से तुलूए शम्स तक और नमाज़े अ़सर के बाद से गुरूबे शम्स तक उन औक़ात में नफ़ल पढ़ना मक्रूह है, क़ज़ा नमाज़, नमाज़े जनाज़ा, सज्दए तिलावत और नमाज़े तवाफ़ इन औक़ात में बिला कराहियत जाइज़ हैं।' (शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नं. 611)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .

(1923) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नमाज़े अ़सर के बाद से गुरूबे शम्स तक कोई नमाज़ नहीं है और नमाज़े फ़ज्र से तुलूए शम्स तक कोई नमाज़ नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 586, नसाई : 1/278)

फ़ायदा : जिस तरह जुहर, शाम और इशा के बाद शरीअ़त ने सुनने रातिबा मुक़र्रर की हैं, इस तरह कोई नमाज़, फ़ज्र और अ़सर के बाद मुक़र्रर नहीं की। लेकिन फ़ज्र की सुन्नतें आपके सामने पढ़ी गईं और आपने मना नहीं फ़रमाया, इसी तरह अ़सर के बाद आपने ख़ुद जुहर के बाद वाली सुन्नतें पढ़ी हैं, जिससे मालूम हुआ कि अगर इन औक़ात में नमाज़ का सबब पैदा हो जाये तो फिर यही नमाज़ जाइज़ है, हाँ बिला सबब और बिला वजह सिर्फ़ नफ़ल के शौक़ में पढ़ना दुरुस्त नहीं है।

(1924) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई शख़्स तुलूअे शम्स और ग़ुरूबे शम्स के वक़्त नमाज़ पढ़ने का क़सद न करे।'
(सहीह बुख़ारी : 582, 585)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا " .

फ़ायदा : इंसान फ़ज्र के बाद या असर के बाद शऊर और इरादे से बैठा रहे और जब सूरज निकलने लगे या डूबने लगे तो उठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे तो ये जाइज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी सबब की बिना पर ताख़ीर हो गई, जैसे वो इन औक़ात में बेदार हुआ और उसने ग़ैर शऊरी तौर पर इन औक़ात में असर या फ़ज्र की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी तो वो अपनी नमाज़ मुकम्मल कर सकेगा। बशर्तेकि तुलूअ और ग़ुरूब से पहले एक रकअ़त पढ़ सकता हो।

(1925) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपनी नमाज़ के लिये तुलूअे शम्स का क़सद न करो और न उसके ग़ुरूब का, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान तुलूअ होता है।'
(सहीह बुख़ारी : 582, 3272, नसाई : 1/279)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَىْ شَيْطَانٍ " .

फ़ायदा : जब सूरज तुलूअ या ग़ुरूब होता है तो आफ़ताब (सूरज) के पुजारी उसकी इबादत करते हैं, इसलिये शैतान और उसके चेले-चांटे इन औक़ात में सूरज के मुक़ाबिल अपना सर खड़ा करके अपनी इबादत के गुमान में ख़ुश होते हैं कि हमारी इबादत हो रही है, इसलिये इन औक़ात में कुफ़्फ़ार की मुशाबिहत से बचाने के लिये मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो इन औक़ात में नमाज़ पढ़ने से गुरेज़ करें और शैतान को ख़ुशी और मसर्रत का मौक़ा फ़राहम न करें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ، بِشْرٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ " .

(1926) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब सूरज का किनारा निकल आये तो नमाज़ मुअख़्ख़र कर दो, यहाँ तक कि वो पूरा नुमायाँ हो जाये यानी बुलंद हो जाये और जब सूरज का किनारा गुरूब हो जाये तो नमाज़ मुअख़्ख़र कर दो यहाँ तक कि पूरी तरह गुरूब हो जाये।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ " . وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ .

(1927) हज़रत अबू बसरा ग़िफ़ारी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मुख़म्मस नामी जगह में असर की नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया, 'ये नमाज़ तुमसे पहले लोगों पर पेश की गई तो उन्होंने इसे ज़ाया कर दिया, इसलिये जो भी इसकी निगेहदाश्त और मुहाफ़िज़त करेगा उसको दुगना अज्र मिलेगा और उसके बाद कोई नमाज़ नहीं है, यहाँ तक कि शाहिद यानी सितारा तुलूअ हो जाये।'

(नसाई : 1/259-260)

फ़ायदा : फ़ज़य्यिऊहा का मक़सद ये है कि पहली उम्मतों ने इसका एहतिमाम और पाबंदी नहीं की और हक़ अदा नहीं किया और तुम इसकी पाबंदी और एहतिमाम का भी सवाब हासिल करो और इसके पढ़ने का अज्र भी पाओ और सितारा के तुलूअ का मक़सूद सूरज का बिल्कुल गुरूब हो जाना है, क्योंकि सूरज की रोशनी में सितारों की रोशनी नज़र नहीं आती।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ . بِمِثْلِهِ .

(1928) मुसन्निफ़ अपने दूसरे उस्ताद से भी यही रिवायत बयान करते हैं कि अबू बसरा ग़िफ़ारी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई, आगे ऊपर वाली रिवायत है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

(1929) हज़रत उक़बा बिन आमिर जुहनी (रज़ि.) बयान करते हैं कि तीन औक़ात हैं जिनमें हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ पढ़ने से रोकते थे और इससे भी कि हम इन औक़ात में अपने मुर्दों को क़ब्र में दाख़िल करें, जब सूरज रोशन होकर तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाये और जब दोपहर को ठहरने वाला ठहर जाता है यानी ज़वाल के वक़्त यहाँ तक कि सूरज ढल जाये और जब सूरज गुरूब के लिये झुकता है यहाँ तक कि वो मुकम्मल गुरूब हो जाये।'

(अबू दाऊद : 3192, तिर्मिज़ी : 1030, नसाई : 1/275, 1/277, 4/82, इब्ने माजह : 1519)

फ़ायदा : तुलूअे शम्स, गुरूबे शम्स और ज़वाले शम्स इन तीन औक़ात में जिस तरह नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है, इस तरह मय्यित को दफ़न करना भी दुरुस्त नहीं है।

बाब 20 : अम्र बिन अबसा का मुसलमान होना

باب إِسْلاَمِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ

(1930) अम्र बिन अबसा सुलमी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं जब जाहिलिय्यत में था तो मैं ये समझता था कि लोग गुमराह हैं और उनके दीन की कोई हैसियत नहीं है, जबकि वो बुतों की इबादत करते हैं, मैंने मक्का के एक आदमी के बारे में सुना कि वो बहुत सी बातें बताता है तो मैं अपनी सवारी पर बैठा और उसके पास पहुँच गया। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) छिपे हुए हैं और आपकी क़ौम आप (ﷺ) के ख़िलाफ़ दिलेर और जरी है तो मैं एक चारा (बहाना) करके आपकी ख़िदमत में मक्का में हाज़िर हुआ तो मैंने आप (ﷺ) से पूछा, आपकी हैसियत क्या है? आपने फ़रमाया, 'मैं नबी हूँ।' इस पर मैंने पूछा, नबी की हक़ीक़त और सिफ़त क्या है? आपने फ़रमाया, 'मुझे अल्लाह ने भेजा है।' तो मैंने कहा, आपको क्या देकर भेजा है? आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मुझे सिला रहमी, बुतों के तोड़ने और अल्लाह तआला को एक क़रार देने और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराने का हुक्म दे कर भेजा है।' मैंने आपसे पूछा, तो आपके साथ किसने इस पैग़ाम को क़ुबूल किया है? आपने फ़रमाया, 'आज़ाद और ग़ुलाम।' रावी बताते हैं कि उस वक़्त आप पर ईमान लाने वालों में अबू बकर (रज़ि.) और बिलाल

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، - قَالَ عِكْرِمَةُ وَلَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ وَصَحِبَ أَنَسًا إِلَى الشَّامِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلاً وَخَيْرًا - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَىْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ " أَنَا نَبِيٌّ " . فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ " أَرْسَلَنِي اللَّهُ " . فَقُلْتُ وَبِأَىِّ شَىْءٍ أَرْسَلَكَ قَالَ " أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ

الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ " . قُلْتُ لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ " حُرٌّ وَعَبْدٌ " . قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ . فَقُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ . قَالَ " إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي " . قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَىَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ . فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ " نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ " . قَالَ فَقُلْتُ بَلَى . فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ . أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ

(रज़ि.) थे, मैंने कहा, मैं आपका पैरोकार हूँ। आपने फ़रमाया, 'और तुम इस वक़्त इसकी ताक़त नहीं रखते, क्या तुम मेरी हालत और लोगों की हालत नहीं देख रहे?' कि लोग मेरे साथ क्या रवैया किये हुए हैं, लेकिन इस वक़्त अपने घर लौट जाओ और जब मेरे बारे में सुनो कि मैं ग़ालिब आ गया हूँ तो मेरे पास आ जाना।' तो मैं अपने घर वालों के पास चला गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ ले आये और मैं अपने घर में ही आपके बारे में हालात मालूम करता रहता था और लोगों से पूछता रहता जबकि आप मदीना आ चुके थे, यहाँ तक कि मेरे पास अहले यस्रिब यानी मदीना के कुछ लोग आये तो मैंने पूछा, ये मदीना में आने वाले आदमी का क्या बना? उन्होंने कहा, लोग तेज़ी से उसकी तरफ़ माइल हो रहे हैं, यानी उसके दीन को क़ुबूल कर रहे हैं। आपकी क़ौम ने आपको क़त्ल करना चाहा था लेकिन वो ऐसा न कर सके, इस पर मैं मदीना आया और आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मुझे पहचानते हैं? आपने फ़रमाया, 'हाँ! तू वही है जो मुझे मक्का में मिला था।' तो मैंने कहा, हाँ! और पूछा, ऐ अल्लाह के नबी! मुझे बताइये जो अल्लाह ने आपको सिखाया है और मैं इससे नावाक़िफ़ हूँ, मुझे नमाज़ के बारे में बतइाये तो आपने फ़रमाया, 'सुबह की नमाज़ पढ़ और फिर नमाज़ से रुक जा यहाँ तक कि सूरज निकल कर बुलंद हो जाये, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के

दरम्यान तुलूअ होता है और उस वक़्त काफ़िर उस (सूरज) को सज्दा करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ क्योंकि नमाज़ की गवाही दी जाती है और उसके लिये फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, यहाँ तक कि नेज़े का साया उसके बराबर हो जाये। फिर नमाज़ से रुक जा, क्योंकि उस वक़्त जहन्नम को भड़काया जाता है और फिर जब साया फैलना शुरू हो जाये (सूरज ढल जाये) तो नमाज़ पढ़ क्योंकि नमाज़ के लिये फ़रिश्ते गवाही देते हैं और हाज़िर होते हैं यहाँ तक कि असर से फ़ारिग़ हो जाओ, फिर नमाज़ से बाज़ आ जाओ यहाँ तक कि सूरज पूरी तरह गुरूब हो जाये, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों में गुरूब होता है और उस वक़्त काफ़िर उसके सामने सज्दा करते हैं।' इस पर मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी! तो वुज़ू? मुझे उसके बारे में भी बताइये? आपने फ़रमाया, 'तुममें से जो शख़्स भी वुज़ू के लिये पानी लाता है और कुल्ली करता है और नाक में पानी खींचकर उसको झाड़ता है तो उससे उसके चेहरे, मुँह और नाक के नथुनों के गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब वो अपने चेहरे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ धोता है तो उसकी दाढ़ी के अतराफ़ से पानी के साथ उसके चेहरे के गुनाह गिर जाते हैं, फिर वो अपने दोनों हाथों को कुहनियों समेत धोता है तो उसके हाथों के गुनाह उसके पोरों से पानी के साथ गिर जाते हैं, फिर वो सर का मसह करता है तो उसके सर के गुनाह उसके बालों के अतराफ़ से पानी के साथ गिर जाते हैं। फिर वो अपने दोनों क़दम टख़्नों समेत

" صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَىْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالْوُضُوءُ حَدِّثْنِي عَنْهُ قَالَ " مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ

إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " . فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمْرٌو يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ - مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

धोता है तो उसके दोनों पाँव के गुनाह, उसके पोरों से पानी के साथ निकल जाते हैं, फिर अगर वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह की हम्दो-सना और उसके शायाने शान बुज़ुर्गी बयान करता है और अपने दिल को अल्लाह के लिये (हर क़िस्म के ख़यालात व तसव्वुरात से) ख़ाली कर लेता है तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकलता है, जिस तरह उसकी माँ ने उसे (हर क़िस्म के गुनाहों से पाक) जना होता है।' अम्र बिन अबसा (रज़ि.) ने ये हदीस़ सहाबि-ए-रसूल (ﷺ) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) को सुनाई तो अबू उमामा (रज़ि.) ने उनसे कहा, ऐ अम्र बिन अबसा सोचो! तुम क्या कह रहे हो, एक ही जगह आदमी को इतना कुछ मिल जाता है? इस पर अम्र (रज़ि.) ने कहा, ऐ अबू उमामा! मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ भी सिनरसीदा हो गई हैं (कमज़ोर हो गई हैं) और मेरी मौत का वक़्त भी क़रीब आ चुका है और मुझे अल्लाह और उसके रसूल के बारे में झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है अगर मैंने इस हदीस़ को रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक या दो या तीन यहाँ तक कि सात दफ़ा गिना (शुमार किया) न सुना होता तो मैं इस हदीस़ को कभी भी बयान न करता। लेकिन मैंने तो आपसे इससे भी ज़्यादा बार सुना है।

फ़वाइद : (1) बुतपरस्ती एक ऐसा क़बीह अमल है कि अगर इंसान अक़्ल व शऊर रखता हो तो वो जाहिलिय्यत के दौर में भी उसकी ज़लालत व गुमराही और बेदीनी को समझ सकता है और एक इंसान मुआशरे के आम चाल के ख़िलाफ़ कितनी ही आला और उम्दा बात करे और कितना ही बाकिरदार और बुलंद अख़्लाक़ हो लोग उसकी मुख़ालिफ़त के दर्पे हो जाते हैं और उसको अपने मिशन के लिये

जान जोखिम में डालकर अ़ज़्म व हौसला और इस्तिक़लाल व पामर्दी से अपना रास्ता निकालना पड़ता है और आख़िरकार फ़तह हक़ को ही हासिल होती है। बशर्तेकि उसके लिये जद्दो-जहद मुसलसल और पैहम (लगातार) हो और उसके लिये किसी क़िस्म की मुदाहिनत (सुस्ती) या कमज़ोरी न दिखाई जाये और नबी की हक़ीक़त यही है कि वो अल्लाह तआ़ला का फ़रिस्तादा होता है, वो अल्लाह तआ़ला का पैग़ाम पहुँचाता है और अल्लाह तआ़ला उसकी तालीम व तर्बियत का इन्तिज़ाम करता है। **(2)** नमाज़ों के औक़ात में नमाज़ियों की गवाही देने के लिये फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और उनके ईमान की गवाही देते हैं। **(3)** ज़वाल का वक़्त चूंकि जहन्नम के भड़काये जाने का वक़्त है, इसलिये उस वक़्त में इंसान पूरी तरह जमइय्यत ख़ातिर और हाज़िर दिमाग़ी से काम नहीं ले सकता और अल्लाह के हुज़ूर राज़ व नियाज़ में यकसूई और इत्मीनाने क़ल्बी का मुज़ाहिरा नहीं कर सकता। इसलिये उस वक़्त में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। **(4)** वुज़ू इत्मीनान और सुकून से करने की सूरत में आज़ाए वुज़ू (वुज़ू के अंगों) के तमाम गुनाह झड़ जाते हैं और अगर इंसान इस बीच में तौबा करे और आख़िर में दुआए तौबा पढ़े तो इंसान हर क़िस्म के सग़ीरा और कबीरा (छोटे-बड़े) गुनाहों से पाक हो जाता है और नौमौलूद बच्चे की तरह तौबा की बिना पर पाक व साफ़ हो जाता है, अगर तौबा न करे तो सिर्फ़ सग़ीरा गुनाह माफ़ होते हैं।

बाब 21 : तुलूअे शम्स और गुरूबे शम्स के वक़्त क़सदन (जान-बूझकर) नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है

باب لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا .

(1931) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) को वहम लाहिक़ हुआ है (कि वो असर के बाद नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो बस इस बात से मना फ़रमाया है कि इंसान सूरज के तुलूअ या उसके गुरूब के वक़्त पढ़ने का क़सद करे।
(नसाई : 1/278)

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का नज़रिया ये था कि असर के बाद नमाज़ पढ़ना जाइज़ है क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) उनके यहाँ असर के बाद दो रकआ़त पढ़ा करते थे और गुरूब के वक़्त क़सद व इरादे से और अम्दन नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है और हज़रत उमर (रज़ि.) लोगों को असर के बाद नमाज़ पढ़ने

से मना करते थे क्योंकि वो फ़रमाते थे, अगर उस वक़्त लोगों को इजाज़त दे दी गई तो वो गुरूब के वक़्त में नमाज़ पढ़ने लगेंगे।

وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ . قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ " .

(1932) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने असर के बाद दो रकअत पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ा और रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाते थे, 'सूरज के तुलूअ होने और उसके गुरूब होने का क़सद न करो कि उस वक़्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो।'

باب مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ

बाब 22 : उन दो रकअतों की मअरिफ़त (शनाख़्त/पहचान) जो नबी (ﷺ) असर के बाद पढ़ा करते थे

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ

(1933) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के आज़ाद करदा गुलाम कुरैब से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुर्रहमान बिन अज़हर और मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) ने मुझे नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास भेजा और सबने मुझे कहा कि हम सब की तरफ़ से उन्हें सलाम अर्ज़ करना और उनसे असर के बाद की दो रकअत के बारे में सवाल करना और उनसे पूछना, हमें ये ख़बर मिली है कि आप दो रकअतें पढ़ती हैं, जबकि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की ये हदीस पहुँची है कि आप इनसे रोकते थे। इब्ने

الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا . قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ . فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ . فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ - قَالَ - فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ

अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ मिलकर लोगों को उनसे (फेरने के लिये) उनके पढ़ने पर मारता था। कुरैब कहते हैं कि मैं आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उन हज़रात ने जो पैग़ाम देकर भेजा था मैंने उन तक पहुँचाया। उन्होंने (आइशा) ने जवाब दिया, उम्मे सलमा (रज़ि.) से पूछिये। मैं उन हज़रात के पास वापस आया और उन्हें उनके जवाब से आगाह किया। उन हज़रात ने मुझे उम्मे सलमा (रज़ि.) की तरफ़ उस पैग़ाम के साथ भेजा, जिसके साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास भेजा था। इस पर उम्मे सलमा (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आप इन दो रकअत से रोकते थे। फिर मैंने आपको ये रकआत पढ़ते देखा, हाँ आपने उनको उस वक़्त पढ़ा जब आप असर की नमाज़ पढ़ चुके थे, फिर असर पढ़कर आप मेरे पास तशरीफ़ लाये और मेरे पास अन्सार के क़बीले बनू हराम की कुछ औरतें बैठी हुई थीं, आपने उन दो रकअतों को पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपके पास ख़ादिमा भेजी और मैंने कनीज़ा से कहा, आपके पहलू में जाकर खड़ी हो जाना और आपसे अर्ज़ करना, उम्मे सलमा (रज़ि.) आपसे पूछती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपसे सुना है, आप इन दो रकअतों के पढ़ने से मना फ़रमा रहे थे और अब आपको पढ़ते हुए देख रही हूँ? अगर आप हाथ के इशारे से पीछे हटायें तो हट जाना। तो

قَالَ " يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ " .

उस लौण्डी ने ऐसे ही किया, आपने हाथ से इशारा किया तो वो आपसे पीछे हट गई। जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमाया, ऐ अबू उमय्या की बेटी! तूने असर के बाद की दो रकअत के बारे में पूछा है, सूरते हाल ये है कि मेरे पास अब्दुल क़ैस ख़ानदान के कुछ अफ़राद अपनी क़ौम के इस्लाम लाने की इत्तिलाअ देने के लिये आये और उन्होंने मुझे ज़ुहर के बाद की दो रकअतों के पढ़ने से मशग़ूल रखा, तो ये वो दो रकअतें हैं।'
(बुख़ारी : 1223, 4372, अबू दाऊद : 1273)

फ़वाइद : (1) इंसान की फ़ितरत और मिज़ाज में ये बात दाख़िल है कि जब वो किसी के क़ौल व फ़ैअल (कथनी व करनी) में तज़ाद (टकराव) देखता है तो चाहे ये काम करने वाली शख़्सियत कितनी ही बड़ी और महबूब हो वो ख़लजान में पड़ जाता है और उसके क़ौल व फ़ैअल के तज़ाद के सबब को मालूम करने की कोशिश करता है। उम्मे सलमा (रज़ि.) ने जिनके बाप का नाम अबू उमय्या हुज़ैफ़ा है, इस बिना पर आपसे सवाल किया था। **(2)** नमाज़े ज़ुहर के बाद की सुन्नतें अगरचे फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन चूंकि आप हमेशा इनकी पाबंदी करते थे, इसलिये आपने इस आदत को बरक़रार रखने के लिये सुन्नतों की क़ज़ाई दी। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद के नज़दीक सुन्नतों की क़ज़ाई पसन्दीदा है और इमाम मुहम्मद का क़ौल भी यही है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के एक क़ौल के मुताबिक़ नहीं है और दूसरे क़ौल कि इंसान को इख़्तियार है, जैसे चाहे कर ले। **(3)** असर के बाद सुन्नतों की क़ज़ाई देने से मालूम हुआ कि असर के बाद सबबी नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, इस बिना पर फ़र्ज़ नमाज़ की क़ज़ा, नमाज़े जनाज़ा और नमाज़े तवाफ़ के बाद सबके नज़दीक जाइज़ है तो फिर तहिय्यतुल मस्जिद क्यों जाइज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ، كَانَ

(1934) अबू सलमा की रिवायत है कि उसने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, उन दो रकअतों के बारे में जो रसूलुल्लाह (ﷺ) असर के बाद पढ़ा करते थे? उन्होंने जवाब दिया, आप उन्हें (ज़ुहर के बाद) असर से पहले पढ़ते थे, फिर एक दिन उनसे मशग़ूल हो गये या उन्हें भूल गये तो आपने उन्हें असर के बाद

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا . قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا .

पढ़ा, फिर आपने उन्हें हमेशा पढ़ा, क्योंकि जब आप कोई नमाज़ शुरू करते तो उस पर दवाम फ़रमाते थे। इस्माईल कहते हैं, अस्बतहुमा का मानी है दवाम अलैहा आप उस पर हमेशगी करते।
(सहीह बुख़ारी : 577)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ .

(1935) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे यहाँ असर के बाद की दो रकअतें कभी नहीं छोड़ीं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

(1936) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि दो नमाज़ें हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें कभी भी मेरे यहाँ छिपे और खुले तर्क नहीं किया, फ़ज्र से पहले दो रकअत और असर के बाद दो रकअत।
(सहीह बुख़ारी : 592, नसाई : 1/274)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالاَ نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ

(1937) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि जिस दिन भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की बारी मेरे यहाँ होती, आप मेरे यहाँ दो रकअत यानी असर के बाद दो रकअत पढ़ते थे।

يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلاَّ صَلاَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي . تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

(सहीह बुख़ारी : 593, अबू दाऊद : 1279, नसाई : 1/281)

फ़ायदा : इन अहादीस़ से रसूलुल्लाह (ﷺ) का रोज़ाना असर के बाद दो रकअत पढ़ना साबित होता है जबकि दूसरी अहादीस़ में आपने असर के बाद नमाज़ से मना फ़रमाया है। इन अहादीस़ की तत्बीक़ सुनन अबी दाऊद की सहीह हदीस़ से होती है जिसमें है कि नबी (ﷺ) ने असर के बाद नमाज़ से मना फ़रमाया मगर इस हाल में कि सूरज बुलंद हो। इससे मालूम हुआ कि असर के बाद जब तक सूरज बुलंद रहे नवाफ़िल ख़ुसूसन दो रकअतें पढ़ सकता है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) अदा किया करते थे। हाँ जब सूरज बुलंद न रहे तो फिर नमाज़ पढ़ना मना है। सिर्फ़ वो नमाज़ें पढ़ सकता है जिनका कोई सबब हो जैसे क़ज़ा, तहिय्यतुल वुज़ू, तहिय्यतुल मस्जिद, सलातुल कुसूफ़, सलाते तवाफ़ वग़ैरह। बिला सबब नवाफ़िल जाइज़ नहीं है, असर के बाद मुत्लक़न नमाज़ से मना करने की वजह ये थी कि कहीं नावाक़िफ़ लोग सूरज के नीचे चले जाने के बाद भी नफ़ली नमाज़ न पढ़ते रहें।

بَاب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

बाब 23 : नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअत पढ़ना मुस्तहब (पसन्दीदा) है

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، - عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ، بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ . فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَّهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا . فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

(1938) मुख़्तार बिन फुल्फुल से रिवायत है कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से असर के बाद नफ़ली नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हज़रत उमर (रज़ि.) असर के बाद नमाज़ पढ़ने पर हाथों पर मारते थे और हम नबी (ﷺ) के दौर में सूरज के ग़ुरूब हो जाने के बाद नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअत पढ़ते थे। तो मैंने उनसे पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दो रकअत पढ़ते थे? उन्होंने कहा, आप हमें पढ़ता देखते थे, आपने न हुक्म दिया और न रोका। (अबू दाऊद : 1282)

फ़ायदा : दूसरी रिवायात से आपका हुक्म देना साबित है। आपने फ़रमाया था, सल्लू क़ब्लल् मग़्रिबि 'और मग़्रिब से पहले नमाज़ पढ़ो।' (बुख़ारी)

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا .

(1939) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, हमारी मदीना में आदत थी कि जब मुअज़्ज़िन मग़्रिब की अज़ान देता तो सहाबा सुतूनों की तरफ़ लपकते थे और दो-दो रकअतें पढ़ते थे, यहाँ तक कि एक मुसाफ़िर मस्जिद में आता तो ये समझता कि मग़्रिब की नमाज़ हो चुकी है क्योंकि लोग कसरत से ये रकअतें पढ़ते थे।

फ़ायदा : नबी (ﷺ) के अहदे मुबारक (मुबारक ज़माने) में नेकी का शौक़ और आख़िरत की फ़िक्र बहुत ज़्यादा थी इसलिये सहाबा किराम नफ़ली नमाज़ों का भी एहतिमाम करते थे। जैसे-जैसे दुनियवी माल व दौलत की रग़बत बढ़ती गई और लोगों के मशाग़िल व मसरूफ़ियात में इज़ाफ़ा होता गया, उस क़द्र नवाफ़िल का एहतिमाम कम होता गया। इसलिये बाद के दौर में मग़्रिब से पहले की दो रकअतों को नज़र अन्दाज़ कर दिया गया और इस अमल को छोड़ने का नतीजा ये निकला कि कुछ हज़रात ने तो इनको बिदअत क़रार दे दिया और इमाम मालिक और अबू हनीफ़ा भी इनको सुन्नत नहीं समझते। हालांकि लोगों के छोड़ने से आपकी सुन्नत तो मन्सूख़ नहीं हो जाती, जब ये दो रकअत सहीह अहादीस़ से साबित हैं और आपका सहीह हुक्म भी मौजूद है तो इनके इस्तिहबाब में क्या शुब्हा हो सकता है।

باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

बाब 24 : हर अज़ान और तकबीर के दरम्यान नफ़ल नमाज़ है

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(1940) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर अज़ान और तकबीर के दरम्यान नमाज़ है।' आपने तीन बार फ़रमाया, और तीसरी बार फ़रमाया, 'जो चाहे।'
(सहीह बुख़ारी : 624, 627, अबू दाऊद :

1283, नसाई : 2/28, इब्ने माजह : 1162)

عليه وسلم " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ - قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ - لِمَنْ شَاءَ " .

फ़ायदा : बुख़ारी शरीफ़ की हज़रत अ़ब्दुल्लाह मुज़नी (रजि.) की रिवायत से मालूम होता है कि आपने ये बात ख़ुसूसी तौर पर मग़रिब के बारे में फ़रमाई है।

(1941) मुसन्निफ़ साहब अपने दूसरे उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, मगर उसमें ये है कि आपने चौथी मर्तबा फ़रमाया, '(लिमन शाअ) जो चाहे (पढ़े)।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ " لِمَنْ شَاءَ " .

फ़ायदा : जिस तरह मग़रिब के सिवा चारों नमाज़ों में, अज़ान और तकबीर के दरम्यान सुनने मुअक्कदा या नवाफ़िल हैं, उसी तरह मग़रिब की नमाज़ों से पहले भी दो रकअ़त नफ़ल हैं।

बाब 25 : नमाज़े ख़ौफ़ यानी जंग में नमाज़

باب صَلاَةِ الْخَوْفِ

(1942) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई, दो गिरोहों में से एक को एक रकअ़त पढ़ाई और दूसरा गिरोह वो दुश्मन के सामने खड़ा था, फिर आपके साथ नमाज़ पढ़ने वाले पलट गये और अपने साथियों की जगह जा खड़े हुए, दुश्मन की तरफ़ रुख़ करके और वो लोग आये फिर नबी (ﷺ) ने उन्हें एक रकअ़त पढ़ा दी, फिर नबी (ﷺ) ने सलाम फेर दिया और उन गिरोहों ने अपनी-अपनी रकअ़त पढ़ ली। (सहीह बुख़ारी : 4133, अबू दाऊद : 1243, तिर्मिज़ी : 564, नसाई : 3/171)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَضَى هَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَهَؤُلاَءِ رَكْعَةً .

फ़वाइद : (1) नमाज़े ख़ौफ़ की मशरूइय्यत के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि कब शुरू हुई? कुछ हज़रात के नज़दीक सबसे पहले ग़ज़्व-ए-ज़ातुर्रिक़ाअ में जो जमादिल ऊला 4 हिजरी में हुआ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी गई और जंगे ख़न्दक़ में इसलिये नहीं पढ़ी गई कि जंग की नमाज़ का ताल्लुक़ सफ़र से है हज़र से नहीं और जंगे ख़न्दक़ मदीना मुनव्वरा में हुई। इसलिये इसमें नमाज़े ख़ौफ़ नहीं पढ़ी गई और कुछ हज़रात के नज़दीक इसकी इजाज़त ग़ज़्व-ए-अस्फ़ान में मिली। जो जंगे ख़न्दक़ के बाद और बक़ौल इमाम इब्नुल अ़रबी आपने नमाज़े ख़ौफ़ चौबीस बार पढ़ी है और इसकी सौलह सूरतें हैं और हाफ़िज़ इराक़ी के नज़दीक सतरह हैं। इब्ने हज़म के नज़दीक चौदह और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम के नज़दीक छः सूरतें हैं। (2) आपने हर गिरोह को एक-एक रकअ़त पढ़ाई है और दूसरी रकअ़त हर गिरोह ने अपने तौर पर पढ़ी है। इब्ने मसऊ़द की रिवायत से मालूम होता है कि दूसरे गिरोह ने आपके सलाम के बाद अपनी दूसरी रकअ़त पढ़ ली और सलाम फेर कर दुश्मन के सामने चला गया फिर पहले गिरोह ने आकर अपनी नमाज़ पूरी कर ली।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَوْفِ وَيَقُولُ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِهَذَا الْمَعْنَى .

(1943) इमाम साहब ने यही हदीस़ दूसरी सनद से बयान की है कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़े ख़ौफ़ को बयान करते थे और फ़रमाते, मैंने ये नमाज़ आपके साथ पढ़ी है....। आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ، عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ

(1944) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने कुछ अय्यामे जंग में नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई, एक जमाअ़त आपके साथ नमाज़ के लिये खड़ी हो गई और दूसरी जमाअ़त दुश्मन के मुक़ाबले में। आपने अपने साथ खड़े होने वालों को एक रकअ़त पढ़ा दी, फिर ये लोग दुश्मन के मुक़ाबले में चले गये और दूसरी जमाअ़त के लोग आ गये, आपने उनको भी

ذَهَبُوا وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً - قَالَ - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً .

एक रकअ़त पढ़ा दी। फिर उन दोनों जमाअ़तों ने अपनी-अपनी रकअ़त अदा कर ली। नाफ़ेअ़ कहते हैं, इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बताया, अगर ख़ौफ़ इससे बढ़कर हो (सफ़बन्दी मुम्किन न हो) तो नमाज़ सवारी पर या पैदल इशारे से पढ़ लीजिये।

(सहीह बुख़ारी : 943, नसाई : 3/173)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعْنَا

(1945) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ में शरीक था। आपने हमारी दो सफ़ें बनाईं, एक सफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे थी (और दूसरी उनके पीछे) और दुश्मन हमारे और क़िब्ले के दरम्यान था। नबी (ﷺ) ने तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने रुकूअ़ किया और हम सबने रुकूअ़ किया, फिर आपने रुकूअ़ से अपना सर उठाया तो हम सबने भी उठाया, फिर आप सज्दे के लिये झुक गये और आपसे मुत्तसिल सफ़ ने भी सज्दा किया और पिछली सफ़ दुश्मन के सामने खड़ी रही, जब आपने दोनों सज्दे कर लिये और आपसे मुत्तसिल सफ़ (सज्दे करके) आपके साथ खड़ी हो गई तो पिछली सफ़ ने सज्दे किये और खड़ी हो गई। फिर पिछली सफ़ आगे आ गई और अगली सफ़ पीछे चली गई, फिर आपने रुकूअ़ किया और हम सबने रुकूअ़ किया, फिर आपने रुकूअ़ से अपना सर उठाया और हम सबने भी उठाया, फिर आप और आपसे

جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا . قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاَءِ بِأُمَرَائِهِمْ .

मुत्तसिल (जुड़ी हुई) सफ़ ने जो पहली रकअत में पीछे थी, सज्दे के लिये झुके और पिछली सफ़ दुश्मन के सामने खड़ी रही, जब नबी (ﷺ) और आपसे मुत्तसिल सफ़ दोनों सज्दों से फ़ारिग़ हुई, पिछली सफ़ सज्दे के लिये झुकी, उन्होंने दोनों सज्दे किये, फिर नबी (ﷺ) ने सलाम फेरा और हम सबने भी सलाम फेर दिया। हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने बताया, जिस तरह तुम्हारे मुहाफ़िज़ आज अपने अमीरों की हिफ़ाज़त के लिये करते हैं।
(नसाई : 1546)

मुफ़रदातुल हदीस़ : अज़ा, नहर, नहूर : सबका मानी, मुक़ाबले में यानी सामने है। **(2) हरस :** हारिस की जमा है, मुहाफ़िज़ बॉडीगार्ड।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيدًا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاَقْتَطَعْنَاهُمْ . فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - وَقَالُوا إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلاَدِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ - قَالَ -

(1946) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुहैना क़बीले के लोगों से जंग लड़ी। उन्होंने हमारे साथ बड़ी शदीद जंग की, जब हमने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी तो मुश्रिकों ने कहा, ऐ काश हम उन पर यकबारगी हमला करके उनको ख़त्म कर देते। जिब्रईल (अलै.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस बात से आगाह कर दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें बता दिया और उन लोगों ने कहा, अभी उनकी एक और नमाज़ का वक़्त आने वाला है, जो उन्हें अपनी औलाद से भी ज़्यादा महबूब है तो जब अ़सर का वक़्त आया। आपने हमारी दो सफ़ें बनाईं क्योंकि मुश्रिक हमारे और क़बीले के दरम्यान थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तकबीरे तहरीमा कही

صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - قَالَ - فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِي فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلاَءِ .

और हमने भी तकबीर कही, आपने रुकूअ किया और हमने भी रुकूअ किया। फिर आपने सज्दा किया और आपके साथ पहली सफ़ वालों ने सज्दा किया, जब ये हज़रात खड़े हो गये तो दूसरी सफ़ वालों ने सज्दे किये, फिर पहली सफ़ पीछे आ गई और दूसरी आगे बढ़ गई और पहली सफ़ वालों की जगह खड़ी हो गई। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (रुकूअ के लिये) तकबीर कही और हमने भी तकबीर कही और आपने रुकूअ किया, हमने भी रुकूअ किया। फिर आपने सज्दा किया और आपके साथ पहली सफ़ ने सज्दा किया और दूसरी खड़ी रही, जब दूसरी सफ़ ने सज्दे कर लिये और फिर सब बैठ गये और आपने सबके साथ सलाम फेरा। अबू ज़ुबैर कहते हैं, फिर जाबिर ने ख़ुसूसी तौर पर फ़रमाया, जिस तरह तुम्हारे ये गवर्नर नमाज़ पढ़ाते हैं।

फ़ायदा : जब दुश्मन सामने क़िब्ला रुख़ हो तो फिर नमाज़े ख़ौफ़ का तरीक़ा यही है कि तमाम फ़ौज की दो सफ़ें बनाई जायेंगी और तमाम फ़ौज नमाज़ में मशग़ूल होगी, रुकूअ करने तक तमाम शरीक रहेंगे, फिर सज्दे सिर्फ़ पहली सफ़ इमाम के साथ करेगी और उनके खड़े होने के बाद दूसरी सफ़ सज्दे करेगी, फिर दूसरी रकअत में पहली सफ़ दूसरी की जगह आ जायेगी और दूसरी पहली सफ़ की जगह लेगी और पहली रकअत की तरह नमाज़ पढ़ेगी और फिर तशह्हुद में तमाम फ़ौज बैठ जायेगी, दुश्मन सामने नज़र आ रहा होगा, फिर तमाम फ़ौज सलाम फेरेगी।

दुश्मन की बातचीत की इत्तिलाअ जिब्रईल (अलै.) ने जंगे अस्फ़ान में दी थी, इसलिये कहा जाता है, नमाज़े ख़ौफ़ की इजाज़त इस जंग में मिली और इससे ये भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह(ﷺ) आलिमुल ग़ैब न थे वगरना जिब्रईल (अलै.) को इत्तिलाअ देने की ज़रूरत पेश न आती।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ .

(1947) हज़रत सह्ल बिन अबी हस़्मा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने साथियों को नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई और उन्हें अपने पीछे दो सफ़ों में खड़ा किया और अपने से क़रीबी सफ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर आप खड़े हो गये और खड़े ही रहे यहाँ तक कि पिछलों ने रकअत पढ़ ली। फिर ये आगे आ गये और इनसे अगले पीछे चले गये, फिर आपने उनको एक रकअत पढ़ा दी, फिर बैठ गये यहाँ तक कि पीछे होने वालों ने रकअत पढ़ ली, फिर सलाम फेर दिया।

(सहीह बुख़ारी : 4129, 4131, अबू दाऊद : 1237, 1398, 1239, तिर्मिज़ी : 565, नसाई : 3/170, इब्ने माजह : 1259)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ، بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ . فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ . ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

(1948) सालेह बिन ख़व्वात उस सहाबी से नक़ल करते हैं जिस सहाबी ने ग़ज़्व-ए-ज़ातुरिक़ाअ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी थी। एक गिरोह आपके साथ सफ़बन्दी किये हुए था और दूसरा दुश्मन के सामने था। आपने अपने साथ वालों को एक रकअत पढ़ाई, फिर आप खड़े रहे और उन्होंने अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़कर नमाज़ मुकम्मल कर ली (और सलाम फेरकर) चले गये और दुश्मन के सामने सफ़बन्द हो गये और दूसरा गिरोह आ गया। आपने वो रकअत जो रह गई थी उनको पढ़ा दी, फिर बैठे रहे और उन लोगों ने अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़ कर, नमाज़ मुकम्मल कर ली तो आपने उनके साथ सलाम फेरा।

फ़ायदा : पहला गिरोह आपके साथ तकबीरे तहरीमा और पहली रकअ़त में शरीक था, दूसरी रकअ़त और सलाम अपने तौर पर फेरा। दूसरा गिरोह आपके साथ आपकी दूसरी रकअ़त में और सलाम फेरने में शरीक हुआ और एक रकअ़त अपने तौर पर पढ़ी और सालेह बिन ख़व्वात ने ये रिवायत अपने बाप ख़व्वात बिन जुबैर (रज़ि.) से बयान की है जैसाकि इमाम इब्ने मुनदा की तसरीह बुलूग़ुल मराम में मौजूद है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَخَافُنِي قَالَ " لاَ " . قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ " اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ " . قَالَ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ - قَالَ - فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ .

(1949) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चले यहाँ तक कि हम ज़ातुर्रिक़ाअ़ नामी पहाड़ तक पहुँचे। हमारी आ़दत थी कि जब हम किसी सायेदार जगह पर पहुँचते तो उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये छोड़ देते। एक मुश्रिक आदमी आया, जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार दरख़्त पर लटकाई गई थी तो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार पकड़ ली और उसे मियान से निकाल लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) को कहने लगा, आप मुझसे डरते हैं? आपने जवाब दिया, 'नहीं।' उसने कहा, तो आपको मुझसे कौन बचायेगा? आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला मुझे तुझसे महफ़ूज़ रखेगा।' रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथियों ने उसे डराया-धमकाया, उसने तलवार मियान में डाली और उसे लटका दिया। उसके बाद नमाज़ के लिये अज़ान दी गई तो आपने गिरोह को दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई। फिर वो गिरोह पीछे चला गया और आपने दूसरे गिरोह को भी दो रकअ़त पढ़ाई। इस तरह आप (ﷺ) ने चार रकआ़त और लोगों ने दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी : 4139)

फ़वाइद : (1) इस हदीस में ग़ोरिस बिन हारिस नामी मुश्रिक का वाक़िया इन्तिहाई इख़्तिसार से बयान किया गया है पूरा वाक़िया इस तरह है कि जब आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला मुझे बचायेगा।' तो तलवार उसके हाथ से गिर गई और बक़ौल इब्ने इस्हाक़, जिब्रईल (अलै.) ने उसको धमका दिया तो तलवार गिर गई। आपने तलवार पकड़कर उसे पूछा और फ़रमाया, 'अब तुम्हें मुझसे कौन बचायेगा?' उसने कहा, आप अच्छे पकड़ने वाले बनिये! क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। आपने फ़रमाया, 'तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ।' उसने कहा, मैं अ़हद करता हूँ कि मैं आप से लड़ाई नहीं करूँगा और न आपसे लड़ने वालों का साथ दूँगा। उसके बाद आपने अपने साथियों को आवाज़ दी, साथी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आ़राबी (देहाती) आपके पास बैठा है। आपने साथियों को वाक़िये से आगाह फ़रमाया। उसके बाद उसे छोड़ दिया। उसने वापस जाकर अपनी क़ौम को इस वाक़िये से आगाह किया और आपकी तारीफ़ की, बाद में वो मुसलमान हो गया। **(2)** इस हदीस से मालूम हुआ कि आपने हर गिरोह को अलग-अलग दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई। इस तरह आपका दूसरा दोगाना नफ़ल था लेकिन दूसरे गिरोह का फ़र्ज़ था। तो मालूम हुआ नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जा सकती है। **(3)** मुसन्निफ़ ने नमाज़ की जितनी सूरतें बयान की हैं, मौक़ा महल के मुताबिक़ सब सूरतें जाइज़ हैं। जिस तरह भी मुम्किन हो नमाज़ पढ़ी जायेगी, इसको छोड़ा नहीं जायेगा। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई ने सहल बिन अबी हस्मा (रज़ि.) की हदीस वाले तरीक़े को पसंद किया है। इमाम अहमद ने हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) की हदीस को, इमाम अबू हनीफ़ा ने जाबिर (रज़ि.) वाले तरीक़े को यानी हदीस नम्बर 308 को।

(1950) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहले एक गिरोह को दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई, फिर दूसरे गिरोह को दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई, इस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार रकआ़त पढ़ीं और हर गिरोह को दो रकआ़त पढ़ाई हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ .

इस किताब के कुल अबवाब 18 और 93 अहादीस़ हैं।

كتاب الجمعة

किताबुल जुमुअ़ह

जुम्अ़ा के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

हदीस़ नम्बर 1951 से 2043 तक

किताबुल जुमुआ का तआरुफ़

ये किताब भी किताबुस्सलात ही का तसलसुल है। हफ़्ते में एक ख़ास दिन का बड़ा इज्तिमाअ, नमाज़ और ख़ुत्बा जुम्आ कहलाता है। इस ख़ुसूसी नमाज़ के लिये अल्लाह तआला ने जो ख़ास दिन मुक़र्रर फ़रमाया उसकी अहमियत के बहुत से पहलू हैं। ये इंसानियत के आग़ाज़ से लेकर अन्जाम तक के अहम वाक़ियात का दिन है। अल्लाह ने इसे बाक़ी दिनों पर फ़ज़ीलत दी और इसमें एक घड़ी ऐसी रख दी जिसमें की गई दुआ की क़ुबूलियत का वादा किया गया है। ये हफ़्तावार इज्तिमाअ तालीम और तज़्कीर के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस इज्तिमाअ में हाज़िरी के ख़ुसूसी आदाब, सफ़ाई-सुथराई और ख़ुश्बू के इस्तेमाल से किताब का आग़ाज़ किया है। फिर तवज्जह से ख़ुत्बा सुनने के बारे में अहादीस़ लाये हैं। इस अहम दिन की नमाज़ और ख़ुत्बे के लिये जल्दी आने, इसकी अदायगी का बेहतरीन वक़्त, दो ख़ुत्बों और नमाज़ की तर्तीब, दुनिया के काम छोड़कर इसमें हाज़िर होने, इसके साथ इमाम की तरफ़ से भी इख़्तिसार मल्हूज़ रखने और वाज़ेह और उम्दा ख़ुत्बा देने की तल्क़ीन पर अहादीस़ पेश कीं। उसके बाद अहादीस़ के ज़रिये से जुम्आ की नमाज़ का तरीक़ा वाज़ेह किया गया है। इसी किताब में जुम्आ की नमाज़े फ़ज्र में क़िरअत, तहिय्यतुल मस्जिद और जुम्आ के बाद की नमाज़ का बयान भी आ गया है। जुम्आ के हवाले से ये एक जामेअ किताब है। इसमें दर्ज अहादीसे मुबारका से इसकी अहमियत व फ़ज़ीलत भी ज़हननशीन होती है और इसकी रूहानी लज़्ज़तों का लुत्फ़ भी दोबाला हो जाता है।

كتاب الجمعة

8. जुम्आ के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " .

(1951) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना, 'तुममें से कोई शख़्स जब जुम्आ के लिये आने का इरादा करे तो वो गुस्ल करे।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " .

(1952) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिम्बर पर खड़े होकर फ़रमाया, 'तुममें से जो जुम्आ के लिये आये वो गुस्ल करे।'
(तिर्मिज़ी : 493, नसाई : 3/106, 7270)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ عَبْدِ

(1953) इमाम साहब ने अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की है।

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ .

(1954) मुसन्निफ़ ने अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . بِمِثْلِهِ .

फ़ायदा : अहले ज़ाहिर का मौक़िफ़ ये है कि जुम्आ के लिये ग़ुस्ल करना फ़र्ज़ है। इमाम मालिक और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है। हाफ़िज़ इब्ने हजर का ख़याल है जुम्आ की सेहत के लिये ग़ुस्ल शर्त नहीं है बल्कि ये एक मुस्तक़िल फ़र्ज़ है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) का नज़रिया है कि अगर इंसान को पसीना आता हो, जो दूसरों के लिये तकलीफ़ का बाइस बनता हो, यानी काम-काज करने वाले लोग, जिनके बदन से बदबू उठ सकती है, उनके लिये ग़ुस्ल करना फ़र्ज़ है। बहरहाल आदाब व अख़्लाक़ और जुम्आ के एहतिराम का तक़ाज़ा यही है कि जुम्आ के लिये ग़ुस्ल किया जाये, अगरचे जुम्हूर के नज़दीक ग़ुस्ल करना सुन्नते मुस्तहब्बा है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का मौक़िफ़ यही है। इमाम मालिक, इमाम लैस़ और इमाम औज़ाई के नज़दीक ग़ुस्ल जुम्आ के लिये जाते वक़्त करना चाहिये। इब्ने उमर की हदीस़ का तक़ाज़ा यही है और जुम्हूर के नज़दीक सुबह के बाद जब चाहे ग़ुस्ल कर सकता है।

(1955) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जुम्आ के दिन लोगों को ख़िताब फ़रमा रहे थे कि इस बीच में रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक सहाबी दाख़िल हुआ तो उमर (रज़ि.) ने उसको आवाज़ दी कि ये आने का कौनसा वक़्त है? उसने जवाब दिया, मैं आज मसरूफ़ था, मैंने घर लौटते ही अज़ान सुनी तो मैं सिर्फ़ वुज़ू करके हाज़िर हो गया हूँ। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, सिर्फ़ वुज़ू ही किया है, हालांकि आपको मालूम है कि

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، . أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ . قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ

أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ल का हुक्म देते थे।
(सहीह बुख़ारी : 877)

फ़ायदा : ये हाज़िर होने वाले हज़रत उ़समान (रज़ि.) थे। मसरूफ़ियत की बिना पर वक़्त का एहसास न हो सका। जब घर पहुँचे तो उस वक़्त अज़ान हो गई और वो वुज़ू करके मस्जिद में हाज़िर हो गये। गुस्ल के मुताल्लिक़ उन्होंने उ़मर (रज़ि.) के ऐतिराज़ का कोई उ़ज़्र पेश नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने गुस्ल नहीं किया था, क्योंकि सहीह मुस्लिम में हमरान से रिवायत है कि उ़समान (रज़ि.) कोई दिन नहीं गुज़रता था जिसमें गुस्ल न करते हों, उ़ज़्र न करने की वजह ये थी कि वो जुम्आ को जाते वक़्त गुस्ल न कर सके थे जो कि अफ़ज़ल था। (फ़तहुल बारी : 878)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ . فَقَالَ عُثْمَانُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ . فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " .

(1956) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जुम्आ के दिन लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे कि इस बीच हज़रत उ़समान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) दाख़िल हुए। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनकी तरफ़ तअ़रीज़ (ऐतराज़) करते हुए कहा, लोगों को क्या हो गया है कि अज़ान के बाद देर लगाते हैं। तो हज़रत उ़समान (रज़ि.) ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! मैंने अज़ान सुनने के बाद वुज़ू करने से ज़्यादा कोई काम नहीं किया, फिर आ गया हूँ। तो उ़मर (रज़ि.) ने कहा, सिर्फ़ वुज़ू ही किया है। क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान नहीं सुना, 'जब तुममें से कोई जुम्आ के लिये आये तो वो गुस्ल करे।'
(सहीह बुख़ारी : 888, अबू दाऊद : 340)

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर और अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत का ज़ाहिरी तक़ाज़ा यही है कि गुस्ल जुम्आ के लिये आते वक़्त करना चाहिये और जुम्आ के लिये गुस्ल शर्त नहीं है। इसलिये हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने हज़रत उ़समान (रज़ि.) को वापस नहीं लौटाया।

باب وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ

बाब 1 : जुम्आ के लिये ग़ुस्ल करना हर बालिग़ मर्द के लिये ज़रूरी है और जिस चीज़ का लोगों को हुक्म दिया गया है उसका बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ، بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .

(1957) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जुम्आ के दिन हर बालिग़ के लिये ग़ुस्ल करना लाज़िम है।'

(सहीह बुख़ारी : 857, 895, 2665, अबू दाऊद : 341, नसाई : 1371, इब्ने माजह : 3/94)

फ़ायदा : इस हदीस़ का ज़ाहिरी मफ़्हूम यही है कि जुम्आ के एहतिराम व अ़ज़मत के लिये ग़ुस्ल करना ज़रूरी है।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا " .

(1958) हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि लोग अ़वाली से अपने घरों से जुम्आ के लिये आते थे और वो ऊनी चादरों में आते थे (रास्ते में) उन पर गर्दो-ग़ुबार पड़ती थी, जिसकी वजह से उनसे बदबू फूटती थी, उनमें से एक इंसान रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और आप (ﷺ) मेरे यहाँ थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ काश! तुम आज के दिन के लिये पाकीज़गी और सफ़ाई हासिल कर लिया करो।'

(सहीह बुख़ारी : 902, अबू दाऊद : 1078)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ

(1959) हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, लोग काम-काज करते थे, उनके नौकर-

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

चाकर नहीं थे, उनसे बदबू उठती थी तो उनसे कहा गया, 'ऐ काश! तुम जुम्आ के दिन नहा लिया करो।'

(सहीह बुख़ारी : 903, अबू दाऊद : 352)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) यन्ताबूनल जुमुअ़ह : वो एक के बाद एक जुम्आ के लिये आते थे, इसलिये बारी-बारी आने का ये मानी नहीं है कि कभी कुछ आते और कभी दूसरे आते। क्योंकि नसाई शरीफ़ की रिवायत में यहज़ुरून का लफ़्ज़ है और मिम् मनाज़िलिहिम अपने घरों से आते थे, भी इसका क़रीना है। **(2) अ़वाली :** मदीना के उन मज़ाफ़ात (आस-पास के इलाक़ों) को कहते हैं, जो बुलंद थे और तीन-चार से सात-आठ मील तक वाक़ेअ़ थे। **(3) अल्अबा :** अबाअह की जमा है ऊनी चादरों को कहते हैं, उस वक़्त लोग ऊँट के बालों से बनाते थे। **(4) कुफ़ातुन :** काफ़िन की जमा है, नौकर-चाकर जो इंसान को काम-काज के लिये किफ़ायत करते हैं। **(5) तफ़ल :** बदबू, काम-काज के कपड़े, जब पसीना आता है तो उनसे बदबू महसूस होती है।

फ़ायदा : इस हदीस़ में जुम्आ के लिये ग़ुस्ल करने का पसे मन्ज़र और सबब बताया गया है, इसलिये जुम्हूर उ़लमा इस पसे मन्ज़र की बिना पर ग़ुस्ल को ज़रूरत पर महमूल करते हैं, इसको जुम्आ के लिये हर एक के लिये लाज़िम क़रार नहीं देते। लेकिन जिस तरह हज में रमल मुश्रिकीन के सामने कुव्वत के इज़हार के लिये किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको बाक़ी रखा गया। उसी तरह शुरू में तो सबब &यही था लेकिन बाद में आपने हुक्मे आ़म दे दिया, जैसाकि अबू सईद (रज़ि.) की रिवायत है

باب الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब 2 : जुम्आ के दिन ख़ुश्बू लगाना और मिस्वाक करना

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ، الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،

(1960) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जुम्आ के दिन ग़ुस्ल हर बालिग़ पर है और मिस्वाक करना और हस्बे इस्तिताअ़त ख़ुश्बू इस्तेमाल करना।'

عَنْ عَمْرِو، بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ " . إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ .

बुकैर की रिवायत में अब्दुर्रहमान का ज़िक्र नहीं है और ख़ुश्बू के बारे में है अगरचे औरत की ख़ुश्बू ही हो।

(सहीह बुख़ारी : 880, अबू दाऊद : 344, नसाई : 3/93)

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . قَالَ طَاوُسٌ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ وَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ .

(1961) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत है उन्होंने जुम्आ के दिन के गुस्ल के बारे में नबी (ﷺ) का फ़रमान बयान किया। ताऊस कहते हैं, 'मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से पूछा, वो ख़ुश्बू या तेल इस्तेमाल करे, अगर उसके घर में मौजूद हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 885)

फ़ायदा : गुस्ल का मक़सद मैल-कुचैल से साफ़ होना है ताकि लोगों को उसके पसीने से तकलीफ़ न हो, इसलिये मुँह की बदबू के इज़ाले के लिये मिस्वाक करनी चाहिये। इमाम इस्हाक़, इमाम दाऊद और इब्ने हज़्म के नज़दीक जुम्आ के लिये मिस्वाक ज़रूरी है। बल्कि इमाम इस्हाक़ के नज़दीक हर नमाज़ के लिये मिस्वाक लाज़िम है। अगर इंसान जान-बूझकर मिस्वाक नहीं करता तो उसकी नमाज़ नहीं होती। इब्ने हज़्म के नज़दीक जुम्आ के सिवा बाक़ी नमाज़ों के लिये मिस्वाक करना सुन्नत है और अक्सर अहले इल्म के नज़दीक जुम्आ हो या ग़ैर जुम्आ, नमाज़ के लिये मिस्वाक करना सुन्नत है लाज़िम या फ़र्ज़ नहीं है।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(1962) मुसन्निफ़ ने मज़्कूरा बाला हदीस़ एक दूसरी सनद से भी बयान की है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

(1963) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला का हर मुसलमान पर हक़ है कि वो हर हफ़्ते में एक बार नहाये, अपने सर और अपने जिस्म को धोये।'

(सहीह बुख़ारी : 896, 3486, नसाई : 3/87)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ " .

(1964) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने जुम्आ के दिन ग़ुस्ले जनाबत किया, फिर मस्जिद चला गया तो उसने गोया एक ऊँट क़ुर्बान किया और जो दूसरी साअ़त में गया तो गोया उसने एक गाय क़ुर्बान की और जो तीसरी घड़ी में गया गोया उसने एक सींगों वाला मेण्ढा क़ुर्बान किया और जो चौथी साअ़त में गया, उसने गोया कि मुर्ग़ क़ुर्बान किया और जो पाँचवीं घड़ी में गया, उसने गोया कि एक अण्डा सदक़ा किया क्योंकि जब इमाम निकल आता है तो फ़रिश्ते ख़ुत्बा (याद दिहानी) सुनने के लिये हाज़िर हो जाते हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 881, अबू दाऊद : 351, तिर्मिज़ी : 499, नसाई : 3/99)

फ़वाइद : (1) जिसने जुम्आ के दिन ग़ुस्ले जनाबत किया, से मुराद अक्सर उलमा के नज़दीक ये है कि

गुस्ले जनाबत की तरह पूरे एहतिमाम से अच्छी तरह ग़ुस्ल किया जाये, लेकिन कुछ ताबेईन के नज़दीक इससे मुराद ताल्लुक़ात के बाद ग़ुस्ल करना मुराद है, इमाम अहमद का एक क़ौल यही है, इमाम क़ुर्तुबी ने भी इसको तरजीह दी है। **(2) अस्साअतुल ऊला** से मुराद नमाज़े फ़ज्र या तुलूअे शम्स के बाद की साआत हैं कि इमाम के ख़ुत्बे जुम्आ के लिये आने तक के वक़्त को फ़ज्र से शुरू करके पाँच हिस्सों में तक़सीम किया जायेगा, पहले हिस्से में आने वाले इस क़द्र सवाब हासिल करेंगे। गोया कि उन्होंने ऊँट क़ुर्बान किया है, इस तरह दूसरे हिस्से में आने वाले बक़रह (गाय) के सदक़ा का सवाब पायेंगे और साआत के इब्तिदा और इन्तिहा इस तरह दरम्यान के ऐतिबार से ये जानवर भी क़द्दो-क़ामत और छोटे-बड़े होने में मुन्क़सिम होंगे यानी जो पहली साअत के शुरू में आयेगा उसका ऊँट क़द्दो-क़ामत और क़ीमत में ज़्यादा होगा और उस साअत के आख़िर में आने वाले का ऊँट क़द्दो-क़ामत और क़ीमत में कम होगा, जुम्हूर उलमा का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक ये पाँच साआत सूरज ढलने से लेकर इमाम की आमद तक शुमार होंगी। मुताख़्ख़िरीन में से इमाम अबुल हसन सिंधी और इमाम मुहम्मद हयात सिंधी ने इसी मौक़िफ़ को इख़्तियार किया है, लेकिन दलाइल की रू से जुम्हूर का मौक़िफ़ मज़बूत है। **(3)** इमाम की आमद के बाद, फ़ज़ीलत वाला सवाब ख़त्म हो जाता है, सिर्फ़ जुम्आ का सवाब हस्बे आमद मिलता है। क्योंकि ख़तीब की आमद पर ज़्यादा सवाब का रजिस्टर बंद हो जाता है और उसके हामिल फ़रिश्ते ख़ुत्बे के सुनने में मशग़ूल हो जाते हैं।

बाब 3 : जुम्आ के दिन ख़ुत्बे में ख़ामोशी इख़्तियार करना

باب فِي الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ‏"‏ ‏.‏

(1965) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुमने जुम्आ के दिन अपने साथी को कहा, चुप रह! जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा है, तो तूने लग़्व (बेजा) काम किया।'

(सहीह बुख़ारी : 394, तिर्मिज़ी : 512, नसाई : 3/103, 3/104)

मुफ़रदातुल हदीस : लग़ौत : बाब नाक़िस है और नसर है और दूसरी हदीस में लगीत है ये लग़िय यल्ग़ा (समिआ) है मानी दोनों का एक है, बेजा, बातिल और मर्दूद बात करना या बेमक़सद, फ़िज़ूल काम करना।

फ़ायदा : इमाम की आमद पर जब अज़ान के बाद ख़ुत्बा शुरू हो जाता है तो उसको ग़ौर व तवज्जह के साथ सुनना ज़रूरी है, यहाँ तक कि अगर कोई इंसान उसकी मुख़ालिफ़त करते हुए बातचीत कर रहा हो तो उसको रोकना भी दुरुस्त नहीं है, ये भी ग़लत इक़्दाम है। अइम्मए अरबआ का यही मौक़िफ़ है। पस अगर इंसान को ख़ुत्बे की आवाज़ न पहुँच रही हो तो जुम्हूर के नज़दीक फिर भी ख़ामोशी ज़रूरी है। इमाम अहमद और इमाम शाफ़ेई के एक क़ौल की रू से ऐसी सूरत में ख़ामोशी ज़रूरी नहीं है।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏.‏ بِمِثْلِهِ ‏.‏

(1966) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ، شِهَابٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ‏.‏

(1967) इमाम साहब एक और सनद से यही रिवायत बयान करते हैं, सनद के एक रावी के नाम में थोड़ा सा फ़र्क़ है कि इससे पहली रिवायत में अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ कहा गया था और इसमें इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन क़ारिज़ आया है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ ‏.‏ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغِيتَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ ‏.‏

(1968) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुमने अपने साथी को जुम्आ के दिन जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा है कहा, चुप रह! तो तूने बेजा और ग़लत काम किया।'

अबू ज़िनाद कहते हैं, असल लुग़त फ़क़द लग़ौत है लेकिन अबू हुरैरह (रज़ि.) की लुग़त फ़क़द लग़ीत है।

फ़ायदा : अगरचे फ़सीह और आम लुग़त की रू से ये बाब नसर यन्सुरु से है, लेकिन क़ुरआन मजीद से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) वाली लुग़त की ताईद होती है क्योंकि क़ुरआन मजीद में है कि काफ़िरों ने

कहा, कुरआन मजीद न सुनो बल्कि वल्ग़ौ फ़ीहि उसमें बेजा बातें करो, शोर व शग़ब डालो तो अगर ये नसर से होता तो ग़ैन पर पेश आना चाहिये था, जबकि कुरआन में ज़बर है।

باب فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

बाब 4 : जुम्आ के दिन आने वाली साअ़त (घड़ी)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ " فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

(1969) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुम्आ का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, 'इसमें एक साअ़त (टाइम) है जिसे मुसलमान बन्दा नमाज़ की हालत में पा ले तो वो अल्लाह तआ़ला से जो भी माँगेगा उसको मिल जायेगा।' कुतैबा ने अपनी रिवायत में इज़ाफ़ा किया कि आपने हाथ के इशारे से उस साअ़त की क़िल्लत (थोड़ा होने) को बयान किया।

(सहीह बुख़ारी : 935)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " .وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

(1970) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जुम्आ में एक घड़ी है जिसे मुसलमान नमाज़ में खड़ा पा लेता है तो अल्लाह तआ़ला से जिस ख़ैर का सवाल करता है, अल्लाह तआ़ला उसे वही दे देता है।' और आपने हाथ से उसकी क़िल्लत और थोड़ा होने को बयान किया।

(सहीह बुख़ारी : 6400, नसाई : 3/116)

मुफ़रदातुल हदीस़ : युक़ल्लिलुहा युज़ह्हिदुहा : दूसरा लफ़्ज़ अपने लफ़्ज़ की ताकीद है क्योंकि तज़्हीद का मानी भी तक़्लील है। क्योंकि कम और हक़ीर चीज़ से ही इंसान बेरग़बती और परहेज़ करता है।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

(1971) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूर रिवायत बयान करते हैं।
(सहीह बुख़ारी : 6400)

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

(1972) इमाम साहब एक और सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، -يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ

(1973) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जुम्आ में एक साअत (घड़ी) है जिसे मुसलमान अल्लाह तआला से ख़ैर का सवाल करते हुए पाता है तो उसे उसका सवाल मिल जाता है और ये एक ख़फ़ीफ़ और छोटी सी साअत है।'

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَلَمْ يَقُلْ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

(1974) मुसन्निफ़ साहब यही रिवायत एक दूसरी सनद से लाये हैं लेकिन इसमें साअते ख़फ़ीफ़ह का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ، بُكَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى

(1975) हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) के बेटे अबू बुरदा की रिवायत है कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने पूछा, क्या तूने अपने बाप से जुम्आ की साअत के बारे में हदीस़ सुनी है? मैंने कहा, हाँ! मैंने उनसे ये कहते हुए सुना है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को

الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ.»

फ़रमाते सुना, 'ये इमाम के बैठने से लेकर नमाज़ के पढ़ने तक है।'
(अबू दाऊद : 1049)

फ़ायदा : जुम्आ की उस ख़ास घड़ी के बारे में बहुत सारे इख़्तिलाफ़ात हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने चालीस से ज़्यादा अक़्वाल नक़ल किये हैं, लेकिन सहीह तरीन क़ौल दो हैं जो अहादीस़ से स़ाबित हैं। अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) की रिवायत से स़ाबित होता है कि ये साअ़त इमाम के मिम्बर पर बैठने से लेकर नमाज़ के इख़्तिताम तक है और मुस्नद अहमद और सुनन में मुख़्तलिफ़ सहाबा की रिवायात से मालूम होता है कि ये अ़सर के बाद है। इसलिये कुछ ने मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत को तरजीह दी है और अक्स़रियत के नज़दीक ये अ़सर के बाद है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने दलाइल से तरजीह अ़सर के बाद की साअ़त को दी है लेकिन ये भी लिखा है कि लोगों के इज्तिमाअ़, उनकी नमाज़, उनकी अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी और तज़र्रोअ़ और गिड़-गिड़ाना को भी दुआ की क़ुबूलियत में दाख़िल है। इसलिये हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी उम्मत को इन दोनों औक़ात में दुआ और अल्लाह के सामने गिड़-गिड़ाने की तरग़ीब दी है और इसका शौक़ व आमादगी दिलाई है। लेकिन ये दोनों औक़ात ऐसे हैं कि इनमें इंसान नमाज़ नहीं पढ़ सकता है। इसलिये क़ाइम युसल्ली खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता है, में तावील की ज़रूरत है। इसका या तो ये मानी करना होगा कि क़ियाम से मुराद मुवाज़िबत और पाबंदी है और सलात से मुराद दुआ है कि वो दुआ पर मुवाज़िबत और पाबंदी करता है या इन्तिज़ारे सलात मुराद होगा कि वो नमाज़ का मुन्तज़िर है। जैसाकि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) से इस साअ़त के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो जुम्आ के दिन की आख़िरी साअ़त है। मैंने ऐतिराज़ किया तिल्कस्साअ़तु ला युसल्ला फ़ीहा 'इस घड़ी में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती' तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या नबी (ﷺ) ने ये नहीं फ़रमाया कि जो इंसान नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा है फ़हु-व फ़ी सलात 'वो नमाज़ ही पढ़ रहा है।' तो मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, बस यही बात है और इब्ने माजह की रिवायत में ये है कि ये सवाल हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया था तो आपने उन्हें यही जवाब दिया था। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि ये साअ़त तो अ़सर के बाद ही है लेकिन मतलूब दोनों जगह दुआ करना है और इससे ये भी स़ाबित हुआ

कि ख़ुत्बे के दौरान दुआ माँगना इन्सात और ख़ामोशी के मुनाफ़ी नहीं है (क्योंकि अ़ल्लामा शामी के बक़ौल तो ये साअ़त इमाम के मिम्बर पर बैठने से लेकर फ़राग़ते नमाज़ तक है, शरह सहीह मुस्लिम अ़ल्लामा सईदी, जिल्द 2 पेज नं. 648)

बाब 5 : जुम्आ के दिन की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا " .

(1976) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है, जुम्आ का दिन है। इसमें आदम (अलै.) पैदा किये गये और इसी में जन्नत में दाख़िल किये गये और इसी में उससे निकाले गये।'
(नसाई : 3/90)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ " .

(1977) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उन सारे दिनों में जिनमें सूरज निकलता है (यानी हफ़्ते भर के दिनों में) सबसे बेहतरीन दिन जुम्आ का है, इसमें आदम (अलै.) की तख़्लीक़ हुई और इसी में जन्नत में दाख़िल किये गये और इसी में उसमें से निकाले गये और क़यामत भी जुम्आ ही के दिन क़ायम होगी।'
(तिर्मिज़ी : 488)

फ़ायदा : वक़्त की फ़ज़ीलत और बरतरी का इन्हिसार उन बड़े-बड़े अहम वाक़ियात पर है जो उसमें अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वाक़ेअ़ होते हैं या वाक़ेअ़ होंगे या अल्लाह तआ़ला के इन्आ़मात व

इनायात पर है जो इस दिन इंसानों पर होते हैं। जुम्आ के दिन की बरतरी का बाइस भी यही उमूर हैं कि इसमें नस्ले इंसानी के जद्दे आला (आदम) को पैदा किया गया। फिर अल्लाह तआला की रहमत के महल में उनको आरिज़ी तौर पर रखा गया ताकि उनके दिल में उसकी मुहब्बत और उसके हुसूल की लगन पैदा हो, फिर उनको नस्ले इंसानी का सिलसिला शुरू करने के लिये दुनिया में भेजा गया ताकि दुनिया में आकर वो उनकी औलाद अल्लाह तआला के नाज़िल करदा दस्तूरे ज़िन्दगी के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ार कर जन्नत में दाइमी तौर पर रहने की सलाहियत का इज़हार करके उसके हुसूल का इस्तिहक़ाक़ पैदा करें और फ़रिश्तों के सामने दुनिया में ख़िलाफ़त के निज़ाम के कमालात व ख़ूबियों का ज़ुहूर हो जिसकी तरफ़ अल्लाह तआला ने इन्नी अअ्लमु मा ला तअ्लमून में इशारा फ़रमाया है और आख़िरकार क़यामत बर्पा करके दुनिया में अल्लाह तआला की हिदायात के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने वालों को इन्आम व इक्राम से नवाज़ा जाये, उसने जुम्आ में पेश आने वाले तमाम उमूर अल्लाह तआला की हिक्मत व क़ुदरत और रहमत के ज़ुहूर का बाइस होने की बिना पर उस दिन की फ़ज़ीलत और बरतरी का सबब हैं। आदम (अलै.) का जन्नत से इख़राज भी दरहक़ीक़त जन्नत में मुस्तक़िल और दाइमी रिहाइश का पेश ख़ेमा (अल्टीमेट) होने की बिना पर नेमत है क्योंकि जन्नत में उनका दाख़िला आरिज़ी था। उनको पैदा तो ख़िलाफ़ते अरज़ी ही के लिये किया गया था। जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, इन्नी जाइलुन फ़िल्अर्ज़ (बेशक मैं ज़मीन में ख़लीफ़ा पैदा करने वाला हूँ)

बाब 6 : जुम्आ के दिन के लिये इस उम्मत की रहनुमाई

باب هِدَايَةِ هَذِهِ الأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

(1978) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हम सबसे आख़िर में आने वाले हैं और क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे। इसलिये कि हर उम्मत को किताब हमसे पहले दी गई और हमें उनके बाद दी गई। फिर ये दिन जिसको अल्लाह तआला ने हमारे लिये ज़रूरी ठहराया था। अल्लाह तआला ने इसके लिये हमारी रहनुमाई फ़रमाई। लोग इसके ऐतिबार से हमारे ताबेअ (पीछे) हैं। यहूद की

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ

لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ " .

इबादत का दिन जुम्आ के अगला यानी हफ़्ते का दिन है और नसारा का दिन उसके बाद का है यानी इतवार है।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . بِمِثْلِهِ .

(1979) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हम सबके बाद आने वाले हैं और क़यामत के दिन हम सबसे आगे होंगे।' आगे मज़्कूरा वाला हदीस़ है।

फ़ायदा : आदम (अलै.) से नस्ले इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ और उनके लिये आसमानी हिदायात का इन्तिज़ाम किया गया और हर दौर में अपने-अपने वक़्त पर इंसानों की रहनुमाई के लिये नबी और रसूल आते रहे और उनकी उम्मतें बनती गईं। उनमें तीन उम्मतें सबसे बरतर हैं और उनके अम्बिया उलुल अ़ज़्म रसूल हैं और सबसे आख़िर में आने वाली उम्मत उम्मते मुस्लिमा है जिसको ये फ़ज़ीलत हासिल है कि वो ख़ैरुल उमम होने की बिना पर क़यामत के दिन हर मामले में पेश-पेश होगी। बैद के मानी तीन बन सकते हैं। इसका मानी अगर ग़ैर कर लें तो नस होगा कि पहली उम्मतों को ये जुज़्वी फ़ज़ीलत और बरतरी हासिल है कि उनको अल्लाह की किताब हमसे पहले मिली और अगर इसका मानी अ़ला या मअ़ करें तो मानी होगा इसके बावजूद कि वो दुनिया में किताब पहले दिये गये। हमें आख़िरत में उन पर सबक़त और तक़द्दुम हासिल होगा। अगर इसका मानी अजल लें तो मानी होगा हम इसलिये आख़िर में हैं क्योंकि उन्हें किताब हमसे पहले इनायत की गई। हफ़्ते में एक दिन, इज्तिमाअ़ व मसर्रत और ईद का होता है। इसमें हमें बड़ी उम्मतों यहूदो-नसारा पर तक़द्दुम हासिल है। यहूदियों के इज्तिमाअ़ और ईद का दिन हफ़्ता है और ईसाइयों का इतवार। जबकि हमारा ईद का दिन या हफ़्तावार इज्तिमाअ़ और इबादत का दिन जुम्आ है जो उनसे पहले है और ये अल्लाह तआ़ला का हम पर फ़ज़्ल व करम और उसकी हिदायत व तौफ़ीक़ का नतीजा है कि हमने हफ़्तावारी ईद और इज्तिमाअ़ के लिये इस दिन का इन्तिख़ाब किया और यहूदो-नसारा की तरह अल्लाह तआ़ला के इस मत्लूब और महबूब दिन को नज़र अन्दाज़ नहीं किया।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي

(1980) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हम आख़िर में हैं और क़यामत के दिन

صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَهُ - قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ - فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى " .

अव्वल होंगे और हम जन्नत में दाख़िल होने वालों में अव्वल होंगे। हाँ ये बात है उन्हें किताब हम से पहले दी गई और हमें उनके बाद दी गई और उन्होंने (इज्तिमाअ के दिन में) इख़्तिलाफ़ किया और हमारी अल्लाह तआला ने रहनुमाई फ़रमाई इस हक़ के सिलसिले में, जिसमें उन्होंने इख़्तिलाफ़ किया था। ये (जुम्आ का दिन) वो दिन है जो उनके लिये मुक़र्रर किया गया था और उन्होंने इसके बारे में इख़्तिलाफ़ किया, अल्लाह तआला ने इसके बारे में (यानी जुम्आ के दिन के लिये) हमारी रहनुमाई फ़रमाई। आज का दिन हमारा है और अगला दिन यहूद का है और उससे अगला दिन ईसाइयों का है।'

फ़ायदा : इमाम इब्ने बत्ताल और क़ाज़ी अयाज़ (रह.) के नज़दीक हफ़्ते में एक दिन इज्तिमाअ व इबादत के लिये मुक़र्रर करने का इख़्तियार यहूद को भी दिया गया और ईसाइयों को भी। अल्लाह तआला चाहता था कि वो इस मक़सद के लिये जुम्आ के दिन का इन्तिख़ाब करें, लेकिन वो इस इन्तिख़ाब में नाकाम हो गये। यहूद ने हफ़्ते का दिन मुन्तख़ब कर लिया और ईसाइयों ने इतवार का और बक़ौल इमाम नववी उनके लिये जुम्आ का दिन मुतअय्यन था लेकिन उन्होंने इस मसले में इख़्तिलाफ़ किया कि क्या हमारे लिये इसको तब्दील करने की गुंजाइश है या नहीं। फिर ये समझकर कि तब्दील करना जाइज़ है, उन्होंने इस दिन को बदल डाला। अगली हदीस से मालूम होता है कि उनके लिये जुम्आ का दिन ही मुक़र्रर था लेकिन उन्होंने हस्बे आदत अपने पैग़म्बरों की मुख़ालिफ़त करते हुए इसको तब्दील कर डाला। लेकिन अल्लाह तआला ने मुसलमानों को तौफ़ीक़ दी, अन्सार ने हिज्रत से पहले ही हज़रत सअद बिन ज़ुरारह की सरकर्दगी में इस दिन जमा होना शुरू कर दिया था। जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सबसे पहला जुम्आ बनू सालिम बिन औफ़ में पढ़ा था। मस्जिदे नबवी की तामीर बाद में हुई थी।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ

(1981) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हम आख़िर में हैं और क़यामत के दिन सबसे

بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ " .

पहले होंगे। इसलिये कि उन लोगों को किताब हमसे पहले दी गई और हमें उनके बाद दी गई और ये उनका वही दिन है जो उन पर फ़र्ज़ किया गया था और उन्होंने इसके बारे में इख़्तिलाफ़ किया और अल्लाह तआ़ला ने हमारी इसके बारे में रहनुमाई फ़रमाई। इसलिये वो लोग इस सिलसिले में हमारे पीछे हैं, यहूद का आइन्दा कल है और नसारा का परसों है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ " . وَفِي رِوَايَةِ وَاصِلٍ الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ .

(1982) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला ने हमसे पहले लोगों को जुम्आ भुला दिया (जुम्आ से फेर दिया) इसलिये यहूद के लिये हफ़्ते का दिन है और नसारा के लिये इतवार का दिन है। उनके बाद अल्लाह हमें लाया, तो जुम्आ के बारे में हमें हिदायत दी (इस तरह अ़ज़मत व तअ़ज़ीम के) दिन जुम्आ, हफ़्ता और इतवार को ठहराया। (जिस तरह वो इस सिलसिले में पीछे हैं) उसी तरह क़यामत के दिन वो हमारे पीछे होंगे। अहले दुनिया में हम, सबके बाद की उम्मत हैं और क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे, जिनका फ़ैसला तमाम लोगों से पहले किया जायेगा।'

वासिल की रिवायत में अल्मक़जिय्यु लहुम की बजाए अल्मक़ज़िय्यु बैनहुम है। उनके आपसी फ़ैसले सबसे पहले होंगे।

(नसाई : 3/87, इब्ने माजह : 1083)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ، حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا " . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ .

(1983) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमारी जुम्आ के बारे में रहनुमाई की गई और हमसे पहले लोगों को अल्लाह तआला ने इससे फिसला (बहका) दिया।' आगे ऊपर वाली रिवायत के हम मानी रिवायत है।

باب فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब 7 : जुम्आ के दिन जल्द जाने की फ़ज़ीलत

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الأَغَرُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ.«

(1984) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब जुम्आ का दिन होता है तो मस्जिद के दरवाज़ों में से हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते आने वालों की तर्तीब से, पहले फिर पहले का नाम लिखते हैं और जब ख़तीब मिम्बर पर बैठ जाता है तो वो आमाल नामे लपेट देते हैं और वअ़ज़ व नसीहत (तज़्कीर व याद दिहानी) सुनने लगते हैं और जल्द आने वाले की मिसाल उस इंसान की है जो ऊँट क़ुर्बान करता है फिर उसकी तरह जो गाय क़ुर्बान करता है, बाद वाला उसकी तरह जो मेण्ढा क़ुर्बान करता है, फिर उसके बाद वाला उसकी तरह जो मुर्ग़ी क़ुर्बान करता है फिर उसकी तरह जो अण्डा सदक़ा करता है।'

(सहीह बुख़ारी : 3211, नसाई : 3/97-98)

(1985) इमाम साहब एक और सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।
(नसाई : 3/98, इब्ने माजह : 1092)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

(1986) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मस्जिद के दरवाज़ों में से हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते पहले आने वाले फिर पहले आने वाले का नाम लिखता है।' आपने ऊँट की मिसाल बयान की, फिर उनके दरजात व मनाज़िल को बतदरीज कम करके आख़िर में अण्डे की मिसाल दी और जब इमाम मिम्बर पर बैठ जाता है तो वो रजिस्टर (आमाल नामे) लपेट देते हैं और ज़िक्र (याद दिहानी) सुनने के लिये हाज़िर हो जाते हैं।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ - مَثَّلَ الْجَزُورَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ - فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذِّكْرَ " .

बाब 8 : ख़ुत्बे में ख़ामोश रहने और सुनने वाले की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ

(1987) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने गुस्ल किया, फिर जुम्आ के लिये आ गया और उसके मुक़द्दर में जितनी नमाज़ थी पढ़ी। फिर चुप रहा यहाँ तक कि ख़तीब अपने ख़ुत्बे से फ़ारिग़ हो गया, फिर उसके साथ नमाज़ में शिरकत इख़्तियार की। उसके दूसरे जुम्आ तक के गुनाह माफ़ हो जायेंगे और तीन दिन के ज़ाइद।'

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا " .

(1988) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख़्स ने वुज़ू किया और वुज़ू अच्छी तरह किया। फिर जुम्आ के लिये आया। ख़ुत्बे पर कान धरे और चुप रहा, उसके उस जुम्आ और अगले जुम्आ के दरम्यान के गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे और तीन दिन ज़ाइद के और जो कंकरियों से खेला उसने लग़व और फ़िज़ूल काम किया।'

(अबूदाऊद:1050, तिर्मिज़ी:498, इब्नेमाजह: 1090)

फ़ायदा : हर नेकी का सवाब कम से कम दस गुना है। इसलिये जो इंसान बड़े एहतिमाम के साथ गुस्ल करके, ख़ुत्बे से पहले जुम्आ के लिये आता है और मक़्दूर (ताक़त) भर नफ़्ल व नवाफ़िल पढ़ता है और ख़ुत्बा शुरू होने पर तवज्जह के साथ, ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनता है तो उसके दस दिन के सग़ीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और बाक़ी अज्र व सवाब अलग है।

باب صَلاَةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

बाब 9 : जुम्आ की नमाज़ सूरज के ढलने पर है

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا . قَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ فِي أَىِّ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ .

(1989) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे फिर वापस आकर अपने पानी लादने के ऊँटों को आराम पहुँचाते थे। हसन कहते हैं मैंने जअफ़र से पूछा, ये किस वक़्त की बात है? उसने कहा, सूरज के ढलने के वक़्त की।

(नसाई : 3/100)

(1990) जअफ़र के बाप मुहम्मद ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ किस वक़्त पढ़ते थे? उन्होंने कहा, आप जुम्आ पढ़ाते, फिर हम अपने पानी लादने के ऊँटों के पास जाते और उन्हें आराम पहुँचाते। अब्दुल्लाह की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, जिस वक़्त सूरज ढल जाता। जिमाल से मुराद नवाज़िह है मुराद पानी लादने वाले ऊँट हैं।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا . زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ يَعْنِي النَّوَاضِحَ .

(1991) हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं, हम क़ैलूला और खाना जुम्आ के बाद खाते थे। इब्ने हजर की रिवायत में इज़ाफ़ा है रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में।
(सहीह बुख़ारी : 939, इब्ने माजह : 1099)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ - زَادَ ابْنُ حُجْرٍ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1992) हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुम्आ आफ़ताब के ज़वाल (सूरज के ढ़लने) पर पढ़ते थे। फिर वापस लौटते और साया तलाश करते थे।
(सहीह बुख़ारी : 4168, अबू दाऊद : 1085, नसाई : 3/100, इब्ने माजह : 1100)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَىْءَ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ .

(1993) हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) की रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुम्आ पढ़ते और वापस लौटते तो दीवारों का साया इस क़द्र न होता कि हम उनके साये में चल सकते।

फ़ायदा : रिवायाते मज़्कूरा बाला (पिछली रिवायतों) से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ की नमाज़ जल्द पढ़ते थे और ख़ुत्बा लम्बा-चौड़ा नहीं देते थे। क्योंकि नमाज़े जुम्आ के बाद दीवारों का साया बहुत नहीं फैला होता था कि इंसान उसकी आड़ में आराम से चल सके, जिससे मालूम होता है कि आप जुम्आ ज़वाले आफ़ताब से पहले शुरू करते थे और इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ का मौक़िफ़ यही है और मुख़्तलिफ़ रिवायात को सामने रखने से मालूम होता है कि आपने कई बार जुम्आ ज़वाल से पहले शुरू किया है। लेकिन आपकी आ़म आ़दते मुबारका यही थी कि आप जुम्आ ज़वाल के बाद शुरू करते थे लेकिन वक़्त ज़्यादा नहीं लगाते थे। लेकिन मौलाना सफ़िउर्रहमान (रह.) के बक़ौल मदीना मुनव्वरा में ज़वाल के वक़्त साया बहुत कम होता है यानी आधा बालिश्त से भी कम होता है इसलिये अगर जुम्आ ज़वाल के फ़ौरन बाद शुरू कर दिया जाये तो जुम्आ के बाद दीवारों के साया इस क़द्र नहीं होता कि उसमें चला जा सके।

باب ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

बाब 10 : नमाज़े जुम्आ से पहले दो ख़ुत्बे हैं और उनके दरम्यान बैठा जायेगा

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ، - قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ . قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ .

(1994) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते फिर बैठ जाते। फिर खड़े हो जाते, जैसाकि आज-कल करते हो।

(सहीह बुख़ारी : 920, तिर्मिज़ी : 506)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ .

(1995) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) दो ख़ुत्बे देते थे, उनके दरम्यान बैठते थे, कुरआन पढ़ते और लोगों को वअ्ज़ व नसीहत फ़रमाते।

(अबू दाऊद : 1094)

फ़ायदा : ख़ुत्ब-ए-जुम्आ का असल मक़सद कुरआन के ज़रिये लोगों को तज़्कीर, याद दिहानी है कि उन्हें उनका मक़सदे ज़िंदगी याद दिलाया जाये।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ، سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَىْ صَلاَةٍ.

(1996) सिमाक हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा खड़े होकर देते थे, फिर बैठ जाते, फिर खड़े होकर ख़ुत्बा देते। इसलिये जिसने तुम्हें ये बताया है कि आप बैठ कर ख़ुत्बा देते थे, उसने झूठ बोला, अल्लाह की क़सम! मैंने आपके साथ दो हज़ार से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं।

(अबू दाऊद : 1093)

फ़ायदा : जुम्आ के लिये दो ख़ुत्बे हैं, जिनके दरम्यान बैठा जायेगा और ख़ुत्बा खड़े होकर देना सुन्नत है और बैठकर ख़ुत्बा देना ख़िलाफ़े सुन्नत है।

باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}

बाब 11 : अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'जब तिजारत या कोई मश्ग़ला देखते हैं तो तुझे खड़ा छोड़कर उसकी तरफ़ दौड़ जाते हैं।'

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، -قَالَ عُثْمَانُ

(1997) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन खड़े होकर ख़ुत्बा दे रहे थे कि

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}

शाम से ग़ल्ले का क़ाफ़िला आ गया। लोग उसकी तरफ़ चले गये यहाँ तक कि पीछे सिर्फ़ बारह आदमी रह गये। तो सूरह जुम्आ की ये आयत नाज़िल की गई, 'और जब तिजारत या खेल, मश्ग़ला देखते हैं तो उसकी तरफ़ भाग खड़े होते हैं और आपको खड़ा छोड़ जाते हैं।' (सहीह बुख़ारी : 936, 2058, 4899, तिर्मिज़ी : 3311)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ . وَلَمْ يَقُلْ قَائِمًا .

(1998) इमाम साहब यही रिवायत दूसरे उस्ताद से इसी सनद से बयान करते हैं उसमें है रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे। क़ाइमा खड़े होकर का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي الطَّحَّانَ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَأَبِي، سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً أَنَا فِيهِمْ - قَالَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ } وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا{ إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(1999) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम जुम्आ के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि एक छोटा सा क़ाफ़िला आ गया। तो लोग निकलकर उसकी तरफ़ चले गये, सिर्फ़ बारह आदमी रह गये मैं भी उनमें था। इस पर अल्लाह तआला ने आयत उतारी, 'और जब उन्होंने तिजारत या खेल व मश्ग़ला देखा तो उसकी तरफ़ भाग गये और आपको खड़ा छोड़ गये।' पूरी आयत उतरी।

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَسَالِمِ، بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - قَالَ - وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}

(2000) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत है कि इस दौरान में कि नबी (ﷺ) जुम्आ के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक ग़ल्ले का क़ाफ़िला मदीना आ गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथी उसकी तरफ़ लपके यहाँ तक कि आपके साथ सिर्फ़ बारह आदमी रह गये। उनमें अबू बकर और उ़मर भी मौजूद थे और ये आयत उतरी, 'और जब उन्होंने तिजारत या मशग़ला देखा, उसकी तरफ़ दौड़ गये।'

फ़ायदा : इन अहादीस़ में शुरूआती दौर का एक वाक़िया बयान किया गया है। जबकि मदीना में ग़ल्ले की क़िल्लत थी अचानक जुम्आ के दौरान एक ग़ल्ले का क़ाफ़िला पहुँचा ज़रूरत की बिना पर सहाबा किराम ग़ल्ला ख़रीदने के लिये चले गये कि ताख़ीर की बिना पर हम कहीं महरूम न रह जायें और कुछ मुरसल रिवायात से ये भी मालूम होता है कि उस वक़्त तक जुम्आ का ख़ुत्बा नमाज़े जुम्आ के बाद होता था। नीज़ सहाबा किराम ने ये ख़्याल किया कि हम जल्द ही ग़ल्ले की ख़रीदारी से फ़ारिग़ होकर वापस आ जाते हैं। तो दोनों काम हो जायेंगे, इस पर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से तम्बीह उतरी तो आइन्दा के लिये वो हज़रात मोहतात हो गये और फिर कभी ये वाक़िया पेश नहीं आया और सहाबा किराम ने हर काम और हर मशग़ले पर नमाज़ को तरजीह दी।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}

(2001) हज़रत कअ़ब बिन उ़जरह (रज़ि.) से रिवायत है कि वो मस्जिद में आये जबकि अ़ब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम बैठकर ख़ुत्बा दे रहा था, तो उन्होंने फ़रमाया, 'इस ख़बीस़ को देखो, बैठकर ख़ुत्बा दे रहा है जबकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, 'और जब उन्होंने तिजारत या मशग़ला देखा, उसकी तरफ़ दौड़ गये और तुम्हें खड़े छोड़ दिया।'
(नसाई : 3/102)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) कोई ख़िलाफ़े सुन्नत काम देखकर बर्दाश्त नहीं करते थे ऐसा काम करने वाले को फ़ोरन तम्बीह करते थे। इसलिये जब हज़रत कअ़ब बिन उ़जरह (रज़ि.) ने अ़ब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम को बैठकर ख़ुत्बा देते हुए देखा तो बरमला कहा, इस ख़बीस़ को देखो। यानी उसको ख़बीस़ के नाम से पुकारा।

باب التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

बाब 12 : जुम्आ छोड़ने पर शिद्दत व सख़्ती

وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي أَخَاهُ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ " .

(2002) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप बरसरे मिम्बर फ़रमा रहे थे, 'जुम्आ छोड़ने वाले लोग या तो अपनी इस हरकत से बाज़ आ जायें या ये होगा कि अल्लाह तआ़ला (उनके गुनाह की पादाश में) उनके दिलों पर मुहर लगा देगा। फिर वो ग़ाफ़िलों ही में से हो जायेंगे।'

(नसाई : 3/89, इब्ने माजह : 794)

फ़ायदा : इस हदीस़ से जुम्आ की ग़ैर मामूली अहमियत साबित होती है और इससे ये भी मालूम होता है कि मअ़सियात व मुन्करात (बुराइयों) का आ़दी हो जाने की सूरत में इंसान अल्लाह तआ़ला की नज़्रे करम से महरूम हो जाता है और उसके दिल पर मुहर लगा दी जाती है जिसकी वजह से इंसान नेकी व ख़ैर की सलाहियत और इस्तिअ़दाद से महरूम हो जाता है और उसको नेकी की तौफ़ीक़ नहीं मिलती।

باب تَخْفِيفِ الصَّلاَةِ وَالْخُطْبَةِ

बाब 13 : नमाज़े जुम्आ और ख़ुत्बे में तख़्फ़ीफ़

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

(2003) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ता था आपकी नमाज़ दरम्यानी थी और आपका ख़ुत्बा दरम्याना था।

(तिर्मिज़ी : 507, नसाई : 3/191)

(2004) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) की रिवायत है कि मैं नमाज़ें रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ पढ़ता था आपकी नमाज़ भी दरम्यानी थी और आपका ख़ुत्बा भी दरम्याना था।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ زَكَرِيَّاءُ عَنْ سِمَاكٍ.

फ़ायदा : इस्लाम का असल कमाल और ख़ूबी यही है कि इसमें ऐतिदाल व तवस्सुत और दरम्याना रवी है। किसी जगह भी इफ़रात व तफ़रीत नहीं है। इस उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक़ आपकी नमाज़ और ख़ुत्बे में न बहुत तूल (लम्बा) होता और न बहुत इख़्तिसार (छोटा) बल्कि दोनों की मिक़्दार मोतदिल और मुतवस्सित होती थी। इसलिये ख़ुत्बे में ऐतिदाल ख़तीब की सूझ-बूझ और अक़्ल व दानिश की अलामत है।

(2005) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवातय है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ख़ुत्बा देते थे तो आपकी आँखें सुर्ख़ हो जाती थीं, आवाज़ बुलंद हो जाती थी और सख़्त गुस्से और जलाल की कैफ़ियत तारी हो जाती थी यहाँ तक कि ऐसे महसूस होता था कि गोया कि आप लश्कर से डरा रहे हैं। फ़रमाते थे, 'सुबह हमलावर होगा या शाम को।' और फ़रमाते थे, 'मेरी बिअ़सत और क़यामत की आमद इन दो उंगलियों की तरह है और आप अपनी अंगुश्ते शहादत (शहादत की उंगली) और दरम्यानी उंगली को मिला लेते थे।' और फ़रमाते थे, 'हम्द व सलात के बाद, बिला शुब्हा बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन तरीक़ा या बेहतरीन इरशाद व रहनुमाई मुहम्मद का तरीक़ा (तर्ज़े अमल) या आपकी रहनुमाई है और बदतरीन

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ " صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ " . وَيَقُولُ " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ " . وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " . ثُمَّ يَقُولُ " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ

مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ " .

काम, नये काम हैं और हर नया काम गुमराही है।' फिर फ़रमाते थे, 'मैं हर शख़्स की जान पर (उसके मामलात के सिलसिले में) उससे ज़्यादा हक़दार हूँ। जिस शख़्स ने माल छोड़ा वो तो उसके वारिसों का है और जिसने क़र्ज़ या अहलो-अयाल छोड़ा, उनकी परवरिश मेरी तरफ़ है और मैं उनका ज़िम्मेदार हूँ।'

(नसाई : 3/188-189, इब्ने माजह : 45)

फ़वाइद : (1) आपका ख़ुत्बा इन्तिहाई पुरजोश और पुर जलाल ख़ुत्बा होता था। आँखों में जलाल उतर आता था। आवाज़ बुलंद हो जाती थी ताकि आपकी आवाज़ सब तक पहुँच जाये और आपके गुस्से में इज़ाफ़ा हो जाता था। ताकि लोग पूरे एहतिमाम और ध्यान के साथ बात सुनें और उनको अहमियत दें और ज़ाहिर है ये हाल हर ख़ुत्बा में नहीं होता था। क्योंकि ख़तीब की कैफ़ियत और उसकी हरकात व सकनात और उसका उस्लूबे बयान ख़ुत्बा के मज़मून के मुताबिक़ होता है यानी हाल और क़ाल में मुताबिक़त व यकसानियत है। ये इस सूरत में होता था जबकि आप क़यामत की हौलनाकियों और उसकी तबाही व बर्बादी से डराते थे। या इंसानों को उनके बुरे कामों और गुनाहों की पादाश से डराते थे। दुश्मन की तबाहकारी से डराकर उससे अपने बचाव और हिफ़ाज़त पर आमादा करते थे और अंगुश्ते शहादत और दरम्यानी उंगली को मिलाकर इस तरह इशारा फ़रमाते थे, जिस तरह ये दोनों क़रीब-क़रीब है अब मेरे दरम्यान और क़यामत के दरम्यान कोई रसूल या नबी आने वाला नहीं है। मेरी ही बिअसत के दौर में क़यामत आनी है। इसलिये उसकी तैयारी और एहतिमाम कर लो। **(2)** जिस तरह अल्लाह तआला की ज़ात सबसे बुलंद व बाला है उसी तरह उसका कलाम भी सबसे अशरफ़ और आला है और दीन व दुनिया की तमाम ज़रूरी हिदायात व तालीमात पर मुश्तमिल है। **(3)** अगर लफ़्ज़ हदा हा के ज़बर और दाल के सुकून के साथ हो तो मानी होगा तरीक़ा, रवैया, तर्ज़े अमल, सीरत और अगर हा के पेश और दाल के ज़बर के साथ हो तो मानी होगा दलालत व इरशाद यानी रहनुमाई होगा। मक़सद ये है कि इंसान के लिये आपका रवैया और तर्ज़े अमल ही उस्वा और नमूना है और आपकी रहनुमाई में चलना ही कामयाबी व कामरानी का ज़ामिन है। **(4)** कुल्लु बिदअतिन ज़लालह : इस बात की खुली दलील है कि हर मुहदसे दीन यानी दीन में नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। इसलिये बिदअत की अक़्साम बनाना ग़लत है। इमाम शातबी ने तफ़्सील से इसकी तर्दीद की है और बिदअत का ताल्लुक़ सिर्फ़ दीनी उमूर और ऐतिक़ादात व इबादात से है जिनमें तग़य्युर व तबद्दुल की ज़रूरत नहीं है। नये-नये पेश आमदा मसाइल जो किताबो-सुन्नत की नुसूस की रोशनी में हल किये जाते

हो या इस्तिम्बात और इज्तिहाद से तअल्लुक़ रखते हैं वो बिदअत नहीं हैं। क्योंकि आपने फ़रमाया, 'मन अहदस़ फ़ी अम्रिना हाज़ा जिसने दीन में नई बात निकाली मा लैस मिन्हु जिसकी दीनी नुसूस की रू से गुंजाइश नहीं है फ़हु-व रद्दुन वो मर्दूद है।' लिहाज़ा वो उमूर जिनकी नुसूस से इजाज़त या ज़रूरत स़ाबित होती है वो बिदअत नहीं हैं। (5) अ-न औला बिकुल्लि मुअ्मिनिन मिन्नफ़्सिही मेरा हर मोमिन पर उसके नफ़्स से ज़्यादा हक़ है। इसलिये इसके तमाम उमूर में मेरा फ़ैसला और मेरा हुक्म नाफ़िज़ुल अमल होगा, वो अपनी ज़िन्दगी के मामलात में मेरी हिदायात व तालीमात या मेरे अहकाम व फ़रामीन को नज़र अन्दाज़ करके अपने तौर पर तय नहीं कर सकता। अगर वो मोमिन है तो वो मेरी ही हर मामले में इताअत व फ़रमांबरदारी बजा लायेगा। (6) मन तरक मालन फ़लिअह्लिही : मरने वाला अपने पीछे जो तरका (विरासत) छोड़ता है वो उसके वारिसों का हक़ है उसमें कोई उनका हिस्सेदार या शरीक नहीं है। (7) मन तरक दैनन और ज़याअन् फ़इलय्य व अलय्य : जो मोमिन मक़रूज़ (कर्ज़दार) फ़ौत हो जाता है और उसके तरका में, क़र्ज़ की अदायगी मुम्किन नहीं है तो वो मैं अदा करूँगा यानी मुसलमानों का बैतुल माल इसका ज़िम्मेदार है लिहाज़ा क़र्ज़ ख़्वाह मेरे पास आये और बैतुल माल से अपना क़र्ज़ वसूल कर ले। अब ये ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत की है और अगर वो पीछे छोटे-छोटे बच्चे छोड़ता है जो अपना इन्तिज़ाम ख़ुद नहीं कर सकते तो उनकी परवरिश और ख़र्च मेरे ज़िम्मे है। ये फ़रीज़ा मैं सर अन्जाम दूँगा और अब ये ज़िम्मेदारी एक इस्लामी हुकूमत की है कि वो यतीमों की किफ़ालत करे।

(2006) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जुम्आ के दिन नबी (ﷺ) का ख़ुत्बा ये थ कि आप अल्लाह तआला की हम्दो-स़ना बयान करते, फिर उसके बाद बुलंद आवाज़ से फ़रमाते और मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ، بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلاَ صَوْتُهُ . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ .

(2007) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को ख़ुत्बा देते और उसकी शान के मुताबिक़ उसकी हम्दो-स़ना करते। फिर फ़रमाते, 'जिसे अल्लाह राहे रास्त पर चलाये उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ

أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ " مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ " . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ

और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता और बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है।' आगे स़क़फ़ी की मज़्कूरा बाला हदीस़ की तरह रिवायत बयान की।

फ़ायदा : हिदायत की तौफ़ीक़ अल्लाह तआला के क़ब्ज़े में है और वो अपने मुक़र्ररह उसूल यहदी इलैहि मन अनाब जो रुजूअ करते हैं उन्हें अपने तक पहुँचने की तौफ़ीक़ देता है।' के मुताबिक़ उन्हीं लोगों को हिदायत देता है जो उसके अहल और हक़दार होते हैं और उन्हें हिदायत से महरूम करके गुमराही में रहने देता है, जो अपने अंदर उसकी सलाहियत और इस्तिअदाद पैदा नहीं करते।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى، وَهُوَ أَبُو هَمَّامٍ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضِمَادًا، قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ . فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَىَّ - قَالَ - فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ

(2008) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि अज़दि शनूआ क़बीले का फ़र्द ज़िमाद मक्का आया। वो आसेब का दम करता था उसने मक्का के बेवक़ूफ़ और कम अ़क़्ल लोगों से सुना कि मुहम्मद (ﷺ) दीवाना है। तो उसने दिल में कहा, अगर मैं उस आदमी को देख लूँ तो शायद अल्लाह तआला उसे मेरे हाथों शिफ़ा बख़्श दे, इसके लिये वो आपसे मिला और कहा, ऐ मुहम्मद! मैं जिन्नात के अस़र को ज़ाइल करने के लिये दम करता हूँ और अल्लाह तआला जिसे चाहता है मेरे हाथों शिफ़ा बख़्शता है तो क्या आप इसकी ख़्वाहिश रखते हैं? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बिला शुब्हा हम्द व शुक्र का हक़दार अल्लाह है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद के तालिब हैं जिसको अल्लाह राहे रास्त पर चला दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसे कोई राहे रास्त पर नहीं चला सकता और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है उसका कोई शरीक नहीं है कि उसके सिवा कोई लायक़े इबादत

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ " . قَالَ فَقَالَ أَعِدْ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاَءِ . فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - قَالَ - فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاَءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ - قَالَ - فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلاَمِ - قَالَ - فَبَايَعَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَعَلَى قَوْمِكَ " . قَالَ وَعَلَى قَوْمِي - قَالَ - فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً . فَقَالَ رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمُ ضِمَادٍ .

नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसका बन्दा और उसका रसूल है। हम्द व शहादत के बाद! उस (ज़िमाद) ने कहा, मुझे अपनी ये कलिमात दोबारा सुनायें। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये कलिमात उसे तीन बार सुनाये या इन कलिमात का उसके सामने तीन बार इआदा किया (रिपीट किया)। तो उसने कहा, मैंने काहिनों का क़ौल, जादूगरों का क़ौल और शाइरों का क़ौल (सबको) सुना है। मैंने तेरे इन कलिमात जैसा क़ौल नहीं सुना। ये तो दरियाए बलाग़त की तह तक पहुँच गये हैं और कहने लगा, हाथ बढ़ाइये मैं आपके साथ इस्लाम की ख़ातिर बैअ़त करता हूँ। तो उसने आपकी बैअ़त कर ली। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरी क़ौम की तरफ़ से भी बैअ़त लेता हूँ।' उसने कहा, अपनी क़ौम की तरफ़ से भी बैअ़त करता हूँ उसके बाद आपने एक सरिय्या (छोटा लश्कर) भेजा, वो ज़िमाद की क़ौम के पास से गुज़रे, तो अमीरे लश्कर ने कहा, क्या तुमने उन लोगों की कोई चीज़ ली है? एक लश्करी ने कहा, मैंने उनका एक लोटा लिया है। तो उसने कहा, इसे वापस कर दो ये लोग ज़िमाद की क़ौम हैं।

(नसाई : 6/89-90, इब्ने माजह : 1893)

फ़वाइद : (1) आपके ख़ुत्बे के कलिमात इस क़द्र जामेअ़ और पुर तासीर हैं कि एक साहिबे दानिश व बीनश (अक़्लो शऊर रखने वाला), इन कलिमात को सुनकर ही आपके दीन की हक़्क़ानियत और आपकी सदाक़त का क़ाइल हो जाता है, बशर्तेकि वो इन कलिमात के मआनी और मतालिब को समझता हो और साहिबे फ़िक्र और अहले नज़र हो। (2) ज़िमाद का तसव्वुर ये था कि जुनून व दीवानगी आसेबी मर्ज़ है। जो जिन्नात की छूत से पैदा होता है, इसलिये उसने कहा, इन्नी अरक़ी मिन

हाज़रीयाह मैं जिन्नात के असर को दम से ज़ाइल (ख़त्म) करता हूँ। अगर आप रग़बत और ख़्वाहिश रखते हों तो मैं आपको भी दम करता हूँ, तो आपने उसे ख़ुत्बे के कलिमात सुनाये, ताकि उसे पता चल सके कि इस अफ़वाह में हक़ीक़त कितनी है और अफ़साना कितना है। उसने ये कलिमात सुनकर तजज़िया व तहलील करके बता दिया कि फ़न्ने गुफ़्तगू का कोई माहिर इसकी गर्द को भी नहीं पहुँचता। नामूसुल बहर समुन्द्र की तह और उसकी गहराई को कहते हैं कि आपके कलाम में तो कमाल दर्जे की फ़साहत व बलाग़त है। इस दर्जे तक तो इस मैदान का कोई शाहसवार नहीं पहुँच सकता। (3) जाहिलिय्यत के दस्तूर और उसूल के मुताबिक़ कि हर क़बीला और हर क़ौम अपने सरदार के पीछे चलता आपने ज़िमाद के इस्लाम लाने को पूरी क़ौम के इस्लाम लाने का पेश ख़ेमा क़रार दिया और उसकी क़ौम की तरफ़ से भी इस्लाम लाने की बैअत ले ली।

حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ . فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا " .

(2009) अबू वाइल बयान करते हैं कि हमें अम्मार (रज़ि.) ने ख़ुत्बा दिया। इन्तिहाई मुख़्तसर और इन्तिहाई बलीग़ (मुअस्सिर) तो जब वो मिम्बर से उतरे हमने कहा, ऐ अबू यक़ज़ान! आपने इन्तिहाई बलीग़ (पुर तासीर) और इन्तिहाई मुख़्तसर ख़ुत्बा दिया है। ऐ काश! आप कुछ लम्बा ख़ुत्बा देते। उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है, 'इंसान की नमाज़ की तवालत (लम्बाई) और उसके ख़ुत्बे का छोटा होना उसकी फ़ोक़ाहत (सूझ-बूझ) की अलामत है। इसलिये नमाज़ को तवील करो और ख़ुत्बा छोटा दो और बिला शुब्हा कुछ बयान जादू की तासीर रखते हैं।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तनफ़्फ़स्त : आप साँस लेते, यानी ख़ुत्बा कुछ लम्बा करते तो ये बेहतर होता। **(2) मइन्नतुन :** मीम पर ज़बर है और हम्ज़ह पर ज़ेर और नून मुशद्दद है। अलामत, जिससे किसी चीज़ की पहचान और शनाख़्त होती है। **(3) इन्न मिनल बयानि सिहरा :** कुछ बयान जादू असर होते हैं, यानी जिस तरह जादू फ़ौरी तौर पर असर करता है उसी तरह कुछ बयान इस क़द्र बलीग़ और मुअस्सिर होते हैं कि सुनने वाला उनका फ़ौरी असर क़ुबूल करता है और उसका दिल ख़तीब की गिरफ़्त में होता है वो जिधर चाहे उसे माइल कर दे। उस ख़तीब ने ये काम एहक़ाक़े हक़ और इब्ताले

बातिल के लिये किया तो क़ाबिले तारीफ़ है और अगर हक़ के ख़िलाफ़ बातिल की ताईद में किया है तो क़ाबिले मज़म्मत है। बहरहाल वो जादू की तरह मुअस्सिर हर सूरत में है।

फ़वाइद : (1) तवालते नमाज़ : नमाज़ का तअल्लुक़ अपने ख़ालिक़ और मालिक से है जो उसकी याद और उससे राज़ व नियाज़ पर मुश्तमिल (शामिल) है। इसलिये इसमें हर इंसान फ़रदन-फ़रदन हिस्सा लेता है और इसमें हर एक की दिलचस्पी का सामान है। इसलिये इसमें तमानियत और तस्कीन व ऐतिदाल की ज़रूरत है और नमाज़ में तवालत की ज़रूरत है लेकिन इस क़द्र नहीं कि मुक़्तदियों के लिये मशक़्क़त और कुल्फ़त का बाइस बने। **(2) ख़ुत्बे में इख़्तिसार :** ख़ुत्बे का तअल्लुक़ लोगों से है, ख़तीब उनको मुख़ातब करता है। हर इंसान का इसमें दख़ल नहीं है और ख़तीब की ख़ूबी और कमाल ये है कि उसकी बात जामेअ, मुअस्सिर और मुख़्तसर हो। इसमें तूल बयानी से काम न लिया गया है। लेकिन असल वज़अ के ऐतिबार से चूंकि ख़तीब इसमें अपनी फ़साहते लिसानी और ज़ोर बयान का इज़हार करता है इसलिये ये तवील और लम्बा होता है। इसलिये जुम्आ का ख़ुत्बा आम ख़ुत्बों से मुख़्तसर रखा गया है क्योंकि इसके कुछ मख़्सूस आदाब और अहकाम हैं जिनकी पाबंदी आम ख़ुत्बों में नहीं है। इसलिये ये उनके मुक़ाबले में मुख़्तसर होना चाहिये ताकि लोगों के लिये इसके पूरे आदाब और अहकाम का मल्हूज़ रखना और इन्तिहाई तवज्जह और ग़ौर से सुनना मुम्किन हो सके। तूल बयानी में इन्हिमाक और तवज्जह का बरक़रार रखना मुम्किन नहीं होता और न ही आदाब व अहकाम की पाबंदी आसान होती है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلاً، خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ . قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ غَوِيَ .

(2010) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में ख़िताब किया और उसमें कहा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है उसने रुश्दो-हिदायत पा ली और जो इनकी नाफ़रमानी करेगा या जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की वो भटक गया। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू बहुत बुरा ख़तीब है, यूँ कहो जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की (वो गुमराह हुआ)।'
(अबू दाऊद : 1099, 4981, नसाई : 6/90)

मुफ़रदातुल हदीस : ग़विय की वाव पर ज़ेर और ज़बर दोनों पढ़े गये और फ़सीह लुग़त की रू से ज़बर सहीह है और इसका मानी है बुराई और शर में इन्हिमाक व मशग़ूलियत।

फ़ायदा : ख़ुत्बे में तालीम के मुक़ाबले में तवालत होती है और उसमें हर क़िस्म के लोग हैं। इसलिये वज़ाहत की ज़रूरत होती है इसलिये ख़तीब को अल्लाह और उसके रसूल के लिये अलग-अलग ज़मीर लानी चाहिये और मअ़सियत (नाफ़रमानी) में ज़मीर को इकट्ठा करने की सूरत में ये वहम लाहिक़ हो सकता है कि नाफ़रमानी वो है जो एक ही वक़्त में दोनों की नाफ़रमानी हो, हालांकि नाफ़रमानी अल्लाह और उसके रसूल की अलग-अलग भी हो सकती है जिस तरह अल्लाह की नाफ़रमानी जुर्म और गुनाह है उसी तरह अल्लाह के रसूल की नाफ़रमानी भी अलग तौर पर गुनाह और जुर्म है। हाँ उनकी इताअ़त और मुहब्बत में दोई मुम्किन नहीं है। एक की मुहब्बत व इताअ़त दूसरे की इताअ़त व मुहब्बत को मुस्तलज़िम है, इसलिये अदब व एहतिराम और और तअ़ज़ीम व तौक़ीर का तक़ाज़ा यही है कि अल्लाह और रसूल की मअ़सयित के सिलसिले में अलग-अलग तज़्किरा हो, हाँ तालीम के मौक़े पर या ऐसे महल में जहाँ ग़लतफ़हमी पैदा होने का ख़तरा न हो तो फिर मुफ़रद ज़मीर (दोनों के लिये एक ही ज़मीर) लाना जाइज़ है जैसाकि हुज़ूर (ﷺ) ने ख़ुत्बे हाज़ा की तालीम देते हुए फ़रमाया था, '**जो इन दोनों की नाफ़रमानी करेगा वो अपना ही नुक़सान करेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।**' ये उस्लूब आपने तालीम के मौक़े पर इख़्तियार फ़रमाया और ऐसे लोगों को मुख़ातब बनाया जो अल्लाह और रसूल के बारे में किसी बदअक़ीदगी या ग़लतफ़हमी का शिकार नहीं हो सकते थे।

(2011) सफ़वान बिन यअ़ला अपने बाप से नक़ल करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर नादौ या मालिक पढ़ते हुए सुना।

(सहीह बुख़ारी : 3230, 3266, 4819, अबू दाऊद : 3992, तिर्मिज़ी : 508)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ عَطَاءً، يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ، يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ}

(2012) अम्रह बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान की बहन बयान करती हैं कि मैंने सूरह क़ाफ़ वल्क़ुरआनिल मजीद जुम्आ के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बान से सुनकर याद

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ أُخْتٍ، لِعَمْرَةَ قَالَتْ أَخَذْتُ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ .

की है। आप इसे हर जुम्आ मिम्बर पर पढ़ा करते थे।

(अबू दाऊद : 1100, 1102, 1103, नसाई : 2/157)

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُخْتٍ، لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا . بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ

(2013) मुसन्निफ़ ने यही रिवायत दूसरी सनद से बयान की है और बताया है कि अम्रह की बहन उससे बड़ी थी।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ مَا حَفِظْتُ { ق} إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ . قَالَتْ وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا .

(2014) हारिसा बिन नोमान (रज़ि.) की बेटी की रिवायत है कि मैंने सूरह क़ॉफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बान से सुनकर याद की है। आप हर जुम्आ में इसके ज़रिये ख़िताब फ़रमाते थे और हमारा और रसूलुल्लाह (ﷺ) का तन्नूर एक ही था।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(2015) उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा बिन नोमान (रज़ि.) बयान करती हैं कि हमारा और रसूलुल्लाह (ﷺ) का तन्नूर दो या डेढ़ साल एक ही रहा है और मैंने सूरह क़ॉफ़ वल्क़ुरआनिल मजीद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बान ही से सुनकर याद की है। आप हर जुम्आ में जब लोगों को ख़ुत्बा देते तो इसे मिम्बर पर पढ़ते थे।

وسلم وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ .

फ़ायदा : सूरह क़ॉफ़ एक इन्तिहाई जामेअ़ सूरत है, इसमें इन्तिहाई मुअस्सिर वअ़ज़ व तज़्कीर है, इसलिये आप ख़ुत्ब-ए-जुम्आ में इसके मज़ामीन को जुम्आ के ख़ुत्बे का मौज़ूअ बनाते थे और वक़्तन-फ़वक़्तन इसकी अलग-अलग आयतों के ज़रिये वअ़ज़ व नसीहत फ़रमाते इस तरह अलग-अलग ख़ुत्बाते जुम्आ में ये मुकम्मल हुई कि औरतों ने इसको थोड़ा-थोड़ा सुनकर याद कर लिया। इससे मालूम होता है कि आप आयाते क़ुरआनिया को ही जुम्आ के ख़ुत्बे में मौज़ूअे सुख़न (टॉपिक) बनाते थे और आपका ख़ुत्बा इन्हीं के गिर्द घूमता था।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَارَةَ، بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا . وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ .

(2016) हज़रत इमारह बिन रुऐबा (रज़ि.) ने बिश्र बिन मरवान को मिम्बर पर दोनों हाथ बुलंद करते देखा तो कहा, अल्लाह तआ़ला इन दोनों हाथों को बिगाड़े, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आप अपने हाथ से इससे ज़्यादा इशारा नहीं करते थे और अपनी शहादत वाली उंगली से इशारा किया।
(अबू दाऊद : 1104, तिर्मिज़ी : 515)

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ . فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(2017) हुसैन बिन अ़ब्दुर्रहमान की रिवायत है कि मैंने जुम्आ के दिन बिश्र बिन मरवान को दोनों हाथ उठाते हुए देखा तो इमारह बिन रुऐबा (रज़ि.) ने कहा ....। मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) दुआए इस्तिस्क़ा (बारिश की दुआ) करते वक़्त ख़ुत्ब-ए-जुम्आ में दोनों हाथ बुलंद फ़रमाते थे। लेकिन जुम्आ के ख़ुत्बे में लोगों को मुतवज्जह करने के लिये सिर्फ़ शहादत की उंगली से इशारा फ़रमाते थे और जब बिश्र बिन मरवान ने आपके इस मामूल की मुख़ालिफ़त की तो

हज़रत उमारह (रज़ि.) इतनी सी बात को बर्दाश्त न कर सके और उससे नफ़रत व कराहत का इज़हार करते हुए उसको बद्दुआ दी, लेकिन आज हमने आपके उस्लूब व अन्दाज़ को नज़र अन्दाज़ करके कितने नये-नये तरीक़े निकाल लिये हैं और हमें आपकी मुख़ालिफ़त का एहसास तक नहीं है और अगर कोई मुतनब्बह करे तो कोई उसकी बात को सुनना गवारा नहीं करता।

बाब 14 : दौराने ख़ुत्बा तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ना

باب التَّحِيَّةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

(2018) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ का ख़ुत्बा दे रहे थे कि इस दौरान एक आदमी आया तो नबी (ﷺ) ने उससे पूछा, 'ऐ फ़लाँ! क्या तूने नमाज़ पढ़ ली है?' उसने कहा, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उठो और दो रकअत नमाज़ पढ़ो।'

(सहीह बुख़ारी : 930, अबू दाऊद : 1115, तिर्मिज़ी : 510, नसाई : 3/107)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، -وَ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " قُمْ فَارْكَعْ " .

(2019) मुसन्निफ़ दूसरी सनद से यही रिवायत लाये हैं और इसमें दो रकअत का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّكْعَتَيْنِ .

(2020) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी मस्जिद में दाख़िल हुआ जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे, तो आपने पूछा, 'क्या तूने नमाज़ पढ़ ली है?' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'उठो और दो रकअत पढ़ो।' क़ुतैबा की हदीस में

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ " . قَالَ لاَ . قَالَ

" قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ " . وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " .

फ़सल्लि पस नमाज़ पढ़ो की जगह सल्लि है यानी फ़ा नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 931, इब्ने माजह : 1112)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ لاَ . فَقَالَ: «ارْكَعْ.»

(2021) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी आया जबकि नबी (ﷺ) मिम्बर पर जुम्आ के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे तो आपने उससे पूछा, 'क्या तुमने दो रकअत पढ़ ली हैं?' उसने कहा, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पढ़ो।'

(नसाई : 3/103)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "

(2022) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने ख़ुत्बे में फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई जुम्आ के दिन इस हाल में आये कि इमाम आ चुका है तो वो दो रकअत पढ़े।'

(सहीह बुख़ारी : 1166, नसाई : 3/101)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " قُمْ فَارْكَعْهُمَا " .

(2023) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि सुलैक ग़तफ़ानी जुम्आ के दिन उस वक़्त आया जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर बैठे हुए थे तो सुलैक नमाज़ पढ़े बग़ैर बैठ गया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा, 'क्या तुमने दो रकअत पढ़ ली हैं?' उसने कहा, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उठ कर दो रकअत पढ़।'

(2024) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि सुलैक ग़तफ़ानी जुम्आ के दिन उस वक़्त आया जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे, तो वो बैठ गया। आपने उससे फ़रमाया, 'ऐ सुलैक! उठकर दो मुख़्तसर रकअत पढ़ो।' फिर आपने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई जुम्आ के दिन उस वक़्त पहुँचे जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा है तो वो दो रकअत पढ़े और उनमें तख़्फ़ीफ़ व इख़ितसार (हल्की) करे।'

(अबू दाऊद : 1116, इब्ने माजह : 1114)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، - قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ " يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا".

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत से ये बात साबित होती है कि आपका सुलैक ग़तफ़ानी (रज़ि.) को तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म देना एक शख़्स या जुज़्ई वाक़िया नहीं है बल्कि आपने बतौरे उसूल और ज़ाब्ता फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई शख़्स जुम्आ के दिन उस वक़्त पहुँचे जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा है तो वो दो मुख़्तसर रकअत पढ़े।' अब इस सरीह और सहीह रिवायत की मौजूदगी में किसी तावील की ज़रूरत नहीं है। इसलिये या तो इंसान को ये कोशिश करनी चाहिये कि वो ख़तीब के मिम्बर पर बैठने से इस क़द्र पहले पहुँचे कि वो कम से कम दो रकअत पढ़ ले और बेहतर सूरत यही है। वगरना अगर वो ख़ुत्बे के दौरान आया है तो वो दो मुख़्तसर रकअत पढ़ ले। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और तमाम मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ इस हदीस़ के मुताबिक़ है और मालिकियों और अहनाफ़ के नज़दीक इस सूरत में तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ना जाइज़ नहीं है वो इसकी ख़ातिर हदीस़ को नाक़ाबिले क़ुबूल तौजीहात करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की एक हदीस़ में है रसूलुल्लाह(ﷺ) 'क़ाइदुन अलल मिम्बर' और दूसरी में है 'रसूलुल्लाह यख़्तुबु' मतलब है कि आप मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे और ख़ुत्बा देने के लिये तैयार हो चुके थे। यानी ख़ुत्बा देना चाह रहे थे और फिर आपने उठकर उसको मुख़ातब फ़रमाया।

बाब 15 : ख़ुत्बे के दौरान (दीन की) तालीम देना यानी दीन सिखाना

باب حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ - قَالَ - فَأَقْبَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَىَّ فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا - قَالَ - فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا .

(2025) हज़रत अबू रिफ़ाआ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के पास उस वक़्त पहुँचा जबकि आप ख़ुत्बा दे रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! एक परदेसी आदमी अपने दीन के बारे में पूछने आया है उसे मालूम नहीं है उसका दीन क्या है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुए और अपना ख़ुत्बा छोड़कर मेरे पास पहुँच गये। एक कुर्सी लाई गई मेरे ख़याल में उसके पाये लौहे के थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस पर बैठ गये और अल्लाह तआला ने आपको जो कुछ सिखाया था, उसमें से मुझे सिखाने लगे। फिर अपने ख़ुत्बे के लिये बढ़े और उसको पूरा किया।
(नसाई : 3/101)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ जो अजनबी और नावाक़िफ़ इंसान दीन के बारे में जानना चाहता हो या इस्लाम लाना चाहता है तो उसको दीन की तालीम देना और मुसलमान करना इतना अहम और ज़रूरी है कि उसकी ख़ातिर ख़ुत्ब-ए-जुम्आ जो तमाम हाज़िरीन के लिये है, उसको कुछ वक़्त के लिये बंद किया जा सकता है और दीन की तालीम और मुसलमान बनाने के बाद ख़ुत्ब-ए-जुम्आ मुकम्मल किया जायेगा।

बाब 16 : नमाज़े जुम्आ में कौनसी सूरतें पढ़ी जायेंगी

باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ

(2026) अबू राफ़ेअ के बेटे बयान करते हैं कि मरवान (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को मदीना में अपना जाँनशीन या क़ायम मक़ाम मुक़र्रर किया और ख़ुद मक्का चला गया। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने हमें

اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} -قَالَ - فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

जुम्आ की नमाज़ पढ़ाई और दूसरी रकअत में (सूरह जुम्आ पहली रकअत में पढ़ने के बाद) इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून पढ़ी। जब अबू हुरैरह (रज़ि.) जुम्आ से लौटे तो मैं उन्हें मिला और उनसे कहा, आपने वो दो सूरतें पढ़ी हैं जो अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) कूफ़ा में पढ़ा करते थे तो अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जुम्आ के दिन ये सूरतें पढ़ते हुए सुना है।

(अबू दाऊद : 1124, तिर्मिज़ी : 519, इब्ने माजह : 1118)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي، رِوَايَةِ حَاتِمٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الأُولَى وَفِي الآخِرَةِ { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ .

(2027) हज़रत उ़बैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ़ बयान करते हैं कि मरवान (रज़ि.) ने अबू हुरैरह (रज़ि.) को क़ायम मकाम गवर्नर बनाया। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है। इतना फ़र्क़ है कि हातिम की रिवायत में है। उन्होंने पहली रकअ़त में सूरह जुम्आ पढ़ी और दूसरी रकअ़त में इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून पढ़ी। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की रिवायत, सुलैमान बिन बिलाल की तरह है।

फ़ायदा : आप कई बार जुम्आ की पहली रकअ़त में सूरह जुम्आ पढ़ते थे क्योंकि उसमें जुम्आ के लिये एहतिमाम और उसके लिये कोशिश का हुक्म है और दीन व दुनिया में कामयाबी का नुस्ख़ा बताया है और दूसरी रकअ़त में इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून पढ़ते ताकि उम्मत को निफ़ाक़ की मुहलिक बीमारी से डरायें और माल व दौलत की मुहब्बत में गिरफ़्तार होकर अल्लाह की याद और नमाज़े जुम्आ से ग़ाफ़िल होकर नाकाम व नामुराद न हों बल्कि माल व दौलत को सर्फ़ करके आख़िरत की फ़िक्र और एहतिमाम करें।

(2028) हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ईदैन और जुम्आ में सब्बिहिस्म रब्बिकल् अअ्ला और हल् अता-क हदीसुल ग़ाशियह पढ़ते थे और अगर ईद और जुम्आ एक ही दिन इकट्ठे हो जाते तो आप दोनों नमाज़ों में ही इन्हें पढ़ते।

(अबू दाऊद : 1122, तिर्मिज़ी : 533, नसाई : 3/112, 3/184, 3/194, इब्ने माजह : 1281)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ، سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاَتَيْنِ.

फ़ायदा : इन दो सूरतों के पढ़ने की वजह ये है कि इनमें इंसान के लिये दर्से इबरत है। सूरह अअ्ला में बताया गया है कि अल्लाह तआला के हर काम में तदरीज और तर्तीब है। इसलिये अपने रब पर भरोसा रखो, जल्द वो वक़्त आयेगा जब तुम्हारी मेहनत व कोशिश बारावर होगी (रंग लायेगी) और तुम्हारी सई (कोशिश) बामुराद होगी। पैग़म्बर और मुबल्लिग़ का काम सुनाना है और सुनेंगे सिर्फ़ वही लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं और कामयाबी उन्हीं ख़ुशबख़्तों के लिये है जिन्होंने अपने आपको पाक किया। अपने रब को याद किया और नमाज़ पढ़ी। जो लोग दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी लज़्ज़त को जो आरिज़ी और फ़ानी है। आख़िरत पर जो बेहतर और पायदार है तरजीह देते हैं। वो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार नहीं हो सकते। दीन की पाबंदी उनके बस का नहीं है और सूरह ग़ाशियह में बताया गया है जो लोग क़यामत से बेफ़िक्र होकर ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, उनको क़यामत के दिन किन हालात से साबिक़ा पेश आयेगा और जो लोग क़यामत से डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ार देंगे, उनको किस क़िस्म की कामयाबी नसीब होगी?

(2029) यही रिवायत इमाम साहब ने एक दूसरी सनद से बयान की है।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(2030) ज़ह्हाक बिन क़ैस ने हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) से ख़त लिखकर पूछा कि

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ أَيَّ شَىْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ {هَلْ أَتَاكَ}

रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन सूरह जुम्आ के अलावा कौनसी सूरत पढ़ते थे। उन्होंने जवाब दिया, हल अताक हदीसुल ग़ाशियह पढ़ते थे।
(अबू दाऊद : 1123, नसाई : 3/112, इब्ने माजह : 1119)

باب مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

बाब 17 : जुम्आ के दिन (फ़ज्र की नमाज़ में) कौनसी सूरत पढ़ी जायेगी

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخَوَّلِ، بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ } الم * تَنْزِيلُ{ السَّجْدَةُ وَ } هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ{ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ .

(2031) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ में जुम्आ के दिन अलिफ़-लाम्-मीम तन्ज़ील अस्सजदह और हल अता अलल इन्सानि हीनुम्-मिनद्दहर पढ़ते थे और नबी (ﷺ) जुम्आ की नमाज़ में सूरह जुम्आ और सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ते थे।
(अबू दाऊद : 1074-1075, तिर्मिज़ी : 520, नसाई : 2/159, 3/112, इब्ने माजह : 821)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(2032) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान की है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ فِي الصَّلاَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا . كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

(2033) इमाम साहब ने एक और सनद से दोनों नमाज़ों के बारे में, सुफ़ियान की तरह रिवायत बयान की है।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ،

(2034) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ में, जुम्आ के दिन अलिफ़-लाम्-मीम तन्ज़ील

الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ { الم * تَنْزِيلُ{ وَ } هَلْ أَتَى}

और हल अता पढ़ते थे।

(सहीह बुख़ारी : 891, 1098, नसाई : 2/159, इब्ने माजह : 823)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ { الم * تَنْزِيلُ} فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا}

(2035) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) सुबह की नमाज़ में जुम्आ के दिन पहली रकअत में अलिफ़-लाम्-मीम तन्ज़ील और दूसरी रकअत में हल अता अलल इन्सानि हीनुम्-मिनद्दहरि लम् यकुन् शैअम्-मज़्कूरा पढ़ते थे।

फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि आप जुम्आ के दिन फ़ज्र की नमाज़ में हमेशा सूरह सज्दा और सूरह दहर की तिलावत फ़रमाते थे। क्योंकि क़यामत जुम्आ के दिन ही क़ायम होगी और सूरह सज्दा में कुरआने मजीद की हक़्क़ानियत व सदाक़त, दुनिया की तख़्लीक़ की हिक्मत व ग़ायत और इंसान की पैदाइश और उसकी सलाहियत का तज़्किरा करके मुन्किरीने क़यामत के शुब्हात का जवाब और उनका अन्जाम बयान किया गया है। फिर मोमिनों की सिफ़ात और उनका अन्जाम और काफ़िरों का अन्जाम बताया है और सूरह दहर में इंसान की तख़्लीक़ के मुख़्तलिफ़ मराहिल और अतवार बयान किये गये हैं। फिर ये बताया गया है कि अल्लाह तआला ने उसको सुनने और समझने की कुव्वत इनायत करके उसको ख़ैर व शर का इम्तियाज़ बख़्श कर किस तरह इम्तिहान में डाला है और क़यामत के दिन उस इम्तिहान में कामयाबी और नाकामी की सूरत में क्या नतीजे बरामद होंगे, इसलिये अहनाफ़ का बेजा तावील करके इनकी क़िरअत से गुरेज़ करना, मुनासिब नहीं है।

बाब 18 : जुम्आ के बाद नमाज़

باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا " ‏.‏

(2036) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम जुम्आ पढ़ चुको तो उसके बाद चार रकआत पढ़ो।'

(2037) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम जुम्आ के बाद नमाज़ पढ़ो तो चार रकआत पढ़ो।' अम्र की रिवायत में है सुहैल ने कहा, अगर तुम्हें किसी वजह से जल्दी हो तो दो रकअत मस्जिद में पढ़ लो और दो रकअत वापस जाकर (घर में) पढ़ लो।

(इब्ने माजह : 1132)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا " . - زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سُهَيْلٌ فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَىْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ " .

(2038) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई जब जुम्आ के बाद नमाज़ पढ़ना चाहे तो चार रकअत पढ़े।' जरीर की हदीस में मिन्कुम (तुममें से) का लफ़्ज़ नहीं है।

(नसाई : 3/113)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ " مِنْكُمْ " .

फ़ायदा : इन अहादीस़ से मालूम होता है कि जुम्आ के बाद चार रकआत पढ़नी चाहिये। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई का यही नज़रिया है। इमाम इस्हाक़ का क़ौल है मस्जिद में पढ़े तो चार पढ़े और अगर घर में पढ़े तो दो पढ़ ले। शाह वलिउल्लाह ने भी इसी को इख़ितयार किया है। लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक जुम्आ की सुन्नतों को घर में पढ़ना अफ़ज़ल है दो पढ़ ले या चार।

(2039) नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) जब जुम्आ पढ़ लेते तो वापस जाकर अपने घर में दो रकअत पढ़ते फिर उन्होंने (इब्ने उ़मर) ने बताया कि

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا

صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही करते थे।
(तिर्मिज़ी : 522, इब्ने माजह : 1130)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . قَالَ يَحْيَى أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ .

(2040) नाफ़ेअ से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने रसूल (ﷺ) की नफ़ली नमाज़ को बयान किया और कहा कि आप जुम्आ के बाद घर जाकर ही दो रकअत पढ़ते थे। यहया कहते हैं ज़न्न है या यक़ीन है कि मैंने इमाम मालिक के सामने फ़युसल्ली का लफ़्ज़ पढ़ा।
(सहीह बुख़ारी : 937, अबू दाऊद : 1252, नसाई : 2/119, 3/113)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ .

(2041) हज़रत सालिम अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जुम्आ के बाद दो रकअत पढ़ते थे।
(तिर्मिज़ी : 521, इब्ने माजह : 2/223)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ، بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ، رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ . صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ

(2042) उमर बिन अता बिन अबी ख़ुवार से रिवायत है कि नाफ़ेअ बिन जुबैर ने उसे साइब इब्ने उख़्ते नमिर के पास भेजा वो उनसे उस चीज़ के बारे में पूछते, जो उनकी नमाज़ में हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने देखी थी। साइब ने कहा, हाँ मैंने मुआविया (रज़ि.) के साथ जुम्आ मक़्सूरा में पढ़ा। तो जब इमाम ने सलाम फेरा तो मैंने उठकर अपनी जगह नमाज़ पढ़ी तो जब मुआविया (रज़ि.) अंदर दाख़िल

فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ .

हुए तो मुझे बुलवाया और कहा, जो काम तूने किया है आइन्दा न करना। जब तुम जुम्आ पढ़ लो तो उसके साथ दूसरी कोई नमाज़ न मिलाओ यहाँ तक कि बातचीत कर लो या उस जगह से निकल जाओ। क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि 'कोई नमाज़ दूसरी नमाज़ से न मिलाई जाये यहाँ तक कि हम बातचीत कर लें या उस जगह से निकल जायें।'

(अबू दाऊद : 1129)

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَمْ يَذْكُرِ الإِمَامَ .

(2043) इमाम साहब ने यही हदीस़ दूसरी सनद से बयान की है। हाँ इतना फ़र्क़ है कि साइब ने कहा, जब सलाम फेरा तो मैं अपनी जगह खड़ा हो गया। सल्ल-म के बाद इमाम का लफ़्ज़ बयान नहीं किया।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ोरन बिला वक़्फ़ा उस जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इल्ला (मगर) ये कि नमाज़ के बाद ज़िक्र व अज़्कार कर ले, किसी से कोई ज़रूरी बातचीत कर ले या जगह बदल दे। अगरचे बेहतर यही है कि घर जाकर पढ़े। अ़ल्लामा मुल्ला अ़ली क़ारी ने लिखा है कि असल मक़सद, फ़र्ज़ और नफ़ल में फ़सल व इम्तियाज़ करना है ताकि ये शुब्हा लाहिक़ न हो ये अभी फ़र्ज़ पढ़ रहा है। **(2)** मक़्सूरा से मुराद वो कमरा है जो क़िब्ले की दीवार में हज़रत मुआ़विया (रज़ि.) ने ख़ारिजी के हमले के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिये बनवाया था और उसको बंद करके उसमें नमाज़ पढ़ते थे।

इस किताब के कुल 4 बाब और 26 हदीसें हैं।

كتاب صلاة العيدين

किताबु सलातिल ईदैन

किताबे ईदैन

(ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा) की नमाज़

हदीस नम्बर 2044 से 2069 तक

किताबुल ईदैन का तआरुफ़

ईदैन इस्लामी त्यौहार हैं। एक त्यौहार उस महीने के रोज़े और रात की नमाज़ की तक्मील के बाद होता है जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की बिअसत हुई और नुज़ूले कुरआन का आग़ाज़ हुआ। ये वाक़िया रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते मुबारका का सबसे अहम और बड़ा वाक़िया है। इंसानी तारीख़ के नये और रोशन दौर का आग़ाज़ है जिसमें इंसानियत को अल्लाह की रहनुमाई मुकम्मल तरीन सूरत में नसीब हुई। दूसरी ईद मिल्लते इस्लामिया के मुअस्सिस व बानी और शिर्क के अन्धेरों में इंसानों के लिये तौहीद की शमा जलाने वाली इन्तिहाई नुमायाँ हस्ती हज़रत इब्राहीम (अलै.) की याद में मनाई जाती है। वो पहले इंसान हैं जिन्होंने रूए ज़मीन पर अल्लाह का घर तामीर किया, उसको आबाद किया और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिये अपनी बीवी और अपने इकलौते बेटे की ज़िन्दगी कुर्बान करने के तमाम मराहिल से गुज़र गये। ये भी इंसानी तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़िया है। उसकी याद मनाने के लिये इस्तिताअत रखने वाले हज पर जाते हैं और बाक़ी तमाम मुसलमान ईदुल अज़्हा (कुर्बानी की ईद) मनाते हैं।

दूसरी क़ौमों के त्यौहारों की तरह इन त्यौहारों को सिर्फ़ मोज-मेले में मस्त होकर या हुदूद (सीमाओं) व कुयूद (नियमों) से आज़ाद होकर उधम मचाकर नहीं मनाया जाता। ये दोनों ऐसे दिन हैं जिनमें अल्लाह की तरफ़ से इंसानों को बहुत बड़े इनामात से नवाज़ा गया था, इसलिये ईदैन में नुमायाँ तरीन काम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिये बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर नमाज़ अदा करना, ख़ुत्बा सुनना और अल्लाह की रज़ा के लिये ज़रूरतमन्दों की मदद करना हैं। इन दोनों दिनों के नमाज़ के औक़ात, मक़ाम, तरीक़-ए-अदायगी और इस दिन के ख़ुत्बे को दूसरे दिनों की ऐसी ही इबादात से नुमायाँ तौर पर मुम्ताज़ रखा गया है।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल ईदैन में इस तर्तीब से अहादीस़ ज़िक्र की हैं कि सबसे पहले इस दिन की नमाज़ और ख़ुत्बे की तर्तीब का ज़िक्र है, फिर अज़ान व इक़ामत के बग़ैर नमाज़, ख़ुत्बे में लोगों को अहम तरीन उमूर पर तवज्जह दिलाने, ख़वातीन को उसमें भरपूर शिर्कत की तल्क़ीन, उनकी कुछ आदात की इस्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े की नसीहत के हवाले से अहादीस़ बयान की गई हैं। आख़िर में इन दोनों मौक़ों पर ऐसी तफ़रीहात के जवाज़ का ज़िक्र है जो फ़िज़ूलख़र्ची, आमियानापन और बेमक़सदियत के शवाइब (उलूल-जुलूल) से पाक हैं।

كتاب صلاة العيدين

किताब ईदैन (ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा) की नमाज़

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، -قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

(2044) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नमाज़े फ़ित्र के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ), अबू बकर, उमर और उसमान (रज़ि.) के साथ हाज़िर हुआ हूँ, ये सब नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ते थे, फिर ख़ुत्बा देते। एक बार आप बुलंदी से नशीब (निचली जगह) में आये। गोया कि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप अपने हाथ से लोगों को (मर्दों को) बिठा रहे हैं, फिर उनको चीरते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि औरतों के पास आ गये और बिलाल (रज़ि.) आपके साथ थे। आपने आयत पढ़ी, 'ऐ नबी! जब आपके पास मोमिन औरतें इस बात पर बैअत करने के लिये आयें कि वो अल्लाह तआला के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं बनायेंगी....।' (सूरह मुम्तहिना : 12) आप मुकम्मल आयत पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो फिर फ़रमाया, 'तुम इस पर क़ायम हो।' तो एक

عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا] فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا " أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لاَ يُدْرَى حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ قَالَ " فَتَصَدَّقْنَ " . فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي . فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ .

औरत ने कहा। आप (ﷺ) को उसके अलावा उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया, हाँ ऐ अल्लाह के नबी! उस वक़्त पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है? आपने फ़रमाया, 'सदक़ा करो।' तो बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला दिया। फिर कहा, लाओ तुम पर मेरे माँ-बाप क़ुर्बान। तो वो अपने छल्ले और अंगूठियाँ उतारकर बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में डालने लगीं।

(सहीह बुख़ारी : 962, 979, 4895, अबू दाऊद : 1147, इब्ने माजह : 1274)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ، عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ - قَالَ - ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلاَلٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّىْءَ .

(2045) अ़ता कहते हैं मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में शहादत देता हूँ कि आपने नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले पढ़ी। फिर आपने ख़ुत्बा दिया फिर आपने ख़याल किया कि आपकी आवाज़ औरतों ने नहीं सुनी तो उनके पास आये और उनको तज़्कीर (याद दिहानी) की और उन्हें नसीहत की और उन्हें सदक़े का हुक्म दिया और बिलाल (रज़ि.) अपना कपड़ा फैलाये हुए थे। औरतें अंगूठी, बाली, छल्ला और दूसरी चीज़ें डालने लगीं।

(सहीह बुख़ारी : 1449, अबू दाऊद : 1142-1143, 1144, नसाई : 3/184-185, इब्ने माजह : 1273)

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(2046) इमाम साहब एक दूसरी सनद से अय्यूब के वास्ते से ही ऐसी रिवायत लाये हैं।

(2047) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिये खड़े हुए और ख़ुत्बे से पहले नमाज़ से शुरूआत की। फिर लोगों को ख़िताब फ़रमाया। तो जब नबी (ﷺ) ख़ुत्बे से फ़ारिग़ हुए (तो उतरकर ऊँचाई से) औरतों के पास आये। उन्हें तज़्कीर व नसीहत की और आप बिलाल (रज़ि.) का सहारा लिये हुए थे या उनके हाथ पर टेक लगाये हुए थे और बिलाल (रज़ि.) अपना कपड़ा फैलाये हुए थे, औरतें उसमें सदक़ा डाल रही थीं। इब्ने जुरैज ने अता से पूछा, सदक़-ए-फ़ित्र डाल रही थीं? उन्होंने कहा, नहीं। उस वक़्त नया सदक़ा कर रही थीं। औरतें छल्ले, (बड़ी अंगूठियाँ) डाल रही थीं। इस तरह एक के बाद एक डाल रही थीं।

इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अता से पूछा, क्या अब भी इमाम के लिये लाज़िम है कि (मर्दों के ख़ुत्बे से) फ़ारिग़ होकर औरतों के पास जाये और उन्हें तल्क़ीन और नसीहत करे? उन्होंने कहा, हाँ। मेरी जान की क़सम! ये उनके लिये लाज़िम है उन्हें क्या हो गया है कि वो ये काम नहीं करते?

(बुख़ारी : 958, 978, अबू दाऊद : 1141)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً . قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لاَ وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَحَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ قَالَ إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

(2048) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईद के दिन नमाज़ में हाज़िर हुआ। आपने ख़ुत्बे से पहले अज़ान और तकबीर कहे बग़ैर नमाज़ से शुरूआत की। फिर

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

बिलाल का सहारा लेकर खड़े हुए। अल्लाह की हुदूद की पाबंदी का हुक्म दिया। उसकी इताअत पर आमादा फ़रमाया और लोगों को नसीहत की और उन्हें याद दिहानी (तज़्कीर) की। फिर चल पड़े यहाँ तक कि औरतों के पास आ गये। उन्हें वअ़ज़ व तज़्कीर की और फ़रमाया, 'सदक़ा करो क्योंकि तुम्हारी अक्सरियत जहन्नम का ईंधन है।' औरतों के दरम्यान से एक स्याह रुख़सारों वाली औरत खड़ी हुई, उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों? आपने फ़रमाया, 'तुम शिक्वा-शिकायत बहुत करती हो और अपने रफ़ीक़े ज़िन्दगी की नाशुक्री करती हो।' जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, वो अपने ज़ेवरात से सदक़ा करने लगीं। वो बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में अपनी बालियाँ और अपनी अंगूठियाँ डाल रही थीं। (अक़रित, क़रत की जमा है, बालियाँ जो कानों में डालती हैं।)

(नसाई : 3/186)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) सितत : अगर ये वसत से हो तो मानी होगा औरतों के दरम्यान से। अस्फ़अ, की तानीस सफ़आउ है, स्याही माइल को कहते हैं। **(2) हुली :** हिल्यतुन की जमा है ज़ेवरात। **(3) तक्फ़ुरनल अशीर :** अशीर साथी और रफ़ीक़ को कहते हैं। मुराद ख़ाविन्द है और ये तुक्सिरनश्शिकात की तौज़ीह व तफ़्सीर है कि तुम ख़ाविन्द की एहसान फ़रामोश हो, उनका शिक्वा व शिकायत ही करती रहती हो। क़िरत और ख़िरस हममानी हैं, बालियाँ।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ،

(2049) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं, ईदुल फ़ित्र के दिन अज़ान नहीं दी जाती थी और न ही ईदुल

قَالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى . ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلٰوةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَآءَ وَلاَ شَيْءَ لاَ نِدَآءَ يَوْمَءِذٍ وَلاَ إِقَامَةَ

अज़्हा के दिन। इब्ने जुरैज कहते हैं कि कुछ अर्से के बाद इसके बारे में अता से पूछा तो उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि ईदुल फ़ित्र के दिन अज़ान नहीं है। इमाम के निकलते वक़्त और न ही निकलने के बाद, न तकबीर है न पुकार व सदा और न कोई और चीज़। न उस दिन अज़ान और न इक़ामत।

(सहीह बुख़ारी : 959, 960)

फ़वाइद : (1) ईदैन की नमाज़ हनाबिला के नज़दीक फ़र्ज़े किफ़ाया है। मालकिया और शाफ़इया के नज़दीक सुन्नते मुअक्कदा है और अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है लेकिन जुम्आ की तरह शहर वालों पर वाजिब है देहात वालों पर नहीं। **(2)** ईदैन की नमाज़ के लिये अज़ान और तकबीर नहीं है और ईदैन की नमाज़ में पहली रकअत में क़िरअत से पहले मालकिया और हनाबिला के नज़दीक तकबीरे तहरीमा समेत सात तकबीरें हैं और शवाफ़ेअ के नज़दीक तकबीरे तहरीमा के बग़ैर सात तकबीरें हैं और दूसरी रकअत में अइम्मए सलासा के नज़दीक क़ियाम में क़िरअत से पहले पाँच तकबीरे हैं। अहनाफ़ के नज़दीक पहली रकअत में क़िरअत से पहले तकबीरे तहरीमा के बाद तीन तकबीरे हैं और दूसरी रकअत में क़िरअत के बाद तीन तकबीरे हैं और चौथी तकबीर रुकूअ के लिये है। राजेह यही है कि पहली रकअत में तकबीरे तहरीमा के अलावा सात तकबीर कही जायें। **(3)** ईदैन का ख़ुत्बा जुम्आ के बरख़िलाफ़ नमाज़ के बाद है और उसमें मौक़ा व महल के मुताबिक़ वअज़ व नसीहत और तज़्कीर व तल्क़ीन है। अगर औरतों तक आवाज़ न पहुँचे क्योंकि वो अलग मर्दों के पीछे ज़रा हटकर ईदैन में शरीक होती हैं। तो उनको मर्दों के बाद ख़ुसूसी उनके ज़ुरूफ़ व अहवाल के मुताबिक़ वअज़ व नसीहत की जायेगी और उनको ख़ुसूसी तौर पर सदक़े की तरग़ीब दी जायेगी और वो अपने ज़ेवरात से ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर सदक़ा करने का अधिकार रखती हैं। आज-कल लाउडस्पीकर की बिना पर अलग वअज़ की ज़रूरत पेश नहीं आती। **(4)** ईदैन के लिये अज़ान, इक़ामत या ऐलान वग़ैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को इस त्यौहार और जश्ने मसर्रत में ख़ुद अपने तौर पर एहतिमाम करके शिर्कत करनी होगी।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،

(2050) अता बयान करते हैं कि जब हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) की बैअत की गई तो आग़ाज़ ही में इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उनकी

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا - قَالَ - فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ - قَالَ - فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

तरफ़ पैग़ाम भेजा कि वाक़िया ये है कि ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिये अज़ान नहीं दी जाती थी, तो आप उसके लिये अज़ान न कहलवायें तो इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने उस दिन अज़ान न कहलवाई और उसके साथ ये पैग़ाम भी भेजा कि ख़ुत्बा नमाज़ के बाद है और ऐसे ही किया जाता था। तो इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ाई।

फ़ायदा : ईदैन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले है जैसाकि आज-कल मुत्तबिईने सुन्नत का मअमूल है। लेकिन बनू उमय्या के दौर में कुछ शहरों में ख़ुत्बा पहले दिया जाता था और नमाज़ बाद में पढ़ी जाती थी। आज-कल भी अक्सर लोग ईद की नमाज़ से पहले ख़ुत्बा शुरू कर देते हैं और उसका नाम उर्दू तक़रीर रख लेते हैं हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस दिन सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो नमाज़ है।' इसलिये नमाज़ से पहले नज़्में, नातें पढ़ना या तक़रीर करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तक़रीर, ख़ुत्बा नमाज़ के बाद होना चाहिये।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ، سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ .

(2051) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईदैन की नमाज़ एक दो बार नहीं कई बार बिला अज़ान और इक़ामत के पढ़ी है।

(अबू दाऊद : 1148, तिर्मिज़ी : 532)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

(2052) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ), अबू बकर और उमर (रज़ि.) नमाज़े ईदैन ख़ुत्बे से पहले पढ़ते थे।

(नसाई : 1563, सहीह बुख़ारी : 963, तिर्मिज़ी : 531, इब्ने माजह : 1276)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاَّهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ " تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا " . وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الاِبْتِدَاءُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ . قُلْتُ كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ . ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ .

(2053) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल अज़्हा के दिन और ईदुल फ़ित्र के दिन निकलते थे तो नमाज़ से आग़ाज़ फ़रमाते और जब नमाज़ पढ़ लेते और सलाम फेरते तो खड़े होकर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हो जाते जबकि वो अपनी नमाज़गाह ही में बैठे रहते, अगर आपको किसी लश्कर के भेजने की ज़रूरत होती तो उसका लोगों से तज़्किरा फ़रमाते और अगर उसके सिवा कोई और ज़रूरत होती तो उन्हें उसका हुक्म देते और फ़रमाया करते, 'सदक़ा करो, सदक़ा करो, सदक़ा करो।' और ज़्यादा सदक़ा औरतें दिया करती थीं, फिर वापस आ जाते और यही मअमूल क़ायम रहा। यहाँ तक कि मरवान बिन हकम (रज़ि.) का दौर आ गया। तो मैं उसके हाथ में हाथ डालकर निकला, यहाँ तक कि हम ईदगाह में पहुँच गये तो देखा वहाँ कसीर बिन सल्त ने मिट्टी और ईंटों से मिम्बर बनाया हुआ था। तो मरवान मुझसे अपना हाथ छुड़वाने लगा गोया कि वो मुझे मिम्बर की तरफ़ खींच रहा है और मैं उसे नमाज़ की तरफ़ खींच रहा हूँ। जब मैंने उसका ये फ़ैअल (हरकत) देखा तो मैंने कहा, नमाज़ से आग़ाज़ का अमल कहाँ गया? तो उसने कहा, ऐ अबू सईद! ऐसे नहीं है। आप जो जानते हैं उसे तर्क कर दिया गया है। मैंने कहा, हर्गिज़ नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! जो मैं जानता हूँ तुम उससे बेहतर तरीक़ा नहीं निकाल सकते। तीन बार यही कहा और फिर हट गये। (मुख़ासिरा, हाथ में हाथ डालकर चलना)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि मरवान की गवर्नरी के दौर से पहले तक ख़ुत्बे से ईद की नमाज़ पहले पढ़ने का मअमूल जारी था। उसने मदीना में नमाज़ से पहले ख़ुत्बा देने का अमल शुरू किया, लेकिन हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बरमला उसको रोका और कहा, हुज़ूर(ﷺ) के तरीक़े से बेहतर तरीक़ा निकालना मुम्किन नहीं है। इसलिये तुम्हारा ये तर्ज़े अमल दुरुस्त नहीं है। लेकिन मरवान ने उनकी बात नहीं मानी। तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अलमे बग़ावत बुलंद किया। उसको सहीह बात समझाने पर इक्तिफ़ा किया और उसके बाद उसकी इक़्तिदा में ईद पढ़ ली और नमाज़ के बाद दोबारा इस मसले में उनसे बातचीत की।

بابُ ذِكْرِ اِبَاحَةِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الْعِيْدَيْنِ اِلَى الْمُصَلّٰى وَ شُهُوْدِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ

बाब 1 : ईदैन के दिन औरतों का ईदगाह की तरफ़ जाना और ख़ुत्बे में हाज़िर होना जाइज़ है, वो मर्दों से अलग होंगी

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ .

(2054) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम ईदैन में बालिग़ा, पर्दा नशीन औरतों को ले जाया करें और आपने हैज़ वाली औरतों को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों की नमाज़ से अलग रहें।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अवातिक़ : आतिक़ की जमा है उन औरतों को कहते हैं जो बालिग़ा हैं या क़रीबुल बुलूग़त हैं या शादी के क़ाबिल हैं या घर वालों के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ हैं या उन्हें काम-काज के लिये घर से निकलने की मशक़्क़त से आज़ादी मिल चुकी है। **(2) ज़वातिल ख़ुदूर :** ख़ुदूर ख़दर की जमा है। घर में पर्दा नशीन।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि तमाम औरतों को ईदैन के लिये निकलना चाहिये यहाँ तक कि हाइज़ा औरतें जो नमाज़ नहीं पढ़ सकतीं वो भी हाज़िर होंगी और लोगों के साथ ईदैन में शिरकत के बावजूद नमाज़गाह से अलग रहेंगी ताकि नमाज़ में सफ़ें न टूटें या दूसरी औरतों के लिये तकलीफ़ का बाइस न बनें। लेकिन उन्हें बनाव-सिंघार और मेकअप करके नहीं जाना चाहिये। लेकिन अजीब बात अहनाफ़ हज़रात कहते हैं कि आज-कल हालात के तग़य्युर और औरतों के बन-ठन कर निकलने की

बिना पर उनका जुम्आ, नमाज़ और ईदैन में जाना जाइज़ नहीं है, जबकि इन मौक़ों में ख़तरात कम हैं और आम हालात में पब्लिक के मक़ामात में जाना ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे नहीं रोकते। वो हर जगह बिला रोक-टोक बन-ठनकर दावते नज़ारा देती हुई आती-जाती हैं। लेकिन इन नेकी और ख़ैरात के कामों से महरूम रहती हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ، سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ قَالَتِ الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ .

(2055) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें ईदैन के लिये निकलने का हुक्म दिया जाता था। पर्दा नशीन और दोशीज़ा को भी, वो बताती हैं कि हैज़ वाली औरतें भी निकलेंगी और लोगों के पीछे रहेंगी और लोगों के साथ तकबीर कहेंगी।

(सहीह बुख़ारी : 971, अबू दाऊद : 1138)

फ़ायदा : ईदगाह की तरफ़ जाते-आते वक़्त तकबीरें कही जायेंगी और ये तकबीरें औरतें भी कहेंगी, लेकिन उनकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ، سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ" لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا " .

(2056) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि हम ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा में जवान, हाइज़ा और पर्दानशीन औरतों को लेकर जायें, लेकिन हाइज़ा जाए नमाज़ से दूर रहेंगी। वो नेक कामों और मुसलमानों की दुआ में शरीक होंगी। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हममें से कुछ के पास चादर नहीं होती? आपने फ़रमाया, 'उसकी बहन उसको अपनी चादर पहना दे।'

(तिर्मिज़ी : 540, इब्ने माजह : 1357)

मुफ़रदातुल हदीस : जिल्बाब : खुली चादर, यानी वो दूसरी औरतों से आरियतन चादर ले ले या ये मुम्किन न हो तो दोनों एक चादर ओढ़ लें।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि औरतों को वअज़ व नसीहत और इल्मी मज्लिसों में शिरकत करनी चाहिये और ज़िक्र व फ़िक्र और दुआओं में शरीक होना चाहिये।

بَاب تَرْكِ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَبَعْدِهَا فِي الْمُصَلَّى

बाब 2 : ईदगाह में नमाज़ से पहले और बाद में नमाज़ नहीं है

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ، بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا .

(2057) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल अज़्हा या ईदुल फ़ित्र के दिन बाहर निकले और दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और उससे पहले या बाद में नमाज़ नहीं पढ़ी। फिर औरतों के पास आये और आपके साथ बिलाल (रज़ि.) थे और औरतों को सदक़े का हुक्म दिया। औरतें अपनी बालियाँ, छल्ले और हार (बिलाल रज़ि. के कपड़े में) डालने लगीं।

(सहीह बुख़ारी : 964, 989, 1431, 5881, अबू दाऊद : 1159, तिर्मिज़ी : 537, नसाई : 3/193, इब्ने माजह : 1291)

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) का आम मामूल यही था कि आप ईदैन के लिये मदीना तय्यिबा की आबादी से बाहर निकलते थे और मैदान में नमाज़ पढ़ते थे जिसको आपने बतौरे ईदगाह मुन्तख़ब फ़रमा लिया था। इसलिये ईदैन की नमाज़, मुहल्ले या गाँव या अगर मुम्किन हो तो क़सबे से बाहर पढ़ी जाये और बड़े-बड़े शहरों में अब बाहर निकलना मुम्किन नहीं है। इसलिये किसी पार्क, स्कूल या कॉलेज वग़ैरह में पढ़ी जाये (और सख़ाब ये हार था जो ख़ुश्बू वग़ैरह से बनाया जाता था)।

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ، بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(2058) मुसन्निफ़ साहब ने यही हदीस एक और सनद से भी बयान की है।

बाब 3 : नमाज़े ईदैन में कौनसी सूरत पढ़ी जायेगी

مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وَ { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}

(2059) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अबू वाक़िद लैसी (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल अज़्हा और ईदुल फ़ित्र में क्या क़िरअत फ़रमाते थे? तो उन्होंने जवाब दिया और आप उनमें सूरह क़ॉफ़ वल्कुरआनिल मजीद और सूरह इक़्तरबतिस्-साअतु वन्शक़्क़ल् क़मर पढ़ा करते थे।

(अबू दाऊद : 1154, तिर्मिज़ी : 534, 535, नसाई : 3/183-184, इब्ने माजह : 1282)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ ضَمْرَةَ، بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقُلْتُ بِـ { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} وَ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}

(1260) हज़रत अबू वाक़िद लैसी (रज़ि.) बयान करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने मुझसे पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईद की नमाज़ में क्या पढ़ा था? तो मैंने कहा, इक़्तरबतिस्-साअतु और क़ॉफ़ वल्कुरआनिल मजीद की क़िरअत की थी।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदैन में सूरह ग़ाशिया की बजाए कभी सूरह क़ॉफ़ और सूरह इक़्तरबतिस्-साअतु भी पढ़ा करते थे क्योंकि सूरह क़ॉफ़ में क़ुरआने मजीद की अज़्मत के ज़िक्र के बाद मरने के बाद दोबारा जी उठने को साबित किया है और बताया है कि लोगों के आमाल व अक़्वाल का रिकॉर्ड महफ़ूज़ रखने के लिये होशियार और हाज़िरबाश फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं और उसके लिये एक रजिस्टर है जिसमें उनका इन्दराज (नोटिफ़िकेशन) हो रहा है, क़यामत की तस्वीरकशी है। मुकज़्ज़िबीन (झुठलाने वालों) के हालात की तफ़्सील है और ईमानदारों की सरफ़राज़ी का बयान है। क़ौमों के उरूज व ज़वाल की दास्तान है। रसूल की ज़िम्मेदारी का बयान और उसके लिये जिस सब्र व इस्तिक़ामत की ज़रूरत है उसके हुसूल के लिये नमाज़ की तल्क़ीन है। इस तरह ये सूरत इन्तिहाई इबरतअंगेज़ और सबक़ आमूज़ है।

इसी तरह सूरह क़मर में अलग-अलग क़ौमों के हालात व वाक़ियात बयान करके उनके अन्जाम से सबक़ लेने की हिदायत है और बताया गया है कि क़ुरआने मजीद इबरत व नसीहत और याद दिहानी हासिल करने के लिये हर पहलू से आरास्ता है इसलिये तुम इससे फ़ायदा उठाकर अपना अन्जाम अच्छा बना लो।

बाब 4 : ईद के दिनों में ऐसे खेल की इजाज़त है जो गुनाह का बाइस न बने

الرُّخْصَةِ فِى اللَّعِبِ الَّذِىْ لَا مَعْصِيَةَ فِيْهِ فِى اَيَّامِ الْعِيْدِ

(2061) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे पास अबू बकर (रज़ि.) तशरीफ़ लाये जबकि अन्सार की बच्चियों में से दो बच्चियाँ अन्सार ने जंगे बुआस़ के वक़्त जो अश्आर एक दूसरे के मुक़ाबले में कहे थे, गा रही थीं। आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं वो कोई बाक़ाइदा फनकारा न थीं और गाना उनका पेशा न था। तो अबू बकर (रज़ि.) ने फ़रमाया, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) के घर में शैतानी साज़ आवाज़? और ये ईद का दिन था। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अबू बकर! हर क़ौम के लिये एक मसर्रत और शादमानी का दिन है और ये हमारा त्यौहार या जश्ने मसर्रत है।'

(सहीह बुख़ारी : 952, इब्ने माजह : 1897)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا" .

(2062) इमाम साहब एक दूसरी सनद से यही रिवायत लाये हैं और उसमें है कि दो बच्चियाँ दुफ़ बजा रही थीं।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِيهِ جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ .

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَقَالَ " دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ " . وَقَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ

(2063) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि अबू बकर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये जबकि अय्यामे मिना (ईद के दिन) में मेरे पास दो बच्चियाँ गा रही थीं और दुफ़ बजा रही थीं और रसूलुल्लाह(ﷺ) कपड़ा ओढ़े लेटे हुए थे। अबू बकर (रज़ि.) ने उनको डांटा इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपना कपड़ा हटाकर फ़रमाया, 'ऐ अबू बकर! इन्हें छोड़िये, क्योंकि ये ख़ुशी के दिन हैं।' और हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा, आप मुझे अपनी चादर से छिपाये हुए हैं और मैं हब्शियों को खेलता हुआ देख रही हूँ और मैं कमसिन्न थी, ज़रा अन्दाज़ा लगाओ उस बच्ची का जो खेल की शौक़ीन और कमसिन्न या नौउम्र थी (कि वो किस क़द्र खेल देखेगी)।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जारियह : नौख़ेज़ (नौउम्र) लड़की। **(2) तक़ावलतिल अन्सार :** वो अश्आर जो औस और ख़ज़रज ने एक दूसरे के मुक़ाबले में अपनी जुरअत व बसालत और तफ़व्वुक़ व बरतरी के इज़हार के लिये कहे थे। बुआस़, औस के क़िले का नाम है और यौमे बुआस़ से मुराद वो वक़्त है जबकि अन्सार के दोनों क़बीलों औस और ख़ज़रज के दरम्यान जाहिलिय्यत के दौर में मअ़रका बर्पा हुआ था और उसमें क़बीला औस ग़ालिब रहा था। **(3) लैस-त बिमुग़न्नितैनि :** गाना बजाना उनका फ़न या आदत न थी कि वो नफ़्सानी ख़्वाहिशात व जज़्बात को भड़कातीं और शहवत अंगेज़ अश्आर और औरतों के हुस्नो-जमाल के तज़्किरे से ख़्वाहिशात को मुश्तअ़ल करतीं और हरामकारी की तहरीक पैदा करतीं। **(4) मज़्मूर :** ज़मीर से माख़ूज़ है। हुस्ने सौत सुरीली आवाज़ और ख़ुश इल्हानी को कहते हैं और अरबी ज़बान में ख़ुश इल्हानी से शेअ़र पढ़ने को भी ग़ुन्ना गाना से ताबीर करते हैं। दुफ़ : डफ़ली, जो चमड़े से बनाई जाती है और ढोलकी की तरह इसको बजाते हैं, लेकिन वो एक तरफ़ से खुली होती है। इसलिये इससे ज़्यादा आवाज़ पैदा नहीं होती। अय्यामे मिना : इससे मुराद अय्यामे तशरीक़ ग्यारह, बारह और तेरह ज़िल्हिज्जा के दिन हैं। **(5) फ़क़्दिरू :** अन्दाज़ा लगाओ, क़ियास करो। **(6) अल्अरिबह :** खेल की शौक़ीन और उसमें इन्तिहाई दिलचस्पी लेने वाली।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि ख़ुशी और मसर्रत व शादमानी के मौक़े पर बच्चियाँ जो पेशावर मुग़न्निया न हों और वो जिस्म के अलग-अलग पोज़ बनाकर अपने जिस्मानी शहवत अंगेज़ आज़ा को नंगा न कर रही हों और वो नफ़्स में हीजान पैदा करने वाले और जज़्बात को भड़काने वाले फ़हश अश्आर न पढ़ रही हों, तो ऐसे अश्आर जो किसी की मदह व तौसीफ़ पर मुश्तमिल हों उनमें कोई गुनाह नहीं हैं। क्योंकि ये बच्चियाँ जंगी अश्आर जिनमें अपने क़ौमी मफ़ाख़िर और कारनामे बयान किये गये थे या अपनी क़ौम की शुजाअ़त व बहादुरी और उनके ज़ुहूर व ग़ल्बे का तज़्किरा था पढ़ रही थीं और उसके बावजूद आप (ﷺ) ने अपना मुँह दूसरी तरफ़ करके चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे। जिससे मालूम होता था ये काम जाइज़ तो है पसन्दीदा नहीं है वगरना आप उसमें दिलचस्पी और रग़बत का इज़हार करते। इसलिये अइम्मए अरबआ (अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफ़ेई, इब्ने हम्बल) के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ गाने गाना नाजाइज़ है। इस तरह आलाते मौसीक़ी, मआज़िफ़ की सूरत में हों जिनको हाथ से बजाया जाता है या मज़ामीर की शक्ल में जिनको मुँह से बजाना है, का सुनना हराम है। हाँ निकाह, ईद और वलीमे के वक़्त दुफ़ बजाने की इजाज़त है। इसलिये अइम्मए अरबआ दुफ़ को इन तीन मौक़ों पर ही बजाने की इजाज़त देते हैं ये इजाज़त आम नहीं है और इससे ये बात ख़ुद-बख़ुद स़ाबित होती है। जहाँ-जहाँ आलाते मौसीक़ी का अमल दख़ल है वो सब काम हराम हैं, जैसे रेडियो, टीवी, वीसीआर और इस क़िस्म के दूसरे आलात। ख़ासकर जबकि ये प्रोग्राम औरतें नंगे मुँह और नंगे सर करती हैं और ये प्रोग्राम उमूमन मग़रिबी अख़्लाक़ और उरयानी (नंगेपन) व फ़ह्हाशी, रहज़नी और दहशतगर्दी की तालीम देते हैं और नौजवानों के अख़्लाक़ और उनकी सीरत व किरदार को तबाह कर रहे हैं। इसलिये इन आलात का कारोबार करना, ख़रीदो-फ़रोख़्त करना और उनका सुनना सब शरअ़न हराम हैं। **(2)** हब्शियों के खेल का वाक़िया 7 हिजरी में पेश आया जबकि हब्शा से वफ़्द आया था और इससे मालूम होता है कि आलाते जंग के साथ खेलना और जंगी आलात के करतब दिखाना जाइज़ है। क्योंकि ये हथियार और आलाते जंग में काम आते हैं और उनके खेल और करतब से उनके इस्तेमाल में महारत और ट्रेनिंग हासिल होती है इसलिये फ़ौज और मुजाहिदीन का फ़ौजी और जिहादी मुज़ाहिरे करना दुरुस्त है ताकि दूसरों के दिलों में भी उनकी तर्तीब लेने का शौक़ और वल्वला पैदा हो। फ़ौज और मुजाहिदीन की तर्बियत में कमाल और हुनरमन्दी पैदा हो।

(2064) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि अल्लाह की क़सम! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप मेरे कमरे के दरवाज़े पर खड़े हैं और हब्शी अपने भालों से रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद में मश्क़ें कर

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ عَلَى

بَابِ حُجْرَتِي - وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَىْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ . فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْوِ .

रहे हैं और आप मुझे अपनी चादर से ओट किये हुए हैं ताकि मैं उनके करतब देखूँ, फिर आप मेरी ख़ातिर खड़े रहे यहाँ तक कि मैं ही वापस पलटी तो अन्दाज़ा कर लो नौउम्र लड़की जो खेल की शौक़ीन हो वो कितनी देर तक खड़ी रही होंगी।

(सहीह बुख़ारी : 455)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि जंगी हथियारों का खेल व करतब या उनकी टेनिंग और मश्क़ों (अभ्यास) का मुज़ाहिरा ज़रूरत के तहत मस्जिद की चार दीवारी में भी हो सकता है और उस मुज़ाहिरे के क़रीब के घरों की औरतें, पर्दे की ओट में उस जिहादी मुज़ाहिरे को देख सकती हैं। मक़सद ये जंगी मशक़ें देखना हो मर्दों के ख़द्दो-ख़ाल देखना न हो। लेकिन घर में से पर्दे की ओट में जंगी हथियारों के मुज़ाहिरे के देखने से हॉकी, क्रिकेट या इस क़िस्म के और खेलों को खेल के मैदान में बन-ठनकर बेहिजाब देखने और खिलाड़ियों के साथ अठखेलियाँ करने का जवाज़ कैसे पैदा हो सकता है जहाँ खेल की बजाए अपनी नुमाइश का मुज़ाहिरा ज़्यादा होता है और शर्म व हया को बालाए ताक़ रखकर हयासोज़ (बेशर्मी के) काम किये जाते हैं।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى،- وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(2065) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उस वक़्त तशरीफ़ लाये जबकि मेरे पास दो बच्चियाँ जंगे बुआस़ के अश्आर बुलंद आवाज़ से पढ़ रही थीं। आप (ﷺ) बिस्तर पर लेट गये और अपना चेहरा फेर लिया और अबू बकर (रज़ि.) तशरीफ़ लाये तो उन्होंने मुझे सरज़निश की और कहा, शैतानी आवाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में? इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया, 'इन्हें छोड़िये।' जब उनकी तवज्जह हटी तो मैंने उनको इशारा किया और वो चली गईं और

وسلم فَقَالَ"دَعْهُمَا" فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمَّا قَالَ"تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ". فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ"دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ ".حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ"حَسْبُكِ" . قُلْتُ نَعَمْ.قَالَ" فَاذْهَبِي " .

ईद का दिन था, हब्शी ढालों और भालों के करतब दिखा रहे थे, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्वास्त की या आप (ﷺ) ने ख़ुद ही फ़रमाया, 'देखने की ख़्वाहिश रखती हो?' मैंने कहा, जी हाँ। आप (ﷺ) ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया, मेरा रुख़सार आपके रुख़सार को लग रहा था और आप फ़रमा रहे थे, अरे अरफ़दा के बेटो! अपना मुज़ाहिरा जारी रखो।' यहाँ तक कि जब मैं उकता गई आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बस' मैंने कहा, जी हाँ। फ़रमाया, 'चली जाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 949, 2906)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) दरक़ : दरक़ा की जमा है चमड़े की ढाल। **हिराब :** हरबह की जमा भाला, छोटा नेज़ा। **(2) बनू अरफ़दा :** हब्शियों का लक़ब है।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ.

(2066) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ईद के दिन हब्शी मस्जिद में उछल-कूद करते यानी हथियारों का मुज़ाहिरा करने आये तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बुलाया और मैंने अपना सर आप (ﷺ) के कन्धे पर रखा और उनका खेल (करतब) देखने लगी यहाँ तक कि मैं ख़ुद ही उनके खेल के देखने से वापस पलट गई।

मुफ़रदातुल हदीस़ : यज़फ़िनून : उछल-कूद रहे थे।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، نُمَيْرٍ

(2067) मुसन्निफ़ एक दूसरी सनद से रिवायत लाये हैं उसमें मस्जिद का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْمَسْجِدِ .

(2068) हज़रत आइशा (रज़ि.) कि उन्होंने खेलने वालों के बारे में कहा, उनका खेल देखना चाहती हूँ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हो गये और मैं दरवाज़े पर खड़ी होकर आप (ﷺ) के कानों और कन्धों के दरम्यान से देख रही थीं और वो मस्जिद में खेल रहे थे। अता ने कहा, वो ईरानी थे या हब्शी और मुझे इब्ने अतीक़ यानी उबैद बिन उमैर ने बताया वो हब्शी थे।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي، عَاصِمٍ - وَاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلَعَّابِينَ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ عَطَاءٌ فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ . قَالَ وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ بَلْ حَبَشٌ

(2069) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जबकि हब्शी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अपने भालों से खेल रहे थे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) पहुँच गये और कंकरियाँ उठाने के लिये झुके ताकि उन संगरेज़ों से उन्हें मारें, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया, 'ऐ उमर! इन्हें छोड़िये, इन्हें कुछ न कहें।'

(सहीह बुख़ारी : 2901)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.

इस किताब के कुल 4 बाब और 19 हदीसें हैं।

كتاب صلاة الاستسقاء

किताबु सलातिल इस्तिस्क़ा

नमाज़े इस्तिस्क़ा

(बारिश तलब करना)

हदीस़ नम्बर 2070 से 2088 तक

किताबुल इस्तिस्क़ा का तआरुफ़

अल्लाह पर ईमान की बिना पर इंसान को इस बात का भी यक़ीन हासिल हो जाता है कि वो क़ादिरे मुत्लक़ है। हर तकलीफ़ और दुख को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही अपनी रहमत से दूर कर सकता है। हम जिन अस्बाब के आदी हैं वो मौजूद हों या न हों, वो हमारी हर ज़रूरत पूरी करने पर क़ादिर है। इस बात का भी यक़ीन हासिल हो जाता है कि जो सच्ची अब्दियत (बन्दगी) इख़्तियार करे और दिल से माँगे अल्लाह उसे मायूस नहीं करता।

ख़ुश्कसाली हर जानदार की ज़िन्दगी को ख़तरे में डालती है, ऐसी कैफ़ियत में रसूलुल्लाह(ρ) ने अल्लाह से बारिश माँगने के लिये नमाज़ पढ़ने और दुआ करने का जो तरीक़ा सिखाया, इस किताब में उसकी तफ़्सील है। ये किताब भी किताबुस्सलात ही का तसल्सुल है। इस मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ और दुआए अब्दियत, इज़्हारे तज़ल्लुल, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ और इज्ज़ो इन्किसार का बेहतरीन नमूना थी, ये नमाज़ बाक़ी तमाम नमाज़ों से अलग भी थी। मुताल्लिक़ा अहादीस़ से न सिर्फ़ सलातुल इस्तिस्क़ा का तरीक़ा वाज़ेह हो जाता है बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की दुआ कितनी जल्दी और किस रहमत व सख़ावत से क़ुबूल की, उसका तज़्किरा इन्तिहाई ईमान अफ़ज़ा है। अल्लाह की रहमत इस तरह जोश में आई और ख़ुश्कसाली से उजड़ती हुई आबादियों और सहराओं पर इस फ़रावानी और तसल्सुल से बारिश बरसी कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये दुआ माँगनी पड़ी कि अब ये बारिश पहाड़ों और वादियों पर बरसे, इंसानी आबादियों, ख़ुसूसन मदीना से बराहे-रास्त बारिश का सिलसिला हटा दिया जाये।

كِتَابُ صلاة الاستسقاء

10. नमाज़े इस्तिस्क़ा (बारिश तलब करना)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ، يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

(2070) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़िनी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदगाह गये और बारिश की दुआ की और क़िब्ला रुख़ होकर अपनी चादर को पलटा।

(सहीह बुख़ारी : 1011-1012, 1005, 1023, 1024, 1025, 1026, अबू दाऊद : 1161-1162, 1164, 1166, 1167, तिर्मिज़ी : 556, नसाई : 3/155-156, 3/157, 3/158, 3/163, इब्ने माजह : 1267)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

(2071) अब्बाद बिन तमीम अपने चाचा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदगाह गये और बारिश की दुआ की और क़िब्ला रुख़ होकर अपनी चादर पलटी और दो रकअत नमाज़ पढ़ी।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ .

(2072) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बारिश की दुआ करने के लिये ईदगाह गये और जब आपने दुआ करने का इरादा फ़रमाया क़िब्ले की तरफ़ रुख़ कर लिया और अपनी चादर पलटी।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

(2073) अब्बाद बिन तमीम ने अपने चाचा से सुना और वो नबी (ﷺ) के साथियों में से थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन बारिश की दुआ माँगने के लिये निकले। अपनी पुश्त (पीठ) लोगों की तरफ़ करके अल्लाह से दुआ माँगते रहे और रुख़ क़िब्ले की तरफ़ था और अपनी चादर पलटी, फिर दो रकअत नमाज़ अदा की।

फ़वाइद : (1) बारिश तलब करने की तीन सूरतें हैं : (1) इन्फ़िरादी या इज्तिमाई तौर पर दुआ की जाये (2) ख़ुत्ब-ए-जुम्आ के दौरान दुआ करना या फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दुआ करना (3) बाहर खुले मैदान में निकल कर ख़ुत्बा देना और तमाम लोगों के साथ मिलकर दुआ करना।

(2) जब खुले मैदान में निकलकर नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ेंगे तो जुम्हूर उलमा का नज़रिया ये है कि पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर ख़ुत्बा दिया जायेगा। शवाफ़ेअ और मालिकिया के नज़दीक ख़ुत्बे दो हैं और इमाम मुहम्मद का नज़रिया भी यही है, हनाबिला के नज़दीक ख़ुत्बा एक है और इमाम अबू यूसुफ़ का मौक़िफ़ भी यही है और दुआ ख़ुत्बे में इमाम क़िब्ला रुख़ होकर करेगा, उसमें हाथ उठायेगा मुक़्तदी भी उसके साथ शरीक होंगे और आख़िर में इमाम और मुक़्तदी अपनी-अपनी चादर पलटेंगे और ख़ुत्बा नमाज़ से पहले भी हो सकता है। इसमें तौबा व इस्तिग़फ़ार और सदक़ा व ख़ैरात की तल्क़ीन होगी और दुआ

बहरहाल ख़ुत्बे में ही होंगी और चादर भी यहीं पलटी जायेगी। ख़ुत्बा नमाज़ से पहले हो या बाद में हो।

(3) इमाम मालिक इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद और साहिबैन के नज़दीक नमाज़े इस्तिस्क़ा सुन्नत है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इस्तिस्क़ा के लिये नमाज़ नहीं है। सिर्फ़ खुले मैदान में निकलकर दुआ की जायेगी और चादर भी नहीं पलटी जायेगी।

(4) शवाफ़ेअ और हनाबिला के नज़दीक नमाज़े इस्तिस्क़ा ईदैन की तरह है यानी पहली रकअत में सात तकबीरें और दूसरी में पाँच और जुम्हूर उलमा के नज़दीक नमाज़े फ़ज्र की तरह है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इन्फ़िरादी तौर पर नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ी जा सकती है और क़िरअत के बुलंद होने पर सबका इत्तिफ़ाक़ है।

رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

बाब 1 : नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिये हाथ उठाना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

(2074) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दुआ के लिये हाथ उठाते हुए देखा यहाँ तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी नज़र आती थी।

(नसाई : 3/249)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الأَعْلَى قَالَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

(2075) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) नमाज़े इस्तिस्क़ा के सिवा किसी और मौक़े पर दुआ में इस क़द्र हाथ बुलंद नहीं करते थे कि जिससे आपकी बग़लों की सफ़ेदी दिखाई दे। अब्दुल आला की रिवायत में है युरा बयाज़ु इब्तैहि 'आपकी बग़ल की सफ़ेदी' या बयाज़ु इब्तैहि दोनों बग़लों की सफ़ेदी दिखाई देती।

(सहीह बुख़ारी : 1031, 3565, अबू दाऊद : 1170, नसाई : 3/159, इब्ने माजह : 1180)

(2076) मुसन्निफ़ एक और सनद से इसी तरह की रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّحَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

(2077) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने बारिश के लिये दुआ फ़रमाई और हाथों की पुश्त से आसमान की तरफ़ इशारा किया।

(अबू दाऊद : 1171)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

फ़वाइद : (1) हुज़ूर (ﷺ) जिस क़द्र हाथ दुआए इस्तिस्क़ा में बुलंद करते थे, आम तौर पर दुआ में उतने मुबालग़े से बुलंद नहीं करते थे कि बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगे। इसलिये हज़रत अनस (रज़ि.) का ये मक़सद नहीं है कि आप (ﷺ) दुआए इस्तिस्क़ा के सिवा किसी दुआ में हाथ नहीं उठाते थे। क्योंकि दुआ के लिये हाथ उठाने की हदीसें तो मुतवातिर (बहुत ज़्यादा) हैं और तक़रीबन तीस सहाबा किराम (रज़ि.) से साबित हैं। नीज़ हज़रत अनस (रज़ि.) का अपना मुशाहिदा है जबकि दूसरे सहाबा से और जगह भी ये तरीक़ा साबित है। **(2)** आम तौर पर दुआ में हथेलियाँ ऊपर होती हैं लेकिन दुआए इस्तिस्क़ा में जिस तरह हालात की तब्दीली की ख़्वाहिश और नेक शगून के लिये चादर पलटी जाती है उसी तरह हथेलियों की बजाए उनकी पुश्त आसमान की तरफ़ की जाती है कि अल्लाह तआला ख़ुश्कसाली और क़हत को ख़ुशहाली में तब्दील फ़रमा दे।

बाब 2 : बारिश तलब करने के लिये दुआ करना

الدُّعَاءِ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ

(2078) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि जुम्आ के दिन एक आदमी दारुल क़ज़ा की तरफ़ वाले दरवाज़े से मस्जिद में दाख़िल हुआ और रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। उसने खड़े होकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

أَنَّجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهِ يُغِثْنَا . قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا " . قَالَ أَنَسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ - قَالَ - فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ - قَالَ - فَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا - قَالَ - ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا - قَالَ - فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " . فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ . قَالَ

तरफ़ मुँह किया फिर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मवेशी हलाक हो रहे हैं और रास्ते बंद हैं, अल्लाह तआला से दुआ फ़रमायें कि वो हमें बारिश से नवाज़े। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने हाथ उठा दिये। फिर कहा, ऐ अल्लाह! हमें बारिश इनायत फ़रमा। ऐ अल्लाह! हमारे लिये बारिश नाज़िल फ़रमा। ऐ अल्लाह! हमें बारिश से नवाज़! हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि अल्लाह की क़सम! हम आसमान में न कोई घटा देखते थे और न बदली या बादल का कोई टुकड़ा । हमारे और सल्अ पहाड़ के दरम्यान कोई घर या मुहल्ला न था। फिर उसके पीछे से ढाल जैसी छोटी सी बदली उठी, जब आसमान के वसत (दरम्यान) में पहुँची तो फैल गई, फिर उसने बारिश बरसाई। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, अल्लाह की क़सम! हमने हफ़्ते भर सूरज न देखा। फिर अगले जुम्आ उसी दरवाज़े से एक आदमी दाख़िल हुआ जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) खड़े ख़ुत्बा दे रहे थे। उसने खड़े होकर आपकी तरफ़ रुख़ किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मवेशी हलाक हो गये, रास्ते बंद हो गये। इसलिये अल्लाह तआला से दुआ फ़रमायें कि वो हमसे बारिश रोक ले। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हाथ उठा दिये फिर कहा, ऐ अल्लाह! बारिश हमारे आस-पास बरसा, हम पर न बरसा। ऐ अल्लाह! पहाड़ियों पर, टीलों पर, वादियों के अंदर (नदियों में) और जंगलों पर बरसा।' बादल छट गया और हम धूप में चलते मस्जिद से

निकले। शरीक कहते हैं, मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, क्या वो पहला आदमी ही था? उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं।

شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ قَالَ لاَ أَدْرِي .

(सहीह बुख़ारी : 1021, नसाई : 3/161)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) दारुल क़ज़ा : इससे मुराद हज़रत उ़मर (रज़ि.) का घर है। जिसके बारे में उन्होंने वसियत फ़रमाई थी कि मेरे क़र्ज़ की अदायगी की ख़ातिर इसे फ़रोख़्त कर दिया जाये। चूंकि ये क़र्ज़ के चुकाने के लिये बेचा गया था इसलिये इसका नाम दारुल क़ज़ा पड़ गया। **(2) हलकतिल अम्वाल :** बारिश की बन्दिश की बिना पर सब्ज़ा और चारा कम पड़ गया, इसलिये ख़ूराक की कमी की बिना पर मवेशी मरने लगे। **(3) इन्क़तअ़तिस्सुबुल :** ख़ुश्कसाली की बिना पर मवेशी कमज़ोर हो गये और रास्तों में सब्ज़ा और चारे के न मिलने की वजह से मवेशियों और क़ाफ़िलों का आना-जाना बंद हो गया। **(4) यग़िस़ना :** इग़ास़ा मदद करना और मऊ़नत देना से माख़ूज़ है। मक़सद ये है कि हमारी फ़रियाद रसी फ़रमाते हुए बारिश से नवाज़े। **(5) क़ज़अह :** बादली, बादल का टुकड़ा । **(6) सब्त :** हफ़्ता भर, सात दिन। **(7) हलकतिल अम्वालु वन्क़तअ़तिस्सुबुल :** बारिश की कस़रत की बिना पर मवेशियों को चराने के लिये बाहर ले जाना और उनका चलना-फिरना मुश्किल हो गया। पहले बारिश के न होने से ये काम हुआ था और अब उसकी कस़रत ने (ज़्यादा होने ने) ये काम कर दिखाया। **(8) आकाम :** अकमह की जमा है, पहाड़ी। **(9) ज़िराब :** ज़रब की जमा है, छोटे टीले, बुलंद जगह। **(10) इन्क़लअ़त :** बादल छट गया, बारिश बंद हो गई।

फ़वाइद : (1) बारिश के लिये ख़ुत्ब-ए-जुम्आ में इमाम मिम्बर पर जब ख़ुत्बा दे रहा हो उससे बारिश के लिये दुआ करने की अपील की जा सकती है और उसे चाहिये कि वो दरख़्वास्त को क़ुबूल करते हुए हाथ उठाकर, मिम्बर पर ही दुआ तकरार के साथ करे। **(2)** अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल (ﷺ) की दुआ को इसी क़द्र जल्द शर्फ़े क़ुबूलियत बख़्शा है कि बारिश के लिये किसी क़िस्म के निशानात नहीं थे। आसमान बिल्कुल साफ़-शफ़्फ़ाफ़ था, बादल का कोई मामूली टुकड़ा भी न था अल्लाह तआ़ला ने फ़ौरन एक छोटी सी गोल बदली उठाई, जो फैल कर घटा बन गई और हर तरफ़ जल-थल एक हो गया। **(3)** हफ़्ता भर मुसलसल बारिश होती रही, किसी ने बारिश के बंद होने की दरख़्वास्त न की, हफ़्ते के बाद फिर वही आ़राबी आया जैसाकि कई बार हज़रत अनस (रज़ि.) ने इसकी तसरीह फ़रमाई है। उसने दोबारा बन्दिश की अपील की तो आपने बारिश के बंद होने की बजाए ये दुआ फ़रमाई कि ऐ अल्लाह! उन जगहों में नाज़िल फ़रमा जहाँ बारिश की ज़रूरत है और हम से बारिश को रोक दे। जिससे मालूम हुआ बारिश की बन्दिश की दुआ भी महदूद पैमाने पर मिम्बर के ऊपर ही की जा सकती है और यहाँ भी अल्लाह तआ़ला ने आपकी दुआ फ़ौरन क़ुबूल फ़रमाई, मदीना के ऊपर बारिश बरसना बंद हो गई और आस-पास बरसती रही।

(2079) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में लोग ख़ुश्कसाली (अकाल) का शिकार हो गये। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन मिम्बर पर लोगों को ख़िताब फ़रमा रहे थे तो एक बदवी खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मवेशी हलाक हो गये, बाल-बच्चे भूखे मरने लगे.... आगे मज़्कूरा वाला हदीस़ है।

और उसमें है आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! हमारे आस-पास, हमारे ऊपर नहीं।' और आप जिस तरफ़ इशारा करते, बादल छट जाते यहाँ तक कि मैंने मदीना मुनव्वरा को गढ़ा की तरह देखा और वादीए क़नात एक माह तक बहती रही और जिधर से भी कोई शख़्स आया उसने बारिश बरसने की इत्तिलाअ दी।

(सहीह बुख़ारी : 933, 1033,1018, नसाई : 3/166-167)

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ . وَفِيهِ قَالَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا " . قَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا . وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ أَخْبَرَ بِجَوْدٍ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सनह : क़हत, ख़ुश्कसाली (अकाल)। **(2) तफ़र्रजत :** बादल छट गये, आसमान साफ़ हो गया। **(3) मिस़्लुल् जौबह :** मदीना गढ़ा की तरह हो गया कि मदीना के ऊपर से बादल छट गये और गोलाई में आस-पास बरसने लगे। **(4) जौद :** मूसलाधार बारिश।

(2080) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि लोग खड़े होकर आपके सामने पुकारने लगे, ऐ अल्लाह के नबी! बारिश बंद हो गई, पौधे सुर्ख़ हो गये या दरख़्तों के पत्ते सूख गये और मवेशी मरने लगे.... आगे मज़्कूरा वाला हदीस़ है और

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ

النَّاسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الأَعْلَى فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ . فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيْلِ-

अ़ब्दुल आ़ला की रिवायत में है, मदीना से बादल छट गये और उसके आस-पास बारिश बरसाने लगे और मदीना में एक क़तरा भी नहीं बरस रहा था। मैंने मदीना को देखा वो एक दायरा या टोपी की तरह अंदर से बारिश से महफ़ूज़ था।

(सहीह बुख़ारी : 1021, नसाई : 3/160-161)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) क़हितल मतर : बारिश रुक गई। **(2) अहमर्रशशजर :** बारिश न होने से पत्ते ख़ुश्क हो गये या हरियाली ख़त्म हो गई। क्योंकि शजर का इत्लाक़ हर क़िस्म की नबातात पर हो जाता है। **(3) तक़श्शअ़त :** बादल छट गये, मतलअ़ (आसमान) साफ़ हो गया। **(4) इक्लील :** पट्टी, किसी चीज़ को हर तरफ़ से घेरने वाली। इसलिये टोपी और ताज पर इसका इत्लाक़ हो जाता है। जिस तरह सर पर ताज, हेट या टोपी हो तो वो बारिश से महफ़ूज़ होता है उसी तरह मदीना बारिश से महफ़ूज़ हो गया।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِنَحْوِهِ وَزَادَ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تُهِمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ .

(2081) इमाम साहब हज़रत अनस (रज़ि.) से यही रिवायत एक और सनद से लाये हैं उसमें ये इज़ाफ़ा है कि अल्लाह तआ़ला ने बादलों को जोड़ दिया और हम रुक गये और मैंने देखा कि क़वी और मज़बूत आदमी को भी घर पहुँचने की परेशानी और फ़िक्र थी।

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَزَادَ فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلاَءُ حِينَ تُطْوَى .

(2082) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक बद्दू जुम्आ के दिन जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर थे आपके पास आया और मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की और उसमें ये इज़ाफ़ा किया मैंने बादलों को इस तरह फटते देखा गोया वो एक बड़ी चादर थी, जिसको लपेट दिया गया।

फ़ायदा : आम रिवायात में बारिश की अपील एक बद्दू ने की है। लेकिन एक रिवायत में है कि सब लोग पुकारने लगे। तो इसकी वजह है कि दरख़्वास्त एक ही फ़र्द ने की थी। इसलिये असल मुहर्रिक और दाई वही था। दूसरे लोगों ने तो सिर्फ़ उसकी ताईद में आवाज़ बुलंद की थी। इसलिये अपील की निस्बत उसी की तरफ़ की गई है जबकि ख़्वाहिशमन्द और ताईद कुनिन्दा सब थे।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ ‏"‏ لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏"‏ ‏.‏

(2083) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि बारिश हम पर बरसने लगी, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना कपड़ा बदन से उठा दिया, यहाँ तक कि बारिश आपके बदन पर गिरने लगी। हमने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यों किया? आपने फ़रमाया, 'क्योंकि वो अपने रब के हुक्म से उसके पास से नई-नई आ रही है।'

(अबू दाऊद : 5100)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ बारिश का बंद करना और उसका बरसना अल्लाह तआ़ला के क़ब्ज़े में है।.वो जब चाहे रोक ले जब चाहे बरसा दे। ख़्वाह उसके ज़ाहिरी अस्बाब कुछ ही हों और इससे ये भी स़ाबित हुआ कि अल्लाह तआ़ला ऊपर है, क्योंकि आपने फ़रमाया, 'अपने रब के पास से नई-नई आ रही है।' और बारिश ऊपर से आती है। इसलिये उससे बरकत हासिल करना पसन्दीदा है।

التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ

बाब 3 : हवा और बादल को देखकर पनाह माँगना और बारिश बरसने से फ़रहत और ख़ुशी का इज़्हार करना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

(2084) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की आ़दते मुबारका थी कि जब आन्धी या बादल होता तो उस वक़्त आपके चेहरे पर (ख़ौफ़ की कैफ़ियत) नुमायाँ होती (इज़्तिराब की बिना पर) कभी आगे जाते और कभी पीछे हटते

और जब बारिश बरसना शुरू हो जाती तो उससे आप ख़ुश होते और ख़ौफ़ की कैफ़ियत दूर हो जाती। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने आप (ﷺ) से इसकी वजह पूछी तो आपने जवाब दिया, 'मुझे ख़तरा पैदा हो जाता है कि मेरी उम्मत पर अ़ज़ाब ही मुसल्लत न कर दिया गया हो।' और बारिश को देखकर फ़रमाते, 'रहमत है।'

صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ " إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي " . وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ " رَحْمَةٌ" .

(2085) हज़रत आइशा (रज़ि.) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) की आदत थी, जब तेज़ हवा चलती दुआ करते, 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे इसकी ख़ैर व भलाई का तलबगार हूँ और जो इसमें है उसकी ख़ैर का और जिस चीज़ को इसमें भेजा गया है उसकी ख़ैर माँगता हूँ और उसके शर (नुक़्सान) से और जो इसमें है उसके शर से और जो इसमें भेजा गया है उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ।' बयान फ़रमाती हैं, जब आसमान पर बादल गरजते तो आपका रंग बदल जाता और आप (इज़्तिराब और डर से) कभी अंदर आते और कभी बाहर निकल जाते, कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते और जब बारिश हो जाती आपकी ये कैफ़ियत ख़त्म हो जाती। आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, जब मुझे इस कैफ़ियत का पता चला तो मैंने इसके बारे में आप (ﷺ) से सवाल किया तो आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! हो सकता है ये वही सूरत हो जैसे आद की क़ौम ने देखकर कहा था, 'जब उन्होंने उसे (अ़ज़ाब को) बादल की तरह

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُنَا عَنْ عَطَاءِ، بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ " . قَالَتْ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ " لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} " .

अपनी बस्तियों की तरफ़ आते देखा तो कहा, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसायेगा।' (सूरह अहक़ाफ़ : 24)

(तिर्मिज़ी : 3449, इब्ने माजह : 3891)

(2086) नबी (ﷺ) की अहलिया मोहतरमा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने कभी आप (ﷺ) को पूरी तरह खुल कर हँसते नहीं देखा कि मैं आपका कवाद देख लूँ। आप सिर्फ़ मुस्कुराया करते थे और आप जब बादल या आन्धी (तुन्द व तेज़ हवा) देखते तो उसका असर आपके चेहरे पर ज़ाहिर हो जाता। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं लोगों को देखती हूँ जब वो बादल देखते हैं, ख़ुश हो जाते हैं इस उम्मीद पर कि बारिश होगी और मैं आपको देखती हूँ आप जब बादल देखते हैं तो मैं आपके चेहरे पर नाख़ुशी महसूस करती हूँ। आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! मैं इस बात से बेख़ौफ़ नहीं होता कि कहीं इसमें अज़ाब हो। एक क़ौम आन्धी के अज़ाब का शिकार हुई थी, एक क़ौम ने अज़ाब देखकर कहा, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसायेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 4828-4829, 6029, अबू दाऊद : 5098)

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - قَالَتْ- وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ اَنْ عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَاٰى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا۔

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि इंसान का दर्जा व मर्तबा कितना ही बुलंद व बाला क्यों न हो, वो अल्लाह के अज़ाब से बेख़ौफ़ नहीं हो सकता। इसलिये ऐसी चीज़ देखकर जो तबाही व बर्बादी का पेश ख़ैमा बन सकती है। अल्लाह से पनाह तलब करनी चाहिये और तुन्द व तेज़ हवा या आन्धी के वक़्त हदीस में गुज़रने वाली दुआ पढ़नी चाहिये।

فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ

बाब 4 : सबा और दबूर (मश्रिक़ी और मग़्रिबी हवा)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ " .

(2087) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मेरी बादे सबा (मश्रिक़ी हवा) से मदद की गई है और आदियों को बादे दबूर (मग़्रिबी हवा) से हलाक किया गया।

(सहीह बुख़ारी : 1035, 325, 3343, 4105)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ .

(2088) इमाम साहब एक दूसरी सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : इस तमाम कायनात का मालिक और मुदब्बिर व मुन्तज़िम अल्लाह तआला है और जब इंसान उसका हो जाता है तो वो उसकी जिस तरह चाहे मदद कर सकता है तो उसके उरूज व ज़वाल का पसे मन्ज़र यही है कि जो क़ौम अल्लाह की फ़रमांबरदार और इताअत गुज़ार बन जाती है अल्लाह तआला कायनाती कुव्वतों को उसकी मदद पर मामूर फ़रमा देता है और जब कोई क़ौम अल्लाह की मुख़ालिफ़त व तुग़यान में आख़िरी हुदूद को फलांगने लगती है तो तक्वीनी कुव्वतों से उसको तबाह व बर्बाद कर देता है।

इस किताब के कुल 5 बाब और 34 हदीसें हैं।

كتاب الكسوف

किताबुल कुसूफ़

सूरज और चाँद ग्रहण का बयान

हदीस़ नम्बर 2089 से 2122 तक

किताबुल कुसूफ़ का तआरुफ़

सूरज या चाँद को ग्रहण लगना इंसानों के लिये ग़ैर मामूली और बहुत बड़ा वाक़िया है। सूरज और चाँद दिन और रात में रोशनी का मम्बअ़ (स्रोत/सर चशमा) हैं। ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदारों, ख़ुसूसन इंसानों का जिस्मानी निज़ाम इस तरह बना हुआ है कि उनके प्रोग्राम का बुनियादी और अहम हिस्सा सूरज निकलने और गुरूब होने या दिन और रात के साथ वाबस्ता है। देखना, रंगों की पहचान, सोना-जागना, निशाते कारावर-इर्तिकाज़े तवज्जह वग़ैरह का तअ़ल्लुक़ दिन और रात की तक़सीम के साथ जुड़ा हुआ है। जब ग्रहण लगता है तो तमाम जानदारों के जिस्मानी निज़ाम उसके मुताबिक़ तब्दील होते हैं। जदीद साइन्सी तहक़ीक़ात बताती हैं कि जब मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है तो रात को सो जाने वाले जानवरों पर नींद तारी हो जाती है, परिन्दे भी बेहिस्स व हरकत हो जाते हैं। वो जानदार जिनका जिस्मानी प्रोग्राम दिन को सोने और रात को जागने के लिये है वो नींद से बेदार हो जाते हैं और कुछ देर बाद सूरज ग्रहण ज़ाइल होने पर परेशानी और शक में पड़ जाते हैं। इंसानों के जिस्मानी प्रोग्राम पर भी उनके असरात मुरत्तब होते हैं। साइंस ये कहती है कि सूरज ग्रहण के मौक़े पर कई बार 'साये की पट्टियाँ' (Shadow bands) सामने आती हैं। शुरूआत में ये ज़मीन पर बिछी हुई नज़र आती हैं, फिर ये रेंगती हुई नज़र आती हैं, ऐसे लगता है कि वो तुम्हारी तरफ़ बढ़ी चली आ रही हैं। इंसानों के लिये उनको देखना एक ख़ौफ़ पैदा करने वाला तजुर्बा होता है। उनके बारे में (Draco Report) की चंद सुतूर का तर्जुमा ये है, 'चाहे आपको मालूम हो कि इसकी हक़ीक़त क्या है, ये एक ख़ौफ़ज़दा कर देने वाला तजुर्बा हो सकता है। आपका जिस्म इसके बारे में अपनी राय रखता है कि क्या ठीक है (और क्या ग़लत)। ज़मीन पर आपकी तरफ़ रेंगती हुई पट्टियाँ उसके लिये क़ाबिले क़ुबूल नहीं ....। चाहे आपका दिमाग़ कह रहा हो कि सब कुछ ठीक है, फिर भी आपका जिस्म यही चाहेगा कि वो वहाँ से भाग जाये और कहीं छिप जाये।'

सूरज ग्रहण, सूरज और ज़मीन के दरम्यान चाँद के हाइल होने से चाँद ग्रहण, सूरज और चाँद के दरम्यान ज़मीन हाइल होने से पैदा होता है। ये उन सय्यारों की ग़ैर मामूली पोज़िशन है। कुछ मौक़ों पर चाँद आ़म मामूल की निस्बत ज़मीन से ज़्यादा क़रीब होता है और कुछ मौक़ों पर आ़म मामूल से ज़्यादा सूरज के क़रीब हो जाता है। क़ुरआन मजीद ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई है कि चाँद को ग्रहण लगेगा, उसके बाद ऐसी पोज़िशन पर आयेगा कि सूरज और चाँद एक हो जायेंगे। कहकशाओं में ऐसा होता रहता है। बड़े सय्यारे बेनूर होने के बाद आस-पास के निस्बतन छोटे सय्यारों को निगलना शुरू कर देते हैं। क़ुरआन के इस बयान से वाज़ेह होता है कि ग्रहण के मौक़े पर

रसूलुल्लाह (ﷺ) क्यों जल्दी से नमाज़ शुरू कर देते। ये मौक़े क़यामत के क़ियाम के मौक़े से बेहद मुशाबिहत रखता है। ये सिर्फ़ इस हवाले से ख़ौफ़ का मौक़ा नहीं कि साये की पट्टियाँ रेंगती हुई लगती हैं बल्कि इस वजह से ख़ौफ़ का सबब है कि यही कैफ़ियत क़यामत बरपा होने के वक़्त होगी।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ग्रहण शुरू होते ही नमाज़े कुसूफ़ शुरू करते। इसकी अदायगी का तरीक़ा भी दूसरी तमाम नमाज़ों से अलग है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस किताब में जो अहादीस़ बयान कीं उनमें नमाज़े कुसूफ़ का ख़ास तरीक़ा भी है कि इसमें सुजूद से पहले बार-बार क़ियाम और रुकूअ होते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुसूफ़ की नमाज़ के साथ दुआओं और ज़िक्र व नसीहत को भी शामिल किया। नमाज़े कुसूफ़ के दौरान में आपको उन उमूरे ग़ैबिया का मुशाहिदा कराया गया जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं। आपने अपने इस मुशाहिदे से भी उम्मत को आगाह किया। ग्रहण का मशहूर तरीन मौक़ा उस दिन था जब आपके फ़रज़न्द हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) का इन्तिक़ाल हुआ। आपने उस मौक़े पर ये बात अच्छी तरह से वाज़ेह फ़रमाई कि सूरज और चाँद को किसी की मौत की बिना पर ग्रहण नहीं लगता। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। क़ुरआन मजीद ने भी वज़ाहत से यही बताया है कि रात-दिन और सूरज-चाँद अल्लाह की निशानियाँ हैं, 'और उसी (अल्लाह) की निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चाँद भी हैं।' (सूरह हाम्मीम अस्सजदा 41 : 37) 'बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के इख़्तिलाफ़ में अक़्लमन्दों के लिये निशानियाँ हैं।' (सूरह आले इमरान 3 : 190) 'और चाँद बेनूर हो जायेगा और जमा कर दिये जायेंगे सूरज और चाँद।' (सूरह क़ियामह 75 : 8-9) इंसानी ज़िन्दगी के साथ उनके तअल्लुक़ पर ग़ौर करने वाला इस नतीजे पर पहुँचे बग़ैर नहीं रहता कि ख़ालिके कायनात अलीम व हकीम भी है और क़ादिरे मुत्लक़ भी। अल्लाह तआला अपनी निशानियों के ज़रिये से अपने बन्दों के दिलों में ख़ौफ़ पैदा फ़रमाता है जो इंसान के सीधे रास्ते पर रहने, अल्लाह की इताअत और उसकी नाफ़रमानी से बचने में मददगार व मुआविन स़ाबित होता है।

ग़ैर मामूली वाक़िया होने की वजह से क़दीम ज़माने से इंसान, ग्रहण के मामले में बहुत से तवहहुमात (वहमों) का शिकार रहा है। ये तवहहुम बहुत आम रहा कि किसी अज़ीम हस्ती की मौत पर सूरज या चाँद को ग्रहण लग जाता है।

كتاب الكسوف

11. सूरज और चाँद ग्रहण का बयान

صلوة الكسوف

बाब 1 : नमाज़े कुसूफ़

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح .وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ

(2089) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज बेनूर हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हो गये और आप (ﷺ) ने इन्तिहाई तवील क़ियाम फ़रमाया। फिर आपने रुकूअ किया और इन्तिहाई तवील रुकूअ किया। फिर आपने अपना सर उठाया और इन्तिहाई तवील क़ियाम किया और ये पहले क़ियाम से कम था। फिर आपने रुकूअ किया और बहुत लम्बा रुकूअ किया और ये पहले रुकूअ से कम था। फिर आपने सज्दे किये। फिर आप खड़े हो गये और बहुत लम्बा क़ियाम किया जो पहले क़ियाम से कम था। फिर रुकूअ किया और लम्बा रुकूअ किया और ये पहले रुकूअ से कम था। फिर अपना

الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ " . وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ " .

सर उठाया और क़ियाम किया और लम्बा क़ियाम किया और ये पहले क़ियाम से कम था। फिर रुकूअ किया और तवील रुकूअ किया और ये पहले रुकूअ से कम था फिर सज्दे किये। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरा जबकि सूरज रोशन हो चुका था और लोगों को ख़िताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान की फिर फ़रमाया, 'बेशक सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं और वो किसी की मौत व हयात से बेनूर नहीं होते, जब तुम उन्हें इस हालत में देखो तो तकबीरें कहो। अल्लाह तआला से दुआ माँगो, नमाज़ पढ़ो और सदक़ा करो। ऐ उम्मते मुहम्मदिया! अल्लाह तआला से ज़्यादा किसी को इस बात पर ग़ैरत नहीं आती कि उसका कोई बन्दा या लौण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद! अल्लाह की क़सम! अगर तुम उन बातों को जान लो जिनको मैं जानता हूँ, तो तुम बहुत रोओ और बहुत कम हँसो। यानी रोते रहो और हँसना बंद कर दो। क्या मैंने पहुँचा दिया।' और इमाम मालिक की रिवायत में है कि सूरज और चाँद अल्लाह तआला की क़ुदरत व कारीगरी की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1044, नसाई : 3/132)

फ़वाइद : (1) लुग़वी तौर पर कसफ़, इन्कसफ़ और ख़सफ़ इन्ख़सफ़ और अहादीस़ की रू से हम मानी हैं और शम्स व क़मर (चाँद और सूरज) दोनों के लिये इस्तेमाल होते हैं। अगरचे कुछ (फ़ुक़हा) ने शम्स के लिये कुसूफ़ और क़मर के लिये ख़ुसूफ़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि कुसूफ़ का

मानी स्याही माइल होना है और ख़ुसूफ़ का कम होना, घटना, उनकी रोशनी मुकम्मल तौर पर भी ख़त्म हो सकती है और जुज़्वी तौर पर भी। (2) अहले हैयत के नज़दीक आम तौर पर सूरज को ग्रहण 28-29 क़मरी तारीख़ को लगता है और चाँद को 13-14 क़मरी तारीख़ को और उसूली तौर पर हर छः माह बाद सूरज को ग्रहण लगना मुम्किन है और क़ाज़ी मुहम्मद सुलैमान मन्सूरपूरी ने अपने छोटे भाई वकील साहब यानी क़ाज़ी अब्दुर्रहमान के हवाले से जो इल्मे हैयत के बहुत बड़े माहिर थे, ये लिखा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के तेईस साला दौरे नुबूवत में 19 बार कुसूफ़े शम्स हुआ है और बक़ौल बाज़ ख़ुसूफ़े क़मर सिर्फ़ दो बार और बक़ौले इमाम इब्ने हिब्बान आपने 5 हिजरी में नमाज़े ख़ुसूफ़े क़मर पढ़ी है और सूरज ग्रहण पहली बार 9 अप्रैल 609 ईस्वी बमुताबिक़ 28 रबीउल आख़िर 40 मीलादे नबवी में और आख़िरी बार 27 जनवरी 632 ईस्वी बमुताबिक़ 29 शव्वाल 10 हिजरी बरोज़ सोमवार और हिन्दुस्तान में उस वक़्त 28 शव्वाल था और ये वो दिन है जिसमें आपके लख़्ते जिगर हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) की वफ़ात हुई है और बक़ौल बाज़ उस वक़्त दिन के साढ़े आठ बजे थे। इस तरह हिज्रत के बाद सूरज को ग्रहण दस बार लगा, लेकिन ग्रहण लगने से इसका हर जगह नज़र आना ज़रूरी नहीं है, इसलिये नमाज़े ख़ुसूफ़ में इख़्तिलाफ़ है। इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (रह.) के नज़दीक सलातुल कुसूफ़ दो रकअतें लम्बा क़ियाम, लम्बा रुकूअ और लम्बे सज्दों के साथ हैं और हर रकअत में दो रुकूअ और सज्दे हैं। (3) और पहले रुकूअ से उठकर फ़ातिहा पढ़कर क़िरअत शुरू की जायेगी और अहनाफ़ के नज़दीक सलातुल कुसूफ़ भी आम नवाफ़िल की तरह हैं। यानी एक रकअत में एक ही रुकूअ है लेकिन सहीह मुस्लिम की रिवायात से साबित होता है कि आपने एक रकअत में कई बार दो, कई बार तीन और कई बार चार रुकूअ किये और सुनन अबी दाऊद में पाँच रुकूअ भी आये हैं। इसलिये इमाम इस्हाक़, इब्ने जरीर और इब्नुल मुन्ज़िर वग़ैरह के नज़दीक तमाम सूरतें जाइज़ हैं और बक़ौल इमाम नववी दलील की रू से यही मज़हब क़वी है अगर सलाते कुसूफ़ में तकरार साबित हो जाये, जैसाकि कुसूफ़ की कसरत का और हदीसों के इख़्तिलाफ़ का तक़ाज़ा है तो उस सूरत में तमाम सूरतों के जवाज़ में कोई कलाम नहीं है। लेकिन अगर नमाज़ में तकरार साबित न हो, जैसाकि चारों इमामों का मौक़िफ़ है तो फिर अहादीस को एक दूसरे पर तरजीह दिये बग़ैर चारा नहीं है जैसाकि इमाम बुख़ारी (रह.) एक रकअत में सिर्फ़ दो रुकूअ वाली रिवायात ही मुख़्तलिफ़ सहाबा से लाये हैं। लेकिन इस सूरत में बिला वजह सहीह अहादीस को राजेह और मरजूह क़रार देना पड़ेगा। (4) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक सलातुल कुसूफ़ सुन्नते मुअक्कदा है और अहनाफ़ के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं। वाजिब, सुन्नते मुअक्कदा, सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा और इमाम अबू अवाना के नज़दीक वाजिब है और यही दलील का तक़ाज़ा है। (5) शवाफ़ेअ के नज़दीक सलातुल कुसूफ़ के लिये कोई वक़्त मुतअय्यन नहीं है। क्योंकि सूरज के ग्रहण लगने का कोई मुतअय्यन वक़्त नहीं है

इसलिये जब सूरज गहनायेगा उस वक़्त नमाज़ पढ़ी जायेगी और यही सहीह मौक़िफ़ है अहनाफ़ और हनाबिला के नज़दीक औक़ाते कराहत में नमाज़ नहीं पढ़ी जायेगी और मालिकिया के नज़दीक इसका वक़्त चाश्त से लेकर सूरज ढलने तक है। (6) रसूलुल्लाह(ﷺ) की हयाते तय्यिबा में सूरज को आख़िरी ग्रहण उस वक़्त लगा जिस दिन आपके शीरख़्वार साहबज़ादे इब्राहीम (रज़ि.) तक़रीबन डेढ़ साल की उ़म्र के थे और अ़रबों में ज़मान-ए-जाहिलिय्यत के तवह्हुमात में से एक वहम व ख़्याल ये भी था कि बड़े लोगों की मौत व हयात पर सूरज को ग्रहण लगता है और आपके साहबज़ादे की वफ़ात के दिन सूरज के ग्रहण में आ जाने से उस तवह्हुम परस्ती और ग़लत अ़क़ीदे को तक़वियत पहुँच सकती थी और कुछ लोगों ने इसका इज़हार भी किया। इसलिये रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस मौक़े पर ग़ैर मामूली ख़शियत और इन्तिहाई फ़िक्रमन्दी का इज़हार किया। लोगों को ख़ुसूसी तौर पर सलाते कुसूफ़ के लिये मस्जिद में अस्सलातु जामिअ़ह के अल्फ़ाज़ के ज़रिये जमा किया और नमाज़ में आपने क़ियाम, रुकूअ़ और सज्दे भी बहुत लम्बे किये। नमाज़ के दौरान में दुआ भी बहुत एहतिमाम और इब्तिहाल के साथ की, नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया और उसमें ख़ुसूसी तौर पर इस ख़्याल को पुरज़ोर तरीक़े से रद्द किया कि सूरज या चाँद को ग्रहण किसी बड़े आदमी की ज़िन्दगी या मौत की वजह से लगता है ये तो दरअसल अल्लाह तआ़ला की वहदानियत, क़ुदरत और सन्अ़त, उसकी सतवत व हैबत और उसके जलाल व जबरूत की निशानी है, जिसका मक़सद लोगों को उनके गुनाहों और जराइम से बाज़ रखना है कि उस ज़ात की पकड़ से बचो जो सूरज और चाँद को भी बेनूर कर सकता है। जिनकी रोशनी से दुनियवी ज़िन्दगी का कारोबार चल रहा है। इसलिये आप ख़ुत्बे में तौबा व इस्तिग़फ़ार और सदक़ा व ख़ैरात करने की तल्क़ीन फ़रमाते और आपने फ़रमाया, युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहा इबादहू 'इसके ज़रिये अपने बन्दों को डराता है।'

حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ"أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ " . وَزَادَ أَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " .

(2090) मुसन्निफ़ साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक दूसरी सनद से लाये हैं। उसमें ये इज़ाफ़ा है, फिर आपने फ़रमाया, 'हम्दो-सलात के बाद, सूरज और चाँद अल्लाह की क़ुदरत व कारीगरी की निशानियों में से हैं।' और ये भी इज़ाफ़ा है, फिर आपने दोनों हाथ उठाये और फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! क्या मैंने बात पूरी तरह पहुँचा दी यानी अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया।'

(2091) नबी (ﷺ) की अहलिया मोहतरमा हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते तय्यिबा में सूरज को ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले आये। नमाज़ के लिये खड़े हो गये और तकबीर कही और लोगों ने आप (ﷺ) के पीछे सफ़ बांध ली। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लम्बी क़िरअत की। फिर अल्लाहु अकबर कहकर लम्बा रुकूअ किया। फिर आपने अपना सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदह् रब्बना व लकल् हम्द कहा और फिर खड़े हो गये और लम्बी क़िरअत की जो पहली से कम थी। फिर अल्लाहु अकबर कहकर तवील रुकूअ किया जो पहले से कम था। फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदह् रब्बना लकल् हम्द कहा। फिर सज्दे किये और अबू ताहिर ने सज्दे का ज़िक्र नहीं किया। फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह किया यहाँ तक कि चार रुकूअ और चार सज्दे मुकम्मल कर लिये आपके सलाम फेरने से पहले सूरज रोशन हो गया। फिर आप (ﷺ) ने खड़े होकर लोगों को ख़िताब फ़रमाया और अल्लाह तआला के शायाने शान उसकी सना बयान की। फिर फ़रमाया, 'सूरज और चाँद अल्लाह तआला (की क़ुदरते क़ाहिरा और उसके जलाल व जबरूत की) निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, वो किसी की मौत की वजह से गहनाते हैं न किसी की पैदाइश पर। जब तुम उन्हें ग्रहण

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ،أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". ثُمَّ سَجَدَ - وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ-ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ

النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ ".وَقَالَ أَيْضًا"فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللَّهُ عَنْكُمْ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدِّمُ - وَقَالَ الْمُرَادِيُّ أَتَقَدَّمُ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ " . وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ " فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

में देखो तो नमाज़ की पनाह लो।' और फ़रमाया, 'नमाज़ पढ़ो, यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारी मुसीबत दूर करके तुम्हारे लिये कुशादगी कर दे।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने अपनी इस जगह परे वो चीज़ देख ली जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया है, यहाँ तक कि मैंने अपने आपको देखा कि मैं जन्नत का एक गुच्छा लेना चाहता हूँ जिस वक़्त तुमने मुझे देखा कि मैं अपने आपको आगे बढ़ा रहा हूँ।' हरमला ने उक़द्दिम कहा और मुरादी ने अतक़द्दम आगे बढ़ रहा हूँ। 'और मैंने जहन्नम को देखा कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को रेज़ा-रेज़ा कर रहा है। जिस वक़्त तुमने मुझे देखा कि मैं पीछे हटा और मैंने जहन्नम में इब्ने लुहय्य को देखा जिसने सबसे पहले साइबा को छोड़ा।' अबू ताहिर की रिवायत फ़फ़ज़ऊ इलस्सलात 'फ़ौरन नमाज़ की पनाह लो' पर ख़त्म हो गई। उसने बाद वाला हिस्सा बयान नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 1046, 1212, अबू दाऊद : 1180, नसाई : 3/130-131-132, इब्ने माजह : 1263)

मुफ़रदातुल हदीस़ : सवाइब : साइबा की जमा है इससे मुराद वो ऊँट है जिसको बुतों की नज़्र करके छोड़ दिया जाता था और उससे किसी क़िस्म का काम नहीं लिया जाता। वो सिर्फ़ मुजाविरों के लिये वक़्फ़ हो जाता था।

फ़ायदा : इस हदीस़ में जन्नत और दोज़ख़ के देखने का तज़्किरा किया गया है और ये नज़ारा आपने इन माद्दी और ज़ाहिरी आँखों से किया था। अगर आज साइंस इस क़द्र तरक़्क़ी कर सकती है कि एक इंसान एक जगह खड़े होकर तक़रीर कर रहा है और लोग हर जगह अपने-अपने मुल्क और अपने-अपने घर में

उसकी तक़रीर सुन रहे हैं और उसको देख रहे हैं तो जो ज़ात तमाम कायनात की ख़ालिक़ और मालिक और साइन्सदान उसकी एक अदना मख़्लूक़ हैं, तो वो अगर अपने नबी (ﷺ) को अपनी जगह, जन्नत और दोज़ख़ का हक़ीक़तन नज़ारा करा दे तो ये क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इससे ये साबित करना कि आप (ﷺ) जब देखना चाहें देख सकते हैं। सात आसमान आपके लिये हिजाब नहीं बनते और ये भी मालूम हुआ कि आप ज़मीन पर रहते हुए जन्नत में तसर्रुफ़ कर सकते हैं और जन्नत की चीज़ें आपके दस्ते तसर्रुफ़ की ज़द में हैं, ये सब बातें महज़ सीना ज़ोरी हैं। अगर आप जब चाहें देख सकते हैं तो मक़ामी हाज़ा की क़ैद लगाने की क्या ज़रूरत थी और ये काम सिर्फ़ वाक़िय-ए-कुसूफ़ में ही क्यों पेश आया। जो उन हज़रात के नज़दीक सिर्फ़ एक बार आपके शीरख़्वार बेटे की वफ़ात पर 10 हिजरी में पेश आया और अपने बेटे को मौत से क्यों नहीं बचा लिया। लेकिन अजब बात है कि आख़िर में लिखा है लेकिन ये तमाम कमालात अल्लाह तआला की इजाज़त और अता के साथ मुक़य्यद हैं। शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नं. 739 जब सूरते हाल ये है तो फिर इसकी क्या हक़ीक़त रही कि 'अल्लाह तआला ने जन्नत आप (ﷺ) की मिल्क कर दी है जिस तरह चाहते हैं उसमें तसर्रुफ़ करते हैं।'

इसी तरह इस वाक़िये से आपके इल्मे ग़ैब को कशीद (साबित) करने की लाहासिल बहस की है और उसके तहत मुतज़ाद बातें लिखी हैं। इसमें फ़ैसलाकुन बात वही है जो अल्लामा आलूसी की तफ़्सीर से क़ुल्ला यअ्लमु मन फ़िस्समावाति वल्अरज़िल् ग़ै-ब इल्लल्लाह की आयत की तफ़्सीर से नक़ल की है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الشَّمْسَ، خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِيًا " الصَّلاَةَ جَامِعَةً " . فَاجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ . وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

(2092) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने मुबारक में सूरज को ग्रहण लग गया, तो आपने एक मुनादी करने वाले को भेजा कि वो ऐलान करे, 'नमाज़ के लिये हाज़िर हो जाओ।' लोग जमा हो गये। आपने आगे बढ़कर तकबीरे तहरीमा कही और दो रकअत में चार रुकूअ और चार सज्दे किये।

(सहीह बुख़ारी : 1066, नसाई : 9/127, 1472)

(2093) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने सलाते ख़ुसूफ़ में क़िरअत बुलंद आवाज़ से की। दो रकअत नमाज़ चार रुकूअ और चार सज्दों के साथ अदा की।

(सहीह बुख़ारी : 1065, अबू दाऊद : 1190, नसाई : 3/146-147, 1496)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

(2094) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने दो रकअत नमाज़ में चार रुकूअ और चार सज्दे किये।

(सहीह बुख़ारी : 1046, अबू दाऊद : 1181, नसाई : 3/129)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حْربٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

(2095) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) नबी (ﷺ) की नमाज़े कुसूफ़ उसी तरह बयान करते हैं जिस तरह उरवह हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ .

(2096) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने मुबारक में सूरज को ग्रहण लग गया तो आप (ﷺ) ने बड़ा पुर मशक़्क़त यानी लम्बा क़ियाम किया। सीधे खड़े होते, फिर रुकूअ में चले जाते, फिर खड़े होते फिर रुकूअ करते, फिर खड़े होते फिर रुकूअ करते। दो रकअत में (हर रकअत में)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي مَنْ، أُصَدِّقُ - حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ - أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . ثُمَّ يَرْكَعُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا " .

तीन रुकूअ और चार सज्दे किये। उस वक़्त सलाम फेरा जबकि सूरज रोशन हो चुका था। रुकूअ के वक़्त अल्लाहु अकबर कहते और जब सर उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते, फिर ख़ुत्बे के लिये खड़े हुए, अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान की। फिर फ़रमाया, 'सूरज और चाँद किसी की मौत पर बेनूर नहीं होते और न किसी की विलादत पर, लेकिन वो अल्लाह की (वहदानियत और रुबूबियत के) निशानात में से हैं, उनको बेनूर करके वो अपने बन्दों को (अपनी कुव्वत व ताक़त और ग़ज़ब से) डराता है। जब तुम उनको ग्रहण लगा देखो तो अल्लाह को याद करो यहाँ तक कि वो रोशन हो जायें।'

(अबू दाऊद : 1177, नसाई : 3/129-130)

फ़ायदा : जब सूरज या चाँद को ग्रहण लगे तो ये देखा जायेगा कि उनका किस क़द्र हिस्सा बेनूर हुआ है और उसके मुताबिक़ नमाज़े कुसूफ़ और नमाज़े ख़ुसूफ़ पढ़ी जायेगी। अगर मुकम्मल ग्रहण लगा है तो तवील क़ियाम में तीन या चार या पाँच रुकूअ हर रकअत में किये जायेंगे और हर बाद वाला क़ियाम और रुकूअ पहले से कम होगा। इस तरह दो रकअत को इस क़द्र लम्बा किया जायेगा कि फ़रागत के वक़्त तक सूरज और चाँद रोशन हो चुके हों और उसके लिये अस्सलातु जामिआ के अल्फ़ाज़ से लोगों को जमा होने की दावत दी जायेगी और नमाज़ में क़िरअत बुलंद होगी।

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ،وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،قَالاَ :حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي،عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . "

(2097) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि आपने नमाज़ (कुसूफ़) में छः रुकूअ और चार सज्दे किये।

(नसाई : 3/129-130)

बाब 2 : नमाज़े ख़ुसूफ़ में अज़ाबे क़ब्र का ज़िक्र

ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، -يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً، أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِذًا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَىِ الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلاَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ - قَالَتْ عَائِشَةُ - فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ "

(2098) अम्रह बयान करते हैं कि एक यहूदी औरत हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास माँगने के लिये आई और उसने कहा, अल्लाह तआला तुम्हें अज़ाबे क़ब्र से पनाह में रखे। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! लोगों को क़ब्र में अज़ाब होगा? अम्रह कहती हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं उससे अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सुबह किसी सवारी पर सवार होकर निकले और सूरज को ग्रहण लग गया। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं भी औरतों के साथ हुज्रों के पीछे से मस्जिद में आई और रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सवारी से उतरकर अपनी नमाज़गाह, जहाँ नमाज़ पढ़ाते थे, तक पहुँचे और खड़े हो गये और लोग भी आप (ﷺ) के पीछे खड़े हो गये। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, आपने देर तक क़ियाम किया। फिर रुकूअ किया और लम्बा रुकूअ किया, फिर उठे (रुकूअ से सर उठाया) और लम्बा क़ियाम किया जो पहले क़ियाम से छोटा था। फिर रुकूअ किया और लम्बा रुकूअ किया जो पहले रुकूअ से छोटा था, फिर रुकूअ से सर

उठाया (नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो) सूरज रोशन हो चुका था। फिर आपने ख़िताब फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें देखा है कि तुम क़ब्रों में दज्जाल के फ़ित्ने की तरह इब्तिला और आज़माइश में डाले जाओगे।' अम्रह कहती हैं, मैंने आइशा (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि मैं उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुनती थी कि आप आग के अज़ाब से और क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगते थे।

(सहीह बुख़ारी : 1049-1050, 1055, नसाई : 3/133-134, 3/146)

إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

(2099) मुसन्निफ़ ने मज़्कूरा बाला रिवायत एक दूसरी सनद से भी बयान की है।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.

बाब 3 : नमाज़े कुसूफ़ में नबी (ﷺ) के सामने जन्नत और दोज़ख़ के हालात पेश किये जाना

مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

(2100) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक इन्तिहाई गर्मी के दिन सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने साथियों के साथ नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) ने इतना लम्बा क़ियाम किया कि कुछ लोग गिरने लगे, फिर आपने रुकूअ़ किया और लम्बा रुकूअ़ किया। फिर रुकूअ़ से उठे और

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ " إِنَّهُ عُرِضَ عَلَىَّ كُلُّ شَىْءٍ تُولَجُونَهُ فَعُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ - أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا - فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ . وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ "

लम्बा क़ियाम किया। फिर रुकूअ किया और लम्बा रुकूअ किया। फिर रुकूअ से सर उठाया और देर तक खड़े रहे फिर दो सज्दे किये। फिर दूसरी रकअत के लिये उठे और तक़रीबन पहली रकअत की तरह दूसरी रकअत पढ़ी। इस तरह चार रुकूअ और चार सज्दे हो गये। फिर आपने फ़रमाया, 'मुझ पर वो तमाम चीज़ें (जन्नत, दोज़ख़, हशर-नशर) जिनमें तुम दाख़िल होगे (गुज़रोगे) पेश की गईं, मुझ पर जन्नत पेश की गई, यहाँ तक कि अगर मैं उसके गुच्छे को लेना चाहता तो पकड़ लेता।' या आपने फ़रमाया, 'मैंने एक गुच्छा लेना चाहा तो मेरा हाथ उस तक न पहुँचा और मुझ पर आग पेश की गई, तो मैंने उसमें एक इस्राईली औरत देखी। जिसे एक बिल्ली की बिना पर अज़ाब दिया जा रहा था। उसने उसे बांध रखा और उसे कुछ न खिलाया पिलाया और न उसे छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े-मकोड़े खा लेती और मैंने अबू सुमामा अम्र बिन मालिक को देखा कि वो आग में अपनी अंतड़ियाँ खींच रहा था और लोग कहा करते हैं, सूरज और चाँद सिर्फ़ किसी अज़ीम शख़्सियत की मौत पर ही बेनूर होते हैं, हालांकि वो अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं जो वो तुम्हें दिखाता है। जब वो (कभी) बेनूर हों तो उस वक़्त तक नमाज़ पढ़ते रहो कि वो रोशन हो जायें।'

(अबू दाऊद : 1179, नसाई : 3/136)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तूलजूनहू : तुम उसमें दाख़िल किये जाओगे, यानी क़यामत के बाद तमाम मराहिल, जिनसे इंसान को गुज़रना पड़ेगा और तफ़्सील करने वाली रिवायात से मालूम होता है मुराद सिर्फ़ जन्नत और दोज़ख़ और उनके कुछ मनाज़िर हैं। **(2) ख़शाशिल् अर्ज़ :** ज़मीन पर चलने वाले कीड़े-मकोड़े या छोटे परिन्दे और चूहे वग़ैरह। **(3) कुस्बा :** कसब की जमा है अंतड़ियाँ।

(2101) यही रिवायत इमाम साहब एक दूसरी सनद से बयान करते हैं, हाँ ये फ़र्क़ उसमें है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने आग में एक हिम्यरी स्याह लम्बी औरत देखी।' ये नहीं कहा कि वो इस्राईली थी।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً " . وَلَمْ يَقُلْ " مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ " .

फ़वाइद : (1) आप (ﷺ) को जन्नत और दोज़ख़ के अलग-अलग मन्ज़र दिखाये गये और आपने जन्नत का एक गुच्छा तोड़ना चाहा लेकिन चूंकि जन्नत की चीज़ें दुनिया में नहीं आ सकतीं। इसलिये आप (ﷺ) को महसूस हो गया कि मैं इस गुच्छे को नहीं तोड़ सकता और इस हदीस़ में इसको यूँ बयान किया गया है, 'मेरा हाथ उस तक न पहुँच सका।' इसलिये कुछ अहादीस़ के अल्फ़ाज़ को देखकर ये कह देना कि जन्नत आपके तसर्रुफ़ और मिल्कियत में दे दी गई। महज़ तहक्कुम और सीनाज़ोरी है। (2) जानवरों पर ज़ुल्म व सितम करना, उनको खाने-पीने से महरूम रखना अ़ज़ाब का बाइस़ बन सकता है। (3) अ़म्र बिन लुहय्य, अ़म्र बिन मालिक, अ़म्र बिन आ़मिर ख़ुज़ाई एक ही शख़्स है। (4) कुसूफ़े शम्स का ये वाक़िया 13 अगस्त 630 ईस्वी बमुताबिक़ 28 रबीउ़ल अव्वल 9 हिजरी को पेश आया और अ़रब में अगस्त के महीने में गर्मी शदीद होती है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है और इस हदीस़ से स़ाबित हुआ कि ये नमाज़े कुसूफ़ हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) की वफ़ात पर नहीं पढ़ी गई क्योंकि वो तो जनवरी में वाक़ेअ़ हुई, जो गर्मी का महीना नहीं है।

(2102) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में जिस दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के बेटे इब्राहीम (रज़ि.) फ़ौत हुए सूरज को ग्रहण लग गया। तो कुछ लोगों ने कहा, सूरज को ग्रहण तो बस इब्राहीम की मौत की वजह से लग गया है। तो नबी (ﷺ) खड़े हुए और लोगों को छः रुकूअ़, चार सज्दों के

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ . فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ بَدَأَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ - ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ

साथ (दो रकअत नमाज़) पढ़ाई। तकबीरे तहरीमा से आग़ाज़ किया फिर क़िरअत की और लम्बी क़िरअत की। फिर क़ियाम के क़रीब रुकूअ किया, फिर रुकूअ से अपना सर उठाया और क़िरअत की जो पहली क़िरअत से कम थी। फिर क़ियाम के बाद रुकूअ किया। फिर रुकूअ से अपना सर उठाया और क़िरअत की जो दूसरी क़िरअत से कम थी। फिर रुकूअ किया जो क़ियाम के क़रीब था। फिर रुकूअ से अपना सर उठाया, फिर सज्दे के लिये झुके और दो सज्दे किये। फिर खड़े हुए और उस दूसरी रकअत में भी तीन रुकूअ किये और उसमें भी हर पहला रुकूअ बाद वाले रुकूअ से तवील था और आप (ﷺ) का रुकूअ तक़रीबन सज्दे के बराबर था। फिर आप पीछे हटे और आपके पीछे वाली सफ़ें भी पीछे हट गईं। अबू बकर (रज़ि.) की रिवायत में है आप औरतों तक पहुँच गये, फिर आप आगे बढ़े और आपके साथ लोग भी आगे बढ़ गये, यहाँ तक कि आप अपनी जगह पर आकर खड़े हो गये। आप नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग़ हुए कि सूरज पहली हालत की तरफ़ लौट चुका था यानी रोशन हो चुका था। फिर आपने लोगों को मुख़ातब करके फ़रमाया, 'ऐ लोगो! सूरज और चाँद तो बस अल्लाह की क़ुदरत (कारीगरी) की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं और ये किसी इंसान की मौत की बिना पर बेनूर नहीं होते। (अबू बकर ने मौते बशर कहा) जब तुम उनमें से किसी की ये सूरते हाल देखो तो उसके

اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِمَوْتِ بَشَرٍ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي . وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ" .

रोशन होने तक नमाज़ पढ़ो और तुमसे जिस चीज़ का भी वादा किया गया है मैं उसे अपनी इस नमाज़ में देख चुका हूँ। आग लाई गई और ये उस वक़्त की बात है जब तुमने मुझे देखा कि मैं इस डर से पीछे हट रहा हूँ कि मैं उसकी लपेट में न आ जाऊँ या मुझे उसकी बू (लपट) न लग जाये, यहाँ तक कि मैंने उसमें एक तरफ़ से मुड़ी हुई लाठी वाले को देखा। वो आग में अपनी अंतड़ियाँ खींच रहा है वो अपनी उसी एक तरफ़ से मुड़ी हुई लाठी के ज़रिये हाजियों की चोरी करता था। अगर पता चल जाता तो कह देता, ये कपड़ा मेरी लाठी के साथ अटक गया था और अगर पता न चलता, वो चीज़ लेकर चलता बनता और यहाँ तक कि मैंने उस (दोज़ख़) में बिल्ली वाली औरत को देखा, जिसने उसे बांध रखा, न उसे ख़ुद खिलाया-पिलाया और न उसे छोड़ा कि वो हशरातुल अर्ज़ से खा लेती। यहाँ तक कि वो भूख से मर गई। फिर जन्नत को लाया गया और ये उस वक़्त की बात है जब तुमने मुझे आगे बढ़ते देखा यहाँ तक कि मैं अपनी उस जगह पर खड़ा हो गया और मैंने अपना हाथ बढ़ाया और मैं चाहता था कि मैं उसके फल में से कुछ पकड़ लूँ ताकि तुम उसे देख सको, फिर मुझे ये हक़ीक़त खुली कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिये, जिस चीज़ का भी तुमसे वादा किया जाता है मैं अपनी इस नमाज़ में देख चुका हूँ।'

(अबू दाऊद : 1178)

फ़ायदा : हज़रत अनस (रज़ि.) की इस रिवायत से साबित होता है आप (ﷺ) ने हज़रत इब्राहीम की

मौत के दिन वाले सूरज ग्रहण के लिये नमाज़ में हर रकअत में तीन रुकूअ किये थे और ये वाक़िया 27 जनवरी 632 ईस्वी बमुताबिक़ 29 शव्वाल 10 हिजरी बरोज़ सोमवार पेश आया और चूंकि फ़तहे मक्का के बाद लोग जूक़-दर-जूक़ मुसलमान हो रहे थे। इसलिये यहाँ भी आपने वही बातें दोहराईं जो पहले बता चुके थे और आपको यहाँ भी जन्नत और दोज़ख़ का नज़ारा तक़रीबन उसी तरह कराया गया। हाँ पहले हदीस में साहिबे मिहजन का वाक़िया नहीं है।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) **अज़तिश्शम्स :** सूरज पहली कैफ़ियत की तरफ़ लौट आया। (2) **लफ़ह :** लपट, या लो और तपिश। (3) **मिहजन :** एक तरफ़ से मुड़ी हुई लाठी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ قَالَتْ نَعَمْ . فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْىُ فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ - قَالَتْ - فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلاَّ قَدْ

(2103) हज़रत असमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में सूरज को ग्रहण लग गया तो मैं आइशा (रज़ि.) के पास आई वो नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने पूछा, लोगों का क्या हाल है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने अपने सर से आसमान की तरफ़ इशारा किया। तो मैंने पूछा, कोई निशानी ज़ाहिर हुई है? उन्होंने कहा, हाँ! और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बहुत ही लम्बा क़ियाम किया यहाँ तक कि मुझ पर ग़शी तारी हो गई। मेरे पहलू में मश्क पड़ी हुई थी मैंने वो ले ली और अपने सर या अपने चेहरे पर पानी डालने लगी। हज़रत असमा (रज़ि.) कहती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग़ हुए जबकि सूरज रोशन हो चुका था। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लोगों को ख़िताब फ़रमाया अल्लाह तआला की हम्द और उसकी सना बयान की। फिर फ़रमाया, 'अम्मा बअ़द! कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका मैंने मुशाहिदा नहीं किया था। मगर अब मैंने अपनी इस जगह उसका मुशाहिदा कर लिया है। यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख़ को

رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ -فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا . ثَلاَثَ مِرَارٍ فَيُقَالُ لَهُ نَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ "

भी देख लिया है। वाक़िया ये है कि मुझ पर ये वह्य की गई है कि तुम क़ब्रों में मसीह दज्जाल के फ़ित्ने व इम्तिहान के बराबर या उसके क़रीब आज़माये जाओगे।' रावी कहता है, मुझे मालूम नहीं असमा (रज़ि.) ने इनमें से कौनसा लफ़्ज़ कहा और तुममें से हर एक के पास फ़रिश्ते आकर पूछेंगे, तेरी इस इंसान के बारे में क्या मालूमात हैं? रहा, मोमिन या मूक़िन (यक़ीन रखने वाला) मुझे मालूम नहीं असमा (रज़ि.) ने कौनसा लफ़्ज़ इनमें से कहा। तो वो जवाब देगा, ये मुहम्मद हैं और ये अल्लाह के रसूल हैं। हमारे पास खुले दलाइल और हिदायत लेकर आये। हमने इनकी बात को क़ुबूल किया और इताअत की। तीन बार सवाल व जवाब होगा। उसे कहा जायेगा, सो जाओ। हमें ख़ूब इल्म है कि तेरा इन पर ईमान है, मज़े से सो जा। और रहा मुनाफ़िक़ या शक व शुब्हा में मुब्तला शख़्स। मालूम नहीं असमा (रज़ि.) ने इनमें से कौनसा लफ़्ज़ कहा, तो वो कहेगा, लोगों को मैंने कुछ कहते हुए सुना, वही मैंने कह दिया।

(सहीह बुख़ारी : 86, 184, 922, 1235, 7287, 1053)

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है कि सूरज ग्रहण लगने का ये वाक़िया हज़रत जाबिर (रज़ि.) के दोनों वाक़िआत से अलग है और यहाँ ख़ुत्बे का मज़्मून भी अलग है। लेकिन यहाँ ये बयान नहीं किया गया कि आप (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने की कैफ़ियत क्या थी। **(2)** इस हदीस़ में मा अ़ल्लमक बिहाज़र्रजुल है और कुछ हदीसों में आगे लिमुहम्मदिन के अल्फ़ाज़ हैं और कुछ अहादीस़ में आया है अल्लज़ी बुइ-स़ फ़ीकुम और उसके लिये आपका वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि नाम से और वस्फ़

बताकर पूछा जायेगा। ये तो ऐसे ही है जैसाकि हिरक़्ल ने क़ाफ़िले वालों से कहा था। इन्नी साइलुन हाज़ा, अन हाज़र्रजुल कि मैं अबू सुफ़ियान से इस आदमी के बारे में पूछने वाला हूँ और अगर बिल्फ़र्ज़ ये मान लिया जाये कि आपकी शक्ल नज़र आयेगी तो फिर भी बईद नहीं। आज टीवी पर हर रोज़ उस सूरत का मुज़ाहिरा हो रहा है तो अल्लाह के लिये ये क्या मुश्किल है। इसलिये इस तावील की ज़रूरत नहीं कि आपकी मिस्ल सूरत पेश की जायेगी। (3) आप (ﷺ) की रिसालत व नुबूवत की गवाही वही शख़्स दे सकेगा, जो आप पर दिल की गहराई से ईमान लाया था और जिसने सिर्फ़ सुन-सुनाकर दूसरों की देखा-देखी गवाही दी और ख़ुद तहक़ीक़ करके दिल से तस्दीक़ न की, वो जवाब नहीं दे सकेगा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ .

(2104) हज़रत असमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास आई, लोग नमाज़ में खड़े थे और वो भी नमाज़ पढ़ रही थीं, तो मैंने पूछा, लोगों को क्या हुआ? फिर मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ لاَ تَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُلْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ

(2105) उरवह कहते हैं, सूरज के लिये कुसूफ़ का लफ़्ज़ न कहो ख़ुसूफ़ का इस्तेमाल करो।

फ़ायदा : अहादीस़ में सूरज के लिये कुसूफ़ और ख़ुसूफ़ दोनों लफ़्ज़ आये हैं इसलिये दोनों दुरुस्त हैं और क़ुरआने मजीद में चाँद के लिये ख़सफ़ल क़मर आया है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ فَزِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا

(2106) हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक दिन नबी (ﷺ) घबरा गये यानी उस दिन जिस वक़्त सूरज को ग्रहण लगा था (उस घबराहट की बिना पर, जल्दबाज़ी में) आप (ﷺ) ने अपनी किसी बीवी की क़मीस उठा ली और

- قَالَتْ تَعْنِي يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ - فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلاً لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ مَا حَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ .

चल पड़े यहाँ तक कि आपको आपकी चादर लाकर दी गई। आपने लोगों के साथ इन्तिहाई लम्बा क़ियाम किया। यहाँ तक कि अगर ऐसा इंसान आता जिसको ये पता न हो कि आप (क़ियाम के बाद) रुकूअ कर चुके हैं, तो उसको (रुकूअ के बाद) के तवील क़ियाम से ये पता न चल सकता कि आप रुकूअ कर चुके हैं।

وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ قِيَامًا طَوِيلاً يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَزَادَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي .

(2107) इमाम साहब दूसरे उस्ताद से इब्ने जुरैज ही की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। उसमें है आपने लम्बा क़ियाम किया। क़ियाम करते फिर रुकूअ में चले जाते और उसमें ये इज़ाफ़ा भी है कि मैं (बैठने का इरादा करती तो) एक ऐसी औरत पर नज़र पड़ती जो मुझसे उम्र रसीदा है और दूसरी को देखती जो मुझसे बढ़कर बीमार है।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कभी इंसान के लिये उससे उम्र रसीदा या कमज़ोर इंसान उसके हौसले को बढ़ाने का सबब बनता है और उनको देखकर इंसान हिम्मत नहीं हारता और काम में मसरूफ़ रहता है।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَفَزِعَ فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

(2108) हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में सूरज को ग्रहण लग गया और आप इस क़द्र ख़ौफ़ज़दा हो गये (यहाँ तक कि जल्दबाज़ी से) ग़लती से किसी बीवी की कुर्ती (क़मीस) उठा ली, यहाँ तक कि आप को पीछे से आपकी चादर लाकर दी गई। मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद आई और मस्जिद में दाख़िल हो गई, तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को

صلى الله عليه وسلم قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ فَأَقُولُ هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي . فَأَقُومُ فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ .

क़ियाम में देखा और आपके साथ खड़ी हो गई। आपने बहुत लम्बा क़ियाम किया यहाँ तक कि मैंने अपने आपको देखा कि मैं बैठना चाहती हूँ, फिर मैं कमज़ोर औरत की तरफ़ ध्यान करती और जी मैं कहती ये तो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो खड़ी रहती, फिर आपने रुकूअ किया और लम्बा रुकूअ किया। फिर आपने अपना सर उठाया और लम्बा क़ियाम किया। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी इस हालत में आता तो उसे ख़याल होता कि अभी तक आपने रुकूअ नहीं किया।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ، بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً قَدْرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا

(2109) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने मुबारक में सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लोगों को साथ लेकर नमाज़ पढ़ी और आपने इस क़द्र लम्बा क़ियाम किया कि वो सूरह बक़रह के बक़द्र था। फिर आपने बहुत लम्बा रुकूअ किया, फिर आपने सर उठाया और लम्बा क़ियाम किया और वो पहले क़ियाम से कम था। फिर आपने तवील रुकूअ किया और वो पहले रुकूअ से कम था। फिर आपने सज्दे किये। फिर आपने लम्बा क़ियाम किया और वो (अपने से) पहले क़ियाम से कम था। फिर आपने तवील रुकूअ किया और वो अपने से पहले रुकूअ से कम था। फिर सर उठाया और लम्बा क़ियाम किया और वो अपने से पहले क़ियाम से कम था और फिर आपने लम्बा रुकूअ किया जो अपने से पहले रुकूअ से कम था। फिर आपने सज्दे

طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ . فَقَالَ " إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ " . قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِكُفْرِهِنَّ " . قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ " بِكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .

किये फिर आपने सलाम फेरा जबकि सूरज रोशन हो चुका था और आपने फ़रमाया, 'आफ़ताब और माहताब (सूरज और चाँद) अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। वो किसी की मौत पर बेनूर नहीं होते और न ही किसी की हयात से, जब तुम उनको इस तरह देखो तो अल्लाह को याद करो (नमाज़ पढ़ो)।' लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमने आपको देखा आपने इस जगह कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश की है फिर हमने देखा कि आप रुक गये हैं। आपने फ़रमाया, 'मैंने जन्नत को देखा और मैंने उससे गुच्छा पकड़ना चाहा और अगर मैं उसको पकड़ लेता तो तुम रहती दुनिया तक उससे खाते रहते और मैंने आग को देखा तो मैंने आज जैसा मन्ज़र कभी नहीं देखा और मैंने देखा उसके रहने वालों में औरत की कसरत है।' लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्यों? आपने फ़रमाया, 'उनकी नाशुक्री की वजह से।' पूछा गया कि वो अल्लाह की नाशुक्री हैं? आपने फ़रमाया, 'रफ़ीक़े ज़िन्दगी की नाशुक्री की वजह से और एहसान की नाक़द्री की वजह से, अगर इंसान उनके साथ हमेशा हुस्ने सुलूक करता रहे, फिर वो उससे किसी दिन कोई नागवार बात देखे तो कह उठेगी मैंने तो तुमसे कभी कोई ख़ैर नहीं देखी।'

(सहीह बुख़ारी : 1052, 5197, 29, 431, 748, 3202, अबू दाऊद : 1189, नसाई : 3/146-147-148)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ عِيسَى - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ .

(2110) मुसन्निफ़ ने अपने दूसरे उस्ताद से ज़ैद बिन असलम की सनद से ही मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है। सिर्फ़ ये फ़र्क़ है कि उसमें कफ़फ़्त की जगह तकअ्कअ्त है इसका मानी भी तवक़्क़ुफ़ करना और बाज़ रहना है।

باب ذِكْرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

बाब 4 : उन रावियों की रिवायत जो कहते हैं आपने चार सज्दों के साथ आठ रुकूअ़ किये

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ .

(2111) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब आफ़ताब (सूरज) को ग्रहण लगा तो आप(ﷺ) ने चार सज्दों के साथ आठ रुकूअ़ किये और हज़रत अ़ली (रज़ि.) से भी इसी तरह मन्क़ूल है।

(अबू दाऊद : 1183, तिर्मिज़ी : 560, नसाई : 3/129)

फ़ायदा :- मुस्नद बज़्ज़ार में हज़रत अ़ली (रज़ि.) का अ़मल मन्क़ूल है कि उन्होंने एक रकअ़त में पाँच रुकूअ़ किये और सुनन अबी दाऊद में उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) की रिवायत यही है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक रकअ़त में पाँच रुकूअ़ किये।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى، - عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى

(2112) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने कुसूफ़ की नमाज़ पढ़ाई क़िरअत की, फिर रुकूअ़ किया, फिर क़िरअत की फिर रुकूअ़ किया, फिर क़िरअत की फिर रुकूअ़ किया, फिर क़िरअत की फिर रुकूअ़ किया फिर सज्दे किये और दूसरी रकअ़त भी इसी तरह पढ़ी।

فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ . قَالَ وَالأُخْرَى مِثْلُهَا .

باب ذِكْرِ النِّدَاءِ بِصَلاَةِ الْكُسُوفِ "الصَّلاَةَ جَامِعَةً"

बाब 5 : नमाज़े कुसूफ़ के लिये ऐलान करना कि अस्सलातु जामिअ़ह

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، -وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ح . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَبَرِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُودِيَ بِـ { الصَّلاَةَ جَامِعَةً } فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ .

(2113) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो अस्सलातु जामिअ़ह के ज़रिये ऐलान किया गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रकअ़त में दो रुकूअ़ किये। फिर दूसरी रकअ़त के लिये खड़े हो गये और एक रकअ़त में दो रुकूअ़ किये, फिर सूरज रोशन हो गया तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, मैंने न इससे कभी लम्बा रुकूअ़ किया और न कभी इससे लम्बा सज्दा किया।

(सहीह बुख़ारी : 1051, 1045, नसाई : 3/136)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ " .

(2114) हज़रत अबू मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सूरज और चाँद अल्लाह तआला की (कुदरत और जलाल व जबरूत की) निशानियों में से दो निशानियाँ हैं अल्लाह तआला इनको बेनूर करके (अपनी रुबूबियत और कुदरत और सतवत का इज़हार करके) अपने बन्दों को (अपनी नाफ़रमानी से) डराता है और ये दोनों लोगों में से किसी की मौत पर बेनूर नहीं होते और जब इनमें से कोई निशानी देखो तो नमाज़ पढ़ो और अल्लाह तआला को पुकारो यहाँ तक कि तुम्हारी ये मुसीबत दूर कर दी जाये, यानी ग्रहण दूर हो जाये।'

(सहीह बुख़ारी : 1041, 1057, 3204, नसाई : 3/126, इब्ने माजह : 2161)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا " .

(2115) हज़रत अबू मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सूरज और चाँद को लोगों में से किसी के मरने पर ग्रहण नहीं लगता, लेकिन वो अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं और जब तुम ये निशानी देखो तो उठो और नमाज़ पढ़ो।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا

(2116) इमाम साहब अपने बहुत से उस्तादों से इस्माईल की इस सनद से रिवायत बयान करते हैं। सुफ़ियान और वकीअ की रिवायत में है कि इब्राहीम (रज़ि) की मौत के

ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَرْوَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَوَكِيعٍ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ

दिन सूरज को ग्रहण लगा, तो लोगों ने कहा, सूरज को ग्रहण इब्राहीम की मौत की वजह से लगा है।

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلاَءِ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ " يُخَوِّفُ عِبَادَهُ " .

(2117) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लग गया तो आप ख़ौफ़ज़दा होकर इस तरह उठे कि आपको क़यामत क़ायम हो जाने का डर हो, यहाँ तक कि मस्जिद में आ गये और आपने इन्तिहाई तवील क़ियाम, रुकूअ और सज्दे के साथ नमाज़ पढ़ी। मैंने आपको किसी नमाज़ में कभी ऐसे करते नहीं देखा था। फिर आपने फ़रमाया, 'ये निशानियाँ जो अल्लाह तआला भेजता है, ये किसी की मौत व हयात की बिना पर नहीं होतीं, लेकिन अल्लाह इनको अपने बन्दों की तख़्वीफ़ (डराना)के लिये भेजता है। तो जब तुम इनमें से कोई निशानी देखो तो फ़ोरन उसके ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार की पनाह लो।' इब्नुल अ़ला की रिवायत में है, कसफ़तिश्शम्स यानी ख़सफ़त की जगह और कहा, युख़व्विफ़ु इबादहू, यानी युख़व्विफ़ु बिहा इबादहू की जगह।

(सहीह बुख़ारी : 1059, नसाई : 3/153-154)

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ،

(2118) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि इसी दौरान में कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ज़िन्दगी में अपने तीर

चला रहा था कि सूरज को ग्रहण लग गया। तो मैंने उनको फेंक दिया और जी में कहा कि मैं आज देखूंगा कि सूरज ग्रहण की बिना पर रसूलुल्लाह (ﷺ) क्या नया काम करते हैं। मैं आपके पास इस हाल में पहुँचा कि आप अपने हाथ उठाये हुए दुआ, तकबीर, तहमीद और तहलील कह रहे थे यहाँ तक कि सूरज रोशन हो गया और आपने दो सूरतें पढ़ीं और दो रकअ़त नमाज़ अदा की।

(अबू दाऊद : 1195, नसाई : 3/124-125)

عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي، بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

(2119) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी में अपने तीरों से तीर अन्दाज़ी कर रहा था कि अचानक आफ़ताब ग्रहण में आ गया। तो मैंने अपने तीर फेंक दिये और जी में कहा, अल्लाह की क़सम! मैं चल कर देखूंगा कि सूरज के ग्रहण के इस वक़्त में रसूलुल्लाह (ﷺ) पर क्या नई कैफ़ियत तारी होती है या आप क्या नया काम करते हैं। मैं आपके पास आया तो आप खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। दोनों हाथ उठाये हुए, आप तस्बीह, तहमीद, तहलील, तकबीर के साथ दुआ करने लगे, (और ये दुआ व नमाज़ का सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहा यहाँ तक कि सूरज का ग्रहण छट गया और वो रोशन हो गया) और जब सूरज रोशन हो गया,

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلاَةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا . قَالَ

आपने दो सूरतें पढ़ीं और दो रकअ़त नमाज़ अदा की।

فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

(सहीह मुस्लिम : 2115)

फ़ायदा : इस हदीस़ से कुसूफ़े शम्स के वक़्त आप (ﷺ) का एक और उस्लूब सामने आता है। मालूम होता है सूरज को ग्रहण ज़्यादा नहीं लगा था। आपने नमाज़ शुरू की, उसमें हाथ उठाकर अल्लाह तआ़ला की तस्बीह व तहमीद और तहलील व तकबीर करते रहे, यानी सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर के तकरार के साथ दुआ़ करते रहे और आपने मामूल के मुताबिक़ आ़म नमाज़ की तरह दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई और रकअ़त में एक रुकूअ़ किया, इसलिये हर रकअ़त में एक सूरत पढ़ी और आपने दूसरी रकअ़त सूरज के रोशन होने के बाद पढ़ी या ये मानी भी हो सकता है कि जब सूरज रोशन हुआ आप दो सूरतें और दो रकअ़त पढ़ चुके थे, ये मानी नहीं है कि आपने सूरज के रोशन होने के बाद नमाज़ शुरू की, जैसाकि हदीस़ के ज़ाहिर से साबित होता है। क्योंकि इस सूरत में हदीस़ के शुरूआती हिस्से और आख़िरी हिस्से में तज़ाद (टकराव) पैदा होगा। शुरू में तो है कि जब मैं पहुँचा तो आप खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे और इस हदीस़ से मालूम होता है, ये कुसूफ़ मज़्कूरा बाला कुसूफ़ों से अलग है और ये भी कुसूफ़ों के अलग-अलग होने की दलील है।

(2120) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं, इस दौरान में कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अपने तीरों से निशानेबाज़ी कर रहा था कि अचानक सूरज को ग्रहण लग गया, फिर मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ، عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى، بِأَسْهُمٍ لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا .

(2121) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सूरज और चाँद किसी शख़्स की मौत व हयात के सबब बेनूर नहीं होते। लेकिन

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا " .

वो तो अल्लाह तआला की निशानियों में से एक निशानी हैं पस जब तुम उनको बेनूर देखो तो नमाज़ पढ़ो।'

(सहीह बुख़ारी : 1042, 3201, नसाई : 3/125)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ - حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ، - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ - سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ " .

(2122) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (रज़ि.) बयान करते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने मुबारक में इब्राहीम (रज़ि.) फ़ौत हुए, सूरज को ग्रहण लग गया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'शम्स व क़मर (सूरज और चाँद) अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं (जिनके ग्रहण से अल्लाह तआला की क़ुदरते क़ाहिरा और उसकी सतवत व शौकत का इज़हार होता है) उनको ग्रहण न किसी की मौत से लगता है और न किसी की हयात की वजह से, पस जब तुम उनको (ग्रहण लगा) देखो तो अल्लाह से दुआ करो और नमाज़ पढ़ो, यहाँ तक कि वो रोशन हो जायें।'

(सहीह बुख़ारी : 1043, 1060, 6199)

इस किताब के कुल अबवाब 37 और 140 अहादीस़ हैं।

كتاب الجنائز

किताबुल जनाइज़

जनाज़े का बयान

हदीस़ नम्बर 2123 से 2262 तक

كتاب الجنائز

12 जनाज़े का बयान

باب تَلْقِينِ الْمَوْتَى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

बाब 1 : मरने वालों को ला इला-ह इल्लल्लाह की तल्क़ीन करना

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ بِشْرٍ، - قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

(2123) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने मरने वालों को ला इला-ह इल्लल्लाह कहने की तल्क़ीन किया करो।'

(अबू दाऊद :3117, तिर्मिज़ी : 976, नसाई : 4/5, इब्ने माजह : 1445)

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، جَمِيعًا بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(2124) मुसन्निफ़ ने अपने कई और उस्तादों से यही हदीस बयान की है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ "

(2125) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने मरने वालों को ला इला-ह इल्लल्लाह कहने की तल्क़ीन करो।'

(इब्ने माजह : 1444)

फ़ायदा : मौता से मुराद वो लोग हैं जो मर रहे हों (इस फ़ानी दुनिया को छोड़ रहे हों)। यानी ऐसे लोग जिनकी मौत के आसार नुमायाँ हो चुके हों। अब चूंकि वो दुनिया को छोड़कर आख़िरत को सुधार रहे हैं और आख़िरत में काम आने वाली चीज़ तौहीद ही है, इसलिये मरने वाले के सामने ला इला-ह इल्लल्लाह पढ़ना चाहिये ताकि वो भी इस कलिमे को पढ़े और उसका ख़ातमा, इस कलिमे पर हो और वो जन्नत का हक़दार ठहरे और वो दूसरों के पढ़ने से इस तरफ़ मुतवज्जह न हो और कलिमे इख़्लास न पढ़े तो फिर उसको ला इला-ह इल्लल्लाह पढ़ने के लिये कहा जायेगा और जब उसने ला इला-ह इल्लल्लाह पढ़ लिया है, तो फिर बार-बार उसको पढ़ने के लिये नहीं कहा जाये। कहीं ख़ुदा-नख़्वास्ता वो बीमारी की शिद्दत और घबराहट की बिना पर झुंझलाकर ये न कह दे कि मैं नहीं पढ़ता, अआज़नल्लाहु मिन्हु!

बाब 2 : मुसीबत के वक़्त क्या कहा जाये

باب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

(2126) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जिस मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचे और वो, वो कलिमात कहे जिनके कहने का अल्लाह ने हुक्म दिया है यानी वो कहे, हम अल्लाह के ही हैं और उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं,ऐ अल्लाह! मुझे मेरी मुसीबत में अज्र इनायत फ़रमा और इसकी जगह इससे बेहतर अता फ़रमा। तो अल्लाह तआला उसे उसका बेहतर बदला अता फ़रमाता है।' उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, जब (मेरे ख़ाविन्द)अबू सलमा (रज़ि.) फ़ौत हो गये, तो मैंने अपने जी में कहा, अबू सलमा (रज़ि.) से कौन मुसलमान बेहतर हो सकता है वो पहला कुम्बा है जिसने रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ हिज्रत की। फिर मैंने ये कलिमात कह ही डाले। तो अल्लाह

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنِ، سَفِينَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا " . قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَىُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ . فَقَالَ " أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ " .

तआला ने मुझे उनकी जगह रसूलुल्लाह (ﷺ) इनायत फ़रमाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तरफ़ से पैग़ाम देने के लिये हातिब बिन अबी बल्तआ (रज़ि.) को मेरे पास भेजा तो मैंने कहा, मेरी एक बेटी है और मैं बहुत ही ग़ैरतमन्द हूँ। तो आपने फ़रमाया, 'उसकी बेटी के बारे में हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो उसको उससे बेनियाज़ कर दे और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो उसकी (बेजा) ग़ैरत ख़त्म कर दे।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अजिर्नी : (नसर, ज़रब) मुझे (मेरे सब्र में और मुसीबत के ग़म पर) अज्र और सिला दे। **(2) अख़्लिफ़ ली :** मुझे उसका जानशीन और बदल दे। गय्यूर : हमियत व ग़ैरत। जो मर्द और औरत को एक दूसरे के बारे में होती है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا " . قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2127) नबी (ﷺ) की बीवी उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'कोई बन्दा जिसे कोई मुसीबत पहुँचे और वो कहे कि हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं, ऐ अल्लाह! मेरी मुसीबत में मुझे सिला दे और (मुझसे छिन जाने वाली चीज़ से) उसका बेहतर बदल दे, तो अल्लाह तआला उसे उसकी मुसीबत में अज्र देता है और उसे उससे बेहतरीन जानशीन इनायत फ़रमाता है।' उम्मे सलमा (रज़ि.) बताती हैं कि जब (मेरे ख़ाविन्द) अबू सलमा (रज़ि.) वफ़ात पा गये, तो मैंने उसी तरह कहा, जिस तरह मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया था। तो अल्लाह तआला ने मुझे उनसे बेहतर जानशीन रसूलुल्लाह (ﷺ) इनायत फ़रमाये।

(2128) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है जो नबी (ﷺ) की अहलिया हैं, वो बयान करती हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, जैसाकि अबू उसामा की मज़्कूरा बाला रिवायत है और उसमें इज़ाफ़ा है कि जब अबू सलमा (रज़ि.) फ़ौत हो गये तो मैंने दिल में सोचा, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी अबू सलमा (रज़ि.) से बेहतर कौन हो सकता है। फिर अल्लाह तआला ने मेरे दिल में अज़्म पैदा कर दिया, तो मैंने इस दुआ को पढ़ा और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शादी कर ली।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَزَادَ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ عَزَمَ اللَّهُ لِي فَقُلْتُهَا . قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

फ़ायदा : जब ऐसा इन्सान जो मुसलमान हो मुसीबत में सब्र करता है और छिन जाने वाली चीज़ के बारे में ये तसव्वुर करता है, ये अल्लाह तआला की अता करदा चीज़ थी और वही इसका मालिक था, बल्कि मेरा मालिक भी वही है, जब चाहे मुझे बुला सकता है और वही छिनने वाली चीज़ का बेहतर बदल अता कर सकता है। इस अक़ीदे और नज़रिये के तहत नबी (ﷺ) की बताई हुई दुआ करता है तो अल्लाह तआला उसे अज्र व सवाब के साथ-साथ उसका माद्दी या मअन्वी तौर पर बेहतर जानशीन इनायत फ़रमाता है। हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) फ़ौत हुए तो उम्मे सलमा (रज़ि.) का तसव्वुर था कि मेरे हक़ में मेरे मरने वाले ख़ाविन्द से कौन बेहतर हो सकता है। जो एक जलीलुल क़द्र सहाबी थे, लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात पर यक़ीन करते हुए आपकी बताई दुआ पढ़ी तो अल्लाह तआला ने उन्हें नबी (ﷺ) की ज़ौजिय्यत का शर्फ़ बख़्शा और आपकी दुआ से उनके दिल में पैदा होने वाले ख़दशाते ग़ैरत और बेटी का मसला भी दूर फ़रमा दिये।

बाब : 3 बीमार और मरने वाले के पास क्या कहा जाये?

باب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ

(2129) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम बीमार मरने वाले के पास हाज़िर हो तो अच्छी और बेहतर बात कहो, क्योंकि जो

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ

شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ " . قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ " قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً " . قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم .

कुछ तुम कहते हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं।' आप बयान करती हैं कि जब (मेरे ख़ाविन्द) अबू सलमा (रज़ि.) फ़ौत हो गये तो मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सलमा (रज़ि) वफ़ात पा गये हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम यूँ कहो, ऐ अल्लाह! मुझे और इसे माफ़ फ़रमा दे और मुझे इसके ऐवज़ इससे बेहतर बदल अ़ता फ़रमा।' तो मैंने ये दुआइया कलिमात कहे, तो अल्लाह तआ़ला ने मुझे उनके बदल ऐसी शख़्सियत अ़ता फ़रमाई जो मेरे लिये उनसे बेहतर है, यानी मुहम्मद (ﷺ)।
(अबू दाऊद :3115, तिर्मिज़ी : 977, नसाई : 4/5, इब्ने माजह : 1447)

फ़ायदा : मरीज़ या मरने वाले के पास, ज़बान से कलिमाते ख़ैर ही कहने चाहियें, जिससे न मरीज़ और मरने वाले के जज़्बात को ठेस पहुँचे और न ही उनसे जज़अ़ व फ़ज़अ़ या बुरी सोच का इज़हार हो, क्योंकि वहाँ मौजूद फ़रिश्ते, हाज़िरीन की बातों पर आमीन कहते हैं। जिसकी बिना पर, उनकी क़ुबूलियत और असरात का इम्कान बढ़ जाता है, नीज़ जब वो मर जाये, तो उसके वारिसों को ये मसनून दुआ पढ़नी चाहिये ताकि अल्लाह तआ़ला जो हर चीज़ पर क़ादिर है, उसके लिये कोई बात नामुम्किन नहीं वो उन्हें उसका निअ़मुल बदल इनायत फ़रमाये।

بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ

बाब 4 : मरने वाले की आँखें बंद करना और जब उसकी मौत का वक़्त आ जाये तो उसके हक़ में दुआ करना

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ

(2130) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अबू सलमा (रज़ि.) के पास तशरीफ़ लाये जबकि (मौत के बाद) उनकी आँखें ऊपर को खुली हुई थीं, तो आप (ﷺ) ने उनको बंद कर दिया फिर

بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ " . فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ " لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ " . ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ . وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ " .

फ़रमाया, 'जब रूह क़ब्ज़ कर ली जाती है (रूह जिस्म से निकाल ली जाती है) तो नज़र उसका पीछा करती है। (इसलिये आँखे खुली रह जाती हैं) आपकी बात सुनकर उनके घर के लोग चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगे (रंज और सदमे की हालत में उनकी ज़बान से ऐसी बातें निकलने लगीं जो ख़ुद उनके हक़ में बद्दुआ थीं) तो आपने फ़रमाया, 'तुम अपने नफ़्सों के हक़ में ख़ैर और भलाई की दुआ करो, क्योंकि तुम जो कुछ कह रहे हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं।' फिर आपने ख़ुद इस तरह दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की मग़्फ़िरत फ़रमा और अपने हिदायत याफ़्ता बन्दों में उनका दर्जा बुलंद फ़रमा और उसका जानशीन बन जा (उसके बजाय तू ही सरपरस्ती और निगरानी फ़रमा) उसके पसमान्दगान की और ऐ कायनात के मालिक! बख़्श दे हमें और उसको और उसकी क़ब्र को उसके लिये वसीअ़ और रोशन व मुनव्वर फ़रमा।'

(अबू दाऊद : 3118, इब्ने माजह : 1454)

फ़वाइद : (1) इंसान की रूह जब उसके बदन से निकल जाती है तो उसकी आँखें उसका पीछा करती हैं, इसलिये ऊपर को खुली रह जाती हैं, इसलिये मय्यित की आँखें बंद कर देनी चाहिये। (2)बीमार और मरने वाले के पास फ़रिश्ते मौजूद होते हैं इसलिये उसकी वफ़ात पर ऐसे कलिमात नहीं कहने चाहिये जो ख़ुद इंसान के अपने हक़ में बद्दुआ बनते हों, क्योंकि उन पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। (3) अहले इल्म और अस्हाबे फ़ज़ल को अपने दोस्त व अहबाब के घर ऐसे मौक़ों पर पहुँचना चाहिये ताकि ऐसे हालात में उनकी सहीह रहनुमाई कर सकें, उनको ग़लत कामों से रोकें और मरने वाले के हक़ में दुआए मग़्फ़िरत करें और पसमान्दगान के लिये भी दुआए ख़ैर करें और उनको दुआ करने का तरीक़ा और आदाब अ़मल से सिखायें ताकि मुल्क में मुरव्वजह मजालिसे मातम की ज़रूरत न रहे, जो शरीअ़त से साबित नहीं हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ".وَقَالَ " اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ". وَلَمْ يَقُلْ " افْسَحْ لَهُ ". وَزَادَ قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا .

(2131) इमाम साहब ख़ालिद हज़्ज़ा की सनद से ही ये रिवायत अपने दूसरे उस्ताद से रिवायत करते हैं। उसमें ये अल्फ़ाज़ हैं (वख़्लुफ़हु फ़ी तरिकतिही)उसके पसमान्दगान के लिये तू निगेहबान और मुहाफ़िज़ बनकर उसका जानशीनी फ़रमा और इफ़्सह लहू की जगह औसिअ़ लहू उसके लिये वसीअ़ फ़रमा और ख़ालिद हज़्ज़ा कहते हैं, एक सातवीं दुआ भी की जो मैं भूल गया हूँ।

फ़ायदा : शक़्क़ बसरुहू : आँखें खुली की खुली रह गईं, नज़र ऊपर को उठ गई। यही मानी शख़्ख़स बसरुहू का है। तबिअ़हुल बसरु या यतबिउ़ बसरुहु नफ़्सहू : उसकी बीनाई, उसकी रूह का पीछा और तआ़क़ुब करती है। उसके साथ ही निकल जाती है। फ़ी अ़क़्बिही फ़िल्ग़ाबिरीन : पीछे रह जाने वाली उसकी औलाद और यही मानी तरिकतहू का है।

ऊपर जो दुआ गुज़री है अल्लाहुम्मग़फ़िर लिअबी सलमा से नूरुल लहू फ़ीहि तक छः कलिमात हैं या छः दुआयें हैं सातवाँ कलिमा या दुआ रावी भूल गये।

بَابٌ فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيِّتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ

बाब : 5 मय्यित की बीनाई का (आँखों का) उसकी रूह के तआ़क़ुब (पीछा करने) की बिना पर ऊपर को उठ जाना

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ، يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ تَرَوْا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ " .

(2132) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम देख नहीं रहे कि जब इंसान मर जाता है, तो उसकी आँखें (नज़र) ऊपर को उठ जाती हैं?' साथियों ने कहा, क्यों नहीं। आपने फ़रमाया, 'ये उस वक़्त की बात है, जब उसकी बीनाई, उसकी रूह का तआ़क़ुब (पीछा) करती है।'

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلاَءِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(2133) इमाम साहब इसी सनद से अपने दूसरे उस्ताद की रिवायत इसी तरह बयान करते हैं।

باب الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

बाब : 6 मय्यित पर रोना

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ، عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ . فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ " . مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ .

(2134) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं, जब अबू सलमा (रज़ि.) वफ़ात पा गये तो मैंने दिल में सोचा, परदेसी परदेस में फ़ौत हो गया, मैं उस पर इतना गिर्या करूँगी कि उसका चर्चा होगा। इसलिये मैंने उन पर रोने और गिर्या करने की तैयारी कर ली कि अचानक मदीना के बालाई इलाक़े से मेरा साथ देने और मुझे मदद देने के लिये एक औरत आई और उसे सामने रसूलुल्लाह (ﷺ) मिल गये और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम ये चाहती हो कि जिस घर से अल्लाह तआला ने शैतान को निकाल दिया है, उसमें शैतान को फिर दाख़िल कर दो?' आपने दो बार फ़रमाया। तो मैं रोने से रुक गई और न रोई।

फ़ायदा : इस रोने से मुराद बीन करना और नौहा करना है। जिसमें चीख़ा-चिल्लाया जाता है और सीना कूबी होती है और सर और रुख़सार पीटे जाते हैं। सर पर ख़ाक डाली जाती है और गिरेबान चाक किया जाता है।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ

(2135) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से रिवायत है कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद थे कि आपकी बेटियों में से एक ने आपको बुलाने के लिये आपके पास पैग़ाम

أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوِ ابْنًا لَهَا - فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ " فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا . قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ " .

भेजा और आपको इत्तिला दी कि उनका बच्चा या बेटा क़रीबुल मर्ग है (मर रहा है) तो आपने पैग़ामबर (मेसेन्जर) से फ़रमाया, 'उनके पास वापस जाकर उनको बताओ, अल्लाह ही का है जो उसने लिया और उसी का है जो कुछ उसने दिया है और हर चीज़ के लिये उसके यहाँ वक़्त मुक़र्रर है, इसलिये उनसे कहो वो सब्र करें और सवाब की निय्यत करें।' पैग़ामबर दोबारा आया और उसने कहा, उन्होंने आपको क़सम दी है कि आप उनके पास ज़रूर पहुँचें, इस पर नबी(ﷺ) खड़े हो गये और आपके साथ सअ़द इब्ने उ़बादा और मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) भी उठ खड़े हुए और मैं भी उनके साथ चल पड़ा। आपको बच्चा पेश किया गया और उसका साँस उखड़ा हुआ था, गोया कि वो पुरानी मश्क में है (और उससे आवाज़ पैदा हो रही है)तो आपकी आँखों से आँसू जारी हो गये। इस पर हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, ये क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने जवाब दिया, 'ये रहमत व शफ़क़त है, जो अल्लाह ने अपने बन्दों के दिलों में रखी है और अल्लाह भी अपने उन्ही बन्दों पर रहम फ़रमाता है जो रहम दिल और मेहरबान हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 1284, 5655, 6602, 6655, 7377, 7448, अबू दाऊद :3125, नसाई : 2184, इब्ने माजह : 1588)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي،

(2136) और इमाम साहब अपने कुछ दूसरे उस्तादों से मज़्कूरा सनद से ही मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसके

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادٍ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ .

मुक़ाबले में हम्माद की मज़्कूरा रिवायत कामिल और तवील है।

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ فَقَالَ " أَقَدْ قَضَى " . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا فَقَالَ " أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ " .

(2137) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.)की रिवायत है कि हज़रत सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) एक बार बीमार हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ), अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, सअ़द बिन अबी वक़्क़ास और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.)के साथ उनकी इयादत के लिये आये। आप जब उनके पास अंदर तशरीफ़ लाये तो उन्हें सख़्त तकलीफ़ में देखा या उन्हें घर वालों की भीड़ में देखा, तो आपने पूछा, क्या ख़त्म हो चुके? लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अभी फ़ौत नहीं हुए। रसूलुल्लाह (ﷺ) (उनकी कैफ़ियत देखकर) रोने लगे, जब लोगों ने आपको रोते देखा तो वो भी रो पड़े, तो आपने फ़रमाया, 'क्या तुम सुन नहीं रहे? यानी अच्छी तरह सुन लो और समझ लो, अल्लाह तआ़ला आँख के आँसू और दिल के रंज व ग़म पर तो सज़ा नहीं देता, लेकिन उसकी (ग़लत रवी पर, यानी ज़बान से नौहा और मातम करने पर) सज़ा भी देता है और उसके (इन्ना लिल्लाहि पढ़ने पर और दुआ़ व इस्तिग़फ़ार करने पर) रहमत भी फ़रमाता है और आपने अपनी ज़बान की तरफ़ इशारा फ़रमाया। (सहीह बुख़ारी : 1304)

मुफ़रदातुल हदीस :- (1) इन्नल्लाह मा अख़ज़ : ये बच्चा जो अल्लाह ले रहा है, जिसकी उसने जान निकाल ली है, वो उसी का है, तुम्हारा नहीं है। इसलिये जब उसने अपनी ही चीज ली है तुम्हारी चीज़ नहीं ली, तो तुम्हें उस पर जज़अ़-फ़ज़अ़ करने का क्या हक़ हासिल है। क्या अगर कोई अपनी वदीअत करदा

या अमानत में दी चीज़ वापस ले, तो अमीन को उस पर ऐतिराज़ करने का हक़ हासिल है? इसलिये सब्र व सकीनत से काम लो। (2) वलहू मा अअ्ता : उसने तुम्हें जो कुछ भी इनायत फ़रमाया है वो उसी का है, उसकी मिल्कियत से निकल नहीं गया है और उसे हक़ हासिल है कि अपनी मिल्कियत में जो चाहे तसर्रुफ़ करे। (3) कुल्ल शैइन इन्दहू बिअजलिम् मुसम्मा : उसने जो कुछ भी इनायत फ़रमाया है उसके लिये वक़्त और मुद्दत भी मुतअय्यन फ़रमाई है, जब वो मुद्दत पूरी हो जायेगी और उसका वक़्त आ जायेगा तो वो उसको वापस ले लेगा। लिहाज़ा अपना वक़्त पूरा करने के बाद जो चीज़ तुमसे चली गई है उसमें तक़दीम व ताख़ीर नहीं हो सकती थी।इसलिये तुम्हारा शिक्वा-शिकायत बेजा है अगर इंसान आपके इन कलिमाते जामिआ पर ग़ौर फ़रमा ले तो उसके लिये किसी चीज़ से महरूम होने के बाद, अल्लाह तआला की क़ज़ा और उसके फ़ैसले व तक़दीर पर राज़ी और मुतमइन होना कोई मुश्किल नहीं है और उसके लिये सब्र व तस्लीम का मरहला तय करना बड़ा आसान है। (4)नफ़्सुहू तक़अक़अ : उसकी जान निकलने से गले में आवाज़ पैदा हो रही थी जैसाकि शन, पुरानी और बोसीदा मश्क में पानी डालने से आवाज़ पैदा होती है। ग़शियह : ग़ैन पर ज़बर है और शीन पर ज़ेर है और या मुशद्दद है मुसीबत व तकलीफ़ की सख़्ती भी मुराद हो सकती है और जमा होने वाले अइज़्ज़ा व अक़ारिब का इज़्दहाम और भीड़ भी।

फ़वाइद : (1) किसी की मौत पर शिद्दत से उसके अइज़्ज़ा व अक़ारिब और दोस्त व अहबाब का रन्जीदा और ग़मगीन होना और उसके नतीजे में उनकी आँखों से आँसू बहना और इसी तरह गिरया के दूसरे आसार का ज़ाहिर होना एक बिल्कुल फ़ितरी बात है और इस बात की अलामत है कि उस आदमी के दिल में मुहब्बत व शफ़क़त और दर्दमन्दी का जज़्बा मौजूद है, जो इंसानियत का एक क़ीमती और पसन्दीदा असासा है। इसलिये शरीअत ने इस पर क़दग़न या पाबंदी आइद नहीं की बल्कि एक हद तक इसकी तहसीन और हौसला अफ़ज़ाई की है। इसलिये आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला अपने बन्दों पर रहम फ़रमाता है जिनके दिलों में दूसरों के लिये रहम और दर्दमन्दी का जज़्बा मौजूद है।' (8) अगर इंसान ज़बान से ग़लत नाम लेने की बजाए (जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है) ज़बान से इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है, दुआ और इस्तिग़फ़ार करता है और ऐसी बातें करता है जो अल्लाह की रहमत और उसके फ़ज़्ल व करम के हुसूल का वसीला बनें तो उसका अइज़्ज़ा व अक़ारिब और मय्यित को फ़ायदा पहुँचता है। (3) हदीस में आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) की बच्ची हज़रत उमामा (रज़ि.) की शदीद बीमारी का तज़्किरा है। यहाँ तक कि उनकी वालिदा को उनके चल बसने का ख़तरा पैदा हो गया था। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) की दुआ की बरकत से उनको शिफ़ा हासिल हो गई और वो आपके बाद तक ज़िन्दा रही, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के बाद, उनसे हज़रत अली (रज़ि.) ने शादी की और यही सूरते हाल हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) की है। वो भी आपकी दुआ की बरकत से उस सख़्त बीमारी से सेहतयाब हो गये थे और आपके बाद अहदे सिद्दीक़ी में या अहदे फ़ारूक़ी में फ़ौत हुए।

बाब 7 : बीमारों की इयादत व बीमारपुर्सी

باب في عِيَادَةِ الْمَرْضَى

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عُمَارَةَ، - يَعْنِي ابْنَ غَزِيَّةَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَّى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَخَا الأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ " . فَقَالَ صَالِحٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ " . فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ خِفَافٌ وَلاَ قَلاَنِسُ وَلاَ قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ .

(2138) हज़रतअ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है वो बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैठे हुए थे कि अचानक एक अन्सारी आदमी ने आकर आपको सलाम अ़र्ज़ किया और फिर पुश्त फेर कर चल दिया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अन्सारी! मेरे भाई सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) का क्या हाल है?' उसने अ़र्ज़ किया, बेहतर है। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ)ने फ़रमाया, 'तुममें से कौन उसकी इयादत के लिये जायेगा?' फिर आप खड़े हो गये और हम भी आपके साथ उठ खड़े हुए और हम दस से ज़्यादा लोग थे। हमारे पास जूते थे और न ही मोज़े न टोपियाँ थीं और न ही क़मीसें। इस तरह शूरीली ज़मीन पर चल कर उनके पास पहुँच गये और उनकी क़ौम के लोग उनके आस-पास से हट गये, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथ जाने वाले क़रीब हो गये।

फ़ायदा :- दोस्त व अहबाब और अइज़्ज़ा व अक़ारिब की इयादत करना कारे सवाब और सुन्नते नबवी है।

बाब 8 : मुसीबत पर सब्र पहली चोट पर ही करना चाहिये

باب فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى " .

(2139) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सब्र वही है जो पहली चोट के वक़्त किया जाये।'

(सहीह बुख़ारी : 1252, 1283, 1302, 7154, अबू दाऊद : 3124, तिर्मिज़ी : 988, नसाई : 4/22)

फ़ायदा :- इंसान पर जब मुसीबत टूटती है या वो किसी परेशानी में मुब्तला होता है, तो उस वक़्त अपना हौसला क़ायम रखना और सब्र करना मुश्किल होता है, आहिस्ता-आहिस्ता ग़म ख़ुद-बख़ुद ग़लत हो जाता है और परेशानी कम होते-होते ख़त्म हो जाती है। इसलिये बाद में सब्र करना भी आसान हो जाता है। इसलिये आपने फ़रमाया, असल सब्र जो अज्र व सवाब और फ़ज़ीलत का सबब है वो तो वही है जो पहली चोट और पहले सदमे के वक़्त किया जाये, जज़अ-फ़ज़अ के बाद सब्र लाहासिल (बे फ़ायदा) है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا " اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي " . فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي . فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ

(2140) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) एक औरत के पास आये, जो अपने बच्चे पर रो रही थी तो आपने उनसे फ़रमाया, 'अल्लाह से डर कर सब्र कर।' तो उसने कहा, तुम्हें मेरी मुसीबत की क्या परवाह है। जब आप चले गये तो उसे बताया गया, तुझे नसीहत करने वाले तो अल्लाह के रसूल थे। तो उस पर मौत जैसी कैफ़ियत तारी हो गई (वो डर से सहम गई) वो आपके दरवाज़े पर आई। तो आपके दरवाज़े पर कोई दरबान न था। (वो अंदर

تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ " إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ " . أَوْ قَالَ " عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ " .

चली गई) और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपको पहचाना नहीं था। आपने फ़रमाया, 'सब्र वही है जो चोट पड़ते ही या पहली चोट पर किया जाये।'

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بِقِصَّتِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ .

(2141) इमाम साहब यही रिवायत शोबा ही की सनद से अपने कई उस्तादों से बयान करते हैं। अ़ब्दुस्समद की रिवायत में है कि नबी (ﷺ) एक क़ब्र के पास बैठी हुई औ़रत के पास से गुज़रे।

फ़ायदा :- इस हदीस़ से मालूम होता है कि आप (ﷺ) का रहन-सहन और बूदो-बाश और लिबास आम साथियों की तरह था। आपका कोई मख़सूस और इम्तियाज़ी लिबास न था, न दुनिया के चौधरियों की तरह आपके दरवाज़े पर दरबान बैठते थे, इसलिये नावाक़िफ़ आपको पहचान नहीं सकता था।

بَابُ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

बाब 9 : मय्यित के लिये उसके घर वालों का रोना अ़ज़ाब का बाइस़ बनता है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بِشْرٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ حَفْصَةَ، بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " .

(2142) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.)से रिवायत है कि हज़रत हफ़्सा, हज़रत उ़मर (रज़ि.) (की हालत को देखकर उनकी ज़िन्दगी से मायूस होकर) उन पर रोने लगीं तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी बेटी! रुक जाओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है, 'मय्यित को उसके घर वालों के रोने के सबब अ़ज़ाब दिया जाता है।'
(नसाई : 4/15)

(2143) हज़रत उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मय्यित को उसकी क़ब्र में, उस पर नौहा किये जाने के सबब अ़ज़ाब होता है।'

(सहीह बुख़ारी : 1292, नसाई : 4/16-17, इब्ने माजह : 1953)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ " .

(2144) इमाम साहब हज़रत उ़मर (रज़ि.) की रिवायत अपने दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मय्यित को उसकी क़ब्र में, उस पर नौहा किये जाने के सबब अ़ज़ाब पहुँचता है।'

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ، بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ " .

(2145) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है, जब हज़रत उ़मर (रज़ि.) को ज़ख़्मी कर दिया गया और वो बेहोश हो गये तो उन पर चीख़ व चिल्लाकर रोया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है, 'मय्यित को उस पर उसके ख़ानदान या ज़िन्दा के रोने के सबब अ़ज़ाब होता है।'

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي، صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ " .

(2146) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जब हज़रत उ़मर (रज़ि.)ज़ख़्मी हो गये तो हज़रत सुहैब (रज़ि.) कहने लगे, हाय मेरे भाई! तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनसे कहा, ऐ सुहैब! क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَاأَخَاهْ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا

फ़रमाया, 'मय्यित को उस पर ख़ानदान के रोने के सबब अ़ज़ाब होता है।'

(सहीह बुख़ारी : 1290, 9094)

عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ " .

फ़ायदा :- हय्य का मानी ज़िन्दा भी होता है और ख़ानदान व क़बीला भी। अहल की मुनासिबत से इसका मानी क़बीला ही होगा।

(2147) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) की रिवायत है कि जब हज़रत उ़मर (रज़ि.) ज़ख़्मी हो गये तो सुहैब (रज़ि.) अपने घर से आये यहाँ तक कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) के पास अंदर चले गये और उनके सामने खड़े होकर रोने लगे। तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, क्यों रो रहे हो? क्या मुझ पर रोते हो? कहा, हाँ! अल्लाह की क़सम ऐ अमीरुल मोमिनीन! आप ही की ख़ातिर रो रहा हूँ। उ़मर (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! तुम्हें ख़ूब इल्म है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस पर रोया जाता है, उसे अ़ज़ाब होता है।' रावी का बयान है, ये हदीस़ मैंने मूसा बिन तलहा को सुनाई तो उसने कहा, हज़रत आइशा (रज़ि.)फ़रमाती थीं, इससे मुराद तो बस यहूद थे (उनको कुफ़्र की बिना पर अ़ज़ाब होता है, जबकि घर वाले रो रहे होते हैं)।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ، عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي فَقَالَ عُمَرُ عَلاَمَ تَبْكِي أَعَلَىَّ تَبْكِي قَالَ إِي وَاللَّهِ لَعَلَيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ " . قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ إِنَّمَا كَانَ أُولَئِكَ الْيَهُودَ

(2148) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि जब हज़रत उ़मर (रज़ि.) ज़ख़्मी कर दिये गये तो हज़रत हफ़्सा (रज़ि) उन पर बआवाज़े बुलंद रोने लगीं, तो उन्होंने कहा, ऐ हफ़्सा! क्या तूने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए नहीं सुना, 'जिस पर बआवाज़े बुलंद रोया

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

जाये, उसे अ़ज़ाब मिलता है।' और उन पर सुहैब (रज़ि.) बआवाज़े बुलंद रोने लगे, तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, ऐ सुहैब! क्या तुम्हें इल्म नहीं जिस पर बआवाज़े बुलंद रोया जाये, उसे अ़ज़ाब दिया जाता है।'

يَقُولُ " الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ " . وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ " أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ " .

(2149) अ़ब्दुल्लाह बिन अबी मुलैकह से रिवायत है कि मैं इब्ने उ़मर (रज़ि.) के पहलू में बैठा हुआ था और हम हज़रत उ़समान (रज़ि.) की साहबज़ादी उम्मे अबान के जनाज़े के मुन्तज़िर थे और इब्ने उ़मर (रज़ि.) के पास अ़म्र बिन उ़समान भी बैठे हुए थे। इतने में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को आगे से पकड़कर एक आदमी लेकर आ गया, मेरे ख़याल में उसने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को इब्ने उ़मर (रज़ि.) की मौजूदगी के बारे में बताया, तो वो आकर मेरे पहलू में बैठ गये। तो मैं उन दोनों के दरम्यान था कि अचानक घर से आवाज़ बुलंद हुई तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कहा ....! गोया कि वो अ़म्र को उठकर उन्हें रोकने का इशारा कर रहे हैं.....। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'बिला शुब्हा मय्यित को उसके घर वालों के रोने पर अ़ज़ाब दिया जाता है।' रावी का क़ौल है कि अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने इस क़ौल को बिल्कुल बिला क़ैद बयान किया यानी मय्यित के यहूदी होने या कुछ के रोने की क़ैद नहीं लगाई। तो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उ़मर (रज़ि.) के साथ थे, यहाँ तक कि हम जब मक़ामे बैदा पर पहुँचे, तो उन्होंने अचानक एक आदमी को एक दरख़्त के

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانٍ بِنْتِ عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ فَأُرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرٍو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ " . قَالَ فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ

साये में उतरा हुआ देखा। उन्होंने मुझे कहा, जाओ और मालूम करके मुझे बताओ वो कौन आदमी है। मैं गया, तो मैंने देखा वो सुहैब (रज़ि.) हैं। मैं उनके पास वापस आया और मैंने बताया, आपने मुझे हुक्म दिया था, मैं आपको उसका पता करके बताऊँ कि वो कौन है,वो सुहैब (रज़ि.) हैं। उन्होंने कहा, जाकर उसे कहो वो हमारे पास आ जाये, मैंने कहा, उनके साथ उसकी अहलिया भी है। उन्होंने कहा, चाहे उसके साथ उसकी अहलिया भी है। कई बार (अय्यूब ने कहा, उन्हें कहो, हमारे साथ आ मिलें) तो जब हम (मदीना) पहुँचे थोड़े ही अर्से के बाद अमीरुल मोमिनीन ज़ख़्मी कर दिये गये, तो सुहैब (रज़ि.) ये कहते हुए आये, हाय मेरा भाई! हाय मेरा साथी! तो उमर (रज़ि.)ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं या तुमने सुना नहीं (अय्यूब ने कहा या उन्होंने अलम तअ्लम, अव लम् तस्मअ् की बजाए, अवलम तअ्लम अव लम तस्मअ् कहा)कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है, 'मय्यित को उसके घर वालों के कुछ के रोने से अज़ाब दिया जाता है।' रावी ने बताया कि अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बुका को मुत्लक़, बिला क़ैद कहा और (उनके बाप) उमर (रज़ि.) ने बुका के साथ बाज़ की क़ैद लगाई। अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैकह (रज़ि.)कहते हैं, मैं उनके पास से उठकर हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उन्हें हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल सुनाया, तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, नहीं अल्लाह की

بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِي شَجَرَةٍ فَقَالَ لِيَ اذْهَبْ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ . فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ . قَالَ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا . فَقُلْتُ إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ . قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ أَيُّوبُ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا - فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ فَجَاءَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَاأَخَاهْ وَاصَاحِبَاهْ . فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ " . قَالَ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ بِبَعْضٍ . فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَتْ لاَ وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ

أَحَدٍ". وَلَكِنَّهُ قَالَ " إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". قَالَ أَيُّوبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلاَ مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ .

क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी नहीं फ़रमाया कि 'मय्यित को किसी के रोने पर अ़ज़ाब दिया जाता है।' और लेकिन आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला काफ़िर के अ़ज़ाब में उसके घर वालों के रोने की वजह से इज़ाफ़ा कर देता है।' बेशक अल्लाह ही हँसाता है और वही रुलाता है और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी का बोझ नहीं उठायेगी। इब्ने अबी मुलैकह कहते हैं, मुझे क़ासिम बिन मुहम्मद ने बताया, जब आ़इशा (रज़ि.) तक उ़मर और इब्ने उ़मर (रज़ि.) का क़ौल पहुँचा तो उन्होंने कहा, तुम मुझे ऐसे शख़्सों की बात सुनाते हो वो झूठे नहीं हैं और न ही कोई उन्हें झूठा क़रार देता है। लेकिन सुनने में ग़लती हो जाती है (हदीस़ का सहीह मफ़्हूम और हज़रत आ़इशा रज़ि. के ऐतिराज़ का जवाब हम आख़िर में बयान करेंगे)।
(सहीह बुख़ारी : 1286)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا - قَالَ - فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا - قَالَ - جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى

(2150) अ़ब्दुल्लाह बिन अबी मुलैकह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) की साहबज़ादी का मक्का में इन्तिक़ाल हो गया तो हम उसके जनाज़े में शिरकत के लिये आये, हज़रत इब्ने उ़मर और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) भी आ गये। मैं उनके दरम्यान बैठा हुआ था, क्योंकि मैं उनमें से एक (इब्ने उ़मर रज़ि.) के पास बैठा हुआ था कि दूसरा आकर मेरे पहलू में बैठ गया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने अ़म्र बिन उ़समान को कहा और वो उनके सामने बैठा हुआ था, क्या तुम रोने से नहीं रोकोगे?

جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ - قَالَ - فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي . قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَاأَخَاهْ وَاصَاحِبَاهْ . فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ لاَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ

रसूलुल्लाह (ﷺ)ने तो फ़रमाया है, 'मय्यित को उसके घर वालों के उस पर रोने से अ़ज़ाब दिया जाता है।' तो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.)ने कहा, हज़रत उ़मर (रज़ि.)तो बाज़ रोना कहा करते थे। फिर उन्होंने बताया कि मैं उ़मर (रज़ि.) के साथ मक्का से वापस लौटा, यहाँ तक कि हम जब मक़ामे बैदा पर पहुँचे तो अचानक उनकी नज़र एक दरख़्त के साये के नीचे बैठे क़ाफ़िले पर पड़ी। तो उ़मर (रज़ि.) ने कहा, जाओ देखो! ये सवार कौन हैं? मैंने जाकर देखा तो वो सुहैब (रज़ि.) थे, मैंने आकर उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। तो मैं सुहैब (रज़ि.) की तरफ़ लौट गया और उन्हें कहा, चलो अमीरुल मोमिनीन से जा मिलो! तो जब उ़मर (रज़ि.)ज़ख़्मी कर दिये गये। सुहैब (रज़ि.) रोते हुए उनके पास आये और कहने लगे, हाय अफ़सोस मेरा भाई! हाय मेरा साथी! तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, ऐ सुहैब! क्या तुम मुझ पर रोते हो? हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमा चुके हैं, 'मय्यित को उसके घर वालों के उस पर बाज़ गिरया से अ़ज़ाब दिया जाता है।' इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, जब उ़मर (रज़ि.) फ़ौत हो गये तो मैंने इस क़ौल का तज़्किरा आ़इशा (रज़ि.) से किया तो आ़इशा (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह तआ़ला उ़मर पर रहम फ़रमाये, नहीं अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये नहीं फ़रमाया कि 'अल्लाह मोमिन को किसी के रोने पर अ़ज़ाब देता है।' लेकिन आपने तो फ़रमाया था,

بِبُكَاءِ أَحَدٍ " . وَلَكِنْ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى . قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَىْءٍ

'अल्लाह तआ़ला काफ़िर के अ़ज़ाब में उसके घर वालों के उस पर रोने से ज़्यादती कर देता है।' और हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कहा, (हक़ीक़त को जानने के लिये) तुम्हारे लिये क़ुरआन काफ़ी है कि कोई गुनाह का बोझ उठाने वाली जान, किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठायेगी। (सूरह फ़ातिर : 18) और इस पर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, और अल्लाह ही हँसाता है और वही रुलाता है। इब्ने अबी मुलैकह कहते हैं, अल्लाह की क़सम इब्ने उ़मर रज़ि. ने इब्ने (इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की बात के जवाब में) कुछ नहीं कहा।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، كُنَّا فِي جَنَازَةِ أُمِّ أَبَانٍ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَنُصَّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا نَصَّهُ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدِيثُهُمَا أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو .

(2151) अ़म्र, इब्ने अबी मुलैकह से रिवायत करते हैं कि हम हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) की साहबज़ादी उम्मे अबान के जनाज़े में हाज़िर थे और मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की। लेकिन अ़म्र ने हज़रत उ़मर (रज़ि.) की रिवायत को सराहतन नबी (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब नहीं किया, जबकि अय्यूब और इब्ने जुरैज ने आपकी तरफ़ निस्बत की सराहत की है और उन दोनों की हदीस़ अ़म्र की हदीस़ से कामिल है।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ " .

(2152) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मय्यित को ख़ानदान के रोने की वजह से अ़ज़ाब दिया जाता है।'

(2153) उ़रवह (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत आ़इशा (रज़ि.) के सामने, हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) का क़ौल बयान किया गया कि मय्यित को उसके घर वालों के उस पर रोने की वजह से अ़ज़ाब दिया जाता है। तो आ़इशा (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह अबू अ़ब्दुर्रहमान पर रहम फ़रमाये, उन्होंने एक चीज़ सुनी लेकिन पूरी तरह महफ़ूज़ नहीं की, बात सिर्फ़ इतनी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक यहूदी का जनाज़ा गुज़रा और वो रो रहे थे, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम रो रहे हो और उसे सज़ा मिल रही है।' अ़ज़ाब दिया जा रहा है।

(सहीह बुख़ारी : 3978, अबू दाऊद : 3129, नसाई : 4/17)

وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ " أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ " .

(2154) उ़रवह (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत आ़इशा (रज़ि.) को बताया गया कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान बयान करते हैं कि 'मय्यित को उसकी क़ब्र में उसके घर वालों के उस पर रोने के सबब अ़ज़ाब दिया जाता है।' तो उन्होंने कहा, इब्ने उ़मर (रज़ि.) ग़लती कर गये (भूलकर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो बस ये फ़रमाया था, 'उसे उसकी ग़लती या गुनाह के सबब अ़ज़ाब दिया जा रहा है और उसके घर वाले अब उस पर रो रहे हैं।' और ये उनके इस क़ौल की तरह है कि आप बद्र के दिन, उस पुराने कुँऐं पर खड़े हुए जिसमें बद्र में क़त्ल होने वाले मुश्रिकों की लाशें थीं तो आपने उन्हें जो बात कही (यानी हल वजत्तुम मा

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " . فَقَالَتْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ " . وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ

لَهُمْ مَا قَالَ " إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ " . وَقَدْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ " إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ" . ثُمَّ قَرَأَتْ { إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى} { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ .

वुइत्तुम जिस चीज़ की तुम्हें धमकी दी जाती थीं उसको पा लिया) ये नही कहा कि 'मैं जो कुछ कह रहा हूँ, ये सुन रहे हैं।' और आपकी बात बताने में इब्ने उ़मर (रज़ि.) ग़लती कर गये। आपने तो बस ये कहा था, 'उन्होंने जान लिया है, मैं उन्हें जो कुछ बताया करता था वो हक़ है।' फिर आ़इशा (रज़ि.) ने आयत पढ़ी, 'आप मुर्दों को नहीं सुना सकते।' (सूरह नहल : 80) 'और आप क़ब्र वालों को नहीं सुना सकते।' (सूरह फ़ातिर : 22) आप उस वक़्त की ख़बर दे रहे हैं जबकि वो आग में अपने ठिकाने बना चुके हैं।

(सहीह बुख़ारी : 3979-3980-3981, नसाई : 4/110-111)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُّ .

(2155) यही हदीस़ इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं लेकिन अबू उसामा की मज़्कूरा बाला हदीस़ ज़्यादा मुकम्मल है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ، لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ

(2156) अ़म्रह बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान बयान करती हैं कि मैंने हज़रत आ़इशा (रज़ि.) से सुना, जबकि उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का ये क़ौल बताया गया कि मय्यित को ज़िन्दा के रोने के सबब अ़ज़ाब दिया जाता है। तो आ़इशा (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह अबू अ़ब्दुर्रहमान को माफ़ फ़रमाये। यक़ीनन उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन वो भूल गये या चूक गये। बात सिर्फ़ इतनी है कि

لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ " إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) एक यहूदी औरत जिस पर रोया जा रहा था, के पास से गुज़रे तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये लोग इस पर रो रहे हैं और इसे क़ब्र में अज़ाब दिया जा रहा है।'

(सहीह बुख़ारी : 1289, तिर्मिज़ी : 1006, नसाई : 4/17-18)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، وَمُحَمَّدِ، بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(2157) अली बिन रबीआ बयान करते हैं कि कूफ़ा में सबसे पहले क़रज़ा बिन कअ़ब पर नौहा किया गया, तो मुग़ीरह बिन शोबा (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जिस पर नौहा किया गया, क़यामत के दिन उसे उस पर नौहा किये जाने के सबब अ़ज़ाब दिया जायेगा।'

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، الأَسْدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(2158) मुसन्निफ़ ने हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला हदीस दूसरे उस्ताद से नक़ल की है।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، الطَّائِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(2159) इमाम साहब ने हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (रज़ि.) की मज़्कूरा हदीस एक और उस्ताद से बयान की है।

फ़वाइद : (1) मय्यित पर घर वालों के रोने के बारे में उ़लमा के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं : (1) पहला

क़ौल ये है कि मय्यित पर मुत्लक़न, बिला क़ैद, उमूमी तौर पर रोना हराम है। जैसाकि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के क़ौल से मालूम होता है या उस सूरत में मम्नूअ है जबकि मरने वाले के सामने उस पर रोया जाता है और वो रोकने की कुदरत के बावजूद नहीं रोकता, जैसाकि हज़रत उमर (रज़ि.) के हज़रत सुहैब और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) को रोकने से मालूम होता है। (2) दूसरा क़ौल ये है कि रोना मुत्लक़न, मय्यित के लिये अज़ाब का बाइस नहीं बनता क्योंकि ये उसका अमल नहीं है। दूसरों के अमल का उससे कैसे मुवाख़िज़ा किया जा सकता है, जैसाकि कुरआन मजीद में इरशाद है, 'कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठायेगी।'

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का नज़रिया यही था, कुछ शवाफ़ेअ का ख़्याल भी यही है और हज़रत आइशा (रज़ि.) का ख़्याल भी यही मालूम होता है। इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बतौरे दलील ये आयत भी पेश की कि अल्लाहु अज़्हक व अब्का अल्लाह ही ने हँसाया और रुलाया है, लेकिन जुम्हूर उम्मत और अइम्मा के नज़दीक, हज़रत उमर और इब्ने उमर (रज़ि.) की अहादीस और मुआरिज़े में पेश की जाने वाली आयात में तज़ाद (टकराव) नहीं है और ये रिवायत और भी कई सहाबा से साबित है। इसलिये सहीह बात ये है जैसाकि खुद हज़रत आइशा (रज़ि.) की मुख़्तलिफ़ रिवायात से साबित होता है और हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायात भी इसकी तस्दीक़ करती हैं कि मय्यित पर उसके अइज़्ज़ा व अक़ारिब और दोस्त व अहबाब का शिद्दते ग़म व हुज़्न के सबब रन्जीदा और ग़मगीन होना और उसके नतीजे में उनकी आँखों से आँसू बहना और इसी तरह गिरया के बेइख़्तियार दूसरे आसार का नमूदार होना एक फ़ितरी अम्र है इस पर मुवाख़िज़ा (पकड़) नहीं है लेकिन इस पर नौहा और नदबा व अवील करना क़ाबिले मुवाख़िज़ा है। इसलिये हज़रत उमर (रज़ि.)की रिवायत में कुछ जगह बिबअ़्ज़िल बुका कुछ रोनों का ज़िक्र है। कुछ जगह बिमायुन्हा अलैह है जो उस पर नौहा किया गया और कुछ जगह यऊल अलैहि हफ़्सा व औल अलैह सुहैब कि हफ़्सा और सुहैब उन पर बुलंद आवाज़ से रोये, तो हज़रत उमर ने कहा, अल्मऊलु अलैहि युअज़्ज़बु जिस पर चीख़ा है और चिल्लाया गया है, उसको अज़ाब होगा। गोया अज़ाब का तअ़ल्लुक़ रोने से नहीं ये फ़ितरी चीज़ है। मुमानिअ़त का तअ़ल्लुक़ ज़बान से है कि उससे ग़लत क़िस्म के कलिमात और आवाज़ निकलती है। जैसाकि आपने ज़बान की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया था कि इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदम्इल अैनि वला बिहुज़्निल क़ल्ब कि अल्लाह तआला आँख के आँसू और दिल के रंज व ग़म पर सज़ा नहीं देता। क्योंकि उस पर बन्दे का इख़्तियार और क़ाबू नहीं। वलाकिंय्युअज़्ज़िबु बिहाज़ा ज़बान की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया। उसकी ग़लत रवी, नौहा व मातम, चीख़ व पुकार और वावेला या नदबा देता है या यरहम उसकी सलामत रवी, दुआ व इस्तिग़फ़ार इन्ना लिल्लाह पढ़ने पर रहमत फ़रमाता है। (2) जुम्हूर उम्मत के नज़दीक मय्यित पर बीन और नौहा करना, गिरेबान चाक करना, रुख़सार पीटना, सर पर ख़ाक डालना, मय्यित के अज़ाब में इज़ाफ़ा का सबब तब बनते हैं जब मय्यित का उनमें दख़ल हो या वो उनका

बाइस् और सबब हो या दाइया और मुहर्रिक हो, जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) के इस क़ौल से साबित होता है। इन्नल्लाह यज़ीदुल काफ़िर अज़ाबन बिबुकाइ अहलिही अलैह कि अल्लाह तआला काफ़िर के अज़ाब में उसके घर वालों के रोने के सबब में इज़ाफ़ा करता है। क्योंकि काफ़िर उसका मुहर्रिक या बाइस् व सबब होता है, इसको क़ुरआन मजीद में इन अल्फ़ाज़ में बयान किया गया है, वल्यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम् व अस्क़ालम् मअ अस्क़ालिहिम 'और ये लोग अपने बोझ उठायेंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ भी।'

और आपने हिरक़्ल को लिखा था, फ़इन तवल्लै-त फ़इन्नमा अलैक इस्मुल अरीसिय्यीन 'अगर तूने ईमान लाने से ऐराज़ किया तो तेरी क़ौम का गुनाह भी तुझ पर होगा। इसलिये इमाम बुख़ारी (रह.) का नज़रिया ये है कि हज़रत उमर, इब्ने उमर (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) के अक़्वाल में तआरुज़ नहीं है। क्योंकि उन बाप-बेटा का तअल्लुक़ उस मय्यित से है जिसने अपने अहलो-अयाल के लिये ग़लत नमूना और ग़लत तरीक़ेकार छोड़ा कि कानन्नौहु मिन सुन्नतिही कि नौहा करना, बीन करना या चीख़ना-चिल्लाना उसका वतीरा और रवैया था। अहलो-अयाल ने उससे सीखकर ये काम किया, जैसाकि आपने फ़रमाया कि क़ाबील को हर क़त्ल के गुनाह से हिस्सा मिलता है लिअन्नहू अव्वलु मन सन्नल क़त्ल कि क़त्ल का तरीक़ा सबसे पहले उसने निकाला और हज़रत आइशा (रज़ि.) का मक़सद ये है कि जब अहलो-अयाल के ग़लत तौर-तरीक़े और ग़लत वतीरे में, मय्यित का दख़ल नहीं है तो ला तज़िरु वाज़िरतुंव् विज़्रा उख़्रा के उसूल के मुताबिक़ मय्यित को अज़ाब कैसे दिया जायेगा। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) का ये फ़रमाना, वो ग़लती कर गये या भूल गये या उन्होंने मुकम्मल हदीस् नहीं सुनी, बक़ौले इमाम क़ुर्तुबी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि दोनों अक़्वाल में तआरुज़ (टकराव) नहीं। (2) लेकिन अक्सर उलमा का ख़याल है कि अज़ाब इस सूरत में है जबकि मरने वाला ख़ुद रोने और नौहा व मातम करने की वसिय्यत कर गया हो, जैसाकि अरबों में इसका रिवाज था। (3) कुछ हज़रात का ख़याल है अज़ाब इस सूरत में होगा, जब उसके ख़ानदान और क़ौम व क़बीले में मरने वाले पर नौहा और मातम करने का रिवाज हो और उसने कभी उनको इस काम से रोका न हो, यानी उनकी तालीम व तर्बियत में कोताही की हो और न ही मरते वक़्त उन्हें इस काम से रोका हो। (4) घर वाले जिन अफ़आल या महासिन और ख़ूबियों को याद करके रो रहे हैं, वही अफ़आल और कारनामे उसके अज़ाब का बाइस् बनते हैं, क्योंकि जाहिलिय्यत के दौर में लोग क़त्ल व ग़ारत, अग़वा और दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते थे और रोने वाले बुरे कामों का नाम लेकर उस पर रोते थे, यानी वो रियासत व सरदारी जिसके बल-बूते पर लोगों पर ज़ुल्म व सितम ढहाया था और वो शुजाअत व बसालत जिसकी बिना पर लोगों की इज़्ज़त व माल लूटा करता था, वो महासिन और ख़ूबियाँ शुमार करके नौहा किया जाता था। (5) तअज़ीब से मुराद, घर के अफ़राद के नदबा करने पर फ़रिश्तों का सरज़निश और तौबीख़ करना मुराद है कि जब नौहा करने वाली कहती है व अअ्ज़दाह हाय मेरे बाज़ू, वअना सराह हाय मेरे मुआविन व मददगार व अका

सियाह हाय मुझे लिबास पहनाने वाले तो फ़रिश्ते मय्यित से कहते हैं क्यों जनाब आप ऐसे ही थे? (6) जब मरने वाले के अहबाब और रिश्तेदार, मय्यित पर रोते-पीटते और नौहा, बीन करते हैं तो मय्यित को उनके उन्हीं ग़लत कामों से तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचती है। क़ाज़ी अयाज़ और इब्ने क़य्यिम वग़ैरह ने इस तौजीह को पसंद किया है। (3) बद्र के कुँऐं में मुश्रिकों की लाशों का आपकी बात सुनना, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इस हदीस़ पर ऐतिराज़ किया है कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) ग़लती कर गये हैं या भूल गये हैं। आपने ये नहीं फ़रमाया अन्नहुम यस्मऊन मा अक़ूल कि मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन जुम्हूर उम्मत ने हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) की हदीस़ को सहीह क़रार दिया है क्योंकि दूसरे सहाबा से भी ये मरवी है ख़ुद हज़रत तस्लीम कर रहे हैं आपने फ़रमाया, 'यअ़लमून मा अक़ूल गोया यस्मऊन के अल्फ़ाज़ नहीं फ़रमाया और इन्नक ला तुस्मिउ़ल मौता का मतलब है कि आपके सुनाने का अब उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दारुल अ़मल से निकल चुके हैं और आपका तब्लीग़ व वअ़ज़ का उनसे तअ़ल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। इसलिये सहाबा किराम ने आपसे अ़र्ज़ किया था, या रसूलल्लाह तुख़ातिबु क़ौमन क़द जय्यफ़ू ऐ अल्लाह के रसूल! आप ऐसे लोगों से मुख़ातिब हैं जो लाशें बन चुके हैं और ज़ाहिर बात है अस्बाबे आ़दिया या वसाइले तबीआ़ की रू से किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो मुर्दों को अपनी बात सुना सके, लेकिन अल्लाह तआ़ला अस्बाबे ज़ाहिरिया और आ़दिया का पाबंद नहीं है वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो पोशीदा और बातिनी अस्बाब पैदा कर लेता है जो आ़म अस्बाब के ख़िलाफ़ होते हैं इसलिये क़ानून और ज़ाब्ता यही है कि हम मुर्दों को नहीं सुना सकते। लेकिन इन्नल्लाह यस्मउ़ मंय्यशाउ अल्लाह तआ़ला जिसे चाहे सुना सकता है और वमा अन्त बिमुस्मिइन मन फ़िल्क़ुबूर आप क़ब्र वालों को नहीं सुना सकते और यहाँ अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल की बात सुना दी। वो तो आसमान व ज़मीन को बात सुना देता है और उसने तमाम इंसानों को इस दुनिया में आने से पहले अपनी बात सुना दी थी, वो मुर्दों को ज़िन्दों के जूतों की आहट सुना देता है। अगर उसने अपने रसूल की बात सुना दी तो इसमें क्या इस्तिहाला है इसलिये क़तादा कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने उनको ज़िन्दा करके अपने नबी की बात सुना दी, इसलिये आपने सहाबा किराम को जवाब दिया था।

मा अन्तुम बिअस्मअ़ लिमा अक़ूलु मिन्हुम तुम मेरी बात उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे हो, इसलिये ख़ुद हज़रत आइशा (रज़ि.)से भी हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) की तरह ये अल्फ़ाज़ मरवी हैं कि मा अन्तुम बिअस्मअ़ लिमा अक़ूलु मिन्हुम इसलिये क़ुरआने मजीद ने सुनाने की नफ़ी की है सुनने की नफ़ी नहीं की। लेकिन मुर्दों से इस्तिग़ासा (फ़रियाद) करना,उनको पुकारना और उनसे दुआ़ की अपील करना जाइज़ नहीं हैं। क्योंकि ये तो हमारे काम हैं अल्लाह का फ़ैअ़ल नहीं है। अल्लाह तआ़ला के सुनाने से ये कैसे साबित हुआ कि वो हमारी बात भी सुनते हैं, क्योंकि हमारा न सुना सकना एक उसूल और ज़ाब्ता है, जिससे इस्तिस्ना बग़ैर किसी दलील और नस के मुम्किन नहीं है, बस जिस चीज़ के अल्लाह के सुनाने की सराहत है वो मान लेंगे।

बाब 10: नौहा करने के बारे में सख़्ती

باب التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ

(2160) हज़रत अबू मालिक अश्अरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत में चार आदतें जाहिलिय्यत के कामों में से हैं, जिनको वो छोड़ेंगे नहीं, हसब व नसब पर फ़ख़्र करना, दूसरों के नसब पर तअ़न करना, सितारों के सबब बारिश मानना और नौहा करना।' और आपने फ़रमाया, 'अगर बीन करने वाली, अपनी मौत से पहले तौबा नहीं करेगी तो क़यामत के दिन उसे इस हालत में खड़ा किया जायेगा कि उस पर गन्धक का पैरहन और खुजली (ख़ारिश) की क़मीस होगी।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ " . وَقَالَ " النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ " .

फ़ायदा :- उम्मत में चार आदात व अतवार, जाहिलिय्यत के अतवार व आदात से किसी न किसी शक्ल में बाक़ी रहेंगी मज्मूई हैसियत से तमाम लोग उनसे बाज़ नहीं आयेंगे। अगरचे बहुत से लोग उनसे बच जायेंगे और आपकी ये पेशीनगोई, हर्फ़-बहर्फ़ पूरी हो रही है। लोग अपने हसब व नसब पर फ़ख़्र करते हैं और दूसरे के हसब व नसब पर तअ़न करते हैं।हालांकि किसी ख़ानदान में पैदा होना इंसान का ज़ाती और इक्तिसाबी कमाल या ख़ूबी नहीं है, अगर दुनियवी तौर पर अल्लाह तआ़ला ने किसी को आ़ला ख़ानदान में पैदा कर दिया है तो ये उसका एहसान व करम है जो शुक्र व सपास का तक़ाज़ा करता है न कि फ़ख़्र व घमण्ड के लायक़ है और बहुत सी क़ौमों में ये अ़क़ीदा मौजूद है कि फ़लाँ सितारा फ़ज्र के वक़्त मग़्रिब में डूबता है और उसके मुक़ाबले में दूसरा मश्रिक़ में तुलूअ़ होता है और ये उसके तुलूअ़ व ग़ुरूब का नतीजा है कि बारिश उतरती है। हालांकि बारिश के नाज़िल होने में उसका कोई दख़ल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक अ़लामत क़रार दिया जा सकता है जिससे बारिश का होना ज़रूरी नहीं होता। इस तरह कुछ ख़ानदानों में नौहा करना और सीनाकूबी करना या नदबा करना आ़म है। बल्कि दीनी घराने भी इस लानत से महफ़ूज़ नहीं हैं, जबकि उसकी सज़ा इस क़द्र संगीन है कि नौहा करने वाली के तमाम जिस्म पर ख़ारिश और खुजली मुसल्लत की जायेगी, अआ़ज़नल्लाहु मिन्हा!

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ - شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ وَاللَّهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَنَاءِ .

(2161) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ज़ैद बिन हारिसा, जअफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) की शहादत की ख़बर पहुँची तो रसूलुल्लाह (ﷺ) इस तरह बैठे कि आप पर ग़म के आसार महसूस हो रहे थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं दरवाज़े की दराड़ या सूराख़ से देख रही थी, तो आपके पास एक आदमी आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! जअफ़र के ख़ानदान की औरतें रो रही हैं। आपने फ़रमाया, 'जाओ! जाकर उन्हें रोको।' वो गया और वापस आकर कहने लगा, वो उसकी बात नहीं मान रही हैं। आपने उसे दोबारा हुक्म दिया कि 'जाकर उन्हें मना करो।' वो गया और फिर वापस आकर कहा, अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! वो तो हम पर ग़ालिब आ गई हैं (बात मान नहीं रही हैं)। हज़रत आइशा (रज़ि.) का ख़्याल है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जाओ और उनके मुँह में मिट्टी डाल दो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने ख़ुद कलामी की कि अल्लाह तआला तेरी नाक ख़ाक आलूद करे (तुम्हें ज़लील व ख़्वार करे) अल्लाह की क़सम! तुम वो काम नहीं कर सकते हो, जिसका रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हें हुक्म दे रहे हैं और आपको बार-बार बताकर आपको मशक़्क़त में डालने से बाज़ नहीं आते हो।

(सहीह बुख़ारी : 1305, 1299, 4263, अबू दाऊद : 3122, नसाई : 4/14-15)

फ़ायदा :- इस हदीस़ से मालूम होता है कि हज़रत जअफ़र (रज़ि.) की रिश्तेदार औरतें, फ़ितरी और तबई रोने से बुलंद आवाज़ से रो रही थीं और शिद्दते ग़म व हुज़्न की बिना पर उन्हें इसका एहसास नहीं हो रहा था। इसलिये वो दूसरे के रोकने पर भी बाज़ नहीं आ रही थीं और आप शिद्दते ग़म के बावजूद, अल्लाह तआला की मशिय्यत पर राज़ी थे और अपने तीन अज़ीज़ और महबूब साथियों की शहादत पर दीनी और शरई उमूर की पासदारी फ़रमा रहे थे। आख़िरकार बताने वाले को क़ुव्वत के इस्तेमाल का हुक्म दिया कि उन्हें ज़बरदस्ती रोको, उनके मुँह में मिट्टी डाल दो। लेकिन वो इस क़द्र जुरअत और हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ख़्वाहिश की कि वो आपको बार-बार बताने से बाज़ आ जाये, जिससे मालूम होता है वो सिर्फ़ आवाज़ ही बुलंद कर रही थीं, बीन वग़ैरह नहीं कर रही थीं, वगरना दूसरे सहाबा किराम (रज़ि.) उनको रोकते और उस आदमी का मक़सद सद्दे ज़रिया था कि ये कहीं बीन ही न शुरू कर दें।

(2162) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला हदीस़ अपने दूसरे उस्तादों से भी बयान की है, जिसमें एक रावी अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ मिनल इना की बजाय मिनल इय्यि कहता है, मानी एक ही है (इना मशक़्क़त और थकान को कहते हैं और इय्यि का मानी भी यही है यानी तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) को मशक़्क़त और थकावट में डालने से बाज़ नहीं आये)।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعِيِّ .

(2163) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम से बैअ़त के साथ ये अ़हद भी लिया कि हम नौहा नहीं करेंगी लेकिन हममें किसी औरत ने पाँच औरतों उम्मे सुलैम, उम्मे अ़ला, मुआ़ज़ (रज़ि.) की बीवी अबू सबरह की बेटी मुआ़ज़ की बीवी या अबू सबरह की बेटी और मुआ़ज़ (रज़ि.) की बीवी के सिवा किसी ने इस अ़हद का हक़ अदा नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 1306, नसाई : 7/149)

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْبَيْعَةِ أَلاَّ نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَمْسٌ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ .

फ़ायदा : अबू सबरह की बेटी अलग औरत है क्योंकि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) की बीवी का नाम तो उम्मे अम्र बिन्ते ख़ुलाद (रज़ि.) है और पाँचवीं औरत ख़ुद उम्मे अतिय्या (रज़ि.) हैं। उम्मे अतिय्या के साथ बैअत करने वाली औरतों में से उन्हीं पाँच ने इस अहद का पूरा-पूरा हक़ अदा किया और उनके अलावा और बेशुमार मुसलमान औरतों ने भी नौहा तर्क कर दिया था। लेकिन कुछ औरतें जिनमें कुछ कमज़ोरी थी।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْعَةِ أَلاَّ تَنُحْنَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسٍ مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ ‏.‏

(2164) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे बैअत में ये अहद भी लिया था कि हम बीन नहीं करेंगी, मगर हममें से पाँच के सिवा, जिनमें उम्मे सुलैम (रज़ि.) भी दाख़िल हैं। किसी और औरत ने इसका सहीह हक़ अदा नहीं किया (मुराद बैअत करने वाली औरतों में से पाँच हैं, कुल पाँच औरतें मुराद नहीं हैं)।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ، عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا{ } وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ{ قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ آلَ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِلاَّ آلَ فُلاَنٍ ‏"‏

(2165) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से रिवायत है कि जब सूरह मुम्तहिना की ये आयत उतरी, 'औरतें आपसे इस बात पर बैअत करें कि वो अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरायेंगी' और आख़िर में है कि 'और किसी नेक काम में आपकी मुख़ालिफ़त नहीं करेंगी।' (सूरह मुम्तहिना : 12) वो बताती हैं (बाज़ रहने वाली चीज़ों में) नौहा भी दाख़िल था। तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! फ़लाँ ख़ानदान के सिवा, क्योंकि उन्होंने जाहिलिय्यत के दौर में नौहा करने में मेरे साथ तआवुन किया था इसलिये मेरे लिये उनके तआवुन के बग़ैर चारा नहीं है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़लाँ शख़्स का ख़ानदान मुस्तस्ना (अलग) है।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि कुछ काम नाजाइज़ होते हैं लेकिन अल्लाह का रसूल चूंकि अल्लाह तआला का नुमाइन्दा होता है इसलिये वो अल्लाह की मन्शा और मर्ज़ी के मुताबिक़ कुछ लोगों को वक़्ती तौर पर उस काम के करने की इजाज़त दे देता है और उस वक़्ती इजाज़त के बाद वो इंसान भी दूसरों के साथ उस हुक्म में शरीक होता है। लेकिन उस वक़्ती इजाज़त का ये मानी नहीं है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल को मुस्तक़िल तौर पर ये इख़्तियार दे दिया है कि आप उ़मूमी अहकाम में से जिस फ़र्द को चाहें ख़ास कर लें, बल्कि ये काम आप लितह्कु-म बैनन्नास बिमा अराकल्लाह (सूरह निसा : 105) ताकि आप लोगों में उसके मुताबिक़ फ़ैसला करें जो बात अल्लाह तआला ने आपको बताई है। उसूल के मुताबिक़ करते हैं इसलिये अगर आपका कोई फ़ैसला या हुक्म अल्लाह तआला की मन्शा व मर्ज़ी के मुताबिक़ न होता, तो फ़ोरन आपको आगाह कर दिया जाता था और अल्लाह का रसूल अल्लाह तआला का फ़रिस्तादह और नुमाइन्दा होता है, इसलिये उसका हुक्म अल्लाह तआला का हुक्म मुतसव्विर होता है। इसलिये फ़रमाया, 'जो रसूल की इताअ़त करता है वो अल्लाह की इताअ़त करता है।' (सूरह निसा : 80) इसलिये आपने कुछ अहकाम क़ुरआन से ज़्यादा और मुस्तक़िल दिये हैं जिनका कुछ हज़रात ने हीलों-बहानों से इंकार किया है। जैसे आपका एक शाहिद (गवाह) की मौजूदगी में मुद्दई से क़सम लेना, दूध रोके हुए जानवर को दो साअ़ खजूर दे कर जानवर के मालिक को वापस करना, आपका नमाज़े जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वग़ैरह बेशुमार अहादीस़ हैं, जिनको ये हज़रात मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

باب نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ،

बाब 11 : औरतों को जनाज़े के साथ जाने से मना करना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

(2166) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि हमें जनाज़े के साथ जाने से मना किया जाता था मगर उसकी ताकीद नहीं की जाती थी।

•

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

(2167) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें जनाज़ों के साथ जाने से रोका गया, लेकिन हमें ताकीद नहीं की गई,

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

सख़्ती से नहीं रोका गया।

(सहीह बुख़ारी : 313, इब्ने माजह : 1577)

फ़ायदा : आप (ﷺ) के दौर में हुक्म व मनाही का फ़ैसला आपके सिवा कोई नहीं कर सकता था। इसलिये औरतों को जनाज़ों से रोकने का फ़रमान आपने ही सादिर फ़रमाया। लेकिन मुमानिअत की असल वजह ये है कि जनाज़ों को ले जाना और दफ़न करना, ताक़त व हिम्मत और हौसले के काम हैं। औरतें नर्म दिल और सिन्फ़े नाज़ुक होने की वजह से ये काम नहीं कर सकतीं, नीज़ मर्दों के साथ अगर उन्हें जाने की इजाज़त हो, तो फिर उसमें मर्दों और औरतों का इख़्तिलात और मेल-जोल होगा, जो शरीअत के अहकाम और उसकी हुदूद के मुनाफ़ी है। इसलिये औरतों को जनाज़ों के साथ जाने से रोक दिया गया, हाँ अगर कुछ बाहिम्मत और हौसलामन्द औरतें, किसी मजबूरी के सबब या जज़अ फ़ज़अ और इख़्तिलात से बचकर कभी चली जायें तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन इससे सबके जाने की इजाज़त कशीद नहीं की जायेगी और सब को जाने की इजाज़त नहीं होगी।

بابٌ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

बाब 12 : मय्यित को ग़ुस्ल देना

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى

(2168) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आपकी साहबज़ादी को ग़ुस्ल दे रही थीं तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसको तीन बार या पाँच बार या अगर तुम उससे ज़्यादा बार मुनासिब समझो, पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और आख़िरी बार में काफ़ूर डाल देना या कुछ काफ़ूर डाल देना और जब तुम फ़ारिग़ हो जाओ तो मुझे इत्तिलाअ करना और जब हम फ़ारिग़ हो गईं तो हमने आपको इत्तिलाअ दी। तो आपने हमें अपनी तहबंद दी और फ़रमाया इसको उसके जिस्म का शिआर बनाओ यानी जिस्म के गिर्द लपेट दो।'

إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " .

(सहीह बुख़ारी : 1253, 1254, 1258, 1260, अबू दाऊद : 3142,3146, नसाई : 4/28-29, 4/31, 4/32, 4/33, इब्ने माजह : 1458, 1459)

फ़ायदा : (1) जुम्हूर के नज़दीक मय्यित को ग़ुस्ल देना फ़र्ज़ है कूफ़ियों, अहले ज़ाहिर और इमाम मुज़नी के नज़दीक तीन बार ग़ुस्ल देना वाजिब है और इससे ज़्यादा पाँच या सात बार ज़रूरत के तहत है। अक्सर अइम्मा के नज़दीक ग़ुस्ल एक तअब्बुदी हुक्म है जिसकी फ़िलॉस्फ़ी और हिक्मत मालूम नहीं है या नज़ाफ़त और सफ़ाई-सुथराई के लिये है । मय्यित नजिस (पलीद) नहीं होती, वगरना पानी और बेरी के पत्तों से पाकीज़गी और तहारत हासिल न होती, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक मौत से इंसान पलीद हो गया, जिस तरह वो तमाम हैवानात जिनमें ख़ून है मरने से पलीद हो जाते हैं। लेकिन ये बात सहीह हदीस़ के ख़िलाफ़ है क्योंकि आप (ﷺ) का फ़रमान है, 'मोमिन नापाक नहीं होता है।' (सहीह बुख़ारी) **(2)** मय्यित को आख़िरी ग़ुस्ल देते वक़्त पानी में काफ़ूर डाला जायेगा या ग़ुस्ल से फ़राग़त के वक़्त उस पर काफ़ूर छिड़क दिया जायेगा। **(3)** आप (ﷺ) ने ग़ुस्ल से फ़राग़त के बाद अपने जिस्मे अतहर से तहबंद उतारकर दी ताकि उसको मय्यित के जिस्म पर लपेट दिया जाये। इससे आसारे सालेहीन से तबर्रुक हासिल करने पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है । क्योंकि सहाबा किराम (रज़ि.) ने आपके सिवा किसी के आसार से तबर्रुक हासिल नहीं किया, वगरना आपके बाद कम से कम ख़ुलफ़ाए राशिदीन के आसार से ही सहाबा किराम तबर्रुक हासिल करते, इसलिये ये आप ही का ख़ास्सह और इम्तियाज़ है, इसलिये आपके साथ ख़ास है।

(2169) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि हमने आपकी साहबज़ादी के बालों की तीन चोटियाँ कर दीं।

(अबू दाऊद : 3143, नसाई : 3, 4/32)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .

(2170) इमाम साहब यही रिवायत अपन **कई दूसरे उस्तादों से बयान करते हैं कि उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) की बेटियों में से एक बेटी फ़ौत हो गई। उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) की रिवायत में है वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे**

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ،

كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ . وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ .

पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आप (ﷺ) की बेटी को गुस्ल दे रही थीं और इमाम मालिक की रिवायत में है। वो बयान करती हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास आये जिस वक़्त आपकी बेटी फ़ौत हो गई जैसाकि यज़ीद बिन ज़रीअ की हदीस़ है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، . بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ " . فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .

(2171) इमाम साहब ने एक दूसरी सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है, जिसमें ये है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन बार या पाँच बार या सात बार या अगर तुम मुनासिब ख़याल करो तो इससे ज़्यादा बार।' उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं, हमने उसके सर की तीन ज़ुल्फ़ें कर दीं।

(सहीह बुख़ारी : 12545, 1258, इब्ने माजह : 1459, 18115)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتِ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .

(2172) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं (आप (ﷺ) ने फ़रमाया,) 'इसे ताक़ मर्तबा गुस्ल दो, तीन बार या पाँच बार या सात बार ।' और उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) कहती हैं हमने उसके बालों में कंघी करके उनके तीन मज्मूए बना दिये ।

(सहीह बुख़ारी : 1254, 1259, 1260, नसाई : 4/30, 4/32)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित हुआ गुस्ल ताक़ मर्तबा देना बेहतर है अगरचे ज़रूरत के मुताबिक़ वो तीन बार या पाँच बार से ज़्यादा ही हो।

(2173) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की (बड़ी) बेटी ज़ैनब (रज़ि.) फ़ौत हो गईं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें फ़रमाया, 'इसे ताक़ मर्तबा गुस्ल दो, तीन बार या पाँच बार और पाँचवीं बार उसमें काफ़ूर या काफ़ूर का कुछ हिस्सा डाल देना और जब तुम गुस्ल दे चुको तो मुझे इत्तिलाअ़ देना।' हमने आप (ﷺ) को इत्तिलाअ़ दी तो आपने हमें अपनी तहबंद दी और फ़रमाया, 'इसको उसके जिस्म के साथ मिला दो।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ، - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي " . قَالَتْ فَأَعْلَمْنَاهُ . فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

(2174) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास उस वक़्त तशरीफ़ लाये जबकि हम आपकी किसी एक बेटी को गुस्ल दे रहे थे तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे ताक़ मर्तबा गुस्ल दो, पाँच बार या उससे ज़्यादा।' जैसाकि अय्यूब और आ़सिम की हदीस़ है और इस हदीस़ में ये भी है कि हमने उसके बालों के तीन हिस्से कर दिये, दोनों कनपटियों की तरफ़ एक और पेशानी की तरफ़।

(सहीह बुख़ारी : 1263, तिर्मिज़ी : 990, नसाई : 4/30)

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ " . بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا .

बाब 13 : मय्यित का कफ़न

(2177) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिये हिज्रत की और हमारा अज्र व स़वाब अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया और हममें से कुछ लोग अगले जहान इस हाल में गये कि उन्होंने (दुनिया में) अपना कुछ अज्र हासिल नहीं किया, यानी उनके दौर में फ़ुतूहात के नतीजे में माल व दौलत और आराम व आसाइश मुयस्सर न थी उन्हीं में मुस्अब बिन उमैर भी हैं। वो उहुद के दिन शहीद हुए और उन्हें कफ़न देने के लिये एक धारीदार चादर के सिवा कुछ न मिला और हम जब उस चादर को उनके सर पर रखते, उनके पाँव खुल जाते और जब हम उसे उनके पैरों पर रखते तो सर खुल जाता। इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे इसके सर के क़रीब रखो और इसके पैरों पर इज़्ख़र घास डाल दो।'

और हममें से कुछ के फल पक चुके हैं (उन्हें माल व दौलत की फ़रावानी हासिल है) और वो उन्हें (फलों को) चुन रहा है, उसे हर क़िस्म की सहूलत व आसाइश हासिल है।

(सहीह बुख़ारी : 1236, 3897, 3914, 4047, 4082, 6432, 6448, अबू दाऊद : 2876, तिर्मिज़ी : 3853, नसाई : 4/39)

باب فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ . قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَىْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ نَمِرَةٌ فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ " . وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि औरत के बालों के तीन गीसू (लटें) बनाकर दो सर के दोनों तरफ़ और एक सामने डाल दिया जायेगा। लेकिन बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत से स़ाबित होता है कि आप (ﷺ) की दूसरी बेटी के तीन गीसू (लटें) पीछे डाले गये थे। इसलिये इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक तीनों गीसू (लटें) पीछे डाले जायेंगे और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर अहनाफ़ के नज़दीक बाल खुले छोड़कर सामने और पीछे मुन्तशिर तौर पर डाले जायेंगे और बक़ौले इमाम ऐनी दो गीसू (लटें) करके सामने सीने पर डाले जायेंगे लेकिन ये दोनों क़ौल सरीह हदीस़ के ख़िलाफ़ हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ،عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا"

(2175) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे आप (ﷺ) की बेटी को ग़ुस्ल देने का हुक्म दिया तो फ़रमाया, 'दायें तरफ़ से और वुज़ू की जगहों से ग़ुस्ल देना शुरू करना।'

(सहीह बुख़ारी : 167, 1255,1256, अबू दाऊद : 3145, तिर्मिज़ी : 990, नसाई : 4/30)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ " ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا " .

(2176) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बेटी के ग़ुस्ल के वक़्त फ़रमाया था, 'उसके दायें अतराफ़ और वुज़ू की जगहों से आग़ाज़ करना।'

फ़ायदा : मय्यित को ग़ुस्ल देते वक़्त, सबसे पहले उसे वुज़ू कराया जायेगा और वुज़ू के लिये आ़म तौर पर इस्तिन्जा की ज़रूरत भी होती है इसलिये पेट साफ़ करके, इस्तिन्जा करवाने के बाद वुज़ू कराया जायेगा और नहलाते वक़्त भी दायें तरफ़ से शुरू किया जायेगा और फिर उसे हस्बे ज़रूरत ताक़ बार ग़ुस्ल दिया जायेगा।

फ़ायदा : अगर हालात की तंगी की बिना पर कपड़ों के हुसूल में दिक़्क़त हो तो ज़रूरत और मजबूरी के तहत एक कपड़े का कफ़न दुरुस्त है और वो कपड़ा भी अगर तंग हो तो सर को ढांपा जायेगा और पाँव की तरफ़ कोई घास-फूस डाल दिया जायेगा। हिज्रत के शुरूआती दौर में मुसलमान तंगदस्त और मफ़्लूकुल हाल थे। बाद में फ़ुतूहात की बरकतों के नतीजे में माल व दौलत और ख़दम व हशम (नौकर-चाकर) की रेल-पेल हो गई और मुसलमानों को हर क़िस्म की सहूलतें और आसाइश मुयस्सर आ गईं और ये जिहाद की दुनियवी बरकत थी और आख़िरत में यक़ीनन अज्र व सवाब इससे कई गुना ज़्यादा होगा, इन्शाअल्लाह!

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ

(2178) इमाम साहब ने यही रिवायत अपने कई दूसरे उस्तादों से बयान की है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا نَفْسِي ثُمَّ قَالَ لَوْ

(2179) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है **वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सहूल बस्ती की बनी हुई तीन सफ़ेद सूती चादरों में कफ़न दिया गया, उन कपड़ों में न क़मीस (कुर्ता) थी और न इमामा (पगड़ी) और रहा हुल्ला (चादरों का जोड़ा) तो उसके बारे में लोगों को इश्तिबाह पैदा हो गया, आप (ﷺ) के कफ़न के लिये उसे ख़रीदा गया था। फिर हुल्ला छोड़ दिया गया और आपको तीन सफ़ेद सहूली कपड़ों में कफ़न दिया गया और इस हुल्ला को अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने ले लिया और कहा, मैं इसको अपने कफ़न के लिये रोक कर रखूँगा। फिर कहने लगा, अगर अल्लाह तआला इसे अपने नबी के लिये पसंद फ़रमाता तो आपको इसका**

رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا . فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .

कफ़न देता, इसलिये उन्होंने उसे बेच कर उसकी क़ीमत सदक़ा कर दी।

फ़वाइद : (1) सहूलियह : सीन पर ज़बर और पेश दोनों आये हैं अगर सीन पर ज़बर पढ़ें तो सफ़ेद या सूती कपड़े मुराद होंगे और उसको एक बस्ती की तरफ़ मन्सूब करना ही बेहतर है यानी सहूली कपड़े। (2) इमाम शाफ़ेई और अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक मुर्दे के कफ़न में, तीन चादरें हैं, उनमें क़मीस और इमामा नहीं होगा। क्योंकि अगर उनको दाख़िल किया जाये तो कपड़े पाँच बनेंगे और इमाम मालिक का मौक़िफ़ यही है। अहनाफ़ के नज़दीक तीन कपड़े हैं उनमें एक कपड़ा क़मीस है, यानी क़मीस, चादर और लिफ़ाफ़ा लेकिन उन तीन कपड़ों में क़मीस को दाख़िल करना सरीह रिवायत के ख़िलाफ़ है।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلاَ قَمِيصٌ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ أُكَفَّنُ فِيهَا . ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُكَفَّنُ فِيهَا . فَتَصَدَّقَ بِهَا

(2180) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि वो बताती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को अब्दुल्लाह बिन अबी बकर (रज़ि.) के एक यमनी हुल्ला (जोड़े) में लपेटा गया, फिर आप (ﷺ) से हुल्ला उतार दिया गया और आपको तीन सफ़ेद यमानी कपड़ों का कफ़न दिया गया, जिनमें न कुर्ता था और न ही पगड़ी। अब्दुल्लाह ने वो जोड़ा उठा लिया और कहा, मुझे इसमें कफ़नाया जायेगा। फिर कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसमें कफ़नाया नहीं गया तो मुझे इसमें कफ़न क्यों दिया जाये और उसे सदक़ा कर दिया।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَابْنُ، عُيَيْنَةَ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ .

(2181) मुसन्निफ़ साहब ने यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान की है, मगर उनकी हदीस में अब्दुल्लाह बिन अबी बकर का वाक़िया ज़िक्र है।

(अबू दाऊद : 3152, तिर्मिज़ी : 996, नसाई : 4/36, इब्ने माजह : 1469)

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهَا فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ .

(2182) अबू सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) की ज़ौजा हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, मैंने उनसे कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) को कितने कपड़ों में कफ़न दिया गया था? उन्होंने कहा, तीन सफ़ेद सहूली कपड़ों में।

بَاب تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

बाब 14 : मय्यित को ढांपना

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سُجِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ .

(2183) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) वफ़ात पा गये तो आपको यमनी धारीदार चादर में ढांप दिया गया। (सहीह बुख़ारी: 5814, अबू दाऊद : 3120)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ سَوَاءً .

(2184) मुसन्निफ़ ने अपने दूसरे दो उस्तादों से भी यही रिवायत नक़ल की है।

फ़ायदा : इंसान की वफ़ात के बाद उसके पूरे जिस्म पर कपड़ा डालकर उसे ढांप दिया जायेगा।

बाब 15 : मय्यित को अच्छा कफ़न देना

باب فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّتِ

(2185) अबू ज़ुबैर बताते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) को बयान करते हुए सुना कि नबी (ﷺ) ने एक दिन ख़ुत्बा दिया और अपने साथियों में से एक आदमी का तज़्किरा फ़रमाया जिसे मरने के बाद हक़ीर से छोटे कपड़े में कफ़न दिया गया और रात ही को दफ़न कर दिया गया। तो नबी (ﷺ) ने इस बात पर सरज़निश व तौबीख़ फ़रमाई कि किसी आदमी को जनाज़ा पढ़े बग़ैर रात को दफ़न कर दिया जाये, इल्ला ये कि कोई इंसान ऐसा करने पर मजबूर हो और नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई शख़्स अपने भाई को कफ़न दे तो अच्छा कफ़न दे।'

(अबू दाऊद : 3148, नसाई : 3/34, 2013)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ " .

फ़वाइद : (1) मय्यित की भलाई और बेहतरी की ख़ातिर उसे ऐसे वक़्त में दफ़न किया जाये जिस वक़्त उसकी नमाज़ में ज़्यादा लोग शरीक होकर उसके लिये दुआ कर सकें और ख़ुसूसी तौर पर आप (ﷺ) के दौर में, आप दिन के जनाज़ों में शरीक होते थे, इसलिये दिन के जनाज़े में ज़्यादा लोग जमा हो जाते थे लेकिन अगर रात के जनाज़े में ज़्यादा लोग जमा हो सकते हों तो रात को भी जनाज़ा पढ़ाया जा सकता है जैसाकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) और बहुत से दूसरे बुज़ुर्गों का जनाज़ा रात को पढ़ाया गया। लेकिन कफ़न की ख़स्तो-हिक़ारत के सबब और नमाज़े जनाज़ा की परवाह किये बग़ैर रात को दफ़न करना दुरुस्त नहीं है। (2) कफ़न साफ़-सुथरे, सफ़ेद और अच्छे कपड़े से तैयार करना चाहिये जो मय्यित को पूरी तरह ढांपता हो, लेकिन अच्छे का मानी क़ीमती नहीं है कि रिया व दिखावा करते हुए बेश क़ीमत कफ़न तैयार किया जाये बल्कि आम तौर पर मरने वाला जो साफ़-सुथरा और अच्छा लिबास पहनता था इसी क़िस्म का कफ़न होना चाहिये।

बाब 16 : जनाज़ा ले जाने में जल्दी करना

باب الإسراع بالجنازة

(2186) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जनाज़े को जल्दी ले जाओ, अगर वो नेक है तो तुम उसे ख़ैर की तरफ़ ले जा रहे हो अगर वो उसके सिवा है तो फिर तुम शर को अपनी गर्दनों से उतारोगे।'

(सहीह बुख़ारी : 1315, अबू दाऊद : 3181, तिर्मिज़ी : 1015, नसाई : 1477)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ - لَعَلَّهُ قَالَ - تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ " .

(2187) मुसन्निफ़ ने अपने दूसरे उस्तादों से भी यही रिवायत नक़ल की है फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि मअ़मर कहते हैं, मेरे इल्म में उसने इस हदीस़ की निस्बत रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ की है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَ الْحَدِيثَ .

(2188) मुसन्निफ़ अपने तीन उस्तादों से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, वो कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जनाज़ा जल्दी ले जाओ क्योंकि अगर मय्यित नेक है तो तुम उसे भलाई के क़रीब कर रहे हो और अगर वो उसके सिवा है तो तुम शर को अपनी गर्दनों से उतार रहे हो।'

(नसाई : 4/42)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى

الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ " .

फ़ायदा : मय्यित नेक हो या बद उसे हर सूरत में तेज़ रफ़्तारी से ले जाना चाहिये ताकि वो जल्द अपने अन्जाम तक पहुँचे और हम अपने फ़रीज़े से सुबुकदोश हों। (फ़ारिग हों) इसलिये जनाज़े को जल्दी ले जाना बिल्इत्तिफ़ाक़ मुस्तहब है और इब्ने हज़्म (रह.) के नज़दीक फ़र्ज़ है। जुम्हूर के नज़दीक आम रफ़्तार से तेज़ी मुराद है, भागना जाइज़ नहीं है। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक ज़्यादा तेज़ रफ़्तारी मुराद है। यानी बहुत तेज़ी करनी चाहिये और आज-कल इस बात को नज़र अन्दाज़ करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह तआला हमें सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ दे।

باب فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَحَرْمَلَةَ - قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ " . قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ " . انْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ وَزَادَ الآخَرَانِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

बाब 17 : नमाज़े जनाज़ा पढ़ने और जनाज़े के साथ जाने की फ़ज़ीलत

(2189) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स जनाज़े में हाज़िर हुआ यहाँ तक कि उसकी नमाज़े जनाज़ा अदा की गई, तो उसके लिये एक क़ीरात अज्र है और जो उसके साथ रहा यहाँ तक कि उसको दफ़न कर दिया गया, तो उसके लिये दो क़ीरात सवाब है।' पूछा गया, दो क़ीरात से क्या मुराद है? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दो बड़े पहाड़ों की मानिन्द।' अबू ताहिर की रिवायत यहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरे दो उस्ताद बयान करते हैं कि सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, इब्ने उमर (रज़ि.) नमाज़े जनाज़ा पढ़कर लौट आते थे तो जब उन तक हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत पहुँची तो कहने लगे, हमने तो यक़ीनन बहुत सारे क़ीरात ज़ाया कर दिये

عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً .

(उनके सवाब से महरूम रह गये)।

(सहीह बुख़ारी : 1325, नसाई : 4/77)

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ، بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْلِهِ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ.

(2190) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने चार और उस्तादों से दो बड़े पहाड़ों तक बयान करते हैं, उसके बाद का हिस्सा बयान नहीं करते। अब्दुल आला की रिवायत में हत्ता तुदफ़न की जगह हत्ता युफ़रग़ था यहाँ तक कि उससे फ़ारिग़ हुआ जाये और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की हदीस में हत्ता तूज़-अ फ़िल्लहद है। यानी यहाँ तक कि लहद में उतार या रख दिया जाये।

(सहीह बुख़ारी : 1/110, नसाई : 1993, इब्ने माजह : 1539)

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ، بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي رِجَالٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ "وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ" .

(2190) यही रिवायत एक और उस्ताद से मरवी है उसमें है, 'जो शख़्स उसके दफ़न होने तक उसके साथ रहा।'

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि अगर मुसलमान भाई के जनाज़े में सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा तक साथ रहा जाये तो एक बड़े पहाड़ के बराबर अज्र मिलता है। दूसरी रिवायत में उहुद पहाड़ के बराबर का तज़्किरा है और अगर आग़ाज़ से लेकर तदफ़ीन तक शिरकत की जाये तो दो उहुद पहाड़ के बक़द्र अज्र मिलता है। लेकिन हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की बुख़ारी शरीफ़ में मरवी रिवायत से मालूम होता है कि इस क़द्र अज़ीम व जज़ील अज्र व सवाब का हक़दार सिर्फ़ वही मुसलमान है जो ईमान के तक़ाज़े या

अल्लाह के वादे पर यक़ीन करते हुए महज़ अज्र व सवाब और अल्लाह की रज़ा की ख़ातिर शिरकत करता है अगर महज़ रिश्तेदार होने या अमीर व कबीर होने या वज़ीर व मुशीर होने या महज़ देखा-देखी या लिहाज़दारी या किसी और ग़र्ज़ व सबब की ख़ातिर शिरकत करता है तो फिर वो इस क़द्र अज्र व सवाब का हक़दार नहीं है। अल्लाह तआला ख़ुलूसे निय्यत और हुस्ने निय्यत की तौफ़ीक़ बख़्शे।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ " . قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ " أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ " .

(2192) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने नमाज़े जनाज़ा अदा की और उसके साथ (क़ब्र पर नहीं गया था) तो उसे एक क़ीरात अज्र मिलेगा, पस अगर वो उसके साथ (क़ब्र पर) गया (और दफ़न तक वहाँ रहा) तो उसे दो क़ीरात सवाब मिलेगा।' पूछा गया, दो क़ीरात की हक़ीक़त क्या है? फ़रमाया, 'उनमें से छोटा उहुद पहाड़ के मानिन्द है।'

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ " . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ . فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ .

(2193) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी उसके लिये एक क़ीरात है और जो उसके साथ गया यहाँ तक कि उसे क़ब्र में रख दिया गया उसके लिये दो क़ीरात हैं।' अबू हाज़िम कहते हैं, मैंने पूछा, ऐ अबू हुरैरह! क़ीरात की मिक़्दार क्या है? उन्होंने कहा, उहुद पहाड़ के मानिन्द।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

(2194) नाफ़ेअ बयान करते हैं, इब्ने उमर (रज़ि.) को बताया गया कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जो जनाज़े के साथ (नमाज़ तक रहा) उसे एक क़ीरात के बराबर

عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ " . قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ " مِثْلُ أُحُدٍ " .

अज्र मिलेगा।' तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कहा, अबू हुरैरह हमें बहुत अहादीस़ सुनाते हैं और उन्होंने हज़रत आ़इशा (रज़ि.) के पास पैग़ाम भेजकर उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) की तस्दीक़ की तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहने लगे, हमने तो यक़ीनन बहुत से क़ीरात ज़ाया कर दिये (क़रारीत, क़ीरात की जमा है)।

(सहीह बुख़ारी : 1323, 1324)

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.), हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को मुत्तहम नहीं समझते थे। उनका ख़्याल था एक मामूली काम पर इतना बड़ा अज्र! हमें इसका पता क्यों नहीं चल सका, कहीं अबू हुरैरह (रज़ि.) से भूल-चूक तो नहीं हो गई। इसलिये जब अबू हुरैरह (रज़ि.) को इब्ने उ़मर (रज़ि.) के इस क़ौल का पता चला तो वो ख़ुद उन्हें पकड़कर हज़रत आ़इशा (रज़ि.) के पास ले गये और उन्हें बराहे रास्त हज़रत आ़इशा (रज़ि.) से सुनवाया और हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) को ऐतिराफ़ करना पड़ा कि कुन्-त अल्ज़म्ना लिरसूलिल्लाहि व अअ्लम्ना बिहदीसिही आप हमसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रहने वाले और आप हमसे ज़्यादा आपकी अहादीस़ जानने वाले हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا

(2195) दाऊद बिन आ़मिर बिन सअ़द बिन अबी वक़्क़ास अपने बाप आ़मिर बिन सअ़द से बयान करते हैं कि वो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे कि मक़सूरह वाले ख़ब्बाब आकर कहने लगे, ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर! क्या आप जो कुछ अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं सुनते हैं? वो कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है, 'जो शख़्स जनाज़े के साथ उसके घर से निकला और उसकी नमाज़े जनाज़ा अदा की फिर उसके साथ रहा, यहाँ तक कि उसको दफ़्न कर दिया गया, तो उसको अज्र के दो क़ीरात मिलेंगे, हर क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है और जो जनाज़ा पढ़कर

وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ " . فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ . فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ .

वापस लौट आया उसे एक उहुद के बराबर अज्र मिलेगा।' तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने ख़ब्बाब को हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास भेजा कि वो उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस़ के बारे में पूछे, फिर उन्हें वापस आकर हज़रत आइशा (रज़ि.) के जवाब से आगाह करे और इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने मस्जिद की कंकरियों से मुट्ठी भर ली और उनको लोट-पोट करने लगे यहाँ तक कि फ़रिस्तादा (मेसेन्जर) ने आकर बताया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अबू हुरैरह (रज़ि.) की तस्दीक़ कर दी है तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) जो कंकरियाँ उनके हाथ में थीं ज़मीन पर फेंक दीं। फिर कहा, हमने बहुत सारे क़ीरात ज़ाया कर दिये (उनके स़वाब से महरूम हो गये)।

(अबू दाऊद : 3169)

फवाइद : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) मुतसव्वरा से मुराद वह जगह लेते थे जो मस्जिद के अंदर छोटा कमरा है जिसमें गवर्नर या उसके हाशिये में खड़ा होते और ख़ब्बाब उसका मुन्तज़िम था उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के इल्म की वुस्अत व जामिइय्यत और कमाल पर ऐतिमाद था इसलिये अगर उन्हें किसी मसले या हदीस़ के बारे में शक होता तो वो फ़ौरन उनसे रुजूअ करके अपनी तसल्ली कर लेते। **(2)** जनाज़े में शिरकत के लिये मय्यित के घर जाना चाहिये ताकि स़वाब पूरा-पूरा हासिल किया जा सके।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ " .

(2196) रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ाद करदा गुलाम स़ौबान (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी उसे एक क़ीरात अज्र मिलेगा और अगर वो दफ़न तक हाज़िर रहा तो उसे दो क़ीरात अज्र मिलेगा और क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है।'

(इब्ने माजह : 1540)

(2197) इमाम साहब अपने कई दूसरे उस्तादों से यही रिवायत नक़ल करते हैं, सईद और हिशाम की हदीस़ है कि नबी (ﷺ) से क़ीरात के बारे में पूछा गया? तो आपने फ़रमाया, 'उहुद पहाड़ के मिस़्ल है।'

وَحَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِيرَاطِ فَقَالَ " مِثْلُ أُحُدٍ " .

बाब 18 : जिसकी नमाज़े जनाज़ा सौ मुसलमानों ने पढ़ी उनकी सिफ़ारिश मय्यित के बारे में क़ुबूल होगी

باب مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفِّعُوا فِيهِ

(2198) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस मय्यित पर मुसलमानों की एक बड़ी जमाअत नमाज़ पढ़े जिनकी तादाद सौ को पहुँच जाये वो सब अल्लाह के हुज़ूर में उस मय्यित के हक़ में सिफ़ारिश करें (यानी उसकी मग़्फ़िरत और रहमत की दुआ करें) तो उनकी ये सिफ़ारिश ज़रूर क़ुबूल होगी।' सलाम बिन अबी मुतीअ कहते हैं मैंने ये रिवायत शुऐब बिन हबहाब को सुनाई तो उसने मुझे यही रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के वास्ते से नबी (ﷺ) से सुनाई।

(तिर्मिज़ी : 1029, नसाई : 4/76, 918)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، - رَضِيعِ عَائِشَةَ - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ " . قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि मुसलमान के जनाज़े में ज़्यादा से ज़्यादा सहीहुल अक़ीदा (जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा है) मुसलमानों की शिरकत मतलूब व महबूब है और उनके दिल

की गहराइयों से निकलने वाली दुआ और सिफ़ारिश अल्लाह तआला के यहाँ शर्फ़े क़ुबूलियत हासिल कर लेती है।

باب مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

बाब 19 : जिस मुसलमान की चालीस मुसलमान नमाज़े जनाज़ा पढ़ें उनकी सिफ़ारिश मय्यित के बारे में क़ुबूल होगी

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ . قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

(2199) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत कुरैब बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के एक बेटे का इन्तिक़ाल मक़ामे क़ुदैद या मक़ामे उस्फ़ान में हो गया, तो उन्होंने कहा, ऐ कुरैब! देखो किस क़द्र लोग जमा हो गये हैं, मैं बाहर निकला तो देखा उसकी ख़ातिर काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं, तो मैंने उन्हें उसकी इत्तिलाअ दी। उन्होंने पूछा, तेरे ख़याल में वो चालीस होंगे? मैंने कहा, जी हाँ! इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, जनाज़ा बाहर निकालो। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है आप फ़रमाते थे, 'जिस मुसलमान आदमी का इन्तिक़ाल हो जाये और उसके जनाज़े की नमाज़ ऐसे चालीस आदमी पढ़ें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराते हों (और वो नमाज़ में उसके लिये मग़्फ़िरत व रहमत की दुआ और सिफ़ारिश करें) तो अल्लाह उसके हक़ में उनकी सिफ़ारिश को ज़रूर क़ुबूल फ़रमाता है।'

(अबू दाऊद : 3170, इब्ने माजह : 1489)

फ़ायदा : इस हदीस़ से ज़ाहिर होता है कि नमाज़े जनाज़ा में सिर्फ़ कस़रत (ज़्यादा होना) ही मतलूब और बाइस़े रहमत व बरकत नहीं है बल्कि जनाज़ा पढ़ने वाले अहले तौहीद मुसलमान हों जो इख़्लासे निय्यत के साथ मय्यित के हक़ में दुआ और सिफ़ारिश करें और क़ुदैद और उस्फ़ान मक्का मुअज़्ज़मा से कुछ फ़ासले पर राबिग़ के आगे और पीछे दो मक़ाम हैं रावी को शक है कि उन दो मक़ामात में से किसी मक़ाम पर ये हादस़ा पेश आया।

باب فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى

बाब 20 : जिस मय्यित के बारे में लोग अच्छा या बुरा तब्सरा करें

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ " . وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ " . قَالَ عُمَرُ فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ . وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ

(2200) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि एक जनाज़ा गुज़रा । लोगों ने उसकी तारीफ़ की तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, स़ाबित हो गई।' एक और जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उसकी बुराई बयान की तो नबी (ﷺ) ने फिर फ़रमाया, 'वाजिब हो गई, ज़रूरी हो गई, स़ाबित हो गई।' हज़रत उमर (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, आप पर मेरे माँ-बाप क़ुर्बान! एक जनाज़ा गुज़रा और उसकी तारीफ़ और ख़ैर का तज़्किरा किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वाजिब हो गई, लाज़िम हो गई, ज़रूरी ठहरी' और दूसरा जनाज़ा गुज़रा, उसकी बुराई और मज़म्मत बयान की गई। तब भी आपने फ़रमाया, 'वाजिब हो गई, वाजिब हुई, वाजिब हो गई?' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसकी तुमने भलाई और ख़ैर का ज़िक्र किया उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई और जिसकी तुमने बुराई

أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ " .

बयान की, उसके लिये आग वाजिब हो गई, तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो।'

(नसाई : 4/50)

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने अपने सामने एक जनाज़े की तारीफ़ और दूसरे की बुराई बयान करने वालों को ज़मीन पर अल्लाह के गवाह क़रार दिया है और गवाही सिर्फ़ अहले ख़ैर और नेक व मुत्तक़ी लोगों की मोतबर होती है। जिस इंसान की तारीफ़ की गई उसकी अल्लाह व रसूल से मुहब्बत व अक़ीदत और इताअत व फ़रमांबरदारी में सई व कोशिश का ज़िक्र हुआ और जिसकी बुराई बयान की गई उसके आमाल, उसके बरअक्स बयान किये गये और इंसान की कामयाबी और नाकामी का मदार उसके आमाल व अफ़आल ही हैं और ज़ाहिर बात है किसी की नेकी की तारीफ़ नेक लोग ही करते हैं। इन्नमा यअरिफ़ुल फ़ज़्ल मिनन्नास अस्हाबे फ़ज़ल व ख़ैर ही फ़ज़ल व ख़ैर की मअरिफ़त रखते हैं। इसलिये उन ही लोगों की तारीफ़ व मज़म्मत का ऐतिबार है। बुरे लोग तो बुरों ही की तारीफ़ करेंगे क्योंकि कुन्द हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज़, इसलिये बुरे लोगों की बात का ऐतिबार नहीं है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ، يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَمُّ .

(2201) इमाम साहब दूसरे उस्तादों से रिवायत करते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास से जनाज़ा गुज़रा, अब्दुल अज़ीज़ के हम मानी रिवायत बयान की है लेकिन अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत उसके मुक़ाबले में कामिल है।

(सहीह बुख़ारी : 2642, इब्ने माजह : 1491, 294)

बाब 21 : आराम पाने वाला कौन है और किससे मख़्लूक़ आराम पाती है

باب مَا جَاءَ فِي "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ"

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ " مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ . فَقَالَ " الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ "

(2202) अबू क़तादा बिन रिबई (रज़ि.) से रिवायत है वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आराम पाने वाला है या लोगों को इससे आराम (छुटकारा) हासिल हो गया है।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुस्तरीह और मुस्तराहुम् मिन्हु से क्या मुराद है? तो आपने फ़रमाया, 'मोमिन बन्दा दुनिया की तकलीफ़ों और मशक़्क़तों से आराम पाता है और बुरे बन्दे से बन्दों, इलाक़ों और दरख़्तों और हैवानात को आराम मिल जाता है।'

(बुख़ारी : 6512, 6513, नसाई : 4/49, 1930)

फ़ायदा : बुरे और बदकार इंसान के हाथ और ज़बान से तमाम मख़्लूक़ तंग होती है और उसकी बद आमालियों और करतूतों की नहूसत से भी मख़्लूक़ के लिये अज़ियत और तकलीफ़ का बाइस बनती है वो हर चीज़ के ख़िलाफ़ हाथ और ज़बान इस्तेमाल करता है उसके गुनाहों के सबब बारिश बंद होती है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ " يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ

(2203) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से भी यही रिवायत नक़ल करते हैं और यहया बिन सईद की रिवायत में है, 'मोमिन बन्दा दुनिया की तकलीफ़ों और मशक़्क़तों से निजात पाकर अल्लाह तआला की रहमत हासिल करता है।'

बाब 22 : जनाज़े पर तकबीरें

باب فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

(2204) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिस दिन नजाशी फ़ौत हुआ लोगों को उसकी मौत की इत्तिलाअ दी और उन्हें लेकर नमाज़गाह गये और जनाज़े के लिये चार तकबीरें कहीं।

(सहीह बुख़ारी : 1245, 1333, अबू दाऊद : 3204, नसाई : 4/73, 1979)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

(2205) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि जिस दिन शाहे हब्शा नजाशी फ़ौत हुआ आपने हमें उसकी मौत की ख़बर दी और फ़रमाया, 'अपने भाई के लिये बख़्शिश की दुआ करो।' और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ये भी बयान किया कि आपने हमारी ईदगाह में सफ़बन्दी फ़रमाई और नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और उस पर चार तकबीरें कहीं।

(सहीह बुख़ारी : 1327-1328)

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ، بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

(2206) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला सनदों से अपने तीन और उस्तादों से यही रिवायत बयान की।

(सहीह बुख़ारी : 3880, नसाई : 4/27, 2041)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، كَرِوَايَةِ عُقَيْلٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا .

(2207) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अस्हमा नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और उसमें चार तकबीरें कहीं।

(सहीह बुख़ारी : 1334, 3879)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى

(2208) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आज एक नेक इंसान अस्हमा फ़ौत हो गया है।' तो फिर आप (ﷺ) ने खड़े होकर हमारी इमामत फ़रमाई और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी : 1320, 3877, नसाई : 4/70)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ " . فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ .

(2209) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारा भाई फ़ौत हो गया है, उठो और उसका जनाज़ा पढ़ो।' तो हमने उठकर दो सफ़ें बांध लीं।

(नसाई : 4/70)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي، الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ " . قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ

(2210) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारा भाई फ़ौत हो चुका है तो उठो और उसका जनाज़ा पढ़ो।' आपका

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ". يَعْنِي النَّجَاشِيَ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ " إِنَّ أَخَاكُمْ" .

मक़सद नजाशी था। ज़ुहैर की रिवायत में अख़ल लकुम की बजाय अख़ाकुम है (मतलब एक ही है)।

(नसाई : 4/57)

फ़वाइद : (1) शाहे हब्शा का लक़ब नजाशी है और हब्शा का हर बादशाह नजाशी कहलाता था और आप (ﷺ) की ज़िन्दगी में मुसलमान होकर मरने वाला नजाशी अस्हमा था जिसकी वफ़ात रजब 9 हिजरी में हुई। 2 इस हदीस़ से साबित होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान फ़ौत हुआ जिसका उम्मते मुस्लिमा के यहाँ मक़ाम व मर्तबा, उसकी ख़ूबियों और कमालात की बिना पर, तस्लीमशुदा हो कि सब लोग उसके एहसानमन्द हों तो उसका ग़ायबाना जनाज़ा पढ़ा जायेगा। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इस मोतदिल मौक़िफ़ को इख़्तियार किया है अइम्मए अरबआ का इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है। (2) इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक ग़ायबाना जनाज़ा जाइज़ है क्योंकि बक़ौल इमाम शाफ़ेई, सलाते जनाज़ा दुआ है और दुआ मौजूद और ग़ायब दोनों के लिये हो सकती है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं, आपकी ज़िन्दगी में आपके बहुत से साथी ग़ायबाना तौर पर फ़ौत हुए हैं, लेकिन आपने किसी की ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी। ख़ुलासा यही है कि किसी नेक शख़्स की ख़िदमात के ऐतिराफ़ के तौर पर नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना पढ़ना सहीह है। (3) अइम्मए अरबआ का जनाज़ा की चार तकबीरात होने पर इत्तिफ़ाक़ है।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

बाब 23 : क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ، إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا . قَالَ الشَّيْبَانِيُّ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ الثِّقَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ . هَذَا

(2211) इमाम शअबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक क़ब्र पर (मय्यित के) दफ़न के बाद नमाज़ पढ़ी और उसमें चार तकबीरात कहीं। शैबानी कहते हैं, मैंने शअबी से पूछा, तुम्हें ये हदीस़ किसने सुनाई? उन्होंने कहा, एक क़ाबिले ऐतिमाद शख़्सियत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने, ये हसन की रिवायत है और इब्ने नुमेर की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक नई और ताज़ा क़ब्र पर पहुँचे तो आप (ﷺ) ने उस पर

لَفْظُ حَدِيثِ حَسَنٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا . قُلْتُ لِعَامِرٍ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ .

नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। लोगों ने आपके पीछे सफ़ बनाई और आपने चार तकबीरें कहीं। मैं (शैबानी) ने आ़मिर (शअ़बी) से पूछा, तुम्हें किसने हदीस़ बयान की? उन्होंने कहा, क़ाबिले ऐतिमाद जो उस जनाज़े में शरीक था इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने।

(सहीह बुख़ारी : 1340, 857, 1247, 1319, 1321, 1322, 1326, 1336, अबू दाऊद : 3196, तिर्मिज़ी : 11037, नसाई : 4/85, इब्ने माजह : 1530)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

(2212) इमाम साहब ने तक़रीबन सात और उस्तादों से यही रिवायत बयान की है लेकिन उनमें से किसी की रिवायत में ये नहीं है कि नबी (ﷺ) ने उस पर चार तकबीरें कहीं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، جَمِيعًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ

(2213) इमाम साहब ने अपने कई और उस्तादों से भी इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की नबी (ﷺ) के क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने की हदीस़ बयान की है लेकिन उनमें से किसी की रिवायत में नहीं है कि आपने चार तकबीरात से नमाज़ पढ़ाई।

أَبِي حَصِينٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَتِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ . لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

(2214) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।
(इब्ने माजह : 1531)

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ .

(2215) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक हब्शन (हब्शी औरत) या हब्शी जवान मस्जिद की सफ़ाई किया करता था, उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गुम पाया (उसको न देखा) तो उस औरत या मर्द के बारे में पूछा। सहाबा किराम (रज़ि.) ने बताया, वो फ़ौत हो गया है। आपने फ़रमाया, 'तुमने मुझे इत्तिलाअ क्यों नहीं दी।' रावी का ख़याल है गोया कि सबने उसके मामले को हक़ीर ख़याल किया तो आपने फ़रमाया, 'मुझे उसकी क़ब्र दिखाओ।' तो साथियों ने उसकी क़ब्र दिखाई आपने उस इंसान का जनाज़ा पढ़ा फिर फ़रमाया, 'ये क़ब्रें, क़ब्र वालों के लिये अन्धेरे से भरी हुई हैं और अल्लाह तआला मेरी इन पर नमाज़ पढ़ने से, इनको (क़ब्रों को) उनके लिये (मय्यित के लिये) रोशन और मुनव्वर फ़रमा देता है।'
(सहीह बुख़ारी : 458, 460, 1337, अबू दाऊद : 3203, इब्ने माजह : 1527)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً، سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًّا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا مَاتَ . قَالَ " أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي " . قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ " . فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ " .

फ़वाइद : (1) मस्जिद की देखभाल और सफ़ाई करना एक बहुत अच्छा काम है। इस काम को हक़ीर ख़्याल नहीं करना चाहिये। (2) इमाम को अपने मुक़्तदियों का ख़्याल रखना चाहिये, अगर उनमें से कोई ग़ैर हाज़िर हो या नज़र न आये, तो उसके बारे में साथियों से मालूमात हासिल करनी चाहिये। (3) क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है और उसका तरीक़ा वही है जो आम जनाज़े का है। जुम्हूर के नज़दीक क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक सिर्फ़ मय्यित का वली अगर उसने जनाज़ा न पढ़ा हो तो क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ सकता है। (4) इमाम मालिक के नज़दीक भी क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना सहीह नहीं है, ये सिर्फ़ नबी (ﷺ) का ख़ास्सह है लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि आपके साथ सहाबा किराम (रज़ि.) ने भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी। (5) क़ब्र की ज़ुल्मत और अन्धेरा, नेक लोगों की दुआओं के नतीजे में ज़ाइल (ख़त्म) हो जाता है और क़ब्र रोशन हो जाती है।

(2216) अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला बयान करते हैं कि ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) हमारे जनाज़ों पर चार तकबीरात कहा करते थे और उन्होंने एक जनाज़े पर पाँच तकबीरें कहीं तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया रसूलुल्लाह (ﷺ) भी (बाज़ दफ़ा) ऐसे ही किया करते थे।

(अबू दाऊद : 3197, तिर्मिज़ी : 1023, नसाई : 4/72, इब्ने माजह : 1505)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ، - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا .

फ़ायदा : नबी (ﷺ) आम तौर पर जनाज़े में चार तकबीरात कहते थे और आम तौर पर ख़ुलफ़ाए राशिदीन का भी यही तरीक़ा था लेकिन बाज़ औक़ात (कभी-कभी) इनसे ज़्यादा तकबीरें भी आपसे साबित हैं यानी पाँच से सात तक।

बाब 24 : जनाज़ा (देखकर) उसके लिये खड़े होना

باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

(2217) हज़रत आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम जनाज़ा देखो तो उसकी ख़ातिर खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि वो तुम्हें

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ

पीछे छोड़ जाये या उसे (गर्दनों से उतार) रख दिया जाये।'

(सहीह बुख़ारी : 1307, 1308, अबू दाऊद : 3172, तिर्मिज़ी : 1042, नसाई : 4/44, इब्ने माजह : 1542)

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ".

(2218) इमाम साहब बहुत से उस्तादों की सनदों से नक़ल करते हैं, हज़रत आ़मिर बिन रबीआ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई एक जनाज़ा देखे वो अगर जनाज़े के साथ नहीं जा रहा तो वो खड़ा हो जाये, यहाँ तक कि वो उसके आगे गुज़र जाये या उसको पीछे छोड़ने से पहले ही (ज़मीन पर) रख दिया जाये।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

(2219) इमाम साहब मज़ीद कई उस्तादों की सनदों से लैस़ बिन सअ़द के हम मानी रिवायत बयान करते हैं। इब्ने जुरैज की हदीस़ ये है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई जनाज़ा देखे तो वो उसे देखते ही खड़ा हो जाये, यहाँ तक कि वो उसे पीछे

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ، ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا " .

छोड़ जाये, जबकि वो उसके साथ न जा सकता हो।'

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ " .

(2220) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम किसी जनाज़े के साथ जाओ, तो उस वक़्त तक न बैठो, जब तक उसे (ज़मीन पर) रख न दिया जाये।'

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ، هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي، سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ " .

(2221) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम जनाज़े को देखो तो खड़े हो जाओ और जो जनाज़े के साथ जाये वो उसके रखने तक न बैठे।'

(सहीह बुख़ारी : 1310, तिर्मिज़ी : 1043, नसाई : 4/43, 4/45, 4/77)

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ

(2222) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक जनाज़ा गुज़रा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके लिये खड़े हो गये और हम भी आप (ﷺ) के साथ खड़े हो गये।

اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ . فَقَالَ " إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا " .

तो हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये यहूदन है। तो आपने फरमाया, 'मौत दहशतनाक है या घबराहट का बाइस है, इसलिये तुम जब जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 1311, अबू दाऊद : 3174, नसाई : 4/46)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ .

(2223) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक जनाज़े के लिये जो आपके पास से गुज़रा खड़े हो गये, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गया।

(नसाई : 4/47)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ .

(2224) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) और आपके साथी एक यहूदी के जनाज़े की ख़ातिर खड़े हो गये यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ . فَقَالاَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(2225) इब्ने अबी लैला से रिवायत है कि हज़रत क़ैस बिन सअ़द और सहल बिन हुनैफ़ (रज़ि.) क़ादसिया के मक़ाम पर थे कि उनके पास से जनाज़ा गुज़रा, तो वो दोनों खड़े हो गये। उन्हें बताया गया कि वो इस ज़मीन का (काफ़िर) बाशिन्दा है। तो उन दोनों ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप (ﷺ) खड़े हो गये। आपको बताया गया, वो यहूदी है। तो आपने फ़रमाया,

صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ. فَقَالَ "أَلَيْسَتْ نَفْسًا" .

'क्या वो ज़ीरूह (जानदार) नहीं है?'

(सहीह बुख़ारी : 1312, 1313, नसाई : 4/45)

وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى،عَنْ شَيْبَانَ،عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِيهِ فَقَالاَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ .

(2226) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, उसमें है कि उन दोनों ने जवाब दिया, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, तो हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा।

باب نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

बाब 25 : जनाज़े के लिये खड़े होना मन्सूख़ हो गया

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ فَقَالَ لِي مَا يُقِيمُكَ فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ . فَقَالَ نَافِعٌ فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ .

(2227) वाक़िद बिन अ़म्र बिन सअ़द बिन मुआज़ से रिवायत है कि नाफ़ेअ़ बिन जुबैर ने मुझे जबकि हम एक जनाज़े में थे, खड़े देखा और वो इस इन्तिज़ार में बैठ चुके थे कि उस जनाज़े को क़ब्र में उतार दिया जाये। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्यों खड़े हो? मैंने कहा, इस इन्तिज़ार में कि जनाज़ा रख दिया जाये, क्योंकि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) यही बयान करते हैं। तो नाफ़ेअ़ ने कहा, मुझे मसऊद बिन हकम ने हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे, फिर बैठ गये।

(अबू दाऊद : 3175, तिर्मिज़ी : 1044, नसाई : 4/78, इब्ने माजह : 1544)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، -

(2228) मसऊद बिन हकम अन्सारी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अ़ली बिन अबी

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي وَاقِدُ، بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ ثُمَّ قَعَدَ . وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ لأَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ .

तालिब (रज़ि.) को जनाज़ों के बारे में ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे, फिर बैठ गये। नाफ़ेअ बिन जुबैर ने ये रिवायत इसलिये बयान की कि उसने वाक़िद बिन अम्र को जनाज़े के रखे जाने तक खड़े हुए देखा।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(2229) इमाम साहब ने एक दूसरे उस्ताद से यही रिवायत नक़ल की है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا . يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ .

(2230) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खड़े हुए देखा तो हम भी खड़े हो गये और आप बैठे तो हम भी बैठ गये, यानी जनाज़े में।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى،- وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(2231) इमाम साहब ने दूसरे दो उस्तादों से भी यही रिवायत नक़ल की है।

फ़ायदा : हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत के बारे में ये इख़्तिलाफ़ है कि इसका मानी क्या है? इमाम बैज़ावी कहते हैं कि इसका ये मानी भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जनाज़ा देखकर उठ खड़े होते, जब गुज़र जाता या नज़रों से ओझल हो जाता तो बैठ जाते। जैसाकि मज़्कूरा बाला बाब की रिवायात में ये तसरीह मौजूद है और मुल्ला अली क़ारी का ख़्याल है कि इस हदीस का तअल्लुक़ क़ब्रिस्तान में या

क़ब्र में जनाज़ा रखने से है कि क़ब्रिस्तान में जनाज़ा रखने से पहले बैठना सहीह है। आप (ﷺ) पहले नहीं बैठते थे, बाद में बैठने लग गये और कुछ का ख़्याल है कि इस हदीस़ का तअल्लुक़ मुत्लक़न क़ियाम से है। इसलिये इसके बारे में सहाबा व ताबेईन और अइम्मा में इख़्तिलाफ़ है। कुछ का ख़्याल है कि ये इस्तिहबाबी हुक्म है, खड़ा होना और रखे जाने तक खड़े रहना बेहतर है और यही क़ौल मुनासिब मालूम होता है कि खड़े होना बेहतर है और बैठना जाइज़ है। इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ के नज़दीक इख़्तियार है कोई पाबंदी नहीं है जैसा चाहे कर ले और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.), इब्ने उ़मर, इब्ने ज़ुबैर, अबू सईद ख़ुदरी, अबू मूसा अश्अ़री, हसन बिन अ़ली (रज़ि.), इमाम औज़ाई, अहमद, इस्हाक़, मुहम्मद बिन हसन (रह.) का मौक़िफ़ ये है कि जब तक क़ब्रिस्तान में जनाज़ा रख न दिया जाये उस वक़्त तक बैठना दुरुस्त नहीं है लेकिन अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफ़ेई और कुछ सहाबा व ताबेईन की राय में जनाज़े के लिये उठना और क़ब्रिस्तान में रखने तक खड़े रहना मन्सूख़ है।

बाब 26 : नमाज़े जनाज़ा में मय्यित के लिये दुआ करना

باب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلاَةِ

(2232) हज़रत औ़फ़ बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक जनाज़ा पढ़ाया तो मैंने आप (ﷺ) की दुआ से ये अल्फ़ाज़ याद कर लिये, आप अल्लाह के हुज़ूर अ़र्ज़ कर रहे थे, 'ऐ अल्लाह! इसे बख़्श दे और इस पर रहमत फ़रमा, इसको आ़फ़ियत दे (अ़ज़ाब से बचा) इसको माफ़ फ़रमा दे, इसकी बाइज़्ज़त मेहमानी फ़रमा, इसकी क़ब्र को वसीअ़ फ़रमा दे (जहन्नम की आग और उसकी सोज़िश व जलन की बजाय) पानी से, बर्फ़ से और औलों से इसे नहला दे और इसे गुनाहों से इस तरह पाक-साफ़ कर दे, जिस तरह तूने उजले सफ़ेद कपड़े को मेल-कुचैल से साफ़ फ़रमा दिया है और इसको इसके दुनिया के घर के बदले में अच्छा घर और इसके घर वालों के बदले में अच्छे घर

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ

الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " . قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ . قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا .

वाले और इसकी रफ़ीक़े हयात के बदले में अच्छी रफ़ीक़े हयात (बीवी) अता फ़रमा दे और इसको जन्नत में दाख़िल फ़रमा और इसे अज़ाबे क़ब्र या आग के अज़ाब से पनाह दे।'

हदीस के रावी औफ़ बिन मालिक कहते हैं, हुज़ूर(ﷺ) की ये दुआ सुनकर मेरे दिल में ये आरज़ू पैदा हुई कि काश ये मय्यित मैं होता।

(तिर्मिज़ी : 1025, नसाई : 1/51, 4/73)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ، صَالِحٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ .

(2233) मुसन्निफ़ ने एक और उस्ताद से अहले हदीस की तरह रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ، يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، -وَاللَّفْظُ لأَبِي الطَّاهِرِ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ

(2234) इमाम साहब अपने कई उस्तादों से औफ़ बिन मालिक अश्जई (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, वो बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से एक नमाज़े जनाज़ा में ये दुआ सुनी, आप फ़रमा रहे थे, 'ऐ अल्लाह! इसे बख़्श दे, इस पर रहमत फ़रमा, इससे दरगुज़र फ़रमा, इसे अज़ाब से आफ़ियत व सलामती अता फ़रमा, इसकी बेहतरीन मेहमान नवाज़ी फ़रमा, इसकी क़ब्र को फ़राख़ कर दे और इसे पानी, बर्फ़ और औलों से धो डाल और इसे गुनाहों की गन्दगी से इस तरह साफ़ फ़रमा, जिस तरह सफ़ेद उजला कपड़ा मेल-कुचैल से साफ़ किया जाता है और इसे इसके घर के बदले में इसके घर से बेहतर घर दे और इसके घर वालों से बेहतर घर वाले बदले में दे और इसकी बीवी के

مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ " . قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ .

बदले में इससे बेहतर बीवी अ़ता फ़रमा और इसे क़ब्र के फ़ित्ने और आग के अ़ज़ाब से बचा।' हज़रत औ़फ़ (रज़ि.) का क़ौल है नबी (ﷺ) की उस मय्यित के हक़ में दुआ सुनकर, मैंने ख़्वाहिश की, ऐ काश ये मय्यित मैं होता।

(तिर्मिज़ी : 1025, नसाई : 1/51, 4/73)

फ़वाइद : (1) इमाम मुस्लिम (रह.) ने यहाँ सिर्फ़ हज़रत औ़फ़ बिन मालिक (रज़ि.) की दुआ नक़ल फ़रमाई है और आपसे और दुआयें भी साबित हैं। नीज़ मुसन्निफ़ ने इस दुआ का मौक़ा और महल भी बयान नहीं फ़रमाया। सहीह मुस्लिम के शारेह इमाम नववी (रह.) ने रियाज़ुस्सालिहीन में नमाज़े जनाज़ा की कैफ़ियत इस तरह बयान की है कि पहली तकबीर के बाद तअ़व्वुज़, सूरह फ़ातिहा और कोई एक सूरह पढ़े, दूसरी तकबीर के बाद नमाज़ में पढ़ा जाने वाला दरूदे इब्राहीम पढ़े, तीसरी तकबीर के बाद मय्यित और आम मुसलमानों के लिये दुआयें करें और चौथी तकबीर के बाद भी आम लोगों की आदत के बरअ़क्स लम्बी दुआ करके सलाम फेर दे। **(2)** नमाज़े जनाज़ा में हुज़ूर (ﷺ) से जो अलग-अलग दुआयें साबित हैं, उन सबको मिलाकर या कुछ को पढ़ना चाहिये और दुआयें ख़ूब इख़्लास और इल्हाह से करनी चाहिये और ये तभी मुम्किन है जब दुआयें और उनका मानी व मफ़्हूम याद हो। **(3)** हज़रत औ़फ़ बिन मालिक (रज़ि.) के क़ौल समिअ़्तुन्नबी (ﷺ) से साबित होता है आपने ये दुआयें ऊँची आवाज़ से आहिस्ता-आहिस्ता (ठहर-ठहरकर) पढ़ी थीं कि उनको सुनकर याद हो गईं, इस तरह दूसरे सहाबा की रिवायत से भी नमाज़े जनाज़ा में दुआयें बुलंद आवाज़ से पढ़ना साबित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप (ﷺ) हमेशा बुलंद आवाज़ से दुआयें पढ़ते थे, नीज़ किसी हदीस में ये साबित नहीं है कि सहाबा किराम (रज़ि.) पीछे बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे, इसलिये ये तरीक़ा यानी आमीन कहना दुरुस्त नहीं है। **(4)** नमाज़े जनाज़ा के बाद, मय्यित के दफ़न तक आप या आपके ख़ुलफ़ाए राशिदीन से कोई दुआ साबित नहीं है। इसलिये बाद की सब दुआयें ख़ुद साख़्ता हैं, हालांकि ये बात मुसल्लम है कि इबादात में असल चीज़ सुबूत है, राय या क़ियास का यहाँ दख़ल नहीं है।

बाब 27 : इमाम नमाज़े जनाज़ा के वक़्त, मय्यित के किस मक़ाम के सामने खड़ा होगा

باب أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ، ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا .

(2235) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) की इक़्तिदा में नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, आपने उम्मे कअ़ब (रज़ि.) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी, जो निफ़ास की हालत में फ़ौत हो गई थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी नमाज़े जनाज़ा के लिये उसके दरम्यान में खड़े हुए थे।

(सहीह बुख़ारी : 332, 1331, 1332, अबू दाऊद : 3195, तिर्मिज़ी : 1035, नसाई : 1/195, 4/71, इब्ने माजह : 1493)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أُمَّ كَعْبٍ .

(2236) मुसन्निफ़ ने अपने दूसरे उस्तादों से भी इसी सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है। लेकिन उन्होंने उम्मे कअ़ब (रज़ि.) का नाम नहीं लिया।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلاَمًا فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ أَنَّ هَا هُنَا رِجَالاً هُمْ

(2237) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में नौख़ेज़ था और मैं आप (ﷺ) की बातों को याद किया करता था और अब मुझे बात करने से सिर्फ़ यही चीज़ रोक रही है कि यहाँ पर बहुत से लोग मुझसे उम्र में बड़े (उम्ररसीदा) मौजूद हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा में एक औरत

أَسَنُّ مِنِّي وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ وَسَطَهَا . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا .

की जो निफ़ास की हालत में फ़ौत हुई थी, नमाज़े जनाज़ा पढ़ी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी नमाज़े जनाज़ा में उसके दरम्यान खड़े हुए थे। अब्दुल्लाह बिन बुरैदा के अल्फ़ाज़ ये हैं कि आप उसकी नमाज़ के लिये उसके दरम्यान में खड़े हुए थे।

फ़वाइद : (1) निफ़ास वाली औरत अगरचे इस हालत में नमाज़ नहीं पढ़ सकती और वो अज्र व सवाब के ऐतिबार से शुहदा की सफ़ में दाख़िल है, उसके बावजूद उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। **(2)** इमाम साहब को मय्यित के जनाज़े में कहाँ खड़ा होना चाहिये? इस सिलसिले में सिर्फ़ औरत के बारे में रिवायत लाये हैं कि उसके जनाज़े में इमाम दरम्यान में खड़ा होगा, लेकिन मर्द के जनाज़े में इमाम कहाँ खड़ा होगा? इसका तज़्किरा नहीं किया। अइम्मा का इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ़ और एक रिवायत की रू से इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का भी ये मौक़िफ़ है कि जनाज़े में इमाम मर्द के सर के क़रीब और औरत के दरम्यान में खड़ा होगा और हदीस़ की रू से यही सहीह है। अल्लामा सईदी लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का ये क़ौल चूंकि अहादीस़ और आस़ार के मुताबिक़ है इसलिये इस पर अमल करना चाहिये। (सहीह मुस्लिम : 2/811) ऐ काश हर जगह सहीह अहादीस़ पर अमल को ही तरजीह दें, क़िरअते फ़ातिहा के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की बुख़ारी शरीफ़ में रिवायत मौजूद है कि उन्होंने नमाज़े जनाज़ा में बुलंद आवाज़ से फ़ातिहा पढ़ी और फ़रमाया, ये मैंने इसलिये किया है ताकि तुम्हें ये मालूम हो जाये कि फ़ातिहा पढ़ना, आप (ﷺ) का रवैया और तरीक़-ए-अमल है और इसकी ये तावील कर दी है। आपने बतौरे दुआ और स़ना पढ़ी थी।(जिल्द 2, पेज नं. 898) हालांकि इस तावील का कोई क़रीना और दलील नहीं है और एक बात ये कही है। ये ख़बरे वाहिद है और ख़बरे वाहिद से फ़र्ज़िय्यत पर इस्तिदलाल सहीह नहीं है, हालांकि जिस तरह कुरआन के हुक्म से फ़र्ज़िय्यत स़ाबित होती है। हदीसे सहीह से भी फ़र्ज़िय्यत स़ाबित होती है। बुख़ारी और मुस्लिम की रिवायतें तो उम्मत ने बिल्इत्तिफ़ाक़ कुबूल किया है। इस वजह से वो क़तइय्यत और यक़ीन का फ़ायदा देती हैं, उनसे फ़र्ज़िय्यत क्यों स़ाबित नहीं होगी। इमाम इब्ने हम्माम और इमाम तहावी ने भी यही तावील की है कि स़ना दुआ के तौर पर पढ़ी है, चलो ये हज़रात दुआ व स़ना के तौर पर पढ़ लिया करें, फ़ातिहा पढ़ा तो करें, इस जामेअ दुआ से महरूम तो न रहें।

باب رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

बाब 28 : नमाज़े जनाज़ा से वापसी पर (सवारी पर) सवार होना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ، يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ، سَمُرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ .

(2238) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास नंगी पीठ एक घोड़ा लाया गया, तो आप इब्ने अबी दहदाह (रज़ि.) के जनाज़े से वापसी पर उस पर सवार हो गये और हम आपके आस-पास पैदल चल रहे थे।

(नसाई : 4/86)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ - قَالَ - فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ - أَوْ مُدَلًّى - فِي الْجَنَّةِ لاِبْنِ الدَّحْدَاحِ " . أَوْ قَالَ شُعْبَةُ " لأَبِي الدَّحْدَاحِ " .

(2239) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इब्ने अबी दहदाह (रज़ि.) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, फिर आपके पास नंगी पीठ वाला घोड़ा लाया गया तो एक आदमी ने उसे पकड़कर रोके रखा और आप उस पर सवार हो गये। वो आपको उठाकर दुलकी चाल चलने लगा (कूदता-उछलता चल रहा था) और हम आपके पीछे-पीछे थे और दौड़ रहे थे। क़ौम (लोगों) में से एक आदमी ने कहा, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जन्नत में इब्ने अबी दहदाह (रज़ि.) के लिये कितने ख़ोशे लटक रहे हैं या झुके हुए हैं?' शोबा ने इब्ने दहदाह की बजाय अबू दहदाह कहा।

(अबू दाऊद : 6178, तिर्मिज़ी : 1013)

फ़ायदा : जनाज़े से वापसी पर बिल्इत्तिफ़ाक़ सवार होना जाइज़ है, जाते वक़्त बिला उ़ज़्र दुरुस्त नहीं है क्योंकि चारपाई को कन्धा देना होता है।

बाब 29 : लहद (बग़ली क़ब्र) बनाना और मय्यित पर कच्ची ईंटें लगाना

بَاب فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّتِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ، مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2240) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) ने अपनी उस बीमारी में जिसमें वो फ़ौत हो गये थे (अपने लवाहिक़ीन से) कहा, मेरे लिये लहद बनाना और मुझ पर अच्छे तरीक़े से कच्ची ईंटें लगाना, जैसाकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किया गया था, यानी जिस तरह आप (ﷺ) की क़ब्र बनाई गई थी।

(नसाई : 4/80, इब्ने माजह : 1556)

फ़ायदा : बिल्इत्तिफ़ाक़ लहद बनाना बेहतर है और आम क़ब्र बनाना भी दुरुस्त है और सहाबा किराम (रज़ि.) ने बिल्इत्तिफ़ाक़ आप (ﷺ) की क़ब्र पर कच्ची ईंटें लगाई थीं और क़ब्र एक बालिश्त ऊँची बनाई थी।

बाब 30 : क़ब्र में चादर रखना

بَاب جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، وَوَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ . قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَاتَا بِسَرَخْسَ .

(2241) इमाम साहब ने अलग-अलग उस्तादों से हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत बयान की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ब्र में सुर्ख़ चादर रख दी गई थी।

इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं, अबू जम्रह का नाम नसर बिन इमरान और अबुत्तय्याह का नाम यज़ीद बिन हुमैद है और दोनों (एक ही साल में) सरख़स में फ़ौत हुए। (अबुत्तय्याह का इस हदीस़ में ज़िक्र नहीं है)।

(तिर्मिज़ी : 1048, नसाई : 4/81)

फ़ायदा : नबी (ﷺ) के आज़ाद करदा गुलाम ने महज़ इसी बिना पर ये चादर क़ब्र में डाल दी कि आपके बाद इसको कोई इस्तेमाल न करे लेकिन चूंकि ये बात दुरुस्त न थी, इसलिये बक़ौले इमाम इब्ने अ़ब्दुल बर्र उसको निकाल लिया गया था और जुम्हूर फ़ुक़हा ने मय्यित के नीचे कपड़े बिछाने को नापसंदीदा क़रार दिया है।

बाब 31 : क़ब्र को हमवार या बराबर बनाने का हुक्म

باب الأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

(2242) सुमामा बिन शुफ़य बयान करते हैं कि हम सरज़मीने रूम के जज़ीरे बिरूदिस में फ़ज़ाला बिन उ़बैद (रज़ि.) के साथ थे। तो हमारा एक साथी फ़ौत हो गया। हज़रत फ़ज़ाला बिन उ़बैद (रज़ि.) ने कहा, उनकी क़ब्र (आ़म क़ब्रों के) बराबर बनाई जाये या उसकी क़ब्र उनके हुक्म से आ़म क़ब्रों के बराबर बनाई गई। फिर उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप उसके हमवार आ़म क़ब्रों के बराबर करने का हुक्म देते थे।

(अबू दाऊद : 3219, नसाई : 4/88)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، - فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ - أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ، حَدَّثَهُ - وَفِي، رِوَايَةِ هَارُونَ - أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ، شُفَىٍّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا .

(2243) अबू हय्याज असदी बयान करते हैं कि मुझे हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने कहा, क्या मैं तुम्हें उस काम के लिये न भेजूँ जिस काम के लिये मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भेजा था? किसी मुजस्समे और तस्वीर को मिटाये बग़ैर न छोड़ूँ और न किसी ऊँची या बुलंद क़ब्र को (आ़म क़ब्रों के) बराबर किये बग़ैर छोड़ूँ।

(अबू दाऊद : 3218, तिर्मिज़ी : 1049, नसाई : 4/86)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي، الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ .

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ وَلاَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا.

(2244) मुसन्निफ़ यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, उसमें है कि तस्वीर को मिटाये बग़ैर न छोड़ूँ। (यानी तिम्साल की जगह तस्वीर का लफ़्ज़ है)।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से साबित होता है कि किसी क़ब्र को आम क़ब्रों से बुलंद और ऊँचा बनाना जाइज़ नहीं है, अगर ताक़त व क़ुव्वत यानी इक़्तिदार व इख़्तियार हो तो बुलंद क़ब्रों को ज़मीन के क़रीब कर देना चाहिये, इसलिये बिल्इत्तिफ़ाक़ एक बालिश्त से ऊँची क़ब्र कराकर उसको आम क़ब्रों के बराबर कर दिया जायेगा। क़ब्र को सिर्फ़ आम ज़मीन से मुम्ताज़ करने के लिये कुछ बुलंद रखा जाता है। लेकिन अफ़सोस आज-कल आम तौर पर आपके इस सरीह फ़रमान को नज़र अन्दाज़ करके क़ब्रें ऊँची बनाई जाती हैं। **(2)** इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, अहमद (रह.) के नज़दीक क़ब्र ऊँट की कोहान की शक्ल में बनाई जायेगी और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक हमवार और मस्तह यानी चौकोर होगी लेकिन ज़मीन से ज़्यादा बुलंद किसी के नज़दीक भी नहीं बनाई जायेगी।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ، وَالْبِنَاءِ، عَلَيْهِ

बाब 32 : क़ब्र को पुख़्ता करने और उस पर इमारत तामीर करने की मुमानिअत

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي، الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ .

(2245) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्र को पुख़्ता बनाने, उस पर बैठने और उस पर इमारत तामीर करने से मना फ़रमाया।

(अबू दाऊद : 3225, 3226, तिर्मिज़ी : 1052, नसाई : 4/86, 4/87, इब्ने माजह : 1563)

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

(2246) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों से भी यही हदीस़ बयान की है।

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ، اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(2247) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि क़ब्र को पुख़्ता बनाने से मना किया गया है।

(नसाई : 4/84, इब्ने माजह : 1562)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،قَالَ نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، .

फ़वाइद : (1) अल्लामा तोरपश्ती हन्फ़ी (रह.) ने लिखा है कि क़ब्र को पुख़्ता बनाना या उस पर ख़ेमा गाड़ना दोनों मना हैं। क्योंकि इनका फ़ायदा नहीं है और ये अहले जाहिलिय्यत का वतीरा और अमल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर (रज़ि.) की क़ब्र पर ख़ेमा लगा देखा तो फ़रमाया, ऐ गुलाम! उसको उखाड़ दो, मय्यित का अमल ही उसके लिये साया फ़राहम करता है और कुछ अहनाफ़ ने ये भी कहा है कि ये माल को बर्बाद करना है और इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़रमाते हैं, मैंने मक्का के अइम्मा को देखा वो इमारत को गिराने का हुक्म देते थे। इसलिये ये कहना, शुरू से लेकर अब तक उम्मत के सालेहीन और उलमा बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर गुम्बद बनाते चले आये हैं, इसलिये (उम्मत के इज्माओ अमली से गुम्बद बनाने का जवाज़ साबित है) ख़िलाफ़े वाक़िया है और दाव-ए-इज्माअ ग़लत है। नीज़ वो इज्माअ जो ख़िलाफ़े नस हो क़ाबिले कुबूल नहीं है और न ही नस के ख़िलाफ़ इज्माअ मुम्किन है। इसी तरह इब्ने आबिदीन ने क़ब्र पर लिखने के जवाज़ पर इज्माओ अमली का दावा किया है। हालांकि इमाम उबय (रह.) ने लिखा है, अइम्मतुल मुस्लिमीन ने जवाज़ का फ़तवा नहीं दिया और न ही उन्होंने अपनी क़ब्रों पर लिखने की वसिय्यत की है। बल्कि उनकी अक्सरियत ने इसके नाजाइज़ होने का फ़तवा दिया है और अपनी तसानीफ़ में भी यही लिखा है। (फ़तहुल मुल्हिम : 2/507)

लिहाज़ा ये लोगों का ग़लत अमल है इसको इज्माअ का नाम नहीं दिया जा सकता। क्या अब सारी दुनिया के मुसलमानों में सूद का चाल-चलन है तो ये जाइज़ हो जायेगा? नीज़ इन हज़रात ने ये दावा उलमा और सुलहा की क़ब्रों के लिये किया था, अब ये वबा आम हो गई है। तो क्या इसको इज्माअ अमली का नाम देकर इसके जवाज़ का फ़तवा दिया जायेगा। हालांकि असल हक़ीक़ते हाल ये है कि हर दौर और हर ज़माने में अइम्मतुल मुस्लिमीन में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं और अब भी हैं, जो इन ग़लत कामों से रोकते रहते हैं। यही हाल उन मज़ारात पर चादरें या फूल चढ़ाने का है। अब लोग क़ब्रों वालों को पुकार कर अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिये नज़्र मानते या नियाज़ चढ़ाते हैं

और ये काम बिल्इज्माअ बातिल है। (शरह सहीह मुस्लिम सईदी : 2/817)

तो क्या अब इस अमल को जाइज़ क़रार दिया जायेगा? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। **(2)** जिस तरह क़ब्र को पुख़्ता बनाना और उस पर इमारत तामीर करना नाजाइज़ है उसी तरह उस पर मुजाविर बनकर बैठना दुरुस्त नहीं है। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है, क़ब्र पुख़्ता बनाना, उस पर इमारत बनाना और बैठना मना है।

बाब 33 : क़ब्र पर बैठना और उसकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ना नाजाइज़ है

باب النَّهْىِ عَنِ الْجُلُوسِ، عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " .

(2248) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर तुममें से कोई अंगारों पर बैठ जाये और वो उसके कपड़ों को जलाकर उसके खाल तक पहुँच जायें तो ये उसके हक़ में इससे बेहतर है कि वो क़ब्र पर बैठे।'

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو، النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ.

(2249) इमाम साहब ने अपने दो दूसरे उस्तादों से भी इस सनद से इसी क़िस्म की रिवायत नक़ल की है।

(नसाई : 4/95)

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ، بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَاثِلَةَ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا " .

(2250) हज़रत अबू मरसद ग़नवी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़ब्रों पर न बैठो और न उनकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ो।'

(अबू दाऊद : 3229, तिर्मिज़ी : 1050, 1051, नसाई : 2/67)

(2251) अबू मरसद ग़नवी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'क़ब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ न पढ़ो और न ही उन पर बैठो।'

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا" .

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से स़ाबित होता है जिस तरह क़ब्र पर बैठना उसकी तहक़ीर का बाइस़ है और नाजाइज़ है, इसी तरह उसकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना उसकी तअ़ज़ीम का बाइस़ है या कम से कम उससे मुशाबिहत रखता है। इसलिये मुल्ला अ़ली क़ारी ने लिखा है, अगर ये हक़ीक़तन क़ब्र या साहिबे क़ब्र की तअ़ज़ीम के लिये है तो तअ़ज़ीम करने वाला काफ़िर है। (फ़तहुल मुल्हिम : जिल्द 2, पेज नं. 507) (2) जब क़ब्र पर बैठना जाइज़ नहीं है तो उस पर पेशाब व पाख़ाना करना किस तरह जाइज़ हो सकता है, जो इन्तिहाई नाज़ेबा और क़बीह हरकत है। इमाम मालिक बैठने की मुमानिअ़त को इस पर महमूल करते हैं।

बाब 34 : मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना

باب الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

(2252) अ़ब्बाद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) का जनाज़ा मस्जिद में लाने का हुक्म दिया ताकि वो भी उनका जनाज़ा पढ़ें। सहाबा किराम (रज़ि.) ने इस पर ऐतिराज़ किया तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, लोग किस क़द्र जल्द भूल गये, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुहैल बिन बैज़ा (रज़ि.) की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में ही पढ़ी थी।
(तिर्मिज़ी : 1033, नसाई : 4/68)

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، -وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ، بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ . عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ .

(2253) अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि जब हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) फ़ौत हुए तो अज़्वाजे मुतह्हरात ने पैग़ाम भेजा कि उनका जनाज़ा मस्जिद में लाया जाये ताकि वो भी उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ें, लोगों ने ऐसे ही किया, जनाज़ा उनके हुज्रों के सामने रख दिया गया ताकि वो नमाज़े जनाज़ा पढ़ लें। फिर उसे बाबुल जनाइज़ से जो मक़ाइद (बैठने की जगहों) के क़रीब था, से निकाला गया और उन्हें पता चला कि लोगों ने उस पर ऐतिराज़ किया है और कहा है, जनाज़ों को मस्जिद में नहीं लाया जाता था और हज़रत आइशा (रज़ि.) तक भी ऐतिराज़ पहुँचा, तो उन्होंने फ़रमाया, किस क़द्र जल्दी लोग उस काम पर ऐतिराज़ करने लगे हैं जिसका उन्हें इल्म ही नहीं है। हम पर जनाज़ा मस्जिद में लाने पर ऐब (नुक्ता चीनी) लगाया गया है। हालांकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सुहैल बिन बैज़ा का जनाज़ा मस्जिद के अंदर पढ़ा था।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ، لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتِ ادْخُلُوا بِهِ

(2254) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि जब हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) की वफ़ात हुई तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'उन्हें मस्जिद में लाओ ताकि मैं भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ूँ, तो उन पर ऐतिराज़ किया गया। इस पर उन्होंने फ़रमाया, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बैज़ा के दो बेटों सुहैल

الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ . قَالَ مُسْلِمٌ سُهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ أُمُّهُ بَيْضَاءُ .

(रज़ि.) और उसके भाई (रज़ि.) का जनाज़ा मस्जिद में ही पढ़ा था। इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं, सुहैल बिन दअदी ही बैज़ा के बेटे हैं। बैज़ा माँ का नाम है, असल नाम दअद है। बैज़ा के नाम से मअरूफ़ थीं और दूसरे बेटे का नाम सफ़्वान है।

(अबू दाऊद : 3190)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है। जुम्हूर का मौक़िफ़ यही है। हज़रत अबू बकर और हज़रत उ़मर (रज़ि.) दोनों की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ी गई थी, लेकिन आप आ़म तौर पर जनाज़ा ईदगाह में ही पढ़ते थे या मस्जिद के क़रीब जगह थी, जिसकी तरफ़ बाबुल जनाइज़ खुलता था। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जाइज़ ही नहीं है।

باب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لأَهْلِهَا

बाब 35 : क़ब्रिस्तान में दाख़िल होते वक़्त अहले क़ब्रिस्तान के लिये क्या दुआ की जायेगी

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ

(2255) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से हज़रत आ़इशा (रज़ि.) की रिवायत नक़ल करते हैं, उन्होंने (आ़इशा रज़ि. ने) कहा, जब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की बारी मेरे यहाँ होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) रात के आख़िरी हिस्से में बक़ीअ (अहले मदीना का क़ब्रिस्तान) तशरीफ़ ले जाते और फ़रमाते, 'ऐ मोमिनों के घर के बासियों! तुम पर अल्लाह तआ़ला की सलामती नाज़िल हो। जिसका तुमसे वादा था आ चुका, कल तक तुम्हें मोहलत है और हम भी इन्शाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। ऐ अल्लाह! बक़ीअ ग़रक़द वालों को माफ़

غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ". وَلَمْ يُقِمْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ " وَأَتَاكُمْ " .

फ़रमा।' और क़ुतैबा की रिवायत में अताकुम का लफ़्ज़ नहीं है।
(नसाई : 4/94)

फ़ायदा : ग़दन मुअज्जलून का मक़सद ये है कि यहाँ अभी मुकम्मल हिसाब-किताब शुरू नहीं हुआ, इसके लिये क़यामत तक ढील और मोहलत है या दुनिया में जिस कल की मोहलत दी गई थी वो आ चुका है और ग़रक़द एक दरख़्त का नाम है जो अहले मदीना के क़ब्रिस्तान में था।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ فَقَالَتْ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِّي . قُلْنَا بَلَى ح . وَحَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ حَجَّاجًا الأَعْوَرَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، - رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ . قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْنَا بَلَى . قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله

(2256) मुहम्मद बिन क़ैस बिन मख़रमा बिन मुत्तलिब ने एक दिन साथियों से कहा, क्या मैं तुम्हें अपने और अपनी माँ के बारे में बात न बताऊँ? साथियों ने ख़याल किया कि वो अपनी वो माँ मुराद ले रहा है जिसने उसे जना है। उसने कहा, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें अपने और रसूल (ﷺ) के बारे में न बताऊँ? हमने कहा, क्यों नहीं। तो आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, जब मेरी वो रात आई जिसमें नबी (ﷺ) मेरे यहाँ होते थे, आप घर लौटे (मस्जिद से घर आये) अपनी चादर (चारपाई पर) रखी और अपने जूते उतार कर, अपने पाँव (पैनती) के पास रखे और अपनी तहबंद का एक हिस्सा अपने बिस्तर पर बिछाकर लेट गये। आप (ﷺ) सिर्फ़ इतनी देर ठहरे कि आपने ख़याल किया कि मैं सो गई हूँ तो आपने आहिस्तगी (ताकि मैं बेदार न हो जाऊँ) से अपनी चादर उठाई और आहिस्तगी से अपना जूता पहना और दरवाज़ा खोलकर निकले और उसे आहिस्तगी से बंद कर दिया और मैंने भी अपनी क़मीस गले में डाली, अपनी

ओढ़नी को दुपट्टा बनाया (सर पर रखा) और अपनी तहबंद बांध ली। फिर मैं आपके पीछे चल निकली। यहाँ तक कि आप बक़ीअ (क़ब्रिस्तान) पहुँच गये और आप काफ़ी देर तक खड़े रहे। फिर आपने तीन बार हाथ उठाये, फिर आप वापस पलटे और मैं भी वापस लोटी। आप तेज़ हो गये तो मैं भी तेज़ हो गई। आपने दौड़ लगाई तो मैं भी दौड़ पड़ी। आपने तेज़ दौड़ शुरू की तो मैं भी तेज़ दौड़ पड़ी और मैं आपसे पहले आ गई और घर में दाख़िल होकर लेट गई। इतने में आप भी घर में दाख़िल हो गये और आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! तुम्हें क्या हुआ? साँस फूला हुआ है, पेट उभरा हुआ है।' मैंने कहा, कोई बात नहीं। आपने फ़रमाया, 'तुम बता दो या मुझे बारीक बीन, वाक़िफ़ आगाह (अल्लाह तआला) बता देगा।' तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान! और मैंने सूरते हाल बता दी। आपने फ़रमाया, 'तो वो शख़्स जो मुझे अपने आगे नज़र आ रहा था? मैंने कहा, हाँ। आपने मेरे सीने को ज़ोर से धक्का दिया, जिससे मुझे तकलीफ़ हुई। फिर आपने फ़रमाया, 'क्या तूने ये ख़याल किया कि तुम पर अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादती करेगा? तेरी बारी में किसी और के यहाँ चला जाऊँगा।' मैंने दिल में कहा, लोग कितना ही छिपायें, अल्लाह उसे जानता है (आपको बता देता है) ख़ुद ही आइशा (रज़ि.) ने कहा (अपने अपने गुमान

عليه وسلم فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ " مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً " . قَالَتْ قُلْتُ لاَ شَىْءَ . قَالَ " لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ " فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي " . قُلْتُ نَعَمْ . فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ . قَالَ " فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ

مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ " . قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " قُولِي السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ " .

व नज़रिये की तस्दीक़ की)। आपने फ़रमाया, 'जब तूने देखा, उस वक़्त मेरे पास जिब्रईल आया और उसने मुझे आवाज़ दी और अपनी आवाज़ तुझसे मख़्फ़ी रखी, मैंने तुझसे पोशीदा रखकर, उसको जवाब दिया और वो अंदर तेरे पास नहीं आ सकता था क्योंकि तुम कपड़े उतार चुकी थी (सोने का लिबास पहन लिया था) और मैंने ख़याल किया, तुम सो चुकी हो। इसलिये मैंने तुम्हें बेदार करना मुनासिब न समझा और मुझे ख़तरा महसूस हुआ (अगर तुम जाग गई तो अकेली) दहशत महसूस करोगी। जिब्रईल (अलै.) ने कहा, 'आपके रब का हुक्म है, अहले बक़ीअ के पास जाकर उनके लिये बख़्शिश की दुआ करो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने आपसे पूछा, मैं उनके हक़ में कैसे दुआ करूँ? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, कहो, 'सलाम हो तुम पर ऐ घर वालों! मोमिनों में से और मुसलमानों में से और अल्लाह तआला हममें से पहले और बाद में आने वालों पर रहम फ़रमाये और हम, अल्लाह ने चाहा तो तुमसे मिलने वाले हैं।'

(नसाई : 4/91,92, 7/73, 4/74)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) **रसीमा :** इतनी देर तक। (2) **अजाफ़ह :** उसको यानी दरवाज़े को बंद कर दिया। (3) **रुवेद :** आहिस्तगी से बंद कर दिया। (4) **जअल्तु दिरई फ़ी रअसि :** मैंने अपनी कोई क़मीस (पहन ली, सर से जिस्म व बदन पर डाल ली) **इख़्तमरतु :** मैंने ख़िमार (दुपट्टा) ओढ़ लिया, दुपट्टे से सर ढांप लिया। (5) **तक़न्नअतु इज़ारी :** मैंने अपनी धोती बांध ली, क़ीनाअ ओढ़नी और दुपट्टे को कहते हैं और तक़न्नअ का मानी हुआ दुपट्टा ओढ़ लिया और यहाँ ये मानी हुआ कि इज़ार (धोती, तहबंद) को जिस्म के गिर्द बांध लिया। (6) **हरवल :** दौड़ा (7) **अहज़र :** तेज़ दौड़ा।

हिज़ार में हरवलह से ज़्यादा तेज़ी होती है। (8) **हशिया :** साँस का फूलना, दौड़ की बिना पर उसका उखड़ जाना और उसमें तेज़ी आना। (9) **राबियह :** पेट का ऊँचा और बुलंद होना। पेट का साँस के फूलने से फूल जाना। (10) **सवाद :** शक्ल व सूरत, ढाँचा, हैयत, वजूद (11) **लहदनी लहदतन :** ज़ोर से धक्का दिया।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से साबित होता है कि आप आलिमुल ग़ैब न थे। इसलिये आपको हज़रत आइशा (रज़ि.) की नींद और आप (ﷺ) के पीछे-पीछे चलने और फिर आगे-आगे आने का पता न चल सका और हज़रत आइशा (रज़ि.) भी यही समझती थीं कि अल्लाह तआला के बताये बग़ैर आपको मख़्फ़ी चीज़ का पता नहीं चल सकता और इसीलिये आपने फ़रमाया, 'तुम ख़ुद बता दो या मुझे अल्लाह तआला बता देगा।' (2) क़ब्रिस्तान जाने का असल मक़सद यही है कि कब्र वालों के लिये सलामती और बख़्शिश की दुआ की जाये और साथ ही अपनी मौत को याद किया जाये। किसी और मक़सद या ग़र्ज़ के लिये जाना, दुरुस्त नहीं है। (3) क़ब्रिस्तान में जाकर हाथ उठाकर तवील वक़्त (देर) तक दुआयें की जा सकती हैं।

(2257) हज़रत बुरेदा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें तालीम देते थे कि जब वो क़ब्रिस्तान जायें तो इस तरह जाकर कहें, अबू बकर की रिवायत है, अस्सलामु अला अहलद्दियारि ऐ घर वालो! सलाम हो और ज़ुहैर की रिवायत है, अस्सलामु अलैकुम अहलद्दियारि ऐ घर वालो! तुम पर सलाम! 'मोमिनों में से और मुसलमानों में से और हम इन्शाअल्लाह तुम से मिलने वाले हैं, मैं अल्लाह तआला से अपने लिये और तुम्हारे लिये आफ़ियत (सुख, चैन और सुकून) का सवाल करता हूँ।'

(नसाई : 4/94, इब्ने माजह : 1547)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، الأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ - السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ - وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ - السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

बाब 36 : नबी (ﷺ) का अल्लाह तआला से अपनी माँ की क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त माँगना

باب اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

(2258) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने अपने रब से अपनी माँ के लिये इस्तिग़फ़ार की इजाज़त तलब की, तो उसने मुझे इजाज़त नहीं दी और मैंने अल्लाह से अपनी माँ की क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त माँगी, तो उसने मुझे इजाज़त दे दी।'

(अबू दाऊद : 3234, नसाई : 4/90, इब्ने माजह : 1572, 1569)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ، -يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي " .

(2259) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी माँ की क़ब्र की ज़ियारत की (उसकी क़ब्र पर गये) ख़ुद भी रोये और अपने आस-पास वालों को भी रुलाया और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने अपने रब से इजाज़त तलब की कि मैं उसके लिये बख़्शिश की दरख़्वास्त करूँ तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई और मैंने उससे इसकी क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त तलब की तो उसने मुझे इजाज़त दे दी, तुम क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि वो मौत याद दिलाती है।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ " .

(2260) हज़रत बुरेदा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था तो उनकी ज़ियारत किया करो और मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानियों के गोश्त रखने से मना किया था, अब तुम जब तक चाहो रख सकते हो और मैंने तुम्हें मश्कीज़ों के सिवा चीज़ों से नबीज़ पीने से मना किया था, अब तुम हर क़िस्म के बर्तनों में पी सकते हो, लेकिन नशावर न पियो।'

(अबू दाऊद : 3698, नसाई : 4/94, 7/235, 8/311)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، - وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ .

(2261) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला रिवायत अपने कई और उस्तादों से बयान की है।

(तिर्मिज़ी : 1054, 1510, 1869, नसाई : 8/320, इब्ने माजह : 3405, 1932)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، -الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ

حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

फ़वाइद : (1) इन हदीसों से साबित होता है कि आप मुख़्तारे मुत्लक़ नहीं थे। बल्कि अल्लाह तआला के हुक्म के पाबंद और मामूर थे और कोई काम अल्लाह तआला की इजाज़त के बग़ैर नहीं करते थे। (2) इब्ने सीरीन, इब्राहीम नख़ई और इमाम शअबी (रह.) मर्दों और औरतों दोनों के लिये ज़ियारते क़ुबूर मक्रूह समझते थे लेकिन उनके बाद के अइम्मा के नज़दीक मर्दों के लिये क़ब्रों की ज़ियारत करना बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है। औरतों के बारे में इख़्तिलाफ़ है। अक्सरियत के नज़दीक अगर ख़िलाफ़े शरअ उमूर का इर्तिकाब न करे, बल्कि मौत और आख़िरत की फ़िक्र का एहसास पैदा करने का बाइस हो तो जाइज़ है और आपने ज़ियारते क़ुबूर का जो मक़सद बयान किया है उस मक़सद के मर्द और औरत दोनों ही मोहताज हैं। (3) आप (ﷺ) को अपनी वालिदा की क़ब्र पर जाने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन इस्तिग़फ़ार की इजाज़त नहीं मिली। अल्लामा शौकानी (रह.) ने तो इसकी वजह ये बयान की है कि मिल्लते इस्लामिया के सिवा किसी और दीन पर मरने वाले के लिये इस्तिग़फ़ार की इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ उलमा का ख़याल है कि इस्तिग़फ़ार तो उसके लिये है जो ग़ैर मअसूम हो या गुनाहगार हो और आपकी वालिदा से तो कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ। इस पर सवाल ये है कि अगर मअसूम के लिये इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं है तो फिर हुज़ूर (ﷺ) को आख़िरी सूरत सूरह नस्र में इस्तिग़फ़ार का हुक्म क्यों दिया गया? क्या इससे ये वहम नहीं पैदा हो सकता कि शायद आपने कोई गुनाह किया हो? जबकि असल हक़ीक़त ये है कि इस्तिग़फ़ार दरजात की बुलंदी का भी बाइस है। बहरहाल अल्लामा सुयूती (रह.) ने जो आपके वालिदैन के बारे में तीन नज़रियात पेश किये हैं वो महल्ले नज़र (क़ाबिले इत्मीनान) हैं लेकिन जैसाकि हम पहले कह चुके हैं इस मसले को आम मजालिस में मौज़ूअे सुख़न बनाना दुरुस्त नहीं है।

बाब 37 : ख़ुदकुशी (आत्महत्या) करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना

باب تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

(2262) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया, जिसने अपने आपको एक चौड़े तीर से क़त्ल कर डाला था, तो आपने उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी।

(नसाई : 4/66)

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : मशाक़िस : मुफ़रद मिश्क़स : चौड़े तीर।

फ़ायदा : हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ और इमाम औज़ाई (रह.) का मौक़िफ़ यही है कि क़ातिले नफ़्स (आत्महत्या करने वाले) की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जायेगी। लेकिन इमाम हसन, क़तादा, नख़ई, मालिक, अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक ख़ुदकुशी करने वाले मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा अदा की जायेगी, आपने इस काम और हरकत से बाज़ रखने के लिये तौबीख़ व सरज़निश के तौर पर जनाज़ा नहीं पढ़ा, जैसाकि नसाई की रिवायत में है। मा अना फ़ला उसल्ली मैं नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ता। लेकिन आप (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को जनाज़ा पढ़ने से नहीं रोका, इसलिये मालूम होता है क़ाबिले एहतिराम शख़्सियत को जिसके नमाज़ में शरीक न होने से लोग मुतास्सिर हों, नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये और आ़म मुसलमानों को जनाज़ा पढ़ना चाहिये। इमाम मालिक का एक क़ौल यही है और इमाम मालिक का एक क़ौल ये भी है कि क़ातिले नफ़्स, तौबा का मौक़ा नहीं पाता। इसलिये उसकी तौबा न होने की बिना पर नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जायेगी, जिसका मतलब ये हुआ, अगर उसको कुछ ज़िन्दगी मिली, जिसमें तौबा कर सका, तो फिर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने में कोई चीज़ मानेअ नहीं होगी।

इस किताब के कुल बाब 56 और 232 अहादीस़ हैं।

كتاب الزكاة

किताबुज़्ज़कात

ज़कात का बयान

हदीस़ नम्बर 2263 से 2494 तक

ज़कात का मानी व मफ़्हूम, अहमिय्यत व फ़ज़ीलत और निसाब की वज़ाहत

'ज़कात' ज़का यज़्कू ज़कातन से है। इसका लुग़्वी मानी उगना और बढ़ना है। बढ़ोतरी तभी मुम्किन है जब उगने वाली चीज़ आफ़ात व अम्राज़ से पाक हो। ज़का का एक मानी अच्छा या पाक होना भी है। अरब कहते हैं , ज़कतिल अरज़ु इसका मानी है, ताबत यानी ज़मीन अच्छी, साफ़-सुथरी हो गई तज़्किया इसी से है। नुफ़ूस का तज़्किया ये है कि इनको आफ़ात, बहुत से अम्राज़ और आलाइशों से पाक किया जाये। इंसान को अल्लाह तआला फ़ितरते सलीमा अता करके दुनिया में भेजता है, माँ-बाप और दूसरे करीबी लोग उसकी फ़ितरत को आलूदा कर देते हैं। सबसे ज़्यादा आलूदगी ये होती है कि इंसानी वजूद अता करने और पालने वाले अल्लाह की मुहब्बत के बजाय माद्दी अशिया की मुहब्बत में मुब्तला हो जाता है। ये बीमारी दुनिया के बाक़ी तमाम बीमारियों का सबब बनती है। इसी से हिर्स, हवस, लालच, ख़ुद ग़र्ज़ी, ज़ुल्म, सरकशी, तुग़्यान, ग़र्ज़ सब बीमारियाँ पैदा होती है और बढ़ती हैं। अम्बियाए किराम ख़ुसूसन मुहम्मद रसूलुल्लाह(ﷺ) की बिअ़सत के बुनियादी मक़ासिद में से एक मक़सद नुफ़ूसे इंसानी का तज़्किया करना, यानी उन्हें उन तमाम जानलेवा बीमारियों से निजात दिलाना है। अल्लाह तआला का इरशाद है, 'वो जिसने उम्मियों (अनपढ़ों) में उन्ही में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने उसकी आयात पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिक्मत सिखाता है, यक़ीनन वो इससे पहले खुली गुमराही में थे।' (सूरह जुमुअह 62 : 2) वैसे तो तमाम अरकाने इस्लाम तज़्किय-ए-नुफ़ुस का ज़रिया हैं, उनमें से ज़कात बतौरे ख़ास इस मक़सद के लिये मुक़र्रर की गई है। क़ुरआन मजीद में सदक़ात और अल्लाह की राह में माल देने को तज़्किये का ज़रिया बताया गया है। रसूलुल्लाह(ﷺ) से कहा गया, 'उनके मालों में से सदक़ा (ज़कात) लें, उसके ज़रिये से उन्हें पाक करें, उन्हें साफ़-सुथरा करें और उनको दुआ दें।' (सूरह तौबा 9 : 103) अपना तज़्किया अल्लाह की राह में माल देकर किया जा सकता है, इरशादे बारी तआला है, 'जो अपना माल देता है पाक होने के लिये।' (सूरह लैल 92 : 18) इमाम इब्ने तैमिया (रह.) फ़रमाते हैं, सदक़ा देने वाला ख़ुद भी पाक होता है और उसका माल भी पाक होता है.....। (मज्मूअ फ़तावा लिइब्ने तैमिया 25/8)

इसके मक़ासिद में से एक मवासात भी है। बुनियादी उसूल ये है, 'उनके मालदारों से लिया जाये और उनके फ़क़ीरों पर लौटाया जाये।' इस लिहाज़ से ज़कात की सहीह अदायगी उम्मत की इज्तिमाइय्यत और यकजहती की ज़ामिन है।

इस्लाम ने ज़कात बुनियादी तौर पर उन्ही मालों में मुक़र्रर की है जिनमें बढ़ोतरी होती है। यानी मवेशी, खेतीबाड़ी, माले तिजारत और नक़दी जिनमें बाक़ी तमाम अम्वाल की क़द्र महफ़ूज़ रखी जा सकती है।

ये भी इस्लाम की रहमत का मज़हर है कि ज़कात का एक निसाब मुक़र्रर किया गया है। मक़सूद ये है कि जिन लोगों के पास बुनियादी ज़रूरतों की तक्मील के बाद कुछ ज़्यादा हो, उनसे ज़कात वसूल की जाये। जिनके पास बुनियादी ज़रूरतों के लिये भी माल न हो या कम हो उनको छूट दी जाये बल्कि उनकी मदद की जाये। जदीद मआशियात ने टैक्स के हवाले से बुनियादी छूट का तसव्वुर निसाबे ज़कात ही से लिया है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बहुत आसान और जामेअ लफ़्ज़ों में बहुत ख़ूबसूरती के साथ इस निसाब को यूँ बयान फ़रमाया, 'पाँच वसक़ से कम में सदक़ा नहीं और न पाँच ऊँटों से कम में सदक़ा है और न पाँच औक़िया से कम चाँदी में सदक़ा है।' और आप (ﷺ) ने अपनी पाँचों उंगलियों से इशारा किया।

यही किताबुज़्ज़कात में इमाम मुस्लिम (रह.) की लाई हुई पहली हदीस़ है।

वसक़ : मापने का पैमाना है, ग़ल्ला, ख़ुश्क खजूरें, किशमिश वग़ैरह का लेन-देन वसक़ से मापकर होता था। पानी और दूसरी माएअ (लिक्विड) चीज़ों को भी इसी पैमाने से मापा जाता था। एक वसक़ साठ साअ का होता है। इस बारे में अगरचे इब्ने माजह, अबू दाऊद और नसाई में मरफ़ूअ हदीसें भी मौजूद हैं लेकिन वो सबकी सब ज़ईफ़ हैं। (अत्तल्ख़ीसुल हबीर लिइब्ने हजर 2/169, 841-842)

इस हवाले से ऐतिमाद इस बात पर है कि इस मिक़्दार पर इज्माअ है। (मज्मूअ फ़तावा लिइब्ने तैमिया : 5/447)

साअ की मिक़्दार पर अल्बत्ता अहले कूफ़ा और अहले हिजाज़ या यूँ कह लीजिये बाक़ी तमाम अइम्मा (मालिक, शाफ़ेई, अहमद) के दरम्यान इख़्तिलाफ़ है। हिजाज़ में ज़रई अज्नास के लेन-देन का नुमायाँ मर्कज़ मदीना था। उनका साअ ही हिजाज़ी साअ कहलाता था। कूफ़ा में हज्जाज बिन यूसुफ़ ने जो साअ मुतआरफ़ करवाया था वो हिजाज़ी साअ से निस्बतन बड़ा था, उसे साअे इराक़ी या साअे हिजाजी कहा जाता था।

अहले कूफ़ा एक साअ को वज़न में 8 रतल के बराबर क़रार देते हैं जबकि अहले हिजाज़ 5.3 रतल के बराबर।

इमाम अबू यूसुफ़ और कई दूसरे अहले कूफ़ा ने हज के मौक़े पर ज़ियारते मदीना के दौरान में जब पता लगाना चाहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का साअ कितना था तो कसीर तादाद में मुहाजिरीन और अन्सार के बेटों ने अपने-अपने घरों से अपने ख़ानदानी साअ, जो सहाबा इस्तेमाल करते रहे थे, लाकर

दिखाये। इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) ने कहा, मैंने इनकी मिक़्दार जाँची तो वो सब आपस में मसावी और 5.3 रतल के बराबर थे। मैंने बहुत पुख़्ता बात देखी तो मैंने साअ के बारे में अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल छोड़ दिया और अहले मदीना का क़ौल ले लिया। (सुननुल कुबरा लिल्बैहक़ी : 4/171, सुनन दार क़ुतनी : 2/150, हदीस नम्बर : 2105, तबाअत दारुल कुतुबिल इल्मिया ... इमाम शोकानी रह. इसकी सनद को जय्यिद क़रार देते हैं।)

जदीद मुहक़्क़िक़ीन ने आज-कल के हिसाब से साअ का वज़न मालूम किया तो वो उनके ख़्याल के मुताबिक़ 2176 ग्राम बनता है। (फ़िक़्हुज़्ज़कात लिद्दुक्तूर यूसुफ़ अल्क़रज़ावी : 1/372)

गन्दुम के पाँच वसक़ 653 किलोग्राम बनते हैं। (फ़िक़्हुज़्ज़कात, लिद्दुक्तूर यूसुफ़ अल्क़रज़ावी : 1/373)

एक औक़िया में चालीस दिरहम होते हैं। एक दिरहम का वज़न जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक़ 2.975 ग्रमा बनता है। इस तरह एक औक़िया का वज़न एक सौ उन्नीस ग्राम और पाँच औक़िया चाँदी का वज़न पाँच सौ पचान्वे ग्राम बनता है। इसके तोले बनाये जायें तो तक़रीबन 51 तोले बनते हैं। साबिक़ा अन्दाज़ा साढ़े बावन तोले चाँदी का था जो इस मिक़्दार के क़रीब ही था।

सोने के निसाबे ज़कात का तज़्किरा सहीहैन की अहादीस में नहीं। इमाम अबू दाऊद ने हज़रत अली (रज़ि.) के हवाले से हदीस बयान की है उसके अल्फ़ाज़ हैं, 'तुम पर कोई चीज़ (बतौरे ज़कात अदा करना) फ़र्ज़ नहीं, यानी सोने में जब तक तुम्हारे पास (कम से कम) बीस दीनार न हों, जब तुम्हारे पास बीस दीनार हों और उन पर साल गुज़र जाये तो उनमें आधा दीनार (ज़कात) है, जो उससे ज़्यादा होगा वो उसी हिसाब के मुताबिक़ (गिना जायेगा) होगा।' (सुनन अबी दाऊद, किताबुज़्ज़कात, बाब फ़ी ज़कातिस्साइमह : 1573) क़ाज़ी अयाज़ (रह.) कहते हैं, सोने के निसाब पर इज्माअ है।

सोने के दीनार में चौबीस क़ीरात होते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में रोमी और ईरानी दीनार इस्तेमाल होते थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ज़कात के निसाब को पेशे नज़र रखते हुए, अहले इल्म के इत्तिफ़ाक़ से जो दीनार ढाले और जिनके मुताबिक़ सदियों तक दीनार ढाले जाते रहे वो दीनार मिल भी चुके हैं। उन दीनारों के वज़न के मुताबिक़ सोने की ज़कात का निसाब 85 ग्राम बनता है। ये बर्रे सग़ीर हिन्दो-पाक में सोने के निसाब का जो हिसाब लगाया गया था वो साढ़े सात तोला था, इसके सत्तासी ग्राम बनते हैं। यानी सिर्फ़ दो ग्राम ज़्यादा। तक़रीबन पूरे आलमे इस्लाम का 85 ग्राम पर इत्तिफ़ाक़ है।

नक़दी : रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने मुबारक में सोना-चाँदी या उनके ढले हुए सिक्के बतौरे नक़दी इस्तेमाल होते थे। उलमाए उम्मत का इज्माअ है कि करेन्सी को इन्ही पर क़ियास किया जायेगा। मग़्रिबी इस्तिअमार के ग़ल्बे के बाद दुनिया में काग़ज़ की करेन्सी रिवाज में आई। हर मुल्क ऐसी करेन्सी सोने या

चाँदी की बुनियाद पर जारी करता था। (ख़ज़ाने में करेन्सी के मवासी या एक ख़ास तनासुब से सोना या चाँदी का मौजूद होना ज़रूरी था) कुछ अर्से बाद ये बुनियाद भी ख़त्म हो गई। अब करेन्सी की बुनियाद न सोने पर है न चाँदी पर। अब लोगों के पास मौजूदा करेन्सी पर ज़कात का निसाब क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं उसे चाँदी और सोने दोनों का निसाब क़ीमत या मालियत के ऐतिबार से मसावी था लेकिन बाद में चाँदी अपनी क़ीमत बरक़रार न रख सकी। बाक़ी चीज़ें जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है जैसे, भेड़, बकरियाँ या ऊँट वग़ैरह इनकी मालियत के साथ चाँदी के निसाब की मालियत कोई मुताबिक़त नहीं रखती। साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत में पाँच-छः से ज़्यादा बकरियाँ नहीं ख़रीदी जा सकतीं। दूसरी तरफ़ सोने की क़ीमत भी ग़ैर मुतनासिब तरीक़े पर ज़्यादा हो रही है। अब करेन्सी की ज़कात का मसला इन्तिहाई सन्जीदा ग़ौर व फ़िक्र का मुतक़ाज़ी है।

इमाम क़ुर्तुबी (रह.) ने अबू उबैद क़ासिम बिन सल्लाम (रह.) के हवाले से लिखा है कि इस्लाम के शुरूआती दौर में ईरानी और रोमी दोनों क़िस्मों के दिरहम मुतदाविल थे। एक दूसरे का आधा था। एक का वज़न आठ दानक़ था और दूसरे का चार दानक़। लोग दोनों को मसावी तौर पर मिलाकर यानी आधे बड़े और आधे छोटे दराहिम से अपने मामलात तय किया करते थे। इस्लाम आया तो लोगों ने ज़कात की अदायगी के लिये यही तरीक़ा इख़्तियार किया। वो सौ ईरानी और सौ रोमी दिरहमों को मिलाकर उनसे ज़कात के निसाब का तअयीन करते। दोनों को मसावी तादाद में मिलाने से पाँच औक़िया चाँदी का निसाब पूरा हो जाता, इसी तरह ज़कात अदा की जाती। अब्दुल मलिक ने जब अपने दिरहम ढलवाने का इरादा किया तो तमाम अहले इल्म को जमा किया। उन्होंने दिरहम का वज़न, दोनों दिरहमों की औसत, यानी 4+8 दानक़ का निस्फ़ 6 दानक़ मुक़र्रर किया। इस तरह से दो सौ दिरहमों में पाँच औक़िया चाँदी पूरी हो जाती थी।

अगर सोने की क़ीमतें इसी तरह ग़ैर मुतनासिब अन्दाज़ में बढ़ती रहीं तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि करेन्सी के लिये चाँदी के निसाब की मालियत का निस्फ़ सोने के निसाब की मालियत का निस्फ़ मिलाकर मिक़्दारे निसाब मुतअय्यन कर ली जाये? उसके लिये पूरे आलमे इस्लाम के हवाले से अहले इल्म का इज्माअ हासिल करना नागुज़ीर होगा। फ़िल्हाल यही मुनासिब है कि जब तक सोने के निसाब और चाँदी को छोड़कर बाक़ी चीज़ों के निसाब की क़ीमतें क़रीब-क़रीब रहती हैं सोने के निसाब को करेन्सी के निसाब की बुनियाद बनाया जाये।

किताबुज़्ज़कात में इमाम मुस्लिम (रह.) ने जिस तर्तीब से अहादीस़ बयान की हैं उसके बारे में इमाम इब्ने तैमिया (रह.) फ़रमाते हैं, इमाम मुस्लिम (रह.) ने इमाम मालिक (रह.) की मोत्ता की तरह अपने सहीह में सेहत के आला तरीन मैयार पर अहादीस़ तर्तीब दी हैं। उन्होंने पहले चाँदी का निसाब ज़िक्र किया है, फिर ऊँटों का, फिर अज्नासे ख़ुर्दनी और ख़ुश्क फलों का, फिर मवेशी और दीगर

अशिया का, फिर ये कि एक साल गुज़रना ज़रूरी है, उस ग़र्ज़ से हज़रात अबू बकर, उमर और इब्ने उमर (रज़ि.) के हवाले से रिवायतें बयान कीं। इसमें अगरचे हज़रत मुआविया और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इख़्तिलाफ़ करते हैं लेकिन दो ख़ुलफ़ाए राशिदीन ने जो किया है वो इसलिये राजेह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फ़रमाया, 'तुम मेरी सुन्नत और मेरे बाद हिदायतयाफ़्ता ख़ुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाज़िम पकड़ो।' (शरह मुश्किलुल आसार : 3/223, हदीस नम्बर : 1186, नीज़ देखिये : सुनन इब्ने माजह : 42-43, सुनन अबी दाऊद : 4607-4608) और ये भी फ़रमाया, 'अगर वो अबू बकर और उमर (रज़ि.) की इताअत करें तो रहनुमाई पायेंगे।' (सहीह मुस्लिम : 681) उसके बाद इमाम मुस्लिम (रह.) ने सोने की ज़कात का ज़िक्र किया है क्योंकि इसकी दलील की कुव्वत निस्बतन कम है, फिर उन चीज़ों का ज़िक्र किया है जिनमें ज़कात फ़र्ज़ की गई है। इस हवाले से कुरआन की आयतें और हदीसें बयान की हैं। इनमें बेहतरीन हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायत और ज़कात के बारे में आपका मक्तूब है। उनके बाद वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से रिवायत लाये हैं। (मज्मूअ फ़तावा लिइब्ने तैमिया : 25/9)

كتاب الزكاة

ज़कात के अहकाम व मसाइल

بَاب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

बाब 1 : पाँच वसक़ से कम में सदक़ा नहीं

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ "

(2263) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत की नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच वसक़ से कम (ग़ल्ले या खजूर) में सदक़ा (ज़कात) नहीं और न पाँच से कम ऊँटों में सदक़ा है और न ही पाँच औक़िया से कम (चाँदी) में सदक़ा है।'

(सहीह बुख़ारी : 1405, 1447, अबू दाऊद : 1558, तिर्मिज़ी : 646, 647, नसाई : 5/36, 5/37, 5/39, 5/40, 40/58, 1793)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(2264) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से भी मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं।

(2265) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप हाथ की पाँच उंगलियों से इशारा करके फ़रमा रहे थे, फिर पहली हदीस़ की तरह हदीस़ बयान की।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ، يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . وَأَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

(2266) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच वसक़ से कम में ज़कात नहीं है और पाँच से कम ऊँटों में ज़कात नहीं है और पाँच औक़िया से कम में ज़कात नहीं है।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " .

(2267) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच वसक़ से कम खजूरों और ग़ल्ले में ज़कात नहीं है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ " .

(2268) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ग़ल्ले और खजूरों में ज़कात नहीं है यहाँ तक कि वो पाँच वसक़ को पहुँच जायें और न पाँच से कम ऊँटों में ज़कात है और न पाँच से कम औक़िया चाँदी में ज़कात है।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" .

(2269) इमाम साहब ने अपने एक और उस्ताद से ऊपर वाली रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ .

(2270) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उसमें तमर खजूर की जगह समर फल का लफ़्ज़ है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ -بَدَلَ التَّمْرِ - ثَمَرٍ .

(2271) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच औक़िया से कम चाँदी में सदक़ा नहीं है और पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है और पाँच वसक़ से कम खजूरों में सदक़ा नहीं है।'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ " .

फ़वाइद : (1) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) और हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत में ग़ल्ला और फलों का निसाब पाँच वसक़ बयान किया गया है कि अगर ग़ल्ला या फल पाँच वसक़ से कम हों तो उनमें सदक़ा (ज़कात) फ़र्ज़ नहीं है, अगर कोई अपनी ख़ुशी से नफ़ली तौर पर सदक़ा अदा करे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इन दोनों सहाबा की इन रिवायात में ये बयान नहीं है कि सदक़ा (ज़कात) किस मिक़्दार में यानी कितना निकालना होगा। अगले बाब के तहत जो हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत आ रही है उसमें निकाले जाने वाली मिक़्दार का ज़िक्र मौजूद है और इस रिवायत में निसाब का तज़्किरा नहीं है। **(2)** जुम्हूर उम्मत का जिसमें इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (रह.) दाख़िल हैं। इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि पाँच वसक़ से कम ग़ल्ला और फलों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक इसके लिये कोई निसाब मुक़र्रर नहीं है, जिस क़द्र ग़ल्ला या फल या सब्ज़ियाँ ज़मीन से बरामद होंगी, कम हों या ज़्यादा, हर सूरत में उससे दसवाँ-बीसवाँ हिस्सा निकालना होगा। पैदावार की मिक़्दार दस सेर हो या दस मन या उससे कमो-बेश, मगर ये क़ौल सरीह हदीस़ के ख़िलाफ़ है। **(3)** औसक़ और औसाक़, वसक़ की जमा है और एक वसक़ में बिल्इत्तिफ़ाक़ साठ साअ होते हैं, इस तरह पाँच वसक़ में तीन सौ साअ हुए और एक साअ में 4 मुद होते हैं यानी इंसान अपने दोनों हाथों को मिलाकर फैलाये तो उसमें जिस क़द्र ग़ल्ला या फल आयेगा, वो मुद के बराबर होगा। लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ है कि एक मुद में किस क़द्र रतल ग़ल्ला या फल आता है। ज़ाहिर है साअ, रतल, मुद पैमाइश (माप) है वज़न नहीं और उन वसाइल या आलात केल में जो चीज़ डाली जायेगी। उसके भारी या हल्के होने की बिना पर उनके वज़न में इख़्तिलाफ़ यक़ीनन पैदा होगा। अहनाफ़ के नज़दीक चूंकि एक मुद में दो रतल होते हैं, इसलिये एक साअ में आठ रतल होंगी, बाक़ी अइम्मा और उम्मत के नज़दीक एक 3/1/1 रतल का होता है और चार मुद में 3/1/5 रतल आते हैं, इसलिये पाँच वसक़ की मिक़्दार में इख़्तिलाफ़ होगा और इस इख़्तिलाफ़ की ज़द सदक़तुल फ़ित्र पर पड़ेगी और ज़कात का निसाब भी मुतास्सिर होगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ज़कात के लिये तो निसाब ही नहीं है) बहरहाल, साअ के वज़न में इख़्तिलाफ़ है। अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी ने तहक़ीक़ात की रोशनी में इसका वज़न 2176 ग्राम निकाला है। जबकि आम तौर पर अहले हदीस़ इसका वज़न 2 सेर 10 छटांक तीन तोला और चार माशा बनाते आये हैं क्योंकि एक रतल का वज़न तक़रीबन आठ छटांक बनता है, लेकिन आज-कल कुछ अहले हदीस़ उलमा ने वज़न सवा दो सेर बनाया है। इस ऐतिबार से पाँच वसक़ का वज़न 16 मन 35 किलो होगा। क्योंकि एक वसक़ का वज़न 135 सेर होगा,

जबकि अक्सर उलमा के नज़दीक पाँच वसक़ का वज़न बीस मन ग़ल्ला बनता है और अल्लामा क़रज़ावी की तहक़ीक़ के मुताबिक़ 653 किलोग्राम यानी 16 मन तेरह किलोग्राम होगा और ये वज़न गन्दुम के ऐतिबार से है और अहनाफ़ के मुताबिक़ तीस या बत्तीस मन होगा। **(4)** पाँच औक़िया चाँदी पर बिल्इत्तिफ़ाक़ ज़कात फ़र्ज़ है और एक औक़िया में चालीस दिरहम होते हैं, इस तरह पाँच औक़िया में दो सौ दिरहम होंगे। इन पर बिल्इत्तिफ़ाक़ ज़कात फ़र्ज़ है और इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि दस दिरहम का वज़न सात मिस्क़ाल के बराबर है और एक मिस्क़ाल 2/1/4 माशा के बराबर होता है। इस तरह चाँदी का वज़न बिल्इत्तिफ़ाक़ साढ़े 52/2/1 तोला है। अल्लामा क़रज़ावी ने जदीद तहक़ीक़ की रोशनी में मिस्क़ाल का वज़न 4/1/4 ग्राम बनाया है। इस तरह दो सौ दिरहम में एक सौ चालीस मिस्क़ाल होंगे और उनका वज़न पाँच सौ पचान्वे ग्राम बनेगा। (ख़्याल रहे पैंतीस ग्राम वज़न तीन तोला के बराबर है) सोने का वज़न अब तक साढ़े सात तोला बनाते रहे हैं जो साढ़े सतासी 87 ग्राम बनता है क्योंकि सोने का वज़न बीस मिस्क़ाल है और अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी की तहक़ीक़ के मुताबिक़ इसका वज़न पचासी 85 ग्राम होगा। क्योंकि उनके नज़दीक मिस्क़ाल का वज़न 4/1/4 ग्राम है। जबकि पहले इसका वज़न 4/1/2 माशा बताया जाता था।

बाब 2 : दसवाँ और बीसवाँ हिस्सा किस चीज़ में से होगा?

باب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

(2272) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिन ज़मीनों को दरिया का पानी या बारिश का पानी सैराब करे, उनमें उ़श्र (दसवाँ हिस्सा) है और जिन ज़मीनों को ऊँटों से सैराब किया जाये उनमें निस्फ़े उ़श्र (बीसवाँ हिस्सा) है।'

(अबू दाऊद : 1597, नसाई : 5/42)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ، عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अन्हार : नहर की जमा है नहर यानी दरिया का पानी। **(2) ग़ैम :** बादल, बारिश मुराद है। **(3) उ़शूर :** अ़शर की जमा है दसवाँ हिस्सा। **(4) सानियह :** ऊँट जिससे कुँआँ से पानी निकालकर सैराब किया जाता है।

फ़ायदा : हदीस का मतलब ये है कि वो पानी जो क़ुदरती है, उसको ख़ुद ज़मीन से निकालना नहीं पड़ता, उस पर दसवाँ हिस्सा है। लेकिन इस सूरत में जब पैदावार निसाब यानी पाँच वसक़ या उससे ज़्यादा हो और अगर पानी ख़ुद ज़मीन से निकाला जाये तो चूंकि उस पर मेहनत व मशक़्क़त ज़्यादा करनी पड़ती है इसलिये उस पर बीसवाँ हिस्सा है।

बाब 3 : मुसलमान पर उसके ग़ुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं है

باب لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

(2273) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमान पर उसके ग़ुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 1463, 1464, अबू दाऊद : 1594, 1595, तिर्मिज़ी : 628, नसाई : 5/35, 36, 5/36, इब्ने माजह : 1812)

(2274) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमान पर उसके ग़ुलाम में ज़कात नहीं है और न ही घोड़े पर ज़कात है।'

(2275) मुसन्निफ़ ने अपने कई दूसरे उस्तादों से भी अबू हुरैरह (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - قَالَ عَمْرٌو - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ بِهِ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ،

عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ " .

(2276) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'गुलाम पर सिर्फ़ सदक़तुल फ़ित्र लाज़िम है।'

फ़ायदा : जुम्हूर उलमाए सलफ़ के नज़दीक अपने घर की ज़रूरियात के लिये रखे गये, गुलाम और घोड़े पर ज़कात नहीं है। अगर तिजारत के लिये हों तो फिर ज़ाहिरिया के सिवा, सबके नज़दीक उनकी रक़म पर सदक़ा है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक घोड़ों पर ज़कात है, अगर नसल कशी के लिये नर और मादा दोनों हों, तो हर एक पर सालाना एक दीनार (4/1/2 माशा सोना) है और सिर्फ़ एक जिन्स हो, तो क़ीमत पर ढाई फ़ीसद के हिसाब से ज़कात दे या हर एक पर एक दीनार या दस दिरहम ज़कात दे।

باب فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

बाब 4 : वक़्त से पहले ज़कात देना और ज़कात की अदायगी रोक लेना

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ

(2277) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को ज़कात की वसूली के लिये भेजा। आपको बताया गया, इब्ने जमील, ख़ालिद बिन वलीद और रसूलुल्लाह (ﷺ) के चाचा अब्बास (रज़ि.) ने ज़कात नहीं दी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इब्ने जमील को तो सिर्फ़ ये गुस्सा है कि वो मोहताज था, अल्लाह तआला ने (एहसान फ़रमाते हुए) उसे बेनियाज़ कर दिया (अमीर बना दिया)

فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا " . ثُمَّ قَالَ " يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ " .

रहा ख़ालिद तो तुम उस पर ज़्यादती कर रहे हो, उसने अपनी ज़िरहें और हथियार (जंगी साज़ो-सामान) अल्लाह की राह में रोके रखा है (जिहाद के लिये वक़्फ़ कर डाला है) बाक़ी रहे अब्बास तो उसकी ज़कात मेरे ज़िम्मे है और इतनी उसके साथ और भी।' फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ ड़मर! क्या तुम्हें मालूम नहीं, इंसान का चाचा उसके बाप की मिस्ल होता है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मा यन्क़िमुब्नु जमील : अरबी बलाग़त की रू से इसको मज़म्मत बिमा युश्बिहुल मदह का नाम दिया जाता है कि ये अल्लाह तआला के शुक्रगुज़ार होने की बजाय, उसने नाक़द्री की, गोया कि उसको ये गुस्सा हुआ कि मुझे मालदार क्यों कर दिया। **(2) अअ़्ताद :** इ़ताद की जमा है मुराद जंगी आलात हैं, वो हथियार हों या घोड़े वग़ैरह। **(3) सिन्वुन :** जड़, खजूर के दो दरख़्त जिस जड़ से निकलते हैं, उसको सिन्वान कहते हैं।

फ़वाइद : (1) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) के ज़कात रोकने की अलग-अलग वजहें बयान की जाती हैं। (1) ज़कात की वसूली करने वालों ने उनके जंगी हथियार को तिजारत का माल समझकर मुताल्बा किया था, तो आप (ﷺ) ने उन्हें बता दिया कि वो तो फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ हैं। तुम उनसे ज़कात का मुताल्बा क्यों करते हो। (2) उन्होंने ज़कात के माल को मुजाहिदीन के लिये आलात व अस्लहा ख़रीदने पर सर्फ़ कर दिया था। (3) जिसने इस क़द्र माल फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ कर रखा है अगर उसके ज़िम्मे ज़कात होती तो वो क्यों न देता। इसलिये तुम्हारा ये कहना उसने ज़कात रोक ली है, उस पर ज़्यादती है। **(2)** हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) के ज़कात न देने की अलग-अलग वजहें बयान की गई हैं : (1) पहली वजह तो यही है जो तर्जुमतुल बाब में इख़्तियार की गई है कि उनसे नबी (ﷺ) ने दो साल की ज़कात पहले वसूल कर ली थी, लेकिन जिन रिवायतों के सहारे ये बात कही गई है, वो सब ज़ईफ़ हैं। (2) इससे दो साल की ज़कात के बराबर क़र्ज़ लिया था, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, उसको ज़कात में शुमार कर लेंगे। (3) आपने उनकी ज़कात अपने ज़िम्मे ले ली कि वो मेरा चाचा है और बाप की तरह है, इसलिये मैं उनकी तरफ़ से अदा करूँगा। (4) आपने फ़रमाया, 'हम उनसे दो साल का सदक़ा वसूल करेंगे और उनसे ये तअ़न और इल्ज़ाम दूर कर देंगे कि उसने ज़कात नहीं दी। (5) हम इसको एक साल की मोहलत देते हैं, अगले साल दो सालों की इकट्ठी ज़कात वसूल कर लेंगे। अक्सर उ़लमाए उम्मत के नज़दीक वक़्त से पहले ज़कात मालिक अपनी मर्ज़ी से अदा कर सकता है, लेकिन कुछ अहले इ़ल्म के नज़दीक ये जाइज़ नहीं है।

बाब 5 : सदक़-ए-फ़ित्र मुसलमान खजूर और जौ से अदा कर सकते हैं

باب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

(2278) इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों पर रमज़ान के सबब हर आज़ाद, ग़ुलाम, मुज़क्कर और मुअन्नस पर एक साअ खजूर या एक साअ जौ सदक़-ए-फ़ित्र (फ़ित्राना) मुक़र्रर किया, बशर्तेकि वो मुसलमान हो।

(सहीह बुख़ारी : 1504, अबू दाऊद : 1611, तिर्मिज़ी : 676, नसाई : 5/48, इब्ने माजह : 1826)

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ

(2279) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़-ए-फ़ित्र, हर ग़ुलाम और आज़ाद पर और छोटे और बड़े पर एक साअ खजूर या एक साअ जो मुक़र्रर फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

(2280) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान की ज़कात आज़ाद, और ग़ुलाम, मुज़क्कर और मुअन्नस पर खजूर का एक साअ या जौ का एक साअ मुक़र्रर की और लोगों ने गन्दुम के निस्फ़ साअ को उन (तमर, जौ) एक साअ के मसावी क़रार दे दिया। (सहीह बुख़ारी : 1511, अबूदाऊद: 1615, तिर्मिज़ी:675, नसाई:5/47, 7510)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

(2281) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़काते फ़ित्र का हुक्म दिया, खजूरों से एक साअ़ या जौ का एक साअ़। इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने गन्दुम के दो मुद उनके एक साअ़ के बराबर क़रार दे लिये।

(सहीह बुख़ारी : 1507, इब्ने माजह : 1825)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

(2282) अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान के सबब, हर मुसलमान जान पर आज़ाद हो या ग़ुलाम, मर्द हो या औ़रत, छोटा हो या बड़ा, खजूरों से एक साअ़ जौ से एक साअ़ फ़ित्राना लाज़िम ठहराया।

फ़वाइद : **(1)** रमज़ान 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इसी साल फ़ित्राना ज़रूरी ठहराया गया। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज़ है और अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है। इमाम मालिक के दूसरे क़ौल के मुताबिक़ सुन्नते मुअक्कदा है। इमाम मालिक के एक क़ौल, इमाम शाफ़ई का क़ौले जदीद और इमाम अहमद के नज़दीक सदक़तुल फ़ित्र ईद की रात को ग़ुरूबे शम्स के वक़्त फ़र्ज़ होता है और इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम लैस़, इमाम शाफ़ेई (रह.) क़ौले क़दीम और इमाम मालिक (रह.) के दूसरे क़ौल के मुताबिक़ ईद के दिन, तुलूअ़े फ़ज्र के वक़्त फ़र्ज़ होता है यानी उस वक़्त मौजूद तमाम अफ़राद पर लागू होगा। **(2)** सदक़तुल फ़ित्र तमाम मुसलमान अफ़राद पर फ़र्ज़ है, उसमें छोटे-बड़े, आज़ाद-ग़ुलाम और मर्द व औ़रत में कोई इम्तियाज़ (फ़र्क़) नहीं है और ये ईदुल फ़ित्र से पहले अदा करना होगा। इमाम मालिक और इमाम अहमद (रह.) का मौक़िफ़ यही है। इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक फ़ित्राना उस शख़्स पर फ़र्ज़ है जो ईद के दिन और उसके एक दिन बाद के लिये भी अपने अहलो-अयाल के लिये खाने-पीने का सामान रखता हो और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक उस पर वाजिब है जो ईद के दिन साहिबे निसाब हो यानी उस पर ज़कात

फ़र्ज़ हो। (3) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक औरत का फ़ित्राना ख़ाविन्द के ज़िम्मे और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक औरत अपना फ़ित्राना ख़ुद अदा करेगी। (4) जुम्हूर उम्मत के नज़दीक गुलाम का फ़ित्राना मालिक के ज़िम्मे है बशर्तेकि वो मुसलमान हो। (5) गन्दुम और अंगूरों के सिवा, हर जिन्स से बिल्इत्तिफ़ाक़ एक साअ फ़ित्राना अदा करना होगा और जुम्हूर उम्मत के नज़दीक गन्दुम और अंगूरों से भी एक साअ अदा करना होगा, क्योंकि आप(ﷺ) के दौर में हर जिन्स से एक साअ अदा किया जाता था। हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने गन्दुम के बिदेसी और महंगी होने के सबब उसका आधा साअ मुक़र्रर किया था। जिसका मतलब ये हुआ अगर हम ऐसी जिन्स से फ़ित्राना अदा करें जो हम बाहर से मँगवाते हैं और हमारी मुल्की पैदावार के मुक़ाबले में वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। जैसे खजूर और अंगूर तो हम निस्फ़ साअ अदा कर सकते हैं। अगरचे बेहतर सूरत यही है कि हम हर जिन्स से साअ ही अदा करें जैसाकि आगे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की हदीस़ आ रही है लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक गन्दुम और मुनक़्क़ा का निस्फ़ साअ अदा करना होगा।

(2283) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम ज़काते फ़ित्र, तआम (ख़ुराक) से एक साअ या जौ से एक साअ या खजूरों से एक साअ या पनीर से एक साअ या मुनक़्क़ा का एक साअ निकालते थे।

(सहीह बुख़ारी : 1506, 1508, 1510, 1505, अबू दाऊद : 1616, 1617, 1618, तिर्मिज़ी : 673, नसाई : 5/51, 5/52, 5/53, इब्ने माजह : 1829)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .

(2284) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) की मौजूदगी में ज़काते फ़ित्र हर छोटे-बड़े, आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ़ से एक साअ तआम से या पनीर से या जौ से या एक साअ खजूरों से या एक साअ किशमिश से निकालते थे और हम इस तरीक़े के मुताबिक़ निकालते रहे यहाँ तक कि हमारे पास अमीर

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ

طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ .

मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) हज या उमरह के लिये तशरीफ़ लाये और मिम्बर पर लोगों को ख़िताब किया और लोगों से जो ख़िताब फ़रमाया उसमें ये भी कहा कि मैं ये समझता हूँ कि शाम से आने वाली गन्दुम के दो मुद (निस्फ़ साअ) खजूरों के एक साअ के बराबर हैं। तो लोगों ने इस क़ौल को अपना लिया। (इस पर अमल करना शुरू कर दिया) अबू सईद (रज़ि.) फ़रमाते हैं, मैं तो बहरहाल अपनी पूरी ज़िन्दगी इसी पर अमल करता रहूँगा। यानी हमेशा पहले की तरह एक साअ निकालता रहूँगा (क़ियास पर अमल नहीं करूँगा)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ .

(2285) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें मौजूद थे फ़ित्राना हर छोटे-बड़े और आज़ाद-गुलाम की तरफ़ से तीन जिन्सों से निकालते थे। खजूरों से एक साअ, पनीर से एक साअ, जौ का एक साअ। हम हमेशा उसके मुताबिक़ निकालते रहे यहाँ तक कि अमीर मुआविया का दौर आ गया। उन्होंने ख़याल किया कि गन्दुम के दो मुद (दो बक) खजूरों के एक साअ के बराबर हैं। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, मैं तो पहले तरीक़े के मुताबिक़ ही निकालता रहूँगा।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ الأَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ .

(2286) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हम फ़ित्राना तीन जिन्सों से निकाला करते थे पनीर, खजूर और जौ।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لاَ أُخْرِجُ فِيهَا إِلاَّ الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

(2287) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि जब मुआविया (रज़ि.) ने गन्दुम के आधे साअ को खजूरों के साअ के बराबर क़रार दिया अबू सईद ने इससे इंकार किया और कहा, मैं फ़ित्राना में वही चीज़ निकालता रहूँगा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में निकाला करता था, खजूरों का एक साअ या मुनक़्क़ा का एक साअ या जौ का एक साअ या पनीर से एक साअ।

بَابُ الأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

बाब 6 : फ़ित्राना नमाज़े ईद से पहले निकालने का हुक्म

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ .

(2288) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़काते फ़ित्र के बारे में ये हुक्म दिया कि इसे लोगों के नमाज़ के लिये निकलने से पहले अदा किया जाये।

(सहीह बुख़ारी : 1509, अबू दाऊद : 1610, तिर्मिज़ी : 677, नसाई : 5/54)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ .

(2289) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ितराना निकालने के बारे में ये हुक्म दिया कि इसे लोगों के ईद के लिये निकलने से पहले अदा किया जाये।

फ़ायदा : सदक़तुल फ़ित्र का ईद की नमाज़ से पहले निकालना ज़रूरी है अगर बाद में अदा करेगा तो वो सदक़तुल फ़ित्र नहीं होगा और आपके तरीक़े का तक़ाज़ा यही है कि हर जिन्स से एक साअ़ सदक़-ए-फ़ित्र अदा किया जाये।

باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

बाब 7 : ज़कात न देने वाले का गुनाह

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ

(2290) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो भी सोने और चाँदी का मालिक, उनमें से उनका हक़ (ज़कात) अदा नहीं करता, तो जब क़यामत का दिन होगा उसके लिये आग से परत (सलेटें, तख़्तियाँ और पतरे) बनाये जायेंगे और उन्हें जहन्नम की आग में तपाया जायेगा और फिर उनसे उसके पहलू, उसकी पेशानी और उसकी पुश्त को दाग़ा जायेगा, जब भी वो (परत, तख़्तियाँ) ठण्डी हो जायेंगी, उसके लिये उन्हें दोबारा आग में तपाया जायेगा। उस दिन में ये अ़मल मुसलसल होगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल है। यहाँ तक कि बन्दों के दरम्यान फ़ैसला कर दिया जायेगा। फिर वो अपना रास्ता, जन्नत या दोज़ख़ की तरफ़ देख लेगा या उसे उनका रास्ता दिखाया जायेगा।' आप (ﷺ) से पूछा

مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ قَالَ " وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ " وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ

गया, ऐ अल्लाह के रसूल! ऊँटों का क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया, 'और ऊँटों का मालिक भी अगर हक़ अदा नहीं करेगा और उनका हक़ ये भी है कि पानी पिलाने के दिन (जब उन्हें पानी की घाट पर ले जाया जाता है) उनका दूध ज़रूरतमन्दों (ग़रीबों, मिस्कीनों) के लिये वहीं दूहा जाये ताकि उन्हें दूध के हुसूल में कोई दिक़्क़त न हो, तो जब क़यामत का दिन होगा तो उसे (मालिक को) एक खुले चटियल मैदान में उनके (ऊँटों के) सामने बिछाया जायेगा वो ऊँट इस हाल में आयेंगे कि वो इन्तिहाई फ़रबा और मोटे होंगे और वो उनमें से एक टोडा (बच्चा) भी गुम नहीं पायेगा, वो उसे अपने खुरों से रोंदेंगे और अपने मुँहों से उसे काटेंगे, जब उनका पहला ऊँट गुज़रेगा तो उस पर उनका आख़िरी लौटा दिया जायेगा (मक़सद ये कि मुसलसल उस पर गुज़रेंगे, वक़्फ़ा नहीं होगा, आख़िरी गुज़रने पर पहला पहुँच जायेगा) या एक रेवड़ गुज़रने पर दूसरा रेवड़ पहुँच जायेगा। उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार बरस होगी। यहाँ तक के बन्दों के दरम्यान फ़ैसला कर दिया जायेगा। फिर वो अपना रास्ता जन्नत या दोज़ख़ की तरफ़ देख लेगा। आप(ﷺ) से कहा गया, ऐ अल्लाह के रसूल! तो गायों और बकरियों (के मालिकों का) क्या हाल होगा? आपने फ़रमाया, 'और गायों और बकरियों का जो मालिक भी उनका हक़ अदा नहीं करता है, तो जब क़यामत का दिन होगा, उसे उनके सामने वसीअ चटियल मैदान में बिछाया जायेगा

أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ " الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا

(सीधे या उल्टे मुँह लिटाया जायेगा) उनमें से किसी एक को भी गुम नहीं पायेगा। उनमें कोई (गाय या बकरी) न मुड़े सींगों वाली होगी और न बग़ैर सींगों के या टूटे सींगों के, वो उसे अपने सींगों से मारेंगी और अपने खुरों से उसे रौंदेंगी, जब पहला रेवड़ गुज़र जायेगा तो उनका दूसरा रेवड़ लाया जायेगा। पचास हज़ार साल के बराबर दिन में यूंही होता रहेगा, यहाँ तक कि बन्दों के दरम्यान फ़ैसला कर दिया जायेगा। फिर उसे उसका रास्ता जन्नत या दोज़ख़ की तरफ़ दिखाया जायेगा। अ़र्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल! तो घोड़ों (के मालिकों) का क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया, 'घोड़े तीन क़िस्म के हैं। एक वो जो आदमी के लिये बोझ (गुनाह का सबब) हैं। दूसरे वो जो आदमी के लिये सतर हैं (दूसरों से माँगने की ज़िल्लत से बचाते हैं) तीसरे वो हैं जो आदमी के लिये अज्र व सवाब का बाइस हैं। बोझ और गुनाह का बाइस वो घोड़े हैं जिनको मालिक रिया, फ़ख़्र और मुसलमानों की दुश्मनी के लिये बांधता है। दूसरे वो जो उसके लिये पर्दापोशी का बाइस हैं। जो उस आदमी के घोड़े जिन्हें उसने अल्लाह की राह में बांध रखा है फिर उनकी पुश्तों और गर्दनों में अल्लाह तआ़ला के हक़ को नहीं भूला (ज़रूरतमन्दों को आ़रिज़ी तौर पर सवारी के लिये देता है) तो ये उसके लिये सतर हैं (अपनी ज़रूरत के लिये दूसरों से माँगने की ज़िल्लत से बच जाता है) रहे वो घोड़े जो उसके लिये अज्र व सवाब का बाइस हैं तो ऐसे आदमी के घोड़े जिसने उन्हें अल्लाह की राह में

وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ " مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْحُمُرِ شَىْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} " .

अहले इस्लाम की ख़ातिर बांध रखा है किसी चरागाह या बाग़ीचे में तो ये घोड़े उस चरागाह या बाग़ में जो कुछ खायेंगे, तो उसके लिये खाने की चीज़ों की गिनती के बराबर नेकियाँ लिख दी जायेंगी और उनकी लीद और पेशाब की तादाद के बराबर नेकियाँ लिख दी जायेंगी और अगर घोड़े ने अपनी रस्सी तुड़वा कर एक दो टीलों की दौड़ लगाई तो अल्लाह तआला उसके निशाने क़दम और लीद की गिनती के बराबर उसके लिये नेकियाँ लिख देता है और उसका मालिक जब उसे लेकर किसी नहर पर गुज़रता है और वो उससे मालिक के इरादे और ख़्वाहिश के बग़ैर ही पानी पी लेता है, तो अल्लाह तआला मालिक के लिये जिस मिक़्दार में घोड़े ने पानी पिया है उसकी तादाद के बराबर नेकियाँ लिख देता है।' अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल! गधों का क्या हुक्म है? (उनके मालिकों से कैसा सुलूक होगा) आपने फ़रमाया, 'मुझ पर गधों के बारे में इस आयत के सिवा जो यगाना और जामेअ है कोई मुस्तक़िल और मख़्सूस हुक्म नाज़िल नहीं हुआ, 'और जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा उसे (क़यामत के दिन) देख लेगा और जो कोई ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसे देख लेगा।' (सूरह ज़िल्ज़ाल : 7-8)

(सहीह बुख़ारी : 2371, 2860, 3646, 4962, 4963, 7356, नसाई : 6/216)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अस्सफ़ाइह : सफ़ीहा की जमा है पलेट, तख़्ती यानी उसके सोने-चाँदी को सलेट या तख़्ती की तरह चौड़ा किया जायेगा। **(2) मिनन्नार :** वो आग की तरह गर्म होंगी। **(3) बरदत :** उन तख़्तियों की हिद्दत व तपिश में कमी होगी (तो उन्हें फिर गर्म किया जायेगा) **(4) हत्ता**

युक़्ज़ा बैनल इबाद : लोगों के हिसाब-किताब के इख़्तिताम तक, मानेईने ज़कात को मुसलसल और लगातार अ़ज़ाब होता रहेगा। **(5) यरा सबीलहू :** यरा को मअ़रूफ़ और मज्हूल दोनों तरीक़े से पढ़ा गया है कि वो जन्नत या दोज़ख़ का रास्ता अपने अ़मलों के नतीजे के तौर पर देख लेगा या उसे अ़मलों की पादाश में उसके इख़्तियार व इरादे के बग़ैर जन्नत या दोज़ख़ का रास्ता दिखाया जायेगा। **(6) हलबुहा :** हा और लाम दोनों पर ज़बर है दूध दूहना। **(7) यौम विर्दिहा :** जब तीसरे या चौथे दिन उन्हें पानी पिलाने के लिये पानी के घाट पर ले जाया जाता है। **(8) बुतिह :** उन्हें ज़मीन पर बिछाया या लिटाया जायेगा (ओन्धे मुँह या पुश्त के बल) **(9) क़ाअ :** खुला मैदान, वसीअ़ ज़मीन। **(10) क़रक़र :** हमवार और वसीअ मैदान या चटियल ज़मीन। **(11) औ फ़रमा कानत :** इन्तिहाई तादाद में और मोटे, फ़रबा हालत में। **(12) फ़सील :** टोडा, ऊँट का बच्चा। **(13) कुल्लमा मर्र अ़लैहि ऊलाहा रुद्दा अ़लैहा उख़रहा :** बक़ौले क़ाज़ी अयाज़, इमाम नववी, इमाम क़ुर्तुबी इन अल्फ़ाज़ में तक़्दीम व ताख़ीर हो गई। सहीह तर्तीब वही है जो अगली हदीस़ में आ रही है कि कुल्लमा मज़ा अ़लैहि उख़राहा अ़लैहि ऊलाहा कि आख़िरी ऊँट गुज़रने के वक़्त पहला ऊँट भी गुज़रने के लिये वापस आ चुका होगा, दरम्यान में वक़्फ़ा नहीं होगा, मुसलसल चक्कर की शक्ल बरक़रार रहेगी या ये मानी करना पड़ेगा कि जब पहला ऊँट आख़िर में पहुँचेगा तो आख़िरी ऊँट शुरू से गुज़रना चाहेगा। फिर दूसरे चक्कर में, जब पहला आग़ाज़ करेगा तो आख़िरी ऊँट इन्तिहा पर पहुँचकर आग़ाज़ करने के लिये आ चुका होगा। **(14) अ़क़्साअ :** मुड़े हुए सींगों वाली। **(15) जल्हाउ :** बेसींगों के, अ़ज़्बा टूटे सींगों वाली। **(16) अख़्फ़ाफ़ :** ऊँट का पोड़, खुर। **(17) अज़ लाफ़, ज़लफ़ :** गाय, बकरी और हिरन वग़ैरह के पाँव। **(18) सुम :** इंसान के लिये क़दम, घोड़े, खच्चर के लिये हाफ़िर का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, नवाअ़ : दुश्मनी और अ़दावत। **(19) मरज :** चरागाह। **(20) रोज़ह :** बाग़। **(21) तिवल :** रस्सी जिसके साथ घोड़े के पाँव को बांधा जाता है, ताकि घोड़ा खूंटी के गिर्द चलता फिरता रहे और सब्ज़ा चर ले। **(22) इस्तन्नत :** दौड़ा, भागा, चक्कर लगाया। **शरफ़ :** ऊँची जगह, टीला, मुराद शोत (चक्कर) है।

फ़वाइद : (1) हुक़ूक़ की दो क़िस्में हैं : (1) हुक़ूक़े लाज़िमा : जिनकी अदायगी के बग़ैर चारा नहीं है और वो मुस्तक़िल और दाइमी हैं, जैसाकि फ़र्ज़ ज़कात और फ़ित्राना है। (2) हुक़ूक़े मुन्तशिरह : जो वक़्ती और आ़रिज़ी होते हैं और हादसों और वाक़ियात से तअ़ल्लुक़ रखते हैं जिनको क़ुरआन मजीद में सूरह बक़रह आयतुल बिर्र नम्बर 177 व आतल माल अ़ला हुब्बिही के तहत बयान फ़रमाया है और उसके बाद है व आतज़्ज़कात जब कोई इंसान लाचार और मुज़्तर्र हो और भूखा मर रहा हो तो ये फ़र्ज़ व लाज़िम होंगे और आ़म हालात में अख़्लाक़े हसना, फ़ज़ाइले हमीदा या मकारिमे अख़्लाक़ शुमार होंगे जैसे किसी को जुफ़्ती के लिये नर देना, पानी पिलाने के लिये डोल देना, किसी को दूध पीने के लिये दूध देने वाला जानवर देना, ऊँटों को पानी के घाट पर दूहना या किसी फ़क़ीर मिस्कीन को

मुफ़्त दूध देना, किसी मोहताज को आरियतन सवारी देना। (2) मानेईने ज़कात के लिये पचास हज़ार साल का हिसाबो-किताब का दिन अज़ाब का दिन होगा। अगर इतना अज़ाब उसके गुनाहों और जराइम के लिये काफ़ी हो गया तो वो जन्नत का रास्ता लेगा और अगर ये सज़ा और अज़ाब दूसरे गुनाहों के सबब नाकाफ़ी हुई तो फिर मज़ीद अज़ाब और सज़ा के लिये दोज़ख़ की राह लेगा और सज़ा मुकम्मल करेगा या शफ़ाअत के नतीजे में जन्नत में आ जायेगा। (3) अमलों के सवाब व इक़ाब में निय्यत को बुनियादी हैसियत हासिल है, एक इंसान घोड़ा इसलिये रखता है कि वो फ़ख़्र व गुरूर या घमण्ड व अजब का इज़हार कर सके या अपने माल व दौलत की नुमाइश करे या मुसलमानों के ख़िलाफ़ उससे काम ले सके, तो उसके लिये ये घोड़ा गुनाह और सज़ा का बाइस होगा। एक इंसान इसलिये घोड़ा पालता है कि वो अपनी सफ़ेदपोशी का भ्रम क़ायम रख सके। दूसरों से माँगने की ज़िल्लत से बच सके, ज़रूरतमन्दों को बवक़्ते ज़रूरत आरिज़ी तौर पर सवारी के लिये दे सके तो ये भी फ़ी सबीलिल्लाह होगा और सज़ा व अज़ाब से सतर का बाइस भी बनेगा और अगर इंसान अहले इस्लाम के तआवुन के लिये और जिहाद में हिस्सा लेने या मुजाहिदीन को वक़्फ़ करने के लिये घोड़ा पालता था तो उसकी हर चीज़ खाना, पीना, भागना, दौड़ना, नेकियों के हुसूल का बाइस बनेगा। (4) जिन कामों के लिये किसी मख़्सूस अज्र व सवाब की सराहत मौजूद नहीं है वो तमाम उमूर और आमाल इस ज़ाब्ते और उसूल के तहत आते हैं कि फ़मंय्यअ्मल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरंय्यरहू व मंय्यअ्मल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रंय्यरह। (5) जिन अम्वाल और हैवानात की मुहब्बत में गिरफ़्तार होकर ज़कात देने से गुरेज़ किया गया होगा क़यामत के दिन वही माल और हैवानात अपनी कामिल तरीन शक्ल व हालत में अज़ाब और तकलीफ़ का बाइस बनेंगे और वो उनसे जान नहीं छुड़ा सकेगा।

وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ، بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا " . وَلَمْ يَقُلْ " مِنْهَا حَقَّهَا " . وَذَكَرَ فِيهِ " لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا " . وَقَالَ " يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ " .

(2291) हिशाम बिन सईद बिन ज़ैद बिन अस्लम की सनद से हफ़्स बिन मैसरह की तरह आख़िर तक रिवायत बयान करते हैं। सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि वो कहते हैं जो ऊँटों का मालिक उनका हक़ अदा नहीं करता यानी ला युअद्दी हक़्क़हा के अल्फ़ाज़ हैं दरम्यान में मिन्हा लफ़्ज़ नहीं है। ला यफ़्क़िदु मिन्हा फ़सीलन वाहिदन का ज़िक्र किया है और कहा है युकवा बिहा जन्बाहु व जब्हतुहू व ज़हरुहू जबकि हफ़्स की रिवायत में है तुकवा बिहा जुनुबुहू व जबीनुहू व ज़हरुहू।

(2292) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो भी ख़ज़ाने का मालिक उसकी ज़कात अदा नहीं करेगा, उसके ख़ज़ाने को जहन्नम की आग में तपाया जायेगा और उसकी तख़्तियाँ बनाई जायेंगी और उनसे उसके दोनों पहलुओं और पेशानी को दाग़ा जायेगा, यहाँ तक कि अल्लाह अपने बन्दों के दरम्यान फ़ैसला कर देगा। उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल है। फिर वो अपना रास्ता जन्नत या जहन्नम की तरफ़ देख लेगा और कोई भी ऊँटों का मालिक नहीं है जो उनकी ज़कात अदा नहीं करता मगर उसे उन ऊँटों के सामने, इस हाल में कि वो अपनी पूरी तादाद और जसामत में होंगे चटियल मैदान में लिटाया जायेगा, वो उस पर दौड़ेंगे। जब भी आख़िरी ऊँट गुज़रेगा, उस पर पहला ऊँट दोबारा लाया जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह अपने बन्दों के दरम्यान फ़ैसला कर देगा, उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल है। फिर उसे उसका रास्ता जन्नत या दोज़ख़ की तरफ़ दिखाया जायेगा और जो भी बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करता तो उसे उनके सामने उनकी इन्तिहाई पूरी तादाद और फ़रबा हालत में बिछाया जायेगा एक वसीअ व अरीज़ चटियल मैदान में वो उसे अपने खुरों से रौंदेंगी और उसे अपने सींगों से मारेंगी, उनमें कोई मुड़े सींगों वाली या बेसींगों के नहीं होगी। जब आख़िरी बकरी गुज़रेगी उस वक़्त पहली दोबारा पहुँच जायेंगी। यहाँ तक के अल्लाह तआला अपने बन्दों के दरम्यान

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ، بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ

عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قَالَ سُهَيْلٌ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لاَ . قَالُوا فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشُكُّ - الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ فَهْىَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ - حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا - وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً وَلاَ يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي

फ़ैसला कर देगा। उस दिन में जिसकी मिक़्दार तुम्हारे शुमार से पचास हज़ार साल होगी, फिर वो अपना रास्ता जन्नत या दोज़ख़ की तरफ़ देख लेगा। सुहैल का क़ौल है, मैं नहीं जानता आप (ﷺ) ने गायों का तज़्किरा फ़रमाया या नहीं। सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! घोड़ों का क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया, 'घोड़ों की पेशानी में' या फ़रमाया, 'घोड़ों की पेशानी में क़यामत तक ख़ैर बन्धी हुई है।' शक सुहैल को पेश आया है। 'घोड़े तीन क़िस्म के हैं । ये एक आदमी के लिये अज्र व सवाब का बाइस हैं और दूसरे के लिये बोझ और गुनाह का सबब हैं और किसी तीसरे आदमी के लिये सतर (पर्दापोशी) हैं। वो घोड़े जो इंसानों के लिये अज्र का सबब हैं। तो वो आदमी जो उन्हें फ़ी सबीलिल्लाह रखता है और जिहाद के लिये तैयार करता है तो उनके पेट के अंदर जो कुछ ग़ायब होता है, अल्लाह ने उसके लिये उसके बदले में अज्र लिखा है, अगर वो उन्हें चरागाह में चराता है तो वो जो कुछ खाते हैं अल्लाह तआला उसके लिये उसके (खाने) के ऐवज़ अज्र लिखता है यहाँ तक कि आपने उनके पेशाब और लीद के ऐवज़ अज्र मिलने का तज़्किरा किया और अगर ये एक या दो टीले दौड़ें तो उसके लिये उनके हर क़दम के ऐवज़ जो वो उठाते हैं, अज्र लिखा जाता है या वो जिसके लिये वो सतर हैं, तो वो आदमी जो उन्हें इ़ज़्ज़त व शर्फ़ और हुस्नो-जमाल की ख़ातिर रखता है और उनकी पुश्तों और पेटों में जो है उसे तंगी और

عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ " . قَالُوا فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ज़َرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} " .

ख़ुशहाली में नहीं भूलता। रहा वो आदमी जिसके लिये वो बोझ हैं वो जो उन्हें इतराने, सरकशी व तुग़यानी और शेख़ी बघारते हैं और लोगों के दिखलावे के लिये रखता है तो ऐसे आदमी के लिये ये बोझ और गुनाह का बाइस होंगे।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, तो गधों का ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) क्या हुक्म है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने उनके बारे में मख़्सूस तौर पर मुझ पर कोई हुक्म नाज़िल नहीं फ़रमाया मगर ये जामेअ और यगाना आयत कि 'जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो उसे देखेगा।'

(इब्ने माजह : 2788)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) नवास : नासियह की जमा है, पेशानी। **(2) अल्ख़ैर :** माल, नेकी व बेहतरी मुराद अज्र व ग़नीमत है। **(3) तकर्रुमन व तजम्मुलन :** दूसरों से अपनी इ़ज़्ज़त व शर्फ़ को बचाने के लिये और अपने हुस्ने ख़िसाल और ख़ूबी के इज़हार के लिये कि सवारी किसी से माँगनी न पड़े और ज़रूरत के वक़्त किसी को दे सके। **(4) अशरन :** इतराना। **(5) बतरन :** हक़ से सरकशी और तुग़्यान इख़्तियार करना। **(6) अल्बज़ख़ :** फ़ख़्र व घमण्ड और बड़ाई का इज़हार करना।

फ़ायदा : घोड़ा एक आ़ला और बेहतरीन सवारी है और इससे जाइज़ व नाजाइज़ हर क़िस्म के काम लिये जा सकते हैं और इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल ये है कि इसे जिहाद में इस्तेमाल किया जाये और क़यामत तक इसका ये इस्तेमाल बरक़रार रहेगा, गोया क़यामत तक जिहाद में इस्तेमाल होकर मालिक के लिये अज्र व ग़नीमत का बाइस बनता रहेगा।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

(2293) मज़्कूरा बाला हदीस मुसन्निफ़ अपने दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं जो सुहैल ही की सनद से है।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا

(2294) मुसन्निफ़ अपने एक और उस्ताद से सुहैल की सनद से रिवायत बयान करते हैं

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَدَلَ عَقْصَاءُ عَضْبَاءُ وَقَالَ " فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ " . وَلَمْ يَذْكُرْ جَبِينَهُ .

और उसमें अक़्सा बड़े सींगों वाली की जगह अज़्बा टूटे सींगों वाली है और उसमें है, फ़युक्वा बिहा जन्बुहू व ज़हरुहू उनसे उसके पहलू और पुश्त को दाग़ा जायेगा और जबीनुहू (उसकी पेशानी) का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

(2295) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब इंसान अपने ऊँटों से अल्लाह का हक़ या ज़कात अदा नहीं करता...।' आगे सुहैल के हम मानी रिवायत है।

(सहीह बुख़ारी : 1460)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ، عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ

(2296) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो भी ऊँटों का मालिक उनका हक़ अदा नहीं करता है तो वो क़यामत के दिन अपनी ज़्यादा तादाद की हालत में आयेंगे जो कभी उसके पास थी और वो उन ऊँटों के लिये वसीअ चटियल मैदान में बिठाया जायेगा और वो उसे अपने पाँव और खुरों से रौंदेंगे और जो गायों का मालिक उनका हक़ अदा नहीं करेगा तो वो क़यामत के दिन अपनी ज़्यादा तादाद होने की सूरत में आयेंगी और वो उनके सामने चटियल मैदान में बिठाया जायेगा। वो उसे अपने सींगों से मारेंगी और अपने पैरों से रौंदेंगी और जो बकरियों का मालिक उनका हक़ अदा नहीं करता है। तो वो क़यामत के दिन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होने की हालत में आयेंगी और वो उनके सामने

بِقَوَائِمِهَا وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ " . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الإِبِلِ قَالَ " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

चटियल मैदान में बैठेगा। वो अपने सींगों से मारेंगी और अपने खुरों से रौंदेंगी और उनमें कोई बकरी बग़ैर सींगों के होगी और न ही टूटे हुए सींगों वाली और न ही कोई ख़ज़ाना का मालिक है जो उसका हक़ अदा नहीं करता मगर उसका ख़ज़ाना क़यामत के दिन गन्जे साँप की सूरत में आयेगा और उसका अपना मुँह खोले हुए पीछा करेगा और जब वो उसके पास पहुँचेगा तो वो उससे भागेगा, तो वो (साँप) उसे आवाज़ देगा, अपने उस ख़ज़ाने को पकड़ो जिसे छिपाकर रखा करते थे, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और जब साहिबे ख़ज़ाना देखेगा उससे बचने की कोई सूरत और चारा नहीं है। अपना हाथ उस (साँप) के मुँह में दाख़िल कर देगा तो वो उसे साण्ड (नर ऊँट) की तरह चबायेगा।' अबू ज़ुबैर कहते हैं, ये बात मैंने उबैद बिन उमैर से सुनी थी। फिर हमने उसके बारे में जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा, तो उन्होंने भी उबैद बिन उमैर की तरह रिवायत सुनाई। अबू ज़ुबैर कहते हैं, मैंने उबैद बिन उमैर (रज़ि.) से सुना कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ऊँटों का हक़ क्या है? आपने फ़रमाया, '(पानी पर उनका दूध दूहना) ताकि ज़रूरतमन्द ले सकें) और उसका डोल आरियतन (पानी पिलाने के लिये) देना और उनमें नर को जुफ़्ती के लिये माँगने पर आरियतन देना और ऊँटनी को एहसान करते हुए दूध पीने, ऊन काटने के लिये आरियतन देना और किसी को जिहाद के लिये सवारी के लिये देना।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जम्माउ : वो बकरी जिसके सींग न हों। **(2) शुजाअन अक़रअ :** वो साँप जिसके ज़हर की शिद्दत की बिना पर सर के बाल झड़ गये हों या वो साँप जो अपनी दुम के बल पर खड़ा होकर पैदल और सवार पर हमलावर होता है और उसकी पेशानी पर डंक मारता है। **(3) युक़्ज़मुहा क़ज़मल फ़हल :** नर ऊँट की तरह उसके हाथ काटेगा और चबायेगा। मनीहा की दो क़िस्में हैं, एक में दूसरे को हैवान, ज़मीन या घर-बार हिबा कर दिया जाता है, दूसरी सूरत में ऊँटनी, गाय और बकरी वग़ैरह दूध देने वाला जानवर सिर्फ़ दूध पीने के लिये कुछ वक़्त के लिये दिया जाता है और फिर वापस ले लिया जाता है।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है कि सोना-चाँदी और माल व दौलत को सिर्फ़ तख़्तियों की सूरत में ही बनाया नहीं जायेगा बल्कि बाज़ औक़ात में उसे गँजे साँप की शक्ल दी जायेगी। क्योंकि साहिबे माल दुनिया में उस पर साँप बनकर बैठा था। फिर वो साँप उसका पीछा करेगा और साहिबे माल के लिये उससे बचने की कोई राह नहीं निकल सकेगी और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिये उसके मुँह में अपना हाथ डाल देगा, जिसे वो साण्ड की तरह चबायेगा। **(2)** इस हदीस़ में हुक़ूक़े मुन्तशिरह जो बाहमी उख़ुवत व ख़ैरख़्वाही और मवासाते हमदर्दी का मज़हर हैं, में से ऊँट के सिलसिले में कुछ की तअयीन की है कि फ़क़ीरों, मिस्कीनों को उनका दूध देना या आरिज़ी तौर पर दूध पीने के लिये किसी मोहताज को दे देना, ज़रूरतमन्द को पानी पिलाने के लिये डोल देना और जुफ़्ती के लिये वक़्ती तौर पर किसी को साण्ड देना, किसी मुजाहिद को सवारी मुहैया कराना।

(2297) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो भी ऊँटों, गायों और बकरियों का मालिक उनका हक़ अदा नहीं करता उसे क़यामत के दिन उनके सामने चटियल मैदान में बिठाया जायेगा। खुरों वाला जानवर उसे अपने खुरों से रौंदेगा और सींगों वाला उसे अपने सींगों से मारेगा, उनमें उस दिन कोई बिला सींग या टूटे हुए सींगों वाला नहीं होगा।' हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! उनका हक़ क्या है? आपने फ़रमाया, 'उनमें से नर को जुफ़्ती के लिये देना और

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ " إِطْرَاقُ

فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيُقَالُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ " .

उनके डोल को आरियतन पानी पिलाने के लिये देना, और उनको कुछ वक़्त के लिये दूध पीने के लिये देना और उनको पानी के घाट पर दूहना (और सवारी के क़ाबिल को) मुजाहिद को सवारी के लिये देना और जो मालिक भी उसकी ज़कात अदा नहीं करता तो वो माल क़यामत के दिन गंजे साँप की शक्ल में तब्दील होगा। उसका मालिक जहाँ जायेगा उसका पीछा करेगा और वो उससे भागेगा और उसे कहा जायेगा, ये तेरा वो माल है जिसे रोक-रोक कर रखता था। तो जब वो देखेगा कि उससे बचने की कोई जगह नहीं है तो वो उसके मुँह में अपना हाथ दाख़िल करेगा और वो उसे नर ऊँट की तरह चबाना शुरू कर देगा।'

(नसाई : 5/27)

باب إِرْضَاءِ السُّعَاةِ

बाब 8 : आमिलीने ज़कात को राज़ी करना (सुआह, ज़कात की वसूल पर मुक़र्ररह लोग)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(2298) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ बदवी लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे, कुछ ज़कात वसूल करने वाले लोग हमारे पास आते हैं और हम पर ज़ुल्म करते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने ज़कात वसूल करने वालों को राज़ी रखा करो।' हज़रत जरीर बयान करते हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये हदीस

सुनी है तो मेरे पास से कोई ज़कात वसूल करने वाला नाराज़ नहीं गया।

(अबू दाऊद : 1589, नसाई : 5/31)

صلى الله عليه وسلم " ارْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " . قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ .

(2299) इमाम साहब ने अपने तीन और उस्तादों से भी यही रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

फ़ायदा : इस्लाम की तालीमात इफ़रात व तफ़रीत से हटकर ऐतिदाल और मियाना रवी पर मबनी हैं। जिनमें हर इंसान को अपने फ़राइज़ की सहीह-सहीह और ज़िम्मेदारी से अदायगी का हुक्म दिया गया है, क्योंकि अगर हर इंसान अपना फ़र्ज़ अदा करेगा तो दूसरे का हक़ ख़ुद-बख़ुद अदा हो जायेगा। इसलिये मुताल्ब-ए-हुक़ूक़ की बजाय फ़र्ज़ की अदायगी पर ज़ोर दिया गया है। यहाँ मालदारों को तल्क़ीन की गई है कि ज़कात की वसूली के लिये आने वाले के साथ ख़न्दा पेशानी से (ठीक तौर पर) पेश आयें और ज़कात की अदायगी में पसो-पेश या हील व हुज्जत से काम न लें और उनको ख़ुश-ख़ुश वापस भेजें। दूसरी जगह आप(ﷺ) ने सदक़ात वसूल करने वालों को मुनासिब हिदायतें दी हैं ताकि वो लोगों पर ज़ुल्म व ज़्यादती न करें।

बाब 9 : जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनकी उक़ूबत व सज़ा में शिद्दत का बयान

بَاب تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لاَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

(2300) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास पहुँचा जबकि आप कअबा के साये में तशरीफ़ फ़रमा थे तो आपने मुझे देखकर फ़रमाया, 'रब्बे कअबा की क़सम! वही लोग सबसे ज़्यादा नाकाम और नुक़सान उठाने वाले हैं।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ

. فَلَمَّا رَآنِي قَالَ " هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " . قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ " هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ " .

मैं आकर आपके पास बैठा ही था और मैंने क़रार व स़बात हासिल नहीं किया था कि मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान! वो कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया, 'वो ज़्यादा मालदार लोग हैं, मगर जिसने इधर-उधर, यहाँ-वहाँ, आगे-पीछे, दायें-बायें (हर ज़रूरत के मौक़े पर) ख़र्च किया और ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो भी ऊँटों या गाँयों या बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करता, तो वो क़यामत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होने की हालत में और फ़रबा होकर आयेंगे। उसे अपने सींगों से मारेंगे और अपने खुरों से उसे पामाल करेंगे, जब भी उनमें से आख़िरी गुज़रेगा उनमें से पहला वापस आ चुका होगा यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैसला कर दिया जायेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1460, 6638, तिर्मिज़ी : 617, नसाई : 5/10, 5/29, इब्ने माजह : 1785)

फ़ायदा : मालदारों का ये क़ौमी व दीनी फ़रीज़ा है कि वो दीन के कामों में और इज्तिमाई व क़ौमी मफ़ादात के मौक़े पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपनी-अपनी बिसात के मुताबिक़ ख़र्च करें, वगरना वो दुनिया व आख़िरत में नाकाम और नुक़सान से दोचार होंगे और दुनिया में ही लोगों की नफ़रत और ग़ैज़ व ग़ज़ब का निशाना बनेंगे।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "

(2301) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँचा जबकि आप कअ़बा के साये में तशरीफ़ फ़रमा थे। आगे वकीअ़ की मज़्कूरा बाला रिवायत के हम मानी रिवायत है, हाँ इतना फ़र्क़ है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا " .

की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! ज़मीन पर जो भी आदमी फ़ौत होता है और ऊँट या गाय या बकरियाँ पीछे छोड़ता है जिनकी उसने ज़कात अदा नहीं की।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، -يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَىَّ " .

(2302) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे ये बात पसंद नहीं है (मेरे लिये ख़ुशी का बाइस नहीं है) कि मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो और तीसरा दिन मुझ पर इस तरह आये कि मेरे पास उसमें से दीनार बचा हुआ मौजूद हो, सिवाय उस दीनार के जिसको मैं अपना क़र्ज़ चुकाने के लिये तैयार रखूँ।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(2303) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला रिवायत अपने एक और उस्ताद से बयान की है।

फ़ायदा : मालदार इंसान के लिये बुलंद तरीन और आला मक़ाम ये है कि वो माल को ख़र्च करता रहे, उसको सम्भाल कर या जमा करके न रखे, लेकिन इस बुलंद तरीन दर्जे पर फ़ाइज़ होना हर मालदार के बस की बात नहीं है। इसलिये ये महज़ एक तरग़ीबी और इस्तिहबाबी चीज़ है, लाज़िमी और ज़रूरी नहीं है।

باب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

बाब 10 : सदक़े की तरग़ीब व तश्वीक़ (सदक़े पर आमादा करना)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، -

(2304) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं शाम के वक़्त नबी (ﷺ) के साथ मदीना की पथरीली ज़मीन में चल रहा था और हम उहुद पहाड़ देख रहे थे। तो मुझे

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي، ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ " . قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا - حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ - وَهَكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ - وَهَكَذَا - عَنْ شِمَالِهِ " . قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ " . قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا قَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ " . قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي - قَالَ - سَمِعْتُ لَغَطًا وَسَمِعْتُ صَوْتًا - قَالَ - فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُرِضَ لَهُ - قَالَ - فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ "لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ" . قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अबू ज़र!' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया, 'मुझे ये पसंद नहीं है कि उहुद पहाड़ मेरे पास सोने की शक्ल में मौजूद हो और तीसरी शाम इस सूरत में आये कि मेरे पास उससे एक दीनार बचा हुआ मौजूद हो सिवाय उस दीनार के जो मैं क़र्ज़ की अदायगी के लिये तैयार रखूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अल्लाह के बन्दों में ख़र्च या तक़सीम कर दूँ, इस तरह (आपने मुट्ठी भरकर आगे डाला) और इस तरह दायें तरफ़ और इस तरह बायें तरफ़, फिर हम चलते रहे और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अबू ज़र!' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया, (ज़्यादा मालदार ही क़यामत के दिन कम रुत्बा होंगे) मगर जिसने इधर-उधर हर जगह ख़र्च किया।' आपने पहले की तरह (आगे दायें-बायें) की तरफ़ इशारा फ़रमाया। फिर हम चल पड़े। आपने फ़रमाया, 'ऐ अबू ज़र! मेरे आने तक इस हालत में रहना, यानी यहीं ठहरे रहना, कहीं न जाना।' आप चले गये यहाँ तक कि मेरी नज़रों से छिप गये। मैंने शोर और आवाज़ सुनी, तो मैंने दिल में कहा, शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) को किसी दुश्मन का सामना है, तो मैंने आपके पास पहुँचने का क़सद किया। फिर मुझे आपका फ़रमान याद आ गया कि मेरे आने तक यहाँ से न हिलना, तो मैंने आपका इन्तिज़ार किया, तो जब आप तशरीफ़ लाये, तो मैंने उन आवाज़ों का

ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ - قَالَ - فَقَالَ " ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " . قَالَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " .

तज़्किरा किया जो मैंने सुनी थीं। तो आपने फ़रमाया, 'वो जिब्रईल थे, मेरे पास आये और बताया कि आपकी उम्मत का जो फ़र्द इस हाल में फ़ौत होगा कि उसने अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराया, वो जन्नत में दाख़िल होगा। मैंने पूछा, ऐ जिब्रईल! अगरचे उसने चोरी और ज़िना किया हो? उसने जवाब दिया, अगरचे उसने चोरी और ज़िना का इर्तिकाब किया हो।'

(सहीह बुख़ारी : 2388, 3222, 6268, 6443, 6444, तिर्मिज़ी : 2644)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ - قَالَ - فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ " مَنْ هَذَا " . فَقُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ " . قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ " إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا " . قَالَ

(2305) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं एक रात निकला तो अचानक देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अकेले चले जा रहे हैं, आपके साथ कोई शख़्स नहीं है, तो मैंने ख़्याल किया, आप इस बात को नापसंद कर रहे हैं कि कोई आपके साथ चले। तो मैं चाँद के साये में चलने लगा। आपने मुझे मुड़कर देख लिया और फ़रमाया, 'ये कौन है?' मैंने अर्ज़ किया, अबू ज़र हूँ अल्लाह मुझे आप पर क़ुर्बान करे। आपने फ़रमाया, 'अबू ज़र! आ जाओ।' तो मैं आपके साथ कुछ देर चला। आपने फ़रमाया, 'ज़्यादा माल वाले ही क़यामत के दिन कम मर्तबा होंगे, मगर जिनको अल्लाह ने माल अता फ़रमाया और उन्होंने उसे दायें-बायें और आगे-पीछे फूंक डाला और उसमें नेकी के काम किये।' मैं आपके साथ कुछ देर चलता रहा तो आपने फ़रमाया, 'यहाँ बैठो।' तो आपने मुझे एक हमवार ज़मीन

فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ " اجْلِسْ هَا هُنَا " . قَالَ فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي " اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ " . قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللُّبْثَ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ " وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى " . قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا . قَالَ " ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ " .

पर बिठा दिया जिसके आस-पास पत्थर थे और आपने मुझे फ़रमाया, 'यहाँ बैठो! यहाँ तक कि मैं तेरे पास लौट आऊँ।' आप पथरीली ज़मीन में चले यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गये और वहाँ ठहरे रहे और काफ़ी देर तक ठहरे रहे, फिर मैंने आपसे सुना कि आप मेरी तरफ़ आते हुए फ़रमा रहे थे, 'ख़्वाह उसने चोरी की हो या ज़िना किया हो।' जब आप तशरीफ़ ले आये तो मैं सब्र न कर सका और मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह मुझे आप पर निसार फ़रमाये! आप स्याह पत्थरों के किनारे किससे बातचीत फ़रमा रहे थे? मैंने किसी को कुछ जवाब देते नहीं सुना। आपने फ़रमाया, 'वो जिब्रईल थे, जो स्याह पत्थरों के किनारे मेरे सामने आये और कहा, अपनी उम्मत को बशारत दीजिये, जो इस हालत में फ़ौत होगा कि उसने अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराया होगा, वो जन्नत में दाख़िल होगा। तो मैंने कहा, ऐ जिब्रईल! और अगरचे उसने चोरी की हो या ज़िना का मुर्तकिब हुआ हो, उसने कहा, जी हाँ! मैंने फिर पूछा, ख़्वाह वो चोर हो या ज़ानी? उसने कहा, हाँ! मैंने फिर तीसरी बार पूछा, ख़्वाह उसने चोरी की हो या ज़िना किया हो? उसने कहा, हाँ! और अगरचे वो शराबी ही क्यों न हो।'

फ़वाइद : (1) मालदारों को अपना वाफ़िर (ज़्यादा से ज़्यादा) माल हर क़िस्म के नेक कामों में ख़र्च करना चाहिये अगर वो क़यामत के दिन बुलंद मर्तबों पर फ़ाइज़ होना चाहते हैं। मगर वो अपना माल ख़ैर के कामों और इस्लाम और अहले इस्लाम की बेहतरी और मफ़ादात के हुसूल के लिये खुले दिल

से, हर वक़्त और हर मौक़े पर अपनी क़ुदरत के मुताबिक़ ख़र्च नहीं करेंगे तो वो आला दरजात से महरूम रहेंगे। (2) तौहीद का असल ख़ास्सह और ख़ुसूसी इम्तियाज़ ये है कि अगर इंसान इसका सहीह हक़ अदा करे तो वो सीधा जन्नत में जायेगा लेकिन अगर इसके हुक़ूक़ की अदायगी में कमी और कोताही की तो इस ख़ास्सह और इम्तियाज़ के ज़ुहूर में रुकावट पैदा होगी और उस रुकावट के इज़ाले तक दोज़ख़ में रहना पड़ेगा और आख़िरकार दोज़ख़ से निजात हासिल हो जायेगी। (3) चोरी और ज़िना इन्तिहाई क़बीह जराइम हैं जो दूसरों के माल और इज़्ज़त व नामूस पर डाकाज़नी हैं, इसलिये हुज़ूर (ﷺ) ने जिब्रईल (अलै.) से तअज्जुब के अन्दाज़ में पूछा, 'चोरी और ज़िना का मुर्तकिब भी जन्नत में चला जायेगा?' तो जिब्रईल ने जवाब दिया, ऐसा इंसान भी जन्नत से महरूम नहीं रहेगा, बल्कि उनसे बढ़कर जुर्म, शराबनौशी का मुर्तकिब भी मुवह्हिद (तौहीद परस्त) होने की सूरत में जन्नत से महरूम नहीं रहेगा। हालांकि शराबी हर क़िस्म की शर्म व हया से आरी होता है और उससे किसी क़िस्म की ख़ैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती।

बाब 11 : मालों को जमा करके समेट कर रखने वालों के बारे में और उनके लिये शिद्दत व सख़्ती का बयान

باب فِي الْكَنَّازِينَ لِلأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ

(2306) अहनफ़ बिन क़ैस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं मदीना आया इस दौरान में कि मैं क़ुरैशी सरदारों के एक हल्क़े में बैठा हुआ था कि अचानक एक आदमी आया जिसके कपड़े मोटे थे, जिस्म में ख़ुरशूनत थी और चेहरे पर भी सख़्ती थी। वो आकर उनके पास रुक गया और कहने लगा, माल व दौलत समेटने वालों को उस गर्म पत्थर से आगाह करो (इत्तिलाअ व ख़बर दो) जिसको जहन्नम की आग में तपाया जायेगा और उसे उनके एक फ़र्द के पिस्तान की नोक पर रखा जायेगा। यहाँ तक कि वो उसके कन्धे की बारीक हड्डी से निकलेगा और उसे उसके शानों की बारीक हड्डियों पर रखा जायेगा, यहाँ तक कि वो उसके पिस्तानों के सिरों से हरकत करता हुआ निकलेगा। अहनफ़

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، الْعَلاَءِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي، حَلْقَةٍ فِيهَا مَلأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْىِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ

فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا - قَالَ - فَأَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ . قَالَ إِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ " أَتَرَى أُحُدًا " . فَنَظَرْتُ مَا عَلَىَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ . فَقَالَ " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ " . ثُمَّ هَؤُلاَءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا . قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لاَ تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ . قَالَ لاَ وَرَبِّكَ لاَ أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .

कहते हैं, लोगों ने अपने सर झुका लिये और मैंने उनमें से किसी को उस उस शख़्स को कुछ जवाब देते हुए नहीं देखा और वो वापस पलट गया। मैंने उसका पीछा किया यहाँ तक कि वो एक सुतून के साथ बैठ गया। तो मैंने कहा, मैंने उन लोगों को देखा है कि आपने उन्हें जो कुछ कहा है, उन्होंने उसे नापसंद समझा है। उसने कहा, उन लोगों को कुछ अक़्ल व शऊर नहीं है। मेरे गहरे दोस्त अबुल क़ासिम (ﷺ) ने मुझे बुलाया, मैंने लब्बैक कहा। तो आपने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें उहुद नज़र आ रहा है?' मैंने देखा कि किस क़द्र सूरज खड़ा है (दिन बाक़ी है) क्योंकि मैं समझ रहा था आप मुझे अपनी किसी ज़रूरत के लिये भेजना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं उसे देख रहा हूँ। तो आपने फ़रमाया, 'ये बात मेरे लिये मसर्रत का बाइस़ नहीं है कि मेरे पास इसके बराबर सोना हो और मैं उस तमाम को ख़र्च कर डालूँ, मगर तीन दीनार जिन्हें क़र्ज़ चुकाने के लिये रख छोड़ूँ। उसके बावजूद ये लोग दुनिया जमा करते हैं, उन्हें कुछ अक़्ल नहीं है। मैंने उससे पूछा, आपका अपने क़ुरैशी भाइयों से क्या मामला है? अपनी ज़रूरत के लिये उनके पास नहीं जाते और न उनसे कुछ लेते हैं। उसने जवाब दिया, नहीं, तेरे रब की क़सम! न मैं उनसे दुनिया की कोई चीज़ माँगूगा और न ही उनसे किसी दीनी मसले के बारे में पूछूँगा यहाँ तक कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से जा मिलूँ।

(सहीह बुख़ारी : 1407)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **मलअन :** अशराफ़ व सरदार। (2) **अख़्शन :** सख़्त और खुरदुरा जिसमें

मुलायम और नर्मी न हो। **(3) रज़फ़ :** गर्म पत्थर। **(4) युहमा अलैहि :** उसे तपाया और गर्म किया जायेगा। **(5) हलमह सदीयह :** सर पिस्तान। **(6) नुग़ज़ :** शाने (कन्धे) के किनारे की पतली और बारीक हड्डी। **(7) ला तअ्तरीहिम :** अपनी ज़रूरत पूरी करने का उनसे मुताल्बा नहीं करते।

फ़वाइद : (1) जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और जुम्हूर उम्मत के नज़दीक कनज़ उस ख़ज़ाने और माल व दौलत को कहते हैं, जो ज़कात के निसाब को पहुँच जाता है, लेकिन माल का मालिक उसकी ज़कात अदा करने की बजाय उस पर साँप बन कर बैठ जाता है और उसको मोहताजों, ज़रूरतमन्दों की ज़रूरियात के लिये सर्फ़ करके, अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं बनता है। लेकिन जो माल हद्दे निसाब को नहीं पहुँचता, कन्ज़ नहीं है क्योंकि शरीअत ने उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं की। लिहाज़ा वो निसाब जिससे ज़कात अदा कर दी जाये वो भी कन्नज़ नहीं रहेगा। क्योंकि मालिक ने उसे मोहताजों और ज़रूरतमन्दों पर ख़र्च किया है। इसलिये हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो माले ज़कात की अदायगी के निसाब को पहुँचा और उसकी ज़कात अदा कर दी गई तो वो कन्ज़ नहीं है।' (सुनन अबी दाऊद) अल्लामा इराक़ी कहते हैं, सनदहू जय्यिद इसकी सनद उम्दा और क़ाबिले ऐतिमाद है। हाँ जैसाकि पीछे गुज़र चुका है। इंसान के लिये बुलंद तरीन मक़ाम जिस पर हमेशा कम लोग ही फ़ाइज़ होते हैं। वो यही है कि वो ज़रूरियात से ज़्यादा अपना तमाम माल व दौलत दीन और अहले दीन की ज़रूरियात में सर्फ़ कर दे जैसाकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) ने जंगे तबूक के मौक़े पर अपना तमाम माल व मताअ आपके सामने ला रखा था और ये शर्फ़ सिर्फ़ अबू बकर को ही हासिल हुआ था। (2) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का नज़रिया ये था (ग़ल्ला व ख़ूराक मवेशियों के सिवा) मुसलमान अपना तमाम माल व दौलत यानी सोना-चाँदी और केश की सूरत में जो कुछ है। वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सबके सब ख़र्च कर दें और ये उसके लिये लाज़िम और ज़रूरी है। इस तरह वो वुजूबी व लाज़िमी और इस्तिहबाबी व मन्दूब हुक्म में इम्तियाज़ नहीं करते थे, हालांकि ये बात मक़ासिदे शरीअत और उसकी रूह के मुनाफ़ी है। क्योंकि तमाम इंसान आला मैयार और बुलंद मक़ाम पर यकसाँ तौर पर फ़ाइज़ नहीं हो सकते। तमाम अफ़राद को तो फ़राइज़ ही का पाबंद किया जा सकता है। अगर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का नज़रिया ही लाज़िम होता, तो फिर ज़कात, सदक़ात और विरासत माल की तक़सीम की ज़रूरत ही न रहती और कम से कम ख़ुलफ़ाए राशिदीन और सहाबाए किराम उसकी लाज़िमी तौर पर पाबंदी करते, हालांकि ये अभी बता चुके हैं कि हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के सिवा किसी सहाबी ने भी अपना तमाम अन्दोख़्ता (जमा पूँजी) पेश नहीं किया था और उम्मत में से किसी इमाम ने इस नज़रिये को क़ुबूल नहीं किया। लेकिन हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने ज़िन्दगी भर अपने नज़रिये पर अमल किया और खाने-पीने या लिबास के सिवा कोई माल व मताअ या साज़ो-सामान नहीं जोड़ा और इश्तिराकियों की तरह महज़ पुर फ़रेब नारा लगाने पर काफ़ी नहीं किया कि अपने घर में ऐशो-इशरत का हर सामान जमा है, वाफ़िर बैंक बैलेंस है और ज़बान पर नारा अबू ज़री है।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ، عَنِ الأَحْنَفِ، بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَىٍّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَىٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ . - قَالَ - ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ . - قَالَ - قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ . قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَىْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلاَّ شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم . قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

(2307) अहनफ़ बिन क़ैस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं क़ुरैश की एक जमाअत में फ़रोकश (हाज़िर) था कि अबू ज़र (रज़ि.) ये कहते हुए गुज़रे, माल जमा करने वालों को उन दाग़ों की ख़बर दो जो उनकी पुश्तों पर लगाये जायेंगे और उनके पहलुओं से निकलेंगे और उन दाग़ों की जो उनकी गुद्दियों पर लगाये जायेंगे, उनकी पेशानियों से निकलेंगे फिर वो अलग-थलग होकर बैठ गये। मैंने पूछा, ये कौन हैं? क़ुरैशियों ने बताया, ये अबू ज़र (रज़ि.) हैं। मैं उठकर उनके पास चला गया और पूछा, अभी आप क्या कह रहे थे? उन्होंने जवाब दिया, मैंने वही बात कही है जो मैंने उनके नबी (ﷺ) से सुनी है। मैंने पूछा, उन वज़ाइफ़ (हुकूमत की तरफ़ से मिलने वाले) के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, ले लो! क्योंकि आज ये मऊनत (मदद) का बाइस हैं और जब ये तेरे दीन की क़ीमत ठहरें तो उन्हें छोड़ देना।

फ़ायदा : हुकूमत से अताया और वज़ाइफ़ इस सूरत में कुबूल किये जा सकते हैं, जब उनकी ख़ातिर अपना दीन फ़रोख़्त न करना पड़े, अगर उनके ऐवज़ अपना दीन क़ुर्बान करना पड़े तो ये लेना जाइज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये वज़ाइफ़ नहीं बल्कि उसके दीन को ख़रीदने के लिये रिश्वत और मुआवज़ा होंगे और हुकूमत बड़े-बड़े लोगों के साथ मिलाने के लिये उन्हें बड़ी-बड़ी रक़मों से नवाज़ेगी और इस तरह अपनी स्याहकारियों की पर्दापोशी करने की कोशिश करेगी।

बाब 12 : ख़र्च करने पर आमादा करना और ख़र्च करने वाले को बदले की बशारत देना

بَابُ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

(2308) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ आदम के बेटे! ख़र्च कर, मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा।' और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह का दायाँ हाथ भरा हुआ है।'

(इब्ने नुमेर ने मल्आ की बजाय मल्आन कहा) दिन-रात मुसलसल बहता है। उसमें कोई कमी वाक़ेअ नहीं होती।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ " . وَقَالَ " يَمِينُ اللَّهِ مَلأَى - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلآنُ - سَحَّاءُ لاَ يَغِيضُهَا شَىْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ " .

(2309) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मुझे फ़रमाया है, ख़र्च करो, मैं आप पर ख़र्च करूँगा।' और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह का दायाँ हाथ भरा हुआ है। दिन-रात ख़र्च करने से उसमें कमी वाक़ेअ नहीं होती, मुझे बताओ उसने आसमान व ज़मीन की तख़लीक़ से लेकर किस क़द्र ख़र्च किया है (उसके बावजूद) उसके दायें हाथ में जो कुछ है उसमें कमी नहीं हुई)।' आपने फ़रमाया, 'उसका अर्श पानी पर है, उसका दूसरा हाथ क़ब्ज़ करता है (मारता है) किसी को बुलंद करता है और किसी को पस्त करता है।'

(सहीह बुख़ारी : 7419)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا . وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَمِينُ اللَّهِ مَلأَى لاَ يَغِيضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ " . قَالَ " وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ " .

फ़वाइद : (1) अल्लाह तआला के हाथ हैं लेकिन उसकी ज़ात की तरह उसके हाथों की कैफ़ियत

जानना मुम्किन नहीं है। हाँ इतना मानना ज़रूरी है कि वो उसकी शान के मुनासिब व लायक़ हैं, मख़्लूक़ात जैसे नहीं है। इसलिये तावील या तश्बीह की ज़रूरत नहीं है। **(2)** जाइज़ और सहीह मौक़ों पर ख़र्च करना, अल्लाह तआला की तरफ़ से और मिलने का बाइस बनता है। जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'तुम जो भी ख़र्च करते हो अल्लाह तआला उसका बदल इनायत फ़रमाता है।' इसको हदीसे क़ुदसी में यूँ बयान किया है, 'ऐ आदमज़ादे! ख़र्च कर, मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा।' इसलिये ख़ैर की वजह से और नेक कामों में ख़र्च करने से दरेग़ नहीं करना चाहिये। रिज़्क़ की तंगी और वुस्अत व फ़राख़ी या इज़्ज़त, ज़िल्लत, उरूज व पस्ती का मालिक वही है ये उनके अपने बस में नहीं है।

باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

बाब 13 : अहलो-अयाल और गुलामों पर ख़र्च करने की फ़ज़ीलत और उनको ज़ाया करने या उनके ख़र्च रोकने का गुनाह

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَأَىُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ .

(2310) हज़रत सौबान (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेहतरीन दीनार जिसे इंसान ख़र्च करता है, वो दीनार है जिसे वो अपने अयाल (घर वालों) पर ख़र्च करता है और वो दीनार है जिसे इंसान अपने जिहादी जानदार सवारी पर ख़र्च करता है और वो दीनार है जिसे वो अपने मुजाहिद साथियों पर ख़र्च करता है।' अबू क़िलाबा बयान करते हैं, आपने इब्तिदा अयाल से फ़रमाई फिर अबू क़िलाबा कहने लगे, उस आदमी से बढ़कर अज्र किस आदमी का हो सकता है जो अपने छोटे बच्चों पर ख़र्च करता है, उन्हें सवाल की ज़िल्लत से बचाता है या अल्लाह उन्हें उसके ज़रिये नफ़ा पहुँचाता है और ग़नी करता है (घर वाले जिनका नान व नफ़्क़ा का इंसान ज़िम्मेदार है उसके बीवी-बच्चे, नौकर-चाकर या गुलाम)।' (तिर्मिज़ी: 1966, इब्ने माजा : 2760)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ " .

(2311) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक दीनार वो है जिसे तूने अल्लाह की राह में ख़र्च किया है। एक दीनार वो है जिसे तूने गर्दन की आज़ादी के लिये ख़र्च किया है। एक दीनार वो है जिसने मिस्कीन पर सदक़ा किया है और एक दीनार वो है जिसे तूने अपने अहल पर ख़र्च किया है। उन सबमें सबसे ज़्यादा अज्र तुम्हें उस दीनार पर मिलेगा जिसे तूने अपने अहल पर ख़र्च किया है।'

फ़ायदा : अपने अहलो-अयाल पर ख़र्च करना और उनके नान व नफ़्क़ा का इन्तिज़ाम करना इंसान की शख़्सी ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ है और ज़ाहिर है फ़र्ज़ की अदायगी इंसान की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और उसका अज्र व सवाब भी सबसे बढ़कर है। क्योंकि बाक़ी काम हर मौक़े पर या हर वक़्त फ़र्ज़े ऐन नहीं होते। इसलिये उनका दर्जा भी बाद में है फ़र्ज़ के बाद नवाफ़िल की बारी आती है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لاَ . قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ " .

(2312) ख़ैसमा से रिवायत है कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे कि नागहाँ (अचानक) उनका वकील व निगरान उनके पास आया, अंदर दाख़िल हुआ तो उन्होंने पूछा, गुलामों को उनकी ख़ूराक दे दी है? उसने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, जाओ! उन्हें उनका ख़र्च दो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है, 'इंसान के लिये इतना गुनाह ही काफ़ी है कि जिनका वो मालिक है उनकी ख़ूराक रोक ले यानी फ़र्ज़ में कोताही नाक़ाबिले माफ़ी है।'

बाब 14 : ख़र्च की शुरूआत अपनी ज़ात से करे, फिर अपने घर से फिर क़राबतदारों से

باب الابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

(2313) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि बनू उ़ज़्रह के एक आदमी ने एक गुलाम अपने मरने की सूरत में आज़ाद कर दिया (कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद होगा) रसूलुल्लाह (ﷺ) तक ये मामला पहुँचा तो आप (ﷺ) ने पूछा, क्या तेरे पास इसके सिवा माल है? तो उसने कहा, नहीं। इस पर आपने फ़रमाया, इसे (गुलाम को) मुझसे कौन ख़रीदेगा? उसे नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह उ़ज़री ने आठ सौ (800) दिरहम में ख़रीद लिया और क़ीमत लाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के सुपुर्द कर दी। आपने उस आदमी को दी फिर आपने फ़रमाया, 'अपने नफ़्स से शुरूआत कर, उस पर सदक़ा कर, अगर कुछ बच जाये तो तेरे अहल के लिये है, अगर तेरे अहल से कुछ बच जाये तो तेरे रिश्तेदारों के लिये है और अगर तेरे क़राबतदारों से कुछ बच जाये तो इधर-उधर ख़र्च कर।' आप (ﷺ) का मक़सद था आगे और अपने दायें और बायें (ज़रूरतमन्दों में) तक़सीम कर दे।

(नसाई : 5/69-5/70, 7/304)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ " . فَقَالَ لاَ . فَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي " . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا " . يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

(2314) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक अबू मज़्कूरह नामी अन्सारी आदमी ने अपने गुलाम अपने मरने पर आज़ाद कर दिया, जिसका नाम याक़ूब था। आगे लैस़

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً،

مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ .

की मज़्कूरा बाला रिवायत के हम मानी हदीस़ बयान की।

(अबू दाऊद : 3957, नसाई : 7/304)

फ़ायदा : इंसान पर सबसे मुक़द्दम हक़ उसका अपना है और अपनी जाइज़ ज़रूरियात पर, मुनासिब अन्दाज़ से सर्फ़ करना भी अज्र व स़वाब का बाइस़ है। सिर्फ़ दूसरों पर ख़र्च करने से ही अज्र नहीं मिलता, अपने बाद सबसे मुक़द्दम अहलो-अयाल का हक़ है और फिर दर्जा-बदर्जा रिश्तेदारों का हक़ है इसलिये हुक़ूक़ की अदायगी में अक़रब फ़िल्अक़रब का लिहाज़ रखना ज़रूरी है, बिला वजह मुक़द्दम को मुअख़्ख़र नहीं किया जा सकता और ज़रूरत व हाजत की सूरत में मुदब्बर गुलाम को बेचना जाइज़ है और मुदब्बर वो गुलाम है जिसको मालिक ये कह दे तू मेरे मरने के बाद आज़ाद होगा।

بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالأَوْلاَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ

बाब 15 : रिश्तेदारों, ख़ाविन्द, औलाद और वालिदैन अगरचे काफ़िर हों, पर ख़र्च करने और सदक़ा करने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ . قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ } لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ{ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ

(2315) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि अबू तलहा (रज़ि.) अन्सारे मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार थे और उनका बीरे हा नामी बाग़ उन्हें सबसे ज़्यादा महबूब था जो मस्जिदे नबवी के सामने वाक़ेअ था। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसमें तशरीफ़ ले जाते और उसका उम्दा पानी नोश फ़रमाते। तो जब ये आयत उतरी, 'तुम नेकी हासिल नहीं कर सकोगे जब तक अपनी महबूब चीज़ (अल्लाह की राह में) ख़र्च न करोगे।' (सूरह आले इमरान : 2) अबू तलहा (रज़ि.) उठकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गये और अर्ज़ किया, अल्लाह तआला अपनी किताब में फ़रमाते हैं कि तुम नेकी हासिल नहीं कर सकोगे यहाँ तक

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ " . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ .

कि अपनी पसंदीदा चीज़ राहे इलाही में दो और मुझे अपने अम्वाल में से सबसे ज़्यादा मेरा ये बीरे हा बाग़ पसंद है और वो अल्लाह के लिये सदक़ा करता हूँ, इस उम्मीद पर कि वो अल्लाह के यहाँ मेरे लिये नेकी का सामान और आख़िरत का ज़ख़ीरा बनेगा। ऐ अल्लाह के रसूल! आप जहाँ चाहें उसे ख़र्च फ़रमायें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बहुत ख़ूब! ये सूदमन्द और नफ़ाबख़्श माल है, ये फ़ायदा बख़्श माल है, मैंने तेरी बात सुन ली है और मैं समझता हूँ कि तुम उसे अपने अक़ारिब को (रिश्तेदारों को) दे दो।' तो अबू तलहा (रज़ि.) ने उसे अपने अज़ीज़ों और चचाज़ाद भाइयों में तक़सीम कर दिया।

(सहीह बुख़ारी : 1461, 2318, 2752, 2769, 4554, 5611)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أُرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحَا لِلَّهِ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ " . قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ

(2316) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी कि 'तुम हक़ अदा नहीं कर सकोगे यहाँ तक कि अपनी महबूब तरीन चीज़ (अल्लाह की राह में) ख़र्च कर दो' अबू तलहा (रज़ि.) कहने लगे, मैं समझता हूँ अल्लाह तआला हमसे हमारा माल चाहता है ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपको गवाह बनाकर अपनी बीरे हा ज़मीन अल्लाह तआला के लिये देता हूँ, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने रिश्तेदारों को दे दो।' तो उन्होंने हज़रत हस्सान बिन स़ाबित और उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) को दे दी। (अबू दाऊद : 1689, नसाई : 6/231, 6/232)

फ़ायदा : दूर के रिश्तेदार भी रिश्तेदार ही हैं, इसलिये अगर वो ज़रूरतमन्द और मोहताज हों तो वो ज़्यादा हक़दार हैं। हज़रत हस्सान और हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के सातवीं पुश्त में जाकर रिश्तेदार बनते हैं। हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) के इसी हुक्म पर कि रिश्तेदारों को दो, उनको बाग़ तक़सीम कर दिया।

(2317) हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस़ (रज़ि.) से रिवायत है कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक लौण्डी आज़ाद की और उसका तज़्किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया, तो आपने फ़रमाया, 'अगर तुम उसे अपने मामूओं को देतीं तो तुम्हें अज्र ज़्यादा मिलता।'

(सहीह बुख़ारी : 2592)

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ " .

फ़ायदा : बाप के रिश्तेदारों की तरह माँ के रिश्तेदार और उसके भाई भी इंसान के रिश्तेदार हैं और उनको देना भी अज्र व स़वाब में इज़ाफ़ा का बाइस़ बनता है और इससे ये भी मालूम हुआ औरत अपना माल ख़ाविन्द को बताये बग़ैर भी ख़र्च कर सकती है अगरचे बेहतर ये है कि उसको ऐतिमाद में ले।

(2318) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ औरतों का गिरोह! सदक़ा करो, अगरचे अपने ज़ेवरात से करो।' तो मैं (अपने ख़ाविन्द) अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास आई और कहा, तुम कम माल वाले आदमी हो और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सदक़ा करने का हुक्म दिया है आपके पास जाकर ये मसला पूछ लो (कि अगर तुम्हें देना) काफ़ी होता है (तो ठीक है) वगरना मैं किसी और को दे दूँगी। तो अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने मुझे कहा, बल्कि तुम ख़ुद ही आपके पास जाओ, तो मैं गई और

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " . قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ . قَالَتْ فَقَالَ

لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ . قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتِي حَاجَتُهَا - قَالَتْ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ - قَالَتْ - فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ أَتُجْزِي الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ - قَالَتْ - فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ هُمَا " . فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَىُّ الزَّيَانِبِ " . قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " .

एक और अन्सारी औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के दरवाज़े पर खड़ी थी और उसको मेरे वाले मसला पूछने की हाजत थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा बहुत बारौब था। (आपसे हैबत आती थी) हमारे पास अंदर से बिलाल (रज़ि.) आये तो हमने उनसे कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आपको बताओ कि दरवाज़े पर दो औरतें आपसे पूछती हैं कि अगर वो सदक़ा अपने ख़ाविन्द को दे दें और उन यतीम बच्चों को जो उनकी किफ़ालत में हैं तो किफ़ायत कर जायेगा? और आपको हमारे बारे में न बताना कि हम कौन हैं? तो बिलाल (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुए और आपसे पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिलाल (रज़ि.) से पूछा, वो कौन हैं? उन्होंने कहा, एक अन्सारी औरत है और एक ज़ैनब है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कौनसी ज़ैनब?' उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिलाल (रज़ि.) को बताया कि (उन्हें दोहरा अज्र मिलेगा, सिला रहमी रिश्तेदारी) का अज्र और सदक़े का अज्र।'

(सहीह बुख़ारी : 1466, तिर्मिज़ी : 635-636, इब्ने माजह : 1834)

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ

(2319) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब (रज़ि.) से मज़्कूरा बाला रिवायत ही मरवी है वो बयान करती हैं कि मैं मस्जिद में थी तो नबी (ﷺ) ने मुझे देख लिया और

زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ فَذَكَرْتُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ . بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ .

फ़रमाया, 'सदक़ा करो, अगरचे अपने ज़ेवरात ही से सही।' आगे अबू अहवस की मज़्कूरा वाला रिवायत है।

फ़ायदा : हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) की रिवायात से मालूम होता है कि आपने उन्हें नफ़ली सदक़ा करने का हुक्म दिया और उसके ख़ाविन्द को देने की भी इजाज़त दी हालांकि बीवी के नान व नफ़्क़ा का ज़िम्मेदार ख़ाविन्द है इसलिये उसको मिलने वाला सदक़ा बीवी पर भी ख़र्च होगा, उसके बावजूद आपने उसे दोहरे अज्र का बाइस क़रार दिया है। इसी पर फ़र्ज़ सदक़ात को क़ियास किया जाता है कि वो भी उन रिश्तेदारों को दिये जा सकते हैं, जिनके नान व नफ़्क़ा का इंसान पाबंद या ज़िम्मेदार नहीं है। इमाम शाफ़ेई, साहिबैन (इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद) अहले ज़ाहिर और एक क़ौल की रू से इमाम अहमद के नज़दीक बीवी ख़ाविन्द को ज़कात दे सकती है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम अहमद के एक क़ौल की रू से नफ़ली सदक़ा दे सकती है, फ़र्ज़ सदक़ा देना जाइज़ नहीं है। इमाम बुख़ारी ने सदक़े के उमूम से इस्तिदलाल किया है कि इसमें नफ़ल व फ़र्ज़ की तख़सीस नहीं है, इसलिये दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ . فَقَالَ " نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ " .

(2320) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सलमा (रज़ि.) से मेरी औलाद पर मुझे ख़र्च करने पर अजर मिलेगा? जबकि मैं उन्हें छोड़ तो सकती नहीं हूँ कि वो इधर-उधर से माँगते फिरें आख़िर वो मेरे बेटे हैं। तो आपने फ़रमाया, 'हाँ! तुम्हें उन पर ख़र्च करने का अज्र मिलेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1467, 5369)

(2321) इमाम साहब अपने दूसरे दो उस्तादों से हिशाम की सनद से ही मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

फ़ायदा : औलाद की किफ़ालत और नान व नफ़्क़ा का ज़िम्मेदार बाप है, अगर बाप की गुरबत या मौत के बाइस औरत मेहनत व मज़दूरी करके उनकी किफ़ालत करती है तो वो अल्लाह तआला के यहाँ अज्र व सवाब की हक़दार है, अगरचे वो अपनी ही औलाद को पाल रही है।

(2322) हज़रत अबू मसऊद बद्री (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमान अगर अपने अहल (घर वालों) पर भी सवाब की निय्यत से ख़र्च करता है तो ये उसका सदक़ा है।'

(सहीह बुख़ारी : 4006, 5351, तिर्मिज़ी : 1965, नसाई : 5/69)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً " .

(2323) मुसन्निफ़ अपने तीन और उस्तादों से शोबा ही की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

फ़ायदा : अहलो-अयाल के नान व नफ़्क़ा का इंसान ज़िम्मेदार है। अगर वो इस फ़र्ज़ को सवाब की निय्यत से अदा करता है तो वो इस पर भी अज्र व सवाब का हक़दार ठहरता है। इससे मालूम हुआ अहलो-अयाल पर ख़र्च करते वक़्त फ़र्ज़ की अदायगी और अज्र व सवाब के हुसूल की निय्यत करनी चाहिये।

(2324) हज़रत असमा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा मेरे पास आई है और वो (सिला

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهْىَ رَاغِبَةٌ - أَوْ رَاهِبَةٌ - أَفَأَصِلُهَا قَالَ " نَعَمْ " .

रहमी की) ख़्वाहिशमन्द है (और महरूमी से) ख़ाइफ़ भी है (कि शायद मैं उसे कुछ न दूँ) क्या मैं उससे सिला रहमी करूँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' (सहीह बुख़ारी : 2620)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّي وَهْىَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ " نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ "

(2325) हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर (रज़ि.) से रिवायत है, क़ुरैश के साथ मुआहिदे सुलह के दौर में मेरी वालिदा आई और वो मुश्रिका थी। तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माँ मेरे पास आई है और वो (सदक़े की) ख़्वाहिशमन्द है तो क्या मैं अपनी माँ से सिला रहमी करूँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ! अपनी माँ के साथ सिला रहमी करो।'

फ़ायदा : अगर किसी इंसान के माँ-बाप काफ़िर हों तो फिर भी वो एहतिराम और सिला रहमी के हक़दार हैं और उनके बच्चों पर उनके कमज़ोर-ज़ईफ़ होने की सूरत में ये ज़िम्मेदारी भी आइद होती है कि वो उनके नान व नफ़्क़ा का एहतिमाम करें और बच्चियाँ भी उनसे सिला रहमी करें।

بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلَيْهِ

बाब 16 : मय्यित की तरफ़ से सदक़े का सवाब उस तक पहुँचना

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ " .

(2326) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा अचानक वफ़ात पा गई है और उसने किसी क़िस्म की वसिय्यत नहीं की। मेरा ख़याल है अगर उसको बातचीत का मौक़ा मिलता, तो वो सदक़ा करती। अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या उसे अज्र मिलेगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ।'

(2327) इमाम साहब ने अपने अलग-अलग उस्तादों से हिशाम ही की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है। अबू सलमा की रिवायत में इब्ने बिश्र की रिवायत की तरह लम तूसि (उसने वसिय्यत नहीं की) के अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन बाक़ियों की रिवायत में ये लफ़्ज़ नहीं है।
(इब्ने माजह : 2717)

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِ . كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ .

फ़ायदा : उसूल और ज़ाब्ता ये है कि इंसान अपनी ही मेहनत और कोशिश का मालिक है। दूसरे की मेहनत और कोशिश का जिसमें उसका किसी क़िस्म का दख़ल नहीं है यानी वो उसका बाइस या सबब नहीं, उसकी तहरीक और अमल में उसका हिस्सा नहीं है, वो उसका मालिक भी नहीं है। लेकिन जिनके अमल व किरदार में, उसका किसी क़िस्म का दख़ल है और उसका थोड़ा बहुत उससे तअल्लुक़ है वो उसका अगरचे मालिक नहीं है, मालिक करने वाला ही है लेकिन अपने दख़ल और तअल्लुक़ की बिना पर अल्लाह तआला के फ़ज़्ल व करम से, उसको भी उससे सवाब मिलेगा। मालिक अपनी चीज़ अगर ख़ुद किसी को दे दे और अल्लाह चाहे तो उस हदिये और अता को क़ुबूल करे क्योंकि अज्र देने वाला तो वही है और अगर न चाहे तो क़ुबूल न करे, इबादाते मालिया में बिल्इत्तिफ़ाक़ अहले सुन्नत के नज़दीक दूसरे का क़र्ज़ अदा किया जा सकता है और उसकी तरफ़ से सदक़ा व ख़ैरात भी किया जा सकता है। लेकिन इबादाते बदनिया में हर जगह नियाबत जाइज़ नहीं है, जैसे कोई किसी की तरफ़ से उसकी ज़िन्दगी में नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तिलावत नहीं कर सकता, सेहत व सलामती से मुत्तसिफ़ है तो उसकी तरफ़ से हज नहीं कर सकता और रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन मरने के बाद उनमें से कुछ कामों की इजाज़त है। उसकी तरफ़ से हज किया जा सकता है, उसके फ़ौतशुदा रोज़े रखे जा सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में नुसूस मौजूद हैं कि सहाबा व ताबेईन का अमल भी इसकी ताईद करता है, लेकिन जिस इबादत के बारे में कोई नस मौजूद नहीं है और सहाबा व ताबेईन का मज्मूई अमल इसका ताईदी नहीं है, इसके बारे में अपनी तरफ़ से क़ियास व राय से काम लेकर फ़ैसला करना दुरुस्त नहीं है। जिस तरह किसी की तरफ़ से क़ुरआन मजीद पढ़ना, नमाज़ पढ़ना और नफ़ली रोज़े रखना।

बाब 17 : हर क़िस्म की नेकी को सदक़े का नाम दिया जा सकता है

بَاب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

(2328) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नेकी सदक़ा है।' कुतैबा की रिवायत है तुम्हारे नबी (ﷺ) ने फ़रमाया इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है नबी (ﷺ) ने फ़रमाया।

(अबू दाऊद : 4947)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" .

(2329) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के कुछ साथियों ने नबी (ﷺ) से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! सरमायेदार अज्र व सवाब ले गये, वो हमारी तरह नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़े रखते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मालों को ख़र्च करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये सदक़ा करने की सूरत नहीं पैदा की? एक बार सुब्हानअल्लाह कहना सदक़ा है और एक बार अल्लाहु अकबर कहना सदक़ा है एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदक़ा है और एक बार ला इला-ह इल्लल्लाह कहना सदक़ा है, नेकी की तल्क़ीन करना सदक़ा है और बुराई से रोकना सदक़ा है और बीवी से तअल्लुक़ात

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي، ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ " أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ

صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ " .

क़ायम करना भी सदक़ा है।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, क्या जब हममें से कोई अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश (जिन्सी ज़रूरत) पूरी करता है, उसमें भी उसे अज्र मिलता है? आपने जवाब दिया, 'बताओ अगर वो उसे हराम जगह इस्तेमाल करता है तो क्या उसे उस पर गुनाह होता है या नहीं? उसी तरह जब वो उसे जाइज़ महल पर रखता है तो उसे अज्र भी मिलता है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : दसूर : दस़र की जमा है माले कस़ीर को कहते हैं।

फ़ायदा : शरीअ़त की मुक़र्रर करदा हुदूद के मुताबिक़ जो काम भी किया जाये बशर्तेकि मक़सूदे शरीअ़त की पाबंदी और अपने फ़रीज़े की अदायगी हो तो हर काम अज्र व स़वाब का बाइस़ है यहाँ तक कि तबई और जिन्सी ज़रूरत को पूरा करना भी। सहीह निय्यत की सूरत में स़वाब का बाइस़ है। जैसाकि शरीअ़त की हुदूद व कुयूद को पामाल करना और उनकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करना गुनाह और नुक़सान का सबब है। उसी तरह नेकी का हर काम और अ़मल ज़िक्र व अज़्कार, अम्र बिल्मअ़रूफ़ और नहि अ़निल मुन्कर (भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना) भी सदक़ा है यानी अज्र व स़वाब का सबब है।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاَثِمِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ

(2330) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बनू आदम (आदम की औलाद) में से हर इंसान के तीन सौ साठ (360) जोड़ बनाये गये हैं, तो जिसने अल्लाहु अकबर कहा, ला इला-ह इल्लल्लाह कहा, सुब्हानअल्लाह कहा, अस्तग़्फ़िरुल्लाह कहा, लोगों के रास्ते से पत्थर हटाया या लोगों के रास्ते से काँटा या हड्डी दूर की, नेकी की तल्क़ीन की या बुराई से रोका, तीन सौ साठ (360) जोड़ों की तादाद के बराबर, तो वो उस दिन इस तरह चले

النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلاَثِمِائَةِ السُّلاَمَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ " . قَالَ أَبُو تَوْبَةَ وَرُبَّمَا قَالَ " يُمْسِي " .

फिरेगा कि वो अपने आपको दोज़ख़ से दूर कर चुका है।' बाज़ दफ़ा रावी ने यम्शी की जगह युम्सी (शाम करना) कहा।

मुफ़रदातुल हदीस़ : मिफ़्सल : सुलामा, हड्डियों के जोड़, उंगलियों के पोरे।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، أَخْبَرَنِي أَخِي، زَيْدٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ". وَقَالَ " فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ" .

(2331) मुसन्निफ़ यही हदीस़ दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि यहाँ व अमर की जगह औ अमर बिमअ़रूफ़ है और यम्शी चलता है की जगह युम्सी शाम करता है आया है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ " . بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ . وَقَالَ " فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ " .

(2332) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर इंसान पैदा किया गया है...।' आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की है और उसमें भी फ़इन्नहू यम्शी यौमइज़िन (वो उस दिन चलता है) आया है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي، بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

(2333) हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर मुसलमान के ज़िम्मे सदक़ा है।' पूछा गया, बताइये अगर इंसान के पास ताक़त न हो? (वो सदक़ा न कर सके) आप (ﷺ) ने

फ़रमाया, 'वो काम-काज करे अपने आपको भी नफ़ा पहुँचाये और सदक़ा भी करे।' कहा गया, बताइये अगर वो ऐसा न कर सके? फ़रमाया, 'ज़रूरतमन्द और लाचार व मजबूर परेशान हाल की मदद करे।' आपसे अ़र्ज़ किया गया, अगर ये भी न कर सके? आपने फ़रमाया, 'नेकी या ख़ैर व भलाई की तल्क़ीन करे।' अ़र्ज़ किया गया, बताइये अगर ये भी न करे? आपने फ़रमाया, 'बुराई से रुक जाये, ये भी (अपने ऊपर) सदक़ा है।' मल्हूफ़ लाचार, मजबूर, मज़्लूम, परेशान हाल, रन्जीदा।

صَدَقَةٌ " . قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ " يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ " . قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ " يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ " . قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ " يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ " . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ " يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ " .

(2334) यही रिवायत इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद से बयान की है।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(2335) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'और लोगों के हर जोड़ के ज़िम्मे सदक़ा है, हर दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है।' आपने फ़रमाया, 'अ़द्ल व इंसाफ़ से दो आदमियों के दरम्यान सुलह कराना सदक़ा है, आप किसी की उसके चौपाये के बारे में मदद करते हैं, उसे उस पर सवार करते हैं या उसको उसका सामान उठा कर देते हैं ये भी सदक़ा है।' आपने फ़रमाया, 'अच्छा बोल भी सदक़ा है और हर क़दम जो आप नमाज़ के लिये उठाते हैं सदक़ा है, रास्ते से जो तकलीफ़देह चीज़ दूर करते हो वह भी सदक़ा है।'

(सहीह बुख़ारी : 2707, 2891, 2989)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ، مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ - قَالَ - تَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ - قَالَ - وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ " .

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने हर इंसान के जिस्म में तीन सौ साठ (360) जोड़ पैदा किये हैं और उनका शुक्र ये है कि इंसान उन आज़ा (अंग) से वही काम ले जिसके लिये उन्हें पैदा किया गया है और उनकी सेहत व सलामती के लिये सहीह और नेक काम करे अल्लाह तआला के ज़िक्र और याद में मशग़ूल रहे। मख़्लूक़ के साथ अच्छाई से पेश आये, मुम्किन हद तक उनका तआवुन करे। इसी तरह जोड़ों की नवाज़िश का शुक्र भी अदा हो जायेगा और अज्र व सवाब भी मिलेगा। इंसान के बस में अगर कुछ भी न हो, तो अगर दूसरों का भला नहीं कर सकता तो उनसे बुराई करके, अपना नुक़सान तो न करे। कम से कम दूसरों को तकलीफ़ देने ही से दूर रहे ताकि जुर्म व गुनाह से बच जाये और ये अपने ऊपर सदक़ा होगा।

बाब 18 : ख़र्च करने वाले और बख़ील बनने वाले की हालत

باب فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا . وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا " .

(2336) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर दिन जिसमें लोग दाख़िल होते हैं दो फ़रिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक दुआ करता है ऐ अल्लाह! (जाइज़) ख़र्च करने वाले को उसकी जगह माल दे। दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह! रोके रखने वाले के माल को ज़ाया कर दे (वो अपने माल से फ़ायदा न उठा सके)।'

(सहीह बुख़ारी : 1442)

फ़ायदा : शरीअत के मुताबिक़ ख़र्च करने वाला रोज़ाना फ़रिश्ते की दुआ का हक़दार ठहरता है और जाइज़ मौक़ों पर ख़र्च करने से बुख़्ल और कन्जूसी करने वाला रोज़ाना फ़रिश्ते की बद्दुआ लेता है, जिसकी बिना पर वो माल को सहीह मौक़े और महल पर सर्फ़ करके अज्र व सवाब का हक़दार नहीं बन सकता। बल्कि वो माल उसके लिये वबाले जान बन जाता है। लोगों की तन्ज़ो-मलामत और बद्दुआयें लेता है।

باب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لاَ يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

बाब 19 : सदक़ा करने की तरग़ीब और शौक़ दिलाना पेशतर इसके कि कोई सदक़ा क़ुबूल करने वाला ही न मिले

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الآنَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا . فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا " .

(2337) हज़रत हारिसा बिन वहब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सदक़ा करो, क़रीब है कि ऐसा वक़्त आ जाये कि इंसान अपना सदक़ा लेकर घूमेगा जिसको देगा वो कहेगा, अगर आप हमारे पास कल लाते तो मैं इसे क़ुबूल कर लेता, अब तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इस तरह उसे सदक़ा क़ुबूल करने वाला न मिलेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1411, 1424, 7120, नसाई : 5/77)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ " وَتَرَى الرَّجُلَ " .

(2338) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'लोगों पर यक़ीनन एक ऐसा वक़्त आयेगा कि आदमी उसमें अपना सोने का सदक़ा लेकर घूमेगा, फिर भी कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। मर्दों की क़िल्लत (कमी) और औरतों की कसरत (ज़्यादा होने) से ये सूरते हाल पेश आयेगी कि एक आदमी के तहफ़्फ़ुज़ व पनाह में चालीस औरतें उसके साथ होंगी।' इब्ने बर्राद की रिवायत में युरा रजुलु की जगह तर्रजुल आया है। (सहीह बुख़ारी : 1414)

(2339) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़यामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुममें माल बढ़ जायेगा और पानी की तरह बहेगा यानी आम हो जायेगा। यहाँ तक कि आदमी अपने माल की ज़कात लेकर चले-फिरेगा। तो उससे उसे कोई क़ुबूल करने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अरब के (रेगिस्तान और पहाड़ी इलाक़े) चारागाहों और नहरों वाले बन जायेंगे।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا " .

(2340) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़यामत क़ायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुममें माल की फ़रावानी होगी तो वो आम हो जायेगा यहाँ तक कि माल के मालिक को फ़िक्र व परेशानी होगी कि उससे उसका सदक़ा कौन क़ुबूल करेगा। उसके लिये आदमी को बुलाया जायेगा तो वो कहेगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لاَ أَرَبَ لِي فِيهِ " .

(2341) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ज़मीन अपने जिगर गोशे सोने और चाँदी के सुतूनों की शक्ल में उगल देगी (ज़मीन अपने तमाम ख़ज़ाने बाहर निकालेगी) तो क़ातिल आकर (देखेगा) और कहेगा, इसकी ख़ातिर मैंने क़त्ल किया था, रिश्तेदारी तोड़ने वाला आकर (देखकर) कहेगा, इसकी ख़ातिर मैंने क़तअ रहमी की, चोर आकर (देखकर) कहेगा, इसके सबब मेरा हाथ काटा गया,

وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ - وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ . وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي .

وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا " .

फिर उस माल को छोड़ देंगे, उसमें से कुछ भी न लेंगे।' (तिर्मिज़ी : 2208)

फ़ायदा : इन तमाम अहादीस़ का तअ़ल्लुक़ महदी (अलै.) और हज़रत ईसा (अलै.) के दौर से है जब क़यामत का ज़माना क़रीब आ जायेगा जंगों के नतीजे में मर्द हलाक हो जायेंगे औरतें रह जायेंगी। ज़मीन अपने ख़ज़ाने उगल देगी, लोगों के दिलों में माल व दौलत की हवस ख़त्म हो जायेगी और आख़िरत की फ़िक्र बढ़ जायेगी, अगरचे इसकी कुछ झलक हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) के दौर में देखी जा चुकी है, लेकिन असल ज़ुहूर आख़िरी दौर में होगा। जब बरकाते अरज़ी (ज़मीन की बरकतों) का पूरा-पूरा ज़ुहूर होगा।

باب قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

बाब 20 : पाकीज़ा कमाई से सदक़े की क़ुबूलियत और उसकी नशोनुमा

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ -إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ " .

(2342) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान पाकीज़ा माल से सदक़ा करता है... और अल्लाह तआ़ला पाकीज़ा माल ही क़ुबूल फ़रमाता है, तो रहमान उसे अपने दायें हाथ से लेता है (क़ुबूल फ़रमाता है) वो अगरचे एक खजूर ही हो। फिर वो रहमान की हथेली में फलता-फूलता (बढ़ता है) यहाँ तक कि पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है, जैसे कि तुममें से कोई अपने बछड़े (घोड़े के बच्चे) या टोडे (ऊँट के बच्चे) को पालता-पोसता है।'

(सहीह बुख़ारी : 1410, 7430, तिर्मिज़ी : 661, नसाई : 5/57, इब्ने माजह : 1842)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، -

(2343) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया,

يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلاَّ أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ " .

'कोई इंसान पाक कमाई से एक खजूर भी ख़र्च नहीं करता, मगर अल्लाह उसे अपने दायें हाथ से लेता है और उसे इस तरह पालता-पोसता है जिस तरह तुममें से कोई अपने घोड़े या ऊँट को पालता-पोसता है यहाँ तक कि वो (खजूर) पहाड़ की तरह बल्कि उससे भी बड़ी हो जाती है।'

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، -يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . فِي حَدِيثِ رَوْحٍ " مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا" . وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ " فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا " .

(2344) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से यही रिवायत सुहैल की सनद से बयान करते हैं, रौह की हदीस़ में है, 'पाकीज़ा कमाई से और उसे अल्लाह सहीह मौक़े व महल पर रखता है' और सुलैमान की हदीस़ में फ़ी हक़्क़िहा की जगह फ़ी मौज़िइहा उसे उसके महल पर रखता है (मक़सद दोनों अल्फ़ाज़ का एक ही है)।

(सहीह बुख़ारी : 1410, 7430)

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ سُهَيْلٍ .

(2345) इमाम साहब यही हदीस़ अपने दूसरे उस्ताद से याक़ूब की हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1411)

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

(2346) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! अल्लाह तआला पाक है (हर नुक़्स व कमज़ोरी से) और पाक माल ही क़ुबूल फ़रमाता है और अल्लाह तआला ने मोमिनों

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ } يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ{ وَقَالَ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ{ " . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ " .

को उस बात का हुक्म दिया है जिस बात का रसूलों को दिया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'ऐ रसूलो! पाक चीज़ें खाओ और सहीह व दुरुस्त काम करो (नेक काम करो) जो कुछ तुम करते हो मैं उससे आगाह हूँ (जानता हूँ)।' (सूरह मोमिनून : 51) और फ़रमाया, 'ऐ मोमिनो! जो पाक रिज़्क़ हमने तुम्हें इनायत फ़रमाया है उससे खाओ।' (सूरह बक़रह : 172) फिर आप(ﷺ) ने एक ऐसे आदमी का तज़्किरा फ़रमाया, जो तवील सफ़र करता है, परागन्दा बाल ग़ुबार आलूद, आसमान की तरफ़ अपने दोनों हाथ फैलाता है (और कहता है) ऐ मेरे रब! ऐ मेरे रब! हालांकि उसका खाना हराम, पीना हराम, उसका लिबास हराम और उसको ग़िज़ा हराम की दी गई, तो उसकी दुआ कैसे कुबूल होगी?'

(तिर्मिज़ी : 2989)

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) फ़लुव्व :** बछेरा, घोड़े का बच्चा। **(2) फ़सील :** टोड़ा, ऊँट का बच्चा। **(3) क़लूस :** नौजवान ऊँट। **(4) अश्अस़ :** परागन्दा बाल। **(5) अग़्बर :** ग़ुबार आलूद जिस्म। **(6) ग़ुज़िय :** पाला-पोसा गया।

फ़वाइद : **(1)** अल्लाह तआला हर ऐब व नुक़्स और कमज़ोरी से पाक-साफ़ है, इसलिये पाक-साफ़ चीज़ को कुबूल फ़रमाता है। नाजाइज़ और हराम माल उसके यहाँ शर्फ़े कुबूलियत हासिल नहीं कर सकता। इसलिये नापाक और हराम माल सदक़ा करना, अपने आपसे धोखा और फ्रॉड है, क्योंकि अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिये अल्लाह तआला ने अपने रसूल और उनके पैरोकारों को पाक माल खाने और अच्छे अमल करने का हुक्म दिया है क्योंकि पाक रिज़्क़ खाने से ही नेक अमल की तौफ़ीक़ें मिलती हैं (और सदक़ा भी नेक काम है और उसे वही कर सकता है जिसका माल हलाल और पाक होगा)। **(2)** अल्लाह तआला बेनियाज़ और ग़नी है वो सदक़ात व ख़ैरात का मोहताज नहीं है। वो इंसान की भलाई और बेहतरी के लिये उसको सदक़ा करने का हुक्म देता है ताकि क़यामत के दिन एक खजूर भी जो इख़्लास और नेक निय्यती से सहीह और बरमहल, पाक माल से

ख़र्च की गई है एक पहाड़ के बराबर बल्कि उससे भी बढ़कर इंसान के लिये नफ़ा पहुँचाने वाला हो। (3) जिस तरह नापाक और हराम माल अल्लाह के यहाँ कुबूल नहीं है, उसी तरह नापाक बन्दा जिसको हराम माल से पाला-पोसा गया और वो हराम माल भी खाता, पीता और पहनता है अल्लाह के यहाँ बारयाबी का शर्फ़ हासिल नहीं कर सकता और ऐसा इंसान अपनी दुआ की क़ुबूलियत की उम्मीद नहीं रख सकता, क़ुबूलियते दुआ के लिये, कमाई का पाक और जाइज़ होना बुनियादी शर्त है। इस्तिदराज (ढील की मस्लिहत) के तौर पर बज़ाहिर अगर किसी की दुआ क़ुबूल कर ली जाती है तो ये अल्लाह तआला की मर्ज़ी है, जिसका मदार उसकी हिक्मत पर है।

बाब 21 : सदक़े की तरग़ीब अगरचे वो खजूर की फांक या पाकीज़ा बोल ही क्यों न हो और वो आग से पर्दा और आड़ बनता है

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ

(2347) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से जो शख़्स आग से बच सकता है अगरचे खजूर के टुकड़े के सबब ही सही.... तो वो ऐसा करे।'

(सहीह बुख़ारी : 1417)

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : शिक़्क़ : फांक, टुकड़ा, हिस्सा या आधा हिस्सा।

(2348) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से हर शख़्स से अल्लाह तआला यक़ीनन इस तरह बातचीत फ़रमायेगा कि उसके और अल्लाह तआला के दरम्यान कोई तर्जुमान नहीं होगा। वो अपने दायें देखेगा तो उसे अपने आगे भेजे हुए आमाल ही नज़र आयेंगे और अपने बायें देखेगा तब भी आगे

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ، بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ

سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " . زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ " وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " . وَقَالَ إِسْحَاقُ قَالَ الأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ .

भेजे हुए आमाल ही दिखाई देंगे और अपने आगे देखेगा तो उसे अपने सामने आग ही दिखाई देगी। इसलिये आग से बचो, अगरचे आधी खजूर ही के ज़रिये।' इब्ने हुज्र की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है (अगर पाकीज़ा बोल या अच्छी बात से ही सही) इस्हाक़ की रिवायत में आमश और ख़ैसमह के दरम्यान अम्र बिन मुर्रह का इज़ाफ़ा है।

(सहीह बुख़ारी : 6539, 7443, 7512, तिर्मिज़ी : 2415, इब्ने माजह : 1843)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ " اتَّقُوا النَّارَ " . ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ كَأَنَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ .

(2349) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आग का तज़्किरा किया और मुँह फेर लिया और डराया या चौकन्ना किया फिर फ़रमाया, 'आग से बचो।' फिर ऐराज़ किया और रुख़ फेर लिया यहाँ तक कि हमने गुमान किया, गोया कि आप (ﷺ) उसे देख रहे हैं। फिर फ़रमाया, 'आग से बचो! अगरचे खजूर के टुकड़े के सबब, जिसके पास इतनी भी सकत न हो तो अच्छे बोल के बाइस।' अबू कुरैब की रिवायत में कअन्नमा का लफ़्ज़ नहीं है और अन अअ्मश की जगह हद्दसना अअ्मश है।

(सहीह बुख़ारी : 6023, 6540, 6563, नसाई : 5/75)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

(2350) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आग का तज़्किरा फ़रमाया, उससे पनाह तलब की और रुख़ बदल लिया इस तरह तीन बार किया।

حَاتِمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " .

फिर फ़रमाया, 'आग से बचो! ख़्वाह खजूर के टुकड़े के सबब, अगर ये भी न मिल सके तो अच्छे और पाकीज़ा बोल के सबब।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : अशाह : मुँह फेर लिया।

फ़ायदा : आप (ﷺ) ने दोज़ख़ का तज़्किरा इस अन्दाज़ से फ़रमाया जैसे आप उसे देख रहे हैं और फिर अपने अतवार अहवाल से उसके ख़ौफ़ व ख़तरे से आगाह फ़रमाया और उससे बचने की तरकीब और तरीक़ा भी बताया कि इंसान को सदक़ा व ख़ैरात को मामूली और हक़ीर काम नहीं समझना चाहिये जिस क़द्र भी मुम्किन हो। इसकी आदत डालनी चाहिये और उन्हें तो कम से कम दूसरों से बोलचाल तो ख़ुश उस्लूबी और अच्छे तरीक़े से करना ही चाहिये, अच्छा और पाकीज़ा बोल भी अज़ाब से बचाता है और इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि आमाल का वजूद है इसलिये इंसान उन्हें अपने दायें-बायें और सामने देखेगा।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ، بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ

(2351) हज़रत जरीर (रज़ि.) से रिवायत है कि हम दिन के आग़ाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे कि आपके पास कुछ लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, गले में धारीदारी ऊनी चादरें या अबायें पहने हुए और तलवारें लटकाये हुए आये, उनमें से अक्सर बल्कि सबके सब मुज़र क़बीले से तअल्लुक़ रखते थे, उनके फ़क़्रो-फ़ाक़ा को देखकर रसूलुल्लाह (ﷺ) का रुख़े अनवर मुतग़य्यर हो गया। आप अंदर तशरीफ़ ले गये, फिर बाहर निकले और बिलाल को हुक्म दिया उन्होंने अज़ान और इक़ामत कही, आपने नमाज़ पढ़कर ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'ऐ लोगो! अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया... पूरी आयत पढ़ी सूरह निसा : 1 बेशक अल्लाह तुम पर निगेहबान और

" } يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ{ إِلَى آخِرِ الآيَةِ } إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{ وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ } اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ{ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ - قَالَ - ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ " .

मुहाफ़िज़ है।' और सूरह हश्र की आयत को, 'अल्लाह से डरो और हर नफ़्स ग़ौर व फ़िक्र करे उसने आने वाले कल के लिये आगे क्या भेजा है और अल्लाह के (ग़ज़ब और नाफ़रमानी से).... बचो।' आयत नम्बर 18 हर आदमी अपना (दीनार, दिरहम, अपना कपड़ा, अपना गन्दुम का साअ, खजूर का साअ सदक़ा करे यहाँ तक कि आपने फ़रमाया, 'ख़्वाह खजूर का टुकड़ा ही सदक़ा करे।' तो एक अन्सारी एक हथेली लाया, उसका हाथ उसको उठाने से बेबस और आजिज़ हो रहा था, बल्कि आजिज़ हो ही गया था, फिर लोग लगातार ला रहे थे, यहाँ तक कि मैंने ग़ल्ला और कपड़ों के दो ढेर देखे, यहाँ तक कि मैंने देखा रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा मुबारक (ख़ुशी व मसर्रत) से जगमग कर रहा था गोया कि उस पर सोने का झोल फेरा गया है। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने इस्लाम में अच्छा तरीक़ा अपनाया, तो उसे उसका अज्र मिलेगा और उन लोगों का अज्र भी जिन्होंने (उसे देखकर) उसके बाद उस पर अमल किया। बग़ैर इसके कि अज्र व सवाब में किसी क़िस्म की कमी हो और जिसने इस्लाम में ग़लत राहे अमल इख़्तियार की (बुरी चाल अपनाई) उस पर उसका गुनाह और बोझ होगा और उसके बाद (उसके देखा देखी) जो उस पर अमल करेंगे उनका गुनाह भी बग़ैर इसके कि उनके गुनाह में किसी क़िस्म की कमी वाक़ेअ हो।' (नसाई : 5/75, इब्ने माजह : 203)

फ़वाइद : (1) मुसलमानों के फ़क्रो-फ़ाक़ा की हालत देखकर आप इन्तिहाई तौर पर परेशान हो गये यहाँ तक कि आपके चेहरे का रंग बदल गया और आप परेशानी के आलम में कभी घर के अंदर जाते और कभी बाहर तशरीफ़ लाते कि उनके तआवुन और मदद की कोई राह निकले, इसके लिये आपने नमाज़ का वक़्त होने पर अज़ान कहलवा कर नमाज़ का एहतिमाम किया। लोग इकट्ठे हो गये तो नमाज़ पढ़ाकर उन्हें वहदते इंसानी का सबक़ दिया, आख़िरत की फ़िक्र और एहसास उजागर किया और फिर सदक़े की तल्क़ीन की, मुसलमानों ने अपने दीनी भाइयों की मदद व इआनत में किसी क़िस्म की कोताही और सुस्ती रवा न रखी बल्कि फ़ोरन लोग अपने घरों से खाने की चीज़ें और कपड़े लाने लगे। यहाँ तक कि खाने और कपड़े के दो बड़े ढेर जमा हो गये। मुसलमानों की हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही का जज़्बा और तआवुन व इआनत की सूरत देखकर मसर्रत व शादमानी से आपका चेहरा लहलहा उठा और जगमगाने लगा। इस्लाम मुसलमानों के दिलों में एक-दूसरे के लिये यही जज़्बा ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी पैदा करना चाहता है। (2) कुछ वाजिबुल एहतिराम और क़ाबिले क़द्र उलमा ने इस हदीस़ से कुल्लु बिदअतिन ज़लालह के उमूम में तख़सीस पैदा की है, जैसाकि अल्लामा नववी ने लिखा है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लालह में बिदअत से मुराद मुहदसाते बातिला और बिदआते मज़्मूमा हैं और इसको बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने हाशिया आराई की है। हालांकि इस हदीस़ में बिदअत का लफ़्ज़ ही नहीं है बल्कि सन्न सुन्नतन का लफ़्ज़ और सुन्नह उस रास्ते को कहते हैं जिस पर लोगों की आमद व रफ़्त हो यानी वो डगर या राहे अमल जो पहले से मौजूद है। जैसाकि इस हदीस़ में थैली लाने वाले सहाबी ने कोई नया काम नहीं किया था। सिर्फ़ सदक़ा करने में पहल की थी, इस ऐतिबार से वो बारिश का पहला क़तरा बने, गोया किताबो-सुन्नत से साबितशुदा अमल को इख़्तियार करने में पहल की, इसी तरह जो इंसान किताबो-सुन्नत की रू से मम्नूअ (मना शुदा) अमल को इख़्तियार करने में पहल करेगा, वो सबके गुनाह में शरीक होगा इस तरह किताबो-सुन्नत से साबितशुदा अमल अगर कहीं छूट चुका हो तो उस जगह जो शख़्स उसको रिवाज देगा वो उस पर अमल करने वाले लोगों के अज्र व सवाब का हक़दार होगा। अगर किसी गाँव या इलाक़े में ग़लत काम नहीं हो रहा, जैसे कहीं टी.वी. या वी.सी.आर. मौजूद नहीं है जो सबसे पहले लायेगा वो बाद वालों के जुर्म में शरीक होगा। अब अगर कोई साहिबे इल्म किताब लिखता है और उसका मक़सद दीन की इशाअत व तब्लीग़ या किताबो-सुन्नत की तफ़्हीम है, जिसका आपने हुक्म दिया है लेकिन उसकी कोई शक्ल व सूरत मुतअय्यन नहीं फ़रमाई कि सिर्फ़ फ़लाँ तरीक़े और फ़लाँ शक्ल में दीन और किताबो-सुन्नत की इशाअत करना इसलिये उसके बारे में ये कहना कि ये मा लम यरिद बिहिस्सुनह है जिसका सुन्नत में ज़िक्र नहीं है, सिर्फ़ सीनाज़ोरी है और ग़लत सोच है, फ़लाँ-फ़लाँ इमाम या आलिम के बिदअत की क़िस्में बनाने से, ये क़िस्में सहीह नहीं हो जायेंगी। जबकि आपकी सहीह हदीस़ है कुल्लु बिदअतिन ज़लालह और उलमा का एक गिरोह इसका सहीह मफ़्हूम, इसके उमूम की सूरत में ही बयान करता है और तक़सीम को

ग़लत क़रार देता है जैसाकि उलमाए अहनाफ़ में से शैख़ अहमद सरहिन्दी ने ऐसे ही किया है और हम मुनासिब मौक़े पर उनकी इबारत नक़ल करेंगे। ख़ुलास–ए–कलाम ये है कि जो सुन्नतें और मुस्तहब्बात ऐसे हैं जिनकी तरफ़ लोगों की इल्तिफ़ात व तवज्जह नहीं है या उस पर लोगों ने अमल छोड़ दिया है या किसी मख़्सूस मौक़े और वक़्त नेक काम में जो पहल करता है और आगे बढ़कर उसका आग़ाज़ करता है वो मन सन्न सुन्नतन हसनह का मिस्दाक़ है और जो इंसान किसी नाजाइज़ या हराम चीज़ की तरवीज करता है या किसी ख़ास मौक़े और वक़्त पर उसमें पहल करता है और उसके करने में आगे होता है। दूसरे वो काम बाद में उसको देखकर करते हैं वो मन सन्न सुन्नतन सय्यिअह का मिस्दाक़ है और जो काम दीनी ज़रूरत और दीन के तक़ाज़े के तहत शुरू किये गये हैं और उनकी शक्ल व सूरत मुतअय्यन और मख़्सूस नहीं है। उनमें वक़्त व हालात की तब्दीली के तहत तब्दीली हो सकती है, उनसे बिदअत के जवाज़ पर इस्तिदलाल करना जबकि उसमें यानी बिदअत में तो एक शक्ल व सूरत मख़्सूस और मुतअय्यन कर दी जाती है दुरुस्त नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاَ، جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَ النَّهَارِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ

(2352) इमाम साहब दो और उस्तादों से यही हदीस़ बयान करते हैं कि हज़रत जरीर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हम दिन के शुरूआत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास थे जैसाकि इब्ने जअफ़र की रिवायत गुज़र चुकी है। इमाम साहब के उस्ताद इब्ने मुआज़ की हदीस़ में इतना इज़ाफ़ा है कि फिर आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी फिर ख़िताब फ़रमाया।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ وَسَاقُوا

(2353) हज़रत जरीर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि एक क़ौम ऊन की धारीदार तहबंद बान्धे आई... और पूरा वाक़िया बयान किया और उसमें है कि आप (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। फिर छोटे मिम्बर पर चढ़ गये और अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान फ़रमाई। फिर फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने

الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ} الآيَةَ " .

अपनी किताब में नाज़िल फ़रमाया है, 'ऐ लोगो! अपने रब से डरो.....अल्आयत।' (सूरह हज्ज : 1)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، يَزِيدَ وَأَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ . قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ .

(2354) हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ बदवी लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, ऊन पहने हुए थे। आप(ﷺ) ने उनकी बदहाली देखी कि वो हाजतमन्द हैं। फिर मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की।

بَابُ الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ

बाब 22 : सदक़ा करने के लिये उज्रत पर बार बरदारी करना (बोझ उठाना) और कम सदक़ा देने वाले की तन्क़ीस (मज़म्मत) से इन्तिहाई सख़्ती से मना करना

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ . قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ - قَالَ - فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ - قَالَ - وَجَاءَ إِنْسَانٌ

(2355) हज़रत अबू मसऊ़द (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें सदक़ा करने का हुक्म मिलता तो हम बोझ ढोते थे। अबू अ़क़ील (रज़ि.) ने आधा साअ़ सदक़ा किया। एक दूसरा इंसान उससे काफ़ी ज़्यादा लाया। तो मुनाफ़िक़ कहने लगा, अल्लाह तआ़ला को इस (अबू अ़क़ील) के सदक़े की ज़रूरत नहीं है और उस दूसरे ने तो सिर्फ़ दिखलावा किया है तो इस पर ये आयते मुबारका उतरी, 'जो

بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً فَنَزَلَتْ ‏{‏ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ‏}‏ وَلَمْ يَلْفِظْ بِشْرٌ بِالْمُطَّوِّعِينَ ‏.‏

लोग अपनी ख़ुशी से सदक़ा करने वाले मोमिनों पर और उन लोगों पर जो मेहनत व मशक़्क़त करके ही सदक़ा कर सकते हैं, तअ़न व तन्ज़ करते हैं...।' (सूरह तौबा : 79) बिश्र ने बिल्मुत्तव्विईन का लफ़्ज़ नहीं कहा।

(सहीह बुख़ारी : 1415-1416, 2273, 4668-4669, नसाई : 5/59, इब्ने माजह : 4155)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ح وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ‏.‏

(2356) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं और सईद बिन रबीअ़ की रिवायत में है कुन्ना नुहामिलु अ़ला ज़ुहूरिना हम अपनी पुश्तों पर बोझ लादते थे। इस हदीस़ से मालूम हुआ इंसान को सदक़ा व ख़ैरात करने की कोशिश करनी चाहिये, चाहे उसके लिये मेहनत व मज़दूरी या बार बरदारी से ही काम लेना पड़े और सदक़े में अपनी इस्तिताअ़त व कुदरत रखते हुए कमी व बेशी की जा सकती है और उसमें लोगों के तअ़न व तश्नीअ़ को ख़ातिर में नहीं लाना चाहिये क्योंकि बदअ़मल और बुरे लोग नेक अ़मल से बचने के लिये नेकियों पर तअ़न व तश्नीअ़ करके अपनी बद अ़मली और बदकारी पर पर्दा डालना चाहते हैं।

باب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

बाब 23 : दूध देने वाला जानवर आ़रियतन देने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ ‏"‏ أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ

(2357) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है वो आप (ﷺ) तक पहुँचाते हैं आपने फ़रमाया, 'क्या कोई आदमी है जो किसी

بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ " .

ख़ानदान को ऐसी दूध देने वाली ऊँटनी दूध पीने के लिये दे जो सुबह एक बड़ा प्याला दूध भर कर दे और शाम को भी बड़ा प्याला भर कर दूध दे, बिला शुब्हा इसका अज्र बहुत बड़ा है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **मनीहा :** उस अतिये और तोहफ़े को कहते हैं जो आरिज़ी और वक़्ती तौर पर किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिये दिया जाये और फिर वापस ले लिया जाये। (2) **उस्सुन, अल्क़दहुल कबीर :** बड़ा प्याला।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالاً وَقَالَ " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا " .

(2358) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने चंद ख़स्लतों से मना फ़रमाया और फ़रमाया, 'जिसने दूध देने वाला जानवर आरियतन दिया, तो उसका सुबह का दूध सदक़ा होगा और उसका शाम का दूध सदक़ा होगा।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **सुबूह :** सुबह का दूध। (2) **ग़बूक़ :** शाम का दूध। ये दोनों लफ़्ज़ सदक़े से बदल होने की बिना पर मजरूर होंगे या ज़र्फ़ बनकर मन्सूब।

फ़ायदा : किसी ज़रूरतमन्द और मोहताज ख़ानदान को आरियतन दूध पीने के लिये जानवर देना उतना ही अज्र व स़वाब का बाइस़ है जितना सुबह व शाम का दूध सदक़ा बनता है। जिससे सुबह व शाम अज्र मिलता है, उसी तरह ज़रूरतमन्द घराने को फलदार दरख़्त का अतिया, आरिज़ी तौर पर या मुस्तक़िल तौर पर इनायत कर देना भी अज्र व स़वाब का बहुत बड़ा सबब है।

بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ

बाब 24 : देने वाले (सख़ी) और बख़ील की मिस़ाल

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

(2359) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़र्च करने वाले और सदक़ा देने वाले की मिस़ाल उस आदमी की मिस़ाल है जो छाती से लेकर

وسلم . قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ -وَقَالَ الآخَرُ فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ - أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ " . قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ .

गले तक दो कुर्ते या दो ज़िरहें पहने हुए है, जब ख़र्च करने वाले और' दूसरे रावी के बक़ौल, 'सदक़ा देने वाला, सदक़ा देने का इरादा करता है तो वो ज़िरह (पूरे जिस्म पर) फैल जाती है या पूरी हो जाती है और जब बख़ील ख़र्च करने का इरादा करता है तो वो (अपनी जगह) जिस्म पर सुकड़ जाती है और हर हल्क़ा अपनी जगह जम जाता है यहाँ तक कि उसके पोरों को छिपा लेता है और उसके नक़्शे पा को मिटा देता है।' अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बताया आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो उसको वसीअ करना चाहता है लेकिन वो कुशादा नहीं होती या खुलती नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 5797, नसाई : 5/710)

फ़ायदा : सख़ी और बख़ील की सहीह मिसाल अगली रिवायात में आ गई है इस हदीस में तक़्दीम और ताख़ीर और तहरीफ़ हो गई है। मसलुल मुन्फ़िक़ि वल्मुतसद्दिक़ की जगह मसलुल मुन्फ़िक़ि वल्बख़ील होना चाहिये कमसलि रजुल की जगह कमसलि रजुलैन होना चाहिये जुब्बतान और जुन्नतान की जगह जुन्नतान है। तुजिन्नु बनानहू व तअ़फ़ुव असरहू का तअ़ल्लुक़ मुतसद्दिक़ से है बख़ील से नहीं है और युवस्सिउहा फ़ला तत्तसिउ का तअ़ल्लुक़ बख़ील से है।

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي الْعَقَدِيَّ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ

(2360) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बख़ील और सदक़ा करने वाले की मिसाल बयान की कि 'दो आदमियों की मिसाल की मानिन्द है जो लौहे की दो ज़िरहें पहने हुए हैं, उनके हाथ छाती से हँसली तक बन्धे हुए हैं। सदक़ा देने वाला जब भी सदक़ा देता है तो वो फैल जाती है या खुल जाती है यहाँ तक कि उसकी पाँव

को उंगलियों को छिपा लेती है और उसके नक़्शे क़दम को मिटा डालती है और बख़ील जब भी सदक़ा करने का इरादा करता है वो सिकुड़ जाती है और हर हल्क़ा अपनी जगह जम जाता है।' मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप अपनी उंगली गिरेबान में दाख़िल कर रहे थे, अगर तुम देखते तो ये समझते कि कुशादा करना चाहते हैं वो कुशादा नहीं होती।

أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدَيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا " . قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَوَسَّعُ .

(2361) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बख़ील और सदक़ा देने वाले की मिसाल दो आदमियों की मिसाल है जो लौहे की ज़िरह पहने हुए हैं, जब सदक़ा देने वाला सदक़ा देने का इरादा करता है तो वो कुशादा हो जाती है यहाँ तक कि उसके नक़्शे पा को मिटा देती है और जब बख़ील सदक़ा देने का इरादा करता है तो वो उस पर सिकुड़ जाती है और उसके दोनों हाथ उसकी हँसली से बंध जाते हैं और हर हल्क़ा दूसरे हल्क़े के साथ पैवस्त हो जाता है।' मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'वो उसे कुशादा करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं सकता।'

(सहीह बुख़ारी : 1443, 2917, नसाई : 5/72)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا " . قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ " .

फ़ायदा : जब सख़ी इंसान सदक़ा करने की निय्यत और इरादा करता है तो उसके दिल में कुशादगी और हौसला पैदा हो जाता है और वो दिल खोलकर कुशादा दिली से ख़र्च करता है और उसका सदक़ा फल-फूलकर उसके गुनाहों को मिटा डालता है और कन्जूस व बख़ील आदमी जब भी सदक़ा करना चाहता है तो उसका दिल तंग पड़ता है और उसके हाथ सिकुड़ जाते हैं। वो ख़र्च करने की हिम्मत और हौसला नहीं पाता और उसका माल उसके लिये ख़ैर व बरकत का बाइस नहीं बनता।

बाब 25 : सदक़ा करने वाले को अज्र मिलता है अगरचे वो सदक़ा नाअहल, ग़ैर मुस्तहिक़ के हाथ लग जाये

باب ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا

(2362) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक आदमी ने कहा, मैं आज रात सदक़ा करूँगा और वो अपना सदक़ा लेकर निकला और उसे एक ज़ानिया (बदकार औरत) के हाथ में रख दिया तो लोग सुबह बातें करने लगे कि आज रात एक ज़ानिया को सदक़ा दिया गया है। उस आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह! तू हर हालत में क़ाबिले तारीफ़ है। ज़ानिया को सदक़ा दे बैठा हूँ आज मैं ज़रूर सदक़ा करूँगा। फिर वो अपना सदक़ा लेकर निकला और उसे एक मालदार को थमा दिया। सुबह लोग बातें करने लगे कि रात मालदार को सदक़ा दिया गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह! क़ाबिले तारीफ़ तू ही है। मेरा सदक़ा ग़नी को मिला, मैं ज़रूर सदक़ा करूँगा और वो अपना सदक़ा लेकर निकला तो उसे एक चोर के हाथ में रख दिया। लोग सुबह बातें करने लगे कि चोर को सदक़ा दिया गया। तो उसने कहा, ऐ अल्लाह! तेरे लिये ही हम्द है। सदक़ा ज़ानिया, ग़नी और चोर को मिला। उसके पास कोई (ख़्वाब में) आया और उसे बताया गया, रहा तेरा सदक़ा तो वो क़ुबूल हो चुका है रही ज़ानिया तो शायद वो उसके सबब ज़िना

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي، الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ . قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ . قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ . فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ " .

से बच जाये और शायद मालदार सबक़ हासिल करे और अल्लाह ने उसे जो कुछ दिया है उसमें से सदक़ा करे और शायद चोर उसके बाइस अपनी चोरी से बाज़ आ जाये।'

फ़ायदा : इख़्लासे निय्यत से जो सदक़ा किया जाये वो अल्लाह के यहाँ शर्फ़े क़ुबूलियत हासिल कर लेता है अगरचे वो ग़ैर शऊरी तौर पर ग़ैर मुस्तहिक़ आदमी को दे दिया जाये, ये सदक़ा नफ़्ली था। लेकिन अगर फ़र्ज़ सदक़ा (ज़कात) मालदार को दे दिया जाये, अगरचे फ़क़ीर समझकर ही दिया जाये तो इमाम शाफ़ेई और अबू यूसुफ़ के नज़दीक उसको दोबारा अदा करना पड़ेगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद के नज़दीक सदक़ा अदा हो गया, इसलिये दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है और हदीस का तक़ाज़ा यही है क्योंकि सदक़े का लफ़्ज़ आम वाजिबी और नफ़ली दोनों पर इसका इत्लाक़ करता है।

बाब 26 : अमानतदार ख़ज़ांची और औरत का अज्र जब वो ख़ाविन्द के घर से बग़ैर ख़राबी के उसकी सरीह या उरफ़ी इजाज़त से ख़र्च करे

باب أَجْرِ الْخَازِنِ الأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ب

(2363) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमान, अमानतदार ख़ाज़िन जो नाफ़िज़ करता है या जो देने का हुक्म दिया गया है उसे कामिल पूरा-पूरा ख़ुश दिली से देता है और उसके हवाले करता है जिसके बारे में उसे हुक्म दिया गया है, तो वो दो सदक़ा करने वालों में से एक है।'

(सहीह बुख़ारी : 1438, 2260, 2319, अबू दाऊद : 1684, नसाई : 5/79,80)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، - قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، - حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " .

फ़ायदा : ख़ाज़िन जो पूरी दयानत व अमानत से माल की हिफ़ाज़त करता है और मालिक के हुक्म के मुताबिक़ ख़ुशदिली से उसके कहने के मुताबिक़ लोगों को पूरा-पूरा माल देता है वो भी अज्र व सवाब

का हक़दार है और सदक़ा करने वाला शुमार होगा और दोनों को मुस्तक़िल अज्र मिलेगा, वो एक-दूसरे के अज्र मिलेगा, वो एक-दूसरे के कमी का बाइस नहीं होंगे।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، - قَالَ يَحْيَى - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا" .

(2364) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब औरत घर के खाने से किसी बिगाड़ और ख़राबी के बग़ैर ख़र्च करती है तो उसे ख़र्च करने के सबब अज्र मिलेगा और उसके ख़ाविन्द को उसकी कमाई के सबब उसका अज्र मिलेगा और ख़ाज़िन को भी अज्र मिलेगा। वो एक-दूसरे के अज्र में किसी क़िस्म की कमी का बाइस नहीं बनेंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 1437, 1435, 1441, 2065, अबू दाऊद : 1685, तिर्मिज़ी : 672, इब्ने माजह : 2264)

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا " .

(2365) मुसन्निफ़ यही रिवायत बयान करते हैं सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि यहाँ मिन तआमि बैतिहा की जगह मिन तआमि ज़ौजिहा है। यानी ख़ाविन्द के तआम से है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا " .

(2366) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब औरत ख़ाविन्द के घर से बग़ैर किसी बिगाड़ व फ़साद के ख़र्च करती है तो उसकी हैसियत के मुताबिक़ अज्र मिलेगा और ख़ाविन्द को उसके मक़ाम के मुताबिक़, क्योंकि उसने कमाया है और बीवी ने ख़र्च किया है और ख़ाज़िन को भी उसके ऐतिबार से और अल्लाह उनके अज्र में कोई कमी नहीं करेगा।'

(2367) मुसन्निफ़ इसके हम मानी रिवायत दूसरे उस्ताद से आमश ही की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

फ़ायदा : किसी सदक़ा व ख़ैरात में इंसान का जिस क़द्र दख़ल और अमल है उसके मुताबिक़ उसे अज्र मिलेगा और हर इंसान अपनी जगह अज्र लेगा, वो दूसरे साथी या हिस्सेदार के अज्र में किसी कमी का सबब नहीं बनेगा और बीवी के लिये उरफ़ी इजाज़त काफ़ी है। हाँ! अगर इन्फ़ाक़ की सूरत ख़ुसूसी हो आम तौर पर किये जाने वाला मअरूफ़ ख़र्च न हो तो फिर ख़ुसूसी और सरीह इजाज़त की ज़रूरत होगी। बिगाड़ या ख़राबी की सूरत ये है कि अपनी ज़रूरत और हाजत की चीज़ बिला इज़्ने सरीह (बग़ैर साफ़ इजाजत के) किसी को दे दे।

बाब 27 : ग़ुलाम जो अपने आक़ा व मालिक के माल से ख़र्च करता है

باب مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ

(2368) अबी लह्म के आज़ाद किये हुए ग़ुलाम उमेर से रिवायत है कि मैं ग़ुलाम था, तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि क्या मैं अपने मालिकों के माल से कुछ सदक़ा दे सकता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ! अज्र तुम्हें आधा-आधा मिलेगा।'

(नसाई : 5/64, इब्ने माजह : 2297)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصٍ، بْنِ غِيَاثٍ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَىْءٍ قَالَ " نَعَمْ وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ "

नोट : हज़रत अब्दुल्लाह या हुवेरिस (रज़ि.) नामी सहाबी ने जाहिलिय्यत के दौर में ही उन जानवरों का गोश्त खाना छोड़ दिया था जो बुतों के तक़र्रुब और ख़ुश्नूदी के लिये ज़िब्ह किये जाते थे। इसलिये उनको आबिल लह्म (गोश्त का मुन्किर) का नाम दिया गया। लेकिन अफ़सोस आज मुसलमान ग़ैरुल्लाह के तक़र्रुब और ख़ुश्नूदी के लिये अलग-अलग मज़ारों के लिये नज़्रो-नियाज़ के नाम हैवान ज़िब्ह करते हैं और मुसलमान उन्हें बड़े शौक़ से तबर्रुक समझकर खाते हैं।

(2369) हज़रत आबिल लह्म (रज़ि.) के आज़ाद करदा ग़ुलाम उमेर बयान करते हैं कि मुझे मेरे आक़ा ने गोश्त के लम्बे-लम्बे टुकड़े

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي

عُبَيْدٍ - قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلاَىَ أَنْ أُقَدِّدَ، لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَىَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ . فَقَالَ " لِمَ ضَرَبْتَهُ " . فَقَالَ يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ . فَقَالَ " الأَجْرُ بَيْنَكُمَا " .

बनाने का हुक्म दिया। मेरे पास एक मिस्कीन आ गया तो मैंने उसमें से उसे कुछ खाने के लिये दे दिया। मेरे आक़ा को इसका पता चल गया तो उसने मुझे मारा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर इसका तज़्किरा किया तो आपने उसे बुलाकर पूछा, 'तूने इसे क्यों मारा है।' उसने कहा, मेरे हुक्म के बग़ैर मेरा तआम दे देता है। तो आपने फ़रमाया, 'अज्र तुम दोनों को मिलेगा।'

फ़ायदा : हज़रत उमेर (रज़ि.) ने उरफ़ी इजाज़त समझकर मिस्कीन को खाने के लिये गोश्त दे दिया, उन्हें ये ख़याल न था कि मालिक नाराज़ होगा। क्योंकि मालिक की नाराज़ी की सूरत में कोई चीज़ देना जाइज़ नहीं। हुज़ूर (ﷺ) तक जब मामला पहुँचा तो आप (ﷺ) ने बता दिया कि आम मामूल व दस्तूर के मुताबिक़ अगर गुलाम कोई चीज़ दे दे तो ये रवा है और दोनों को अपनी-अपनी हैसियत के मुताबिक़ अज्र मिलता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " .

(2370) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'औरत अपने ख़ाविन्द की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर (नफ़ली) रोज़ा न रखे और उसके घर में उसकी मौजूदगी में (अपने किसी महरम को) उसकी इजाज़त के बग़ैर घर न आने दे और उसकी (सरीह) इजाज़त के बग़ैर उसकी कमाई से जो कुछ ख़र्च करेगी, तो उसका आधा अज्र ख़ाविन्द को मिलेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 2066, 5363, अबू दाऊद : 1687, 2458)

फ़वाइद : (1) औरत ख़ाविन्द के घर से आम इस्तेमाल की चीज़ें मामूली मिक़्दार में मुआशरती उर्फ़ (सिस्टम) के मुताबिक़ ख़र्च कर सकती है और उस उर्फ़ी इजाज़त से ख़ाविन्द के इल्म के बग़ैर ख़र्च किया गया माल भी ख़ाविन्द के लिये अज्र व सवाब का बाइस है क्योंकि उसका कसब करदा (कमाने

वाला वही) है और औरत भी ख़र्च करने के सबब सवाब में हिस्सेदार है, लेकिन हर एक का मुस्तक़िल सवाब होगा। आधा-आधा का ये मक़सद नहीं है कि एक सवाब है जो दोनों में तक़सीम कर दिया गया है। (2) किसी अजनबी या ग़ैर महरम का किसी के घर में आना-जाना दुरुस्त नहीं है। हाँ ख़ाविन्द की इजाज़त से महरम या ग़ैर महरम रिश्तेदार उसकी मौजूदगी में आ सकता है और उसकी ग़ैर हाज़िरी में भी उसकी इजाज़त से इस सूरत में आ सकता है, जब ये आमद व रफ़्त (आना-जाना) किसी ख़राबी का बाइस न हो, इस तरह औरत रमज़ान के अलावा रोज़े ख़ाविन्द की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं रख सकती ताकि आपसी हुस्ने मुआशिरत में ख़लल पैदा न हो।

बाब 28 : जिसने सदक़े के साथ दूसरे नेक काम सर अन्जाम दिये

بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

(2371) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च किया, उसे जन्नत में आवाज़ दी जायेगी कि ऐ अल्लाह के बन्दे! (इधर आओ) तेरे लिये ख़ैर व ख़ूबी है यानी उस दरवाज़े से दाख़िला तेरे हक़ में बेहतर है जिसे नमाज़ से शग़फ़ व प्यार होगा उसे बाबुस्सलात (नमाज़ का दरवाज़ा) से पुकारा जायेगा और जिसे जिहाद का शौक़ होगा उसे जिहाद के दरवाज़े से पुकारा जायेगा और जो अहले सदक़ा से होगा उसे बाबे सदक़ा से बुलाया जायेगा और जो रोज़ेदारों में से होगा उसे बाबे रय्यान से पुकारा जायेगा।' अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! किसी इंसान को इन तमाम दरवाज़ों से पुकारे जाने की ज़रूरत नहीं है (क्योंकि दाख़िल तो एक ही दरवाज़े से होना है) तो क्या कोई ऐसा भी (ख़ुशनसीब है) जिसे तमाम दरवाज़ों से बुलाया जायेगा?

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي الطَّاهِرِ -قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ . فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ

مِنْهُمْ " ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ . وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ! और मुझे उम्मीद है आप उन्हीं में से होंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 1897, 3666, तिर्मिज़ी : 3674, नसाई : 4/168, 5/9,6/23)

फ़वाइद : (1) मन अन्फ़क़ ज़ौजैन अलग-अलग मआनी हो सकते हैं। (1) जिसने जोड़ा ख़र्च किया, यानी दो घोड़े, दो गुलाम, दो ऊँट, दो नोट। (2) दो क़िस्म का माल ख़र्च किया, यानी दिरहम और दीनार, दिरहम और कपड़ा, दीनार और जानवर। (3) जिसने इन्फ़ाक़ (ख़र्च करने) को आदत बना लिया और ये काम बार-बार करता रहा। जैसाकि क़ुरआन मजीद में है, 'नज़र बार-बार दौड़ाइये।' पहला मानी राजेह है क्योंकि कुछ रिवायात में दो ऊँट, दो बकरियाँ और दो दिरहम की तसरीह आई है। (2) एक इंसान जो तमाम अवामिर व नवाही की पाबंदी करता है तमाम हुदूद व क़ुयूदे शरई का एहतिमाम करता है। लेकिन अपनी तबई मुनासिबत और मज़ाक़ की वजह से किसी ख़ास नेकी का उस पर ग़ल्बा है और वो उसे फ़र्ज़ हद से बढ़कर बार-बार अदा करता है। किसी को नफ़ली सदक़ा व ख़ैरात से प्यार है और किसी को नफ़ली नमाज़ का शौक़ है, कोई नफ़ली रोज़े कसरत से रखता है और कोई बार-बार जिहाद के लिये घर से निकलता है, कोई हज का बार-बार एहतिमाम करता है, तो वो सिर्फ़ उन आमाले ख़ैर के दरवाज़े से गुमनामी और ख़ामोशी से दाख़िल नहीं होगा। बल्कि उसको उसके मख़्सूस दरवाज़े से तक्रीम व तअज़ीम के लिये आवाज़ दी जायेगी कि इधर आओ, तुम्हारे लिये इधर बेहतरी और ख़ूबी है। (3) कुछ ख़ुशनसीब अफ़राद तमाम उमूरे ख़ैर से दिलचस्पी रखते हैं और उन सबका हर सम्भव एहतिमाम करते हैं तो उनकी तअज़ीम व तौक़ीर के लिये हर दरवाज़ा उनके लिये सरापा पुकार होगा और हर दरवाज़ा ख़्वाहिश करेगा कि ये मुझसे दाख़िल हो और हज़रत अबू बकर (रज़ि.) उन ही ख़ुशनसीब अफ़राद में से हैं। इस सहीह सरीह हदीस़ के बावजूद भी जो उनसे कदूरत व बुग़्ज़ रखते हैं वो अपने अन्जाम की फ़िक्र करें।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا

(2372) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत यूनुस ही की सनद से दूसरे उस्तादों से बयान करते हैं।

عَبْدُ، الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

(2373) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च करता है, उसे जन्नत के दरवाज़ों के पहरेदार हर दरवाज़े पर आवाज़ देंगे, ऐ फ़लाँ! इधर आओ।' तो अबू बकर (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! ऐसे फ़र्द के लिये तो किसी क़िस्म की तबाही और मुश्किल नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही लोगों में से हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 2841, 3216)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أَىْ فُلُ هَلُمَّ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ "

(2374) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आज तुममें से रोज़ेदार कौन है?' अबू बकर (रज़ि.) बोले, मैं। आपने पूछा, 'आज तुममें से किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है?' अबू बकर (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने। आपने कहा, 'तो आज तुममें से किसने बीमार की तीमारदारी की है?' अबू बकर (रज़ि.) बोले, मैंने। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस इंसान में भी ये नेकियाँ जमा होती हैं, वो यक़ीनन जन्नत में दाख़िल होगा।'

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا . قَالَ " فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا . قَالَ " فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه

أَنَا . قَالَ " فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

फ़ायदा : हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के दिल में हर नेकी और हर ख़ैर व भलाई करने का जज़्बा फ़रावाँ था, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिस नेकी के बारे में भी सवाल किया, अबू बकर (रज़ि.) उसको सर अन्जाम दे चुके थे।

बाब 29 : ख़र्च करने की तरग़ीब देना और गिन-गिनकर रखने का नापसंदीदा होना

بَابُ الْحَثِّ فِي الإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الإِحْصَاءِ

(2375) हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़र्च कर (या दे, या लुटा दे) और गिन-गिनकर न रख, वरना अल्लाह भी गिन-गिन कर देगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1433, 2590, नसाई : 5/74)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْفِقِي - أَوِ انْضَحِي أَوِ انْفَحِي - وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ " .

(2376) हज़रत असमा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लुटा दे (अता कर या ख़र्च कर) और शुमार न कर (रखने के लिये) तो अल्लाह भी तुम्हें गिन-गिनकर देगा और सम्भाल कर न रख, वगरना अल्लाह भी तुमसे जमा करके रखेगा।'

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي، مُعَاوِيَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم " انْفَحِي - أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي - وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ " .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(2377) इमाम साहब मज़्कूरा बाला हदीस़ दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ، بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَىْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ فَقَالَ " ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ " .

(2378) हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर (रज़ि.) से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास उस माल के सिवा जो मुझे ज़ुबैर देता है कोई चीज़ नहीं है। तो क्या जो वो मुझे लाकर देते हैं अगर मैं उसमें से थोड़ा सा ख़र्च कर दूँ तो मुझे गुनाह होगा? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'थोड़ा बहुत जो कुछ तुम्हारे बस में हो ख़र्च करो और जोड़-जोड़कर न रखो, वरना अल्लाह तआ़ला भी तुमसे जोड़-जोड़कर रखेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1434, नसाई : 5/74)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इन्ज़ही : अ़ता कर, दे-दे। **(2) इन्फ़ही :** अ़ता कर, दे-दे, क्योंकि नज़्ह और नफ़ह दोनों का मानी अ़ता करना है और नज़्ह का मानी उण्डेलना भी होता है तो इस सूरत में मानी होगा कुशादा दस्ती से (हाथ लम्बा करके) लुटा दे। रज़ख़ का मानी होता है थोड़ा या कम देना कुछ न कुछ देना। **(3) ला तुहसी :** शुमार न कर गिन-गिनकर न रख। मक़सद ये है जमा करके और ज़ख़ीरा बनाकर न रख, ज़रूरत की जगह पर ख़र्च कर दे। **(4) ला तूई :** विआ़ (बर्तन) में डालकर न रख,

यानी जोड़-जोड़ कर और बंद करके न रख। **(5) फ़यूइल्लाहु अलैकि :** अल्लाह तुम्हारे साथ यही मामला करेगा। यानी अपनी रहमत व बरकत के दरवाज़े तुम पर बंद कर देगा।

फ़ायदा : इन अहादीस़ का पैग़ाम ये है कि इंसान के हक़ में बेहतर यही है कि जो माल व दौलत वो कमाये या किसी ज़रिये से उसे हासिल हो उसे अपनी और दीनी ज़रूरियात के लिये कुशादा दस्ती से ख़र्च करे और इस फ़िक्र में न पड़े कि मेरे पास कितना है और उसमें से फ़ी सबीलिल्लाह कितना ख़र्च करूँगा, अगर इंसान हिसाब करके ख़र्च करेगा, तो अल्लाह भी हिसाब करके देगा। अगर इंसान बेहिसाब देगा, तो अल्लाह भी अपनी रहमत के दरवाज़े, बेहिसाब खोल देगा।

बाब 30 : सदक़े पर, अगरचे कम में हो, आमादा करना और कम और थोड़ी चीज़ को हक़ीर समझकर बाज़ (रुके) न रहना

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلاَ تُمْتَنَعُ مِنَ الْقَلِيلِ لاِحْتِقَارِهِ

(2379) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे, 'ऐ मुसलमान औरतो! पड़ौसन, पड़ौसन के लिये तोहफ़ा हक़ीर न समझे, अगरचे वो बकरी का खुर ही हो।'

(सहीह बुख़ारी : 6017)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ " .

फ़वाइद : (1) एक-दूसरे के मामूली और कम तोहफ़े को हक़ीर ख़्याल नहीं करना चाहिये क्योंकि मक़सूद तो दिली मुहब्बत व प्यार और तअ़ल्लुक़ का इज़हार है कि मामूली चीज़ के वक़्त भी याद रखा, बड़ी चीज़ की सूरत क्योंकर नज़र अन्दाज़ करेगा। (2) कूफ़ी नहवियों के नज़दीक निसाउल मुस्लिमात में निसा मौसूफ़ और अल्मुस्लिमात सिफ़त है और मौसूफ़ की सिफ़त की तरफ़ इज़ाफ़त जाइज़ है। बसरी नहवियों के नज़दीक यहाँ मौसूफ़ महज़ूफ़ है यानी निसाउन्नफ़्सुल मुस्लिमात या ईजाआतुल मुस्लिमात।

बाब 31 : सदक़ा छिपाकर देने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " .

(2380) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सात क़िस्म के लोगों को अल्लाह तआला उस दिन अपने साये में जगह देगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। आदिल इमाम, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, वो दो आदमी जो अल्लाह की ख़ातिर एक-दूसरे से मुहब्बत करते हैं इसी पर जमा होते हैं और इसी पर अलग होते हैं (हर हालत में एक-दूसरे से अल्लाह के लिये मुहब्बत करते हैं) और ऐसा आदमी जिसे मन्सबदार (हसब व नसब वाली) हसीन औरत बज़ाते ख़ुद, दावते बदकारी दे और वो (दिल व ज़बान से) कह दे, मैं अल्लाह से डरता हूँ और वो आदमी जिसने इस अन्दाज़ से सदक़ा किया कि उसके बायें के ख़र्च से दायाँ आगाह नहीं (तर्तीब उलट गई है असल में है दायें के ख़र्च से बायाँ वाक़िफ़ नहीं) और वो आदमी जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसकी आँखों से आँसू बह निकले।'

(सहीह बुख़ारी : 660, 1423, 6479, 6806, तिर्मिज़ी : 2391)

फ़ायदा : इस हदीस़ का मक़सद इन तमाम ख़ैर के कामों की तल्क़ीन और तरग़ीब देना और इमाम से मक़सूद साहिबे मन्सब व ओहदा है जिससे वो किसी को नफ़ा या नुक़सान पहुँचा सकता है, अगरचे दर्जे व मर्तबे में फ़र्क़ है। अपने-अपने ओहदे के मुताबिक़ साया मिलेगा। ज़िल्ल की अल्लाह की तरफ़

निस्बत महज़ तशरीफ़ व तअ़ज़ीम के लिये है जैसे बैतुल्लाह नाक़तुल्लाह असल मक़सद अल्लाह के अ़र्श का साया है जैसाकि कई रिवायात में इसकी सराहत मौजूद है। (मिन्नतुल मुन्इम, जिल्द 2, पेज नं. 112, हाशिया नम्बर 91)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَقَالَ " وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ " .

(2381) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से अबू सईद ख़ुदरी या अबू हुरैरह (रज़ि.) से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं, उसमें है आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो आदमी जो मस्जिद से वाबस्ता और अटका हुआ है, जब उससे निकलता है यहाँ तक कि उसमें लौट आये।'

بَاب بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

बाब 32 : बेहतरीन सदक़ा तन्दुरुस्त और हरीस इंसान का सदक़ा है

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ "

(2382) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! किस सदक़े का अज्र ज़्यादा है? आपने फ़रमाया, 'तेरा इस हाल में सदक़ा करना कि तू तन्दुरुस्त और हरीस (माल की ख़्वाहिश) है, तुम्हें फ़क्र का अन्देशा है और तवन्गरी की उम्मीद है और ताख़ीर न कर यहाँ तक कि जब तेरी जान हलक़ में पहुँच जाये तू कहने लगे, इतना फ़लाँ का है और इतना फ़लाँ का है। अब तो फ़लाँ (वारिस़) का हो चुका है।'

(सहीह बुख़ारी : 1419, 2748, अबू दाऊद : 2865, नसाई : 5/69, 6/237)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا فَقَالَ " أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ " .

(2383) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसे सदक़े का अज्र सबसे ज़्यादा है? तो आपने फ़रमाया, 'हाँ, तेरे बाप की क़सम! तुझे ज़रूर इससे आगाह किया जायेगा, तुम उस वक़्त सदक़ा करो जबकि तन्दुरुस्त हरीस हो, फ़क़्रो एहतियाज का तुम्हें ख़तरा हो और ज़िन्दगी की उम्मीद हो और इस क़द्र ताख़ीर न कर कि जब तेरी जान हलक़ तक पहुँच जाये, तो फिर कहे, फ़लाँ का इतना है और फ़लाँ का इतना है, वो तो फ़लाँ का हो चुका है।'

फ़ायदा : आपने व अबीक (तेरे बाप की कसम) अरबी मुहावरे के मुताबिक़ सिर्फ़ कलाम में ज़ोर और ताकीद पैदा करने के लिये फ़रमाया, क़सम मक़सूद न थी या सिर्फ़ उसके सवाल पर हैरत व तअज्जुब का इज़हार करना था और आपका मक़सद ये था सदक़ा करने में उज्लत से काम लेना चाहिये, मालूम नहीं कब मौत आ जाये या निय्यत बदल जाये और सहीह से मुराद ये है कि तन्दुरुस्त हो या किसी ख़तरनाक और मूज़ी बीमारी में मुब्तला न हो और शहीह का मानी ये है कि ज़रूरियाते ज़िन्दगी के लिये माल का हरीस और ख़्वाहिशमन्द हो, सिर्फ़ जज़्ब-ए-ख़ैर की कुव्वत ही सदक़ा करने का बाइस़ हो। अगर अपनी ज़रूरियात को तरजीह देता तो ख़र्च न करता, किफ़ायत शिआरी से काम लेकर सदक़ा किया।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ .

(2384) मुसन्निफ़ अपने दूसरे उस्ताद से यही रिवायत लाये हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उसने पूछा, कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है?

फ़ायदा : मौत के आसार नुमायाँ होने के बाद सदक़ा इसलिये बाइसे फ़ज़ीलत नहीं है कि अब तो उसका माल उससे छिनकर उसके वारिसों को मिल रहा है और वारिसों का हक़ उसके बताये बग़ैर ही मुतअय्यन है। उसके देने की ज़रूरत नहीं है।

बाब 33 : ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है और ऊपर वाला हाथ देने वाला है और निचला हाथ लेने वाला है

باب بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الآخِذَةُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ " .

(2385) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया जबकि आप मिम्बर पर सदक़े का और माँगने से बचने का ज़िक्र फ़रमा रहे थे, 'ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर और ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला है और निचला माँगने वाला है।'

(सहीह बुख़ारी : 1429, अबू दाऊद : 1648, नसाई : 5/61)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، - قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " .

(2386) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अफ़ज़ल सदक़ा या ख़ैरुस्सदक़ा (बेहतर सदक़ा) वो है जिसकी पुश्त पर तवन्गरी और बेनियाज़ी हो और ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है और देने की शुरूआत अपने ज़ेरे किफ़ालत अफ़राद से करो।'

(नसाई : 5/69)

फ़ायदा : अगर अल्लाह तआ़ला माल व दौलत से नवाज़े तो कुशादा दस्ती (खुले हाथ) का आग़ाज़ उन अफ़राद से करना चाहिये जिनके नान व नफ़्क़ा का इंसान ज़िम्मेदार है यानी अव्वल ख़ुवेश बाद दुर्वेश और सदक़ा देने के लिये ये शर्त है कि वो ख़ुद या जिनके नान व नफ़्क़े का वो ज़िम्मेदार है उस

माल के मोहताज न हों इल्ला ये कि वो सब ईसार पेशा हों, अपना पेट काटकर दूसरों को देने में ख़ुशी महसूस करते हों यानी ग़िनाए क़ल्बी हासिल हो या ग़िनाए माल।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ "إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى".

(2387) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से माल माँगा, तो आपने मुझे अता फ़रमाया। मैंने फिर माँगा तो आप (ﷺ) ने मुझे दे दिया। मैंने आपसे फिर सवाल किया तो आपने मुझे इनायत कर दिया। फिर फ़रमाया, 'ये सरसब्ज़ व शादाब है (आँखों को लुभाने वाला है) और शीरीं (दिलकश) है तो जो इसे नफ़्स की चाहत व तमअ़ के बग़ैर लेगा, उसके लिये बाइसे बरकत होगा और जो नफ़्स की हिर्स व चाहत से लेगा वो उसके लिये बरकत का बाइस नहीं होगा। वो उस इंसान की तरह होगा जो खाता है लेकिन सैर नहीं होता और ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है।'

(सहीह बुख़ारी : 1472, 2750, 3146, 6441, तिर्मिज़ी : 2463, नसाई : 5/60, 5/101, 102)

फ़ायदा : इंसान के इम्तिहान के लिये अल्लाह तआ़ला ने माल के अंदर दो पहलू रखे हैं। ज़ाहिर के ऐतिबार से वो आँखों के लिये कशिश का बाइस है इंसान की आँखों में जचता है और बातिनी ऐतिबार से उसके अंदर शीरीनी और मिठास है। जिसकी वजह से इंसान का दिल उसकी तरफ़ माइल होता है या वो दिलकश और दिल फ़रेब है और इंसान के हक़ में बेहतर यही है कि वो अपनी मेहनत और कोशिश से कमाये, मुफ़्त में माल लेने का हरीस और ख़्वाहिशमन्द न हो, अगर कहीं से उस की तलब व ख़्वाहिश के बग़ैर मिल जाये तो उसको लेकर आगे ख़र्च कर दे, माल की हिर्स व लालच ऐसी भूख है जो कभी मिटने का नाम नहीं लेती।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا

(2388) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ आदम के फ़रज़न्द! अल्लाह की दी हुई दौलत जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसका ख़र्च

شَدَّادٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ".

कर देना ही तेरे लिये बेहतर है और उसको रोकना तेरे लिये बुरा है और गुज़ारे के बक़द्र रखने पर तुम पर कोई मलामत नहीं और सबसे पहले उन पर ख़र्च करो जिनके नान व नफ़्क़ा की तुम पर ज़िम्मेदारी है और ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है।'

(तिर्मिज़ी : 2343)

फ़ायदा : आदमी के लिये बेहतर यही है कि वो जो दौलत कमाये या किसी ज़रिये से उसे मिले उसमें से अपनी और अपने ज़ेरे किफ़ालत अफ़राद की ज़रूरत के बक़द्र रख ले और बाक़ी नेक कामों में या अल्लाह के बन्दों पर ख़र्च कर दे और उसकी कोशिश में होकर वो देने वाला बने, लेने वाला न बने।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

बाब 34 : सवाल करने की मुमानिअत

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلاَّ حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " . وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ " .

(2389) हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने फ़रमाया, तुम उन अहादीस़ के सिवा, अहादीस़ बयान करने से बचो जो हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर में बयान की जाती थीं क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) लोगों को (रिवायात के सिलसिले में) अल्लाह से डराया करते थे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'अल्लाह तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फ़रमाता है उसे दीन की सूझ-बूझ अता फ़रमा देता है।' और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए भी सुना, 'मैं तो बस ख़ाज़िन हूँ, तो मैं जिसको ख़ुशदिली से दूँ उसके लिये उसमें बरकत डाली जायेगी और जिसको मैं माँगने पर और हिर्स के सबब दूँ, उसकी हालत उस इंसान जैसी होगी जो खाता है और सैर नहीं होता।'

फ़वाइद : (1) हज़रत मुआविया (रज़ि.) के ज़माने तक अलग-अलग इलाक़े फ़तह हो चुके थे उन मुमालिक में यहूदो-नसारा के अहले इल्म (विद्वान), अपनी किताबों की रिवायात लोगों में बयान करते थे, इसलिये अहले किताब की रिवायात कसरत से (बहुत ज़्यादा) फैलने लगीं थीं और हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर में उनके हुक्म से रिवायात के बयान में बहुत हज़्म व एहतियात से काम लिया जाता था और अब अजमियों के आम इख़्तिलात से इसमें कमी वाक़ेअ हो गई थी। इसलिये अमीर मुआविया (रज़ि.) ने फ़रमाया, हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर की रिवायतों पर ऐतिमाद करो। **(2)** दीन की सूझ-बूझ अल्लाह अल्लाह तआला की ख़ुसूसी इनायत है जो उन्हीं लोगों को हासिल होती है जिनसे अल्लाह तआला ख़ैर यानी अज़ीम भलाई का इरादा फ़रमाता है और जो लोग दीन की सूझ-बूझ और इसके अमीक़ (गहरे) इल्म व फ़हम से महरूम हैं वो ख़ैरे अज़ीम से महरूम हैं। **(3)** इन्नमा अना ख़ाज़िन : मैं तो मुहाफ़िज़ और निगेहबान हूँ मालिक अल्लाह तआला मैं तो उसके हुक्म की तामील करते हुए देता हूँ। आगे आ रहा है कि इन्नमा अना क़ासिम व युअतिल्लाह मेरा काम तो अल्लाह की तरफ़ से मिलने वाले इल्म, फ़िक़्ह और माल की उसके हुक्म के मुताबिक़ तक़सीम करना है। हर एक को अल्लाह की अता करदा सलाहियत इस्तिदाद के मुताबिक़ मिलता है। मैं तक़सीम करने में बुख़्ल (कन्जूसी) से काम नहीं लेता और न किसी को महरूम करता हूँ, इल्म व फ़हम अल्लाह तआला की अता करदा सलाहियत व क़ाबिलियत पर मबनी है और माल की तक़सीम भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ है मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ। **(4)** बिला ज़रूरत व मजबूरी माँगना या किसी को मजबूर करके और इसरार करके लेना, ख़ैर व बरकत से महरूमी का बाइस बनता है, अगर कोई किसी को अहल समझकर ख़ुशदिल और रग़बत व शौक़ से देता है तो वो लेने वाले के लिये ख़ैर व बरकत का बाइस बनता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، هَمَّامٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ" .

(2390) हज़रत मुआविया (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, **'इसरार और इल्हाह से सवाल न करो, अल्लाह की क़सम! तुममें से कोई मुझसे कुछ माँगता है और उसके सवाल करने की बिना पर मैं उसे कुछ दे देता हूँ हालांकि मैं देना नहीं चाहता था तो मेरे उसको देने में बरकत नहीं होगी।'**

(नसाई : 5/98)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ، مُنَبِّهٍ

(2391) अम्र बिन दीनार बयान करते हैं, मैं वहब बिन मुनब्बिह के घर सनआ के पास गया तो उन्होंने मुझे अपने घर के अख़रोट

खिलाये और अपने भाई से हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत सुनाई।

- وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ - عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(2392) हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) ने ख़ुत्बे में बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे, 'अल्लाह जिसके साथ बहुत बड़ी ख़ैर और भलाई का इरादा फ़रमाता है, उसे दीन का गहरा फ़हम अ़ता फ़रमाता है और मैं तो बस तक़सीम करने वाला हूँ और देने वाला अल्लाह ही है।'

(सहीह बुख़ारी : 7312, 3116)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ " .

बाब 35 : मिस्कीन वो है जो ग़नी या बेनियाज़ नहीं है लेकिन उसका पता भी नहीं चलता कि उसको सदक़ा दिया जाये

باب الْمِسْكِينِ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ

(2393) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'असल मिस्कीन ये गर्दिश करने वाला जो लोगों में घूमता-फिरता है नहीं है, जो एक-दो लुक़्मे या एक-दो खजूरें लेकर लौट जाता है।' सहाबा किराम ने पूछा, तो मिस्कीन कौन है? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'जिसके पास इतनी दौलत व तवन्गारी नहीं जो उसकी ज़रूरियात से उसको मुस्तग़नी

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ " . قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ

اللَّهِ قَالَ " الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا " .

(बेनिाज़) कर दे, यानी अपनी ज़रूरियात पूरी करने का सामान उसके पास नहीं है और उसके एहतियाज (मोहताजगी) का पता भी नहीं चलता कि उसको सदक़ा दिया जाये और न वो लोगों से कोई चीज़ माँगता है।'

फ़ायदा : मिस्कीन वो पेशावर साइल और गदागर नहीं हैं, जो दर-बदर घूम-फिरकर लोगों से माँगते हैं बल्कि असल मिस्कीन और सदक़े के मुस्तहिक़ ऐसे बाइफ़्फ़त ज़रूरतमन्द हैं जो शर्म व हया और इफ़्फ़ते नफ़्स की वजह से लोगों पर अपनी हाजतमन्दी ज़ाहिर नहीं करते और न ही किसी से सवाल करते हैं। ऐसे मिस्कीनों की ख़िदमत मदद शरअन मत्लूब और महबूब है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} " .

(2394) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'असल मिस्कीन वो नहीं है जो एक-दो खजूरें या एक-दो लुक़्मे लेकर लौट जाता है, असल मिस्कीन तो इफ़्फ़ते नफ़्स का मालिक है (जो सवाल नहीं करता) अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो, 'वो लोगों से लिपटकर (इसरार से) नहीं माँगते।'

(सहीह बुख़ारी : 4539, नसाई : 5/85)

फ़ायदा : अरबी मुहावरे और उस्लूब के ऐतिबार से इस आयत का मक़सद ये है कि वो लोगों से माँगते ही नहीं कि इसरार की ज़रूरत पेश आये।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ.

(2395) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला हदीस अपने दूसरे उस्ताद से बयान की है।

बाब 36 : लोगों से सवाल करना (माँगना) नाजाइज़ है

باب كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

(2396) हम्ज़ह बिन अ़ब्दुल्लाह अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक शख़्स सवाल करता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह को इस हालत में मिलेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा भी न होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1474, नसाई : 5/94)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ " مُزْعَةُ " .

(2397) मुसन्निफ़ अपने दूसरे उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें मुज़्अह (टुकड़ा) का लफ़्ज़ नहीं है।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ " .

(2398) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आदमी लोगों से सवाल करता रहता है (माँगना उसकी आ़दत बन जाता है) यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन इस हालत में आयेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा।'

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ، الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

(2399) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो लोगों से उनका माल, अपना माल बढ़ाने के लिये माँगता है, वो तो बस आग का अंगारा माँगता है, कम कर ले या ज़्यादा कर ले।'

(इब्ने माजह : 1838)

फ़ायदा : बिला ज़रूरत और मजबूरी के सिर्फ़ माल में इज़ाफ़े की लालच व हवस की ख़ातिर सवाल करना नाजाइज़ है। जो क़यामत के दिन इंसान के लिये ज़िल्लत व रुस्वाई का बाइस होगा। इंसान अपने चेहरे की रौनक़ व हुस्न गोश्त से महरूम होगा और ये दिरहम व दीनार उसके लिये आग का अंगारा बनेंगे।

(2400) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई शख़्स सुबह जाकर अपनी पुश्त (पीठ) पर लकड़ियाँ लाद कर ले आये और उससे सदक़ा करे और लोगों से (माँगने से) बेनियाज़ और मुस्तग़नी हो जाये वो उससे बेहतर है कि किसी आदमी से माँगे वो उसे दे या महरूम रखे, क्योंकि ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से अफ़ज़ल है और (कुशादा दस्ती का) आग़ाज़ अपने ज़ेरे किफ़ालत लोगों से करो।'(तिर्मिज़ी : 680)

حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ، أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " .

(2401) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की क़सम! तुममें से किसी का सुबह-सुबह जाकर अपनी पुश्त पर लकड़ियाँ लाद कर लाकर बेचना....।' फिर ऊपर की हदीस़ के हम मानी हदीस़ बयान की है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ، أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَاللَّهِ لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ " . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَيَانٍ .

(2402) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई लकड़ियों का गठ्ठा इकठ्ठा करे और उसे अपनी पीठ पर लादकर लाकर बेच दे, उसके लिये इससे बेहतर है कि किसी आदमी से सवाल करे वो उसे दे या महरूम रखे यानी दे या न दे।'

(सहीह बुख़ारी : 2074, 2374, नसाई : 5/93)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ " .

फ़ायदा : एक मुसलमान के शायाने शान ये तर्ज़े अमल है कि वो ख़ुद मेहनत व मज़दूरी करे, ख़ुद कमाई करके दूसरों को देने के क़ाबिल बने या कम से कम अपनी ज़रूरियात ही पूरी कर ले और माँगने की ज़िल्लत व रुस्वाई से बच जाये।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، - قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ، أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَىَّ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " . فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " . قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ " عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا " . فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ .

(2403) अबू मुस्लिम ख़ौलानी कहते हैं, मुझे महबूब क़ाबिले ऐतिमाद जो मुझे महबूब भी है और मेरे नज़दीक अमानतदार भी है, औफ़ बिन मालिक अश्जई (रज़ि.) ने बताया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास नौ-आठ या सात आदमी थे, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम अल्लाह के रसूल से बैअत नहीं करोगे?' और हमने नई-नई बैअत की थी। तो हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम आपसे बैअत कर चुके हैं। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम अल्लाह के रसूल से बैअत नहीं करोगे?' तो हमने अपने हाथ बढ़ा दिये और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम बैअत कर चुके हैं। अब किस बात के लिये बैअत करें? आपने फ़रमाया, 'इस बात पर कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराओगे और पाँच नमाज़ों का एहतिमाम करोगे और फ़रमांबरदारी इख़्तियार करोगे' और एक बात आहिस्ता से फ़रमाई, 'और लोगों से कोई चीज़ भी नहीं माँगोगे।' तो मैंने उनमें से कुछ साथियों को देखा, उनमें से किसी का कोड़ा गिर जाता तो किसी से उसके उठा देने (पकड़ा देने) के लिये न कहता।

(अबू दाऊद : 1642, नसाई : 1/229, इब्ने माजह : 2867)

फ़ायदा : सहाबा किराम (रज़ि.) आप(ﷺ) के साथ जो अहदो-पैमान बांधते थे या जिस चीज़ की बैअत करते थे उसको पूरे एहतिमाम और इन्तिहाई जाँफ़िशानी से कामिल तरीन अन्दाज़ में पूरा करने की कोशिश फ़रमाते थे और उनका यही जज़्बा इताअत और निहायत दर्जे की इफ़्फ़त व परहेज़गारी उनके लिये दुनियवी और उख़रवी कामयाबी व कामरानी का बाइस बनी और आज के मुसलमानों को भी अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाये, आमीन।

بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

बाब 37 : किसके लिये माँगना जाइज़ है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ " أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا " . قَالَ ثُمَّ قَالَ " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا

(2404) क़बीसा बिन मुख़ारिक़ हिलाली (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने एक बहुत बड़े तावान या किसी के क़र्ज़ की ज़िम्मेदारी कुबूल की और उसके लिये मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में माँगने के लिये हाज़िर हुआ तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ठहरो यहाँ तक कि हमारे पास सदक़ा आ जाये तो हम तुम्हें देने का हुक्म देंगे।' फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ क़बीसा! सवाल तीन क़िस्म के अफ़राद में से हर एक के लिये जाइज़ है, एक वो आदमी जिसने किसी अदायगी की ज़िम्मेदारी कुबूल की, तो उसके लिये उस वक़्त तक सवाल जाइज़ है कि वो रक़म पूरी हो जाये (उसे मिल जाये) फिर वो सवाल से बाज़ आ जाये और दूसरा वो आदमी जो किसी आफ़त का शिकार हुआ जिसने उसका माल तबाह कर डाला, उसके लिये सवाल करना जाइज़ है यहाँ तक कि उसे उस क़द्र रक़म मिल जाये जिससे उसकी गुज़रान दुरुस्त हो जाये या उसकी गुज़रान सहीह हो जाये और तीसरा वो आदमी जो फ़क़्रो-फ़ाक़ा से दोचार हो गया, यहाँ तक कि उसकी क़ौम के

तीन अक़्लमन्द लोग गवाही दें कि फ़लाँ आदमी फ़ाक़ाज़दा हो गया है तो उसके लिये भी माँगना जाइज़ है यहाँ तक कि उसकी दुरुस्त गुज़रान पा ले या उसकी गुज़रान सहीह हो जाये। इन सूरतों के सिवा सवाल करना, ऐ क़बीसा! हराम है और सवाल करने वाला हराम खाता है।' (अबूदाऊद: 1640, नसाई: 5/89, 5/97)

سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तहम्मल्तु हमालह : मैंने किसी अम्रे ख़ैर के लिये दूसरों की तरफ़ से बहुत बड़ी रक़म की अदायगी की ज़िम्मेदारी उठाई। **(2) असाबत्हु जाइहा :** वो किसी क़ुदरती आफ़त का शिकार हुआ जिससे उसकी पैदावार, ग़ल्ला, फल या माल का नुक़सान हुआ। **(3) इज्ताहत मालहू :** सारा माल तबाह व बर्बाद कर डाला, उसका कुछ न छोड़ा। **(4) क़िवामन् मिन ऐशिन या सिदादम् मिन ऐशिन :** जिससे उसका गुज़ारा होने लगा, जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, वो माँगने का मोहताज न रहा। **(5) अल्हजा :** अक़्ल व दानिश। **(6) सुहूत :** हराम।

फ़ायदा : इस्लाम का आम ज़ाब्ता और उसूल ये है कि माँगना जाइज़ नहीं है हाँ अगर इंसान के पास सवाल के सिवा कोई चारा न रहे क्योंकि उसने दीन या अहले दीन की ख़ातिर कोई बहुत बड़ा जुर्माना या तावान या क़र्ज़ अदा करना हो और वो दूसरों से इम्दाद (मदद) लिये बग़ैर उसको अदा न कर सकता हो या वो किसी क़ुदरती आफ़त और मुसीबत का शिकार हो गया है, जिससे उसका तमाम माल तबाह हो गया है और उसके पास गुज़ारे के लिये कुछ नहीं बचा या वो मुफ़्लिसी व नादारी का शिकार होकर मोहताज हो गया है तो इन सूरतों में अपनी ज़रूरत व हाजत के पूरी होने तक वो माँग सकता है, उसके बाद सवाल करना जाइज़ नहीं है, इस हदीस़ से स़ाबित होता है। इस्लाम में पेशावराना गदागरी (भीख माँगने) की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अफ़सोस जिस रसूल ने ये हिदायत दी है, उसकी उम्मत में पेशावर साइलों और गदागरों का एक तब्क़ा मौजूद है और इसके लिये अलग-अलग मस्नूई सवांग भरे जाते हैं और कुछ लोग वो भी हैं जो आलिम या पीर बनकर मुअ़ज़्ज़ज़ क़िस्म की गदागरी करते हैं ये लोग सवाली और गदागरी के अलावा फ़रेबदेही और दीन फ़रोशी के भी मुज्रिम हैं। मसाजिद व मदारिस के नाम से चन्दा लें या दीनी इज्तिमाआत (ईद मीलादुन्नबी और उर्स वग़ैरह) व महाफ़िल के नाम से गुण्डागर्दी करके जबरी चन्दा वसूल करें।

बाब 38 : अगर बग़ैर सवाल और तमअ़े नफ़्स (लालच) के मिले तो उसका लेना जाइज़ है

باب إِبَاحَةِ الأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافٍ

(2405) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी मुझे कुछ अ़ता फ़रमाते थे तो मैं अ़र्ज़ करता था कि हुज़ूर किसी ऐसे आदमी को दीजिये जिसको मुझसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। यहाँ तक कि आप (ﷺ) ने एक बार मुझे बहुत सारा माल दिया, तो मैंने अ़र्ज़ किया, ऐसे फ़र्द को दीजिये जो इसका मुझसे ज़्यादा मोहताज है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसको ले लो और जो माल तुम्हें इस तरह मिले कि न तो तुमने उसके लिये दिल में चाहत और तमअ़ की और न ही तुमने सवाल किया तो उसको ले लिया करो और जो माल इस तरह न मिले उसकी तरफ़ तवज्जह या उसका ख़याल दिल में न लाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 1473, 7164, नसाई : 5/105)

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ‏.‏ حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ‏"

(2406) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को अ़तिया दिया करते थे तो उ़मर (रज़ि.) अ़र्ज़ किया करते, ऐ अल्लाह के रसूल! उसको दीजिये जो इसका मुझसे ज़्यादा मोहताज है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसको ले लीजिये और अपने माल बना लीजिये या इसको सदक़ा कर दीजिये (और अपना उसूल बना लो) जो माल तुम्हें

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ‏.‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم " خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ " . قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ .

इस तरह मिले कि तुमने दिल में उसकी चाहत और तमअ नहीं की और न ही उसका सवाल किया, तो उसको ले लीजिये और जो माल इस तरह न मिले उसका दिल में ख़याल न लाओ।' सालिम बयान करते हैं इसी वजह से इब्ने उमर (रज़ि.) किसी से कुछ माँगते नहीं थे और जो चीज़ मिलती थी उसको रद्द नहीं करते थे।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2407) इमाम साहब एक दूसरी सनद से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से यही रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 7163, अबू दाऊद : 1647, 2944, नसाई : 5/103, 5/104, 5/105)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ . فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ

(2408) इब्ने साइदी मालिकी से रिवायत है कि मुझे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने सदक़े की वसूली के लिये मुक़र्रर किया, तो जब मैं उस काम से फ़ारिग़ हुआ और उन्हें सदक़े का माल ला कर दे दिया, उन्होंने मेरे काम की मज़दूरी मुझे देने का हुक्म दिया, तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने तो ये काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की ख़ातिर किया है और मेरा अज्र अल्लाह के पास है। तो उन्हों ने कहा, जो तुम्हें दिया जा रहा है ले लो, क्योंकि मैंने ये काम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने मुबारक में किया था, तो आपने मुझे मेरे काम की मज़दूरी देना चाही, तो मैंने भी तेरे वाला जवाब दिया।

لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ " .

(तुम्हारी वाली बात कही) तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम्हें बग़ैर माँगे कोई चीज़ दी जाये तो उसे इस्तेमाल करो (और चाहो तो) सदक़ा कर दो।'

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

(2409) इब्ने साइदी बयान करते हैं कि मुझे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने सदक़ा वसूल करने के लिये आमिल बनाया और लैस़ की तरह रिवायत बयान की।

फ़ायदा : ऊपर की हदीसों से हज़रत उमर (रज़ि.) और इब्ने साइदी का कमाले ज़ुहद और दुनियवी माल व दौलत से बेरग़बती का इज़हार होता है और इससे ये भी पता चलता है अगर हुकूमत किसी इंसान को कोई चीज़ उसकी क़ौमी व दीनी या मिल्ली ख़िदमात के ऐवज़ कोई सनद या निशान और माली मफ़ाद दे, जैसे निशाने हैदर, सितारा जुरअत तो उसका लेना जाइज़ है, लेकिन अगर वो सियासी रिश्वत के तौर पर ये निशानात या रूट परमिट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के लाइसेंस और ठेके दे, ताकि वो उसके नाजाइज़ और ग़लत कामों में उसकी हिमायत करे और दीन फ़रोशी करे तो ये चीज़ें लेना नाजाइज़ और हराम है। लेकिन अगर नाजाइज़ कामों की हिमायत और उसकी एजन्टी मक़सूद न हो, सिर्फ़ तालीफ़े क़ल्बी या किसी दीनी ज़रूरत के लिये उसको हज, उम्रा या किसी ग़ैर मुल्की और मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत हो तो फिर हस्बे ज़रूरत जाइज़ है, बशर्तेकि ये चीज़ उसके दामन को दाग़दार न करे और लोगों में उसके बारे में ग़लत तास्सुर क़ायम न हो सके।

بَاب كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

बाब 39 : हिर्से दुनिया की कराहत व नापसंदीदगी

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه

(2410) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) नबी (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'बूढ़े आदमी का दिल दो चीज़ों की मुहब्बत में जवान रहता है, ज़िन्दगी की

وسلم قَالَ " قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ " .

मुहब्बत और माल की मुहब्बत।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ " .

(2411) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दो चीज़ों की मुहब्बत में बूढ़े का दिल जवान रहता है, लम्बी ज़िन्दगी और माल की मुहब्बत में।'

(सहीह बुख़ारी : 642)

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ " .

(2412) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आदमी बूढ़ा हो जाता है (बुढ़ापे के सबब उसकी सारी कुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं) मगर उसके नफ़्स की दो ख़स्लतें और ज़्यादा जवान (ताक़तवर) हो जाती हैं, दौलत की लालच और उम्र में ज़्यादती की हिर्स।

(तिर्मिज़ी : 2339, इब्ने माजह : 4234)

फ़ायदा : तजुर्बा और मुशाहिदा शाहिद (गवाह) है कि इंसानों का आम हाल यही है क्योंकि इंसान के नफ़्स में बहुत सी ग़लत ख़्वाहिशात जन्म लेती हैं, जो उसी सूरत में पूरी हो सकती हैं, जबकि उसके हाथ में माल व दौलत हो और उन ख़्वाहिशों की लज़्ज़तों और बर्बादियों से महफ़ूज़ रखना अक़्ल व शऊर का काम है, बुढ़ापे में जब अक़्ल मुज़्महिल और कमज़ोर हो जाती है तो उसका ख़्वाहिशात पर कण्टोल ढीला पड़ जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उम्र के आख़िरी हिस्से में बहुत सी ख़्वाहिशात, हवस का दर्जा इख़्तियार कर लेती हैं और उसकी वजह से उम्र की ज़्यादती के साथ माल व दौलत की हिर्स और चाहत और बढ़ जाती है ताकि वो ख़ूब खेल खेले। लेकिन अल्लाह के नेक बन्दे जिन्होंने इस दुनिया और इसकी ख़्वाहिशात की हक़ीक़त और इसके अन्जाम को समझ लिया है और अपने नफ़्सों की सहीह तर्बियत की है वो इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं।

(2413) इमाम साहब ने अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत नक़ल की है।
(सहीह बुख़ारी : 6421)

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ.

(2414) इमाम साहब ने अपने दो उस्तादों से इसके हम मानी रिवायत बयान की है और उसमें शोबा के क़तादा से और क़तादा के हज़रत अनस (रज़ि.) से सिमाअ़ की सराहत मौजूद है (जबकि ऊपर की रिवायात में अ़न क़तादा, अ़न अनस है)।
(सहीह बुख़ारी : 6421)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ .

बाब 40 : अगर इब्ने आदम के पास (माल की) दो वादियाँ (दो मैदान या दो जंगल) हों तो वो तीसरी वादी तलाश करेगा

باب لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لاَبْتَغَى ثَالِثًا

(2415) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर इब्ने आदम (आदमी) के पास माल के भरे हुए दो मैदान और दो जंगल हों तो वो तीसरा और चाहेगा और आदमी का पेट तो बस मिट्टी से ही भरेगा (माल व दौलत की हवस ख़त्म न होने वाली हवस का ख़ात्मा बस क़ब्र में जाकर होगा) और अल्लाह उस बन्दे पर इनायत और मेहरबानी फ़रमाता है जो अपना रुख़ और अपनी तवज्जह उसकी तरफ़ कर लेता है।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ " .

(2416) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना और मुझे पता नहीं है कि आप पर वो बात नाज़िल हुई थी या आप ख़ुद फ़रमा रहे थे, आगे अबू अवाना की मज़्कूरा बाला रिवायत है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - فَلاَ أَدْرِي أَشَىْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَىْءٌ كَانَ يَقُولُهُ - بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ .

(2417) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर इब्ने आदम के पास सोने का भरा हुआ मैदान या जंगल हो तो वो चाहेगा उसे एक और वादी मिल जाये और उसका मुँह (हिर्स व लालच) तो मिट्टी ही भरेगी और अल्लाह अपना रुख़ और अपनी तवज्जह, अल्लाह की तरफ़ करने वाले पर नज़रे इनायत फ़रमाता है।'

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ "

(2418) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'अगर आदमी के पास माल से भरी हुई वादी हो तो वो चाहेगा उसको उस जैसी और मिल जाये और आदमी के नफ़्स को मिट्टी ही (क़ब्र में) भरेगी और अल्लाह हिर्स व आज़ (लालच) से बाज़ आने पर रहमत व इनायत फ़रमाता है।' इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे मालूम नहीं ये कुरआन में से है या नहीं और ज़ुहैर की रिवायत में इब्ने अब्बास (रज़ि.) का ये क़ौल मज़्कूर नहीं है।
(सहीह बुख़ारी : 6436-6437)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالاً لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلاَ أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاَ . وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ . لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

(2419) हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) ने अहले बसरा के क़ारियों को बुलवाया तो उनके पास तीन सौ (300) आदमी आये जो क़ुरआन पढ़ चुके थे तो उन्होंने कहा, तुम अहले बसरा के बेहतरीन लोग और उनके क़ारी हो, क़ुरआन पढ़ते रहा करो, कहीं लम्बी मुद्दत गुज़रने से तुम्हारे दिल सख़्त न हो जायें, जैसाकि तुमसे पहले लोगों के दिल सख़्त हो गये और हम एक सूरह पढ़ा करते थे जिसे हम लम्बाई और (वईदों) की सख़्ती में सूरह बराअत से तश्बीह दिया करते। तो मैं उसे भूल गया, हाँ उसका ये टुकड़ा मुझे याद है, 'अगर आदमी के पास माल के दो मैदान हों तो वो तीसरा मैदान चाहेगा और आदमी के पेट को तो मिट्टी ही भरेगी।' और हम एक सूरत पढ़ा करते थे जिसको हम मुसब्बिहात की सूरत से तश्बीह दिया करते थे, उसको भी मैं भुला चुका हूँ, हाँ उससे मुझे ये याद है, 'ऐ ईमान वालो! ऐसी बात का दावा क्यों करते हो, जो करते नहीं हो, वो गवाही के तौर पर तुम्हारी गर्दनों में लिख दी जायेगी और क़यामत के दिन तुमसे उसके बारे में सवाल होगा।'

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي، الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاَثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فَاتْلُوهُ وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ . وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ} فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

फ़ायदा : (1) माल व दौलत की लालच व हवस आम इंसानों की गोया फ़ितरत है, अगर दौलत से उनका घर भी भरा हो और जंगल के जंगल और मैदान के मैदान भी भरे पड़े हों, तब भी उनका दिल क़ानेअ़ (सब्र करने वाला, मुत्मइन) नहीं होता और वो उसमें और ज़्यादती और इज़ाफ़ा ही चाहते हैं और ज़िन्दगी की आख़िरी साँस तक उनकी हवस का यही हाल रहता है और बस क़ब्र में ही जाकर दौलत की उस भूख और हवस से उनको छुटकारा मिलता है, आज-कल के जागीरदार, सरमायेदार व सन्अ़तकार और सोल व फ़ौजी ब्यूरो कर टैक्स, बल्कि हर ताजिर और दुकानदार और हर मुलाज़िम इस लालच व हवस की ज़िन्दा मिसाल बन चुका है अल्बत्ता जो बन्दे दुनिया और दुनिया की माल व

दौलत से अपना रुख़ अल्लाह की तरफ़ फेर लें और उससे अपना तअल्लुक़ जोड़ लें, उन पर अल्लाह की ख़ुसूसी इनायत नाज़िल होती है और उनको अल्लाह तआला इत्मीनाने क़ल्ब, ग़िनाए नफ़्स और क़नाअत नसीब फ़रमा देता है। (2) कुरआन मजीद की कुछ सूरतें, आग़ाज़ में आख़िरत की फ़िक्र और दुनिया से ज़ुहद व बेरग़बती के सिलसिले में आरिज़ी तौर पर उतरीं थीं। लेकिन चूंकि उनका क़ुरआन की हैसियत से बाक़ी रहना मन्ज़ूर नहीं था, इसलिये वो रसूल और उम्मत के ज़हन से उतर गईं। इसलिये कुछ सहाबा के ज़हन में कुछ मानी व मफ़्हूम तो महफ़ूज़ रहा, लेकिन उनके सहीह अल्फ़ाज़ और क़ुरआनी उस्लूब व बलाग़त महफ़ूज़ न रहा और अब वो क़ुरआन का हिस्सा नहीं हैं। इसलिये क़ुरआन होने की शर्तें भी उनके अंदर मफ़्क़ूद हैं और मुसब्बिहात से मुराद वो सूरतें हैं जिनके शुरू सुब्हान का लफ़्ज़ या इसके मुश्तक़्क़ात सब्बह, युसब्बिहु, सब्बिहिस्म रब्बिक वग़ैरह आये हैं।

बाब 41 : ग़नी व तवन्गरी साज़ो-सामान की कसरत का नाम नहीं है (क़नाअत की फ़ज़ीलत और उसकी तरग़ीब)

باب لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

(2420) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दौलतमन्दी माल व दौलत या माल व अस्बाब की कसरत (ज़्यादा होने से) से हासिल नहीं होती, बल्कि हक़ीक़ी दौलतमन्दी दिल की बेनियाज़ी है।'

(इब्ने माजह : 4137)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ " .

फ़ायदा : तवन्गरी और मोहताजी, ख़ुशहाली और बदहाली का तअल्लुक़ रूपये-पैसे और माल व अस्बाब से ज़्यादा आदमी के दिल से है। अगर दिल ग़नी और बेनियाज़ है तवन्गर और ख़ुशहाल है और अगर दिल हिर्स व तमअ का असीर है तो दौलत के ढेरों के बावजूद वो ख़ुशहाली से महरूम और मोहताज व परेशान हाल है। सअदी अलैहिर्रहमा का मशहूर क़ौल व तवन्गरी बदिल अस्त न बह माल।

बाब 42 : दुनिया की जो रौनक़ व ख़ूबी हासिल होगी उससे डराना (दुनिया की ज़ीनत और उसकी वुस्अत व फ़राख़ी से फ़रेब खाने से होशियार और चौकन्ना करना)।

باب تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

(2421) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए और लोगों को ख़ुत्बा देते हुए फ़रमाया, 'नहीं, अल्लाह की क़सम! मुझे तुम्हारे बारे में, ऐ लोगो! दुनिया की ज़ेबो-ज़ीनत जो तुम्हें हासिल होगी के सिवा और किसी चीज़ का ख़तरा या ख़दशा व अन्देशा नहीं है?' एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ख़ैर, शर का सबब बनेगा? (ख़ैर के नतीजे में शर पैदा होगा) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ वक़्त के लिये ख़ामोश हो गये फिर फ़रमाया, 'तुमने क्या कहा था?' उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अर्ज़ किया था, क्या ख़ैर के सबब शर पैदा हो सकता है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'ख़ैर, ख़ैर ही का पेशख़ेमा होता है लेकिन क्या दुनिया की ज़ेबो-ज़ीनत और उसकी बहजत (ताज़गी) व रौनक़ ख़ैर है? जो सब्ज़ा मौसमे बहार उगाता है वो उफारे से मार डालता है या क़रीबुल मर्ग कर देता है, मगर सब्ज़ा खाने वाला वो जानवर जो खाता है और जब उसकी कोखें भर जाती हैं (वो सैर हो जाता है) वो सूरज का रुख़ करता है और बैठकर गोबर और

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ " لاَ وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ثُمَّ قَالَ " كَيْفَ قُلْتَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ أَوَ خَيْرٌ هُوَ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ فَمَنْ

يَأْخُذْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ " .

पेशाब करता है फिर जुगाली करता है और हज़म करने के बाद दोबारा चरने-चुगने लगता है तो जो इंसान माल जाइज़ तरीक़े से लेता है, उसके लिये वो बरकत का बाइस बनता है और जो इंसान माल नाजाइज़ तरीक़े से हासिल करता है वो उस इंसान की तरह है जो खाता है लेकिन सैर नहीं होता।' (इब्ने माजह : 3995)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا " . قَالُوا وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بَرَكَاتُ الأَرْضِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ قَالَ " لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ إِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالَتْ وَثَلَطَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ " .

(2422) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा ख़तरा और अन्देशा दुनिया की उस ज़ीनत व ताज़गी का है जो अल्लाह तआला तुम्हें देगा।' सहाबा ने अर्ज़ किया, दुनिया की रोनक़ और तरो-ताज़गी से क्या मुराद है? ऐ अल्लाह के रसूल! आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ज़मीन की बरकतें।' उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ख़ैर, शर के लाने का सबब बन जाता है? आपने फ़रमाया, 'ख़ैर, ख़ैर ही के लाने का सबब बनता है। ख़ैर, ख़ैर ही लाता है। ख़ैर, ख़ैर का ही पेशख़ेमा है। जो सब्ज़ा और नबातात मौसमे बहार उगाता है वो क़त्ल कर देता है या क़रीबुल मर्ग कर देता है मगर वो चरने वाला जानवर, जो चरता-चुगता है जब उसकी दोनों कोखें फूल जाती हैं (वो सैर हो जाता है) तो वो सूरज की तरफ़ मुँह करके बैठ जाता है, फिर जुगाली करता है, पेशाब करता है और गोबर करता है, फिर उठकर दोबारा खाना शुरू कर देता है। ये माल सरसब्ज़ व शादाब और शीरीं है, तो जो इसे जाइज़ तरीक़े से लेगा और

जाइज़ मौक़े व महल पर ख़र्च करेगा, तो वो बहुत ही मुआविन व मददगार है और जो इसे नाजाइज़ तरीक़े से लेगा, वो उस इंसान की तरह है जो खाता है, सैर नहीं होता।'

(सहीह बुख़ारी : 1465, 2842, 921, 6427, नसाई : 5/90, 5/91)

(2423) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए और हम आपके आस-पास बैठ गये। तो आपने फ़रमाया, 'मुझे अपने बाद तुम्हारे बारे में जिस चीज़ का ख़तरा और ख़दशा है वो दुनिया की रौनक़ व शादाबी और ज़ीनत है जो तुम्हारे लिये वाफ़िर कर दी जायेगी या आम कर दी जायेगी।' तो एक आदमी ने अर्ज़ किया, क्या ख़ैर, शर लाता है? ऐ अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसको जवाब देने से ख़ामोश रहे। उसे कहा गया, तेरा क्या मामला है? तू रसूलुल्लाह (ﷺ) से बातचीत करता है और रसूलुल्लाह (ﷺ) तेरी बातचीत का जवाब नहीं देते और हमने देखा, आप पर वह्य उतारी जा रही है। आप पसीना पोंछते हुए अपने मामूल की हालत में आ गये और आपने फ़रमाया, 'ये साइल' (क़ाबिले क़द्र और लायक़े तारीफ़ है) गोया कि आपने उसकी तहसीन फ़रमाई और फ़रमाया, '(वाक़िया ये है कि ख़ैर, शर का सबब नहीं बनता लेकिन) मौसमे रबीअ जो चारा और घास उगाता है (उसका ज़्यादा इस्तेमाल)

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ " إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " . فَقَالَ رَجُلٌ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرُئِينَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ " إِنَّ هَذَا السَّائِلَ - وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ - إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ

الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

क़त्ल कर देता है या क़रीबुल मौत कर देता है, मगर सब्ज़ा खाने वाला वो हैवान जो खाता है यहाँ तक कि जब उसकी कोखें भर जाती हैं वो तो सूरज की टिकिया की तरफ़ मुँह करके बैठ जाता है, फिर गोबर-लीद और पेशाब करता है (हज़म करने के बाद) फिर दोबारा चरता-चुगता है और बिला शुब्हा ये (दुनिया का) माल सरसब्ज़ व शादाब और शीरीं है और ये मुसलमान का बेहतरीन साथी है। जो उसमें से मिस्कीन, यतीम और मुसाफ़िर को देता है (या जो अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाये) और हक़ीक़त ये है जो इसको नाहक़ तौर पर लेता है वो उस इंसान की तरह है जो खाता है सैर नहीं होता और वो क़यामत के दिन उसके ख़िलाफ़ गवाह बनेगा।'

फ़वाइद : (1) माल व दौलत की कस़रत और फ़रावानी ख़तरनाक है क्योंकि इन्नल इन्सा-न लयत्ग़ा अर्रआहुस्तग़ना बेशक इंसान, हद से निकल जाता है इसलिये कि वो अपने आपको देखता है कि वो ग़नी हो गया है इसलिये नबी (ﷺ) ने अपनी उम्मत को, अपने बाद हासिल होने वाले माल व अस्बाब कस़रत और ज़्यादती से डराया है क्योंकि अल्लाह तआला ने उन इंसानों के इम्तिहान व इब्तिला की ख़ातिर, माल व दौलत में हुस्न व ज़ेबाइश और रौनक व बहजत रखी है ताकि उसकी तरफ़ उसकी नज़रें उठें और उनमें जच जाये और उसमें शीरीनी व मिठास रखी है ताकि वो उसके दिल को लुभाये और वो हर हालत में उसको हासिल करने की कोशिश करे। (2) दुनिया का माल व दौलत अगर जाइज़ तरीक़े से हासिल किया जाये और उसके हिस्सों में नाजाइज़ ज़राए इख़्तियार न किये जायें और उसको इसराफ़ व तब्ज़ीर में पड़कर ऐशो-इशरत में ख़र्च न किया जाये बल्कि जिस तरह सहीह और जाइज़ तरीक़े से कमाया है उस तरह सहीह और जाइज़ मसरफ़ में उसको सर्फ़ किया जाये और उसकी मुहब्बत में गिरफ़्तार होकर, दीन व ईमान और उनके तक़ाज़ों से इन्हिराफ़ व ऐराज़ करते हुए उस पर साँप बनकर न बैठा जाये, तो ये इंसान का बेहतरीन साथी और मुआविन है इंसान उससे हर क़िस्म के उमूरे ख़ैर और नेक कामों में हिस्सा ले सकता है और तमाम अहले हुक़ूक़ के हक़ अदा कर सकता है और ऐसी सूरत में ये ख़ैर ही है और ख़ैर ही का बाइस़ है लेकिन अगर इंसान इसको जाइज़ तरीक़े से नहीं कमाता या इसको ऐशो-इशरत में उड़ाता है या उसकी मुहब्बत में गिरफ़्तार होकर उसको समेट-

समेटकर रखता है तो फिर ये इंसान की तबाही व बर्बादी का बाइस है, जैसाकि आज-कल दौलत की रेल-पेल ने अहले सरवत और मालदारों को इल्ला माशाअल्लाह दीन अहले दीन और क़ौम व मिल्लत के मफ़ादात से बिल्कुल ग़ाफ़िल कर दिया है और उन्हें हर वक़्त यही धुन और फ़िक्र रहती है कि किस तरह ज़्यादा माल जमा किया जाये उनकी मिसाल उस हैवान की है, जो मौसमे रबीअ के बेहतरीन सब्ज़ा को देखकर बिला तहाशा खाये जाता है यहाँ तक कि उसका पेट फूल जाता है और अंतड़ियाँ फट जाती हैं और वो मर जाता है या उसकी कोख को काटकर पेट से सब्ज़ा निकालकर बचाने की कोशिश की जाती है और ऐसा इंसान माल व दौलत की हिर्स व आज़ में उस इंसान की तरह हो जाता है जिसे भूख की बीमारी लाहिक़ होती है और उसकी भूख कभी भी नहीं मिटती। इस तरह उन अस्हाबे सरवत की हवस पूरी नहीं होती (जैसाकि पिछले बाब की अहादीस में गुज़र चुका है) उन्हें माल बढ़ाने की फ़िक्र दामनगीर रहती है और माल ही उनका माबूद व मत्लूब और मक़सूद ठहरता है।

बाब 43 : इफ़्फ़त (माँगने से बचना) और सब्र की फ़ज़ीलत (सवाल न करे, सब्र और क़नाअत की फ़ज़ीलत और उन सबकी तरग़ीब दिलाना)

باب فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

(2424) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ अन्सारी लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया आपने उनको दे दिया। उन्होंने फिर माँगा, आपने दे दिया। यहाँ तक कि जो कुछ आपके पास था वो ख़त्म हो गया तो आपने फ़रमाया, 'मेरे पास जो भी माल होगा मैं उसे हर्गिज़ तुमसे ज़ख़ीरा करके नहीं रखूँगा (तुम्हें दूँगा) और जो सवाल से बचने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे बचने की तौफ़ीक़ देगा। (उसे माल व क़नाअत से नवाज़ेगा) और जो लोगों से बेनियाज़ी इख़्तियार करेगा अल्लाह उसको बेनियाज़ कर देगा और जो सब्र करेगा (सवाल से बाज़ रहेगा) अल्लाह तआला

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا، مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ " مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ " .

उसको सब्र की क़ुव्वत इनायत फ़रमायेगा और किसी को सब्र से बेहतर और वसीअ अतिया नहीं दिया गया।'

(सहीह बुख़ारी : 1469, 6470, अबू दाऊद : 1644, तिर्मिज़ी : 2024, नसाई : 5/96)

फ़ायदा : अगर इंसान अपने अंदर इख़्लास व दयानत से मक़दूर (ताक़त) भर अच्छी और आला सिफ़ात पैदा करने की कोशिश और मेहनत करता है और उसके लिये मेहनत व मशक़्क़त बर्दाश्त करता है तो अल्लाह तआला उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होने की तौफ़ीक़ देता है और उसको मुश्किल और तंग हालात से निकालता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .

(2425) मुसन्निफ़ साहब इसके हम मानी रिवायत अपने दूसरे उस्ताद से बयान की है।

باب فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

बाब 44 : गुज़रान और क़नाअत

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي، أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ، -وَهُوَ ابْنُ شَرِيكٍ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ " .

(2426) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कामयाब व बामुराद हुआ वो इंसान जो मुसलमान हो गया और उसे बक़द्रे कफ़ाफ़ रोज़ी मिली और अल्लाह तआला ने उसे जो कुछ दिया उस पर क़नाअत की तौफ़ीक़ बख़्शी।'

(तिर्मिज़ी : 2348, इब्ने माजह : 4138)

फ़ायदा : अल्लाह तआला जिस बन्दे को ईमान व इस्लाम की दौलत नसीब फ़रमाये और साथ ही इस दुनिया में रहने-सहने के लिये बक़द्रे ज़रूरत सामान फ़राहम फ़रमाये ताकि किसी के सामने दस्ते सवाल दराज़ करने की ज़रूरत पेश न आये और फिर अल्लाह तआला उसके दिल को क़नाअत और

तमानियत की दौलत भी नसीब फ़रमा दे। तो ये उस पर अल्लाह तआला का बहुत बड़ा फ़ज़्ल है और उसकी अकेले कामयाबी व कामरानी की दलील है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا " .

(2427) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! आले मुहम्मद को इस क़द्र रोज़ी इनायत फ़रमा जो उसकी ज़रूरत पूरी कर सके।'

(सहीह बुख़ारी : 6460, इब्ने माजह : 4139)

फ़ायदा : क़ूत इतनी ख़ूराक को कहते हैं जो इंसान को मरने न दे यानी जिस्म व जान के रिश्ते को बरक़रार रखे। इस हदीस़ से मालूम होता है कि उलमा और दाइयाने दीन के लिये बेहतर सूरत यही है कि अल्लाह तआला उनको बक़द्रे ज़रूरत दे ताकि वो किसी के दस्त नगर न हों, लेकिन दुनियवी तकल्लुफ़ात आराइश व आसाइश और ठाठ-बाठ से बचकर रहें ताकि ग़रीब और कम माल लोगों के लिये वो नमूना बनें, वो माल व दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल के नसबुल ऐन न बनायें, लेकिन ऐसी ज़िन्दगी से अल्लाह की पनाह माँगें, जिसमें उन्हें दूसरों का दस्त नगर होना पड़े या सरमायेदारों की चापलूसी और तमल्लुक़ से काम लेना पड़े और अपने दीनी मशाग़िल के लिये उनके पीछे-पीछे भागना पड़े।

بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

बाब 45 : जिसने बेबाकी व बेहयाई से और सख़्ती से सवाल किया उसको देना

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ

(2428) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ माल तक़सीम किया तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! इनके

الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَلْمَانَ، بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَؤُلاَءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ . قَالَ " إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ "

अलावा दूसरे लोग इसके ज़्यादा हक़दार थे। आपने फ़रमाया, 'इन्होंने सवाल पर इसरार करके ऐसी सूरते हाल बना दी थी कि या तो ये लोग मुझसे बेहयाई और बेशर्मी से माँगेंगे या मुझे बख़ील क़रार देंगे तो मैं बख़ील नहीं हूँ।'

फ़ायदा : कई बार किसी के शर और फ़साद से बचने के लिये नाअहल होने के बावजूद उसे कुछ माद्दी मफ़ाद पहुँचाकर उसका मुँह बंद करना, वक़्त के हालात व ज़ुरूफ़ का तक़ाज़ा होता है और मस्लिहत व हिक्मत इसका तक़ाज़ा करती है और ऐसे करना पड़ता है।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا، ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ، بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

(2429) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जा रहा था जबकि आप एक नजरानी चादर, जिसके किनारे मोटे थे, ओढ़े हुए थे। आपको एक बदवी आ मिला और उसने आपकी चादर को इस क़द्र ज़ोर से खींचा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की गर्दन के एक तरफ़ देखा, जिस पर उसके इन्तिहाई ज़ोर से खींचने के बाइस चादर के हाशिये (किनारे) ने निशान बना डाला था, फिर उसने कहा, ऐ मुहम्मद! अल्लाह का जो माल आपके पास है, उसमें से मुझे भी देने का हुक्म दीजिये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी तरफ़ मुतवज्जह होकर हँस पड़े और उसे कुछ देने का हुक्म दिया।

(सहीह बुख़ारी : 3149, 5809, 6088, इब्ने माजह : 3553)

(2430) मुसन्निफ़ ने मज़्कूरा बाला रिवायत अपने तीन और उस्तादों से इस्हाक़ ही की सनद से बयान की है। इक्रिमा बिन अम्मार की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, फिर उसने आपको अपनी तरफ़ इस क़द्र ज़ोर से खींचा कि आप बदवी के सीने से जा लगे और हम्माम की रिवायत में है उसने आपको खींचा यहाँ तक कि चादर फट गई और उसके किनारे का निशान रसूलुल्लाह (ﷺ) की गर्दन पर रह गया या उसका किनारा आपकी गर्दन में रह गया।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ جَبَذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَةً رَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَحْرِ الأَعْرَابِيِّ . وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُ وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

फ़ायदा : बदवी (देहाती) लोग इल्म व तहज़ीब से कोरे होते हैं और अदब व एहतिराम से नाआश्ना, इसलिये आपने उसकी नादानी और कम अक़्ली के सबब उसकी गुस्ताख़ी और बेअदबी को नज़र अन्दाज़ करते हुए उसका मक़सद पूरा फ़रमाया।

(2431) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़बायें तक़सीम कीं और मख़रमा को कोई चीज़ न दी, तो मख़रमा ने कहा, ऐ मेरे बेटे! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले चलो, तो मैं उनके साथ चला। उन्होंने कहा, अंदर जाकर आप (ﷺ) को मेरी ख़ातिर बुला लाओ। मैंने उनके कहने पर आपको बुलाया, तो आप इस हाल में उसकी तरफ़ आये कि आप (के कन्धे) पर उनमें से एक क़बा थी। आपने फ़रमाया, 'ये मैंने तेरे लिये छिपाकर रखी

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي . قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ " خَبَأْتُ هَذَا لَكَ " . قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ " رَضِيَ مَخْرَمَةُ " .

थी।' उसने उसका जायज़ा लिया। आपने फ़रमाया, 'मख़रमा को पसंद है।'

(सहीह बुख़ारी : 2599, 2657, 3127, 5800, 5862, 6132, अबू दाऊद : 4028, तिर्मिज़ी : 2818, नसाई : 8/205)

(2432) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास क़बायें आईं तो मुझे मेरे बाप मख़रमा (रज़ि.) ने कहा, मुझे आप (ﷺ) के पास ले चलो, उम्मीद है आप हमें भी उनमें से कोई इनायत फ़रमा देंगे। मेरे बाप ने दरवाज़े पर खड़े होकर बातचीत की, तो नबी (ﷺ) ने उसकी आवाज़ पहचान ली और आप क़बा लेकर निकले और आप उसे उसकी ख़ूबियाँ बतलाते हुए फ़रमा रहे थे, 'मैंने ये तुम्हारे लिये छिपाई थी, मैंने ये तुम्हारे लिये छिपा रखी थी।'

حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ، زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا . قَالَ فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ " خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ

फ़ायदा : आप (ﷺ) अपने साथियों के मिज़ाज और तबीअत का लिहाज़ रखते हुए उनकी दिलजोई और मदारात फ़रमाते कि बिला वजह उनके जज़्बात को ठेस न पहुँचे हज़रत मख़रमा (रज़ि.) के मिज़ाज में कुछ हिद्दत व शिद्दत (सख़्ती) थी। इसलिये आप (ﷺ) ने उनकी आमद का मक़सद समझकर उसको बात करने का मौक़ा ही नहीं दिया और पहले ही उसे एक क़बा इनायत फ़रमा दी।

बाब 46 : जिनके ईमान के बारे में ख़दशा हो उनको देना

بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ

(2433) आमिर बिन सअद अपने बाप हज़रत सअद (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों को कुछ माल दिया और मैं भी उनमें बैठा हुआ था।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدٍ أَنَّهُ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا . قَالَ " أَوْ مُسْلِمًا " . فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا . قَالَ " أَوْ مُسْلِمًا " . فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا . قَالَ " أَوْ مُسْلِمًا " . قَالَ " إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ . وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ " . وَفِي حَدِيثِ الْحُلْوَانِيِّ تَكْرَارُ الْقَوْلِ مَرَّتَيْنِ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनमें से एक आदमी को नज़र अन्दाज़ कर दिया, उसको न दिया। हालांकि मेरे नज़दीक वह उन सबसे पसंदीदा था। मैं उठकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गया और आपको राज़दाराना अन्दाज़ में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मामला है आप फ़लाँ से ऐराज़ फ़रमा रहे हैं? अल्लाह की क़सम! मैं तो इसे मोमिन समझता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'या इताअत गुज़ार।' तो मैं कुछ देर ख़ामोश रहा। फिर मुझ पर उसके बारे में मेरी मालूमात ग़ालिब आ गई, तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या बात है आप फ़लाँ को नहीं दे रहे? अल्लाह की क़सम! मैं तो इसे सहीह मोमिन पाता हूँ। आपने फ़रमाया, 'या फ़रमांबरदार।' मैं कुछ देर चुप रहा। फिर मैं उसके बारे में जो कुछ जानता था वो मुझ पर ग़ालिब आ गया और मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि आप फ़लाँ को नहीं दे रहे? अल्लाह की क़सम! मैं तो इसे मोमिन समझता हूँ। आपने फ़रमाया, 'या इताअत गुज़ार।' आपने फ़रमाया, 'मैं एक ऐसे आदमी को देता हूँ जिसके मुक़ाबले में मुझे दूसरा उससे महबूब होता है, इस डर से कि वो ओन्धे मुँह आग में डाल दिया जाये।'

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ،

(2434) इमाम साहब ने अपने कई दूसरे उस्तादों से यही रिवायत ज़ोहरी ही की सनद से नक़ल की है।

ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ، بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

(2435) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मुहम्मद बिन सअ़द की ये रिवायत बयान करते हैं उसमें है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना हाथ मेरी गर्दन और कन्धे के दरम्यान मारा फिर फ़रमाया, 'ऐ सअ़द! क्या लड़ाई चाहते हो? मैं एक ऐसे आदमी को देता हूँ।'

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ - يَعْنِي حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا - فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ " أَقِتَالاً أَىْ سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ " .

फ़वाइद : (1) ईमान का ताल्लुक़ क़ल्ब व दिल से है। इसलिये इसके बारे में इंसान यक़ीन और क़तइय्यत से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस्लाम का ताल्लुक़ ज़ाहिरी आ़माल से है जिसका इंसान मुशाहिदा करता है। इसलिये उसकी इताअ़त गुज़ारी और फ़रमांबरदारी का ज़ाहिरी आ़माल के लिहाज़ से इज़्हार हो सकता है। इसलिये आपका मक़सद था कि उसके अ़तिये में उन लोगों का हक़ मुक़द्दम है जो ईमान व ईक़ान में बरतर हैं, इसलिये वो आपका मक़सद नहीं समझ सके और अपने लफ़्ज़ ही का तकरार करते रहे। **(2)** कुछ लोग नये-नये मुसलमान होते हैं और इस्लाम की हक़ीक़त उनके दिल में रची-बसी नहीं होती वो यही समझते हैं, इस्लाम लाने से हम दुनियवी माल व दौलत हासिल कर सकेंगे। इसलिये उनकी तालीफ़े क़ल्बी के लिये जब तक उनकी हक़ीक़ते इस्लाम तक रसाई न हो, कुछ न कुछ देना मुनासिब होता है और जिनके दिल में ईमान व अ़क़ीदा रासिख़ हो जाता है वो दुनियवी माल व दौलत को कोई अहम हैसियत नहीं देते कि उससे महरूमी की सूरत में उनके ईमान व यक़ीन में कमज़ोरी पैदा हो जाये या वो नऊ़ज़ुबिल्लाह दीन से बरगश्ता होकर आग का ईंधन बनें, इसलिये उनको अपना समझकर नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है क्योंकि उनके बारे में बदअ़क़ीदगी या बदज़न्नी का ख़तरा नहीं होता।

बाब 47 : तालीफ़े क़ल्बी के लिये (कमज़ोर ईमान वालों को इस्लाम पर पुख़्ता करने के लिये) देना और मज़बूत ईमान वालों का सब्र व सबात से काम लेना

باب إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

(2436) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि हुनैन के दिन जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल को बनू हवाज़िन के बहुत से अम्वाल बतौरे फ़ै इनायत फ़रमाये और रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ुरैशी सरदारों को सौ-सौ ऊँट देने लगे तो कुछ अन्सारियों ने कहा, अल्लाह तआला रसूलुल्लाह (ﷺ) की मग़्फ़िरत फ़रमाये, आप क़ुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़ रहे हैं हालांकि हमारी तलवारें उनके ख़ूनों से टपक रही हैं, यानी हमारी तलवारें उनके ख़ूनों से रंगी हैं वो काफ़िर थे और हम मुसलमान। हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनकी बात बताई गई तो आपने अन्सार को बुलवा भेजा और उन्हें एक चमड़े के ख़ैमे में जमा किया, जब वो सब इकट्ठे हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'वो क्या बात है जो तुम्हारी तरफ़ से या तुम्हारे बारे में मुझे पहुँची है?' अन्सार के समझदार लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे अहले राय ने तो कोई बात नहीं की। लेकिन हमारे नौउम्र जवानों ने कहा है, अल्लाह अपने रसूल को

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أُنَاسًا، مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ . قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَحُدِّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ " . فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا

حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ قَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَفَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ " . فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا . قَالَ " فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ " . قَالُوا سَنَصْبِرُ .

माफ़ फ़रमाये, वो क़ुरैश को दे रहे हैं और हमें नज़र अन्दाज़ कर रहे हैं हालांकि हमारी तलवारों से उनके ख़ून टपक रहे हैं (इस्लाम की ख़ातिर) उनसे जंगें करते रहे हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं ऐसे लोगों को जो नये-नये कुफ़्र से निकले हैं, उनकी तालीफ़ के लिये (इस्लाम पर जमाने के लिये) देता हूँ, क्या तुम इस पर राज़ी और मुत्मइन नहीं हो कि लोग माल व दौलत ले जायें और तुम अपने घरों की तरफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) को साथ लेकर लौटो? अल्लाह की क़सम! जो कुछ तुम लेकर लौट रहे हो वो उससे बेहतर है जो वो लेकर लौट रहे हैं।' तो अन्सार ने कहा, क्यों नहीं। ऐ अल्लाह के रसूल! हम राज़ी और मुत्मइन हैं। आपने फ़रमाया, 'बेशक तुम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तरजीह पाओगे (तुम्हें नज़र अन्दाज़ करके दूसरों को आगे बढ़ाया जायेगा) तो सब्र करना यहाँ तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जा मिलो, बेशक मैं हौज़ पर हूँगा।' अन्सार ने कहा, हम ज़रूर सब्र करेंगे।

(सहीह बुख़ारी : 5860)

मुफ़रदातुल हदीस़ : सुयूफ़ुना तक़तुरु मिन दिमाइहिम : अरबी मुहावरा है जिसमें मुबालग़ा मतलूब होता है। लफ़्ज़ी तर्जुमा ये है कि हमारी तलवारें उनके ख़ूनों से टपक रही हैं मगर मक़सूद होता है उनके ख़ून हमारी तलवारों से रवाँ-दवाँ हैं हमारी तलवारें उनके ख़ूनों से रंगीन हैं।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ

(2437) एक और सनद से इमाम साहब यही हदीस़ बयान करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बताया, जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल को हवाज़िन के बहुत से

شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ . وَقَالَ فَأَمَّا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ .

माल बतौरे फ़ै दिये, आगे मज़्कूरा हदीस़ बयान की है, हाँ ये फ़र्क़ है कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, हम सब्र न कर सके और अना उनासुम मिन्ना की जगह अन्ना उनासुन कहा।

(सहीह बुख़ारी : 7441)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالُوا نَصْبِرُ . كَرِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

(2438) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं उसमें सनस्बिर की जगह नसबिर है, हम सब्र करेंगे।

फ़ायदा : कई बार अपने अमीर या बुज़ुर्ग के काम के अंदर जो हिक्मत और मस्लिहत होती है इंसान अपनी नौख़ेज़ी या नातजुर्बेकारी और कम अक़्ली की बिना पर समझ नहीं सकता, इसलिये वो काम इंसान के नज़दीक क़ाबिले ऐतिराज़ या ग़ैर मुनासिब होता है। लेकिन जब उसकी हिक्मत व मस्लिहत बता दी जाती है तो वो मुत्मइन हो जाता है। इसलिये ऐसे मौक़ों पर इधर-उधर तन्क़ीद या तअनो-तश्नीअ की बजाय अगर बराहे रास्त बातचीत कर ली जाये, तो मामला हल हो जाता है। इसलिये ऐसे मौक़ों पर अमीर या क़ाबिले एहतिराम शख़्सियत को भी तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेते हुए अपने अक़ीदतमन्दों और साथियों को मुत्मइन करने की कोशिश करनी चाहिये। उसे अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिये। कुछ मौक़ों पर इस्लाम और मुसलमानों की बेहतरी के लिये किसी के शर से बचने के लिये उसे कुछ देना पड़ता है, किसी को इस्लाम की तरफ़ राग़िब और माइल करने के लिये देने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसके मुसलमान होने से उसका बाअसर ख़ानदान या क़बीला मुसलमान हो सकता है कि कई बार नये-नये मुसलमान होने वालों को इस्लाम पर जमाने के लिये कुछ देना पड़ता है और ये सब कुछ इस्लाम और अहले इस्लाम की बेहतरी और मफ़ाद के लिये होगा। अपने ज़ाती और शख़्सी या गिरोही मफ़ाद के लिये नहीं, इसलिये मसारिफ़े ज़कात में भी मुअल्लिफ़ति क़ुलूबिहिम का मसरफ़ और मदद रखी गई है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا

(2439) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अन्सार को जमा फ़रमाया और पूछा, 'क्या तुममें

شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارَ فَقَالَ " أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ " . فَقَالُوا لاَ إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " . فَقَالَ " إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ " .

कोई और तो नहीं है?' उन्होंने जवाब दिया, हमारे भान्जे के सिवा कोई और नहीं है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़ौम का भान्जा उनमें दाख़िल है।' तो आपने फ़रमाया, 'क़ुरैश नये-नये जाहिलिय्यत और मुसीबत से निकले हैं और मैं चाहता हूँ उनकी दिलजूई करूँ यानी उनके ज़ख़्म मुन्दमिल करूँ (मिटाऊँ) और उनको मानूस करूँ, क्या तुम इस पर ख़ुश नहीं हो, लोग दुनिया लेकर घरों को लौटें और तुम अपने घरों को रसूलुल्लाह(ﷺ) को लेकर लौटो? अगर लोग एक मैदान में चलें और अन्सार एक घाटी या दर्रे में चलें तो मैं अन्सार की घाटी में चलूँगा।'

(सहीह बुख़ारी : 3528, 6762, 3146, 4334, 6761, तिर्मिज़ी : 3901, नसाई : 5/106-107)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائِمَ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ " مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ " . قَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ . وَكَانُوا لاَ يَكْذِبُونَ . قَالَ " أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى

(2440) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब मक्का फ़तह हो गया और (हुनैन की) ग़नीमतें क़ुरैश में तक़सीम की गई तो अन्सार ने कहा, ये किस क़द्र तअज्जुबख़ेज़ बात है कि हमारी तलवारों से उनके ख़ून टपक रहे हैं (और हमारी ग़नीमतें) उनको दी जा रही हैं ये बात रसूलुल्लाह(ﷺ) तक पहुँची तो आपने उनको जमा किया और फ़रमाया, 'वो क्या बात है जो तुम्हारी तरफ़ से मुझ तक पहुँची है? उन्होंने कहा, बात वही है जो आप तक पहुँच चुकी है, क्योंकि वो लोग झूठ नहीं बोलते थे। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम ख़ुश नहीं हो कि लोग अपने घरों को दुनिया लेकर लौटें और तुम अपने घरों को

بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) को लेकर लौटो, अगर लोग एक वादी या दर्रे में चलें और अन्सार दूसरी वादी या दर्रे में चलें तो मैं अन्सार की वादी या अन्सार के दर्रे में चलूँगा।'

(सहीह बुख़ारी : 3778)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ - قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذَرَارِيِّهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ - قَالَ - فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - قَالَ - فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ " . فَقَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ - قَالَ - ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ " . قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ - قَالَ - وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ

(2441) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि जब हुनैन का वक़्त आया हवाज़िन और ग़तफ़ान और दूसरे लोग अपने बीवी-बच्चों और मवेशियों को लेकर आगे आये और रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ दस हज़ार और फ़तहे मक्का के वक़्त आज़ाद करदा लोग थे, वो पुश्त दिखा गये। यहाँ तक कि आप (ﷺ) अकेले रह गये, तो आपने उस दिन दो बार अलग आवाज़ दी, दरम्यान में कुछ नहीं कहा। आपने दायें तरफ़ मुतवज्जह होकर आवाज़ दी, 'ओ ऐ अन्सार! ऐ जमाअ़ते अन्सार!' उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हाज़िर हैं, ख़ुश हो जाइये, हम आपके साथ हैं। फिर आपने बायें तरफ़ इल्तिफ़ात फ़रमाया और कहा, 'अन्सार के गिरोह।' उन्होंने कहा, लब्बैक ऐ अल्लाह के रसूल! ख़ुश हो जाइये हम आपके साथ हैं। और आप सफ़ेद ख़च्चर पर सवार थे, आपने उतरकर कहा, 'मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ।' मुश्रिक शिकस्त खा गये और रसूलुल्लाह को ग़नीमत का बहुत माल मिला, तो आपने उसे मुहाजिरों और फ़तहे मक्का के मौक़े पर मुसलमान होने वालों में तक़सीम कर दिया और अन्सार को कुछ न

दिया, इस पर अन्सार ने कहा, जब सख़्ती और शिद्दत का मौक़ा होता है तो हमें बुलाया जाता है और ग़नीमतें दूसरों को दी जाती हैं। ये बात आप तक भी पहुँच गई तो आपने उन्हें एक ख़ैमे में जमा किया और फ़रमाया, 'ऐ अन्सार की जमाअत! क्या बात है जो मुझे तुम्हारे बारे में पहुँची है?' वो ख़ामोश रहे। आपने फ़रमाया, 'ऐ अन्सार की जमाअत! क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि लोग दुनिया ले जायें (दुनिया का माल व दौलत ले लें) और तुम मुहम्मद(ﷺ) को अपने साथ अपने घरों को ले जाओ।' उन्होंने कहा, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! हम राज़ी हैं। तो आपने फ़रमाया, 'अगर लोग एक वादी में चलें और अन्सार और घाटी में चलें, तो मैं अन्सार की घाटी को इख़्तियार करूँगा।' हिशाम कहते हैं, मैंने पूछा, ऐ अबू हम्ज़ह (हज़रत अनस की कुन्नियत है) उस वक़्त आप मौजूद थे? उन्होंने कहा, मैं आपसे कहाँ ग़ायब हो सकता था। तुलक़ा से मुराद वो लोग हैं जो फ़तहे मक्का के दिन मुसलमान हुए। आपने उन पर एहसान फ़रमाया, उनको क़त्ल न किया और क़ैदी भी न बनाया बल्कि आज़ाद कर दिया।

(सहीह बुख़ारी : 4333, 4335)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِذَا كَانَتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا . فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ " . فَسَكَتُوا فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا . قَالَ فَقَالَ " لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لأَخَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ " . قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ.

(2442) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने मक्का फ़तह कर लिया, फिर हमने हुनैन का रुख़ किया और मुश्रिक मेरे मुशाहिदे के मुताबिक़ बेहतरीन सफ़बन्दी करके

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

حَدَّثَنِي السُّمَيْطُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ افْتَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ - قَالَ - فَصُفَّتِ الْخَيْلُ ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ - قَالَ - وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلاَفٍ وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - قَالَ - فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا فَلَمْ نَلْبَثْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ - قَالَ -فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا لَلْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ " . ثُمَّ قَالَ " يَا لَلأَنْصَارِ يَا لَلأَنْصَارِ " . قَالَ قَالَ أَنَسٌ هَذَا حَدِيثُ عِمِّيَّةٍ . قَالَ قُلْنَا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ - فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَايْمُ اللَّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ - قَالَ - فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا - قَالَ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ . ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ وَهِشَامِ بْنِ زَيْدٍ .

मुक़ाबले में आये, पहले घुड़सवारों की सफ़ फिर जंगजूओं और लड़ने वालों की सफ़, उनके पीछे औरतों की सफ़ (ताकि ये लोग अगर भागें तो औरतें आर दिलायें) फिर बकरियों की सफ़, फिर ऊँटों की सफ़ और हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जो छः हज़ार को पहुँच गई थी और हमारे एक तरफ़ के घुड़दस्ते के अमीर ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) थे और हमारे घुड़सवार हमारी पुश्तों की तरफ़ मुड़ने लगे और कुछ देर न गुज़री थी कि हमारे शाहसवार सामने से हट गये और बद्दू भाग गये और वो लोग भी जिनको हम जानते थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आवाज़ दी (ऐ मुहाजिरो! ऐ मुहाजिरो!) फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ अन्सारियो! ऐ अन्सारियो!' हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, ये जमाअत की रिवायत है। हमने कहा, लब्बैक ऐ अल्लाह के रसूल! और रसूलुल्लाह (ﷺ) आगे बढ़े और हम अल्लाह की क़सम! दुश्मन तक पहुँचे भी न थे कि अल्लाह ने उसको शिकस्त से दोचार कर दिया और ये सारा माल हमारे क़ब्ज़े में आ गया। फिर हम ताइफ़ की तरफ़ चले गये और चालीस (40) दिन तक उनका मुहासरा (घेराबन्दी) किया। फिर हम मक्का वापस आये और वहाँ पड़ाव किया और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक आदमी को सौ-सौ ऊँट देने लगे, फिर हदीस़ का बाक़ी हिस्सा बयान किया। जैसाकि ऊपर की रिवायात में क़तादा, अबुत्तय्याह और हिशाम बिन ज़ैद की रिवायात में गुज़र चुका है।

फ़वाइद : (1) मुजन्निबह : घुड़सवार दस्ते को कहते हैं और ये दो होते हैं जो लश्कर के मैमना और मैसरह (दायें और बायें) होते हैं। **(2) इम्मिय्यह, उम्मिय्यह :** इस सूरत में इसका मानी शिद्दत व सख़्ती होगा। अम्मिय्यह इस सूरत में मानी जमाअत होगा या चचे कि ये हदीस (वाक़िया) एक जमाअत ने सुनाई या मेरे चचों ने सुनाई हो या इब्तिदाई वाक़ियात का ख़ुद मुशाहिदा किया और लोगों के मुन्तशिर हो जाने के बाद वाला हिस्सा दूसरों से सुना। **(3) यालल् मुहाजिरीन** और **यालल अन्सार** में लाम इस्तिग़ासा के लिये है और चूंकि उनको मदद व नुसरत के लिये बुलाया जा रहा है इसलिये मफ़्तूह है। अगर उनकी मदद मतलूब होती तो फिर लाम पर ज़ेर होती। जैसाकि कहते हैं या लज़ैद लिअम्र ऐ ज़ैद! अम्र की दाद रसी करो, अम्र की मदद करो। **(4)** छः हज़ार तादाद बताना रावी का वहम है सहीह तादाद, दस हज़ार और दो हज़ार तुलक़ा यानी कुल बारह हज़ार है।

(2443) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अबू सुफ़ियान बिन हरब सफ़्वान बिन उमय्या, उयय्ना बिन हिस्न और अक़्रअ बिन हाबिस में से हर एक को सौ-सौ ऊँट दिये और अब्बास बिन मिरदास को उससे कम दिये। तो अब्बास बिन मिरदास ने ये शेअर पढ़े, 'क्या आप मेरी ग़नीमत और मेरे घोड़े उबैद की ग़नीमत, उयय्ना और अक़्रअ के दरम्यान क़रार देते हैं हालांकि बद्र और हाबिस किसी मज्मऐ (मअरके) में मिरदास से बढ़ नहीं सकते और मैं उन दोनों में से किसी से कम नहीं हूँ और आज आप जिसको पस्त क़रार देंगे उसको बुलंद नहीं किया जा सकेगा।' तो आपने उसको भी सौ पूरे कर दिये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ . فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلاَ حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لاَ يُرْفَعِ قَالَ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةً .

(2444) मुसन्निफ़ इसी सनद से अपने दूसरे उस्ताद से रिवायत बयान करते हैं कि आपने हुनैन की ग़नीमतें तक़सीम कीं, अबू

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَثَةَ مِائَةً

सुफ़ियान बिन हरब को सौ ऊँट दिये, आगे ऊपर वाली रिवायत बयान की और इतना इज़ाफ़ा किया और आपने अ़ल्क़मा बिन उलासा को सौ ऊँट दिये।

وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَثَةَ وَلاَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّعْرَ فِي حَدِيثِهِ.

(2445) मुसन्निफ़ ने मज़्कूरा सनद से अपने दूसरे उस्ताद से रिवायत बयान की है, लेकिन उसमें अ़ल्क़मा बिन उलासा और सफ़्वान बिन उमय्या का ज़िक्र नहीं है और न ही शेअ़रों का तज़्किरा है।

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي " . وَيَقُولُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ . فَقَالَ " أَلاَ تُجِيبُونِي " . فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ . فَقَالَ " أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا

(2446) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुनैन फ़तह करके ग़नीमतें तक़सीम कीं, तो जिनकी तालीफ़े क़ल्बी मक़सूद थी उनको ख़ूब दिया। तो आप तक ये बात पहुँची, अन्सार भी दूसरे लोगों की तरह हिस्सा लेना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खड़े होकर उन्हें ख़िताब फ़रमाया अल्लाह तआ़ला की हम्दो-सना बयान करने के बाद फ़रमाया, 'ऐ अन्सार की जमाअ़त! क्या मैंने तुमको गुमराह नहीं पाया था और अल्लाह ने मेरे ज़रिये तुम्हें हिदायत नसीब फ़रमाई? और तुम मोहताज व ज़रूरतमन्द थे, अल्लाह तआ़ला ने मेरे ज़रिये तुम्हें ग़नी फ़रमा दिया, क्या तुम मुन्तशिर और आपस में दुश्मन न थे, अल्लाह तआ़ला ने मेरे ज़रिये तुम्हें मुत्तहिद और यकजा कर दिया और वो कह रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान इससे

وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا " . لأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا . زَعَمَ عَمْرٌو أَنْ لاَ يَحْفَظُهَا فَقَالَ " أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمُ الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ " .

भी बढ़कर है। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते?' उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान बहुत ज़्यादा है। तो आपने फ़रमाया, 'अगर तुम चाहो तो कह सकते हो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, आपने बहुत सी बातें गिनवाईं। अम्र का ख़्याल है वो उसे याद नहीं हैं। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि लोग ऊँट और बकरियाँ ले जायें और तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने साथ घरों को ले जाओ? अन्सार क़रीबतर हैं और लोग उनके बाद हैं और अगर हिज्रत का मामला न होता तो मैं भी अन्सार का फ़र्द शुमार होता और अगर लोग एक वादी और घाटी में चलें तो मैं अन्सार की वादी और घाटी में चलूँगा, तुम मेरे बाद तरजीह का मामला पाओगे, तो सब्र करना यहाँ तक कि तुम मुझे हौज़ पर मिलो।'

(सहीह बुख़ारी : 4330, 7245)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) शिआर : वो कपड़ा जो जिस्म पर लगता है यानी अंदुरूनी कपड़ा, मक़सूद ये है अन्सार मेरे ख़ुसूसी और जिगरी, क़ाबिले ऐतिमाद साथी हैं। **(2) दिस़ार :** ऊपर वाला यानी बेरूनी कपड़ा, आम लोग दूसरे दर्जे पर और अन्सार के बाद हैं।

फ़वाइद : (1) कई बार कोई मामला या रवैया साथियों के लिये ग़लतफ़हमी का बाइस़ बन जाता है। जिसकी वजह से उनके जज़्बात मुश्तइल हो जाते हैं। तो ऐसे वक़्त में इस बात की ज़रूरत होती है कि उनके सामने मामले की असल हक़ीक़त खोलकर बयान की जाये ताकि उनकी ग़लतफ़हमी दूर हो जाये और जज़्बात ठण्डे पड़ जायें, अगर मामले पर फ़ौरी तौर पर क़ाबू न पाया जाये और साथियों को मुत्मइन करने की कोशिश न की जाये तो मामला आहिस्ता-आहिस्ता संगीन हो जाता है बदज़न्नियाँ (बदगुमानियाँ) बढ़ती रहती हैं और किसी दिन जज़्बात का लावा फट जाता है और नये-नये मसाइल जन्म लेते हैं जैसाकि आज-कल हो रहा है, आम तौर पर अस्हाबे इक़्तिदार अपने साथियों को ऐतिमाद

में नहीं लेते और आहिस्ता-आहिस्ता दिलों में कदूरत और बुग़्ज़ पैदा होता रहता है जो किसी भी ज़रूरत के वक़्त ख़राबी का बाइस बन जाता है। नीज़ अव्वलीन हैसियत दीन व ईमान और अक़ीदे को हासिल है क्योंकि वो ऐतिमाद की बुनियाद है, अगर ऐतिमाद बरक़रार हो तो साथियों को राज़ी और मुत्मइन करना आसान है और बदऐतिमादी की फ़िज़ा में राज़ी करना आसान नहीं है। जबकि आज-कल अव्वल व आख़िर हैसियत माली मफ़ादात को हासिल है जिनको माली मफ़ादात नहीं मिलते वो साथ छोड़ जाते हैं और माली मफ़ादात की ख़ातिर दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। इसलिये तमाम मामलात बेभरोसा हो गये हैं और इत्तिहाद व यगानत का फ़ोक़्दान है। (2) आपने वाक़िय-ए-हुनैन में जिस तरजीह और बरतरी से अन्सार को आगाह फ़रमाया था वो शैख़ैन (अबू बकर व उ़मर) के अदवार के बाद ज़ाहिर हो गया। हुकूमती और इन्तिज़ामी अदवार में उन्हें नज़र अन्दाज़ कर दिया गया जिसके बुरे असरात भी निकले। (3) हुज़ूर ने फ़रमाया, ऐ अन्सार तुम कह सकते हो कि आप (ﷺ) की क़ौम ने आपकी तक्ज़ीब की (झुठलाया) और हमने आपकी तस्दीक़ की, उन्होंने आपको बेयारो-मददगार छोड़ दिया, हमने आपकी नुसरत व हिमायत की, उन्होंने आपको निकाल दिया और हमने आपको जगह दी, ज़रूरत के वक़्त हमने आपकी हमदर्दी और ग़मगुसारी की, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान है। बहरहाल आपने हर ऐतिबार से अन्सार की दिलजोई फ़रमाई और उनको अपने क़रीबी और ख़ुसूसी साथी होने का एहसास दिलवाया और बताया मेरा मरना, जीना तुम्हारे ही साथ है। मेरे दिल में तुम्हारी मुहब्बत एहतिराम में किसी क़िस्म की कमी वाक़ेअ नहीं हुई और दूसरे मुझे तुमसे क़रीब और अ़ज़ीज़ नहीं हो गये हैं, मैंने सिर्फ़ उनकी तालीफ़े क़ल्बी के लिये उनको माल दिया है और तुम्हें तालीफ़े क़ल्बी की ज़रूरत नहीं है।

(2447) हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से रिवायत है कि हुनैन के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों को ग़नीमत की तक़सीम में तरजीह दी। अक़्रअ़ बिन हाबिस को सौ ऊँट दिये, उयय्ना को भी उतने ही ऊँट दिये और दूसरे अ़रब सरदारों को भी दिये, इस तरह उस दिन तक़सीमे ग़नीमत में उनको तरजीह दी। तो एक आदमी कहने लगा, अल्लाह की क़सम! इस तक़सीम में अ़द्ल व इंसाफ़ से काम नहीं लिया गया और अल्लाह की रज़ा को मल्हूज़ नहीं रखा गया। तो मैंने दिल में कहा, अल्लाह की क़सम! मैं

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ

الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللَّهِ . قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ - قَالَ - فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ " فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ ثُمَّ قَالَ " يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ " . قَالَ قُلْتُ لاَ جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا .

रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़रूर आगाह करूँगा, तो मैं आपकी ख़िदमत में हाजिर हुआ और उसकी बात की आपको इत्तिलाअ़ दी, आपके चेहरे का रंग बदलकर सुर्ख़ हो गया। फिर आपने फ़रमाया, 'अगर अल्लाह और उसका रसूल अ़द्ल नहीं करेंगे, तो फिर अ़द्ल कौन करेगा?' फिर आपने फ़रमाया, 'अल्लाह मूसा पर रहम फ़रमाये, उन्हें इससे भी ज़्यादा अज़ियत पहुँचाई गई। (उनकी क़ौम ने उन पर हर क़िस्म के इल्ज़ामात आ़यद किये और मुख़ालिफ़त की) और उन्होंने सब्र से काम लिया, तो मैंने दिल में सोचा, आइन्दा कभी भी मैं आगे इस क़िस्म की बात नहीं बताऊँगा। (आपको तकलीफ़ व अज़ियत की बात बताकर आज़ुरदा ख़ातिर नहीं करूँगा) सिरफ़ एक क़िस्म का सुर्ख़ रंग है जिससे चमड़ा रंगा जाता है और इसका इत्लाक़ ख़ून पर भी हो जाता है।

(सहीह बुख़ारी : 3150, 4337)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ - قَالَ - فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ - قَالَ - ثُمَّ قَالَ "

(2448) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक बार माल तक़सीम किया, तो एक आदमी ने कहा, ये ऐसी तक़सीम है जिसमें अल्लाह को राज़ी करने का इरादा नहीं किया गया। तो मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और चुपके से आपको बता दिया, लिहाज़ा आप इन्तिहाई ग़ुस्से में आ गये और आपका चेहरा सुर्ख़ हो गया। यहाँ तक कि मैंने ख़्वाहिश की काश मैं आपको ये बात न बताता। फिर

قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ " .

आपने फ़रमाया, 'मूसा को इससे भी ज़्यादा अज़ियत पहुँचाई गई और उन्होंने सब्र किया।'

(सहीह बुख़ारी : 3405, 4336, 6059, 6100, 6291, 6336)

फ़वाइद : (1) ये ऐतिराज़ करने वाला मअतब बिन क़ुशैर नामी मुनाफ़िक़ था और अगले बाब में ऐतिराज़ करने वाला ख़ारिजियों का लीडर और सरग़ना और उनका पेशरू हरक़ूस बिन ज़ुहैर अस्सअदी है, ये दोनों फ़र्द अलग-अलग हैं। **(2)** इस हदीस से साबित होता है आप माले ग़नीमत की तक़सीम अल्लाह तआला की मन्शा और मर्ज़ी के मुताबिक़ फ़रमाते थे। इसलिये आपने फ़रमाया, 'अगर अल्लाह और उसका रसूल ही आदिलाना तक़सीम नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में मुन्सिफ़ाना (इन्साफ़ के साथ) तक़सीम कौन कर सकता है। **(3)** आप बशरी तक़ाज़े के तहत एक इन्तिहाई नामअक़ूल बात सुनकर मुतास्सिर हो गये और आप पर शदीद ग़ज़ब तारी हो गया। लेकिन आपने पैग़म्बराना तहम्मुल व बर्दाश्त से काम लिया और बताया पैग़म्बरों को इससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह बातों से वास्ता पड़ता है। लेकिन वो सब्र व तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ते। लेकिन चूंकि वो नाम-निहाद मुसलमान था। इसलिये आपने उसे उस गुस्ताख़ी और बेअदबी पर सज़ा नहीं दी। **(4)** किसी को कोई बात इस मक़सद के तहत बताना कि वो अपनी इज़्ज़त का दिफ़ाअ कर सके या बदफ़हमी और ग़लतफ़हमी दूर कर सके, ये ग़ीबत और चुग़ली नहीं है। हाँ बिगाड़ और फ़साद के लिये लगाई बझाई करना जाइज़ नहीं है। **(5)** कुछ इंसान रसूल के फ़ैसले और हुक्म की हिक्मत और मस्लिहत को नहीं समझ सकता। तो ऐसे इंसान को रसूल के हुक्म पर मुत्मइन होना चाहिये। उसके बारे में किसी बदगुमानी या बदज़न्नी का शिकार होकर उस पर ऐतिराज़ नहीं करना चाहिये।

باب ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

बाब 48 : ख़्वारिज और उनकी सिफ़ात व अलामात का तज़्किरा

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي، الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ

(2449) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हुनैन से वापसी के वक़्त जिअराना में एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आया, जबकि हज़रत बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में कुछ चाँदी थी और रसूलुल्लाह(ﷺ) उससे मुट्ठी

مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ . قَالَ " وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ " . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ . فَقَالَ " مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " .

भर-भर कर लोगों को दे रहे थे। तो उसने कहा, ऐ मुहम्मद! इंसाफ़ कीजिये। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू तबाह हो! अगर मैं अ़द्ल नहीं कर रहा तो अ़द्ल कौन करेगा? तू नाकाम हुआ और ख़सारे में पड़ा, अगर मैं अ़द्ल नहीं कर रहा हूँ (जिसका मतबूअ़ व मुक़्तदा ही नऊ़ज़ुबिल्लाह) ग़ैर मुन्सिफ़ है तो फिर ताबेअ़ और मुक़्तदी की हालत क्या होगी। (जब लीडर ओर सबसे बड़ा सरबराह ही बेइन्साफ़ है तो जनता कैसी होगी) तो हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इजाज़त दीजिये, मैं इस मुनाफ़िक़ की गर्दन उड़ा दूँ। आपने फ़रमाया, 'इस बात से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि लोग बातें करें कि मैं अपने ही साथियों को मरवा देता हूँ, ये और इसके साथी क़ुरआन पढ़ेंगे और वो उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। उससे इस तरह निकल जायेंगे, जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ख़िब्ता व ख़सिर्ता : अगर मुख़ातिब के सेग़े हों (और वाज़ेह सूरत यही है) तो मानी होगा जिसको ऐसा मुक़्तदा और पेशवा मिला जो ग़ैर मुन्सिफ़ है उसकी नाकामी व नामुरादी या नुक़सान में क्या शुब्हा हो सकता है और अगर मुतकल्लिम का सेग़ा हो तो मानी होगा अगर मैं मुक़्तदा और पेशवा होकर भी आ़दिल नहीं हूँ, तो फिर मुझसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद घाटे का शिकार कौन है। **(2) ला युजाविज़ु हनाजिरहुम :** उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरना। उनके दिल इसके फ़हम व मअ़रिफ़त से आ़री हैं और इसकी तिलावत से सिवाय तोते की तरह अल्फ़ाज़ दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते या उनकी इन्तिहा पसन्दी और हरफ़िय्यत पसंदी की बिना पर उनका अ़मल और तिलावत ऊपर नहीं चढ़ती और अल्लाह के यहाँ क़ुबूल नहीं होती। **(3) यम्रुक़ून मिन्हु :** क़िरअत से बिला फ़ायदा और फ़हम व समझ निकल जाते हैं। इससे उनके दिल व दिमाग़ मुतास्सिर नहीं होते। **(4) कमा यम्रुक़ुस्सहम मिनर्रमिय्यह :** जिस तरह तीर, शिकार से इस हालत में निकल

जाता है कि उसकी कोई चीज़ उसी को नहीं लगी होती। अर्रमय्यह उस शिकार को कहते हैं जिस पर तीर फेंका जाता है। यानी फ़ईलह मफ़ऊलह के मानी में है।

फ़ायदा : ये वाक़िया 8 हिजरी में हुनैन से वापसी पर जिअराना के मक़ाम पर पेश आया। जबकि आप (ﷺ) हज़रत बिलाल (रज़ि.) के कपड़े से हर गुज़रने वाले को चाँदी की मुट्ठी इनायत फ़रमा रहे थे और उसमें दीनी हिक्मत व मस्लिहत के तहत कमी व बेशी हो सकती है, सिर्फ़ ख़्वाहिशे नफ़्स से ये काम नहीं हो सकता और उस बदबख़्त ने उसको ख़्वाहिशे नफ़्स का शाख़साना क़रार देकर ये गुस्ताख़ाना बात कह डाली। जिस उम्मत का रसूल ही ये रवैया इख़्तियार करे, उसमें अ़द्ल व इंसाफ़ कहाँ से पैदा हो सकता है और उसे अ़द्ल व इंसाफ़ का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। लेकिन इन्तिहा पसंद लोग जो दीनी हुक्म और मस्लिहतों को नहीं समझते। वो हर जगह ऐसा ही रवैया अपनाते हैं और शरई हुक्मों पर ऐतिराज़ करते हैं और अपने आपको अ़क़्ले कुल का मालिक समझकर उनका इंकार कर देते हैं और अपने जुर्म की पर्दापोशी के लिये ये कहते हैं ये शरई हुक्म ही नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ح .وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(2450) मुसन्निफ़ अपने दूसरे दो उस्तादों से जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ग़नीमतें तक़सीम फ़रमा रहे थे। आगे ऊपर वाली हदीस़ बयान की।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ

(2451) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने यमन से मिट्टी में मिला कुछ सोना भेजा यानी ग़ैर साफ़शुदा सोना रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजा, आपने उसे चार 4 लोगों में तक़सीम फ़रमा दिया। यानी अक़रअ बिन हाबिस हन्ज़ली, उयय्ना बिन बद्र फ़ज़ारी, अ़ल्क़मा बिन उलास़ा आ़मिरी (जो बनू किलाब का एक

الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلاَبٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ - قَالَ - فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَتُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لأَتَأَلَّفَهُمْ " فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ . - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي " قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ - يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ " .

फ़र्द है) और ज़ैद अल्ख़ैरित्ताई जो बनू नबहान (रज़ि.) से है, को दे दिया। इस पर क़ुरैश नाराज़ हो गये और कहने लगे, क्या आप (ﷺ) नजदी सरदारों को देंगे और हमें महरूम छोड़ देंगे? तो आपने फ़रमाया, ये काम में उनकी तालीफ़ (मानूस करना) के लिये किया, इतने में एक आदमी आ गया, जिसकी दाढ़ी घनी थी, रुख़सार उभरे हुए थे, आँखें धँसी हुई थीं, पेशानी बुलंद थी, या कन पट्टी उभरी हुई थी, सर मुण्डा हुआ था, उसने कहा, ऐ मुहम्मद! अल्लाह से डर। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर मैं ही अल्लाह की नाफ़रमानी करूँ तो फिर उसकी इताअ़त कौन करेगा? क्या वो अहले ज़मीन के बारे में मुझ पर ऐतिमाद फ़रमाता है और तुम मुझ पर बेऐतिमादी करते हो?' हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, फिर वो आदमी पीठ फेरकर चल दिया, तो लोगों में से एक आदमी ने उसके क़त्ल की इजाज़त चाही (लोगों का ख़याल है वो ख़ालिद बिन वलीद रज़ि. थे) इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसकी नस्ल से ऐसे लोग होंगे, जो क़ुरआन पढ़ेंगे और वो उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। वो अहले इस्लाम को क़त्ल करेंगे और बुतपरस्तों को छोड़ देंगे, वो इताअ़त से इस तरह निकल जायेंगे, जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है, अगर मैंने उनको पा लिया तो उन्हें आ़दियों की तरह ख़त्म कर डालूँगा।'

(सहीह बुख़ारी : 3344, 4351, 4667, 7432, अबू दाऊद : 4764, नसाई : 5/87, 7/118)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ज़ैद अल्ख़ैर को जाहिलिय्यत के दौर में ज़ैद अल्ख़ैल के नाम से याद किया जाता था। क्योंकि वो घोड़ों के शौक़ीन थे। (2) **सनादीद : सन्दीद** की जमा है सरदार, चौधरी, वडेरा। (3) **कत्तुल्लहय्यह :** घनी दाढ़ी वाला। (4) **मुशरिफ़ुल वज्नतैन :** मुशरिफ़, बुलंद, उभरा हुआ। (5) **वज्नह :** रुख़सार का बुलंद गोश्त। (6) **ग़ाइर :** अंदर को धँसा हुआ। (7) **नअ्तिउल जबीन :** नाती बुलंद, ऊँचा, जबीन, कनपटी, मुराद जब्हा पेशानी वाला हिस्सा है। (8) **ज़िअ्ज़िअ :** नस्ल, असल, उन्सुर।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ، الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا - قَالَ - فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاَءِ - قَالَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ " أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً " . قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ

(2452) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने यमन से रंगे हुए चमड़े में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में कुछ सोना भेजा जिसे मिट्टी से अलग नहीं किया गया था। तो आपने उसे चार आदमियों, उयय्ना बिन हिस्न, अक़रअ़ बिन हाबिस, ज़ैद अल्ख़ैल और चौथा अ़ल्क़मा बिन उलासा है या आ़मिर बिन तुफ़ैल (रजि.) के दरम्यान तक़सीम कर दिया। तो आपके साथियों में से एक आदमी ने कहा, इनसे हम इसके ज़्यादा हक़दार थे। नबी (ﷺ) तक ये बात पहुँच गई। तो आपने फ़रमाया, 'क्या तुम मुझे अमीन नहीं समझते? और आसमान वाला मुझे अमीन समझता है, सुबह और शाम मेरे पास आसमानी ख़बरें आती हैं।' अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, इस पर एक आदमी खड़ा हुआ, जिसकी आँखें धँसी हुई थीं, गाल उभरे हुए थे, पेशानी ऊँची थी, दाढ़ी घनी थी, सर मुण्डा हुआ था और तहबंद पिण्डली तक उठा हुआ था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से डर! आपने फ़रमाया, 'तुझ पर अफ़सोस, क्या मैं तमाम अहले ज़मीन से

अल्लाह से ज़्यादा डरने के क़ाबिल नहीं हूँ। फिर आदमी पीठ फेर कर चल दिया। तो ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं उसकी गर्दन न उड़ा दूँ? आपने फ़रमाया, 'नहीं! मुम्किन है ये नमाज़ी हो।' ख़ालिद (रज़ि.) ने कहा, कितने नमाज़ी हैं जो ज़बान से ऐसी बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं होती। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे लोगों के दिल चीरने का और उनके पेट चाक करने का हुक्म नहीं दिया गया कि उनके दिल की बात जानूँ।' हज़रत अबू सईद कहते हैं, फिर आपने उस पर नज़र दौड़ाई जबकि वो पीठ फेरकर जा रहा था और फ़रमाया, 'वाक़िया ये है कि इसकी नस्ल से ऐसे लोग निकलेंगे जो अल्लाह की किताब को आसानी से पढ़ेंगे और वो उनके गलों से नीचे नहीं उतरेगी, वो दीन (इताअत) से इस तरह निकलेंगे जैसे तीर शिकार से निकलता है।' अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, मेरा ख़याल है आपने फ़रमाया, 'अगर मैंने उनको पा लिया तो क़ौमे समूद की तरह उनको तहस-नहस कर डालूँगा।'

مُشَمَّرُ الإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ . فَقَالَ " وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ " . قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ " لاَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي " . قَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ " . قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ " إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ - لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ " .

तम्बीह : चौथा फ़र्द जिसको सोना मिला वो अ़ल्क़मा था, आमिर बिन तुफ़ैल नहीं था, वो तो पहले फ़ौत हो चुका था।

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) अदीम मक़रूज़ :** कीकर की छाल या उसके तर्कों से रंगा हुआ चमड़ा। **(2) लम तुहस्सल :** उसको हासिल नहीं किया गया था या अलग और मुम्ताज़ नहीं किया गया था। **(3) नाशिज़ुल जब्हा :** बुलंद और ऊँची पेशानी वाला। **(4) अन्क़ुबअन क़ुलूबिन्नास :** लोगों के दिल चीरकर उनके दिल की बात मालूम करूँ। यानी मैं ज़ाहिर का पाबंद हूँ, अंदर और बातिन का मुहासबा अल्लाह तआला फ़रमायेगा। **(5) मुक़फ़्फ़ :** क़फ़ा यानी गुद्दी पिछली तरफ़ करके जाने

वाला। **(6) रतबा :** ताज़ा को कहते हैं लेकिन इससे मक़सूद आसानी और सहूलत के साथ पढ़ना है जैसाकि अगली रिवायत में है। **(7) लय्यिनन रतबा :** हमेशा पढ़ने की वजह से आसानी व सहूलत पैदा हो जाती है।

फ़वाइद : (1) हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हदीस़ में वाक़िया 8 हिजरी में जिअ़राना के मक़ाम पर पेश आया। जबकि आपने अलग-अलग लोगों में चाँदी तक़सीम की और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत में ये वाक़िया 9 हिजरी का है। जबकि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने ग़ैर साफ़शुदा सोना भेजा और आपने तालीफ़े क़ल्बी की ख़ातिर चार नजदी सरदारों में उसे तक़सीम कर दिया और बक़ौल मुहम्मद बिन इस्हाक़ इमामे सीरत व मग़ाज़ी दोनों जगह गुस्ताख़ी का मुर्तकिब और आपको निशाने तन्क़ीद बनाने वाला ज़ुल्ख़ुवेसरह मरक़ूस बिन ज़ुहैर तमीमी है। (2) उसके क़त्ल की इजाज़त पहले हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने तलब की थी और फिर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने जैसाकि अगली रिवायत में इसकी सराहत मौजूद है और उसके क़त्ल की इजाज़त न देने की वजह वही है कि अभी उसकी नस्ल का ज़ुहूर नहीं हुआ था। नीज़ ये नाम-निहाद मुसलमान था और नमाज़ पढ़ता था। उसके क़त्ल के नतीजे में आपके ख़िलाफ़ ग़लत प्रोपेगण्डा हो सकता था, जिससे अभी दीनी और सियासी तौर पर बचने की ज़रूरत थी लेकिन अब अगर कोई बदबख़्त आपको गाली दे या तौहीन व तन्क़ीस के कलिमात कहे तो वो अइम्म-ए-अरबआ़ के नज़दीक वाजिबुल क़त्ल है और उसकी तौबा की क़ुबूलियत के बारे में भी इख़्तिलाफ़ है। (3) ख़्वारिज ने जब तक मुसलमानों से जंग नहीं की, उनको क़त्ल नहीं किया गया। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार उठाई तो उन्हें सबसे पहले हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने ठिकाने लगाया जैसाकि आगे आ रहा है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاتِئُ الْجَبْهَةِ وَلَمْ يَقُلْ نَاشِزُ . وَزَادَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ " لاَ " . قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ

(2453) मुसन्निफ़ अपने एक और उस्ताद से उ़मारह बिन क़अ़क़ाअ़ की सनद से रिवायत करते हैं, उसमें सिर्फ़ अ़ल्क़मा बिन उ़लास़ा का नाम है, आ़मिर बिन तुफ़ैल का ज़िक्र नहीं है इसी तरह नाशिज़ुल जब्हा की बजाय नअ़तिल जब्हा है और ये इज़ाफ़ा है कि उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) आपकी ख़िदमत में पहुँचे और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं इसकी गर्दन न उड़ा दूँ? आपने फ़रमाया, 'नहीं।' हज़रत अबू सईद (रज़ि.)

أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ " لاَ " . فَقَالَ " إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيِّنًا رَطْبًا - وَقَالَ قَالَ عُمَارَةُ حَسِبْتُهُ قَالَ " لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ " .

बयान करते हैं, फिर वो पीठ फेरकर चल पड़ा, तो आपके पास ख़ालिद सैफ़ुल्लाह (रज़ि.) (अल्लाह की तलवार) हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं इसकी गर्दन न उतार दूँ? तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसकी नस्ल से जल्दी ऐसे लोग निकलेंगे जो अल्लाह तआ़ला की किताब बहुत आसानी से ताज़ा-बताज़ा (रोज़ाना) पढ़ेंगे।' उ़मारह कहते हैं, मेरा ख़्याल है आपने फ़रमाया, 'अगर मैंने उनको पा लिया, तो समूदियों की तरह तहस-नहस कर डालूँगा।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ زَيْدُ الْخَيْرِ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ . وَقَالَ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ . كَرِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ . وَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ " لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ " .

(2454) इमाम साहब अपने उस्ताद इब्ने नुमैर से मज़्कूरा बाला सनद ही से बयान करते हैं कि आपने चार शख़्सों ज़ैद अल्ख़ैर, अक़्रअ़ बिन हाबिस, उ़यय्ना बिन हिस्न और अ़ल्क़मा बिन उ़लासा या आ़मिर बिन तुफ़ैल के दरम्यान तक़सीम कर दिया और यहाँ अ़ब्दुल वाहिद की रिवायत की तरह नाशिज़ुल जब्हा का लफ़्ज़ है और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसकी नस्ल से जल्द ही एक क़ौम निकलेगी' और ये बयान नहीं किया, 'अगर मैंने उनको पा लिया तो समूदियों की तरह क़त्ल कर डालूँगा।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ، هَلْ

(2455) अबू सलमा और अ़ता बिन यसार हज़रत अबू सईद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और उनसे हरूरिय्यह के बारे में पूछा? क्या आपने उनका ज़िक्र रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना है? उन्होंने कहा, हरूरिय्यह का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने

سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُهَا قَالَ لاَ أَدْرِي مَنِ الْحَرُورِيَّةُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ . لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ - أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَىْءٌ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, इस उम्मत में (फ़ी कहा मिन्हुमा नहीं कहा) एक क़ौम निकलेगी, तुम अपनी नमाज़ों को उनके मुक़ाबले में हेच समझोगे, वो क़ुरआन पढ़ेंगे, वो उनके हलक़ या गले से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से उसी तरह निकल गये होंगे जैसे तीर शिकार से निकलता है। तीर अन्दाज़ उसकी लकड़ी को देखता है उसके फल को उसके पर को देखता है और उसकी नोक या उसके आख़िरी किनारे के बारे में शक में मुब्तला होता? कि कहीं उसके ख़ून में से कुछ लगा है।'
(सहीह बुख़ारी : 3610, 5058, 6163, 6931, 6933, इब्ने माजह : 169)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सह्म : तीर की लकड़ी, रसाफ़, पुट्ठा जो छड़ में तीर के फल के दाख़िल होने की जगह से ऊपर लगाया जाता है, तीर की बाड़ा। **(2) नस्ल :** तीर का फल। **(3) फ़ूक़ह :** सोफार, तीर की नोक।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ح . وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ

(2456) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे और आप कुछ तक़सीम फ़रमा रहे थे कि आपके पास बनू तमीम का एक फ़र्द ज़ुल्ख़ुवेसरह आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! इंसाफ़ कीजिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम पर अफ़सोस! अगर मैं अ़द्ल नहीं करता, तो अ़द्ल कौन करेगा?' अगर मैं अ़द्ल नहीं कर रहा, तो मैं तो नाकामी और घाटे का शिकार हो गया।' तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इसकी गर्दन मारने की इजाज़त दीजिये।

رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ " . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ - وَهُوَ الْقِدْحُ - ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ . آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي نَعَتَ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे छोड़िये! इसके कुछ साथी हैं, तुम अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज़ के मुक़ाबले में कमतर ख़्याल करोगे और अपने रोज़ों को उनके मुक़ाबले में हेच समझोगे, वो क़ुरआन पढ़ेंगे, उनकी हँसली से ऊपर नहीं उठेगा (क़ुबूल नहीं होगा)। इस्लाम (फ़रमांबरदारों) से इस तरह निकलेंगे जैसे तीर शिकार से निकलता है, उसके फल को देखा जायेगा, उसमें कुछ भी नहीं पाया जायेगा, उसके फल की जड़ को देखा जायेगा, उस पर कुछ नहीं होगा। फिर उसकी लकड़ी को देखा जायेगा, उस पर कुछ नहीं होगा। फिर उसके पर को देखा जायेगा, उस पर कुछ नहीं पाया जायेगा, तीर गोबर और ख़ून से तजावुज़ कर गया है (लेकिन उस पर लगा कुछ भी नहीं) उनकी अलामत व निशानी एक स्याह आदमी है, उसका एक बाज़ू औरत के पिस्तान की तरह होगा या गोश्त के हिलते हुए टुकड़े की तरह लोगों के (मुसलमानों के) आपसी इख़्तिलाफ़ के वक़्त निकलेंगे।' अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने ये हदीस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है और गवाही देता हूँ कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने उनसे जंग लड़ी जबकि मैं उनके साथ था। तो उन्होंने उस आदमी के तलाश करने का हुक्म दिया, तो वो मिल गया उसे उनके पास लाया गया यहाँ तक कि मैंने उसे उस हालत व सिफ़त पर पाया जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान फ़रमाई थी।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नज़िय्या : पैकान, तीर की लकड़ी। **(2) क़ुज़ज़ :** क़ुज़्ज़ह की जमा है, तीर का पर। **(3) तदर्दरु :** हरकत करता है हिलता-जुलता है।

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) ने इस रिवायत में जिन-जिन चीज़ों के बारे में पेशीनगोई फ़रमाई, उनका ज़ुहूर उसी तरह हुआ। उन लोगों ने वाक़िया तहकीम के वक़्त ख़ुरूज किया, मुसलमानों से अलग हो गये, हज़रत मुआविया (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.) दोनों को काफ़िर क़रारा दिया। हरूरा नामी इराक़ की बस्ती जो कूफ़ा के क़रीब थी में उनका इज्तिमाअ़ हुआ इसलिये उनको हरूरिय्यह का नाम भी दिया गया। नबी (ﷺ) के क़ौल यख़रुजून की वजह से ख़ारिजी कहा गया और यम्रुक़ून की बिना पर मारक़ा कहा गया, लम्बी-लम्बी नमाज़ें पढ़ते थे। ख़ूब रोज़े रखते थे, क़ुरआन मजीद की तिलावत करते थे लेकिन उसका रंग उन पर नहीं चढ़ा था, मुसलमान अमीर व हाकिम की इताअ़त से बिल्कुल कोरे थे। क़ुरआनी हिदायात व तालीमात का असर न होने की बिना पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही उठ खड़े हुए और सबसे पहले हज़रत अली (रज़ि.) ने उनका मुक़ाबला किया और निशानज़दा आदमी भी उन्हें ही मिला।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ " هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ - أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ " . قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ مَثَلاً أَوْ قَالَ قَوْلاً " الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ - أَوْ قَالَ الْغَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً " . قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ .

(2457) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपनी उम्मत के अंदर निकलने वाले कुछ लोगों का तज़्किरा फ़रमाया कि वो लोगों में इफ़्तिराक़ व इख़्तिलाफ़ के वक़्त निकलेंगे जिसकी निशानी हमेशा सर मुण्डाना है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो बदतरीन लोग होंगे, हक़ से क़रीबतर गिरोह उनको क़त्ल करेगा।' आपने उनके बारे में मिस़ाल बयान की या बात फ़रमाई कि 'इंसान शिकार या निशाने को तीर मारता है, वो फल देखता है तो उसे निशाने पर लगने की दलील (ख़ून या गोबर) नज़र नहीं आती, वो पैकान को देखता है तो भी कोई हुज्जत नज़र नहीं आती। फिर वो सोफ़ार (तीर की नोक) देखता है, तो वो कोई निशान नहीं देखते।' अबू सईद (रज़ि.) ने कहा, ऐ अहले इराक़! तुम ही ने उनको क़त्ल किया है।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، - وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ - حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " .

(2458) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमानों में इफ़्तिराक़ (गिरोहबन्दी) के वक़्त एक गिरोह अलग होगा, उसे हक़ से क़रीबतर गिरोह क़त्ल करेगा।'

(अबू दाऊद : 4667)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ " .

(2459) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के दो गिरोह बन जायेंगे, उनके अंदर से एक फ़िर्क़ा निकलेगा उनके क़त्ल का काम दोनों गिरोहों से हक़ के ज़्यादा क़रीब गिरोह सर अन्जाम देगा।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي، سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " .

(2460) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोगों में गिरोहबन्दी के वक़्त एक फ़िर्क़ा निकलेगा उनके क़त्ल का काम वो गिरोह सर अन्जाम देगा जो दोनों गिरोहों से हक़ के ज़्यादा क़रीब होगा।'

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ .

(2461) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से एक हदीस़ बयान की है जिसमें उन लोगों का तज़्किरा है जो इख़्तिलाफ़ पैदा करने वाली गिरोहबन्दी में निकलेंगे, उन दोनों गिरोहों में से हक़ से क़रीबतर गिरोह क़त्ल करेगा।

फ़ायदा : आपकी पेशीनगोई के मुताबिक़ आपके बाद उम्मत क़ातिलीने उ़समान के सिलसिले में दो गिरोहों में बट गई। एक गिरोह हज़रत अ़ली (रज़ि.) के साथ था और दूसरा हज़रत मुआ़विया (रज़ि.) के साथ, दोनों गिरोह अपने-अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त तसव्वुर करते थे एक के सामने एक पहलू था और दूसरे के सामने दूसरा पहलू था। दोनों साहिबे फ़िक्र व नज़र और अहले हल्लो इ़क़्द थे और ख़ुलूसे निय्यत से मुत्तसिफ़ थे। लेकिन हज़रत अ़ली (रज़ि.) का मौक़िफ़ हक़ से क़रीबतर था और उसको अपनाना या इख़्तियार करना ज़्यादा सहीह और दुरुस्ततर था, लेकिन दूसरा गिरोह सरासर बातिल या नाहक़ पर नहीं था। इसलिये आपने उस गिरोह की तर्दीद या तग़लीत नहीं की क्योंकि उन्होंने भी पूरे इख़्लास और सोच व विचार के साथ मौक़िफ़ इख़्तियार किया था। इसलिये उस गिरोह या उसके क़ाइद के ख़िलाफ़ नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करना, उनसे बुग़्ज़ व कीना रखना, कोई पसंदीदा हरकत नहीं है, जबकि आपने क़ुसूरवार या ख़ताकार भी क़रार नहीं दिया है उनके मद्दे मुक़ाबिल को अक़रब इलल हक़ या औला बिल्हक़ क़रार देने से ये कहाँ साबित हो गया कि दूसरे का हक़ से कोई ताल्लुक़ और राब्ता नहीं था। नीज़ मुज्तहिद तो ख़ताकार भी हो तो वो अज्र से महरूम नहीं रहता, इसलिये उसके ख़िलाफ़ ज़बाने तअ़न कैसे दराज़ की जा सकती है। हज़रत अ़ली (रज़ि.) उस दूसरे गिरोह के बारे में फ़रमाते हैं, रब्बुना वाहिद व नबिय्युना वाहिद व दअ़वतुना फ़िल्इस्लामि वाहिदा...... (नहजुल बलाग़ह, जिल्द 2, पेज नं. 114 तहक़ीक़ इमाम अ़बदा बहवाला रुहमाउ बैनहुम हिस्सा चार, पेज नं. 183) हमारा रब एक है, हमारा नबी एक है, इस्लाम के बारे में हमारी दावत एक है, अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाने और उसके रसूल की तस्दीक़ करने में न हम उनसे बढ़कर हैं और न वो हमसे बढ़े हुए हैं, हमारा और उनका दीनी मामला एक जैसा है मगर उ़समान (रज़ि.) के ख़ून के बारे में हमारा और उनका इख़्तिलाफ़ है हालांकि हम उससे बरीउज़्ज़िम्मा हैं और ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) ने उन दोनों गिरोहों को फ़िअतैनि अ़ज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों की दो अ़ज़ीम जमाअ़तें क़रार दिया है। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 1, पेज नं. 530)

बाब 49 : ख़ारिजियों के क़त्ल पर आमादा करना

باب التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

(2462) हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने फ़रमाया, जब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस़ सुनाऊँ तो आसमान से गिर पड़ना (तबाह व बर्बाद होना) मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं आपकी तरफ़ ऐसी बात मन्सूब करूँ, जो आपने नहीं फ़रमाई और जब मैं आपस की बात करूँ तो जंग एक चाल और तदबीर है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، - قَالَ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना कि, 'अख़ीर ज़माने में एक क़ौम निकलेगी, कम उम्र, कम अक़्ल, बज़ाहिर मख़लूक़ की बेहतरीन बात कहेंगे, क़ुरआन पढ़ेंगे, जो उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा, इताअत से इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह तीर शिकार से गुज़र जाता है। जब तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हो तो उनको क़त्ल कर देना, क्योंकि उनके क़त्ल में क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ क़ातिल को अज्र मिलेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 3611, 5057, 6930, अबू दाऊद : 4767, नसाई : 7/119)

फ़वाइद : (1) ख़्वारिज का ज़ुहूर अलग-अलग दौर में हुआ है और आइन्दा भी होगा, ये क़ुरआन के नाम से इन्तिहा पसंदी करते हैं, अपने पहले ज़ुहूर में उन्होंने इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का नारा बुलंद करके, हज़रत अ़ली और हज़रत मुआविया (रज़ि.) के ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया था। **(2) अल्हरबु ख़दअ़ह :** लड़ाई एक चाल और ख़ुफ़िया तदबीर है जो गिरोह और जमाअ़त बेहतर चाल और उ़म्दा तदबीर इख़्तियार कर लेती है वो कामयाब होती है दुश्मन की चाल और तदबीर से किसी वक़्त भी ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिये जैसाकि आज-कल मुसलमान यहूदो-हुनूद की चालों से ग़ाफ़िल होकर उनके नरग़ा में हैं।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي، بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(2463) इमाम साहब ने मज़्कूरा रिवायत अपने तीन उस्तादों से आमश ही की सनद से बयान की है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ

(2464) इमाम साहब ने मज़्कूरा रिवायत अपने चार उस्तादों से जो जरीर और अबू मुआविया से आमश की सनद ही से बयान

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا " يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ" .

करते हैं, नक़ल की है लेकिन उसमें ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं (वो दीन से इस तरह निकलेंगे जैसाकि तीर, शिकार से गुज़र जाता है)।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ - أَوْ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ - لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .

(2465) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने ख़्वारिज का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, उनमें एक आदमी होगा जिसका हाथ नाक़िस या छोटा सा मिला हुआ होगा। अगर तुम इतराने न लगो, तो मैं तुम्हें बताऊँ अल्लाह तआला मुहम्मद (ﷺ) की ज़बान से उनके क़त्ल करने वालों से क्या वादा किया है? उबैदा कहते हैं, मैंने पूछा, क्या आपने बराहे रास्त इसे मुहम्मद (ﷺ) से सुना है? उन्होंने कहा, हाँ! रब्बे कअबा की क़सम! हाँ रब्बे कअबा की क़सम! हाँ रब्बे कअबा की क़सम!

(अबू दाऊद : 4763, इब्ने माजह : 167)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ لاَ أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ، . فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ، نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا .

(2466) उबैदा बयान करते हैं, मैं तुम्हें वही हदीस़ सुनाऊँगा जो मैंने उन (हज़रत अली रज़ि.) से सुनी है, फिर मज़्कूरा बाला मरफ़ूअ हदीस़ सुनाई, (मुख़दज और मुअदन का मानी नाक़िस है और मस़्दून का छोटा मुज्तमअ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَىْءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " . لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم لاَتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ

(2467) ज़ैद बिन वहब जोहनी (रह.) बयान करते हैं मैं हज़रत अली (रज़ि.) के साथ जाने वाले उस लश्कर में था जो ख़ारिजियों के साथ जंग के लिये गया था। हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, ऐ लोगो! मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'मेरी उम्मत से कुछ लोग निकलेंगे वो इस तरह कुरआन पढ़ेंगे कि उनके मुक़ाबले में तुम्हारे क़ुरआन पढ़ने की कोई हैसियत न होगी और न तुम्हारी नमाज़ों की उनकी नमाज़ों के मुक़ाबले कोई हैसियत होगी और न तुम्हारे रोज़ों की उनके रोज़ों के मुक़ाबले में कुछ हैसियत होगी (वो ये काम कसरत से करेंगे)। वो क़ुरआन पढ़ेंगे और ख़याल करेंगे कि वो उनके लिये है (उनके हक़ में नाफ़ेअ और मुफ़ीद है) हालांकि वो उनके ख़िलाफ़ होगा (उनके ख़िलाफ़ हुज्जत व दलील बनेगा) उनकी नमाज़ यानी क़िरअत उनकी हँसलियों से नीचे नहीं उतरेगी यानी उन पर असर अन्दाज़ नहीं होगी, वो इस्लाम से इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है।' अगर उनको सरकूबी करने वाला लश्कर ये जान ले कि उनके हक़ में उनके नबी(ﷺ) की ज़बान के ज़रिये से क्या फ़ैसला हो चुका है तो वो बाक़ी अमल से उस पर भरोसा कर लें (और आमाल की ज़रूरत ही महसूस न करें) उसकी निशानी ये है कि उनके अंदर एक आदमी है जिसका बाज़ू है लेकिन कुहनी से निचला हिस्सा नहीं है उसके बाज़ू के सिरे पर औरत के पिस्तान की तरह है। जिस पर सफ़ेद बाल हैं। तुम

मुआविया और अहले शाम की तरफ़ जाते हो और उनको छोड़ रहे हो कि तुम्हारी बीवी और बच्चों और अम्वाल को नुक़सान पहुँचायें, अल्लाह की क़सम! मुझे उम्मीद है यही लोग वो क़ौम है क्योंकि उन्होंने नाहक़ ख़ूनरेज़ी की और लोगों के मवेशियों पर हमला किया, तुम अल्लाह का नाम लेकर उनकी तरफ़ चलो। सलमा बिन कुहैल कहते हैं, मुझे ज़ैद बिन वहब ने एक-एक मन्ज़िल के बारे में बताया यहाँ तक कि बताया कि हम एक पुल से गुज़रे, उस दिन ख़्वारिज का सिपहसालार अब्दुल्लाह बिन वहब रासी था। जब हमारी उनसे मुठभेड़ (टकराव) हुई, उसने अपने साथियों को कहा, अपने नेज़े डाल दो (फेंक दो) और मियानों से अपनी तलवारें सौंत लो, क्योंकि मुझे ये ख़तरा है कि ये लोग हरूरा के दिन की तरह क़समों के ज़रिये तुमसे सुलह का मुतालबा करेंगे, तो उन्होंने लौटकर अपने नेज़े दूर फेंक दिये और तलवारें सौंत लीं और लोगों ने उन पर नेज़ों से हमला किया और वो क़त्ल होकर एक दूसरे पर गिरे और लोगों (हज़रत अली के साथियों) से उस दिन सिर्फ़ दो आदमी क़त्ल हुए, हज़रत अली (रज़ि.) ने साथियों से कहा, उनमें नाक़िस हाथ वाले को तलाश करो। लोगों ने तलाश किया और वो न मिला, इस पर हज़रत अली (रज़ि.) बज़ाते ख़ुद तलाश के लिये निकले यहाँ तक कि ऐसे लोगों तक पहुँचे जो क़त्ल होकर एक-दूसरे पर गिरे हुए थे। हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, इनको हटाओ! तो वो इस हाल में मिला कि

مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلاَءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ . قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً حَتَّى قَالَ مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ . فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ - قَالَ - وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلاَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ . فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - بِنَفْسِهِ

حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ أَخِّرُوهُمْ . فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ - قَالَ - فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ . حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ .

ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो आप (रज़ि.) ने अल्लाहु अकबर कहा फिर कहा, अल्लाह ने सच फ़रमाया और उसके रसूल ने उसका पैग़ाम पहुँचाया। अ़बीदा सलमानी उठकर हज़रत अ़ली (रज़ि.) के पास गया और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा कोई लायक़े बन्दगी नहीं! आपने वाक़ेई ये हदीस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है? तो उन्होंने कहा, हाँ उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है! उसने आपसे तीन बार क़सम ली और आपने उसके सामने (दूसरों को सुनाने के लिये) तीन बार क़सम उठाई। (अबू दाऊद : 4768)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अस्सरह : अस्सारिह : सारिहा चरने वाले मवेशी। **(2) नज़्ज़लनी नज़ला :** यानी नज़्ज़लनी मुनज़्ज़ला, मुन्ज़ला, एक-एक पड़ाव का तज़्किरा किया। **(3) कन्तरह :** पुल जिस का नाम दबज़जान था, जहाँ हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने ख़िताब फ़रमाया। **(4) जुफ़ून :** जफ़्न की जमा है मियान। **(5) वह्हशू बिरिमाहिहिम :** अपने नेज़े दूर फेंक दिये ताकि तलवारें हाइल करें। **(6) शजरहुमुन्नास :** हज़रत अ़ली (रज़ि.) के साथी उन पर पिल पड़े और ख़वारिज ढेर होकर एक-दूसरे पर गिरने लगे।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالُوا لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ . قَالَ عَلِيٌّ كَلِمَةُ حَقٍّ

(2468) रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत उ़बैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि जब हरूरिय्यह ने ख़ुरूज किया तो मैं हज़रत अ़ली (रज़ि.) के साथ था। उन्होंने कहा, हाकिम सिर्फ़ अल्लाह है, फ़ैसले का हक़ उसी को है। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा, हक़ बात ग़लत मक़सद के लिये कही गई है (सहीह बात से बातिल का इरादा किया गया है) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों की हालत बयान की थी और मैं वो

أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلاَءِ " يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَ يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْىُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ " . فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه -قَالَ انْظُرُوا . فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَقَالَ ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِبْتُ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ . وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الأَسْوَدَ .

वस्फ़ इन लोगों में पाता हूँ 'वो ज़बान से हक़ बात कहेंगे और अपने हलक़ की तरफ़ इशारा करके बताया और क़ुरआन को इससे नीचे नहीं उतारेगा। अल्लाह की मख़्लूक़ में सबसे मब्ग़ूज़ उसके नज़दीक यही लोग हैं, उनमें एक स्याह रंग आदमी है उसका एक हाथ बकरी के थन या औरत के सरे पिस्तान की तरह है' जब हज़रत अली (रज़ि.) ने उनको क़त्ल किया तो कहा, उसे तलाश करो। लोगों ने उसे तलाश किया, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। फ़रमाया, दोबारा तलाश करो, क्योंकि अल्लाह की क़सम! मैंने झूठ नहीं बोला और न ही मुझे झूठ बताया गया है दो या तीन बार कहा। फिर वो एक खण्डर में मिल गया। तो लोगों ने लाकर उनके सामने रख दिया। उबैदुल्लाह कहते हैं, मैं भी इस मामले को देख रहा था (वहाँ मौजूद था) और उनके बारे में हज़रत अली (रज़ि.) की बात को सुना था। यूनुस की रिवायत में है, बुकेर ने कहा, मुझे एक आदमी ने इब्ने हुनैन के वास्ते से बताया उसने कहा, मैंने उस स्याह आदमी को देखा था।

بَابُ الْخَوَارِجُ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

बाब 50 : ख़्वारिज तमाम लोगों और हैवानात से बदतर हैं (तमाम मख़्लूक़ से बुरे हैं)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ

(2469) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरे बाद मेरी उम्मत से या जल्द ही मेरे बाद मेरी उम्मत

से एक क़ौम होगी, वो क़ुरआन पढ़ेंगे, वो उनके हल्क़ों से नीचे नहीं उतरेगा, वो दीन से इस तरह निकल जायेंगे जैसे कि तीर शिकार से निकलता है। फिर दीन की तरफ़ वापस नहीं लौटेंगे, ये लोग इंसानों और हैवानों में सबसे बदतर लोग होंगे।' इब्ने सामित कहते हैं, मैं हकम ग़िफ़ारी के भाई राफ़ेअ बिन अ़म्र ग़िफ़ारी (रज़ि.) को मिला। मैंने कहा, इस क़िस्म की हदीस़ जो मैंने अबू ज़र (रज़ि.) से सुनी है इसकी हक़ीक़त क्या है? और मैंने उसके सामने हदीस़ बयान की। उसने कहा, ये हदीस़ मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है। (ख़लक़, इंसान, ख़लीक़ा, हैवान)

(इब्ने माजह : 170)

اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ " . فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ أَخَا الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قُلْتُ مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2470) यसीर बिन अ़म्र बयान करते हैं कि मैंने सुहैल बिन हुनैफ़ से पूछा, क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़्वारिज का तज़्किरा सुना है? उन्होंने मश्रिक़ की तरफ़ इशारा करते हुए कहा, मैंने आप (ﷺ) से सुना है, 'एक क़ौम है वो ज़बान से क़ुरआन मजीद की तिलावत करेंगे वो उनकी हँसली से तजावुज़ नहीं करेगा, वो दीन से इस तरह निकलेंगे जिस तीर शिकार से निकल जाता है।'

(सहीह बुख़ारी : 6934, 4665)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ، عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ " قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " .

(2471) इमाम साहब अपने उस्ताद अबू कामिल से यही रिवायत सुलैमान की सनद से नक़ल करते हैं, उसमें है, इससे (मश्रिक़ से) कुछ लोग (अक़्वाम) निकलेंगे।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ، -قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، - عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ " .

(2472) सहल बिन हुनैफ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मश्रिक़ की तरफ़ एक क़ौम हैरान व परेशान निकलेगी, उनके सर मुण्डे हुए होंगे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : यतीहु : हैरान व परेशान फिरेंगे राहे रास्त तक नहीं पहुँच सकेंगे।

नोट : कूफ़ा की क़रीबी बस्ती हरूरा से निकलने वाले ख़्वारिज को आपने मश्रिक़ से निकलने वाले क़रार दिया है।

بَاب تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

बाब 51 : ज़कात रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपकी आल यानी बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब के लिये हराम है दूसरे क़ुरैश के लिये नहीं

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " .

(2473) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, हज़रत हसन बिन अली (रज़ि.) ने सदक़े की खजूरों में से एक खजूर ले ली और उसे अपने मुँह में डाल लिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'छोड़ो-छोड़ो (थू-थू) इसे फेंक दो क्या तुम्हें मालूम नहीं, हम सदक़ा नहीं खा सकते?'

(सहीह बुख़ारी : 1491, 3072)

(2474) मुसन्निफ़ अपने कई उस्तादों से शोबा ही की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'यक़ीनन हमारे लिये सदक़ा जाइज़ नहीं है।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " أَنَّا لاَ، تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " .

(2475) मुसन्निफ़ अपने दो और उस्तादों से शोबा से बयान करते हैं जैसाकि इब्ने मुआज़ ने बयान किया है, 'बिला शुब्हा हम सदक़ा नहीं खाते।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ، أَبِي عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ " أَنَّا لاَ، نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " .

(2476) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वाक़िया ये है मैं अपने घर लौटता हूँ और अपने बिस्तर पर गिरी पड़ी एक खजूर पाता हूँ, फिर मैं उसे खाने के लिये उठा लेता हूँ, फिर मैं डरता हूँ कि ये सदक़े की न हों, तो उसे डाल देता हूँ।'

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا "

(2477) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की क़सम! बिला शुब्हा मैं अपने घर वालों की तरफ़ लौटता हूँ और अपने बिस्तर पर गिरी हुई एक खजूर पाता हूँ या घर में पड़ी हुई पाता हूँ, तो उसे मैं खाने के इरादे से उठा लेता हूँ, फिर मैं डर जाता हूँ कि ये सदक़ा या सदक़े की ही न हो, तो उसे फेंक देता हूँ।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ، مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي - أَوْ فِي بَيْتِي - فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً - أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ - فَأُلْقِيهَا " .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ " لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا " .

(2478) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) को एक खजूर मिली, तो आपने फ़रमाया, 'अगर इसके बारे में सदक़े की होने का अन्देशा न होता तो मैं इसे खा लेता।'

(सहीह बुख़ारी : 2055, 2431)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ " لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا " .

(2479) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रास्ते में पड़ी हुई एक खजूर के पास से गुज़रे तो फ़रमाया, 'अगर सदक़े की होने का अन्देशा न होता तो मैं इसे खा लेता।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ " لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا " .

(2480) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) को एक खजूर (गिरी पड़ी) मिली तो आपने फ़रमाया, 'अगर सदक़े की होने का अन्देशा न होता तो मैं इसे खा लेता।'

फ़वाइद : (1) नबी (ﷺ) के लिये सदक़ा फ़र्ज़ हो या नफ़ली, हराम है। आल इसमें दाख़िल है या नहीं। इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है। बनू हाशिम के लिये अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक ज़कात (सदक़ा मफ़रूज़ा) हराम है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक सहम ज़िल्क़ुरबा (आपकी क़राबत की बिना पर ग़नीमत में हिस्सा) से महरूमी की सूरत में जाइज़ है। कुछ शाफ़ेई और मालिकी भी इसके क़ाइल हैं। इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक बनू हाशिम का सदक़ा एक-दूसरे के लिये जाइज़ है किसी और से लेना जाइज़ नहीं, मालिकिया के चार क़ौल हैं (1) मुत्लक़न मना है (2) मुत्लक़न जाइज़ है (3) नफ़ली जाइज़ है (4) फ़र्ज़ जाइज़ है। अक्सर अहनाफ़, शवाफ़ेअ और हनाबिला के नज़दीक नफ़ली सदक़ा जाइज़ है, फ़र्ज़ी सदक़ा जाइज़ नहीं है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक आपकी आल में बनू

हाशिम और बनू मुत्तलिब दोनों दाख़िल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक बनू मुत्तलिब आल में दाख़िल नहीं हैं। इसलिये उनके लिये सदक़ात लेना जाइज़ है। इमाम अहमद के बनू मुत्तलिब के बारे में दोनों क़ौल हैं। इमाम शाफ़ेई का क़ौल सहीह है क्योंकि आपका फ़रमान है, 'इन्ना बनुल मुत्तलिब वब्नु बनी हाशिमिन शैइंव वाहिद' हक़ीक़त ये है कि मुत्तलिब की औलाद और हाशिम की औलाद एक ही चीज़ हैं।' **(2)** जिस चीज़ का इस्तेमाल बड़ों के लिये जाइज़ नहीं है, बड़ों को चाहिये कि छोटों को भी उसके इस्तेमाल से रोकें।

बाब 52 : आले नबी को सदक़े की वसूली के लिये मुक़र्रर करना दुरुस्त नहीं है

بَابِ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

(2481) अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ बिन हारिस़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि रबीआ बिन हारिस़ (रज़ि.) और अब्बास बिन मुत्तलिब (रज़ि.) इकट्ठे हुए और कहने लगे, अल्लाह की क़सम! अगर हम दोनों लड़कों (मुझे और फ़ज़्ल बिन अब्बास) को रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेज दें और ये दोनों आप (ﷺ) से बात करें और आप इन दोनों को उन सदक़ात की वसूली के लिये भेज दें और लोग जो कुछ लाकर दें ये दोनों लाकर दें और लोगों को जो कुछ मिलता है वही ये दोनों हासिल कर लें (तो बेहतर होगा)। वो दोनों ये बातचीत कर ही रहे थे कि हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) भी आ गये और उनके पास ठहर गये। उन्होंने उन्हें भी ये बात बताई, तो हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने कहा, ऐसा न करो। अल्लाह की क़सम! आप ये काम नहीं करेंगे। तो रबीआ बिन हारिस़ उनके दरपे हो गये (उनको बुरा-भला कहा) और कहा,

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالاَ وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ - قَالاَ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ -قَالَ - فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لاَ تَفْعَلاَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ . فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلاَّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ . قَالَ عَلِيٌّ أَرْسِلُوهُمَا . فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ - قَالَ - فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا . ثُمَّ قَالَ " أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ " ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - قَالَ - فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ - قَالَ - فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ - قَالَ - وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لاَ تُكَلِّمَاهُ - قَالَ - ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ . إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ - وَكَانَ

अल्लाह की क़सम! तुम सिर्फ़ हमसे हसद की बिना पर ये बातें कर रहे हो। अल्लाह की क़सम! आपको रसूलुल्लाह(ﷺ) के दामाद होने का शर्फ़ हासिल है। तो हमने तो इससे आपसे हसद नहीं किया। हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, चलो फिर, उन दोनों को भेज लो। दोनों लड़के चले गये और हज़रत अली (रज़ि.) (वहाँ) लेट गये। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली तो हम आपसे पहले आपके हुज्रे के पास जाकर खड़े हो गये, यहाँ तक कि आप तशरीफ़ लाये और हमारे कान पकड़ लिये। फिर फ़रमाया, 'तुम दोनों के दिल में जो कुछ जमा है ज़ाहिर करो।' फिर आप अंदर दाख़िल हुए और साथ ही हम भी दाख़िल हो गये। उस दिन आप ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) के यहाँ थे। हमने कलाम एक-दूसरे के सुपुर्द की (हर एक ने दूसरे को बात करने के लिये कहा) फिर हममें से एक ने बातचीत शुरू की कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप सब लोगों से बढ़कर एहसान करने वाले और सब लोगों से ज़्यादा सिला रहमी करने वाले हैं और हम दोनों निकाह की उम्र (बुलूग़त) को पहुँच गये हैं और हम इसलिये हाज़िर हुए हैं कि आप हमें भी उन सदक़ात की वसूली के लिये मुक़र्रर फ़रमायें। हम भी लोगों की तरह आपको लाकर देंगे और हम भी वो ले लेंगे। जैसे (जो) उनको मिलता है। आप काफ़ी देर तक ख़ामोश रहे यहाँ तक कि हमने दोबारा बातचीत करने का इरादा किया। तो

عَلَى الْخُمُسِ - وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " . قَالَ فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ " أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ " . لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْكَحَهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ " أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ " . لِي فَأَنْكَحَنِي وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ " أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا " . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي .

हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) हमें पसे पर्दा आपसे बात न करने का इशारा करने लगीं, फिर आपने फ़रमाया, 'सदक़ा आले मुहम्मद के लिये मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये तो बस लोगों का मेल-कुचैल है (लोगों के जान व माल को पाक-साफ़ करता है) मेरे पास महमिया (रज़ि.) को बुला लाओ, वो ख़ुमुस पर मामूर थे और नोफ़िल बिन हारिस़ बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब को भी बुलाओ।' वो दोनों आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए, तो आपने महमिया (रज़ि.) से कहा, 'इस लड़के (फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास) से अपनी बच्ची का निकाह कर दो।' तो उसने कहा, इसे बच्ची का निकाह दे दिया और नोफ़ल बिन हारिस़ को कहा, 'इस लड़के को अपनी बच्ची ब्याह दो।' यानी मेरी ख़ातिर, तो उसने मेरा निकाह कर दिया और आपने महमिया (रज़ि.) को फ़रमाया, 'इन दोनों की तरफ़ से इतना-इतना हक़्क़े महर ख़ुमुस से अदा कर दो।' ज़ोहरी बयान करते हैं, मुझे उस्ताद ने महर की रक़म नहीं बताई।

(अबू दाऊद : 2985, नसाई : 5/105)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

(2482) हज़रत अ़ब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ बिन हारिस़ बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि मेरे बाप रबीआ बिन हारिस़ बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब और अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने अ़ब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ और फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से कहा, तुम दोनों रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो। आगे मालिक की

وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ وَاللَّهِ لاَ أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا " إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ " . وَقَالَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ " . وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْمَاسِ .

मज़्कूरा बाला हदीस़ की तरह हदीस़ बयान की और उसमें है, हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने अपनी चादर बिछाई फिर उस पर लेट गये और कहा, मैं हूँ जो नर (साण्ड) है यानी मामला फ़हम हूँ और अल्लाह की क़सम! मैं इस जगह को नहीं छोड़ूँगा, यहाँ तक कि तुम दोनों के बेटे, जिस मक़सद के लिये उन्हें भेज रहे हो उसका जवाब लेकर वापस लौट आयें और इस हदीस़ में है, फिर आपने हमें फ़रमाया, 'ये सदक़ात तो लोगों का मैल-कुचैल हैं और ये मुहम्मद और आले मुहम्मद के लिये जाइज़ नहीं हैं।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये भी फ़रमाया, 'मेरे पास महमिया बिन जज़अ को बुला लाओ।' वो बनू असद का एक फ़र्द था जिसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुमुस की वसूली के लिये आ़मिल बनाया था (क़ाज़ी अ़याज़ का ख़याल है वो बनू ज़ुबैद का फ़र्द था)।

(सहीह मुस्लिम : 2478)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्क़र्मु : सय्यिद सरदार, नर ऊँट, मक़सूद ये है मामला फ़हम हूँ और साइबुर्राय हूँ। **(2) ला अरीमु मकानी :** अपनी जगह नहीं छोड़ूँगा या अपनी जगह से नहीं हटूँगा। **(3) अल्हौरु :** जवाब, चूंकि हौर का असल मानी रुजूअ़ और वापसी है, इसलिये ये मानी भी हो सकता है, वो नाकाम लौट आयें।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि मसारिफ़े ज़कात (ज़कात की मद्दात) में किसी मसरफ़ के ऐतिबार से भी आपकी आल के लिये सदक़ा लेना जाइज़ नहीं है और आपने उनके महर की रक़म, ख़ुमुस में से अपने हिस्से या रिश्तेदारों के हिस्से से अदा करने का हुक्म दिया और इस हदीस़ से मालूम होता है ज़कात, लोगों की मैल-कुचैल है इसलिये जहाँ तक मुम्किन हो इससे बचने की कोशिश करना चाहिये इसको शीरे मादर समझकर हज़म नहीं करना चाहिये जैसाकि आज-कल ये वबा आ़म हो चुकी है।

बाब 53 : नबी (ﷺ) बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब के लिये तोहफ़ा क़ुबूल करना जाइज़ है, अगरचे वो तोहफ़ा देने वाले को सदक़े की सूरत ही में मिला हो, क्योंकि सदक़ा जब जिसको सदक़ा दिया गया है वसूल कर लेता है तो वो अब सदक़ा नहीं रहता। इसलिये उन तमाम अफ़राद के लिये हलाल हो जाता है, जिनके लिये सदक़ा लेना हराम है

بَاب إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ، قَالَ إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ " هَلْ مِنْ طَعَامٍ " . قَالَتْ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلاَتِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ " قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا " .

(2483) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत जुवेरिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये और पूछा, 'क्या कोई खाने की चीज़ है?' मैंने अ़र्ज़ किया, नहीं अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे पास बकरी की उस हड्डी के सिवा जो मेरी आज़ाद करदा लौण्डी को दी थी, खाने की कोई चीज़ नहीं है। आपने फ़रमाया, 'उसे ही ले आओ, वो अपने सदक़े और महल पर पहुँच गई है।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि जिस इंसान को सदक़ा लेना जाइज़ है, अगर वो उसको किसी और को तोहफ़े के तौर पर दे तो उसके लिये अगरचे सदक़ा लेना जाइज़ न हो ये तोहफ़ा लेना जाइज़ होगा। क्योंकि अब वो सदक़ा नहीं रहा है। नीज़ ये भी मालूम हुआ, अज़्वाजे मुतह्हरात के मवाली के लिये सदक़ा लेना जाइज़ था। अगरचे हुज़ूर (ﷺ) के मवाली आज़ाद करदा ग़ुलामों के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(2484) इसकी हम मानी रिवायत इमाम साहब ने अपने और तीन उस्तादों से ज़ोहरी की सनद से बयान की है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " .

(2485) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत बरीरह (रज़ि.) ने कुछ गोश्त नबी (ﷺ) को हदिये के तौर पर पेश किया जो उसे सदक़े में मिला था, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो उसके लिये सदक़ा और हमारे लिये हदिया है।'

(सहीह बुख़ारी : 1495, 2577)

फ़ायदा : सदक़ा लेने वाला एक ऐतिबार से सदक़ा देने वाले का एहसानमन्द और मम्नून होता है और उसको अपने से बरतर और बेहतर तसव्वुर करता है। लेकिन हदिया देने वाला क़ुबूल करने वाले को मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम समझकर हदिया पेश करता है और उसका मम्नून एहसान होता है इसलिये आपके लिये हदिया क़ुबूल करना जाइज़ था, सदक़ा क़ुबूल करना रवा न था। नीज़ हदिये की सूरत में आम तौर पर जवाबन हदिया दिया जाता है, इसलिये उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ

(2486) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) को गाय का गोश्त पेश किया गया और बताया गया, बरीरह (रज़ि.) को बतौरे सदक़ा दिया गया है, तो आपने फ़रमाया, 'वो उसके लिये सदक़ा है, हमारे लिये तो हदिया है।'

عَائِشَةَ، وَأُتِيَ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيلَ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित हुआ गाय का गोश्त खाना दुरुस्त है, अगरचे गाय का गोश्त, गाय के दूध के मुक़ाबले में नुक़सानदेह है।

(2487) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि बरीरह (रज़ि.) के मुक़द्दमे से तीन बातें स़ाबित हुईं (1) लोग उसको सदक़ा देते थे और वो हमें तोहफ़ा देती तो मैंने उसका तज़्किरा नबी (ﷺ) से किया। आपने फ़रमाया, 'वो उस पर सदक़ा है और तुम्हारे लिये हदिया है, लिहाज़ा उसे (बिला हिचकिचाहट) खा लो।'

(नसाई : 6/161)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ " .

फ़ायदा : दूसरा हुक्म ये है कि निस्बत आज़ादी देने वाले की तरफ़ होगी। तीसरा अगर लौण्डी आज़ाद हो जाये और उसका ख़ाविन्द ग़ुलाम हो तो आज़ाद होने वाली लौण्डी को अपना निकाह फ़स्ख़ करने का इख़्तियार हासिल होगा। अगर ख़ाविन्द आज़ाद हो तो फिर ये इख़्तियार नहीं मिलेगा।

(2488) इमाम साहब अपने दूसरे दो उस्तादों से भी हज़रत आइशा (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 2587, नसाई : 6/165, 6/166, 6/256, 6/253)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ، الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ .

(2489) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, अल्फ़ाज़ में थोड़ा सा फ़र्क़ है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'और वो हमारे लिये उसकी तरफ़ से हदिया है।'
(सहीहबुख़ारी:5097, 5279, 5430 नसाई : 6/162)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ " .

(2490) हज़रत उम्मे अ़तिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सदक़े की एक बकरी भेजी, मैंने उसमें से कुछ हिस्सा हज़रत आ़इशा (रज़ि.) को भेज दिया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) आ़इशा (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ लाये, आपने पूछा, क्या आपके पास कुछ है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं! मगर ये बात है कि नुसैबा (उम्मे अ़तिय्या रज़ि.) ने उस बकरी से कुछ हिस्सा भेजा है जो आपने उनके यहाँ भेजी थी। आपने फ़रमाया, 'वो अपनी जगह पहुँच गई है।'
(सहीह बुख़ारी : 1446, 1494, 2579)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ بَعَثَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَىْءٍ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَةَ قَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . قَالَتْ لاَ . إِلاَّ أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا قَالَ " إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا " .

बाब 54 : नबी (ﷺ) हदिया (तोहफ़ा) क़ुबूल फ़रमा लेते और आप सदक़ा रद्द कर देते

باب قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

(2491) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास जब खाना लाया जाता, आप (ﷺ) उसके बारे में पूछते, अगर बताया जाता कि हदिया है तो उसे खा लेते और अगर कहा जाता कि सदक़ा है, तो उससे न खाते।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا .

बाब 55 : सदक़ा लाने वाले को दुआ देना

باب الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَتِهِ

(2492) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जब लोग अपना सदक़ा लाते, आप फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! इन पर रहमत फ़रमा।' मेरे बाप अबू औफ़ा आपके पास अपना सदक़ा लाये तो आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! अबू औफ़ा की आल पर रहमत नाज़िल फ़रमा।'

(सहीह बुख़ारी : 1497, 4166, 6332, 6359, अबू दाऊद : 1590, नसाई : 5/31, इब्ने माजह : 1796)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، ح . وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو، - وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ " . فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

(2493) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से यही रिवायत शोबा ही की सनद से बयान करते हैं। उसमें सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ हैं, आपने फ़रमाया, 'उन पर रहमत नाज़िल फ़रमा।' गोया अल्लाहुम्म का लफ़्ज़ नहीं है।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " صَلِّ عَلَيْهِمْ " .

फ़ायदा : आपका ज़कात लाने वालों के लिये दुआ करना अल्लाह तआला के फ़रमान, व सल्लि अलैहिम इन्-न सलात-क सकनुल्लहुम की तामील में था। क्योंकि दुआ मिलने से इंसान को एक तरह से सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। आप तो किसी को लफ़्ज़े सलात के ज़रिये दुआ दे सकते थे लेकिन हमारे लिये ग़ैर अम्बिया के लिये अलग और मुस्तक़िल तौर पर लफ़्ज़े सलात और सलाम इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है क्योंकि राफ़ज़ी अइम्मा अहले बैत को नबी का दर्जा देते हैं और उन पर सलात व सलाम भेजते हैं इसलिये इन अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल से उन बदअक़ीदा लोगों के साथ मुशाबिहत लाज़िम आती है जिससे बचना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, साहिबैन और जुम्हूर उलमा का यही नज़रिया है। सिर्फ़ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) इसके जवाज़ के क़ाइल हैं।

बाब 56 : ज़कात वसूल करने वाले को राज़ी रखना बशर्तेकि वो नाजाइज़ मुतालबा न करे

باب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَابْنُ، أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ " .

(2494) हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम्हारे पास सदक़ा वसूल करने वाला आये तो वो तुम्हारे यहाँ से इस हाल में जाये कि वो ख़ुश हो।'

(तिर्मिज़ी : 647, 648, नसाई : 5/31, 5/32, इब्ने माजह : 1802)

फ़ायदा : हुकूमत के कारकुनान और हुकूमत से जब कि वो इस्लामी हुकूमत हो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पाबंद हो, तो हर हालत में इताअ़त व फ़रमांबरदारी से पेश आना चाहिये ताकि आपस में ऐतिमाद और इत्तिफ़ाक़ की फ़िज़ा बरक़रार रहे और एक-दूसरे से बदज़न्नी और बदगुमानी की बिना पर हालात में कशीदगी और बिगाड़ पैदा न हो लेकिन ये इताअ़त सहीह और जाइज़ कामों में होगी। नाफ़रमानी और नाजाइज़ कामों में नहीं होगी।

इस किताब के कुल बाब 40 और 285 अहादीस़ हैं।

كتاب الصيام

किताबुस्सियाम
रोज़ों का बयान

हदीस़ नम्बर 2495 से 2779 तक

रोज़े का मानी व मफ़्हूम, अहकाम, आदाब और फ़ज़ाइल

सौम का लुग़वी मानी रुकना है। शरअ़न इससे मुराद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़, उसकी रज़ा के हुसूल की निय्यत से सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब तक खाने-पीने, बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के अ़लावा गुनाह के तमाम कामों से भी रुके रहना है। इस इबादत के बेशुमार रूहानी फ़ायदे हैं। सबसे नुमायाँ ये है कि इसके ज़रिये से इंसान हर मामले में, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी सीखता है। उस पर वाज़ेह हो जाता है कि हिल्लत व हुरमत का इख़्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है जिससे इंसानों को, अल्लाह के रसूल (ﷺ) आगाह फ़रमाते रहे हैं। कुछ चीज़ें ख़ुद की ज़ात से हराम हैं, कुछ को अल्लाह ने वैसे तो हलाल क़रार दिया लेकिन ख़ास वक़्तों में उनको हराम क़रार दिया। अल्लाह के बन्दों का काम, हर हाल में अल्लाह के हुक्म की पाबंदी है।

दूसरा अहम फ़ायदा ये है कि इंसान अपनी ख़्वाहिशात पर क़ाबू पाना सीखता है। जो इंसान जाइज़ ख़्वाहिशात ही का ग़ुलाम बन जाये वो अपनी ज़ात पर अपना इख़्तियार खो देता है। वो चीज़ें और उन चीज़ों के ज़रिये से दूसरे लोग उस पर क़ाबू हासिल कर लेते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग़ुलाम बनाते चले जाते हैं। इंसान की आज़ादी अपनी ख़्वाहिशात पर कण्टोल से शुरू होती है। ख़्वाहिशात पर क़ाबू हो तो इंसान कामयाबी से अपनी आज़ादी की हिफ़ाज़त कर सकता है।

आज-कल लोग ज़्यादा खाने-पीने की वजह से सेहत तबाह करते हैं। रोज़े से इस बात की तर्बियत होती है कि खाने-पीने में ऐतिदाल कैसे रखा जाये और पता चलता है कि इससे किस क़द्र आराम और सुकून हासिल होता है। रोज़े के दौरान में इंसान की तवज्जह अल्लाह के अहकाम की पाबंदी पर रहती है, इसलिये गुनाहों से बचना बआसानी मुम्किन हो जाता है। इंसान को ये ऐतिमाद हासिल हो जाता है कि गुनाहों से बचना कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं।

रमज़ान में मुस्लिम मुआशरा इज्तिमाई तौर पर नेकी की तरफ़ राग़िब और गुनाहों से दूर होता है। इसके ज़रिये से नस्ले नौ की अच्छी तर्बियत और रास्ते से हट जाने वालों की वापसी में मदद मिलती है। अल्लाह ने बताया है कि रोज़े पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किये गये थे, लेकिन अब इसका एहतिमाम उम्मते मुस्लिमा के अ़लावा किसी और उम्मत में मौजूद नहीं। दूसरी उम्मत के कुछ लोग अगर रोज़े रखते हैं तो कम और आसान रोज़े रखते हैं, रोज़े में हर चीज़ से परहेज़ की बजाय खाने की कुछ चीज़ें या पीने की कुछ चीज़ों से परहेज़ किया जाना एक ख़ास वक़्त तक सही, पानी पीने पर पाबंदी को रोज़े का हिस्सा ही नहीं समझा जाता। इसका नतीजा ये होता है कि सहीह मानी में ज़ब्ते नफ़्स की तर्बियत नहीं हो पाती।

रमज़ान के महीने में क़ुरआन नाज़िल हुआ। अल्लाह ने रोज़ों को क़ुरआन पर अमल करने की तर्बियत का ज़रिया बनाया और अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने रमज़ान की रातों को जागकर इबादत करने की सुन्नत अदा फ़रमाई, इस तरह इंसान नींद पर भी मअक़ूल हद तक कण्टोल हासिल कर लेता है।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी सहीह की किताबुस्सियाम में रमज़ान की फ़ज़ीलत, चाँद के ज़रिये से माहे रमज़ान के तअयीन, रोज़े के औक़ात के तअयीन के हवाले से मुतअद्दिद अब्वाब क़ायम करके सहीह अहादीसे रसूल (ﷺ) जमा की हैं।

मुसलमानों को इसके तहफ़्फ़ुज़ का एहतिमाम करने के लिये अल्लाह ने जो सहूलतें अता की हैं उनकी तफ़्सील बयान की गई है। सहरी खाना अफ़ज़ल है। आख़िरी वक़्त में खानी चाहिये, गुरूब होते ही इफ़्तार कर लेना चाहिये। हलाल कामों के मामले में रोज़े की पाबंदियाँ दिन तक महदूद हैं, रात को वो पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। विसाल के रोज़े रखकर ख़ुद को मशक़्क़त में डालने से मना कर दिया गया है। दिन में बीवी के साथ मुजामिअत मम्नूअ है। सहरी का वक़्त हो गया और जनाबत से ग़ुस्ल नहीं हो सका तो उसके बावजूद रोज़े की शुरूआत की जा सकती है, अगर इंसान रोज़े की पाबंदी तोड़ बैठे तो कफ़्फ़ारे की सूरत में उसका भी मदावा मौजूद है, बल्कि कफ़्फ़ारे में भी तनव्वोअ (ऑपशन्स) की सहूलत मयस्सर है। सफ़र, मर्ज़ और औरतों को अय्यामे मख़्सूसा में रोज़े छोड़ देने और बाद में रखने की सहूलत भी अता की गई है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने सहीह अहादीस़ के ज़रिये से इन मामलात पर रोशनी डाली है और इनको वाज़ेह किया है।

रमज़ान से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, उसकी तारीख़, उसके मुताल्लिक़ा उमूर और रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़िय्यत के बाद उस रोज़े की हैसियत पर भी अहादीस़ पेश की गई हैं। उन दिनों का भी बयान है जिनमें रोज़े नहीं रखे जा सकते। रोज़ों की क़ज़ा के मसाइल यहाँ तक कि मय्यित के ज़िम्मे अगर रोज़े हैं तो उनकी क़ज़ा के बारे में भी अहादीस़ बयान की गई हैं। रोज़े के आदाब और नफ़ली रोज़ों के अहकाम और उनके हवाले से जो आसानियाँ मुयस्सर हैं, उनके अलावा रोज़े के दौरान में भूल-चूक कर ऐसा काम करने की माफ़ी की भी वज़ाहत है जिसकी रोज़े के दौरान में इजाज़त नहीं।

كتاب الصيام

रोज़ों का बयान

باب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

बाब 1 : माहे रमज़ान की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ " .

(2495) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब माहे रमज़ान आ जाता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं और शयातीन (शैतानों को) क़ैद कर दिये जाते हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 1898, 1899, 3277, नसाई : 4/126, 127, 128)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ" .

(2496) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब माहे रमज़ान आता है रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।'

(2497) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब माहे रमज़ान दाख़िल होता है....।' आगे पहले वाली हदीस़ है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَالْحُلْوَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ " . بِمِثْلِهِ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सुफ़्फ़िदत : क़ैद कर दिये जाते हैं, हथकड़ी लगा दी जाती है। **(2) सुल्सिलत :** जकड़ दिये जाते हैं। ज़ंजीरों में बांध दिये जाते हैं।

फ़ायदा : हज़रत शाह वलीउल्लाह के बक़ौल, जन्नत और रहमत के दरवाज़े खोलना, दोज़ख़ के दरवाज़े बंद होना और शयातीन का क़ैद और बेबस होना, उन लोगों के ऐतिबार से है जो अल्लाह के सालेह और इताअ़त शिआर बन्दे हैं, यानी अहले ईमान हैं। जो रमज़ान में ख़ैर व सआदत हासिल करने की तरफ़ माइल होते हैं। रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फ़ायदे की ख़ातिर ताअ़ात व हसनात (नेकियों) में मशग़ूल और मुन्हमिक होते हैं। दिन को रोज़ा रखकर ज़िक्र व फ़िक्र और तिलावत में वक़्त गुज़ारते हैं और रात को तरावीह, दुआ व इस्तिग़फ़ार में मशग़ूल होते हैं और उनके अन्वार व बरकात से मुतास्सिर होकर आम मोमिनों के दिल भी रमज़ान मुबारक में आम महीनों के मुक़ाबले में इबादात और नेकियों की तरफ़ ज़्यादा माइल होते हैं और बहुत से गुनाहों से किनाराकश हो जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत से ग़ैर मोहतात और आज़ाद मनुष्य मुसलमान भी रमज़ान में अपनी रविश में कुछ न कुछ बदलाव कर लेते हैं। बाक़ी रहे कुफ़्फ़ार और ख़ुदा नाशनास लोग और वो ख़ुदा फ़रामोश, आख़िरत फ़रामोश, बल्कि अल्लाह से नाआश्ना और ग़फ़लत शिआर लोग जो रमज़ान और उसके अहकाम व बरकात से कोई ताल्लुक़ नहीं है अहादीस़ में इस क़िस्म की बशारतें जहाँ भी आई दरहक़ीक़त उन तमाम का ताल्लुक़ सहीह ईमानदार लोगों से है। जो लोग ख़ुद ही अपने आपको इन सआदतों और बरकतों से महरूम रखते हैं और बारह महीने शैतान की पैरवी पर वो मुत्मइन हैं। तो फिर अल्लाह के यहाँ उनके लिये महरूमी व नामुरादी के सिवा क्या हो सकता है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द 2, पेज नं. 50 तबाअ़त मुनीरह)

बाब 2 : माहे रमज़ान का रोज़ा चाँद देखकर रखा जायेगा और चाँद देखकर इफ़्तार करेंगे। वाक़िया ये है कि अगर रमज़ान के आग़ाज़ में या आख़िर पर बादल छा जायें, तो महीने की गिनती पूरे तीस दिन होगी

بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ " لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ " .

(2498) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने रमज़ान का तज़्किरा किया और फ़रमाया, 'रोज़ा न रखो यहाँ तक कि तुम चाँद देख लो और उसे इफ़्तार न करो यहाँ तक कि चाँद देख लो और अगर मत्लअ अब्र आलूद हो तो उसकी मुद्दत पूरी करो।'

(सहीह बुख़ारी : 1906, नसाई : 4/134)

फ़ायदा : फ़क़्दिरू लहू का तर्जुमा जुम्हूर के नज़दीक ये है महीने के आग़ाज़ से तीस दिन गिन लो, कुछ हज़रात ने मानी किया है कि फिर मनाज़िले क़मर का हिसाब करके पता चला लो और कुछ ने मानी किया है फिर उसके लिये तंगी पैदा करो और उसे बादलों के नीचे मानकर महीना 29 का बना लो, लेकिन ये दोनों मआनी आगे आने वाली सहीह हदीस़ के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह हनाबिला का मत्लअ साफ़ हो, आसमान पर बादल या गर्दो-गुबार न होने की सूरत में महीना तीस का मानना और बादल या गर्दो-गुबार हो तो फिर महीना 29 का मानना। सहीह हदीस़ के मुनाफ़ी (खिलाफ) है, इसलिये इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक अगर कोई गर्दो-गुबार की सूरत में रमज़ान फ़र्ज़ करके रोज़ा रख लेगा, तो वो रोज़ा नहीं होगा। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया और इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने जुम्हूर का मौक़िफ़ क़ुबूल किया है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

(2499) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान का ज़िक्र किया। फिर दोनों हाथों को खोलकर

ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ " .

इशारा करके बताया और फ़रमाया, 'महीना इस तरह है, महीना ऐसे है।' और तीसरी बार अंगूठा बंद करके फ़रमाया, 'ऐसे है, लिहाज़ा चाँद देखकर रोज़ा रखो और उसे देखकर इफ़्तार करो, अगर चाँद तुमसे मख़फ़ी हो (छुप) जाये तो तीस की गिनती पूरी कर लो।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاَثِينَ " . نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ .

(2500) इमाम साहब ने इब्ने उमर (रज़ि.) से उबैदुल्लाह की मज़्कूरा सनद से बयान किया कि आपने फ़रमाया, 'अगर बादल हो जायें तो तीस दिन पूरे कर लो।' जैसाकि ऊपर उसामा की रिवायत है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَقَالَ"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ". وَقَالَ " فَاقْدِرُوا لَهُ " . وَلَمْ يَقُلْ " ثَلاَثِينَ " .

(2501) इमाम साहब अपने उस्ताद उबैदुल्लाह बिन सईद से उबैदुल्लाह की मज़्कूरा सनद से ही बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान का तज़्किरा किया और फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का होता है, महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा भी होता है।' और फ़रमाया 'फ़क़्दिरू लहू गिनती पूरी करो' और सलासीन का लफ़्ज़ नहीं कहा।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ " .

(2502) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का भी होता है इसलिये चाँद देखे बग़ैर रोज़ा न रखो और न देखे बग़ैर इफ़्तार करो, अगर आसमान अब्र आलूद हो तो गिनती (तीस) पूरी कर लो।'

(अबू दाऊद : 2320, 2321)

(2503) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का भी होता है तो जब चाँद देख लो, रोज़ा रख लो और जब उसे देख लो तो इफ़्तार कर लो यानी ईद कर लो, अगर बादल हो जायें तो गिनती पूरी कर लो।'

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ " .

(2504) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि जब चाँद देख लो रोज़ा रखो और जब उसे देख लो इफ़्तार करो (ईद कर लो) और अगर बादल छा जायें तो गिनती पूरी कर लो।'

(सहीह बुख़ारी : 1900, नसाई : 4/134)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ " .

(2505) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस रात का भी होता है। चाँद देखे बग़ैर रोज़ा न रखो और उसे देखे बग़ैर रमज़ान ख़त्म न करो, मगर ये कि मत्लअ़ पर बादल छा जायें। अगर तुम्हारा मत्लअ़ अब्र आलूद हो तो उसकी गिनती पूरी करो।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلاَّ أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ " .

(2506) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'महीना इस तरह, इस तरह, इस तरह होता है।' और तीसरी बार अपना अंगूठा बंद कर लिया।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ .

(2507) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'महीना उन्तीस का भी होता है।'
(नसाई : 4/139)

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ الأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "

(2508) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा, दस और दस और नौ (उन्तीस) भी होता है।'

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا " .

(2509) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा होता है।' दो बार दोनों हाथों की उंगलियों को खोला और तीसरी बार इशारे के वक़्त दायें या बायें अंगूठे को बंद कर लिया।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا " . وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ

أَصَابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِي الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ إِبْهَامَ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى .

(सहीह बुख़ारी : 1908, 5302, नसाई : 4/140)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ، - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " . وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ . قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ " الشَّهْرُ ثَلاَثُونَ " وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ .

(2510) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का होता है।' शोबा ने तीन बार हाथों की उंगलियों को मिलाया और तीसरी बार अंगूठा अलग कर लिया। उक़्बा कहते हैं, मेरा ख़याल है आपने फ़रमाया, 'महीना तीस का भी होता है।' और दोनों को तीन बार मिलाया।

(नसाई : 4/140)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ - وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . يَعْنِي تَمَامَ ثَلاَثِينَ .

(2511) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हम उम्मी उम्मत हैं, हम लिखते नहीं हैं और हिसाब नहीं करते, महीना ऐसा, ऐसा ऐसा होता है।' और तीसरी बार अंगूठा बंद कर लिया 'और महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा होता है यानी पूरे तीस दिन का।'

(सहीह बुख़ारी : 1913, अबू दाऊद : 2319, नसाई : 4/139-140)

(2512) इमाम साहब यही रिवायत अपने उस्ताद मुहम्मद बिन हातिम से अस्वद बिन क़ैस ही की सनद से बयान करते हैं, उसने दूसरे महीने के लिये तीस दिन का ज़िक्र नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 1913, अबू दाऊद : 2319, नसाई : 4/139-140)

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي ثَلاَثِينَ .

(2513) सअ़द बिन उ़बैदा (रह.) बयान करते हैं कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि आज रात निस्फ़ माह की रात है तो उन्होंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज रात आधा माह गुज़र गया? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'महीना ऐसा, ऐसा होता है।' दो बार अपनी दस-दस उंगलियों से इशारा किया और ऐसा है (तीसरी बार अपनी सब उंगलियों से इशारा किया और अपने अंगूठे को रोक लिया या हटा लिया यानी अपने अंगूठे को बंद कर लिया) हबस रोक लिया, ख़नस हटा लिया, पीछे कर लिया।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ، اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - رَجُلاً يَقُولُ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا " . وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ " وَهَكَذَا " . فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ " .

(2514) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम चाँद देख लो तो रोज़ा रखो और जब उसे दोबारा देखो तो रोज़ा इफ़्तार कर दो (ईद कर लो) और अगर चाँद दिखाई न दे तो तीस रोज़े रखो।'

(नसाई : 4/133, 134, इब्ने माजह : 1655)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ، الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا " .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، -يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ " .

(2515) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर रोज़ा रखना छोड़ दो। अगर महीने का चाँद दिखाई न दे तो गिनती पूरी कर लो (तीस दिन पूरे करो)।'

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ" .

(2516) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चाँद का तज़्किरा किया और फ़रमाया, 'जब तुम उसे देख लो तो रोज़ा रखो और जब तुम उसे देख लो तो रोज़ा रखना छोड़ दो, अगर मत्लअ़ अब्र आलूद हो और अगर चाँद तुम्हें दिखाई न दे तो गिनती तीस करो।'

(सहीह बुख़ारी : 1909, नसाई : 4/133)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ، عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْهِلاَلَ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ " .

(2517) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चाँद का तज़्किरा किया तो फ़रमाया, 'जब तुम उसे देख लो तो रोज़ा रखो और जब तुम उसे फिर देख लो तो रोज़ा इफ़्तार करो। पस अगर तुम पर गर्दो-ग़ुबार छा जाये तो तीस दिन गिनो।'

(नसाई : 4/134)

मुफ़रदातुल हदीस़ : अग़मा : ग़ुमिय्य, ग़ुम्म सबका मक़सद ये है कि रूयत के दरम्यान अब्र या गर्दो-ग़ुबार हाइल हो जाये।

फ़वाइद : (1) इस्लाम में रमज़ान के शुरू होने और ख़त्म होने का दारोमदार रूयते हिलाल (चाँद के देखने) पर रखा गया है किसी इल्म व फ़न और आलात या क़रीना व क़ियास पर नहीं रखा ताकि हर

इलाक़े और हर दौर के लोगों के लिये सहूलत और आसानी रहे। यही आपके इस फ़रमान का मक़सद है कि हम उम्मी लोग हैं हिसाब-किताब नहीं जानते। (2) चाँद हर फ़र्द के लिये देखना ज़रूरी नहीं है कि जिसको चाँद नज़र न आये वो रोज़ा न रखे या उस वक़्त रोज़ा रखना न छोड़े जब तक महीना तीस का न हो जाये और न ये मक़सद है कि चाँद देखते ही रोज़ा शुरू हो जायेगा और चाँद देखते ही रोज़ा छोड़ दिया जायेगा। रोज़े का आग़ाज़ सहरी से होगा और इफ़्तार का आग़ाज़ सूरज के ग़ुरूब से होगा। (3) जुम्हूर के नज़दीक अगर चाँद नज़र न आये, बादल हों या मत्लअ साफ़ हो, दोनों सूरतों में महीना शअबान तीस का शुमार होगा। हनाबिला के नज़दीक अगर मत्लअ साफ़ हो तो हुक्म यही है, लेकिन अगर मत्लअ अब्र आलूद हो या गर्दो-ग़ुबार हो तो फिर हनाबिला के तीन क़ौल हैं (1) रमज़ान की हैसियत से रोज़ा रखना फ़र्ज़ है (2) फ़र्ज़ या नफ़्ल कोई रोज़ा जाइज़ नहीं है हाँ क़ज़ा, कफ़्फ़ारा, नज़्र या अगर ये आदत के मुताबिक़ है तो फिर जाइज़ है। इमाम शाफ़ेई का भी यही क़ौल है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक रमज़ान की हैसियत से नहीं रखा जा सकता ऐसे जाइज़ है। (3) इमामे वक़्त की राय का लिहाज़ है। अगर इमाम रोज़ा रख ले तो लोग भी रखें, अगर इमाम रोज़ा न रखे तो लोग भी रोज़ा न रखें। (4) रोज़ा रखने के लिये जुम्हूर का क़ौल ये है कि एक दीनदार और क़ाबिले ऐतिमाद का देखना काफी है, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक दो आदमियों के देखने का ऐतिबार होगा। इमाम अबू हनीफ़ा का एक क़ौल जुम्हूर वाला है लेकिन मशहूर और मअरूफ़ क़ौल ये है कि अगर मत्लअ अब्र आलूद है तो फिर तो एक आदमी की गवाही काफ़ी है। लेकिन अगर मत्लअ साफ़ व शफ़्फ़ाफ़ है तो फिर इतने लोग गवाही दें कि उनकी ख़बर से यक़ीन हासिल हो जाये। हालांकि हदीस में ये फ़र्क़ व इम्तियाज़ वारिद नहीं है। (5) अगर एक इंसान मस्लन सऊदी अरब से एक या दो रोज़ पहले रोज़े रखकर आख़िरी दिनों में हिन्दुस्तान आ गया, अब उसके रोज़े तीस हो गये हैं लेकिन हिन्दुस्तान में चाँद नज़र नहीं आया, तो कई हज़रात के नज़दीक उसको हिन्दुस्तानियों के साथ रोज़ा रखना होगा। क्योंकि यहाँ चाँद नज़र नहीं आया और आपका फ़रमान है, 'जिस दिन लोग रोज़ा रखें उस दिन रोज़ा है और जिस दिन लोग ईद करें उस दिन ईद है।' और ज़ाहिर है इस हदीस का ताल्लुक़ तो उस फ़र्द से है जो शुरू और आख़िर दोनों में लोगों के साथ था और महीना तीस दिन से ज़्यादा नहीं होता और रोज़े तो एक माह के रखे जाते हैं। हाँ ये बात है उसे उस दिन खुल्लम-खुल्ला नहीं खाना चाहिये या नफ़्ली रोज़ा रख ले। अगर वो यहाँ हिन्दुस्तान से रोज़े रखकर सऊदी अरब गया है और अभी उसके अठाईस रोज़े हुए थे कि वहाँ ईद हो गई तो वो वहाँ ईद कर लेगा और बाद में वहाँ के हिसाब से रोज़े पूरे करेगा।

बाब 3 : रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़ा नहीं रखा जायेगा

باب لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ

(2518) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रमज़ान के एक-दो दिन पहले रोज़े न रखो, मगर वो आदमी जिसका रोज़े रखने का मामूल हो तो वो रोज़ा रख सकता है।'

(तिर्मिज़ी : 685)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ، بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ " .

(2519) इमाम साहब ने अपने कई उस्तादों से यहया बिन अबी कसीर की सनद ही से ये रिवायत बयान की है।

(सहीह बुख़ारी : 1914, अबू दाऊद : 2335)

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ، مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

फ़ायदा : रमज़ान के इस्तिक़बाल या एहतियात की निय्यत से रमज़ान से एक-दो दिन पहले रोज़े रखना दुरुस्त नहीं है क्योंकि शरीअ़त ने रोज़ा चाँद के देखने पर रखने का हुक्म दिया है, इसलिये किसी तकल्लुफ़ या शक व शुब्हा में मुब्तला होकर एहतियाती या इस्तिक़बाली रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। हाँ क़ज़ा, नज़्र या रोज़ा उसके मामूल के मुताबिक़ आ जाये, जैसे किसी ने नज़्र मानी थी कि मैं फ़लाँ माह सोमवार या जुमेरात का रोज़ा रखूँगा या अगले सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखूँगा या उसका मामूल और आ़दत है कि वो सोमवार या जुमेरात का रोज़ा रखता है तो ये दिन रमज़ान से एक दिन पहले आ गया ऐसी सूरत में वो रोज़ा रख सकता है।

बाब 4 : महीना उन्तीस (29) का भी होता है

باب الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا - قَالَ الزُّهْرِيُّ - فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ بَدَأَ بِي - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ " إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " .

(2520) इमाम ज़ोहरी (रह.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सम उठाई कि मैं एक माह अपनी बीवियों के पास नहीं जाऊँगा। ज़ोहरी (रह.) कहते हैं, मुझे उरवह (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत सुनाई कि जब उन्तीस दिन गुज़र गये मैं उन्हें गिनती रहती थी। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये, आग़ाज़ मुझसे फ़रमाया। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमारे पास एक माह न आने की क़सम उठाई थी और आप उन्तीस दिन के बाद तशरीफ़ ले आये हैं, मैं गिनती रही हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये महीना उन्तीस का है।'

(तिर्मिज़ी : 3318, नसाई : 4/137)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ . فَقَالَ " إِنَّمَا الشَّهْرُ " . وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ .

(2521) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों से एक माह के लिये अलग हो गये फिर आप उन्तीस तारीख़ को हमारे पास तशरीफ़ लाये। हमने अर्ज़ किया, आज तो उन्तीस तारीख़ ही है। तो आपने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का भी होता है।' आपने दोनों हाथ तीन बार मिलाये और आख़िरी बार एक उंगली रोक ली, यानी 29 का।

(2522) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं नबी (ﷺ) एक माह के लिये अपनी औरतों से अलग हो गये और हमारे पास उन्तीस तारीख़ की सुबह को तशरीफ़ लाये। (उन्तीस के गुज़रने के बाद वाली सुबह) कुछ लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अभी तो उन्तीस दिन पूरे हुए हैं। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का भी होता है।' फिर आपने अपने दोनों हाथों को तीन बार मिलाया, दो बार दोनों हाथों की पूरी उंगलियाँ मिलाईं और तीसरी बार उनमें से नौ को मिलाया।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " . ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ ثَلاَثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا .

(2523) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने क़सम उठाई कि आप अपनी कुछ बीवियों के पास एक माह तक नहीं जायेंगे। जब उन्तीस दिन गुज़र गये तो आप सुबह या शाम को उनके पास तशरीफ़ ले गये तो आपसे अ़र्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के नबी! आपने तो क़सम उठाई थी कि आप हमारे पास एक महीना नहीं आयेंगे। आपने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस दिन का भी होता है।'

(सहीह बुख़ारी : 1910, 5202, इब्ने माजह : 2061)

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ - أَوْ رَاحَ - فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا . قَالَ " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا " .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(2524) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से इब्ने जुरेज की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، - رضى الله عنه - قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَقَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا " . ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا .

(2525) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा और फ़रमाया, 'महीना ऐसा, ऐसा होता है।' फिर तीसरी मर्तबा एक उंगली कम कर दी।

(नसाई : 4/138,139, इब्ने माजह : 1656)

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، -رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً .

(2526) मुहम्मद बिन सअद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा होता है।' दस और दस और एक बार नौ यानी उन्तीस।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، وَسَلَمَةُ، بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا .

(2527) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की है।

बाब 5 : हर इलाक़े वालों के लिये अपनी रूयत का ऐतिबार है और अगर एक इलाक़े के लोग चाँद देख लें तो उनसे दूर वालों के लिये रूयत साबित नहीं होगी

باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ بِبَلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ

(2528) कुरैब (रह.) बयान करते हैं कि उम्मुल फ़ज़्ल बिन्ते हारिस़ (रज़ि.) ने उन्हें शाम हज़रत मुआविया (रज़ि.) के पास भेजा, मैं शाम आया और उनकी ज़रूरत पूरी की और चाँद, जबकि मैं शाम ही में था नमूदार हो गया। मैंने चाँद जुमे की रात देखा, फिर मैं महीने के आख़िर में मदीना आ गया, तो मुझसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कुछ पूछा, फिर चाँद का तज़्किरा किया और कहा, तुमने चाँद कब देखा? मैंने कहा, हमने उसे जुमे की रात देखा। तो उन्होंने पूछा, तुमने ख़ुद देखा है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ! और लोगों ने भी देखा है। सबने रोज़ा रखा और हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने भी रोज़ा रखा। तो उन्होंने कहा, लेकिन हमने तो हफ़्ते की रात देखा है, इसलिये हम रोज़ा रखते रहेंगे यहाँ तक कि तीस पूरे हो जायें या हमें चाँद नज़र आ जाये। मैंने कहा, क्या आप हज़रत मुआविया (रज़ि.) की रूयत और उनके रोज़े को काफ़ी नहीं समझते। उन्होंने कहा, हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ही हुक्म दिया है। यहया बिन यहया की हदीस़ में है ला

नक्तफ़ी औ तक्तफ़ी हम काफ़ी नहीं समझेंगे या आप काफ़ी नहीं समझते।

(अबू दाऊद : 2332, तिर्मिज़ी : 693, नसाई : 4/131)

وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي .

फ़वाइद : (1) रूयते हिलाल के सिलसिले में अइम्मा में इख़्तिलाफ़ है कि अगर एक इलाक़े में चाँद नज़र आ जाये तो दूसरे इलाक़ों के लोग क्या करें? (1) इमामे आज़म यानी अमीर व हाकिम रूयत क़ुबूल कर ले, तो सबको रोज़ा रखना होगा वगरना जहाँ नज़र आया है वहीं के लोग रोज़ा रखेंगे। (2) हर इलाक़े के लिये अपनी-अपनी रूयत है। (3) अगर एक इलाक़े में चाँद नज़र आ जाये तो हर जगह के लोगों को उसका ऐतिबार करना होगा। (4) इख़्तिलाफ़े मत्लअ़ का लिहाज़ है, जिन इलाक़ों का मत्लअ़ एक है, अगर एक इलाक़े में नज़र आ गया है तो दूसरे में भी नज़र आना चाहिये था। किस सबब या आ़रिज़े की वजह से नज़र नहीं आ सका? इस तरह एक मत्लअ़ वालों के लिये आपस में रूयत बेहतर है। इराक़ियों और इमाम नववी का मौक़िफ़ यही है और यही बात दुरुस्त है। अगर मतालेअ़ अलग-अलग हैं, एक जगह नज़र आने से दूसरी जगह नज़र आना ज़रूरी नहीं है तो फिर एक जगह की रूयत दूसरी जगह के लिये मोतबर नहीं है। (5) एक सूबा या एक मुल्क के सब इलाक़ों का एक हुक्म है। (6) और बक़ौल नववी, ग़ज़ाली वग़ैरह मसाफ़ते क़स्र का लिहाज़ है। मसाफ़ते क़स्र से कम हो तो हुक्म एक है वगरना अलग-अलग। **(2)** मौजूदा दौर में रूयते हिलाल कमेटी के ऐलान का ऐतिबार है वो शरई उसूलों के मुताबिक़ गवाही लेकर ऐलान कर दे तो वो मोतबर होगा। **(3)** इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद लैस बिन सअ़द (रह.) और कुछ शवाफ़ेअ़ का ये मस्लक बयान किया जाता है कि सूमू लिरुअ्यति वफ़्तिरूरुअ्य-त चाँद देखकर रोज़ा रखो और उसे देखकर रोज़े ख़त्म करो, का हुक्म आ़म है सब मुसलमान इसके मुख़ातब हैं। तो इसका मानी ये हुआ कि तमाम मुसलमान ममालिक में रोज़े का आग़ाज़ और इख़्तिताम बराबर होना चाहिये और चाँद की तारीख़ तक़रीबन बराबर होनी चाहिये हालांकि वाक़िया ये है कि ये मुम्किन नहीं है। दूसरी तरफ़ इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है अगर दो जगहों का फ़ासला ग़ैर मामूल हो जैसे हिजाज़ और उन्दुलुस (स्पेन) तो उनका हुक्म अलग-अलग है। (बिदायतुल मुज्तहिद, जिल्द 1) **(4)** रमज़ान के चाँद के लिये एक आदमी की शहादत अक्सर उ़लमा के नज़दीक काफ़ी है और शव्वाल के चाँद के लिये अइम्म-ए-अरबआ़ के नज़दीक दो आदमियों की शहादत मोतबर है। लेकिन क़ाज़ी शौकानी (रह.) ने इमाम अबू सौर (रह.) के मौक़िफ़ की ताईद की है कि शव्वाल के लिये भी रमज़ान की तरह एक गवाही काफ़ी है।

बाब 6 : चाँद का छोटा या बड़ा होना मोतबर नहीं, अल्लाह दिखाने की ख़ातिर उसको बढ़ा देता है, इसलिये अगर नज़र न आये, तो दिन तीस मुकम्मल किये जायेंगे

باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون

(2529) अबुल बख़्तरी (रह.) से रिवायत है कि हम उम्रा के लिये निकले, जब बत्ने नख़्ला नामी मक़ाम पर पड़ाव किया तो हमने एक-दूसरे को चाँद दिखाया। कुछ लोगों ने कहा, तीसरी रात का चाँद है और कुछ ने कहा, दूसरी रात का है और हमारी मुलाक़ात इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हुई तो हमने पूछा, हमने चाँद देखा, तो कुछ लोगों ने कहा, तीसरी रात का चाँद है और कुछ लोगों ने कहा, दूसरी रात का है। आपने पूछा, तुमने इसे किस रात देखा? तो हमने बताया कि फ़लाँ-फ़लाँ रात को देखा है। इस पर उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह उसे देखने के लिये बढ़ा देता है, दरहक़ीक़त वो उस रात का है जिस रात तुमने उसे देखा है।' मद्दहू देखने के लिये उसकी मुद्दते रूयत बढ़ा दी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ، مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ - قَالَ - تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ . وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . فَقَالَ أَىَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ " .

(2530) अबुल बख़्तरी (रह.) बयान करते हैं कि हमने रमज़ान का चाँद ज़ाते इर्क़ में देखा, तो हमने एक आदमी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास पूछने के लिये भेजा। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ " .

तआला उसे देखने के लिये मुद्दत ज़्यादा देता है (बढ़ा देता है) अगर मत्लअ अब्र आलूद हो जाये तो गिनती (तीस) पूरी करो।'

फ़ायदा : चाँद के छोटे या बड़े होने का ऐतिबार नहीं है। ऐतिबार (देखने) का है जिस दिन देखा जायेगा अगर मत्लअ अब्र आलूद हो वो उसी दिन का होगा।

باب بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

बाब 7 : हुज़ूर (ﷺ) के फ़रमान, 'ईद के दो महीने कम नहीं होते' का मफ़्हूम

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، -رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ " .

(2531) हज़रत अबू बकरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ईद के दो माह रमज़ान और ज़िल्हिज्जा नाक़िस नहीं होते।'

(सहीह बुख़ारी : 1912, 1913, अबू दाऊद : 2323, तिर्मिज़ी : 692, इब्ने माजह : 1659)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ " . فِي حَدِيثِ خَالِدٍ " شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ " .

(2532) हज़रत अबू बकरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ईद के दो माह कम नहीं होते।' ख़ालिद की हदीस में है, ईद के दो माह रमज़ान और ज़िल्हिज्जा हैं।

फ़ायदा : इस हदीस़ का मानी बक़ौल बाज़ (कुछ के हिसाब से) ये है कि रमज़ान और ज़िल्हिज्जा हमेशा तीस-तीस के होते हैं। लेकिन ये मफ़्हूम वाक़िये और मुशाहिदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसलिये ये मानी मुराद नहीं हो सकता और इमाम अहमद के नज़दीक मानी ये है एक ही वक़्त दोनों कम नहीं होते, अगर एक उन्तीस का है तो दूसरा लाज़िमन तीस का होगा लेकिन ये भी मुशाहिदे और वाक़िये के ख़िलाफ़ है दोनों महीने एक ही साल उन्तीस-उन्तीस के हो जाते हैं। सहीह बात इमाम इस्हाक़ राहवे की है कि महीना उन्तीस का हो या तीस का अज्र व स़वाब कम नहीं होता। या ये मानी किया जाये इनके अहकाम दोनों सूरतों में बराबर हैं या ये मक़सूद है कि आम तौर पर दोनों उन्तीस-उन्तीस के नहीं होते। कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है और लिहाज़ उमूम व अक्स़र का होता है।

बाब 8 : रोज़े की शुरूआत तुलूअे फ़ज्र से होगी और इंसान तुलूअे फ़ज्र तक खा-पी सकता है और दूसरे काम भी कर सकता है और उस फ़ज्र की सूरत व कैफ़ियत जिससे अहकाम यानी रोज़े का शुरू होना और सुबह की नमाज़ के वक़्त की शुरूआत होना और इसके अलावा अहकाम का ताल्लुक़ है

(और वो दूसरी फ़ज्र है जिसको सुबह सादिक़ कहते हैं और वो फैल जाती है और अहकाम में पहली फ़ज्र यानी फ़ज्रे काज़िब जो भेड़िये के दुम की तरह लम्बी होती है का अस़र नहीं है)

بَاب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولِ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

(2533) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, 'यहाँ तक कि तुम पर फ़ज्र का सफ़ेद धागा, स्याह धागे से नुमायाँ हो जाये।' (सूरह बक़रह 187) अदी बिन हातिम (रज़ि.) ने आपसे अ़र्ज़

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ

مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ "

किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपने तकिये के नीचे दो रस्सियाँ, एक सफ़ेद रंग की रस्सी और एक स्याह रंग की रस्सी रख लेता हूँ ताकि मैं रात और दिन में इम्तियाज़ कर सकूँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, '(फिर तो) तुम्हारा तकिया बहुत चौड़ा है (जिसके नीचे रात-दिन छिप जाते हैं) इनसे मुराद तो रात की स्याही और दिन की रोशनी है।'

(सहीह बुख़ारी : 1916, 4509, अबू दाऊद : 2349, तिर्मिज़ी : 2971)

फ़ायदा : इस आयते मुबारका का नुज़ूल तो हज़रत अ़दी बिन हातिम (रज़ि.) के इस्लाम लाने से बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि वो तो नौ या दस हिजरी को मुसलमान हुए। जबकि रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हो चुके हैं। इसलिये आयत के नुज़ूल से मुराद उनको सिखाना और तालीम देना है जैसाकि मुस्नद अहमद की रिवायत में इसकी सराहत मौजूद है। लेकिन उन्होंने अ़रबी मुहावरे को ज़ाहिरी मानी पर महमूल किया। इसलिये आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर तुम्हारे तकिये के नीचे या तुम्हारी गुद्दी और गर्दन के नीचे दिन-रात समा गये तो फिर तो तुम्हारा तकिया और गुद्दी बहुत चौड़ी है। फिर उन्हें बता दिया, इससे मुराद, सफ़ेद धागा नहीं बल्कि रात की स्याही और दिन की रोशनी है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ فَيَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَبِينَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مِنَ الْفَجْرِ} فَبَيَّنَ ذَلِكَ .

(2534) हज़रत सहल बिन सअ़द (रज़ि.) बयान करते हैं जब ये आयत उतरी, 'और खाओ-पियो, यहाँ तक तुम पर सफ़ेद धागा स्याह धागे से मुम्ताज़ हो जाये।' तो कुछ लोग एक सफ़ेद धागा और एक स्याह धागा ले लेते और उन दोनों के मुम्ताज़ और नुमायाँ होने तक खाते रहते, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने मिनल फ़ज्र, फ़ज्र का लफ़्ज़ उतारकर मफ़्हूम को वाज़ेह कर दिया।

फ़ायदा : मिनल फ़ज्र के नुज़ूल से पहले कुछ लोगों ने ज़ाहिरी मानी मुराद लिया और कुछ ने जो अ़रबी उस्लूब से पूरी तरह आश्ना थे या ज़हीन व फ़तीन और समझदार थे, पहले ही सहीह मानी लिया।

इसलिये वज़ाहत के लिये मिनल फ़ज्र का लफ़्ज़ उतारा गया। लेकिन कई लोग फिर भी न समझ सके तो आपने अपने क़ौल से इसकी तसरीह और वज़ाहत फ़रमा दी। जिससे साबित होता है कि हदीस के बग़ैर आयाते क़ुरआनी का सहीह मफ़्हूम समझना अजमियों के लिये तो बहुत मुश्किल है।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الأَبْيَضَ فَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

(2535) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, 'और खाते-पीते रहो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिये सफ़ेद धागा स्याह धागे से वाज़ेह हो जाये।' तो जब आदमी रोज़ा रखने का इरादा करता तो वो अपने पैरों से स्याह और सफ़ेद धागा बांध लेता। तो वो उस वक़्त तक खाता-पीता रहता यहाँ तक कि उसके सामने उनका मन्ज़र ज़ाहिर हो जाता, अल्लाह तआला ने बाद में इस आयत का ये टुकड़ा उतारा, 'मिनल फ़ज्र' तो फिर उन्होंने जान लिया कि इससे मुराद रात-दिन है।

(सहीह बुख़ारी : 1917, 4511)

मुफ़रदातुल हदीस : रिअ्युन : मन्ज़र, नज़ारा।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " .

(2536) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बिलाल (रज़ि.) रात को अज़ान देता है, तो खाते-पीते रहो, यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) की अज़ान सुन लो।'

(तिर्मिज़ी : 203, नसाई : 2/10)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " .

(2537) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'बिलाल रात को अज़ान देता है, लिहाज़ा इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) के अज़ान देने तक खाते-पीते रहो।' (यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम की अज़ान सुन लो)।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا .

(2538) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दो मुअज़्ज़िन थे, बिलाल और नाबीना इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.)। इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बिलाल रात को अज़ान देता है, इसलिये इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) की अज़ान तक खाते-पीते रहो।' उन्होंने बताया, इन दोनों में सिर्फ़ इतना फ़र्क़ था कि एक उतरता तो दूसरा चढ़ता।

फ़वाइद : (1) सुबह के लिये नबी (ﷺ) के दो मुस्तक़िल मुअज़्ज़िन थे। एक रात को सुबह से पहले अज़ान देते थे ताकि लोग सुबह की नमाज़ के लिये एहतिमाम और तैयारी करें और जो काफ़ी वक़्त से तहज्जुद पढ़ रहे हैं वो कुछ आराम कर लें या सुस्ता लें और जिन्हें रोज़ा रखना है वो रोज़े का एहतिमाम कर लें, लेकिन ये अज़ान सुबह की नमाज़ के लिये नहीं होती थी, फिर सुबह की नमाज़ के लिये इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) अज़ान देते थे। **(2)** दोनों अज़ानों के दरम्यान ज़्यादा फ़ासला नहीं होता क्योंकि उसका मक़सद ज़्यादा वक़्त का मुतक़ाज़ी न था बिलाल (रज़ि.) अज़ान देने के बाद कुछ देर, सुबह सादिक़ का इन्तिज़ार करते, कुछ दुआ व इस्तिग़फ़ार करते और जब सुबह सादिक़ के तुलूअ का वक़्त क़रीब होता तो बुलंद जगह से उतरकर, इब्ने उम्मे मक्तूम को आगाह करते ताकि वो सुबह की अज़ान देने के लिये तैयार हो जायें तो वो तैयार होकर बुलंद जगह पर अज़ान देने के लिये चढ़ जाते।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(2539) इमाम साहब ने अपने उस्ताद इब्ने नुमेर से यही रिवायत हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान की है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِالإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

(2540) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से उबैदुल्लाह की दोनों सनदों से (उबैदुल्लाह, अन नाफ़ेअ, अन इब्ने उमर, उबैदुल्लाह अन क़ासिम, अन आइशा) इब्ने नुमेर की हदीस़ के हम मानी बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي، عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، - رضى الله عنه -قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ - أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ - مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ " . وَقَالَ " لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا - وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا " . وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ .

(2541) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी को बिलाल (रज़ि.) की अज़ान या निदा सहरी खाने से न रोक दे क्योंकि वो अज़ान या निदा रात को देता है ताकि क़ियाम करने वाले को (सहरी या आराम की तरफ़) लौटा दे (या अगर कोई और ज़रूरत हो तो पूरी करे) और सोने वाले को बेदार कर दे।' और फ़रमाया, 'सुबह इस, इस तरह नहीं है।' आपने हाथ नीचे किया और ऊपर उठाया, यहाँ तक कि इस तरह हो अपनी दोनों उंगलियों को खोल दिया कि वो दायें-बायें फैल जायें।

(सहीह बुख़ारी : 621, 5298, 7247, अबू दाऊद : 2347, नसाई : 2/11, 4/148,128, इब्ने माजह : 1696)

(2542) मुसन्निफ़ अपने एक और उस्ताद से सुलैमान तैमी ही की सनद से इस फ़र्क़ के साथ रिवायत बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'फ़ज्र वो नहीं है जो ऐसी हो।' आपने अपनी उंगलियों को जमा करके बाद में ज़मीन की तरफ़ झुका दिया। 'लेकिन फ़ज्र वो है जो इस तरह हो।' आपने शहादत की उंगली को दूसरी शहादत की उंगली पर रखा और दोनों हाथ फैला दिये। दायें-बायें खोल दिये।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي الأَحْمَرَ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا " . وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ " وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا " . وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ .

(2543) मुसन्निफ़ यही हदीस़ दो और उस्तादों से बयान करते हैं, मुअतमिर की हदीस़ यहाँ ख़त्म हो जाती है कि वो सोने वाले को बेदार करे और क़ियाम करने वाले को सहरी या आराम या और किसी ज़रूरत के लिये लौटा दे और इस्हाक़ बयान करते हैं जरीर की हदीस़ में है, फ़ज्र ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है। यानी फ़ज्र वो है जो चौड़ाई में फैलती है और वो ऊपर लम्बाई में नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ، إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ " يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ " . وَقَالَ إِسْحَاقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ " وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا " . يَعْنِي الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ .

(2544) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने मुहम्मद(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'तुममें से किसी को बिलाल की निदा सहरी से धोखे में मुब्तला न करे और न ये सफ़ेदी यहाँ तक कि चौड़ाई में फैल जाये।'

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ، حَدَّثَنِي وَالِدِي، أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

(अबूदाऊद : 2346, तिर्मिज़ी : 706, नसाई : 4/148)

मुफ़रदातुल हदीस़ : सहूर : सहरी के लिये तैयार करदा खाना। सुहूर सहरी का खाना, खाना।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ - لِعَمُودِ الصُّبْحِ - حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا " .

(2545) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हें बिलाल की अज़ान धोखे में मुब्तला न करे और न ये सफ़ेदी (जो सुबह को सुतून की तरह होती है) यहाँ तक कि वो चौड़ाई में फैल जाये।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا " . وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا .

(2546) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हें सहरी से बिलाल की अज़ान धोखे में मुब्तला न करे और उफ़ुक़ की इस तरह ऊपर को लम्बाई में उठने वाली सफ़ेदी, यहाँ तक कि वो इस तरह चौड़ाई में फैल जाये।' हम्माद ने अपने दोनों हाथों को चौड़ाई में फैलाकर उसकी नक़ल उतारी।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَوَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ، بْنَ جُنْدَبٍ - رضى الله عنه - وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ - حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ " .

(2547) सवादह (रह.) कहते हैं, मैंने समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) से ख़ुत्बा देते हुए नबी(ﷺ) का ये फ़रमान सुना, 'बिलाल की निदा तुम्हें धोखा न दे और न ये सफ़ेदी यहाँ तक कि फ़ज्र ज़ाहिर हो जाये।' या फ़रमाया, 'फ़ज्र फूट पड़े।'

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ، الْقُشَيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ، - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ هَذَا .

(2548) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, फिर मज़्कूरा रिवायत बयान की।

फ़ायदा : सहरी खाने का वक़्त सुबह सादिक़ तक होता है। जो मश्रिक़ में दायें-बायें रोशन होती है। इससे पहले सुबहे काज़िब होती है जिसमें रोशनी मश्रिक़ में भेड़िये की दुम की तरह ऊपर को लम्बाई में होती है।

باب فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ

बाब 9 : सहरी खाने की फ़ज़ीलत और उसके इस्तिहबाब की ताकीद और बेहतर ये है सहरी आख़िरी वक़्त में खाई जाये और इफ़्तार ग़ुरूब होते ही किया जाये

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه ح .وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً " .

(2549) इमाम साहब अलग-अलग सनदों से हज़रत अनस (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाना बाइसे बरकत बनता है।'

(तिर्मिज़ी : 708, नसाई : 4/141)

फ़ायदा : इस्लाम ऐतिदाल व तवस्सुत और मियाना रवी का नाम है। इसलिये आपने सहरी खाने की तरग़ीब दी और ये भी कि सहरी आख़िरी वक़्त में की जाये और इफ़्तार ग़ुरूब के साथ ही कर लिया

जाये, ताकि भूखा-प्यासा रहने का वक़्त बिला ज़रूरत तवील न हो और सहरी खाने से इंसान की कुव्वते कार और तवानाई में ज़्यादा कमज़ोरी पैदा न हो, सहरी के लिये उठे ताकि उसे कुछ न कुछ यादे इलाही का मौक़ा भी मिल सके और सुबह की नमाज़ में भी शरीक हो सके। इसके बरख़िलाफ़ अगर सहरी न खाई जायेगी तो सहरख़ेज़ी न हो सकेगी अल्लाह तआला की याद से भी इंसान महरूम रहेगा और खाने-पीने से महरूमी की बिना पर जल्द ही भूख-प्यास सतायेगी और इंसान की कुव्वते कार और ताक़ते अमल मुतास्सिर (प्रभावित) होगी। भूख व प्यास का वक़्फ़ा लम्बा होने की वजह से रोज़ेदार तकलीफ़ में मुब्तला होगा। इससे क़रीब-क़रीब हालत उस सूरत में होगी जब इंसान सहरी बहुत जल्द खाकर सो जायेगा, नीज़ इस सूरत में नमाज़ बाजमाअत से महरूमी का भी अन्देशा है। इसलिये आपने फ़रमाया, 'सहरी खाना बाइसे बरकत है यानी इससे महरूम रहना बरकत से महरूमी का बाइस है।

(2550) हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमारे और अहले किताब के रोज़े में वजहे इम्तियाज़ (फ़र्क़) सहरी खाना है।'

(अबू दाऊद : 2343, तिर्मिज़ी : 709, नसाई : 4/146)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ " .

(2551) मुसन्निफ़ यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से मूसा बिन अली की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىٍّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

फ़ायदा : इस्लाम इबादात में अपने तशख़्ख़ुस (पहचान) और इम्तियाज़ को क़ायम रखता है, चूंकि अहले किताब सहरी में नहीं खाते, इसलिये आपने सहरी खाने की तरग़ीब दी है।

(2552) हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सहरी खाई, फिर हम नमाज़ के लिये खड़े हो गये। रावी ने पूछा, सहरी और क़ियाम में किस क़द्र वक़्फ़ा था? उन्होंने जवाब दिया, पचास

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، - رضى الله عنه - قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ

قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً .

आयात की तिलावत के बक़द्र।

(सहीह बुख़ारी : 575, 1921, तिर्मिज़ी : 703-704, नसाई : 4/143, इब्ने माजह : 1694)

फ़ायदा : रमज़ान में अज़ान और नमाज़ के दरम्यान ज़्यादा फ़ासला होना चाहिये और सहरी से अज़ान से पहले फ़ारिग़ होना चाहिये।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

(2553) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से क़तादा ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ، بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ " .

(2554) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोग हमेशा ख़ैर व ख़ूबी से मुत्तसिफ़ रहेंगे जब तक वो रोज़ा खोलने में जल्दी करेंगे।'

(इब्ने माजह : 1697)

फ़ायदा : इंसान के लिये दुनियवी और उख़रवी बेहतरी और भलाई का राज़ इस्लाम के उसूल व ज़वाबित का एहतिमाम और पाबंदी करने में है और नाकामी व नामुरादी उनके बारे में इफ़रात व तफ़रीत इख़्तियार करने में है। जो इंसान सहरी खाने में ताख़ीर करता है और रोज़ा खोलने में जल्दी करता है, वक़्त होने के बाद गुलू और इफ़रात से काम लेते हुए ताख़ीर रवा नहीं रखता तो वो इस्लामी उसूलों की पासदारी करता है, ख़ुद शारेअ नहीं बनता। इसलिये दुनिया व आख़िरत की भलाइयों की राह पर गामज़न रहता है और जाद-ए-ऐतिदाल से महरूम नहीं रहता।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(2555) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा बाला हदीस बयान करते हैं।

(तिर्मिज़ी : 699)

(2556) अबू अतिय्या (रह.) बयान करते हैं कि मैं और मसरूक़ (रह.) हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और हमने पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुहम्मद(ﷺ) के साथियों में से दो आदमी हैं, उनमें से एक रोज़ा छोड़ने में जल्दी करता है और जल्द नमाज़ पढ़ता है और दूसरा ताख़ीर से रोज़ा खोलता है और ताख़ीर से नमाज़ पढ़ता है? उन्होंने पूछा, उन दोनों में से कौन जल्द रोज़ा खोलकर जल्द नमाज़ पढ़ता है? हमने जवाब दिया, अब्दुल्लाह (यानी इब्ने मसऊद रज़ि.) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'रसूलुल्लाह(ﷺ) ऐसा ही किया करते थे। अबू कुरैब की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि दूसरा सहाबी अबू मूसा (रज़ि.) हैं।

(अबू दाऊद : 2354, तिर्मिज़ी : 702, नसाई : 4/143, 144, 145)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ . قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ . قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى .

फ़ायदा : हमारे लिये रसूलुल्लाह(ﷺ) ही का रवैया और लायहा अमल उस्व-ए-हसना है और इब्ने मसऊद (रज़ि.) भी मुसल्लम फ़क़ीह हैं जो हर हैसियत से हुज़ूर(ﷺ) की इक़्तिदा और पैरवी फ़रमाते थे जैसाकि उनके फ़ज़ाइल में आया है।

(2557) अबू अतिय्या (रह.) बयान करते हैं कि मैं और मसरूक़ (रह.) हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो मसरूक़ (रह.) ने उनसे अर्ज़ किया कि मुहम्मद(ﷺ) के साथियों में से दो आदमी हैं, दोनों ही ख़ैर और भलाई के काम से कोताही नहीं बरतते। उनमें से एक मग़्रिब की नमाज़ और रोज़ा खोलने में जल्दी करता है और दूसरा मग़्रिब की नमाज़ और रोज़ा खोलने में

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ

وَالإِفْطَارَ . فَقَالَتْ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ . فَقَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ .

ताख़ीर करता है। तो उन्होंने पूछा, मग़्रिब की नमाज़ और इफ़्तार में जल्दी कौन करता है? मसरूक़ (रह.) ने कहा, अब्दुल्लाह यानी इब्ने मसऊद (रज़ि.)। तो आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसा ही किया करते थे।

मुफ़रदातुल हदीस़ : ला यालू अनिल ख़ैर : ख़ैर के सिलसिले में किसी क़िस्म की कोताही नहीं करता।

باب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ

बाब 10 : रोज़े के पूरा होने का वक़्त और दिन का इख़ितताम

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ - وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " . لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ " فَقَدْ " .

(2558) हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब रात आ जाये और दिन चला जाये और सूरज गुरूब हो जाये तो रोज़ेदार के इफ़्तार का वक़्त हो गया।' इब्ने नुमेर ने फ़क़द का लफ़्ज़ बयान नहीं किया यानी सिर्फ़ अफ़तर कहा।

(सहीह बुख़ारी : 1954, अबू दाऊद : 2351, तिर्मिज़ी : 698)

फ़ायदा : जब मश्रिक़ में अन्धेरा हो जाये और मग़्रिब में रोशनी ख़त्म हो जाये और सूरज गुरूब हो जाये तो ये इस बात की अलामत है कि रोज़े का वक़्त पूरा हो गया और अब शरई तौर पर रोज़े का इख़ितताम हो गया। क्योंकि दिन जिसमें रोज़ा रखना होता है इख़ितताम को पहुँच गया है इसलिये अब रोज़ा जारी रखने का वक़्त नहीं रहा। इसलिये रोज़ेदार को रोज़ा खोल देना चाहिये अपनी तरफ़ से गुलू और इफ़रात का शिकार होकर बिला ज़रूरत और बिला वजह रोज़ा बरक़रार नहीं रखना चाहिये जबकि उसका वक़्त ही बाक़ी नहीं है।

(2559) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि हम माहे रमज़ान के एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आपने फ़रमाया, 'ऐ फ़लाँ! सवारी से उतरकर हमारे लिये सत्तू भिगो या घोल।' वो उतरकर सत्तू तैयार करके आपके पास ले आया, तो आपने उनको पी लिया। फिर आपने हाथ के इशारे से बताया, 'जब सूरज इधर डूब जाये और इस सिम्त (मश्रिक़) से रात आ जाये तो रोज़ेदार वक़्ते इफ़्तार में दाख़िल हो गया।'

(सहीह बुख़ारी : 1941, 1955, 1956, 1958, 5297, अबू दाऊद : 2352)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ " يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا . قَالَ " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " . قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ " إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " .

(2560) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। तो जब सूरज ग़ुरूब हो गया, आपने एक आदमी से कहा, 'उतरकर हमारे लिये सत्तू तैयार कर।' तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ऐ काश आप शाम करें। आपने फ़रमाया, 'उतरकर हमारे लिये सत्तू घोल।' उसने कहा, अभी हमारे सर पर दिन बाक़ी है। फिर वो उतरा और आपके लिये सत्तू भिगोये। तो आपने पिये फिर आपने फ़रमाया, 'जब तुम देखो, रात इधर से आ गई है' और आपने अपने हाथ से मश्रिक़ की तरफ़ इशारा किया 'तो रोज़ेदार इफ़्तार के वक़्त में दाख़िल हो गया।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ . قَالَ " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " . قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا . فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " .

फ़ायदा : चूंकि ग़ुरूबे आफ़ताब (सूरज डूबने) के बाद शफ़क़ की सुर्ख़ी और रोशनी के कुछ आसार

बाक़ी होते हैं इसलिये उस सहाबी ने ये समझा कि इफ़्तार का वक़्त उन आसार के ख़त्म होने के बाद होगा क्योंकि ये उसके ख़्याल में दिन का हिस्सा है इसलिये उसने ख़्याल किया शायद आपकी नज़र उन आसार पर नहीं है। इसलिये आपको आगाह करने की ख़ातिर अर्ज़ किया, अभी दिन बाक़ी है शाम नहीं हुई। तो आपने सब साथियों की आगाही के लिये फ़रमाया कि रोज़ा खोलने का ताल्लुक़ और मदार गुरूबे आफ़ताब पर है क्योंकि इसी से दिन इन्तिहा को पहुँच जाता है। लिहाज़ा, रोज़ेदार को गुरूबे शम्स (सूरज के डूबने) के साथ ही रोज़ा खोल देना चाहिये।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضى الله عنه - يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ "يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا" . مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ .

(2561) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चले (सफ़र पर) जबकि आप रोज़ेदार थे। तो जब सूरज गुरूब हो गया आपने फ़रमाया, 'ऐ फ़लाँ! उतरकर हमारे लिये सत्तू तैयार कर।' इब्ने मुस्हिर और अ़ब्बाद बिन अ़व्वाम की तरह रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، ح . وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلاَ قَوْلُهُ " وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا " . إِلاَّ فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ .

(2562) इमाम साहब अपने चार और उस्तादों से इब्ने मुस्हिर, अ़ब्बाद और अ़ब्दुल वाहिद (रह.) के हममानी हदीस़ बयान करते हैं और उनमें से किसी की रिवायत में माहे रमज़ान का ज़िक्र नहीं है और न ही हिशाम के सिवा किसी की हदीस़ में ये है और 'इधर से रात हो जाये।'

बाब 11 : रोज़े में विसाल से मुमानिअत (मनाही)

باب النَّهْىِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ . قَالَ " إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى " .

(2563) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने विसाल से मना फ़रमाया। सहाबा ने अर्ज किया आप विसाल करते हैं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं तुम्हारी मिस्ल (तरह) नहीं हूँ, मुझे खिलाया-पिलाया जाता है।'

(सहीह बुख़ारी : 1962, अबू दाऊद : 2360)

मुफ़रदातुल हदीस : विसाल : खाये पिये बग़ैर यानी बिला इफ़्तार कई दिन तक मुसलसल रोज़ा रखना।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ . قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ " إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى "

(2564) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान में विसाल किया, तो लोगों ने भी शुरू कर दिया। तो आपने उनको मना फ़रमाया। आपसे अर्ज़ किया गया, आप भी तो विसाल करते हैं? आपने फ़रमाया, 'मैं तुम्हारी मिस्ल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खिलाया-पिलाया जाता है।'

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ .

(2565) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें फ़ी रमज़ान का लफ़्ज़ नहीं है।

(2566) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बिला इफ़्तार मुसलसल रोज़े रखने से मना फ़रमाया। तो एक मुसलमान आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप भी तो विसाल करते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कौन मेरी तरह है? मैं इस हाल में रात गुज़ारता हूँ कि मुझे मेरा रब खिलाता-पिलाता है।' तो जब लोगों ने विसाल पर इसरार किया (लोग विसाल से न रुके) तो आपने उनके साथ एक दिन, फिर दूसरे दिन बिला इफ़्तार व सहरी रोज़ा रखा। फिर उन्होंने चाँद देख लिया तो आपने फ़रमाया, 'अगर चाँद लेट होता तो मैं तुम्हारे साथ और विसाल करता।' गोया जब वो विसाल से बाज़ न आये तो आपने उन्हें बतौरे इबरत व सज़ा ये फ़रमाया।

(अबू दाऊद : 6851)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي " . فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ " لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ " . كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا .

(2567) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'विसाल से बचो।' सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप भी विसाल करते हैं? आपने फ़रमाया, 'तुम इस मसले व मामले में मेरे जैसे नहीं हो, मैं तो इस हाल में रात गुज़ारता हूँ कि मुझे मेरा रब खिलाता-पिलाता है, तुम उन्हीं आ़माल की ज़िम्मेदारी क़ुबूल करो, जो तुम्हारे बस और ताक़त में हों।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي، زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ " . قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ " .

(2568) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से इस फ़र्क़ से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'उस काम की ज़िम्मेदारी कुबूल करो जिसकी तुममें ताक़त हो।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ " .

(2569) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने विसाल से रोका जैसाकि उमारह अबू ज़रआ से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ .

(2570) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान में नमाज़ पढ़ते थे। मैं भी आकर आपके पहलू में खड़ा हो गया। एक और आदमी आया वो भी खड़ा हो गया, यहाँ तक कि हम एक जमाअत बन गये। जब आप (ﷺ) ने महसूस किया कि मैं भी आपके पीछे हूँ, तो आपने नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ शुरू कर दी। फिर आप अपने घर चले गये। तो ऐसी नमाज़ पढ़ी जो हमारे पास नहीं पढ़ी थी। जब सुबह हुई, तो हमने आपसे पूछा, क्या आपको रात हमारा पता चल गया था? आपने फ़रमाया, 'हाँ! उसी चीज़ ने तो मुझे इस काम पर आमादा किया, जो मैंने किया।' हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने महीने के आख़िरी दिनों में विसाल करना शुरू कर दिया तो आपके

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلاَةً لاَ يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا . قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ " نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ". قَالَ فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادَّ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ"

साथियों में से भी कुछ लोगों ने विसाल करना शुरू कर दिया। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोगों ने विसाल करना क्यों शुरू कर दिया है! तुम मेरे जैसे नहीं हो, हाँ अल्लाह की क़सम! अगर ये माह लम्बा होता तो मैं इस अन्दाज़ से विसाल करता कि तशद्दुद पसंद, अपने तशद्दुद और इन्तिहा पसंदी से बाज़ आ जाते।'

(सहीह बुख़ारी : 7241)

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، - رضى الله عنه - قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي - أَوْ قَالَ - إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي " .

(2571) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने माहे रमज़ान के शुरू में विसाल किया, तो कुछ मुसलमानों ने भी विसाल करना शुरू कर दिया। आप तक भी इत्तिलाअ पहुँच गई। तो आपने फ़रमाया, 'अगर हमारा माह तवील कर दिया जाता तो हम इस अन्दाज़ से विसाल करते कि इन्तिहा पसंद अपनी इन्तिहा पसंदी से रुक जाये। तुम मेरे जैसे नहीं हो।' या फ़रमाया, 'मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ क्योंकि मैं दिन इस हाल में गुज़ारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अत्तअम्मुक़ : अमक़ व गहराई में उतरना, मामले में मुबाल्गा, शिद्दत और इन्तिहा पसंदी इख़्तियार करना। हद से आगे बढ़ना और अव्वले शहरे रमज़ान रावी का वहम है क्योंकि ये बाद वाले अल्फ़ाज़ से मुनासिबत और मुताबिक़त नहीं रखता और मज़्कूरा बाला रिवायत के भी मुख़ालिफ़ है। इसलिये यहाँ भी फ़ी आख़िरि शहरि रमज़ान होना चाहिये जैसाकि कुछ नुस्ख़ों में है। **(2) अज़ल्लु :** मैं दिन गुज़ारता हूँ। अबीतु : मैं रात गुज़ारता हूँ। **(3) तमादलना, मुद्दलना :** लम्बा हो जाता दिन बढ़ जाते।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ، - قَالَ إِسْحَاقُ

(2572) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) ने उम्मत के लोगों पर रहमत व शफ़क़त की ख़ातिर उन्हें विसाल से

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، -عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ . فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ . قَالَ " إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي " .

रोका, तो उन्होंने कहा, आप भी तो विसाल करते हैं। आपने फ़रमाया, 'मैं तुम्हारी हैयत व कैफ़ियत में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरा रब खिलाता-पिलाता है।'

(सहीह बुख़ारी : 1964)

फ़ायदा : (1) आप चूंकि उम्मत के लिये उस्व-ए-हसना हैं, इसलिये सहाबा किराम मशक़्क़त व कुल्फ़त बर्दाश्त करके भी आपका रवैया और तरीक़ा जहाँ तक मुम्किन होता इख़्तियार करने की कोशिश फ़रमाते। इसी के मुताबिक़ आपके विसाल करने को मालूम करके विसाल करने लगे, लेकिन चूंकि विसाल में बग़ैर इफ़्तार और सहरी के मुसलसल रोज़े रखे जाते हैं और दिनों की तरह रातें भी बिला खाये-पिये गुज़रती हैं। इसलिये ऐसे रोज़े तकलीफ़ और मशक़्क़त का बाइस होने की बिना पर ज़ुअ्फ़ और कमज़ोरी भी पैदा करते हैं। इसलिये ये ख़तरा ही नहीं आम लोगों के ऐतिबार से वाक़िया है कि इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि दूसरे फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को अदा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिये आपने उम्मत को इस तरह रोज़े रखने से मना फ़रमा दिया और आपका मामला इसके बरअक्स है। जैसाकि आगे वज़ाहत आ रही है। **(2)** अय्युकुम मिस्ली : तुममें से कौन मेरी तरह है। कुछ हज़रात ने इस हदीस से कशीद किया है कि किसी वुजूदी मानी में कायनात का कोई शख़्स आपकी मिस्ल नहीं है, इसलिये इन्नमा अना बशरुम् मिस्लुकुम जो वुजूदी मानी है कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, का मानी किया है कि मैं भी तुम्हारी तरह माबूद नहीं हूँ। हालांकि इस हदीस का मानी बिल्कुल वाज़ेह है कि इन्नकुम लस्तुम फ़ी ज़ालिक मिस्ली कि तुम इस विसाल के मामले में मेरी मिस्ल (तरह) नहीं। क्योंकि मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता है और तुम्हारे साथ इसका ये मामला नहीं है वरना आप भी आम इंसानों की तरह खाते-पीते थे, सोते-जागते थे, बीवी-बच्चों वाले थे, बोल का शिकार हो जाते थे। फिर इससे इम्तिनाअे नज़ीर का मसला निकाला है कि अल्लाह तआला के लिये आपकी नज़ीर पैदा करना महाल बिज़्ज़ात है हालांकि जो हज़रात ये कहते हैं कि अल्लाह तआला आप जैसे लोग पैदा कर सकता है उनका मक़सद सिर्फ़ अल्लाह तआला की क़ुदरत की वुस्अत व कमाल को साबित करना है कि आप जैसा साहिबे कमाल व जमाल पैदा करना अल्लाह तआला के लिये नामुम्किन नहीं है, मुम्किन है। इसका ये मक़सद नहीं है कि अगर वो पैदा कर सकता है तो इसको आपकी तरह ख़ातिमुल अम्बिया भी बनाता, तो इस तरह ख़ातिमुल अम्बिया एक होता। दूसरा ख़ातिमुल अम्बिया न होता। लिहाज़ा दोनों का बराबर होना मुम्तनअ और महाल बिज़्ज़ात है। लिहाज़ा

आपकी नज़ीर मुम्तनअ बिज़्ज़ात है। आप जैसे पैदा करने का लाज़िमी नतीजा ख़ातिमुल अम्बिया बनाना नहीं है। मक़सद सिर्फ़ इंसानी कमालात व ख़ूबियाँ पैदा करना है वगरना तो कोई एक इंसान दूसरे की नज़ीर व मसील नहीं बन सकता, हर एक में कोई न कोई वजहे इम्तियाज़ मौजूद है। तो फिर आपकी नज़ीर के इम्तिनाअ की बहस की क्या ज़रूरत रही। (3) इन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्क़ीनी मैं रात इस तरह गुज़ाता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता है। इन्नी अज़ल्लु युतइमुनी रब्बी व यस्क़ीनी मेरा दिन इस तरह गुज़रता है कि मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता है। अब पहले फ़रमान की रू से ये इश्काल पैदा होता है अगर आप खाते-पीते थे, तो फिर आपका विसाल कैसा हुआ, दूसरे फ़रमान पर ये इश्काल है कि दिन को तो खाना-पीना जाइज़ नहीं है, नीज़ दिन को खाने-पीने वाला तो रोज़ेदार ही नहीं हो सकता। तो आप रोज़ेदार और विसाल करने वाले कैसे बन गये। इसका जवाब दो तरह दिया जा सकता है। (1) आपका खाना-पीना विसाल या रोज़े के मुनाफ़ी तब होता, अगर आपका तआम मुअताद यानी दुनियवी होता या आप मुअताद तरीक़े के मुताबिक़ ज़ाहिरी तौर पर मुँह खाते या ख़ुद खाते। न ये खाना मुअताद था और न तरीक़े अकल मुअताद था और न आपने ख़ुद खाया। (2) जुम्हूर के नज़दीक खाना-पीना मजाज़ी मानी में है कि खाये-पिये बग़ैर, भूख-प्यास के बावजूद आपके क़ल्ब व जिगर और रूह को वो ताक़त और तवानाई मुयस्सर रहती थी जिससे आपकी कुव्वतेकार और सेहत मुतास्सिर नहीं होती थी या बक़ौले बाज़ सौमे विसाल की सूरत में आपको खाये-पिये बग़ैर सैरी और सैराबी हासिल हो जाती थी और आपकी भूख-प्यास मिट जाती थी। इस तरह जुम्हूर के नज़दीक कुव्वत व तवानाई भूख-प्यास की मौजूदगी में हासिल होती थी और दूसरे क़ौल के मुताबिक़, कुव्वत व तवानाई, भूख-प्यास करके सैरी और सैराबी से हासिल होती थी, लेकिन ये विसाल के साथ ख़ास है। आम हालात में आपको भूख व प्यास महसूस होती थी और आप पेट पर भूख की बिना पर पत्थर भी बांधते थे और बक़ौल इमाम नववी (रह.) ये ग़ैर माद्दी और रूहानी ग़िज़ा थी कि अल्लाह तआला की मुहब्बत और उसकी तरफ़ ध्यान व तवज्जह की बिना पर खाने-पीने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। गोया रोज़े की हालत में आप पर इस क़द्र अन्वार व तजल्लियाते इलाहिया का फ़ैज़ान होता, जिससे लज़्ज़ते मुनाजात और आँखों की ठण्डक हासिल होती, जो ग़िज़ाए क़ल्बी बनती, जिसकी बिना पर माद्दी ग़िज़ा की ज़रूरत न रहती। एक शाइर कहता है, 'उसे तेरे ज़िक्र व याद की बातें, मशरूब और ज़ाद से मशग़ूल और ग़ाफ़िल कर देती हैं।'

दूसरा कहता है, 'उसके लिये तेरी याद ही बेहतरीन मशरूब है जिसके मुक़ाबले हर क़िस्म का मशरूब सिर्फ़ सराब और बेहक़ीक़त है।'

(4) मुमानिअते विसाल की रिवायात का असल मक़सद और मन्शा ये है कि बन्दे मशक़्क़त और तकलीफ़ में मुब्तला न हों इसलिये आपने सहर तक विसाल की इजाज़त दी और सहाबा को दो दिन विसाल भी कराया, दो टूक अन्दाज़ में मना नहीं फ़रमाया, बल्कि अपने विसाल की इल्लत व सबब

का इज़हार फ़रमाया। इसलिये अगर कोई अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) जैसा बाहिम्मत और हौसलामन्द इंसान इन्फ़िरादी और शख़्सी तौर पर ऐसा मौजूद हो, जो अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायगी के साथ-साथ विसाल भी कर सकता हो तो वो अपना शौक़ पूरा करके देख ले। इसलिये इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, कुछ शवाफ़ेअ और मवालिक और अहनाफ़ के नज़दीक विसाल हराम नहीं है मक्रूहे तन्ज़ीही है अगरचे अक्सर अइम्मा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक हराम है।

बाब 12 : रोज़े की हालत में बोसा देना हराम नहीं है जबकि ये शहवत अंगेज़ी का बाइस न बने

باب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

(2573) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों में से किसी का रोज़े की हालत में बोसा ले लेते थे फिर वो हँस पड़तीं।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ . ثُمَّ تَضْحَكُ .

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) की हँसी का सबब ये है कि वो इशारतन इस बात का इज़हार कर दें कि मैं ख़ुद साहिबे वाक़िया हूँ और और चश्मदीद गवाह हूँ या वो वक़्त याद करके कि कभी ऐसा दौर भी था और हुज़ूर का इस क़द्र प्यार और मुहब्बत हासिल था, हँस देती थीं या इसलिये हँस पड़तीं कि मसला बताने की ख़ातिर ऐसी बातों का भी इज़हार करना पड़ता है, जिनका इज़हार आम हालात में पसंदीदा नहीं है। इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ और इमाम दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक रोज़ेदार के लिये बिला तख़्सीस (हर एक के लिये) बोसा लेना जाइज़ है। इमाम मालिक के नज़दीक हर एक के लिये मक्रूह है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक जवान के लिये मक्रूह है और बूढ़े के लिये जाइज़ है। इमाम मालिक का एक क़ौल यही है और एक क़ौल ये है कि नफ़ल में जाइज़ है, फ़र्ज़ रोज़े में जाइज़ नहीं है, अगर इन्ज़ाल हो जाये तो बिल्इत्तिफ़ाक़ रोज़ा फ़ासिद हो-जायेगा। मज़ी की सूरत में अहनाफ़ व शवाफ़ेअ के नज़दीक रोज़ा हो जायेगा और इमाम मालिक के नज़दीक रोज़ा मुकम्मल करना होगा और क़ज़ाई देनी पड़ेगी, इमाम अहमद के नज़दीक इफ़्तार करके क़ज़ाई होगी। लेकिन सहीह बात ये है कि जवान हो या बूढ़ा, रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ़ल, अगर अपनी ख़्वाहिशात और जज़्बात पर कण्ट्रोल कर सकता है तो जाइज़ है अगर बेक़ाबू होने का अन्देशा है तो जाइज़ नहीं है।

(2574) सुफ़ियान (रह.) बयान करते हैं, मैंने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से पूछा, क्या तूने अपने बाप से हज़रत आइशा (रज़ि.) की ये हदीस़ सुनी है कि नबी (ﷺ) रोज़े की हालत में उनका बोसा ले लिया करते थे? वो कुछ देर ख़ामोश रहे, फिर कहा, हाँ।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ .

(2575) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े की हालत में मेरा बोसा ले लेते और तुममें से कौन है जो अपनी ख़्वाहिशात व ज़रूरत या मख़्सूस अज़्व पर इस तरह क़ाबू पा सके, जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी ज़रूरत व हाजत और मख़्सूस अज़्व (जज़्बात) पर कण्टोल रखते थे।

(इब्ने माजह : 1684)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

मुफ़रदातुल हदीस़ : अरब्ब : ज़रूरत व हाजत और ख़्वाहिशे नफ़्स। इरबुन : ज़रूरत व हाजत या मख़्सूस अज़्व।

(2576) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा ले लेते और रोज़े की हालत में बीवी को अपने साथ चिमटा लेते। लेकिन आप (ﷺ) अपने अज़्व (जज़्बात) पर तुम सबसे ज़्यादा क़ाबू रखने वाले थे (तुम जज़्बात से बेक़ाबू होकर, इन्तिहा तक पहुँच सकते हो)।

(अबू दाऊद : 2382, तिर्मिज़ी : 729)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها ح . وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها -

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ .

(2577) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा ले लेते और आप, तुम सबसे ज़्यादा अपनी ख़्वाहिश पर कण्टोल करने वाले थे।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ .

(2578) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रोज़े की हालत में बीवी से जिस्म मिला लेते थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ

(2579) अस्वद (रह.) बयान करते हैं कि मैं और मसरूक़ (रह.) हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास गये और उनसे पूछा, क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) रोज़े की हालत में बीवी को चिमटा लेते थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। लेकिन आप, तुम सबसे अपनी ख़्वाहिश पर ज़्यादा क़ाबू रखते थे या सबसे ज़्यादा जज़्बात पर कण्टोल रखने वालों में से थे। अबू आसिम ने शक का इज़हार किया है।

(इब्ने माजह : 1678)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، إِلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقُلْنَا لَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لإِرْبِهِ . شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ .

(2580) अस्वद और मसरूक़ (रह.) दोनों उम्मुल मोमिनीन के पास सवाल करने के लिये गये, फिर मज़्कूरा रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلاَنِهَا . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(2581) हज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) ने अपने भान्जे उरवह बिन ज़ुबैर को बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े की हालत में उनका बोसा ले लिया करते थे (भान्जे को अपनी बीवी की तरफ़ राग़िब करने की ज़रूरत थी)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

(2582) इमाम साहब ने दूसरे उस्ताद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(2583) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) माहे रमज़ान में (रोज़े की हालत में) बोसा ले लिया करते थे।

(अबू दाऊद : 2383, तिर्मिज़ी : 727, इब्ने माजह : 1683)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ .

(2584) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान में रोज़े की हालत में बोसा ले लिया करते थे।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ، بْنُ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ .

(2585) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा ले लिया करते थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

(2586) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा ले लिया करते थे।

(इब्ने माजह : 1685)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

(2587) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) की यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(2588) हज़रत उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, क्या रोज़ेदार बोसा ले सकता है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे जवाब दिया, 'इस (उम्मे सलमा) से पूछ ले।' तो हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसा करते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला ने आपके तो अगले-पिछले गुनाह माफ़ कर चुका है (इसलिये आपके लिये जाइज़ हो सकता है)? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'हाँ अल्लाह की क़सम! मैं तुम सबसे ज़्यादा उसकी हुदूद की पाबंदी करने वाला और तुम सबसे ज़्यादा उससे डरने वाला हूँ।'

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَلْ هَذِهِ " . لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ " .

फ़ायदा : हज़रत उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ) अगर आप बोसो-किनार कर लेते हैं तो आपके लिये ये मुम्किन है क्योंकि आपके तो अल्लाह तआला ने अगले-पिछले गुनाह माफ़ कर दिये हैं। इसमें लफ़्ज़ ज़न्ब क़ाबिले ग़ौर है। क्योंकि इसका इत्लाक़ किसी की शान से फ़रोतर या ख़िलाफ़े औला से काम लेकर बड़े से बड़े जुर्म व गुनाह पर हो जाता है इसलिये अइम्म-ए-तफ़्सीर व हदीस ने इसके अलग-अलग मआनी बयान किये हैं। बक़ौल अल्लामा आलूसी यहाँ गुनाह का मानी नहीं है बल्कि ज़न्ब उन कामों को कहा गया है जिनको आप अपनी शान से फ़रोतर ख़्याल करते थे और अल्लामा अबू मसऊद के नज़दीक कई बार आप तब्लीग़ और तशरीअ के पेशे नज़र, अफ़ज़ल और औला काम तर्क कर देते, ताकि मुसलमानों को पता चल सके, इन कामों का तर्क करना भी जाइज़ है या कई बार आपने किसी काम से रोका और फिर उसको कर भी लिया ताकि पता चल सके ये काम मकरूहे तन्ज़ीही है, हराम नहीं। आपने इसको भी ज़न्ब ख़्याल कर लिया और बक़ौल अल्लामा अैनी इसका ताल्लुक़ हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन से है और बक़ौल अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन, तमाम अम्बिया (अलै.) मग़फ़ूर लहुम हैं। लेकिन उनकी मग़्फ़िरत का दुनिया में आपकी तरह ऐलान नहीं हुआ, इसी वजह से मैदाने हश्र में ऊलुल अज़्म रसूल भी शफ़ाअते कुबरा से नफ़्सी-नफ़्सी कहकर

गुरेज़ करेंगे और आप बग़ैर किसी फ़िक्र व तश्वीश और झिझक के इत्मीनान और शरहे सद्र से शफ़ाअत फ़रमायेंगे और बक़ौल ताजुद्दीन सुबकी ये आपकी इज़्ज़त अफज़ाई के लिये फ़रमाया गया है और क़ाज़ी सुलैमान मन्सूरपुरी ने रहमतुल्लिल् आलमीन जिल्द 3 में ख़ुसूसियत 12 के तहत बड़ी तफ़्सील से ये बयान किया है कि यहाँ ज़न्ब का मानी इल्ज़ाम है जैसाकि क़ुरआन मजीद में मूसा (अलै.) का क़ौल नक़ल किया गया है, व लहुम् अलय्य ज़ुन्बुन फ़अख़ाफ़ु अंय्यक़्तुलून उनका मेरे ज़िम्मे इल्ज़ाम है, इसलिये मैं डरता हूँ कि वो मुझे क़त्ल करेंगे। लेकिन अगर अलग-अलग अहादीस़ का सियाक़ व सबाक़ सामने रखा जाये तो मालूम होता है सहाबा किराम ये समझते कि आप अगर ख़िलाफ़े औला या बज़ाहिर नामुनासिब काम कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत आइशा (रज़ि.) की एक हदीस़ है कि हुज़ूर सहाबा किराम को ऐसे आमाल का हुक्म देते जिसमें ज़्यादा मशक़्क़त व कुल्फ़त न होती, तो वो अर्ज़ करते, इन्ना लना कहैअतिक हमारा मामला आप जैसा नहीं है क्योंकि आपके अगले और पिछले ज़न्ब माफ़ हो चुके हैं (इसलिये आपके लिये आसान और कम इबादत भी काफ़ी है) तो आपके चेहरे पर नाराज़ी के आसार नुमायाँ हो जाते और फ़रमाते मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करने वाला हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसका इल्म रखता हूँ इसलिये मेरे अमल तुम सबसे बेहतर और आला होना चाहिये। इसी तरह उमर बिन अबी सलमा की मज़्कूरा बाला रिवायत है कि अगर आप बोसो-किनार कर लें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपके अगले और पिछले गुनाह (ख़िलाफ़े औला और आपकी शान से फ़रोतर) माफ़ हो चुके हैं। इस तरह आगे हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत आ रही है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं कई बार नमाज़ के वक़्त जुन्बी होता हूँ, तो क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ। आपने फ़रमाया, 'मैं ऐसी सूरते हाल में रोज़ा रख लेता हूँ।' तो उसने कहा, लस्त मिस़्लुना क्योंकि ग़फ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक वमा तअख़्ख़र तो आपने फ़रमाया, 'मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को जानता हूँ जिनसे मुझे बचना है।' इस तरह इस सहाबी ने जनाबत की हालत में रोज़ा रखने को मुनासिब न समझा, लेकिन हुज़ूर (ﷺ) के लिये उसी को जाइज़ ख़्याल किया। इसी तरह एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस़ है आप कई बार इस क़द्र लम्बा क़ियाम फ़रमाते कि आपके क़दमे मुबारक सूज जाते, तो आपसे अर्ज़ किया गया, आपको इस क़द्र मशक़्क़त की क्या ज़रूरत है? वक़द ग़फ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक वमा तअख़्ख़र तो आपने फ़रमाया, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा क्या इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर उसका शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि ज़न्ब से मुराद ख़िलाफ़े औला आपकी शान से फ़रोतर या ख़ूबतर को छोड़कर मुबाह काम करना है जो फ़ी नफ़्सिही गुनाह नहीं है न बुरा काम है, लेकिन आपकी शाने आला व अफ़ज़ल से कमतर है।

बाब 13 : हालते जनाबत में अगर फ़ज्र तुलूअ हो जाये तो जुन्बी का रोज़ा सहीह है

باب صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ يَصُمْ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - لأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنهما - فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ - قَالَ - فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ - قَالَ - فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ - قَالَ - فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّه - قَالَ - فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

(2589) अबू बकर बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) से अपनी रिवायात के बयान में, मैंने ये रिवायत भी सुनी कि जिसको फ़ज्र जनाबत की हालत में पा ले वो रोज़ा न रखे, मैंने ये बात अपने बाप अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिस़ को बताई उन्होंने इसका इंकार किया। तो अ़ब्दुर्रहमान चले और मैं भी साथ था यहाँ तक कि हम हज़रत आ़इशा (रज़ि.) और हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। अ़ब्दुर्रहमान ने उन दोनों से ये मसला पूछा, उन दोनों ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बग़ैर एहतिलाम के सुबह के वक़्त जुन्बी होते उसके बावजूद आप रोज़ा रख लेते। अबू बकर कहते हैं, फिर हम मरवान के पास गये तो अ़ब्दुर्रहमान ने इस बात का तज़्किरा उससे भी किया। तो मरवान ने कहा, मैं तुम्हें क़सम देता हूँ तुम ज़रूर हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के पास जाओ और उनके क़ौल की तर्दीद करो। तो हम अबू हुरैरह (रज़ि.) के पास आये, अबू बकर पूरे वाक़िये में साथ रहा। अ़ब्दुर्रहमान ने कहा, हाँ! अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, वो दोनों बेहतर जानती हैं। फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) ने अपने क़ौल की निस्बत फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) की तरफ़ की कि मैंने तो ये

أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ هُمَا أَعْلَمُ . ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ . قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ .

बात फ़ज़्ल से सुनी थी। मैंने नबी (ﷺ) से नहीं सुनी। इस पर अबू हुरैरह (रज़ि.) ने अपने फ़तवे (क़ौल) से रुजूअ कर लिया। इब्ने जुरेज ने अब्दुल मलिक से पूछा, क्या उन दोनों (अज़्वाज) ने फ़ी रमज़ान कहा था। उन्होंने कहा, ऐसे ही कहा कि आप बिला एहतिलाम सुबह के वक़्त जुन्बी होते थे फिर रोज़ा रख लेते।

(सहीह बुख़ारी : 1925, 1926, अबू दाऊद : 2388, तिर्मिज़ी : 779)

फ़ायदा : एक इंसान बीवी से ताल्लुक़ात क़ायम करता है, लेकिन ग़ुस्ल तुलूअे फ़ज्र के बाद नमाज़ के लिये करता है और रोज़ा जनाबत की हालत में ही रख लेता है इसमें कोई हर्ज और तंगी नहीं है। जुम्हूर और अइम्मए अरबआ (चारों इमामों) का मौक़िफ़ यही है। आयते मुबारका फ़ल्आन बाशिरूहुन्न और अहादीसे सहीहा से ये साबित होती है और हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) की हदीस का ताल्लुक़ या तो इब्तिदाई दौर से है जबकि रात को मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ात दुरुस्त न थे। बाद में जब ताल्लुक़ात की इजाज़त मिल गई तो इस हालत में रोज़ा रखना भी दुरुस्त ठहरा या इसका ये मक़सद है कि बेहतर और अफ़ज़ल सूरत यही है कि रोज़ा रखने से पहले-पहले ग़ुस्ल कर ले ताकि ग़फ़लत व काहिली दूर हो जाये और आसानी के साथ जमाअत के साथ मिल सके या ये मक़सद हो कि वो तुलूअे फ़ज्र तक ताल्लुक़ात में मशग़ूल रहा। तुलूअे फ़ज्र के बाद फ़ारिग़ हुआ, जबकि रोज़े का वक़्त निकल रहा था और कुछ हज़रात का ख़्याल है कि हदीसे फ़ज़्ल (रज़ि.) का ताल्लुक़ उस इंसान से है जिसने अम्दन ग़ुस्ल नहीं किया। हालांकि वो ग़ुस्ल कर सकता था, अगर उठा ही देर से है, वक़्ते ग़ुस्ल नहीं है तो फिर कोई हर्ज नहीं है और कुछ हज़रात के नज़दीक नफ़ल रोज़ा दुरुस्त है और फ़र्ज़ दुरुस्त नहीं है। कुछ के नज़दीक दोनों में दुरुस्त नहीं, कुछ के नज़दीक रोज़ा रखेगा लेकिन क़ज़ाई देनी होगी। कुछ के नज़दीक फ़र्ज़ की सूरत में क़ज़ाई है, नफ़ल की सूरत में नहीं और सहीह मौक़िफ़ जुम्हूर का है क्योंकि क़ुरआन व हदीस दोनों इसके ताईद करने वाले हैं।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي، بَكْرِ بْنِ عَبْدِ

(2590) हज़रत आइशा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को रमज़ान में फ़ज्र इस हालत में हो जाती कि आप बिला

الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .

एहतिलाम (ताल्लुक़ात की बिना पर) जुन्बी होते थे, फिर आप नहाते और रोज़ा रखते थे।
(सहीह बुख़ारी : 1930)

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِي .

(2591) अबू बकर (रह.) बयान करते हैं कि उसे मरवान (रह.) ने उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास भेजा, ताकि उनसे पूछे, क्या वो आदमी जो सुबह जनाबत की हालत में करता है रोज़ा रख सकता है? तो उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ताल्लुक़ात की सूरत में जनाबत की बिना पर, न कि एहतिलाम की वजह से, सुबह जुन्बी उठते, फिर न रोज़े छोड़ते और न उसकी क़ज़ाई देते।

फ़ायदा : इस हदीस़ से उनकी तर्दीद हो गई जो ये कहते हैं कि रोज़ा रखेगा लेकिन क़ज़ाई देगा।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي، بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ .

(2592) हज़रत आइशा (रज़ि.) और उम्मे सलमा (रज़ि.) नबी (ﷺ) की बीवियाँ बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान में जिमाअ से न कि एहतिलाम से, सुबह जुन्बी उठते, फिर रोज़ा रख लेते।

फ़ायदा : इस हदीस़ से उन लोगों की तर्दीद हो गई है जो कहते हैं नफ़्ल रोज़ा रखना जाइज़ है। फ़र्ज़ रखना जाइज़ नहीं।

(2593) हज़रत आइशा (रज़ि.) के आज़ाद करदा गुलाम अबू यूनुस हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास फ़तवा पूछने आया। जबकि हज़रत आइशा (रज़ि.) दरवाज़े के पीछे से सुन रही थीं। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे नमाज़ का वक़्त इस हाल में आ लेता है कि मैं जुन्बी होता हूँ कि क्या मैं रोज़ा रखूँ? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे भी नमाज़ का वक़्त इस हालत में हो जाता है कि मैं जुन्बी होता हूँ, तो मैं रोज़ा रखता हूँ।' तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमारी तरह नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह तआला आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर चुका है (आपकी मग़्फ़िरत का तो दुनिया ही में ऐलान हो चुका है) तो आपने फ़रमाया, 'अल्लाह की क़सम! मुझे उम्मीद है मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को जानने वाला हूँ जिनसे मुझे बचना चाहिये।'
(अबू दाऊद : 2389)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ، جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوَالَةَ - أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها- أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ". فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ "وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي".

(2594) सुलैमान बिन यसार से रिवायत है कि मैंने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से एक आदमी के बारे में पूछा, जो सुबह जनाबत की हालत में उठता है। क्या वो रोज़ा रखे? उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह जनाबत की हालत में करते और फिर रोज़ा रख लेते। हालांकि आपको एहतिलाम नहीं होता था (यानी ताल्लुक़ात से जुन्बी होते थे)।
(नसाई : 1/108)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ

बाब 14 : रमज़ान के दिनों में रोज़ेदार के लिये ताल्लुक़ात क़ायम करना सख़्त हराम है और इस पर बड़ा कफ़्फ़ारा पड़ता है और कफ़्फ़ारे का बयान और कफ़्फ़ारा मालदार और तंगदस्त दोनों पर लाज़िम है, लेकिन तंगदस्त के लिये ये सहूलत है कि वो (मक़्दरत) व सहूलत के वक़्त अदा कर दे

باب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

(2595) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तबाह हो गया। आप (ﷺ) ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने तबाह व बर्बाद कर डाला? उसने कहा, रमज़ान में अपनी बीवी से ताल्लुक़ क़ायम कर बैठा। आपने फ़रमाया, 'क्या तू एक गर्दन आज़ाद करने की ताक़त रखता है?' उसने कहा, नहीं। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, क्या तू दो माह के मुसलसल रोज़े रख सकता है? उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'क्या तेरे पास साठ मिस्कीनों को खाना खिलाने की गुंजाइश है?' उसने कहा, नहीं। फिर वो बैठ गया। तो नबी (ﷺ) के पास खजूरों की एक टोकरी लाई गई। तो आपने फ़रमाया, 'ये सदक़ा कर दो।' उसने अ़र्ज़ किया, क्या कोई हमसे भी ज़्यादा मोहताज है? मदीना के दोनों संगलाख़ ज़मीनों के

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " وَمَا أَهْلَكَكَ " . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ " هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا " . قَالَ لاَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ . فَقَالَ " تَصَدَّقْ بِهَذَا

" . قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا . فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ " اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " .

दरम्यान कोई घराना हमसे ज़्यादा इसका मोहताज नहीं है। इस पर नबी (ﷺ) हँस दिये यहाँ तक कि आपकी कुचलियाँ ज़ाहिर हो गईं। फिर फ़रमाया, 'जाओ और इसे अपने अहल को खिलाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 1936, 1937, 2600, 5368, 6087, 6164, 6709, 6711, 6821, अबू दाऊद : 2390, 2391, 2393, तिर्मिज़ी : 724, इब्ने माजह : 1671)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَهُوَ الزِّنْبِيلُ - وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ .

(2596) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से ज़ोहरी की सनद से इब्ने उयय्ना की तरह रिवायत बयान करते हैं। एक अ़रक़ जिसमें खजूरें थीं और अ़रक़ ज़म्बील (टोकरी) को कहते हैं और इसमें ये नहीं है कि नबी (ﷺ) इस तरह हँस पड़े कि आपकी कुचलियाँ नुमायाँ हो गईं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً، وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً " . قَالَ لاَ . قَالَ " وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا " .

(2597) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रमज़ान में अपनी बीवी के पास चला गया। फिर उसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से फ़तवा पूछा, तो आपने फ़रमाया, 'क्या तेरे पास ग़ुलाम है?' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'क्या मुसलसल दो माह रोज़े रख सकते हो?' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ।'

(2598) इमाम साहब अपने उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ से यही रिवायत ज़ोहरी ही की सनद से बयान करते हैं कि एक आदमी ने रमज़ान में रोज़ा छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे गर्दन आज़ाद करने का हुक्म दिया। फिर इब्ने उ़यय्ना की तरह हदीस़ बयान की।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلاً، أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

(2599) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उस आदमी को जिसने रमज़ान में रोज़ा खोल दिया था हुक्म दिया कि वो गर्दन आज़ाद करे या मुसलसल दो माह के रोज़े रखे या साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

(2600) इमाम साहब अपने उस्ताद अ़ब्द बिन हुमेद से ज़ोहरी ही की सनद से इब्ने उ़यय्ना के मुवाफ़िक़ रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

(2601) हज़रत आ़इशा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, मैं जल गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा, 'क्यों?' उसने कहा, मैं रमज़ान में दिन के वक़्त अपनी बीवी के पास चला गया। आपने फ़रमाया, 'सदक़ा कर, सदक़ा कर।' उसने कहा, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो आपने उसे बैठने का हुक्म दिया, आपके पास खाने की दो टोकरियाँ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ، الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ احْتَرَقْتُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِمَ " . قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي

आई तो आप (ﷺ) ने उसे उनको सदक़ा करने का हुक्म दिया।

(सहीह बुख़ारी : 1935, 6822, अबू दाऊद : 2394, 2395)

فِي رَمَضَانَ نَهَارًا . قَالَ " تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ " . قَالَ مَا عِنْدِي شَىْءٌ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ .

(2602) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और मज़्कूरा बाला (ऊपर की) हदीस बयान की। लेकिन इस हदीस के आग़ाज़ में, 'सदक़ा कर, सदक़ा कर' और 'दिन के वक़्त' का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ " تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ". وَلاَ قَوْلُهُ نَهَارًا

(2603) नबी (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक आदमी रमज़ान में मस्जिद में नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जल गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा, 'तेरा क्या मामला है?' तो उसने कहा, मैंने बीवी से ताल्लुक़ क़ायम कर लिया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सदक़ा कर।' तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और न मुझमें इसकी क़ुदरत है। आपने फ़रमाया, 'बैठ जा।' तो वो बैठ गया। इसी दौरान एक आदमी गधा

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ . فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا شَأْنُهُ " . فَقَالَ أَصَبْتُ

أَهْلِي . قَالَ " تَصَدَّقْ " . فَقَالَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لِي شَىْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ . قَالَ " اجْلِسْ " . فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا " . فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقْ بِهَذَا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَيْرَنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَىْءٌ . قَالَ " فَكُلُوهُ " .

हांकता हुआ आया, जिस पर खाना लदा हुआ था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जलने वाला कहाँ है जो अभी आया था।' इस पर वो आदमी खड़ा हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसको सदक़ा कर दो।' तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या किसी और पर? अल्लाह की क़सम! हम भूखे हैं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे खा लो।'

फ़वाइद : (1) इन हदीसों से साबित होता है जो रमज़ान के दिनों में ताल्लुक़ाते ज़न व शौहर (पति पत्नी) क़ायम करे उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब है, अगर ये काम अम्दन जानबूझ कर किया तो ये अइम्म-ए-अरबआ का इत्तिफ़ाक़ी मसला है। अगर ये काम निस्यानन, भूलकर किया तो अहनाफ़ और शवाफ़ेअ के नज़दीक क़ज़ा और कफ़्फ़ारा नहीं है। इमाम अहमद के नज़दीक रोज़ा टूट जायेगा और कफ़्फ़ारा पड़ेगा। शवाफ़ेअ और हनाबिला के नज़दीक क़ज़ा और कफ़्फ़ारा सिर्फ़ ताल्लुक़ात से रोज़ा तोड़ने पर है। खाने, पीने की सूरत में सिर्फ़ रोज़े की क़ज़ाई है, कफ़्फ़ारा नहीं है और अहनाफ़ व मालिकिया के नज़दीक जिमाअ, खाना और पीना तीनों सूरतों में क़ज़ा और कफ़्फ़ारा है, मालिकिया के मशहूर क़ौल के मुताबिक़, कफ़्फ़ारे में सिर्फ़ साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। गर्दन की आज़ादी या दो माह के रोज़े नहीं रख सकता, दूसरे क़ौल की रू से खाने-पीने की सूरत में तीनों में इख़्तियार है और जिमाअ की सूरत में सिर्फ़ इत्आम है, तीसरे क़ौल के मुताबिक़ हर हालत में इख़्तियार है।

जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक अगर कोई आदमी रमज़ान के रोज़े में इस ग़लती का इर्तिकाब कर ले तो अगर वो ग़ुलाम आज़ाद करने की क़ुदरत रखता हो तो सहीह व सालिम और तन्दुरुस्त मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करे। अहनाफ़ के नज़दीक काफ़िर ग़ुलाम भी आज़ाद किया जा सकता है। इसकी क़ुदरत न हो तो मुतवातिर (लगातार) दो माह के रोज़े रखे। अगर इसकी भी ताक़त न रखता हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये। जुम्हूर के नज़दीक खाना हर मिस्कीन के लिये एक मुद्द यानी पन्द्रह साअ। अहनाफ़ के नज़दीक गन्दुम का निस्फ़ साअ यानी तीस साअ और बाक़ी अज्नास से साठ साअ। जुम्हूर के नज़दीक कफ़्फ़ारा मर्द और औरत दोनों पर है और शवाफ़ेअ व औज़ाई के नज़दीक सिर्फ़ मर्द पर, जुम्हूर के नज़दीक फ़क़्रो-फ़ाक़ा की सूरत में कफ़्फ़ारा साक़ित नहीं होगा। इस्तिताअत मक़्दरत के

लिये ढील और रुख़सत मिल जायेगी। लेकिन ईसा बिन दीनार, मालिकी और शवाफ़ेअ के एक क़ौल के मुताबिक़ कफ़्फ़ारा साक़ित हो जायेगा और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की तफ़्सीली रिवायत का ज़ाहिरी तक़ाज़ा यही है और इमाम अहमद का मशहूर क़ौल यही है और इमाम ज़ोहरी के नज़दीक कफ़्फ़ारे का सुकूत उस आदमी के साथ ख़ास है। (2) कफ़्फ़ारा अगर इत्आम हो तो उसकी अदायगी दूसरा आदमी कर सकता है, यानी फ़क्रो-फ़ाक़ा की सूरत में सदक़े से उसका तआवुन किया जा सकता है। (3) अगर कफ़्फ़ारा दूसरा आदमी अदा करे तो जिसकी तरफ़ से कफ़्फ़ारा अदा किया जा रहा है वो अगर मोहताज और ज़रूरतमन्द है तो वो भी और उसके घर वाले भी खा सकते हैं।

باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر

बाब 15 : अगर सफ़रे मअसियत (नाफ़रमानी) न हो तो मुसाफ़िर रमज़ान में रोज़ा छोड़ सकता है बशर्तेकि सफ़र दो या इससे ज़्यादा मन्ज़िलें हों और जो मुसाफ़िर बिला ज़रर रोज़ा रख सकता है, उसके लिये रोज़ा रखना अफ़ज़ल है और जिसे मशक़्क़त व कुल्फ़त हो उसके लिये छोड़ना अफ़ज़ल है

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ .

(2604) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का के साल रमज़ान में निकले और रोज़ा रखा और जब कदीद नामी जगह पर पहुँचे तो रोज़ा रखना छोड़ दिया और सहाबा किराम (रज़ि.) आपके आख़िरी अमल की पैरवी करते थे। ये सबसे ज़्यादा नया फिर उससे ज़्यादा नया।

(सहीह बुख़ारी : 1944, 2953, 4275, 4279, नसाई : 4/189)

फ़ायदा : फ़तहे मक्का का वाक़िया 8 हिजरी में पेश आया और कदीद मक्का से बयालीस मील के फ़ासले पर एक चश्मा है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ لاَ أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2605) इमाम साहब अपने कई उस्तादों से ज़ोहरी ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं, यहया कहते हैं सुफ़ियान ने कहा, मुझे मालूम नहीं है ये किसका क़ौल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के आख़िरी अमल को इख़्तियार किया जाता था।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالآخِرِ فَالآخِرِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ .

(2606) इमाम साहब अपने उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ से नक़ल करते हैं कि ज़ोहरी ने कहा, रोज़ा खोलना आप (ﷺ) के दोनों अमलों में से आख़िरी अमल था और रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल में से आख़िरी अमल को ही लिया जाता है। ज़ोहरी (रह.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तेरह रमज़ानुल मुबारक की सुबह मक्का पहुँचे थे।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ .

(2607) इमाम साहब अपने उस्ताद हरमला बिन यहया से नक़ल करते हैं कि इब्ने शिहाब ने कहा, सहाबा किराम (रज़ि.) आप (ﷺ) के नये से नये अमल की पैरवी करते थे और उसको नस्ख़ (ख़त्म) करने वाला मुहकम अमल समझते थे।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ

(2608) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान में सफ़र पर निकले, रोज़ा रखते रहे। जब उस्फ़ान नामी

ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

मक़ाम पर पहुँचे तो पानी का बर्तन मँगवाया और उसे दिन के वक़्त ही पी लिया ताकि लोग उस अमल को देख लें। फिर आप (ﷺ) ने रोज़ा नहीं रखा, यहाँ तक कि मक्का पहुँच गये। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़र में रोज़े रखे भी हैं और रोज़े छोड़े भी हैं। लिहाज़ा जिसका जी चाहे, रोज़े रखे और जिसका जी चाहे, रोज़े न रखे।

(सहीह बुख़ारी : 1948, 4279, अबू दाऊद : 2313, नसाई : 4/184)

फ़ायदा : इस हदीस में फ़तहे मक्का वाले सफ़र का ज़िक्र है। आप (ﷺ) मदीना से रोज़े रखते हुए चलते रहे। जब मक़ामे उस्फ़ान पर पहुँचे जो मक्का मुअज़्ज़मा से 35 या 36 मील के फ़ासले पर एक चश्मा है तो जब मक्का क़रीब आ गया तो आप (ﷺ) ने ख़तरा महसूस किया कि क़रीबी वक़्त में कोई मुक़ाबला या मअरका न पेश आ जाये। इसलिये मुसलमानों की क़ुव्वत व ताक़त की बहाली के लिये आपने मुनासिब समझा कि रोज़े न रखे जायें। इसलिये आप (ﷺ) ने सबको दिखाने के लिये सबके सामने दिन के वक़्त पानी नौश फ़रमाया ताकि किसी के लिये रोज़ा छोड़ना गिराँ न गुज़रे। इससे मालूम हुआ रोज़ा क़ज़ा करने में कोई मस्लिहत और हिक्मत हो तो रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है और अगर रोज़ा छोड़ने में कोई मस्लिहत और हिक्मत न हो तो रोज़ा रखना अफ़ज़ल है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لاَ تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ .

(2609) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रोज़ा रखने वाले को बुरा न कहो और न रोज़ा न रखने वाले को बुरा कहो, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और नहीं भी रखा।

फ़ायदा : सफ़र में रोज़ा रखने, न रखने के बारे में उलमा में इख़्तिलाफ़ है।

(1) हज़रत उमर, इब्ने उमर, अबू हुरैरह (रज़ि.), ज़ोहरी, नख़ई, और इब्ने ज़ाहिर के नज़दीक सफ़र में फ़र्ज़ रोज़ा रखना जाइज़ नहीं है, अगर रखेगा तो काफ़ी नहीं होगा और इक़ामत (हज़र) में उसकी क़ज़ा लाज़िम होगी। (2) सईद इब्ने मुसय्यब, इस्हाक़, औज़ाई और अहमद बिन हम्बल (रह.) के नज़दीक

इफ़्तार अफ़ज़ल है। (3) अगर रमज़ान इक़ामत में शुरू हो गया, बाद में सफ़र पर निकला तो इफ़्तार जाइज़ नहीं। (4) अगर इंसान रोज़ा रख सकता है और रोज़ा रखने से तकलीफ़ और मशक़्क़त या नुक़सान का अन्देशा नहीं है तो इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक रोज़ा रखना अफ़ज़ल है। अगर रोज़ा रखने से तकलीफ़ या मशक़्क़त या नुक़सान का डर हो तो रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है। (5) इख़्तियार है कि रोज़ा रखे या न रखे। (6) जिस अ़मल में सहूलत और आसानी हो वही अफ़ज़ल है। यानी अगर बाद में क़ज़ा मुश्किल हो तो रोज़ा रखना अफ़ज़ल है, अगर क़ज़ा में सहूलत और आसानी हो तो ये अफ़ज़ल है। उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ और इब्नुल मुन्ज़िर (रह.) का यही मौक़िफ़ है। सहीह बात यही है कि मौक़ा व महल का लिहाज़ रखा जायेगा, अगर दुश्मन से टकराव का ख़तरा है या रोज़ा रखने में हज़र के मुक़ाबले में ज़्यादा तकलीफ़ और मशक़्क़त है या अ़जब व रिया का अन्देशा है या दूसरों के लिये बोझ और कुल्फ़त का बाइ़स बनेगा या शरई रुख़सत की अहमियत नहीं देता या उसका अ़मल दूसरों के लिये नमूना बनता है तो फिर रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है और अगर रोज़ा रखने में तकलीफ़ व मशक़्क़त या ज़रर का अन्देशा नहीं या बाद में न रख सकने का ख़तरा है या सब साथियों के साथ रोज़ा रखने की सहूलत और आसानी मुयस्सर है तो रोज़ा रखना अफ़ज़ल है।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " .

(2610) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का वाले साल, रमज़ान में मक्का के सफ़र पर निकले और रोज़ा रखते रहे यहाँ तक कि कुराअ़ल ग़मीम नामी जगह पर पहुँचे और लोगों ने भी रोज़े रखे, फिर आप (ﷺ) ने पानी का प्याला मँगवा लिया और उसे बुलंद किया ताकि लोग भी उसको देख लें। फिर आपने पी लिया, बाद में आपको बताया गया कि कुछ लोग रोज़ेदार हैं। तो आपने फ़रमाया, 'ये लोग नाफ़रमान हैं, ये लोग नाफ़रमान हैं।'
(तिर्मिज़ी : 710, नसाई : 4/177)

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सबको दिखाकर जंगी मस्लिहत और लोगों की सहूलत व आसानी के लिये पानी पिया, ताकि लोग आप (ﷺ) की इक़्तिदा करें और सब लोगों को अ़मलन पता चल जाये

कि सफ़र में रोज़ा इफ़्तार भी किया जा सकता है, उसके बावजूद कुछ लोगों ने आपकी इक़्तिदा और मुताबिअ़त (पैरवी) न की और आपकी ख़िलाफ़वर्ज़ी की, इसलिये आपने उनको नाफ़रमान क़रार दिया। सिर्फ़ इस वजह से नाफ़रमान नहीं कहा कि उन्होंने रोज़ा रखा, रोज़ा तो आप (ﷺ) भी अब तक रखते चले आ रहे थे।

नोट : कुराअल ग़मीम भी उ़स्फ़ान के क़रीब एक जगह का नाम है। अक्सरियत के नज़दीक उ़स्फ़ान का मक्का से फ़ासला 48 मील है। कुराअल ग़मीम चालीस और कदीद का बयालीस मील, तो ये क़रीबी मक़ामात हैं। हर एक ने जिसको मअ़रूफ़ व मशहूर समझा, उसका नाम ले लिया।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ جَعْفَرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ .

(2611) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें ये इज़ाफ़ा है कि आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया गया, लोगों के लिये रोज़ा मशक़्क़त का बाइ़स बन रहा है और वो आपके अ़मल के मुन्तज़िर हैं तो आप (ﷺ) ने अ़सर के बाद पानी का प्याला मँगवाया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ " مَا لَهُ " . قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ " .

(2612) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सफ़र में थे तो आपने एक आदमी को देखा, जिसके गिर्द लोग जमा हो चुके हैं और उस पर साया किया गया है। तो आपने पूछा, 'इसे क्या हुआ?' लोगों ने बताया, रोज़ेदार आदमी है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सफ़र में तुम्हारा रोज़ा रखना नेकी नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 1946, अबू दाऊद : 2407, नसाई : 4/177)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً بِمِثْلِهِ .

(2613) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद उ़बैदुल्लाह बिन मुआ़ज़ से इस तरह रिवायत बयान करते हैं कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी देखा।

وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ " عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ " . قَالَ فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ .

(2614) इमाम साहब अपने उस्ताद अहमद बिन उ़समान नोफ़ली से शोबा की मज़्कूरा सनद से इसके हम मानी रिवायत बयान करते हैं और इसमें ये इज़ाफ़ा है कि शोबा ने कहा, यहया बिन अबी कसीर से मुझे इस रिवायत में इज़ाफ़े की इत्तिलाअ़ पहुँची थी। इस सनद में ये है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला ने जो रुख़सत तुम्हें दी है उसको क़ुबूल करो।'

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हदीस़ से स़ाबित होता है कि जब सफ़र में अल्लाह तआ़ला ने रोज़ा इफ़्तार करने की इजाज़त और रुख़सत दी है और नबी (ﷺ) ने ख़ुद भी इस पर अ़मल किया है तो फिर किसी मुसलमान का ऐसे हाल में रोज़ा रखना कि वो ख़ुद मशक़्क़त और कुल्फ़त में मुब्तला होकर गिर जाये और दूसरों को उसकी देखभाल में मसरूफ़ होना पड़े, कोई नेकी की बात नहीं, इसका ये मानी नहीं है कि बिला मशक़्क़त व कुल्फ़त और अन्देश-ए-ज़रर सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं, जैसाकि अहले ज़ाहिर ने समझा है।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(2615) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हम सोलह रमज़ान को रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक जंगी सफ़र पर थे। हममें से कुछ ने रोज़ा रखा था और कुछ ने रोज़ा न रखा था। रोज़ेदारों ने रोज़ा न रखने

وسلم لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

वालों की मज़म्मत न की और न रोज़ा न रखने वालों ने रोज़ेदारों पर ऐब लगाया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي ثِنْتَىْ عَشْرَةَ . وَشُعْبَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ

(2616) इमाम साहब ने अपने अलग-अलग उस्तादों की सनद से क़तादा (रज़ि.) ही की सनद से मज़्कूरा बयान की है, लेकिन तारीख़ों में इख़्तिलाफ़ है। तैमी उमर बिन आमिर और हिशाम की हदीस में 18 रमज़ान, सईद की हदीस में 12 रमज़ान और शोबा की रिवायत में 18 या 19 रमज़ान है।

नोट : इन हदीसों में तज़ाद (टकराव) नहीं है क्योंकि इन सब तारीख़ों में आप (ﷺ) सफ़र में थे, क्योंकि आप मदीना से दस रमज़ान को निकले हैं, बाद में पूरा रमज़ान सफ़र में रहे हैं।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ .

(2617) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रमज़ान में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र करते थे तो रोज़ेदार पर उसके रोज़े के सबब ऐतिराज़ नहीं किया जाता था और न इफ़्तार करने वाले पर रोज़ा न रखने के सबब।

(तिर्मिज़ी : 712, नसाई : 4/188)

(2618) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रमज़ान में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जिहाद पर निकलते तो हम में रोज़ेदार भी होते और रोज़ा न रखने वाले भी। न साइम, मुफ़्तिर पर नाराज़ होता और न मुफ़्तिर साइम पर। उनका नज़रिया था जो ताक़त और हिम्मत पाकर रोज़ा रख ले तो ये बेहतर है और जो कमज़ोरी महसूस करके रोज़ा न रखे तो ये उसके लिये बेहतर है।

(तिर्मिज़ी : 713, नसाई : 4/188)

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ .

(2619) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र किया तो रोज़े की हिम्मत पाने वाला रोज़ा रखता था और हिम्मत व ताक़त से महरूम रोज़ा छोड़ देता था, तो कोई दूसरे को बुरा नहीं कहता था।

(नसाई : 4/188, 189)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحُسَيْنُ، بْنُ حُرَيْثٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ، - قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، - عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهم - قَالاَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلاَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

(2620) हुमैद (रह.) से रिवायत है कि हज़रत अनस (रज़ि.) से सफ़र में रमज़ान के रोज़े के बारे में सवाल किया गया? तो उन्होंने कहा, हमने रमज़ान में रसूलुल्लाह (ﷺ) के

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ - رضى الله عنه - عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا

मَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

साथ सफ़र किया तो रोज़ेदार ने बेरोज़े पर ऐतिराज़ न किया और न बेरोज़े ने रोज़ेदार पर।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوا لِي أَعِدْ . قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ . فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - بِمِثْلِهِ .

(2621) हुमैद (रह.) से रिवायत है कि मैंने सफ़र में रोज़ा रखा तो साथियों ने मुझे कहा, दोबारा रोज़ा रखो। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे हज़रत अनस (रज़ि.) ने ख़बर दी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा सफ़र करते थे तो रोज़ेदार, रोज़ा न रखने वाले पर तन्क़ीद न करता और न ही बेरोज़ा, रोज़ा रखने वाले पर। फिर मैं इब्ने अबी मुलैका से मिला, उसने मुझे यही ख़बर हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुनाई।

بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

बाब 16 : काम की सर अन्जामदेही पर सफ़र में रोज़े न रखने वाले का अज्र

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَنَسٍ، - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ - قَالَ - فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ - قَالَ - فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا

(2622) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे तो हममें से कुछ रोज़े से थे और कुछ रोज़े से नहीं थे। तो एक सख़्त गर्मी के दिन हम एक मन्ज़िल पर उतरे और हममें से सबसे ज़्यादा साया हासिल करने वाला शख़्स वो था जिसके पास कम्बल था और हममें से कुछ वो थे जो सूरज से अपने हाथ से बच रहे थे। रोज़े रखने वाले तो गिर पड़े और रोज़ा न रखने वाले उठे। उन्होंने सबके लिये ख़ैमे लगाये और सबकी सवारियों को पानी पिलाया। तो

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आज तो अज्र, रोज़ा न रखने वाले ले गये।'

(सहीह बुख़ारी : 2890, नसाई : 4/182)

الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ " .

(2623) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सफ़र में थे तो कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने न रखा तो बेरोज़ा ख़िदमत पर कमर बस्ता हो गये या उन्होंने कमरबंद बांध लिये और काम करने लगे और रोज़ेदार काम न कर सके। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आज तो अज्र, बेरोज़ेदार ले गये।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَنَسٍ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ - قَالَ - فَقَالَ فِي ذَلِكَ " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तहज़्ज़मल् मुफ़तिरून : रोज़ा न रखने वालों ने कमरबंद कस लिये। **(2)** वो ख़िदमत के लिये कमरबस्ता और चौकस हो गये। **(3)** उन्होंने हज़म व एहतियात को इख़्तियार किया।

फ़ायदा : रोज़ेदार अपनी कमज़ोरी और ज़ुअफ़ की वजह से अपना काम भी न कर सके और रोज़ा न रखने वालों ने अपना काम भी किया और रोज़ेदारों का काम भी किया, इस तरह उन्होंने रोज़ेदारों की ख़िदमत करके सवाब ज़्यादा कमा लिया।

(2624) क़ज़आ (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, जबकि उनके पास बहुत से लोग जमा हो चुके थे। जब लोग उनके पास से बिखर गये तो मैंने कहा, जो ये लोग पूछ रहे थे मैं उसके बारे में आपसे नहीं पूछूँगा। मैंने उनसे सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने बताया, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का के सफ़र के लिये निकले, जबकि हम रोज़ेदार थे। तो हम

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَزَعَةُ، قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضى الله عنه - وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاَءِ عَنْهُ . سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ " . فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ " إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا " . وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ .

एक मन्ज़िल पर उतरे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम अपने दुश्मन के क़रीब पहुँच चुके हो और रोज़ा न रखना ये तुम्हारे लिये ज़्यादा ताक़त बख़्श है।' ये रोज़ा न रखने की रुख़सत थी। तो हममें से कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने न रखा, फिर हम एक दूसरी मन्ज़िल पर उतरे तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम सुबह दुश्मन तक पहुँच जाओगे और रोज़ा न रखना ये तुम्हारे लिये ज़्यादा ताक़त का बाइस होगा, लिहाज़ा रोज़ा न रखो।' और ये हुक्म क़तई था, इसलिये हमने रोज़ा न रखा, फिर उन्होंने बताया मैंने उसके बाद सफ़र में साथियों को रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रोज़ा रखते देखा।

(सहीह बुख़ारी : 2406)

بابِ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

बाब 17 : सफ़र में रोज़ा रखने और न रखने का इख़्तियार है

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .

(2625) हज़रत हम्ज़ह बिन अम्र अस्लमी (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर चाहो तो रोज़ा रख लो और चाहो तो न रखो।'

(2626) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत हम्ज़ह बिन अम्र अस्लमी (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मुसलसल रोज़े रखता हूँ तो क्या मैं सफ़र में रोज़ा रख लूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रोज़ा रख लो अगर चाहो और रोज़ा छोड़ दो अगर चाहो।'

(अबू दाऊद : 2402, नसाई : 4/207)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ . أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ " صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ " .

(2627) इमाम साहब अपने उस्ताद यहया बिन यहया से यही रिवायत हिशाम ही की सनद से नक़ल करते हैं कि उसने कहा, मैं एक आदमी हूँ, मैं हमेशा रोज़े रखता हूँ।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ .

(2628) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं कि हम्ज़ह (रज़ि.) ने पूछा, मैं रोज़ा रखने वाला आदमी हूँ, क्या मैं सफ़र में भी रोज़ा रख सकता हूँ?

(इब्ने माजह : 1662)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ، قَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ.

(2629) हज़रत हम्ज़ह बिन अम्र अस्लमी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सफ़र में रोज़ा रखने की कुव्वत रखता हूँ तो क्या मुझ पर गुनाह होगा? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रोज़ा इफ़्तार करना, अल्लाह की तरफ़ से रुख़सत है तो जिसने उसको क़ुबूल किया तो अच्छा किया और जिसने रोज़ा रखना पसंद किया तो

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، - قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ " . قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ " هِيَ رُخْصَةٌ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللَّهِ

उस पर कोई गुनाह या तंगी नहीं है।' हारून की हदीस में सिर्फ़ रुख़सत का लफ़्ज़ है, मिनल्लाह (अल्लाह की तरफ़ से) का लफ़्ज़ नहीं है।

(अबू दाऊद : 2403, नसाई : 4/185, 186, 187, 207)

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ .

(2630) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ माहे रमज़ान में शदीद गर्मी में सफ़र पर निकले यहाँ तक कि गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे कुछ अपने सर पर अपना हाथ रखते थे और हममें रोज़ेदार सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) थे।

(सहीह बुख़ारी : 1945, अबू दाऊद : 2409)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ .

(2631) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने साथियों को रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आपके कुछ सफ़रों में शदीद गर्मी में देखा यहाँ तक कि इंसान गर्मी की शिद्दत की बिना पर अपना हाथ सर पर रखता था और हममें रोज़ेदार सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) थे।

(इब्ने माजह : 1663)

बाब 18 : अरफ़ा के दिन हाजी के लिये बेहतर है कि वो अरफ़ात में रोज़ा न रखे

باب اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

(2632) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल बिन हारिस़ (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने उनके पास अरफ़ा के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के रोज़े के बारे में बहस की। तो कुछ ने कहा, आप (ﷺ) का रोज़ा है और कुछ ने कहा, आपका रोज़ा नहीं है। तो मैंने आपकी ख़िदमत में दूध का प्याला भेजा। जबकि आप अरफ़ात में अपने ऊँट पर ठहरे हुए थे तो आप (ﷺ) ने उसे पी लिया।

(सहीह बुख़ारी : 1661, 1658, 1988, 5604, 5618)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا، تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

(2633) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से अबू नज़र की सनद ही से ये रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें अपने ऊँट पर ठहरे होने का ज़िक्र नहीं है और उमेर मौला अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की बजाय उमेर मौला उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि.) है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ . وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ .

(2634) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से इब्ने उयय्ना की तरह हदीस़ बयान करते हैं और उसमें उमेर मौला उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि.) है।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي، النَّضْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ، - رضى الله عنها -تَقُولُ شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ .

(2635) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अस्हाब में से कुछ लोगों ने अरफ़ा के दिन के रोज़े के बारे में शक का इज़हार किया, जबकि हम अरफ़ा में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। मैंने आपकी ख़िदमत में लकड़ी का एक प्याला भेजा जिसमें दूध था और आप (ﷺ) उस वक़्त अरफ़ात में थे और आपने उसे पी लिया।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ، الأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلاَبِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

(2636) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि लोगों ने अरफ़ा के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के रोज़े के बारे में शक किया तो मैमूना (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में दूध का बर्तन इरसाल किया (भेजा), जबकि आप ठहरने की जगह (अरफ़ात) में ठहरे हुए थे तो आप (ﷺ) ने उससे नौश फ़रमाया, जबकि लोग आपकी तरफ़ देख रहे थे।

(सहीह बुख़ारी : 1989)

फ़ायदा : अरफ़ा के दिन चूंकि हाजी, मिना से अरफ़ात जाते हैं, वहाँ ज़ुहर व असर की नमाज़ जमा करते हैं और इमाम ख़ुत्बा देता है, फिर शाम तक मैदाने अरफ़ात में दुआ और इस्तिग़फ़ार के लिये वुक़ूफ़ करना होता है और आफ़ताब के ग़ुरूब होते ही मुज़्दलफ़ा की तरफ़ वापस आना होता है। इन कामों की सर अन्जामदेही की बिना पर हाजी के लिये रोज़ा मुश्किल और मशक़्क़त का बाइस बनता है, इसलिये हाजियों के लिये अरफ़ा के दिन रोज़ा रखना पसंदीदा नहीं है। इसलिये आप (ﷺ) ने उम्मत की तालीम की ख़ातिर, अरफ़ा के दिन जबकि आप मैदाने अरफ़ात में अपने ऊँट पर थे और वुक़ूफ़ फ़रमा रहे थे, सबके सामने दूध नौश फ़रमाया, ताकि सब देख लें कि आज आप (ﷺ) का रोज़ा नहीं है

और दूध दोनों बहनों उम्मुल फ़ज़्ल और मैमूना (रज़ि.) के आपसी मशवरे से भेजा गया था और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) लेकर गये थे। इसलिये उसकी निस्बत दोनों की तरफ़ हो सकती है और उ़मेर, इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की वालिदा उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि.) के मौला थे। लेकिन हर वक़्त इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के साथ रहते थे और उनके शागिर्द और क़ाबिले ऐतिमाद थे, इसलिये उनको मौला इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) भी कह दिया जाता था। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई (रह.) और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक हाजियों के लिये अ़रफ़ा का रोज़ा न रखना ही बेहतर है।

बाब 19 : आशूरे के दिन का रोज़ा

باب صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

(2637) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि क़ुरैश ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में आ़शूरा (दस मुहर्रम) का रोज़ा रखते थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी उस दिन का रोज़ा रखते थे। जब रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हो गये तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो चाहे इसका रोज़ा रखे और जो चाहे इसे छोड़ दे।'

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ " مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " .

फ़ायदा : ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में क़ुरैश आ़शूरा के दिन रोज़ा रखते थे और कअ़बा को ग़िलाफ़ भी पहनाते थे, रोज़ा रखने की तीन वुजूह बयान की जाती हैं, (1) मिल्लते इब्राहीमी में दस का रोज़ा था यहूदियों और ईसाइयों से सीखा था। (2) क़ुरैश ने जाहिलिय्यत के दौर में किसी इन्तिहाई क़बीह गुनाह का इर्तिकाब किया, जिसको उन्होंने इन्तिहाई नागवार ख़्याल किया तो किसी ने उन्हें बतौरे कफ़्फ़ारा रोज़ा रखने का मशवरा दिया। (3) वो जाहिलिय्यत के दौर में ख़ुश्कसाली से दोचार हुए और उसके ख़त्म होने पर बतौरे शुक्राना रोज़ा रखा। चूंकि रोज़ा एक पसंदीदा अ़मल था, इसलिये आप भी ये रोज़ा रखते थे। हिज्रते मदीना के बाद, जब आप (ﷺ) ने यहूद को रोज़ा रखते देखा तो उनसे इसका सबब पूछा। उन्होंने बताया कि इस दिन मूसा (अ़लै.) की सरकर्दगी में बनू इस्राईल, फ़िरऔनियों के पन्ज-ए-इस्तिबदाद (गुलामी) से आज़ाद हुए थे तो आप (ﷺ) ने मूसा (अ़लै.) की इक़्तिदा में रोज़ा रखने का हुक्म दिया और ये हुक्म अहनाफ़ के नज़दीक वुजूब के लिये था और बाक़ी अइम्मा के नज़दीक इस्तिहबाबे ताकीदी के लिये और अब बिल्इत्तिफ़ाक़ उस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है।

(2638) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से हिशाम ही की सनद से बयान करते हैं, लेकिन इस हदीस़ के आग़ाज़ में ये नहीं है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी इसका रोज़ा रखते थे और हदीस़ के आख़िर में आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया तो जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। जरीर की तरह इसको नबी (ﷺ) का क़ौल क़रार नहीं दिया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ . وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَرِوَايَةِ جَرِيرٍ .

(2639) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, आशूरा के दिन का रोज़ा ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में रखा जाता था, जब इस्लाम आ गया (रोज़े फ़र्ज़ हो गये) तो जिसने चाहा रोज़ा रखा और जिसने चाहा छोड़ दिया।

(सहीह बुख़ारी : 4502)

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، -رضى الله عنها - أَنَّ يَوْمَ، عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

(2640) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्ज़िय्यते रमज़ान से पहले आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म देते थे, जब रमज़ान फ़र्ज़ कर दिया गया तो जो चाहता आशूरा के दिन का रोज़ा रख लेता और जो चाहता रोज़ा न रखता।

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

(2641) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि क़ुरैश जाहिलिय्यत के दिनों में आशूरा का रोज़ा रखते थे, फिर (मदीना आने के बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसका रोज़ा

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، - قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، -عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ

عِرَاكًا، أَخْبَرَ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ " .

रखने का हुक्म दिया या आप (ﷺ) को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया, यहाँ तक कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ क़रार दिये गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो चाहे इसका रोज़ा रखे और जो चाहे रोज़ा न रखे।'

(सहीह बुख़ारी : 1893)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّ أَهْلَ، الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " .

(2642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि अहले जाहिलिय्यत आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमान भी रमज़ान की फ़र्ज़िय्यत से पहले इसका रोज़ा रखते थे। जब रमज़ान फ़र्ज़ कर दिया गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आशूरा अय्यामुल्लाह (अल्लाह के दिनों) में से एक दिन है तो जो चाहे इसका रोज़ा रखे और जो चाहे इसे छोड़ दे।'

फ़ायदा : अय्यामुल्लाह से मुराद वो दिन हैं जिनमें अल्लाह तआला ने गुज़िश्ता अम्बिया (अलै.) और उनकी उम्मतों पर एहसान व इनाम फ़रमाया, इसलिये सूरह इब्राहीम में फ़रमाया, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह और उन्हें अल्लाह तआला के एहसानात व इनामात से तज़्कीर व नसीहत कीजिये और अल्लाह ने उनके दुश्मनों को तबाह व बर्बाद किया, इस चीज़ को भी याद देहानी कीजिये।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح

(2643) इमाम साहब यही हदीस़ दूसरे उस्तादों से बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 4501, अबू दाऊद : 2443, 8146)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، . بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

(2644) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आशूरा के दिन का तज़्किरा हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये ऐसा दिन है जिसमें अहले जाहिलिय्यत रोज़ा रखते थे तो तुममें से जो पसंद करे कि उसे रोज़ा रखना चाहिये तो वो रख ले और जो नापसंद करे न रखे।'

(इब्ने माजह : 1737)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ " .

(2645) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से आशूरा के दिन के बारे में फ़रमाते हुए सुना, 'ये दिन जिसका अहले जाहिलिय्यत रोज़ा रखते थे तो जो इसका रोज़ा रखना पसंद करे, वो रोज़ा रख ले और जो इसका रोज़ा छोड़ना पसंद करे वो इसे छोड़ दे।' और अब्दुल्लाह (रज़ि.) इसका रोज़ा नहीं रखते मगर ये कि उनके मामूल के मुवाफ़िक़ आ जाता।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، -رضى الله عنهما - حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ " . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ - رضى الله عنه - لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ . فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً .

(2646) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आशूरा के दिन के रोज़े का ज़िक्र किया गया, आगे लैस़ बिन सअद की हदीस़ के मिस़्ल बयान किया।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ، زَيْدٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ " ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " .

(2647) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आशूरा का ज़िक्र हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस दिन का अहले जाहिलिय्यत रोज़ा रखा करते थे तो जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे।'

(सहीह बुख़ारी : 2000)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ . فَقَالَ أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ

(2648) अश्अस़ बिन क़ैस (रह.) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद रज़ि.) के पास आये जबकि वो सुबह का खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा, ऐ अबू मुहम्मद! आओ सुबह का खाना खा लो। तो अश्अस़ ने कहा, क्या आज आशूरा का दिन नहीं है? उन्होंने कहा, क्या जानते हो, आशूरा के दिन की हक़ीक़त क्या है? अश्अस़ ने पूछा, वो क्या है? उन्होंने जवाब दिया, वो तो एक ऐसा दिन है जिसका रसूलुल्लाह (ﷺ) माहे रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़िय्यत से पहले रोज़ा रखा करते थे। जब माहे रमज़ान का हुक्म नाज़िल हो गया तो इसे

छोड़ दिया गया।

और अबू कुरैब ने कहा इसको छोड़ दिया।

قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ . وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ تَرَكَهُ .

(2649) इमाम साहब यही रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं इसमें जब रमज़ान का हुक्म नाज़िल हो गया तो आप (ﷺ) ने उसे छोड़ दिया।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ.

(2650) क़ैस बिन सकन (रह.) से रिवायत है कि अश्अस़ बिन क़ैस (रह.) आशूरा के दिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के पास गये, जबकि वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा, ऐ अबू मुहम्मद! क़रीब हों और खाना खायें। अश्अस़ ने कहा, मैं रोज़ेदार हूँ। अब्दुल्लाह ने कहा, हम भी इसका रोज़ा रखा करते थे, फिर छोड़ दिया गया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ فَكُلْ . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ .

(2651) अल्क़मा (रह.) से रिवायत है कि अश्अस़ बिन क़ैस (रह.), हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) के पास आशूरा के दिन गये, जबकि वो खाना खा रहे थे तो अश्अस़ ने कहा, ऐ अब्दुर्रहमान! आज का दिन तो आशूरा का दिन है तो उन्होंने जवाब दिया, रमज़ान की फ़र्ज़िय्यत के नुज़ूल से पहले इसका रोज़ा रखा जाता था, जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाज़िल हो गया, इसे छोड़ दिया गया। इसलिये अगर आपका रोज़ा नहीं है तो खा लें। (सहीह बुख़ारी : 4503)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ .

फ़ायदा : रमज़ान की फ़र्ज़िय्यत से पहले आशूरा के रोज़े का जिस क़द्र एहतिमाम किया जाता था और उसके लिये तरग़ीब दी जाती थी। फ़र्ज़िय्यते रमज़ान के बाद उसके लिये वो एहतिमाम और ताकीद व तरग़ीब न रही और आप (ﷺ) ने इसकी निगेहबानी व निगरानी तर्क कर दी, इसलिये कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) इसका रोज़ा न रखते थे और कुछ इसके अज्र व सवाब के हुसूल के लिये एहतिमाम करते थे, अब भी कोई पाबंदी नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ .

(2652) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें आशूरा के दिन के रोज़े की तल्क़ीन फ़रमाते थे और इसके लिये हमें आमादा करते थे और इसके बारे में हमारा ध्यान रखते और निगरानी करते थे, जब रमज़ान फ़र्ज़ ठहरा (उसके बाद) न आप (ﷺ) ने हमें इसका हुक्म दिया और न रोका और न इस दिन हमारी निगरानी और निगेहदाश्त की।

फ़ायदा : आप (ﷺ) रमज़ान की फ़र्ज़िय्यत से पहले जिस क़द्र तरग़ीब व तश्वीक़ और ताकीद व तल्क़ीन फ़रमाते रहे बाद में उस क़द्र ताकीद या तरग़ीब नहीं दी। वगरना मुत्लक़न तरग़ीब व तहरीज़ तो बाद में भी की गई है, इसका अज्र व सवाब बयान किया गया है और आप (ﷺ) ख़ुद भी रोज़ा रखते थे।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ -يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا - خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ " هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

(2653) हुमैद बिन अब्दुर्रहमान (रह.) बयान करते हैं, एक बार हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान मदीना आये और उन्होंने आशूरा के दिन ख़ुत्बा दिया। मैंने उनसे ख़ुत्बे में सुना, उन्होंने कहा, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? ऐ अहले मदीना! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस दिन के बारे में फ़रमाते हुए सुना, 'ये यौमे आशूरा है, अल्लाह तआला ने तुम पर इसका रोज़ा फ़र्ज़ क़रार नहीं दिया, मैं रोज़ेदार हूँ तो तुममें से जो पसंद करे कि वो रोज़ा रखे, वो रोज़ा रख ले और जो इफ़्तार पसंद करे, वो

रोज़ा न रखे।' (हज़रत मुआविया रज़ि. सुलहे हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए, जिसका इज़हार फ़तहे मक्का के बाद किया)।

(सहीह बुख़ारी : 2003)

صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ "

(2654) इमाम साहब एक और उस्ताद से इब्ने शिहाब ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

(2655) इमाम साहब एक और उस्ताद से ज़ोहरी ही की सनद से बयान करते हैं कि मुआविया (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से इस दिन के बारे में सुना, 'मैं रोज़ेदार हूँ तो जो चाहे कि रोज़ा रखे, वो रोज़ा रख ले।' मालिक और यूनुस की हदीस का बक़िया हिस्सा बयान नहीं किया।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ " إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ" . وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَيُونُسَ .

(2656) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो आपने यहूदियों को आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हुए पाया तो उनसे इसके बारे में पूछा गया? उन्होंने जवाब दिया, ये वो दिन है जिसमें अल्लाह तआला ने मूसा (अलै.) और बनू इस्राईल को फ़िरऔन पर ग़ल्बा इनायत फ़रमाया था, तो हम उसके एहतिराम व तअ़ज़ीम की ख़ातिर रोज़ा रखते हैं। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हम तुम्हारे मुक़ाबले में मूसा (अलै.) से ज़्यादा क़रीब हैं।' इसलिये आपने इसके रोज़े का हुक्म दिया।

(बुख़ारी: 4680, 4737, 3943, अबू दाऊद : 2444)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ " . فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) रबीउल अव्वल में मदीना तशरीफ़ लाये थे और 2 हिजरी के रमज़ान की फ़र्ज़िय्यत से पहले आप (ﷺ) ने यहूदियों को मुहर्रम में रोज़ा रखते हुए पाया तो आपने उनसे पूछा, इस तरह आशूरा के दिन की ताकीदी तल्क़ीन या अम्र एक ही साल दिया गया, क्योंकि आपको इसका पता मदीना आने के बाद चला, पहले आप क़ुरैश के रोज़े रखने की वजह से रोज़ा रखते थे और अगर ये बात तस्लीम कर ली जाये कि आप (ﷺ) की मदीना आमद के मौक़े पर यहूदी क़बाइल शम्सी साल के ऐतिबार से रोज़ा रखे हुए थे तो फिर भी आपने तो दस मुहर्रम का ही रोज़ा रखने का हुक्म दिया और वो रमज़ान की फ़र्ज़िय्यत से पहले एक ही आया।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

(2657) इमाम साहब ने अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत अबू बिश्र की सनद ही से बयान की है कि आप (ﷺ) ने उनसे इसके बारे में पूछा।

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ " . فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ " . فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

(2658) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते पाया तो आपने यहूदियों से पूछा, ये दिन जिसका तुम रोज़ा रखते हो, इसकी क्या हक़ीक़त व ख़ुसूसियत है? उन्होंने कहा, ये बड़ी अज़मत वाला दिन है क्योंकि इसमें अल्लाह तआला ने मूसा (अलै.) और उनकी क़ौम को निजात दी थी और फ़िरऔन और उसकी क़ौम को डूबा दिया था। तो मूसा (अलै.) ने शुक्राने के तौर पर इसका रोज़ा रखा, इसलिये हम भी (उनकी पैरवी में) इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमारा मूसा (अलै.) से ताल्लुक़ तुमसे ज़्यादा है और हम उनके ज़्यादा हक़दार हैं।' इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा किराम (रज़ि.) को भी (फराइज़ व वाजिबात की तरह ताकीदी) हुक्म दिया। (सहीह बुख़ारी : 2004, 3397)

फ़ायदा : मक्का में आप (ﷺ) कुरैश के साथ आशूरा का रोज़ा रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं देते थे, मदीना में आकर आप (ﷺ) को जब ये मालूम हुआ कि ये वो मुबारक तारीख़ी दिन है, जिसमें हज़रत मूसा (अलै.) और उनकी क़ौम को अल्लाह तआला ने निजात अता फ़रमाई थी। फ़िरऔन और उसके लश्करियों को डूबा दिया था। इसलिये मूसा (अलै.) अल्लाह तआला के इस इनाम और एहसान के शुक्र में इस दिन का रोज़ा रखते थे तो आपने भी उनकी इक़्तिदा में आशूरा का रोज़ा ख़ुद भी रखा और मुसलमानों को भी इसका ऐसा ताकीदी हुक्म दिया जैसाकि हुक्म फ़राइज़ व वाजिबात के लिये दिया जाता है, जिसकी तफ़्सील आगे बाब 21 में आ रही है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، لَمْ يُسَمِّهِ .

(2659) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, मगर इसमें अब्दुल्लाह बिन सईद (रज़ि.) की बजाय इब्ने सईद बिन जुबैर (रज़ि.) है, इसका नाम (अब्दुल्लाह) नहीं लिया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُومُوهُ أَنْتُمْ " .

(2660) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि यौमे आशूरा ऐसा दिन था जिसकी यहूद तअज़ीम करते थे और इसे ईद (मसर्रत/ख़ुशी) का दिन क़रार देते थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम भी इस दिन का रोज़ा रखो।'

(सहीह बुख़ारी : 2005, 3942)

وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، فَذَكَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ

(2661) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि अहले ख़ैबर यौमे आशूरा का रोज़ा रखते थे, इसे ईद का दिन क़रार देते थे और अपनी औरतों को उनके ज़ेवरात पहनाते थे और उनको बेहतरीन लिबास पहनाते थे तो

قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَصُومُوهُ أَنْتُمْ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम भी इस दिन का रोज़ा रखो।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : अश्शारतु, अश्शूरह : बेहतरीन हालत, बनाव सिंघार। बेहतरीन लिबास

फ़ायदा : यहूद मूसा (अलै.) की इक़्तिदा में आशूरा का रोज़ा भी रखते थे और इसकी अ़ज़मत व एहतिराम के पेशे नज़र, इसको जश्न और त्यौहार का दिन क़रार देकर बेहतरीन लिबास पहनते और बनाव-सिंघार भी करते थे। हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) चूंकि 7 हिजरी में फ़तहे ख़ैबर के वक़्त तशरीफ़ लाये हैं, इसलिये उन्होंने अहले ख़ैबर के हालात ही बयान किये।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ، يَوْمِ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ .

(2662) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से यौमे आ़शूरा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी दिन का रोज़ा इसको दूसरे दिनों पर फ़ज़ीलत देते हुए रखा हो, सिवाय इस दिन के और न आप (ﷺ) ने किसी महीने की फ़ज़ीलत की बिना पर पूरा महीना रोज़े रखे, सिवाय इस माह यानी रमज़ान के।

(सहीह बुख़ारी : 2006, नसाई : 4/204)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ، اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

(2663) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

बाब 20 : आशूरा का रोज़ा किस दिन रखा जायेगा

باب أَىُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ

(2664) हकम बिन आरज (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास पहुँचा, जबकि वो ज़मज़म के पास अपनी चादर को सिरहाने (तकिया) बनाये हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे आशूरा के रोज़े के बारे में बताइये? तो उन्होंने जवाब दिया, जब मुहर्रम का चाँद देख लो तो उसको गिनते रहो और नवीं दिन की सुबह रोज़े की हालत में करो। मैंने पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) इसका रोज़ा ऐसे ही रखते थे? उन्होंने कहा, हाँ।

(अबू दाऊद : 2446, तिर्मिज़ी : 754)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَالَ نَعَمْ .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी ज़िदगी के आख़िरी साल, इस बात का इज़हार फ़रमाया था कि अगर मैं ज़िन्दा रहा तो नवीं तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। जैसाकि आगे इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत आ रही है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि आइन्दा हम दसवीं मुहर्रम की बजाय ये रोज़ा नवीं मुहर्रम ही को रखा करेंगे, दूसरा ये कि आइन्दा से हम दसवीं मुहर्रम के साथ नवीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखा करेंगे। ताकि हमारे और यहूदो-नसारा के तरीक़े में फ़र्क़ हो जाये और मुशाबिहत ख़त्म हो जाये और मुस्नद अहमद की रिवायत से इसी दूसरे नस को तरजीह हासिल है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम आशूरा का रोज़ा रखो और यहूद की मुख़ालिफ़त भी करो और एक दिन पहले या बाद का रोज़ा भी रखो।' जुम्हूर उम्मत का इस मानी पर इत्तिफ़ाक़ है, अगरचे इस दौर के कुछ उलमा का ख़याल है कि हमारे ज़माने में चूंकि यहूदो-नसारा का कोई काम भी क़मरी महीनों के हिसाब से नहीं होता, इसलिये अब किसी इश्तिराक और तशाबोह का सवाल पैदा नहीं होता और लिहाज़ा फ़ी ज़मानिना रफ़ए तशाबोह के लिये नवीं या ग्यारहवीं का रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, तहावी की रिवायत है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, यहूद की मुख़ालिफ़त करो और नवीं, दसवीं दोनों का रोज़ा रखो। फ़तहुल मुल्हिम, पेज नं. 145, जिल्द 3

(2665) हकम बिन आरज (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से (जबकि वो ज़मज़म के पास अपनी चादर का तकिया बनाये हुए थे) आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा? आगे मज़्कूरा बाला हदीस है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ .

(2666) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यौमे आशूरा का रोज़ा रखना अपना मामूल बना लिया और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दिया तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! ये वो दिन है जिसकी यहूदो-नसारा तअज़ीम करते हैं (ये गोया उनका क़ौमी व मज़हबी शिआर है और इस दिन रोज़ा रखने से उनके साथ इश्तिराक और तशाबोह/हम आहंगी पैदा होता है) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इन्शाअल्लाह! जब अगला साल आयेगा तो हम नवीं को रोज़ा रखेंगे।' अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, अगला साल आने से पहले ही रसूलुल्लाह (ﷺ) वफ़ात पा गये।

(अबू दाऊद : 2445)

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ " . قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(2667) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर मैं आइन्दा साल तक ज़िन्दा रहा तो नवीं का रोज़ा रखूँगा।' अबू बकर

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، - لَعَلَّهُ قَالَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ .

(रज़ि.) की रिवायत है, आप (ﷺ) की मुराद आशूरा का रोज़ा था।

(इब्ने माजह : 1736)

फ़ायदा : चूंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नवीं के रोज़े की ख़्वाहिश फ़रमाई थी, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कह दिया था, आप (ﷺ) नवीं का रोज़ा रखते थे।

بَابُ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

बाब 21 : जिसने आशूरा के दिन खा-पी लिया है, वो बक़िया दिन उससे बाज़ रहे

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي، عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ " مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ " .

(2668) हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आशूरा के दिन अस्लम क़बीले का एक आदमी भेजा और उसे हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान कर दो, 'जिसने रोज़ा नहीं रखा, वो रोज़ा रख ले और जिसने खा-पी लिया है तो वो (दिन का बाक़ी हिस्सा) रात तक रोज़ा पूरा करे।'

(सहीह बुख़ारी : 1924, 2007, 7265, नसाई : 4/192)

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لاَحِقٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ، بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ " مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا

(2669) हज़रत रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़रा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यौमे आशूरा की सुबह मदीना के आस-पास की अन्सार की बस्तियों में इत्तिलाअ भेजी (ख़बर भिजवाई कि) 'जिन्होंने सुबह रोज़े की हालत में की (अभी तक कुछ खाया-पिया नहीं) वो अपना रोज़ा

पूरा करें और जिन्होंने सुबह इफ़्तार की हालत में की, (कुछ खा-पी लिया है) वो दिन का बाक़ी हिस्से का रोज़ा पूरा करें।' उसके बाद, हम ख़ुद रोज़ा रखते थे और इन्शाअल्लाह अपने छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे और हम मस्जिद को चले जाते तो उनके लिये रूई का खिलौना (गुड़िया) बनाते, जब उनमें से कोई खाने के लिये रोता तो हम उन्हें इफ़्तार तक उस गुड़िया के ज़रिये बहला कर ले जाते।

(सहीह बुख़ारी : 1960)

فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ " . فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ .

(2670) ख़ालिद बिन ज़क्वान (रह.) बयान करते हैं कि मैंने जब रूबैअ़ बिन्ते मुअ़व्विज़ (रज़ि.) से आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा? उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अन्सार की बस्तियों में अपने पैग़म्बर (मैसेन्जर) भेजे। बिश्र की तरह हदीस़ बयान की, बस इतना फ़र्क़ है कि उसने कहा, हम उनके लिये रूई की गुड़िया बनाते और उसे अपने साथ ले जाते तो जब वो हमसे खाना माँगते तो हम उन्हें वो गुड़िया ग़ाफ़िल करने के लिये दे देते ताकि वो अपना रोज़ा पूरा कर लें या यहाँ तक कि वो अपना रोज़ा पूरा कर लेते।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْعَطَّارُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ سَأَلْتُ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْمِ، عَاشُورَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُسُلَهُ فِي قُرَى الأَنْصَارِ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ .

फ़ायदा : हज़रत सलमा बिन अक्वअ़ और हज़रत रूबैअ़ बिन्ते मुअ़व्विज़ (रज़ि.) की हदीसों से मालूम होता है कि आप (ﷺ) ने मदीना में आने के बाद, जब आपको ये मालूम हुआ कि हज़रत मूसा (अलै.) आशूरा का रोज़ा रखते थे तो आपने उस दिन के रोज़े का ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाया और इसका मुसलमानों को उ़मूमी हुक्म देने के लिये यौमे आशूरा की सुबह मदीना के आस-पास की उन बस्तियों में जहाँ अन्सार रहते थे, ये इत्तिलाअ़ भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया-पिया न हो वो आज के दिन रोज़ा रखें और जिन्होंने कुछ खा-पी लिया हो वो भी दिन के बाक़ी हिस्से में कुछ न खाये-पिये, बल्कि रोज़ेदारों की तरह रहें और फिर अन्सार ने इसका इस क़द्र एहतिमाम किया कि

उन्होंने छोटे बच्चों को भी रोज़े रखवाये और उनको मशग़ूल व मसरूफ़ करने के लिये ताकि वो खाने पर इसरार न करें, रूई के खिलौने तैयार करके उनको बहलाया। अहनाफ़ ने इस ताकीदी हुक्म से आशूरा की फ़र्ज़िय्यत पर इस्तिदलाल किया है और इससे ये मसला साबित किया है कि फ़र्ज़ रोज़े के लिये भी रात को निय्यत करना ज़रूरी नहीं है। बाक़ी अइम्मा के नज़दीक फ़र्ज़ रोज़े के लिये रात को निय्यत ज़रूरी है और अगर आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ होता तो उसकी भी रात को निय्यत की जाती, इसकी ताकीद और एहतिमाम का लोगों को पहले पता ही न था। आप (ﷺ) ने सुबह के बाद उसका ऐलान करवाया, इसलिये इससे सिर्फ़ इस क़द्र बात साबित हो सकती है, अगर कोई रात भर सोया रहा, तुलूअे फ़ज्र के बाद बेदार हुआ तो वो इस तरह रोज़ा रख सकता है, जब उसे ये पता चले आज रोज़ा है।

बाब 22 : ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा रखना जाइज़ नहीं है

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى

(2671) इब्ने अज़हर के आज़ाद करदा गुलाम अबू उबैद (रह.) बयान करते हैं कि मैंने ईद की नमाज़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की इक़्तिदा में पढ़ी। वो तशरीफ़ लाये, नमाज़ पढ़ाई। फिर नमाज़ से फ़ारिग़ होकर लोगों को ख़िताब फ़रमाया और कहा, ये दो दिन वो हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इनमें रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। एक वो दिन जो तुम्हारे रोज़े छोड़ने का दिन है और दूसरा वो दिन है जिसमें तुम अपनी क़ुर्बानियों का गोश्त खाते हो।

(सहीह बुख़ारी : 1990, 5571, अबू दाऊद : 2416, तिर्मिज़ी : 771, इब्ने माजह : 1722)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ :شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ यौमुल फ़ित्र का रोज़ा इसलिये मना है कि इसको अल्लाह तआला ने रमज़ान के बाद 'फ़ित्र का दिन' यानी रोज़ा न रखने और खाने-पीने का दिन क़रार दिया है। इसलिये इस दिन रोज़ा रखने में मन्शाए इलाही की मुख़ालिफ़त है और यौमुन्नहर का रोज़ा इसलिये मना किया कि वो क़ुर्बानी का गोश्त खाने का दिन है, गोया अल्लाह तआला की मर्ज़ी ये है कि इस दिन जो

क़ुर्बानियाँ अल्लाह तआला की रज़ा व ख़ुश्नूदी के हुसूल के लिये की जायें, उसके बन्द ग्न क़ुर्बानियों का गोश्त अल्लाह तआला की तरफ़ से ज़ियाफ़त समझकर ख़ुश-ख़ुश खायें और वो इंसान बिला शुब्हा बड़ा मुतकब्बिर और नमक हराम होगा जो अल्लाह तआला की आम दावत के दिन, जान-बूझकर रोज़ा रख ले।

(2672) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो दिनों, क़ुर्बानियों का दिन और फ़ित्र का दिन के रोज़े से मना फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

(2673) क़ज़आ (रह.) से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से एक हदीस़ सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने ये रिवायत बराहे रास्त (डायरेक्ट) रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने जवाब दिया, तो क्या मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ ऐसी बात मन्सूब करता हूँ जो मैंने सुनी नहीं है? मैंने आपको फ़रमाते हुए सुना कि दो दिनों, क़ुर्बानियों का दिन और रमज़ान से फ़ित्र का दिन (यानी ईदुल फ़ित्र में) रोज़ा रखना दुरुस्त और मुनासिब नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 1995, इब्ने माजह : 1721)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، -وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ، حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ " .

(2674) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो दिनों, फ़ित्र का दिन और क़ुर्बानी का दिन के रोज़े से मना फ़रमाया।

(सहीह बुख़ारी : 1991, अबू दाऊद : 2417, तिर्मिज़ी : 772)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ .

(2675) ज़ियाद इब्ने जुबैर (रह.) से रिवायत है कि एक आदमी इब्ने उ़मर (रज़ि.) के पास आया और पूछा, मैंने एक दिन रोज़ा रखने की नज़्र मानी और वो दिन अज़्हा का दिन या फ़ित्र का दिन निकल आया। तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्लाह तआ़ला ने नज़्र पूरी करने का हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस दिन के रोज़े से मना फ़रमाया है।

(सहीह बुख़ारी : 1994, 6706)

फ़ायदा : उम्मत के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा का रोज़ा रखना हराम है, लेकिन अगर किसी ने इन दिनों के रोज़े की नज़्र मानी तो जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक वो नज़्र कल्अ़दम होगी और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक वो नज़्र मुन्अ़क़िद हो जायेगी और उसकी क़ज़ा ज़रूरी होगी और अगर उसी दिन रोज़ा रख ले तो हो जायेगा यानी अगर किसी ने नज़्र मानी कि मैं फ़लाँ तारीख़ को रोज़ा रखूँगा या फ़लाँ माह के पहले हफ़्ते में सोमवार का या जुमेरात का रोज़ा रखूँगा और वो दिन इत्तिफ़ाक़ से ईद का दिन निकला तो जुम्हूर के नज़दीक रोज़े की नज़्र कल्अ़दम होगी और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक क़ज़ा लाज़िम है क्योंकि नज़्र मुन्अ़क़िद हो चुकी है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى

(2676) हज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो रोज़ों, फ़ित्र के दिन और क़ुर्बानी के दिन से मना फ़रमाया।

باب تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

बाब 23 : अय्यामे तशरीक़ (11 से 13) में रोज़ा रखना हराम है

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " .

(2677) हज़रत नुबैशा हुज़ली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अय्यामे तशरीक़ खाने और पीने के दिन हैं।'

फ़ायदा : अय्यामे तशरीक़ से मुराद 10 ज़िल्हिज्जा से लेकर 13 ज़िल्हिज्जा तक के चार दिन हैं। ये चूंकि खाने-पीने के दिन हैं इसलिये इनमें रोज़ा रखना जाइज़ नहीं। लेकिन क़ुरआन मजीद में मुतमत्तेअ के बारे में फ़रमाया कि अगर उसके पास हदी न हो तो वो दस रोज़े रखे और (सलासत अय्याम फ़िल्हज्ज) हों यानी तीन रोज़े हज के दिनों में रखने होंगे और ये आयत आम है कि ये दिन क़ुर्बानी से पहले हों या बाद में, इसलिये इस मसले में अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के राजेह क़ौल के मुताबिक़ अय्यामे तशरीक़ में रोज़े किसी के लिये भी जाइज़ नहीं हैं लेकिन इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ और इमाम शाफ़ेई के एक क़ौल की रू से मुतमत्तेअ, क़ारिन और मुहस्सिर के लिये अय्यामे तशरीक़ के रोज़े जाइज़ हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، -يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ " وَذِكْرٍ لِلَّهِ " .

(2678) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत नक़ल करते हैं और उसमें 'यादे इलाही के दिन' होने का इज़ाफ़ा है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى " أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ . وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " .

(2679) हज़रत कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे और औस बिन हदसान (रज़ि.) को अय्यामे तशरीक़ में ये ऐलान करने के लिये भेजा कि 'जन्नत में सिर्फ़ मोमिन दाख़िल होगा और मिना के दिन खाने-पीने के दिन हैं।' (अय्यामे मिना से मुराद अय्यामे तशरीक़ हैं।)

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، بْنُ

(2680) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से इब्राहीम बिन तहमान ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं सिर्फ़ ये फ़र्क़ है

कि पहली रिवायत में फ़नाद–य है उसने ऐलान किया और इसमें – फ़नादया है दोनों ने ऐलान किया।

طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَنَادَيَا .

बाब 24 : (सिर्फ़) अकेले जुम्आ का रोज़ा रखना मकरूह है

باب كَرَاهِيَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

(2681) मुहम्मद बिन अबाद बिन जाफ़र (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से जबकि वह बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ρ) ने जुम्आ के दिन के रोज़े से मना फ़रमाया है? तो उन्होंने कहा, हाँ इस घर के रब की क़सम!

(बुख़ारी : 1984, इब्ने माजा : 1724)

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ .

(2682) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से इस क़िस्म की रिवायत नक़ल करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(2683) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई शख़्स जुमा का रोज़ा न रखे, मगर ये कि उससे एक दिन पहले का (जुमेरात का) या उसके एक दिन बाद (हफ़्ते) का रोज़ा भी रखे।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، -وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ " .

(इब्ने माजह : 1723, 12365, अबू दाऊद : 2420, 743, तिर्मिज़ी : 743)

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، - يَعْنِي الْجُعْفِيَّ - عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

(2684) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम लोग रातों में से जुम्आ की रात को क़ियाम और इबादत के लिये मख़्सूस न करो और तुम लोग दिनों में से जुम्आ के दिन को रोज़े के लिये मख़्सूस न करो मगर ये कि वो तुम्हारे रोज़े के मामूल के दिनों में आ जाये।'

फ़ायदा : जुम्आ के दिन की फ़ज़ीलत की बिना पर इस बात का इम्कान था कि लोग इस दिन को नफ़ली रोज़ा रखने और रात को क़ियाम व तिलावत के लिये मख़्सूस कर लें और आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ फ़र्ज़ व वाजिब का मामला करने लगें, हालांकि शरीअत ने इसको फ़र्ज़ व वाजिब नहीं ठहराया। तो इस तरह बिदअत का दरवाज़ा खुल जायेगा, इसलिये आप (ﷺ) ने किसी दिन या रात में अपनी तरफ़ से किसी इबादत की राह बंद करने के लिये ये हुक्म सादिर फ़रमाया। जिससे साबित हुआ, शरीअत ने जिनको लाज़िम नहीं ठहराया, उसको लाज़िम ठहराना या उसके साथ लाज़िम जैसा सुलूक करना दुरुस्त नहीं है और ये कि किसी इबादत के लिये अपने तौर पर किसी दिन की तख़्सीस नहीं कर सकते। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम मुहम्मद के नज़दीक इस तरह इमाम मालिक के नज़दीक जुम्आ के दिन बिला क़ैद रोज़ा रखना जाइज़ है और बाक़ी अइम्मा के नज़दीक, हदीस के मुताबिक़ जुम्आ की तख़्सीस जाइज़ नहीं है। मगर ये कि वो उसके मामूल के दिनों में आ जाये, जैसे एक इंसान हमेशा यकम, ग्यारह और इक्कीस तारीख़ को रोज़ा रखता है तो उनमें से कोई तारीख़ जुम्आ को पड़ जाये तो फिर जुम्आ का रोज़ा रखना जाइज़ होगा और अहनाफ़ का जुम्आ के रोज़े के लिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की रिवायत है कि आप (ﷺ) जुम्आ का रोज़ा कम ही छोड़ते थे, से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत के मुताबिक़ हमेशा जुमेरात को भी रोज़ा रखते थे, दूसरी रिवायत है कि आप एक महीने में हफ़्ता, इतवार और पीर का रोज़ा रखते और अगले महीने मंगल, बुध और जुमेरात का, इसलिये आप अकेले जुम्आ का रोज़ा नहीं रखते थे कि बाक़ी दिनों को नज़र अन्दाज़ फ़रमा दें।

बाब 25 : अल्लाह तआ़ला का फ़रमान, 'व अ़लल्लज़ी-न युतीक़ूनहू फ़िद्यतुन' दूसरे फ़रमान फ़मन शहि-द मिन्कुमुश्शह्र से मन्सूख़ हो गया

باب بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ . حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .

(2685) हज़रत सलमा बिन अक्वअ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, 'जो लोग रोज़े की ताक़त रखते हों (लेकिन वो रोज़ा न रखें) तो वो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें।' (सूरह बक़रह : 184) तो जो इंसान रोज़ा न रखकर फ़िद्या देना चाहता, वो ऐसा कर लेता, यहाँ तक कि बाद वाली आयत 'शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन' उतरी तो उसने इस रुख़्सत को मन्सूख़ (ख़त्म) कर दिया।

(सहीह बुख़ारी : 4507, अबू दाऊद : 2315, तिर्मिज़ी : 798, नसाई : 4/190)

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ، الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، -رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(2686) हज़रत सलमा बिन अक्वअ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में हममें से जो चाहता रोज़ा रख लेता और जो चाहता रोज़ा न रखता और एक मिस्कीन का खाना बतौरे फ़िद्या दे देता। यहाँ तक कि ये आयत उतरी, 'जो शख़्स तुममें से इस माह (रमज़ान) को पा ले, (उसमें मुक़ीम हो) वो रोज़े रखे।' (सूरह बक़रह : 185)

(सहीह मुस्लिम : 2680)

फ़ायदा : आयते मुबारका व अलल्लज़ी-न युतीक़ूनहू के मुहकम और मन्सूख़ होने में इख़्तिलाफ़ है क्योंकि अल्लज़ी-न युतीक़ून के मानी व मफ़्हूम में इख़्तिलाफ़ है। लेकिन आयत का सियाक़ व सबाक़ और हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) की हदीस़ का तक़ाज़ा यही है कि शुरू इस्लाम में जब लोग रोज़ा रखने के आदी नहीं थे तो आरिज़ी तौर पर रोज़ा न रखने की सूरत में एक मिस्कीन का खाना बतौरे फ़िद्या मुक़र्रर किया गया, लेकिन फ़रमाया यही गया, व अन् तसूमू ख़ैरुल्लकुम और तुम्हारे हक़ में रोज़ा रखना ही बेहतर है। नीज़ उस फ़क़्रो-फ़ाक़ा के दौर में कितने लोग फ़िद्या अदा करने की सकत रखते थे, बाद में ये आरिज़ी रुख़्सत भी मन्सूख़ हो गई। हाँ बूढ़ा और औरत और दायमी मरीज़, जिनके लिये रोज़ा रखना मुम्किन नहीं है, वो एक मिस्कीन को खाना खिलायें या जुम्हूर के नज़दीक एक मुद्द ग़ल्ला दे दें और अहनाफ़ के नज़दीक निस्फ़ साअ और उनके नज़दीक साअ भी 4.1/2 सेर का है, लिहाज़ा सवा दो सेर गन्दुम फ़िद्या देना होगा।

बाब 26 : जिसने किसी उज़्र, मर्ज़, सफ़र और हैज़ वग़ैरह की बिना पर रोज़ा छोड़ा हो उसके लिये रमज़ान (के रोज़ों) की क़ज़ा अगले रमज़ान की आमद (से पहले) तक मुअख़्ख़र (ताख़ीर) करने का जवाज़

باب قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

(2687) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मेरे ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े होते तो मैं उनकी शअबान के सिवा किसी माह में क़ज़ाई न दे सकती थी, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत की मसरूफ़ियत होती थी।

(सहीह बुख़ारी : 1950, अबू दाऊद : 2318, इब्ने माजह : 2399, नसाई : 1669)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي، سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2688) मुसन्निफ़ एक और उस्ताद से यहया बिन सईद ही की सनद से बयान करते हैं, उसमें है ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी की बिना पर होता था।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(2689) मुसन्निफ़ एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, उसमें ये है कि यहया बिन सईद कहते हैं, मेरा ख़याल है कि ये उनके नबी की ख़िदमत में हाज़िरी की बिना पर होता था। आप (ﷺ) की ख़ातिर वो रोज़ा नहीं रख सकती थीं।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. يَحْيَى يَقُولُهُ

(2690) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत यहया ही की सनद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में मशग़ूलियत का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(2691) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हममें से एक रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने मुबारक में रोज़ा (हैज़ वग़ैरह) की बिना पर इफ़्तार करती तो वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ शअबान की आमद तक क़ज़ाई नहीं दे सकती थी।

(सहीह बुख़ारी : 1952, अबू दाऊद : 2400)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीस से साबित होता है कि अगर किसी शख़्स के रमज़ान के रोज़े किसी सबब, मर्ज़, सफ़र या मजबूरी और उज़्रे हैज़, निफ़ास, हमल वग़ैरह के सबब रह जायें तो उनका रमज़ान के फ़ौरन बाद रखना ज़रूरी नहीं है, अगले रमज़ान की आमद से पहले-पहले, जब चाहे वो रोज़े रख सकता है, अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) चूंकि हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत के शर्फ़ के लिये हर वक़्त मुस्तइद रहती थीं, इसलिये वो शअबान ही में रोज़ों की क़ज़ाई देती थीं, क्योंकि इस माह में आप (ﷺ) बकसरत रोज़े रखते थे, अइम्म-ए-अरबआ का मौक़िफ़ यही है।

बाब 27 : मय्यित की तरफ़ से रोज़ों की क़ज़ाई देना

باب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

(2692) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान इस हालत में फ़ौत हो जाये कि उसके ज़िम्मे कुछ रोज़े हों तो उसकी तरफ़ से उसका वली रोज़े रखे।'

(सहीह बुख़ारी : 1952, अबू दाऊद : 2400)

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " .

(2693) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आपसे पूछा कि मेरी वालिदा फ़ौत हो गई है और उसके ज़िम्मे एक माह के रोज़े हैं? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बताइये! अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसको अदा करती?' उसने कहा, हाँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो अल्लाह का क़र्ज़ अदायगी का ज़्यादा हक़दार है।'

(सहीह बुख़ारी : 1953, अबू दाऊद : 3310, तिर्मिज़ी : 716, 717, इब्ने माजह : 1758)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . فَقَالَ " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ " .

(2694) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माँ फ़ौत हो गई और उसके ज़िम्मे एक माह के रोज़े हैं तो क्या मैं उनको उसकी तरफ़ से रख सकता हूँ तो आपने फ़रमाया, 'अगर तेरी माँ के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो उसकी तरफ़ से उसे अदा करता?' उसने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो अल्लाह का क़र्ज़ ज़्यादा हक़दार है कि उसको चुकाया जाये।'

सुलेमान का कौल है कि हकम और सलमा बिन कुहैल दोनों ने बताया जब मुस्लिम (बतीन) ने ये हदीस सुनाई हम भी बैठे हुये थे और उन दोनों ने बताया ये रिवायत हमने मुजाहिद से भी इब्ने अब्बास से रिवायत करते हुए सुनी।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " . قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيعًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالاَ سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(2695) इमाम साहब ने अपने उस्ताद अबू सईद अशज से ये रिवायत आमश (सुलैमान) से सलमा बिन कुहैल, हकम बिन उतैबा और मुस्लिम बतीन तीनों ने सईद बिन जुबैर, मुजाहिद और अता के वास्ते से इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़ल की।

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ، بْنِ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत से ये बात सराहतन साबित होती है कि मय्यित की तरफ़ से उसका वली रोज़े रख सकता है और उसे रोज़े रखने चाहिये और आप (ﷺ) ने ये बात एक मिसाल के ज़रिये समझाई जबकि रोज़ा इंसान के ज़िम्मे अल्लाह का हक़ है, जो क़र्ज़ के हुक्म में है। जिस तरह इंसानी क़र्ज़ की अदायगी ज़रूरी है, उससे बढ़कर अल्लाह के क़र्ज़ की अदायगी लाज़िमी है और हज की तरह रोज़ा भी ऐसा हक़ है, जिसकी इंसान की ज़िन्दगी में

भी नियाबत, उज़्र या मजबूरी की सूरत में जाइज़ है, लेकिन नमाज़ की नियाबत बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ नहीं है, इसलिये अहले ज़ाहिर के नज़दीक आप (ﷺ) के हुक्म की बिना पर, वली के लिये रोज़े रखना ज़रूरी है। मुहद्दिसीन, अबू स़ौर और कुछ शवाफ़ेअ के नज़दीक भी इन सहीह अहादीस़ की बिना पर उसको जाइज़ क़रार दिया गया है और इमाम इब्ने तैमिया की भी यही राय है और हाफ़िज़ इब्ने हज़्म ने इसकी पुरज़ोर वकालत की है, लेकिन अहनाफ़ और शवाफ़ेअ जो इबादात में भी (यानी बदनी इबादत में) क़ियास से काम लेकर मय्यित की तरफ़ से तिलावते क़ुरआनी जाइज़ क़रार देते हैं। हालांकि किसी हदीस़ में इसका ज़िक्र नहीं है और ये नमाज़ की तरह ख़ालिस बदनी इबादत है जिसमें नियाबत आप (ﷺ) से स़ाबित नहीं है, उनके नज़दीक वली, मय्यित की तरफ़ से रोज़े नहीं रख सकता और सहीह अहादीस़ के मुक़ाबले में सहाबा के अक़्वाल पेश करते हैं या ऐसे क़वाइद व ज़वाबित जो वज़ई हैं या यहाँ चस्पाँ नहीं होते, पेश करते हैं। बहरहाल इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक अगर मय्यित ने अपने माल से फ़िद्ये की अदायगी की वसियत की हो तो फ़िद्या अदा करना वाजिब है। अगर वसियत न की हो तो मुस्तहब है, इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक नज़्र की सूरत में रोज़े रखे जायेंगे और रमज़ान की सूरत में इमाम शाफ़ेई की तरह हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा। अल्लामा सिन्धी (रह.) ने ज़ाहिरी मानी को तरजीह दी है।

(2696) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माँ फ़ौत हो गई और उसके ज़िम्मे नज़्र के रोज़े हैं, क्या मैं उसकी तरफ़ से रोज़े रखूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बताइये! अगर तेरी वालिदा के ज़िम्मे क़र्ज़ होता और तू उसको अदा कर देती तो क्या उसकी तरफ़ से अदा हो जाता?' उसने कहा, हाँ। आपने फ़रमाया, 'तो अपनी माँ की तरफ़ से रोज़ा रख।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ زَكَرِيَّاءَ، بْنِ عَدِيٍّ - قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ

फ़ायदा : क़र्ज़ अल्लाह का हो या किसी बन्दे का, उसकी अदायगी ज़रूरी है और कर्ज़ दूसरा आदमी भी अदा कर सकता है।

(2697) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुरेदा (रज़ि.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा हुआ था इसी दौरान आपके पास एक औरत आ गई और उसने पूछा, मैंने अपनी वालिदा को एक लौण्डी सदक़े में दी और अब मेरी माँ फ़ौत हो गई तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरा अज्र साबित हो गया और विरासत की बिना पर तेरी लौण्डी वापस मिल गई।' उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! उसके ज़िम्मे एक माह के रोज़े थे तो क्या मैं उसकी तरफ़ से रख सकती हूँ। आपने फ़रमाया, 'उसकी तरफ़ से रोज़ा रखो।' उसने पूछा, उसने कभी हज नहीं किया, क्या मैं उसकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ? आपने फ़रमाया, 'उसकी तरफ़ से हज करो।'

(अबू दाऊद : 1656, 2877, तिर्मिज़ी : 667, 929, इब्ने माजह : 1759)

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ - قَالَ - فَقَالَ " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ " صُومِي عَنْهَا " . قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ " حُجِّي عَنْهَا " .

फ़वाइद : (1) अगर कोई इंसान सदक़ा करता है और वो सदक़ा विरासत की बिना पर उसके पास वापस आ जाता है तो उसके लिये उसका लेना जाइज़ है और उसके सवाब में कमी नहीं होगी। **(2)** वालिदैन की तरफ़ से नफ़ली हज भी किया जा सकता है। **(3)** वली रमज़ान के रोज़ों की तरह मय्यित की तरफ़ से नज़्र के रोज़े भी रख सकता है, अगरचे इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक रोज़े रखने जाइज़ नहीं हैं और इमाम अहमद के नज़दीक रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकता और नज़्र के रोज़े रख सकता है।

(2698) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें अना जालिसुन इन्द रसूलिल्लाह के बजाय

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله

عنه - قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ .

कुन्तु जालिसन इन्दन्नबिय्यि है और उसमें एक माह के बजाय दो माह के रोज़े हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ .

(2699) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और मज़्कूरा बाला (ऊपर की) हदीस़ बयान की और उसमें एक माह के रोज़े का ज़िक्र है।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ .

(2700) इमाम साहब एक और उस्ताद से रिवायत बयान करते हैं और उसमें दो माह के रोज़ों का तज़्किरा है।

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، - رضي الله عنه- قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ

(2701) इमाम साहब एक और उस्ताद से सुलैमान बिन बुरैदा की अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं और उसमें एक माह के रोज़ों का ज़िक्र है।

फ़ायदा : अलग-अलग अहादीस़ में कहीं मर्द की आमद का तज़्किरा है और कहीं औरत का, कुछ जगह एक माह के रोज़े हैं और कुछ जगह दो माह के और बक़ौल इमाम नववी इन अहादीस़ में कोई तआरुज़ (टकराव) नहीं है। सवाल मर्द ने भी किया और औरत ने भी, एक माह के बारे में सवाल हुआ और दो माह के बारे में भी और इन सब अहादीस़ से मुश्तरका तौर पर ये बात स़ाबित हुई कि वली, मय्यित की तरफ़ से रोज़ा रख सकता है और इन अहादीस़ के मुख़ालिफ़ कोई सहीह और मरफ़ूअ हदीस़ मौजूद नहीं है और इन अहादीस़ को इत्आम पर महमूल करना, बिला वजह और बिला ज़रूरत है और ज़ाहिरी मानी पर महमूल करने में कोई मानेअ या रुकावट मौजूद नहीं है और इन अहादीस़े सहीहा पर तन्क़ीद और ऐतिराज़ बेजा है।

باب الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ أَوْ يُقَاتَلُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

बाब 28 : रोज़ेदार को अगर खाने की दावत दी जाये तो वो कह दे मैं रोज़ेदार हूँ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه -قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رِوَايَةً وَقَالَ عَمْرٌو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ ".

(2702) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें किसी को खाने की तरफ़ बुलाया जाये जबकि वो रोज़ेदार हो, तो वो कह दे, मैं रोज़ेदार हूँ।'

(अबू दाऊद : 2461, तिर्मिज़ी : 781, इब्ने माजह : 1750)

फ़ायदा : अगरचे नफ़ली नेकी का इख़्फ़ा (छुपाना) बेहतर है लेकिन ज़रूरत के वक़्त इसका इज़हार हो सकता है, नीज़ दावत के लिये रोज़े का इफ़्तार करना ज़रूरी नहीं है, हाज़िर होकर ख़ैर व बरकत की दुआ कर सकता है, अगर दावत देने वाला मजबूर करे और उसके जज़्बात का लिहाज़ रखना ज़रूरी हो तो फिर रोज़ा खोला भी जा सकता है।

باب حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

बाब 29 : रोज़ेदार का ज़बान की हिफ़ाज़त करना

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - رِوَايَةً قَالَ " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ

(2703) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी का किसी दिन रोज़ा हो तो वो शहवत अंगेज़ हरकत न करे और न शोर व ग़ोग़ा करे और न जज़्बात की रौ में बह जाये (जहालत नादानी का काम न करे) अगर कोई

وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ " .

इंसान उसे गाली-गलोच या लड़ाई-झगड़े पर उभारे तो वो सोच ले, मैं तो रोज़ेदार हूँ, मैं तो रोज़ेदार हूँ।' फ़ल्यक़ुल दिल में कहे, सोच ले या ज़बान से कह दे।

फ़ायदा : जिस तरह रोज़ेदार के लिये खाने-पीने और ताल्लुक़ाते ज़न व शौहर से एहतिराज़ (परहेज़) ज़रूरी है, उसी तरह रोज़े की हालत में अपनी ज़बान और दूसरे आज़ा (अंगों) को ख़िलाफ़े शरीअत कामों से बचाना ज़रूरी है। ज़बान से फ़हश गुफ़्तगू या फ़हश हरकात, बिला ज़रूरत शोर व शराबा और चीख़ व पुकार करना, हिल्म व तहम्मुल के बरख़िलाफ़ जज़्बात की रौ में बहकर जहालत व नादानी के काम करना या कोई इश्तिआल दिलाकर गाली-गलोच और लड़ाई-झगड़े पर आमादा करे तो उसके साथ उलझना दुरुस्त नहीं है। बल्कि वो दिल में सोच ले या ज़रूरत और मौक़े व महल का तक़ाज़ा हो तो ज़बान से भी कह दे, मैं रोज़ेदार हूँ और मेरे लिये सब्ब व शतम (गाली गलोच) और लड़ाई-झगड़ा करना नाजाइज़ है। शातमा : गाली-गलोच पर उभारे। क़ातलह : लड़ाई-झगड़े पर उकसाये।

باب فَضْلِ الصِّيَامِ

बाब 30 : रोज़ों की फ़ज़ीलत

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" .

(2704) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फ़रमाया, 'इब्ने आदम का हर अमल उसके लिये है, मगर रोज़ा! वो मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा।' पस उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की ख़ुश्बू से बेहतर है।'

(नसाई : 4/164)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - وَهُوَ

(2705) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रोज़ा ढाल है।'

الْحِزَامِيُّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه -قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصِّيَامُ جُنَّةٌ " .

(2706) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का फ़रमान है, 'इब्ने आदम, इंसान का हर अ़मल उसके लिये है, मगर रोज़ा। क्योंकि वो मेरे लिये है तो मैं ही उसका बदला दूँगा।' और रोज़ा ढाल है लिहाज़ा जब तुममें से किसी का रोज़े का दिन हो तो उस दिन वो बेहूदा और फ़हश बातचीत न करे और न शोर व शग़ब करे। पस अगर कोई दूसरा उससे गाली-गलोच या झगड़ा करने की कोशिश करे तो वो कह दे मैं रोज़ेदार हूँ। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से भी बेहतर होगी और रोज़ेदार के लिये दो मसर्रतें (ख़ुशी) हैं, जो उसके लिये शादमानी का बाइस़ बनती हैं जब वो रोज़ा खोलता है तो अपने फ़ित्र (इफ़्तारी) से ख़ुश होता है नम्बर 2 और जब अपने रब से मिलेगा तो अपने रोज़े की वजह से ख़ुश होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1904, नसाई : 4/163)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ " .

(2707) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आदमी के हर अच्छे अ़मल का अजर दस

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح

गुना से लेकर सात सौ गुना तक बढ़ाया जाता है।' अल्लाह तआला का इरशाद है, 'मगर रोज़ा! क्योंकि वो मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा, मेरी ख़ातिर बन्दा अपनी ख़्वाहिश और अपना खाना-पीना छोड़ता है, रोज़ेदार के लिये दो मसर्रतें हैं, एक मसर्रत इफ़्तार के वक़्त और दूसरी मसर्रत अल्लाह की बारगाह में शर्फ़े बारयाबी के वक़्त और उसके मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की ख़ुश्बू से भी बेहतर है।'

(इब्ने माजह : 1638)

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

(2708) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इरशाद है, बिला शुब्हा रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसका अजर व सवाब दूँगा।' रोज़ेदार के लिये दो ख़ुशियाँ हैं, जब रोज़ा इफ़्तार करता है, ख़ुश होता है और जब अल्लाह से मुलाक़ात होगी, ख़ुश होगा और उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क की ख़ुश्बू से भी बेहतर है।'

(नसाई : 4/162)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي، سَعِيدٍ - رضى الله عنهما - قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

(2709) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से अबू सिनान ज़िरार बिन मुर्रह की ही सनद से बयान करते हैं। इसमें है, 'जब अल्लाह के हुज़ूर शर्फ़े बारयाबी मिलेगा

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، -وَهُوَ أَبُو

और वो उसे अज्र व स़वाब से नवाज़ेगा, ख़ुश होगा।'

سِنَانٍ - بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ " إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ " .

(नसाई : 4/162)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अस्सियामु जुन्नतुन : रोज़ा ढाल है, जो रोज़ेदार को शैतान व नाजाइज़ ख़्वाहिशों के हमलों से बचाता है, वो उसको बेहूदा और फ़हश बातचीत से, शोर व शग़ब से, सब्ब व शतम और लड़ाई-झगड़े से बचाता है, इसलिये बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो आदमी रोज़ा रखते हुए नाहक़ और बातिल कलाम और बातिल काम नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को उसके भूखे-प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह रोज़ा इंसान के लिये गुनाह व मअ़सियत और शरीअ़त की हुदूद की पामाली से ढाल बनकर अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब और नाराज़ी से ढाल बनता है और शैतान व नफ़्स के हमलों से बचाव की बिना पर अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी और ग़ज़ब के महल, आतिशे दोज़ख़ से भी ढाल बनेगा। **(2) लिस्साइमि फ़रहतान :** एक मोमिन बन्दा जब अल्लाह के फ़रीज़े की अदायगी से सुबुकदोश होता है तो अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़े अमल पर ख़ुश होता है कि उसने फ़र्ज़ और हक़ की अदायगी की तौफ़ीक़ दी। दोबारा ख़ुशी उस वक़्त होगी जब क़यामत के दिन रोज़े का अज्र और मज़दूरी बेहद्दो-हिसाब लेगा। **(3) ख़ुलूफ़ु फ़मिस्साइम :** भूख व प्यास के नतीजे में रोज़ेदार के मुँह से जो बू पैदा होती है तो इंसानों के लिये जितनी अच्छी और जितनी प्यारी और पसंदीदा व महबूब मुश्क की ख़ुश्बू होती है तो बिला शुब्हा अल्लाह के यहाँ रोज़ेदार के मुँह की बू उस मुश्क की ख़ुश्बू से भी ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है, लेकिन ये मुँह की बू, मिस्वाक वग़ैरह से ज़ाइल नहीं होती। इसलिये रोज़ेदार को वुज़ू के साथ मिस्वाक करने के अज्र व स़वाब से महरूम रहने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुलास-ए-कलाम ये है अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस़ में रोज़े की जो ख़ास फ़ज़ीलतें और बरकतें बयान की गई हैं वो उन्ही रोज़ेदारों के लिये हैं, जिनका रोज़ा शहवते नफ़्स और खाने-पीने के अलावा गुनाहों और बुरी और नापसंदीदा बातों और कामों से ढाल बनता है, जो शख़्स रोज़े रखे लेकिन बुरे कामों और ग़लत बातों से परहेज़ न करे उसके लिये भूख व प्यास के सिवा कोई फ़ज़ीलत व बरकत नहीं है। **(4) रफ़स़ :** बेहूदा और शहवत अंगेज़, गन्दी बातें और हरकतें। **(5) अल्जहल :** हिल्म और हिक्मत के मुक़ाबले में है, इश्तिआ़ल अंगेज़ और जज़्बाती क़ौल व अ़मल, ग़ैर दानिशमन्दाना और नादुरुस्त क़ौल व अ़मल। **(6) ख़ुल्फ़ह :** ख़ुलूफ़, ख़लव्व मअ़दे के नतीजे में उठने वाली मुँह की बू। **(7) सख़ब :** सख़ब, चीख़ व पुकार, शोर व गुल।

फ़ायदा : अल्लाह तआ़ला के यहाँ रोज़े को इस क़द्र फ़ज़ीलत और क़द्रो-मन्ज़िलत हासिल है कि उम्मते मरहूमा के आ़माले ख़ैर के बारे में आम क़ानूने इलाही तो ये है कि एक नेकी का अज्र व स़वाब

कम से कम दस गुना मिलेगा, मगर कई बार अमल करने के ख़ास हालात, मौक़ा व महल की मुनासिबत, अमल करने वाले के इख़्लास व ख़शियत की बिना पर आमाले हसना का अज्र सात सौ गुना तक पहुँच जाता है मगर रोज़ा इस आम क़ानूने रहमत से अलग और बालातर है। क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ा और ख़ुश्नूदी ही के हुसूल की ख़ातिर रखा जाता है, जिसमें रियाकारी नहीं हो सकती, जिसे रियाकारी करनी हो वो बग़ैर रोज़े के खा-पीकर भी दावते इफ़्तार में शरीक हो सकता है। इसलिये फ़रमाया, 'वो मेरी ही ख़ातिर अपनी ख़्वाहिश और अपना खाना-पीना छोड़ता है, इसलिये मैं ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ उसकी क़ुर्बानी और नफ़्सकशी का अज्र व सवाब और सिला व जज़ा दूँगा और ये मानी भी हो सकता है कि रोज़े में इंसान आरिज़ी तौर पर कुछ वक़्त के लिये अल्लाह तआला की सिफ़ते इस्तिग़ना और बेनियाज़ी का मज़हर बनता है और अपनी तबई व फ़ितरी ज़रूरियात से अल्लाह तआला की रज़ा और ख़ुश्नूदी की ख़ातिर बचता और परहेज़ करता है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، -وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ - عَنْ سُلَيْمَانَ، بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ " .

(2710) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसे 'रय्यान' कहा जाता है। उससे क़यामत के दिन सिर्फ़ रोज़ेदार दाख़िल होंगे, उनके सिवा कोई और उससे दाख़िल नहीं हो सकेगा। पुकारा जायेगा, कहाँ हैं रोज़ेदार? तो वो उससे दाख़िल होंगे, जब उनका आख़िरी फ़र्द दाख़िल हो जायेगा, दरवाज़ा बंद हो जायेगा तो उससे कोई और दाख़िल नहीं हो सकेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1896)

फ़ायदा : रोज़े में जिस तकलीफ़ का सबसे ज़्यादा एहसास होता है वो प्यास है। इसलिये रोज़े का जो सिला और इनाम दिया जायेगा, उसमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ और ग़ालिब पहलू सैराबी है। इस मुनासिबत से जन्नत में रोज़ेदारों के लिये जो दरवाज़ा दाख़िले के लिये मख़्सूस किया गया है उसका नाम रय्यान (पूरा-पूरा और भरपूर सैराब) होगा।

बाब 31 : अल्लाह की राह में बग़ैर किसी नुक़सानदेह तकलीफ़ और हक़ को फ़ौत करने के रोज़े रखने की ताक़त रखने वाले के रोज़े रखने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلاَ ضَرَرٍ وَلاَ تَفْوِيتِ حَقٍّ

(2711) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स भी अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखता है तो अल्लाह उस रोज़े के ऐवज़ उसके चेहरे (ज़ात) को जहन्नम की आग से सत्तर साल की मसाफ़त तक दूर कर देगा।'

(सहीह बुख़ारी : 2840, तिर्मिज़ी : 1623, नसाई : 4/173, 174, इब्ने माजह : 1717)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ، أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

(2712) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने दूसरे उस्ताद से सुहैल ही की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(2713) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जिस शख़्स ने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह तआला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से सत्तर साल की मसाफ़त तक दूर कर देगा।'

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ، أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - ﷺ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

फ़ायदा : फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद जिहाद है। अगर जिहाद के लिये निकला हुआ मुजाहिद जब कि दुश्मन के मुक़ाबले में मैदान में मौजूद हो, लेकिन जंग हो नहीं रही या इस क़द्र हिम्मत व ताक़त का मालिक हो कि रोज़े से जिहादी कामों में किसी क़िस्म की कोताही और कमज़ोरी नहीं दिखा रहा तो उसका चेहरा यानी ज़ात एक रोज़े के नतीजे में इस क़द्र लम्बी मसाफ़त आतिशे जहन्नम से दूर हो जायेगा गोया जिहाद की बरकत से अज्र में इज़ाफ़ा (बढ़ोतरी) होगा।

بَاب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

बाब 32 : नफ़ली रोज़ा ज़वाल से पहले निय्यत करके रखा जा सकता है और नफ़ली रोज़ा बग़ैर उज़्र के तोड़ा जा सकता है

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ " يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ . قَالَ " فَإِنِّي صَائِمٌ " . قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - قَالَتْ - فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا . قَالَ " مَا هُوَ " . قُلْتُ حَيْسٌ . قَالَ "

(2714) हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'ऐ आइशा! क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है?' तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो मैं रोज़ेदार हूँ।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) बाहर तशरीफ़ ले गये तो हमारे पास तोहफ़ा भेजा गया या हमारे पास मेहमान आ गये (उनके पास हदिया था या उनकी ख़ातिर हदिया पहुँचा) तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाये, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे पास हदिया आया है या हमारे पास मेहमान आये हैं और मैंने आपके लिये कुछ छिपा रखा है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो क्या है?' मैंने अर्ज़ किया, वो हैस है (खजूर, घी और पनीर का आमेज़ा)। आपने फ़रमाया, 'लाइये।' तो मैं उसे ले आई और आपने खा लिया। फिर

هَاتِيهِ " . فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ " قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " . قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं रोज़े से था।' तलहा कहते हैं, मैंने ये हदीस़ मुजाहिद को सुनाई तो उसने कहा, ये ऐसा ही है कि एक आदमी अपने माल से नफ़ली सदक़ा लाता है तो उसकी मर्ज़ी है उसको सदक़ा कर दे या रोक ले।

(अबू दाऊद : 2455, तिर्मिज़ी : 733, 734, नसाई : 4/166)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . فَقُلْنَا لاَ . قَالَ " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ . فَقَالَ " أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " . فَأَكَلَ .

(2715) हज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये और पूछा, 'क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है?' तो हमने कहा, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो अब हम रोज़ेदार हैं।' फिर एक और दिन तशरीफ़ लाये तो हमने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमें मालीदा का हदिया मिला है। तो आपने फ़रमाया, 'मुझे खिलाइये, मैंने तो आज रोज़े की निय्यत की थी।' फिर आप (ﷺ) ने नौश फ़रमाया।

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीस़ से दो बातें मालूम हुईं। एक ये कि नफ़ली रोज़े की निय्यत दिन में भी की जा सकती है, दूसरी ये कि नफ़ली रोज़ा तोड़ा भी जा सकता है और नफ़ली रोज़ा तोड़ना जुर्म या गुनाह नहीं है। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहद्दिस़ीन का यही मौक़िफ है। अगरचे उसकी जगह रोज़ा रखना मुस्तहब है ताकि अज्र व स़वाब हासिल हो सके। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक, नफ़ली रोज़ा तोड़ना जाइज़ नहीं है। ऐसा करने वाला गुनाहगार है और उस पर क़ज़ाई वाजिब है क्योंकि ये अपने अ़मल को बातिल और रायगाँ ठहराना है, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि नफ़ली रोज़ा रखने वाला शरई तौर पर बाइख़्तियार है कि चाहे वो रोज़ा पूरा करे या किसी वजह से तोड़ना चाहे तो तोड़ दे, वो पूरा करने का पाबंद नहीं है, अगर पाबंद होता तो फिर तोड़ने की सूरत में अ़मल बातिल ठहरता।

बाब 33 : भूलकर खाना, पीना और जिमाअ़ करना, रोज़ा नहीं तोड़ता

باب أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لاَ يُفْطِرُ

(2716) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने रोज़े की हालत में भूलकर खा-पी लिया, वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया है (उसने ख़ुद इरादा करके रोज़ा नहीं तोड़ा है, इसलिये उसका रोज़ा बरक़रार है)।'

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि भूलकर खाने-पीने से रोज़ा नहीं टूटता। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई और अहमद का यही मौक़िफ़ है। इमाम नववी ने जिमाअ़ को इस पर क़ियास किया है, अक्सरियत का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक तीनों सूरतों में क़ज़ा है, कफ़्फ़ारा नहीं है। इमाम अहमद के नज़दीक अमले ज़ौजिय्यत भूलकर मुम्किन नहीं है, इसलिये इसमें क़ज़ा और कफ़्फ़ारा है। अता, लैस़ और औज़ाई के नज़दीक जिमाअ़ की सूरत में क़ज़ा है, कफ़्फ़ारा नहीं है।

बाब 34 : रमज़ान के सिवा दीगर महीनों में नबी (ﷺ) का रोज़े रखना और पसंदीदा बात यही है कि कोई महीना रोज़ों से ख़ाली न छोड़ा जाये

بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

(2717) अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के सिवा किसी और मुतअ़य्यन माह के रोज़े रखते थे? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! माहे रमज़ान के सिवा किसी महीने के आप (ﷺ) ने पूरे रोज़े कभी नहीं रखे, यहाँ तक

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ

صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلاَ أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ ‏.‏

कि इस दुनिया से रुख़सत हो गये और न पूरे माह के छोड़े (यानी रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में कुछ दिन रखते, कुछ दिन छोड़ते)।

(नसाई : 4/152)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

(2718) अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी माह के मुकम्मल रोज़े रखते थे? उन्होंने जवाब दिया, मेरे इल्म में रमज़ान के सिवा आप (ﷺ) ने किसी माह के मुकम्मल रोज़े नहीं रखे और न पूरे माह के रोज़े छोड़े। आप (ﷺ) हर माह कुछ न कुछ रोज़े रखते थे यहाँ तक कि सफ़रे आख़िरत पर चले गये।

(नसाई : 4/152)

मुफ़रदातुल हदीस़ : मज़ा लिवज्हिही और मज़ा लिसबीलिही : दोनों का मक़सद फ़ौत हो जाना और सफ़रे आख़िरत इख़्तियार करना है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، - قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنُّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، - قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ ‏.‏ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ - قَالَتْ - وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ ‏.‏

(2719) अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से नबी (ﷺ) के रोज़ों के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, आप (ﷺ) रोज़े रखते थे यहाँ तक कि हम कहते थे, रोज़े रख लिये हैं, रोज़ रख रहे हैं और रोज़े छोड़ देते। यहाँ तक कि हम कहते आप (ﷺ) रोज़े छोड़ रहे हैं, आप रोज़े छोड़ रहे हैं और उन्होंने बताया, जब से आप (ﷺ) मदीना आये हैं, मैंने आपको कभी भी रमज़ान के सिवा पूरे माह के रोज़े रखते नहीं देखा।

(तिर्मिज़ी : 768, नसाई : 4/199)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الإِسْنَادِ هِشَامًا وَلاَ مُحَمَّدًا .

(2720) इमाम साहब यही रिवायत क़ुतैबा से बयान करते हैं, लेकिन इस सनद में हिशाम और मुहम्मद का नाम नहीं लेते।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ .

(2721) हज़रत आइशा (रज़ि.) **बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े रखते, यहाँ तक कि हम ये ख़याल करते आप (ﷺ) अब नाग़ा (छुट्टी) नहीं करेंगे और आप (ﷺ) रोज़े न रखते यहाँ तक कि (मुसलसल रोज़े न रखने से) हमें ख़याल गुज़रता, अब आप रोज़े नहीं रखेंगे और मैंने नहीं देखा कि कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान के सिवा किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों और मैंने नहीं देखा कि आपने किसी महीने में शअबान से ज़्यादा रोज़े रखे हों।**

(सहीह बुख़ारी : 1969, अबू दाऊद : 2434, नसाई : 4/199)

फ़ायदा : नफ़ली रोज़ों के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) का कोई लगा बन्धा दस्तूर और मामूल न था। बल्कि कभी आप (ﷺ) मुसलसल बिला नाग़ा (बग़ैर छुट्टी) रोज़े रखना शुरू कर देते और कभी मुसलसल रोज़े रखने में नाग़ा करते, कभी ऐसा करते कि एक माह शुरू में हफ़्ता, इतवार और पीर का रोज़ा रख लेते और अगले माह मंगल, बुध और जुमेरात का रोज़ा रख लेते। हर हफ़्ते, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते। मक़सद ये था कि नफ़ली रोज़ों के रखने में तंगी और मुश्किल न हो बल्कि वुस्अत का रास्ता खुला रहे, ताकि हर शख़्स अपने अहवाल व ज़ुरूफ़ (हालात) और अपनी हिम्मत के मुताबिक़ रोज़े रखे। आप (ﷺ) सबसे ज़्यादा नफ़ली रोज़े माहे शअबान में रखते थे। क्योंकि इस महीने में बारगाहे इलाही में बन्दों के आमाल पेश होते हैं और आप चाहते थे कि जब आपके आमाल पेश हों तो आप रोज़े से हों, लेकिन आपका कोई महीना, बल्कि कोई हफ़्ता रोज़ों से ख़ाली नहीं होता था।

(2722) अबू सलमा (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के रोज़ों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया, आप (ﷺ) रोज़े रखते रहते यहाँ तक कि हमारा ख़याल होता, रोज़े रखते ही रहेंगे और (कभी) आप रोज़े शुरू न करते यहाँ तक कि हमें ख़याल गुज़रता, आप मुसलसल नाग़ा करेंगे और मैंने आपको कभी शअबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखे नहीं देखा। आप पूरे शअबान के रोज़े रखते थे। क्योंकि आप शअबान के बहुत कम रोज़े छोड़ते थे (लिल्अक्सर हुक्मुल कुल के उसूल के मुताबिक़ आप (ﷺ) पूरे शअबान के रोज़े रखते थे)।

(नसाई : 4/151, इब्ने माजह : 1710)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، -قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ . وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً .

(2723) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) साल भर किसी माह में शअबान से ज़्यादा रोज़ेदार नहीं होते थे और आप फ़रमाते थे, 'उस क़द्र आमाल करो, जो तुम्हारे बस में हों, क्योंकि अल्लाह तआला (अज्र व सवाब देने से) नहीं उकतायेगा, तुम ख़ुद ही (अमल करने से) उकता जाओगे।' और आप (ﷺ) फ़रमाते थे, 'अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन अमल वो है जिस पर साहिबे अमल हमेशगी करे अगरचे वो थोड़ा ही हो।'

(सहीह बुख़ारी : 1970, नसाई : 4/151)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ، أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، -رضى الله عنها - قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ " خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا " . وَكَانَ يَقُولُ " أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ " .

(2724) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान के सिवा किसी कामिल माह के रोज़े नहीं रखे, जब रोज़े शुरू करते, रखते ही रहते, यहाँ तक कि कहने वाला कहता नहीं अल्लाह की क़सम! आप (ﷺ) नाग़ा नहीं करेंगे और जब रोज़े शुरू न करते, नाग़ा ही करते रहते थे यहाँ तक कि कहने वाला ख़्याल करता, नहीं अल्लाह की क़सम! आप रोज़ा नहीं रखेंगे।

(सहीह बुख़ारी : 1971, नसाई : 4/199, इब्ने माजह : 1711)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ . وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللَّهِ لاَ يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللَّهِ لاَ يَصُومُ.

(2725) इमाम साहब मुहम्मद बिन बश्शार और अबू बकर बिन नाफ़ेअ से, अबू बिश्र की ही सनद से बयान करते हैं और उसमें है, जब से आप (ﷺ) मदीना आये हैं, आपने किसी माह के मुसलसल रोज़े नहीं रखे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

(2726) उ़समान बिन हकीम अन्सारी बयान करते हैं कि मैंने माहे रजब में, सईद बिन जुबैर (रज़ि.) से रजब के रोज़े के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने कहा, मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को ये फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (कई बार) रोज़े शुरू करते, यहाँ तक कि हमें ख़्याल गुज़रता कि आप (ﷺ) इफ़्तार नहीं करेंगे (और कई बार इसके बरख़िलाफ़) रोज़े शुरू न करते यहाँ तक कि हम ख़्याल करते, आप रोज़े नहीं रखेंगे।

(अबू दाऊद : 2430)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ، رَجَبٍ -وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ - فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ .

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ . بِمِثْلِهِ

(2727) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।

(अबू दाऊद : 2430)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه ح .وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ .

(2728) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े रखते रहते यहाँ तक कि ख़याल किया जाता रोज़े रखते ही रहेंगे और आप (ﷺ) रोज़े शुरू न करते यहाँ तक कि ख़याल किया जाता, रोज़े इफ़्तार ही करते रहेंगे।

بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرُ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

बाब 35 : हमेशा रोज़ा रखना (सौमुद्दहर) उस शख़्स के लिये मना है जिसको इससे तकलीफ़ पहुँचे या हक़ की अदायगी में कोताही करे या ईदैन और अय्यामे तशरीक़ का रोज़ा भी न छोड़े और अफ़ज़ल ये है कि एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़्तार करे

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

(2729) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को मेरे बारे में ये इत्तिलाअ दी गई कि वो कहता है, मैं ज़िन्दगी भर रात को क़ियाम करूँगा और दिन को रोज़ा रखूँगा। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया,

'क्या तू ही है जो ये बातें करता है?' तो मैंने आपसे अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! वाक़ेई मैंने ये बातें कही हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम ये काम नहीं कर सकोगे। इसलिये रोज़ा रखो भी और इफ़्तार भी करो, नींद भी लो और क़ियाम भी करो और हर माह तीन रोज़े रख लिया करो। क्योंकि हर नेकी का दर्जा कम से कम दस गुना है, इस तरह ये रोज़े हमेशा-हमेशा के बराबर हो जायेंगे।' मैंने अ़र्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 'एक दिन रोज़ा रखो और दो दिन इफ़्तार करो।' तो मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इससे ज़्यादा और बेहतर की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 'एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन न रखो। ये दाऊदी रोज़ा है और ये बेहतरीन रोज़े हैं।' मैंने कहा, मैं इससे बेहतर की ताक़त रखता हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इससे बेहतर कोई सूरत नहीं है।' अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) कहते हैं, अगर मैं आपकी तीन दिन की बात तस्लीम कर लेता तो ये मेरे लिये, मेरे अहलो-माल से ज़्यादा प्यारी होती (क्योंकि बुढ़ापा, कमज़ोरी में, उनके लिये अपनी बात की पाबंदी दिक़्क़त और मशक़्क़त का बाइस बन रही थी)।

(सहीह बुख़ारी : 1976, 3418, अबू दाऊद : 2427, नसाई : 4/211)

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَقُولُ لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ " . فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضى الله عنهما لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّومِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولاً فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ - قَالَ - فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا . فَقَالَ إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَدْخُلُوا وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا . - قَالَ - فَقُلْنَا لاَ بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا فَحَدِّثْنَا . قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ - قَالَ - فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَىَّ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ " . قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ . قَالَ " فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " . قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا - قَالَ - فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ " . قَالَ

(2730) यहया (रह.) बयान करते हैं, मैं और अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद चले यहाँ तक कि हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) के पास पहुँच गये और हमने उनकी तरफ़ एक क़ासिद भेजा तो वो हमारे पास बाहर आ गये। उनके घर के दरवाज़े के पास मस्जिद थी और जब वो हमारी तरफ़ आये तो हम मस्जिद में थे तो वो कहने लगे, अगर चाहो तो घर चलो और चाहो तो यहीं बैठे रहो। हमने कहा, नहीं हम यहीं बैठेंगे, आप अहादीस़ सुनायें। उन्होंने कहा, मुझे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) ने बताया कि मैं हमेशा रोज़े रखता था और हर रात क़ुरआन ख़त्म करता था। मेरा तज़्किरा नबी (ﷺ) से किया गया या आप ने मुझे बुलवाया और मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने मुझे फ़रमाया, 'क्या मुझे ये ख़बर नहीं दी गई कि तुम हमेशा रोज़ा रखते हो और रात भर क़ुरआन पढ़ते रहते हो?' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मैं ऐसा करता हूँ और मेरा मक़सद ख़ैर ही है। आपने फ़रमाया, 'तेरे लिये हर माह तीन रोज़े काफ़ी हैं।' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मैं इससे बेहतर की ताक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुझ पर तेरी बीवी का हक़ है, तुझ पर तेरे मेहमानों का हक़ है और तुझ पर तेरे जिस्म का हक़ है।' आपने फ़रमाया, 'अल्लाह के नबी दाऊद (अ़लै.) वाले रोज़े रखो, वो सब लोगों से बढ़कर इबादतगुज़ार थे।' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह

के नबी! दाऊदी रोज़े कौनसे हैं? आपने फ़रमाया, 'वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ़्तार करते थे।' आपने फ़रमाया, 'क़ुरआन मजीद एक माह में पढ़ा करो।' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 'हर दस दिन में पढ़ा करो।' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मैं इससे बेहतर की ताक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो हर सात दिन में पढ़, इससे ज़्यादा न करो। क्योंकि तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है और तेरे मेहमानों का तुझ पर हक़ है और तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ है।' वो बयान करते हैं, मैंने अपने ऊपर सख़्ती की तो मुझ पर सख़्ती की गई वो (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुझे मालूम नहीं है, उम्मीद है तुम्हें लम्बी उम्र मिलेगी।' कहते हैं जो बात मुझे नबी (ﷺ) ने फ़रमाई थी, उस तक पहुँच गया हूँ तो जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चाहता हूँ ऐ काश! मैंने नबी (ﷺ) की रुख़सत क़ुबूल कर ली होती।

(सहीह बुख़ारी : 1974, 1975, 6134, 5199, नसाई : 4/211)

قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ " كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " . قَالَ " وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ " . قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ " فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ " . قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ " فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ " . قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ . فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا " . قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ . قَالَ وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ " . قَالَ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2731) यही हदीस़ मुझे ज़ुहैर बिन हरब ने यहया ही की सनद से सुनाई। इसमें हर माह तीन रोज़े रखा करो के बाद ये इज़ाफ़ा है, 'क्योंकि तुझे हर नेक काम का दस गुना अज्र मिलेगा, इस तरह हमेशा-हमेशा के रोज़े हो गये' और इस हदीस़ में ये भी है मैंने कहा,

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ " مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " " فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ

अल्लाह के नबी दाऊद (अलै.) के रोज़े कैसे हैं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'निस्फ़ुद्दहर।' हदीस में क़ुरआन पढ़ने का ज़िक्र तक नहीं है और न ये है कि आपने फ़रमाया, 'तुझ पर तेरे मेहमानों का हक़ है।' लेकिन ये फ़रमाया, 'तुझ पर तेरी औलाद का हक़ है।'

" . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ " نِصْفُ الدَّهْرِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ " وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا " . وَلَكِنْ قَالَ " وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا " .

(2732) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़ुरआन मजीद हर माह ख़त्म करो।' मैंने अर्ज़ किया, मुझ में (इससे ज़्यादा की) क़ुव्वत है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बीस रात में पढ़ लिया करो।' मैंने अर्ज़ किया, मुझमें (इससे ज़्यादा) क़ुव्वत है। आपने फ़रमाया, 'हर सात दिन में ख़त्म करो, इस पर इज़ाफ़ा न करना।'

(सहीह बुख़ारी : 5053-5054)

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ - وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ " . قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً " . قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अब्दुल्लाह! फ़लाँ शख़्स की तरह न हो जाना, वो रात को क़ियाम करता था, फिर उसने रात का क़ियाम छोड़ दिया।'

(सहीह बुख़ारी : 1152, नसाई : 3/253, इब्ने माजह : 1331)

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ "

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَىَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلأَهْلِكَ حَظًّا . فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ " فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . قَالَ وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى " . قَالَ مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ " .

(2734) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) को इत्तिलाअ़ मिली कि मैं मुसलसल रोज़े रखता हूँ और रात भर क़ियाम करता हूँ या तो आपने मुझे बुलाया या मैं ख़ुद आपसे मिला तो आपने फ़रमाया, 'क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तुम रोज़े रखते हो, नाग़ा (छुट्टी) नहीं करते हो? और रात भर नमाज़ पढ़ते हो? ऐसे न करो, क्योंकि तेरी आँख का भी हक़ (हिस्सा) है और तेरे नफ़्स का हक़ (हिस्सा) है और तेरे अहल (बीवी-बच्चे) का हक़ (हिस्सा) है, लिहाज़ा रोज़ा भी रखो और इफ़्तार भी करो, नमाज़ भी पढ़ो और सोओ भी और हर दस दिन में एक दिन रोज़ा रखो और बाक़ी नौ का तुझे सवाब मिल जायेगा।' मैंने अ़र्ज़ किया, मैं अपने अंदर इससे ज़्यादा की ताक़त पाता हूँ, ऐ अल्लाह के नबी! आपने फ़रमाया, 'दाऊदी रोज़े रख लिया करो।' अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) ने पूछा, दाऊदी रोज़े किस तरह थे? ऐ अल्लाह के नबी! आपने फ़रमाया, 'वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे और लड़ाई में भागते नहीं थे।' अ़ब्दुल्लाह ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी! मुझे इसकी ज़मानत कौन दे सकता है कि मैं लड़ाई में भागूँगा नहीं। अ़ता कहते हैं, मुझे मालूम नहीं सियामे दहर का (हमेशा-हमेशा रोज़ा) ज़िक्र कैसे हुआ तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने हमेशा रोज़ा रखा, उसने रोज़ा नहीं रखा (क्योंकि आ़दत बन जाने की बिना पर रोज़े का एहसास और

असर ख़त्म हो जायेगा) जिसने हमेशा रोज़ा रखा, उसने रोज़ा नहीं रखा, जिसने हर दिन रोज़ा रखा उसने रोज़ा नहीं रखा (क्योंकि रोज़े का मक़सद ही फ़ौत हो जायेगा)।'

(सहीह बुख़ारी : 1977, 1979, 3419, 1153, नसाई : 4/213, 214, 215, 206, इब्ने माजह : 1706)

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ . قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ .

(2735) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से इब्ने जुरैज ही की सनद से बयान करते हैं, इसमें अता कहते हैं, अबू अब्बास शाइर ने ख़बर दी है, इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं, अबू अब्बास साइब बिन फ़र्रूख़ मक्का का बाशिन्दा, सिक़ह (भरोसेमंद) और आदिल है (आम शाइरों की तरह ग़ैर मोतबर नहीं है)।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهِكَتْ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ " . قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى " .

(2736) अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र! तुम रोज़ाना रोज़ा रखते हो और रात भर क़ियाम करते हो और तुम जब ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारी आँखें अंदर धंस जायेंगी और कमज़ोर हो जायेंगी। जिसने हर दिन रोज़ा रखा, उसने रोज़ा नहीं रखा। हर माह तीन रोज़े रखना, पूरे माह के रोज़े रखना है।' मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो दाऊदी रोज़े रखो, वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे और मुक़ाबले के वक़्त भागते नहीं थे।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) **हजमत :** अंदर धंस जायेगी (2) **नहिकत :** कमज़ोर पड़ जायेगी (3) **नहिक-त :** तुम कमज़ोर और लाग़र हो जाओगे।

(2737) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें है आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारा नफ़्स थक-हार जायेगा।'

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " وَنَفِهَتِ النَّفْسُ " .

(2738) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या मुझे इत्तिलाअ नहीं मिली कि तुम रात भर क़ियाम करते हो और हर दिन रोज़े रखते हो?' मैंने अर्ज़ किया, मैं ये काम करता हूँ। आपने फ़रमाया, 'जब तुम ये काम करते रहोगे तेरी आँखें अंदर धंस जायेंगी और तेरा नफ़्स आजिज़ आ जायेगा, तेरी आँख का हक़ है, तेरे नफ़्स का हक़ है और तेरे घर वालों का हक़ है, क़ियाम करो, नींद लो, रोज़ा रखो और इफ़्तार करो।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ " . قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ " فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلأَهْلِكَ حَقٌّ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ " .

(2739) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला को सब रोज़ों से ज़्यादा पसंद दाऊदी रोज़े हैं और सब नफ़ली नमाज़ों से दाऊद (अलै.) की नमाज़ पसंद है, वो आधी रात तक सोते, फिर तिहाई रात क़ियाम करते और आख़िरी छठे हिस्से में सो जाते (गो रात का सिर्फ़ तिहाई हिस्सा क़ियाम करते और रात के अव्वल और आख़िर में नींद लेते थे) और एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नाग़ा (छुट्टी) करते थे।'

(सहीह बुख़ारी : 1131, 3420, अबू दाऊद : 2448, नसाई : 3/214, 215, 4/198, इब्ने माजह : 1712)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ، عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، -رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " .

(2740) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह को सब रोज़ों से ज़्यादा पसंद रोज़े दाऊद (अलै.) के हैं, वो निस्फ़ुद्दहर (एक दिन रोज़ा, एक दिन नाग़ा) रोज़े रखते थे और अल्लाह को सब नमाज़ों से ज़्यादा (रात की नमाज़) दाऊद (अलै.) की नमाज़ पसंद है वो आधी रात तक सोते, फिर (तिहाई रात) क़ियाम करते, फिर आख़िर में सो जाते। आधी रात के बाद तिहाई रात क़ियाम करते थे।' इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अ़म्र बिन दीनार से पूछा, क्या अ़म्र बिन औस ये कहते थे कि वो आधी रात के बाद तिहाई रात क़ियाम करते थे उसने जवाब दिया, हाँ।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ " . قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ نَعَمْ .

(2741) अबू क़िलाबा बयान करते हैं, मुझे अबुल मलीह ने बताया कि मैं तेरे बाप के साथ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) के पास गया तो उसने हमें बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने मेरे रोज़ों का ज़िक्र किया गया तो आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मैंने आपके लिये चमड़े का एक तकिया पेश किया, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। आप ज़मीन पर फ़रोकश हो गये (बैठ गये) और तकिया मेरे और आपके दरम्यान हो गया तो आपने मुझे फ़रमाया, 'क्या तुझे हर माह तीन रोज़े किफ़ायत नहीं करते?' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! (ये काफ़ी नहीं हैं।) आपने फ़रमाया, 'पाँच।' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَىَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي " أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " خَمْسًا " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " سَبْعًا " .

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " تِسْعًا " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَحَدَ عَشَرَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ" .

के रसूल! आपने फ़रमाया, 'सात।' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'नौ।' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'ग्यारह।' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दाऊदी रोज़ों से ऊपर कोई रोज़ा नहीं, आधा ज़माना, एक दिन रोज़ा एक दिन नाग़ा।'

(सहीह बुख़ारी : 1980, 6277, नसाई : 4/216)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " .

(2742) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'एक दिन रोज़ा रखो और बाक़ी का तुम्हें सवाब मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 'दो दिन रोज़े रखो, बाक़ी (अशरे) का तुम्हें सवाब मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन दिन रोज़े रखो, बाक़ी का सवाब मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 'चार दिन रोज़ा रखो, बाक़ी का अज्र तुम्हें मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा ताक़त रखता हूँ। तो आपने फ़रमाया, 'अल्लाह के यहाँ बेहतरीन रोज़े सौमे दाऊद हैं, वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ते थे।'

(नसाई : 4/217, 4/212)

(2743) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र! मुझे ख़बर मिली है कि तुम दिन को रोज़ा रखते हो और रात को क़ियाम करते हो, ऐसा न करो, क्योंकि तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ है, तेरी आँखों का तुम पर हक़ है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हिस्सा है, रोज़ा रखो भी और रोज़ा इफ़्तार भी करो, हर माह तीन रोज़े रख लिया करो तो ये सौमुद्दहर हो जायेंगे।' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपने अंदर क़ुव्वत पाता हूँ। आपने फ़रमाया, 'तो दाऊद (अ़लै.) के रोज़े रखो, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ़्तार करो, वो (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि. बाद में) कहा करते थे, ऐ काश! मैं (रसूलुल्लाह ρ) की रुख़सत क़ुबूल कर लेता।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، - حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا صُمْ وَأَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي قُوَّةً . قَالَ " فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " . فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ .

फ़ायदा : दीने इस्लाम चूंकि ऐतिदाल और मियाना रवी का दीन है। इसलिये दीन के साथ दुनियवी ज़रूरतों को नज़र अन्दाज़ नहीं करता, बल्कि दोनों के हसीन इम्तिज़ाज (ख़ूबसूरत संगम) की दावत देता है। अपने जिस्म व जान, अहलो-अ़याल और दोस्त व अहबाब के हुक़ूक़ की अदायगी पर ज़ोर देता है और इंसान पर सिर्फ़ इतना बोझ डालता है, जिससे इंसान के दुनियवी हुक़ूक़ व फ़राइज़ मुतास्सिर न हों और न उसके जिस्म व जाँ को ज़रर व नुक़सान या ज़रूरत से ज़्यादा मशक़्क़त व कुल्फ़त का बार बर्दाश्त करना पड़े। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) का ज़ौक़े इबादत बहुत बढ़ा हुआ था। वो हमेशा दिन को रोज़ा रखते और रात भर नफ़ल पढ़ते। जिनमें पूरा क़ुरआन मजीद ख़त्म करते, बाप ने शिकायत की कि वो अपनी बीवी के हुक़ूक़ नज़र अन्दाज़ कर रहे हैं तो हुज़ूर (ﷺ) ने उन्हें हिदायत फ़रमाई कि तुमने जो रवैया इख़्तियार किया है, ये तुम्हारे जिस्म व जान के लिये तबाही का बाइस बनेगा और अहलो-अ़याल और दूसरों के हुक़ूक़ भी मुतास्सिर होंगे। इसलिये ऐतिदाल और मियाना रवी इख़्तियार करते हुए, हुक़ूक़ुल्लाह और हुक़ूक़ुल इबाद (अल्लाह के हक़ और बन्दों के हक़) दोनों को पूरा करो और आसान रवैया इख़्तियार करो, एक माह में तीन रोज़े रखो और एक माह

में क़ुरआन मजीद ख़त्म करो। ये उम्मत के आम अफ़राद के ऐतिबार से रूहानी तर्बियत, तज़्किय-ए-नफ़्स और तक़र्रुबे इलाही का बेहतरीन नुस्ख़ा है। लेकिन अपने ज़ुरूफ़ और अहवाल और जिस्म व जान, अहलो-अयाल और दोस्त व अहबाब के हुक़ूक़ की रिवायत को मल्हूज़ रखते हुए इस पर इज़ाफ़ा जाइज़ है। इसलिये सौमुद्दहर के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। जुम्हूर उम्मत के नज़दीक अगर सौमुद्दहर से किसी का हक़ ज़ाया न हो, बाक़ी इबादात मुतास्सिर न हों और रोज़ा रखने में अपनी मईशत व मुआशिरत में ख़लल व ख़राबी पैदा न हो, इंसान के नफ़्स को ज़रर लाहिक़ न हो तो इस सूरत में जाइज़ है बशर्तेकि ईदैन और अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा न रखे और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक ऐसी सूरत में मुस्तहब है। अक्सर अहनाफ़, अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक मक्रूहे तन्ज़ीही है। इब्ने हज़म और कुछ अहनाफ़ के नज़दीक मकरूहे तहरीमी है। सहीह बात ये है कि इसके लिये क़ाइदे कुल्लिया या आम ज़ाब्ता बनाना, जिसमें इस्तिसना न हो, मुम्किन नहीं है। असल चीज़ तमाम हुक़ूक़ की अदायगी है। हर साहिबे हक़ को उसका हक़ मिलना चाहिये। अगर हुक़ूक़ में कोताही पैदा होती है तो फिर ये जाइज़ नहीं, अगर हक़्क़े वाजिब फ़ौत होगा तो ये मक्रूहे तहरीमी होंगे और अगर हक़्क़े मन्दूब फ़ौत होगा तो मक्रूहे तन्ज़ीही यानी ख़िलाफ़े औला और नामुनासिब होंगे, इसलिये आपका रोज़ों के बारे में मुस्तक़िल मामूल न था और आपने दाऊदी रोज़ों को तरजीह दी थी। बशर्तेकि हुक़ूक़ की अदायगी में कोताही न हो। यही हाल क़िरअते क़ुरआन का है कि जितनी क़िरअत पर हमेशगी मुम्किन हो, हुक़ूक़ व फ़राइज़ मुतास्सिर न हों और तबीअत के अंदर निशात क़ायम रहे और दिल में बेज़ारी और उकताहट पैदा न हो, एक इंसान तमाम ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो चुका है, वो हर वक़्त दिन-रात फ़ारिग़ है। कोई काम-काज नहीं है, वो फ़ुरसत के हर लम्हे में पढ़ सकता है, अगर उसको मआनी और मतालिब का पता ही नहीं है और न सीखने का शौक़ व ज़ौक़ तो वो अपनी निय्यत के मुताबिक़, जिस क़द्र क़ुरआन चाहे ख़त्म कर सकता है।

बाब 36 : हर माह तीन रोज़े, अरफ़ा का रोज़ा, आशूरा, पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना मुस्तहब है

بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

(2744) मुआज़ह अदविय्यह से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) की ज़ौजा हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) हर माह तीन रोज़े रखते थे? उन्होंने जवाब दिया,

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ . فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَىِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَىِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ .

हाँ। तो मैंने पूछा, महीने के किन दिनों में, किन तारीख़ों में रोज़ा रखते थे? उन्होंने जवाब दिया, इसकी फ़िक्र व एहतिमाम नहीं फ़रमाते थे, महीने के किन दिनों में रोज़ा रखें, यानी जिन दिनों चाहते रोज़ा रख लेते।

(अबू दाऊद : 2453, तिर्मिज़ी : 763, इब्ने माजह : 1709)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि आप (ﷺ) का मुअय्यन और मुस्तक़िल दस्तूर न था, लेकिन आप साथियों को अय्यामे अबयज़ 13-14-15 तारीख़ के रोज़े रखने की तल्क़ीन करते थे। इसलिये अगर सिर्फ़ तीन रोज़े रखने हों तो यही अफ़ज़ल हैं।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، -وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّصلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ " يَا فُلاَنُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ " .

(2745) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे या किसी और शख़्स से पूछा, जबकि वो सुन रहे थे, ऐ फ़लाँ शख़्स! क्या तुमने इस माह के आख़िर में रोज़े रखे हैं?' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'जब इफ़्तार करो तो दो रोज़े और रखो।' (आपने शअबान के रोज़ों के बारे में सवाल किया था)।

(सहीह बुख़ारी : 1983)

फ़ायदा : जुम्हूर अहले लुग़त और अहले हदीस़ के नज़दीक सुर्रह से मुराद महीने के आख़िरी दिन हैं। क्योंकि उनमें चाँद छिप जाता है। कुछ के नज़दीक इससे मुराद महीने के शुरूआती दिन हैं और कुछ के नज़दीक ये सुर्रतुस्सय (इसका वसत व दरम्यान) से माख़ूज़ है और अय्यामे अबयज़ मुराद हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ

(2746) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने पूछा, आप रोज़े किस तरह रखते हैं? (यानी नफ़ली रोज़ों के बारे में आपका मामूल और दस्तूर

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ - رضى الله عنه - غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ . فَجَعَلَ عُمَرُ - رضى الله عنه - يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ - أَوْ قَالَ - لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ " . قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ " وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ " . قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ " ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ " وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى

क्या है?) तो उसकी बात (सवाल) से रसूलुल्लाह (ﷺ) नाराज़ हो गये। जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने आपकी नाराज़ी को देखा तो कहने लगे, हम राज़ी और मुत्मइन हैं। अल्लाह को अपना रब मान कर और इस्लाम को अपना ज़ाबत-ए-हयात मान कर और मुहम्मद को अपना नबी मान कर। अल्लाह की पनाह चाहते हैं, अल्लाह की नाराज़ी और उसके रसूल की नाराज़ी से और हज़रत उमर (रज़ि.) बार-बार इन कलिमात को दोहराने लगे यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का गुस्सा ठण्डा हो गया। (आपके मिज़ाज मुबारक में जो नागवारी पैदा हो गई थी उसका असर ख़त्म हो गया) तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल! वो शख़्स कैसा है जो हमेशा बिला नाग़ा रोज़ा रखे? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'न उसने रोज़ा रखा न इफ़्तार किया।' हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, उसके बारे में क्या इरशाद है जो दो दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़्तार करे? आपने फ़रमाया, 'क्या किसी में इसकी ताक़त है?' (यानी ये बहुत मुश्किल है, हमेशा रोज़ा रखने से भी ज़्यादा मुश्किल, इसलिये इसका इरादा नहीं करना चाहिये) हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, उसके बारे में क्या फ़रमान है जो एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन नाग़ा करे? आपने फ़रमाया, 'ये सौमे दाऊद (अलै.) है।' (जिनको अल्लाह तआला ने ग़ैर मामूली जिस्मानी कुव्वत बख़्शी थी) हज़रत उमर

اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " .

(रज़ि.) ने अर्ज़ किया, उस आदमी के बारे में क्या हुक्म है जो एक दिन रोज़ा रखे और दो दिन नाग़ा करे? आपने फ़रमाया, 'मेरा जी चाहता है कि मुझे इसकी ताक़त अता फ़रमाई जाये।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर महीने के तीन रोज़े और रमज़ान से रमज़ान ये (अज्र व सवाब के लिहाज़ से) हमेशा रोज़ा रखने के बराबर हैं और मैं अरफ़ा के दिन (नौ ज़िल्हिज्जा) के रोज़े के बारे में उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तआला इसको एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बना देगा यानी इसकी बरकत से दो साल के गुनाहों की गन्दगियाँ धुल जायेंगी और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आशूरा (दस मुहर्रम) के रोज़े से गुज़िश्ता साल के सग़ीरा गुनाह धुल जायेंगे।'

(अबू दाऊद : 2425, 2426, तिर्मिज़ी : 749, नसाई : 4/207, इब्ने माजह : 1713, 1730, 1738)

फ़ायदा : हदीस का असल मफ़्हूम और मक़सद तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन चंद ज़िमनी बातें वज़ाहत तलब हैं :

किस तरह रोज़े रखते हैं? इसका सबब ये है कि उसका सवाल ग़लत और नामुनासिब था उसको ये पूछना चाहिये था कि मैं किस तरह रोज़े रखूँ? और मेरे लिये कौनसा तरीक़ा मुनासिब है? क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) बहुत से शोबों और ज़िन्दगी के कामों में, मन्सबे नुबूवत और मसालिहे उम्मत की रिआयत की बिना पर ऐसा तरीक़ा भी इख़्तियार करते थे जिसकी पैरवी हर एक शख़्स के बस में नहीं और न ही मुनासिब है। इसलिये सवाल करने वाले को रोज़े रखने के लिये आपका मामूल नहीं पूछना चाहिये था क्योंकि आप शफ़ीक़ उस्ताद और मुरब्बी भी थे, इसलिये आपकी नागवारी दरअसल तर्बियत का ही हिस्सा थी।

हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस सवाल से आपकी नागवारी महसूस करके तमाम मुसलमानों की तरफ़ से बार-बार ऐसे कलिमात दोहराये जिनसे आपकी नागवारी ज़ाइल (ख़त्म) हो गई और उसके बाद नफ़ली रोज़ों के बारे में सहीह तरीक़े से सवालात किये और आपने जवाबात मरहमत फ़रमाये।

ला साम वला अफ़्तर का मक़सद ये है कि ये पसन्दीदा तरीक़ा नहीं है क्योंकि रोज़ा आदत बन जायेगा तो उसका असर और एहसास ख़त्म हो जायेगा।

आख़िर में आपने फ़रमाया, रोज़ों के सिलसिले में आम मुसलमानों के लिये यही काफ़ी है कि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रख लिया करें और उसके अलावा हर माह तीन रोज़े रख लिया करें जो (वल्हसनतु बिअशरिम् मिस्लिहा) हर नेक अमल का अज्र कम से कम दस गुना के उसूल के मुताबिक़, पूरे माह का सवाब मिल जायेगा और ये सौमुद्दहर बन जायेंगे। मज़ीद अज्र व सवाब के लिये यौमे अरफ़ा और यौमे आशूरा का रोज़ा रख लिया करें। लेकिन वाज़ेह रहे अरफ़ा का रोज़ा ग़ैर हाजियों को उस दिन की रहमतों और बरकतों में हिस्सेदार बनाने के लिये है जो अरफ़ात में हाजियों पर नाज़िल होती हैं, हाजियों के लिये इस दिन की मख़्सूस और मक़बूल तरीन इबादत मैदाने अरफ़ात का वुक़ूफ़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً . قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " . أَوْ " مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ " . قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ " وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ " .

(2747) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से आपके रोज़ों के बारे में पूछा गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) नाराज़ हो गये। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, हम राज़ी और मुत्मइन हैं अल्लाह को रब मानकर, इस्लाम को मक़सदे ज़िन्दगी मान कर, मुहम्मद को रसूल मान कर और अपनी बैअत की सेहत व दुरुस्तगी पर। फिर आप (ﷺ) से सौमे दहर के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया, 'उस शख़्स ने रोज़ा रखा न इफ़्तार किया।' फिर आपसे दो दिन के रोज़े और एक दिन के इफ़्तार के बारे में पूछा गया, आपने फ़रमाया, 'इसकी किसको ताक़त है?' अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, फिर आपसे एक दिन रोज़ा और दो दिन इफ़्तार के बारे में सवाल किया गया, आपने फ़रमाया, 'काश! अल्लाह तआला हमें इसकी ताक़त दे।' अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, फिर आपसे एक दिन रोज़ा और एक दिन नाग़ा के बारे में सवाल हुआ आपने फ़रमाया, 'ये मेरे भाई दाऊद

قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ " لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ " . قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ " ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ " . قَالَ فَقَالَ " صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ " . قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ " . قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ " . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهْمًا .

(अलै.) का रोज़ा है।' अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं और आपसे सोमवार के रोज़े के बारे में सवाल हुआ। आपने फ़रमाया, 'ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ और जिस दिन मुझे भेजा गया या इसमें मुझ पर कुरआन नाज़िल किया गया।' अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, आपने फ़रमाया, 'हर माह के तीन रोज़े और रमज़ान से रमज़ान (अज्र व सवाब में) सौमे दहर हैं। अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, आपसे यौमे अरफ़ा के रोज़े के बारे में पूछा गया आपने फ़रमाया, 'ये गुज़िश्ता साल और आइन्दा साल के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनता है।' अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, आप (ﷺ) से आशूरा के दिन के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया, 'गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनता है।' इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, पस हदीस में शोबा की रिवायत में है कि अबू क़तादा (रज़ि.) ने कहा, आपसे सोमवार और जुमेरात के रोज़े के बारे में सवाल हुआ, लेकिन हमने जुमेरात के तज़्किरे से ख़ामोशी इख़्तियार की क्योंकि हमारे ख़याल में इसका ज़िक्र वहम है (क्योंकि आपकी विलादत और बिअसत का ताल्लुक़ सिर्फ़ पीर से है, जुमेरात से नहीं)।

फ़वाइद : (1) हर माह के तीन रोज़ों के बारे में इख़्तिलाफ़ है। शोबा के नज़दीक हर माह के तीन शुरूआती दिन मुराद हैं। कुछ के नज़दीक हर अशरे का पहला दिन, कुछ के नज़दीक एक माह में हफ़्ते, इतवार और सोमवार को रखे और अगले माह मंगल, बुध और जुमेरात को रखे। कुछ के नज़दीक हर माह के आख़िरी दिन मुराद हैं और कुछ के नज़दीक इससे अय्यामे अबयज़ मुराद हैं और आपका तरीक़ा यही था। आपने तअयीन नहीं फ़रमाई ताकि उम्मत के लिये सहूलत और आसानी पैदा हो। **(2)** आप (ﷺ) ने सोमवार के रोज़े के बारे में फ़रमाया कि वो ख़ैर व बरकत वाला दिन है, जिसमें मेरी

पैदाइश हुई और इस दिन मेरी बिअ़सत हुई, मुझ पर क़ुरआन का नुज़ूल शुरू हुआ। गोया एक मुहर्रिक शुक्र का जज़्बा था कि इस दिन अ़ज़ीम नेमतें हासिल हुईं और दूसरा मुहर्रिक दूसरी हदीस़ में बयान हुआ है कि इस दिन आमाल की पेशी होती है और मैं चाहता हूँ इस पेशी के दिन मैं रोज़े से हूँ और ये दूसरा मुहर्रिक जुमेरात के रोज़े में भी मौजूद है। **(3)** एक अ़जीबो-ग़रीब इस्तिदलाल और उसका जवाब : आप सोमवार को रोज़ा रखते थे, जिसका सबब आप (ﷺ) ने ये बताया कि ये मेरी विलादत और नुबूवत से सरफ़राज़ी और नुज़ूले क़ुरआन का दिन है, इससे ये इस्तिदलाल किया जाता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यौमे मीलाद की ख़ुशी की और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, इस यौमे मीलाद को अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करना रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत है।

अब सवाल ये है कि नबी (ﷺ) ने ख़ुशी मनाने और अल्लाह तआ़ला का शुक्रिया अदा करने का एक तरीक़ा और सूरत मुअ़य्यन फ़रमा दी है और आपने ज़िन्दगी भर इस पर अ़मल किया कि आप हमेशा सोमवार को रोज़ा रखते थे तो क्या मीलादुन्नबी का दिन अगर किसी को मनाना है तो इसका तरीक़ा और सूरत यही नहीं है कि सोमवार को रोज़ा रखा जाये और क्योंकि आपने विलादत वाले दिन सिर्फ़ रोज़ा रखा है, उसके सिवा और कोई काम नहीं किया? इससे रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने, गाने-बजाने, चिराग़ाँ करने, आराइश मेहराबों और दरवाज़ों, गली-कूचों और मसाजिद में रोशनियों का इस्तिदलाल कैसे हो गया? जबकि आपकी पैरवी और इत्तिबाअ़ का तक़ाज़ा ये है कि आपके मुअ़य्यन करदा तरीक़े पर इज़ाफ़ा न किया जाये। आप हर सोमवार को ख़ुशी मनाते और शुक्रिया अदा करते तो सिर्फ़ रबीउल अव्वल को ख़ास क्यों कर लिया गया? जबकि ईद मीलादुन्नबी के दिन आ़म तौर पर सोमवार भी नहीं होता। अगर यौमे आ़शूरा दस मुहर्रम को दलील बनाया जाये तो ये भी ग़लत है क्योंकि मूसा (अ़लै.) ने तो सिर्फ़ रोज़ा रखा, ईद का सिलसिला बाद में यहूद ने निकाला तो ये यहूद की सुन्नत और तरीक़ा मनाना है, न कि मूसा (अ़लै.) की इक़्तिदा करना है। इसके अ़लावा आपकी पैदाइश का माह तअ़यीन नहीं है कुछ मुहर्रम मानते हैं, कुछ रमज़ान और कुछ रबीउ़ल अव्वल और हक़ीक़त ये है कि मीलाद का महीना मुतअ़य्यन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई है, जहाँ नसी का चाल-चलन और रिवाज था, जिसकी बिना पर हज के माह भी बदल जाते थे, इसलिये नसी की तक़्दीम व ताख़ीर की बिना पर आपकी पैदाइश का महीना सहीह तौर पर मुतअ़य्यन करना मुम्किन नहीं है। जबकि ये मुसल्लमा हक़ीक़त है कि आपकी दुनियवी ज़िन्दगी, इस महीने में ख़त्म हुई है और अब सतहे अरज़ी पर आप मुसलमानों के सामने, सहाबा किराम (रज़ि.) के सामने की तरह मौजूद नहीं है, इसलिये सहाबा, ताबेईन और तबअ़ ताबेईन का दौर ख़त्म हो गया और अब ये शर्फ़ किसी को हासिल नहीं हो सकता और एक बात ये भी है कि ख़ुशी मनाने का तरीक़ा अगर वही है जो ईद मीलादुन्नबी की सूरत में इख़्तियार किया जाता है तो क्या वजह है कि उस दिन आपको नुबूवत मिली और वह्य का सिलसिला शुरू हुआ और क़ुरआन मजीद से ये सराहतन साबित है कि नुज़ूले क़ुरआन

की शुरूआत रमज़ान में हुई है तो रमज़ान के लिये ईद का ये तरीक़ा आज तक क्यों नहीं इख़्तियार किया गया? कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरह्मतिही फ़बिज़ालिक फ़ल्यफ़रहू को मुल्ला अली क़ारी ने महफ़िले मीलाद के लिये बतौरे दलील पेश किया है और इस फ़ज़्ल और रहमत का असल मिस्दाक़ तो नस्से कुरआनी की रू से कुरआन मजीद है। अगरचे आपके रहमत होने में भी कोई कलाम नहीं है और ये भी अजीब बात है आपने आशूरा का रोज़ा रखने का तो हुक्म दिया और वो भी आग़ाज़े हिज्रत में ताकीदी और अहनाफ़ के नज़दीक वुजूबी और बाद में इस ताकीद को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन सोमवार के रोज़े की तो आपने तल्क़ीन और ताकीद भी नहीं फ़रमाई और अगर आपके रोज़े रखने से ईद मीलादुन्नबी का सुबूत मिलता तो यक़ीनन सहाबा, ताबेईन और तबअ-ताबेईन के तीन क़ुरून (ज़माने) जिनकी बेहतरी की आपने गवाही दी है, उनमें इसको ज़रूर मनाया जाता या कम से कम अइम्म-ए-अरबआ इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) ही इसकी तल्क़ीन करते या कम से कम हदीस में नहीं तो फ़िक़्ह की किताबों में ही इसका तज़्किरा किया जाता। इमाम मुल्ला अली क़ारी ने इस सिलसिले में जो उन्नीस दलाइल पेश किये हैं, उनमें से अक्सरियत का रबीउल अव्वल की महफ़िल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो काम तो हर वक़्त मतलूब और महबूब हैं। अजीब बात है सबसे पहली दलील अबू लहब की ख़ुशी के वाक़िये को बनाया है, जिसने भतीजे की विलादत की ख़ुशी में लौण्डी को आज़ाद किया था, इस रिवायत में है कि अबू लहब ने लौण्डी को आपकी विलादत से पहले आज़ाद किया था। उसके बाद ख़्वाब का वाक़िया बयान किया है। इस पर हाफ़िज़ इब्ने हजर ने लिखा है इन्नल ख़बर मुरसल अरसलहू उरवह वलम यज़्कुर मन हद्दसहू बिही फ़तहुल बारी अल्मत्बआ अस्सल्फ़िया जिल्द 9, पेज नं. 145 जबकि असल हक़ीक़त कि इसने सुवैबा को हिज्रते नबवी के बाद आज़ाद किया था। आपकी विलादत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। तफ़्सील के लिये तबक़ात इब्ने सअद जिल्द 1, 108, ज़िक्रुम् मन अर्जआ रसूलल्लाह अल्इसाबह फ़ी तमीज़िस्सहाबा जिल्द 4, पेज नं. 65, इब्ने हजर अल्इस्तीआब फ़ी अस्माइल अस्हाब, जिल्द 1, पेज नं. 12 इब्ने अब्दुल बर्र और काफ़िर का अमल नस्से कुरआनी की रू से रायगाँ है सूरह फ़ुरक़ान में वक़दिम्ना इला मा अमिलू मिन अमलिन, फ़जअल्नाहु हबाअम् मन्सूरा लेकिन आपकी बिअसत व नुबूवत के बाद वो आपका बदतरीन दुश्मन बन गया था और ये वाक़िया बुख़ारी जिल्द 2 में मौजूद है और ख़्वाब का वाक़िया है। जिसको नबी (ﷺ) के सामने पेश करके तस्दीक़ और ताईद भी नहीं करवाई गई तो ये वाक़िया मुहब्बत और दलील कैसे बन गया, ख़्वाब शरई दलील और हुज्जत नहीं बन सकता? सबसे बड़ी और क़वी दलील बिदअत की तक़सीम की है कि ये बिदअते हसना है। हालांकि बक़ौल मुजद्दिद अल्फ़े सानी जब रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान मौजूद है कि (कुल्लु मुह्दसतिम् बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह) (दीन में) 'हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत ज़लालत है' तो फिर बिदअत में हसन कहाँ से पैदा हो गया वो दूसरी जगह लिखते हैं, (उलमाए किराम) ने कहा है बिदअत की दो क़िस्में हैं,

हसना और सय्यिआ। हसना उस नेक अमल को कहते हैं जो आँहज़रत (ﷺ) और ख़ुलफ़ाए राशिदीन (रज़ि.) के ज़माने के बाद पैदा हुआ हो और वो सुन्नत को रफ़अ न करे और बिदअते सय्यिआ वो है जो मानेअे सुन्नत है। (इस उसूल के मुताबिक़ भी ईद मीलादुन्नबी बिदअते सय्यिआ है, क्योंकि ये मानेअे सुन्नत है, उन हज़रात में से इस दिन रोज़ा, जो इस दिन की सुन्नत है, कितने लोग रखते हैं? ये फ़क़ीर उन बिदअतों में से किसी बिदअत में हसन और नूरानियत का मुशाहिदा नहीं करता और ज़ुल्मत कदूरत के सिवा कुछ महसूस नहीं करता, अगरचे आज मुब्तदेअ के अमल को ज़ोफ़े बसारत की वजह से तहारत व तरो-ताज़गी में देखते हैं। लेकिन कल जबकि बसीरत तेज़ होगी तो देख लेंगे कि इसका नतीजा अन्जाम ख़सारत व नदामत के सिवा कुछ न था।

मुजद्दिद अल्फ़े सानी का कलाम बिदअत के सिलसिले में क़ाबिले दीद है। तफ़्सील के लिये देखिये मक्तूबात इमाम रब्बानी दफ़्तर अव्वल मक्तूब नम्बर 186, दफ़्तर दोम मक्तूब 21 और 23 नीज़ क्या ईदैन के लिये जबरी, गुण्डागर्दी से चन्दा लिया जाता है और ख़िलाफ़े शरीअत हरकतें की जाती हैं? जबकि ईद मीलादुन्नबी में सब कुछ हो रहा है।

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(2748) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अलग-अलग उस्तादों से शोबा ही की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الاِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيسَ .

(2749) इमाम साहब अपने उस्ताद अहमद बिन सईद और उसकी सनद से ग़ेलान बिन जरीर से शोबा की तरह हदीस नक़ल करते हैं, लेकिन उसमें सोमवार का ज़िक्र है, जुमेरात का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ فَقَالَ " فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَىَّ

(2750) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसमें मेरी विलादत हुई है और इसमें मुझ पर वह्य का नुज़ूल हुआ है।'

फ़ायदा : जिस तरह इस हदीस़ से ईद मीलादुन्नबी को कशीद किया जाता है, उसी तरह जश्ने नुज़ूले कुरआन कशीद करके ईद नुज़ूलुल कुरआन मनाकर, अपनी रोज़ी की ख़ातिर ख़्वाह बन्दोबस्त किया जा सकता है, क्योंकि माहे रमज़ान तो ख़ुसूसी तौर पर हमदर्दी व ग़मगुसारी और सदक़ा व ख़ैरात का महीना है।

बाब 37 : सररे शअ़बान के रोज़े

باب صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ

(2751) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे या दूसरे शख़्स से पूछा, 'क्या तूने शअ़बान के आख़िरी दिनों के रोज़े रखे हैं?' उसने कहा, नहीं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम रोज़े रख चुको तो दो रोज़ रख लेना।'

(सहीह बुख़ारी : 1983, अबू दाऊद : 2328)

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، - وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ أَوْ لآخَرَ " أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ " .

(2752) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक आदमी से पूछा, 'क्या तूने इस माह के आख़िर में कोई रोज़ा रखा है?' उसने कहा, नहीं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम रमज़ान के रोज़े रख चुको तो उसकी जगह दो रोज़े रख लेना।'

(अबू दाऊद : 2328)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، -رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ " هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا " . قَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ " .

(2753) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एक आदमी से पूछा, 'क्या तूने इस माह के सिरर से कोई रोज़ा रखा है?' मुराद शअ़बान था। उसने कहा, नहीं। तो आपने उसे फ़रमाया, 'जब तुम रमज़ान के रोज़ों से फ़ारिग़ हो जाओ तो एक

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَخِي، مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّصلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ " هَلْ

صُمْتَ مِنْ سِرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا " . يَعْنِي شَعْبَانَ . قَالَ لاَ . قَالَ فَقَالَ لَهُ " إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ " . شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ

या दो रोज़े रख लेना।' शोबा को इसमें शक है और ख़्याल यही है कि आपने दो रोज़े कहा।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، وَيَحْيَى اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئِ ابْنِ أَخِي، مُطَرِّفٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ . بِمِثْلِهِ .

(2754) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : सिररे माह से मुराद बक़ौल बाज़ महीने के शुरूआती दिन हैं और बक़ौल बाज़ दरम्यानी दिन क्योंकि ये सुरर से माख़ूज़ है जिसका मानी दरम्यान है और इससे मुराद अय्यामे अबयज़ हैं जिनकी तल्क़ीन मुस्तक़िल बाब में आ रही है। लेकिन जुम्हूर के नज़दीक ये इस्तिसरार यानी पोशीदा होना, छिप जाना से माख़ूज़ है। इसलिये इससे मुराद महीने के आख़िरी दिन हैं। लेकिन इस पर ये ऐतिराज़ वारिद होता है कि आपने शअबान के आख़िरी दिनों के रोज़े से मना फ़रमाया है तो इसका जवाब ये है कि मुमानिअत उस शख़्स के लिये है जो सिर्फ़ शअबान के आख़िरी दिन, रमज़ान के इस्तिक़बाल के लिये या एहतियाती तौर पर एक-दो रोज़े रखता है। लेकिन जो इंसान हमेशा हर माह के आख़िरी दिनों में रोज़े रखता है, उसको अपनी आदत के मुताबिक़ रोज़े रखने चाहिये और उस शख़्स ने मुमानिअत से डरकर ही छोड़े थे, इसलिये आपने फ़रमाया, 'उनकी क़ज़ाई देना' ताकि तेरी आदत बरक़रार रहे।

बाब 38 : मुहर्रम के रोज़ों की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

(2755) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रमज़ान के बाद अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं और बेहतरीन नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ के बाद, रात की नमाज़ है।'

(अबू दाऊद : 2429, तिर्मिज़ी : 438, नसाई : 3/206, 207, इब्ने माजह : 1742)

फ़ायदा : मुर्हरम की अल्लाह तआला की तरफ़ निस्बत सिर्फ़ उसके शर्फ़ व फ़ज़्ल और अज़मत के लिये है और ये चार मोहतरम महीनों में से एक है, इसलिये इमाम नववी का ख़्याल है कि रमज़ान के बाद अफ़ज़ल रोज़े अशहुरे हुरुम, ज़िल्क़अदा, ज़िल्हिज्जा, मुर्हरम और रजब के हैं।

कुछ का ख़्याल है इससे मुराद सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा है, क्योंकि आप उसका रोज़ा रखते थे और ज़्यादा रोज़े आप शअबान में रखते थे, क्योंकि इस माह में सालाना (पुरे वर्ष के) आमाल रब्बुल आलमीन के हुज़ूर पेश किये जाते हैं। अगर इसका पूरा मुर्हरम मुराद होता तो आप जब अफ़ज़ल रोज़े इसके हैं, इसमें ज़्यादा रोज़े रखते, जबकि ये मोहतरम महीना भी है, इससे साल की शुरूआत भी होती है और साल की शुरूआत अगर ख़ैर व बरकत और नेक काम से हो तो साल के बाक़ी महीनों में भी ख़ैर व ख़ूबी के दवाम और हमेशगी की उम्मीद हो सकती है। अहले इल्म की तरफ़ से इसका जवाब ये दिया जाता है, आपको मुर्हरम की फ़ज़ीलत का इल्म आख़िर उम्र में हुआ या शायद आपको इस माह में कोई मजबूरी और उज़्र पेश आ जाता।

(2756) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरफ़ूअ रिवायत है कि आपसे पूछा गया, फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? और माहे रमज़ान के बाद कौनसे (माह) के रोज़े अफ़ज़ल हैं? आपने फ़रमाया, 'फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सबसे बेहतर नमाज़, आधी रात की नमाज़ है और अफ़ज़ल रोज़े माहे रमज़ान के बाद अल्लाह के महीने मुर्हरम के रोज़े हैं।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - يَرْفَعُهُ قَالَ سُئِلَ أَىُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَىُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ " أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद बेहतर और बरतर नमाज़ तहज्जुद है। अगरचे अक्स़र उलमा ने सुनने रातिबा को अफ़ज़ल क़रार दिया है, तहज्जुद की नमाज़ में कुल्फ़त व मशक़्क़त ज़्यादा है, रिया और दिखावा का एहतिमाल भी कम है और शुरू में ये फ़र्ज़ भी रही है। इसलिये आपने इसको अफ़ज़ल क़रार दिया और सुनने रातिबा, फ़र्ज़ नमाज़ों का ततिम्मा और तकमिला और उनमें ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ पैदा करने के ऐतिबार से अफ़ज़ल हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ .

(2757) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ये रिवायत नक़ल करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ रोज़ों का तज़्किरा है।

باب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ اتِّبَاعًا لِرَمَضَانَ

बाब 39 : रमज़ान की पैरवी में, उसके साथ शव्वाल के छ: रोज़े रखना मुस्तहब है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، - أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ، بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ "

(2758) **हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद शव्वाल के छ: रोज़े रखे तो ये अमल हमेशा रोज़े रखने की तरह है।'**

(अबू दाऊद : 3433, तिर्मिज़ी : 759, इब्ने माजह : 1716)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है ईदुल फ़ित्र के बाद ये छ: रोज़े पे-दर-पे और मुत्तसिल रखे जायें। अगरचे जाइज़ ये भी है कि माहे शव्वाल के अंदर-अंदर जब चाहे और जैसे चाहे रख लिये जायें। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रोज़े रखने चाहिये ताकि सौमुद्दहर का सवाब मिल सके। रमज़ान का महीना 29 का हो तब भी अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से सवाब 30 रोज़ों का ही मिलता है और शव्वाल के छ: नफ़ली रोज़े मिलाकर तादाद 36 होती है और अल्लाह तआला के करीमाना उसूल और एक नेकी का सवाब दस गुना के मुताबिक़ 36 का दस गुना 360 होगा और क़मरी साल के दिन तीन सौ साठ से कम ही होते हैं। इसलिये जिसने माहे रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के छ: नफ़ली रोज़े रखे, वो इस हिसाब से 360 रोज़ों के बराबर अज्र व सवाब का मुस्तहिक़ होगा।

लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक ये रोज़े मक्रूह हैं। इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक मुत्तसिलन रमज़ान के फ़ौरन बाद मक्रूह है। लेकिन बाद में अलग जाइज़ हैं। जबकि मुताख़िख़रीने मालिकिया और अहनाफ़ जवाज़ के क़ाइल हैं। इब्ने रुश्द और इब्ने हम्माम (रह.) ने इसकी तसरीह की है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . بِمِثْلِهِ .

(2759) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, फिर मज़्कूरा बाला हदीस बयान की।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ، - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(2760) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से भी यही हदीस नक़ल करते हैं।

بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا

बाब 40 : शबे क़द्र की फ़ज़ीलत और उसकी तलाश पर उभारना और उसके मौक़ा व महल का बयान

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رِجَالاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(2761) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के साथियों में से कुछ लोगों को ख़्वाब में दिखाया गया कि लैलतुल क़द्र (रमज़ान के) आख़िरी हफ़्ते में है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ख़्वाब आख़िरी सात रातों के बारे में

صلى الله عليه وسلم " أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ " .

मुत्तफ़क़ है (एक-दूसरे के मुवाफ़िक़ है) इसलिये जो शख़्स शबे क़द्र का मुतलाशी हो तो वो उसे आख़िरी सात रातों में तलाश करे।'

(सहीह बुख़ारी : 2015)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ " .

(2762) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'शबे क़द्र को रमज़ान की आख़िरी सात रातों में तलाश करो।'

(अबू दाऊद : 1385)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - قَالَ رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا " .

(2763) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक शख़्स ने ख़्वाब में देखा कि शबे क़द्र रमज़ान की सत्ताइसवीं रात है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं तुम्हारा ख़्वाब आख़िरी अशरे के बारे में देखता हूँ, इसलिये लैलतुल क़द्र इसकी ताक़ रातों में तलाश करो।'

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ " إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الأُوَلِ وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ " .

(2764) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से लैलतुल क़द्र के बारे में सुना, 'तुममें से कुछ लोग ये दिखाये गये हैं कि ये पहले हफ़्ते में है और तुमसे कुछ लोग ये दिखाये गये कि ये आख़िरी हफ़्ते में हैं, तो तुम इसे आख़िर हफ़्ते में तलाश करो।'

(2765) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'शबे क़द्र को आख़िरी अशरे में तलाश करो, अगर तुममें से कोई कमज़ोर और आजिज़ हो जाये तो वो आख़िरी सात दिनों में तलाश में सुस्त न पड़े।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ، - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي " .

(2766) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स शबे क़द्र को ढूण्ढना चाहे, वो उसे आख़िरी अशरे में ढूण्ढे।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

(2767) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'शबे क़द्र का वक़्त आख़िरी अशरे या आख़िरी सात दिनों में तलाश करो।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ، وَمُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ " . أَوْ قَالَ " فِي التِّسْعِ الأَوَاخِرِ "

(2768) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे ख़्वाब में शबे क़द्र दिखाई गई, फिर मुझे घर के किसी फ़र्द ने जगा दिया तो मैं उसे भूल गया। इसलिये बाक़ी (आख़िरी) अशरे में

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ " . وَقَالَ حَرْمَلَةُ " فَنَسِيتُهَا " .

तलाश करो।' (एक रावी ने नुस्सीतुहा, नून के पेश और सीन मुशद्दद पढ़ा है और एक ने नून ज़बर और सीन को मुख़फ़्फ़फ़ पढ़ा है)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ " إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

(2769) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) महीने के दरम्यानी अशरे में ऐतिकाफ़ बैठते थे तो जब बीस रातें गुज़र जाती और इक्कीसवीं शब आती तो अपने घर लौट जाते और जो सहाबा किराम (रज़ि.) आपके साथ मुअतकिफ़ होते वो भी घरों को लौट जाते। फिर एक माह जिसमें आपने ऐतिकाफ़ किया था, उस रात ठहर गये, जिसमें आप वापस लौट जाया करते थे। यानी इक्कीसवीं रात भी ठहर गये। लोगों को ख़िताब फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने जो चाहा उसका हुक्म दिया।' फिर आपने फ़रमाया, 'मैं इस (दरम्यानी) अशरे का ऐतिकाफ़ करता था, अब मुझ पर ज़ाहिर हुआ है कि मैं इस आख़िरी अशरे का ऐतिकाफ़ करूँ तो जो लोग मेरे साथ ऐतिकाफ़ बैठे हैं, वो रात अपने मुअतकिफ़ (जाए ऐतिकाफ़) में बसर करें, क्योंकि मुझे ये रात ख़्वाब में दिखाई गई थी, फिर भुला दी गई। इसलिये इसे आख़िरी अशरे की हर ताक़ रात में तलाश करो। मैंने अपने आपको ख़्वाब में देखा है कि मैं पानी और मिट्टी में सज्दा कर रहा हूँ। अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, इक्कीसवीं रात हम पर बारिश हुई और

مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِينًا وَمَاءً .

मस्जिद में रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुसल्ले (नमाज़गाह) में पानी टपका, जब आप सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मैंने आपकी तरफ़ देखा और आपका चेहरा मिट्टी और पानी से तर हो चुका था।

(सहीहबुख़ारी : 669, 813, 836, 2016, 2018, 2027, 2036, 2040, अबू दाऊद : 894, 895, 911, 1382, नसाई : 2/208-209, 3/79-80, इब्ने माजह : 1766, 1775)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ " . وَقَالَ وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً .

(2770) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान में दरम्यानी अशरे में ऐतिकाफ़ करते थे और मज़्कूरा बाला हदीस बयान की, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उसमें फ़ल्यबित रात गुज़ारे की बजाय फ़ल्यस्बुत ठहरा और जमा रहे थे और मुब्तल्ल तर थी की जगह मुम्तलिअन है आलूदा थी और वज्ह (चेहरा) की बजाय जबीन (पेशानी) का लफ़्ज़ हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ

(2771) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान के पहले अशरे में ऐतिकाफ़ किया। फिर एक तुर्की ख़ैमे में जिसके दरवाज़े पर चटाई थी, दरम्यानी अशरे का ऐतिकाफ़ किया और आपने अपने हाथ से चटाई को पकड़कर ख़ैमे को एक तरफ़ हटा दिया। फिर अपना सर ख़ैमे से निकाला और लोगों से बातचीत शुरू की

تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ - قَالَ - فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ " إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ " . فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ " وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ " . فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ .

तो वो आपके क़रीब हो गये। उस पर आपने फ़रमाया, 'मैंने इस शबे क़द्र की तलाश में पहले अशरे का ऐतिकाफ़ किया, फिर मैंने दरम्यानी अशरे का ऐतिकाफ़ किया, फिर मुझे ख़्वाब में दिखाया गया कि वह आख़िरी अशरे में है जो तुममें से ऐतिकाफ़ करना पसंद करे तो वो ऐतिकाफ़ करे।' तो लोगों ने आपके साथ ऐतिकाफ़ किया (यानी मुअतकिफ़ आपके साथ बैठे रहे) आपने फ़रमाया, 'और मुझे दिखाया गया कि वो ताक़ रात है और मैं उसकी सुबह मिट्टी और पानी में सज्दा कर रहा हूँ।' आपने इक्कीसवीं रात फिर क़ियाम किया। जब इक्कीसवीं की सुबह हुई, बारिश हो चुकी थी जिससे मस्जिद टपक पड़ी। तो मैंने मिट्टी और पानी देखा और आप सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर निकले तो आपकी पेशानी और नाक का बांसा मिट्टी और पानी से तर था और ये आख़िरी अशरे की इक्कीसवीं रात थी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضى الله عنه - وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيْلَةَ

(2772) अबू सलमा बयान करते हैं कि हमने आपस में शबे क़द्र का तज़्किरा किया, फिर मैं अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के पास आया। वो मेरे दोस्त थे तो मैंने उनसे कहा, क्या आप हमारे साथ नख़्लिस्तान में जायेंगे? वो पाँच गज़ी चादर ओढ़े हुए निकले (अगर लफ़्ज़ ख़मीसह हो तो मानी पाँच गज़ी चादर होगा, अगर ख़मीसह हो तो मानी गर्म मुनक़्क़श चादर होगा)। मैंने उनसे पूछा कि आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शबे क़द्र का ज़िक्र सुना है

तो उन्होंने कहा, हाँ हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रमज़ान के दरम्यानी अशरा का ऐतिकाफ़ किया तो हमने बीसवीं की सुबह निकलने की तैयारी कर ली तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़िताब फ़रमाया कि 'मुझे लैलतुल क़द्र दिखाई गई और मैं भूल गया हूँ या भुला दिया गया हूँ, इसे आख़िरी अशरे की हर ताक़ रात में तलाश करो और मैंने ख़्वाब देखा है कि मैं (इस रात) पानी और मिट्टी में सज्दा कर रहा हूँ।' तो जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ऐतिकाफ़ किया है वो वापस आ जायें, यानी अपना सामान वापस मँगवा लिये और ऐतिकाफ़ में रहे। अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, हम (ज़हनी तौर पर) वापस लौट आये (और सामान मँगवा लिया और ख़ेमों में लौट गये) और हमें आसमान में बादल का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा था। अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, बादल उमण्ड आये और हम पर मेंह (बारिश) बरसा, यहाँ तक कि मस्जिद की छत टपक पड़ी क्योंकि वो खजूर की शाख़ों से बनी हुई थी। फिर नमाज़ खड़ी की गई तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप पानी और मिट्टी में सज्दा कर रहे थे यहाँ तक कि मैंने आपकी पेशानी पर मिट्टी का निशान देखा।

الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا - أَوْ أُنْسِيتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ وَإِنِّي أُرِيتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَرْجِعْ " . قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ .

(2773) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत नक़ल करते हैं, इसमें है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ से फ़राग़त हासिल की, आपकी पेशानी और नाक के बांसे पर मिट्टी का असर (निशान) था।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي، كَثِيرٍ

بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرُ الطِّينِ .

(2774) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान का दरम्यानी अ़शरे का शबे क़द्र की तलाश में ऐतिकाफ़ किया। जबकि अभी आपको इसका इल्म नहीं दिया गया था। जब ये दिन, रात ख़त्म हो गये तो आपने ख़ैमों को उखाड़ने का हुक्म दिया। फिर आपको बताया गया कि वो आख़िरी अ़शरे में है तो आपने दोबारा ख़ैमा लगाने का हुक्म दिया। फिर लोगों के सामने आये और फ़रमाया, 'ऐ लोगो! शबे क़द्र मेरे लिये बयान कर दी गई थी और मैं तुम्हें बताने के लिये निकला तो दो आदमी आये, उनमें से हर एक हक़ पर होने का दावा कर रहा था। उनके साथ शैतान था तो मैं वो भूल गया। पस इसे रमज़ान के आख़िरी अ़शरे में तलाश करो। इसे नवीं, सातवीं, पाँचवीं में तलाश करो। अबू नज़रह कहते हैं, मैंने कहा, ऐ अबू सईद! हमारी निस्बत इस गिनती को आप लोग ज़्यादा जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ! इस काम के हम लोग तुम्हारे बनिस्बत ज़्यादा हक़दार हैं। अबू नज़रह कहते हैं, मैंने पूछा, नवीं, सातवीं, और पाँचवीं से क्या मुराद है? उन्होंने जवाब दिया, जब बीस के बाद एक गुज़र जाये तो उससे मुत्तसिल बाईस है, वो नवीं में और जब तेईसवीं गुज़र जाये, उसके

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنه - قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ " . قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا . قَالَ أَجَلْ . نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ . قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهْىَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ

وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . وَقَالَ ابْنُ خَلاَّدٍ مَكَانَ يَحْتَقَّانِ يَخْتَصِمَانِ .

बाद जो रात आयेगी, वो सातवीं है। तो जब पच्चीसवीं रात गुज़र जायेगी तो उसके साथ वाली पाँचवीं है।

फ़ायदा : आख़िरी अशरे की रातों का शुमार अगर माह के आख़िरी तरफ़ से किया जाये और महीना तीस का हो तो जो तफ़्सीर अबू सईद (रज़ि.) की है वो दुरुस्त है। लेकिन अगर आग़ाज़, आख़िरी अशरे के आग़ाज़ से किया जाये तो मुराद इक्कीसवीं, तईसवीं, पच्चीसवीं होगा और हज़रत अबू सईद (रज़ि.) की रिवायत की रू से उस साल शबे क़द्र इक्कीसवीं थी और आपने हुक्म भी यही दिया है कि शबे क़द्र ताक़ रातों में तलाश करो। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) की रिवायत की रू से ये रात तेईसवीं थी। इसलिये अबू सईद (रज़ि.) की इस रिवायत का ये मानी करना होगा, नवीं के बाद वाली यानी इक्कीसवीं, सातवीं के बाद वाली थी तईसवीं, पाँचवीं के बाद वाली थी पच्चीसवीं, वगरना बाईसवीं, चौबीसवीं और छब्बीसवीं तो ताक़ रातें नहीं हैं।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، الْكِنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، -وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ، سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ " . قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ .

(2775) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे शबे क़द्र दिखाई गई, फिर भुला दी गई और मैंने उसकी सुबह अपने आपको पानी और मिट्टी में सज्दा करते देखा।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) कहते हैं, तेईसवीं की रात हम पर बारिश बरसी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई, आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो पानी और मिट्टी का निशान आपकी पेशानी और नाक पर मौजूद था, अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) कहा करते थे कि शबे क़द्र तईसवीं है।

फ़ायदा : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) पानी और मिट्टी वाली अलामत इक्कीसवीं रात की बयान की है और अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) ने तईसवीं रात की, मालूम होता है, इस निशानी का ज़ुहूर अलग-अलग वक़्त में, अलग-अलग ताक़ रातों में हुआ है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ " الْتَمِسُوا - وَقَالَ وَكِيعٌ - تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " .

(2776) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'शबे क़द्र को तलाश करो, रमज़ान के आख़िरी दस रातों में से ताक़ रातों में।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : इल्तमिसू, तहर्रौ : दोनों का एक ही मानी है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ عَبْدَةَ، وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ - رضى الله عنه - فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ . فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلاَمَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ

(2777) हज़रत ज़िर्र बिन हुबेश (रह.) से रिवायत है कि मैंने हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से पूछा कि आपके भाई अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) कहते हैं कि जो पूरे साल की रातों में खड़ा होगा (साल की हर रात क़ियाम करेगा) उसको शबे क़द्र नसीब होगी तो उन्होंने फ़रमाया, अ़ब्दुल्लाह पर अल्लाह रहमत फ़रमाये, उनका मक़सद ये था कि लोग (किसी एक रात के क़ियाम) पर ऐतिमाद व क़नाअ़त न कर लें, वरना उनको ख़ूब पता था कि शबे क़द्र रमज़ान में है और उसके भी आख़िरी अ़शरे में और वो सत्ताइसवीं रात है। फिर उन्होंने (पूरी क़तइयत के साथ) बग़ैर इन्शाअल्लाह कहे क़सम खाकर कहा, वो सत्ताइसवीं रात ही है। तो मैंने पूछा, ऐ अबुल मुन्ज़िर (हज़रत उबय की कुन्नियत है) ये आप किस बिना पर कहते हैं? उन्होंने कहा, इस

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا .

अलामत या निशानी की बिना पर कहता हूँ जिसकी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़बर दी थी और वो ये कि शबे क़द्र की सुबह को जब सूरज निकलता है तो उसकी शुआअ (किरण) नहीं होती।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये बात नहीं फ़रमाई कि शबे क़द्र मुतअय्यन तौर पर सत्ताइसवीं शब में ही होती है, लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो एक ख़ास निशानी बताई थी, वो हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) के तजुर्बे और मुशाहिदे की रू से उमूमन सत्ताइसवीं शब की सुबह ही को पाई गई, इसलिये उन्होंने पूरी क़तइयत और यक़ीन के साथ ये बात कही कि शबे क़द्र मुतअय्यन तौर पर सत्ताइसवीं शब ही होती है।' कुछ दूसरे सहाबा ने अपनी रूयत और मुशाहिदे के ऐतिबार से इक्कीसवीं, तईसवीं शब के बारे में यही बात की। जैसाकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) सिर्फ़ तईसवीं शब को ही मस्जिदे नबवी में क़ियाम के लिये आया करते थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ، بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ أُبَىٌّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهَا - قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي - هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ .

(2778) ज़िर्र बिन हुबैश (रह.) कहते हैं, हज़रत उबय (रज़ि.) ने शबे क़द्र के बारे में कहा, अल्लाह की क़सम! मैं उसे जानता हूँ, शोबा की रिवायत में है कि उन्होंने कहा, मुझे ज़्यादा यक़ीन (ज़न्ने ग़ालिब) इस बात पर है, यही वो रात है जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ियाम का हुक्म दिया और ये सत्ताइसवीं रात है। इन अल्फ़ाज़ में शक शोबा को है कि ये वही रात है जिसके क़ियाम का हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया था। शोबा कहते हैं, ये अल्फ़ाज़ मेरे एक साथी ने उस्ताद से नक़ल किये थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - وَهُوَ الْفَزَارِيُّ - عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ،

(2779) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने हमने लैलतुल क़द्र का आपस में तज़्किरा किया तो आपने फ़रमाया, 'किसको

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ " .

याद है कि शबे क़द्र उस रात में है जिसकी सुबह चाँद तश्त के एक टुकड़े की तरह तुलूअ होता है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : जफ़नह : प्याले को कहते हैं और शक़ निस्फ़ और आधे को मक़सद ये है कि ये रात आख़िरी रातों में है, क्योंकि चाँद की ये कैफ़ियत आख़िरी रातों में होती है।

फ़वाइद : (1) लैलतुल क़द्र : क़द्र के अलग-अलग मानी हैं (1) तअ़ज़ीम या अ़ज़मत। फ़रमाया, 'उन्होंने अल्लाह की पूरी तरह अ़ज़मत व बड़ाई को नहीं पहचाना।' (सूरह ज़ुमर) इस रात को अ़ज़मत और बुज़ुर्गी हासिल है, क्योंकि इसमें क़ुरआन मजीद उतरा, फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, ख़ैर व बरकत और रहमत व मग़्फ़िरत का नुज़ूल होता है। इसमें किये गये अ़मल की क़द्रो-क़ीमत बढ़ जाती है और साहिबे अ़मल को शर्फ़ व मन्ज़िलत हासिल होती है।

(2) क़द्र (तज़य्युक़ व तंगी) : फ़रमाया, 'जिसका रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है' क्योंकि इसका मुतअ़य्यन तौर पर यक़ीनी और क़तई इल्म नहीं है, इल्म की रोशनी में नहीं है या फ़रिश्तों की कस़रत से ज़मीन तंग पड़ जाती है।

(3) क़द्र : तक़दीर के मानी में है। तक़दीर का मानी है कि अल्लाह तआ़ला किसी चीज़ को अपनी हिक्मत के तक़ाज़े के तहत, मख़्सूस मिक़्दार, मख़्सूस कैफ़ियत व हैयत और मख़्सूस मिक़्दार व मुद्दत के लिये पैदा फ़रमाता है। पूरे साल के अहकाम, क़ौमों के उ़रूज व ज़वाल, ज़िन्दगी, मौत, रिज़्क़, बारिश के बारे में फ़ैसले इस रात तय होते हैं। फ़रमाया, 'तमाम हकीमाना फ़ैसले इस मुबारक रात में किये जाते हैं।'

(4) क़द्र : क़ुदरत व ताक़त। इस रात में अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत का ज़ुहूर होता है। एक रात की इबादत एक हज़ार महीनों से ज़्यादा अज्र व स़वाब का बाइ़स बनती है। हर काम की अन्जाम देही के लिये अपने रब के हुक्म से फ़रिश्ते और जिब्रईल आते हैं, हर तरफ़ मुसलमानों और मोमिनों के लिये सलामती फैल जाती है।

(2) लैलतुल क़द्र/लैलतुल मुबारकह : ख़ैर व बरकत और बढ़ोतरी और फ़ैज़ाने इलाही की रात है। इसमें क़ुरआन जैसी मुबारक किताब नाज़िल हुई है। फ़रमाने बारी है, 'हमने इसे क़द्रो-मन्ज़िलत वाली रात में उतारा है।' और दूसरी जगह फ़रमाया, 'बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में नाज़िल किया है।' और क़ुरआन मजीद का नुज़ूल माहे रमज़ान में हुआ है इसलिये फ़रमाया, 'रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें क़ुरआन उतारा गया है।' लिहाज़ा इससे ये बात तय हो गई कि लैलतुल

क़द्र रमज़ान से बाहर नहीं है। लेकिन ये रात कौनसी है? इसका क़तई तअयीन मुश्किल है क्योंकि इसकी तअयीन आप (ﷺ) के सामने ख़्वाब में कई बार हुई और हर बार किसी न किसी सबब से आप भूल गये। इसीलिये आपने कभी तो ये फ़रमाया, 'इसको रमज़ान के आख़िरी अशरे में तलाश करो।' कभी फ़रमाया, 'इसको आख़िरी सात रातों में तलाश करो।' और कभी फ़रमाया, 'इसको आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो।' और कभी आपने इसकी अलामत और निशानी बतलाई। इस तरह आपने इसको मुतअय्यन नहीं फ़रमाया ताकि लोग इबादत को किसी एक रात के साथ ख़ास न करें। इसलिये उलमा में इसकी तअयीन के बारे में बहुत इख़्तिलाफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इसके बारे में पैंतालीस अक़्वाल नक़ल किये हैं। सहीह बात ये है कि ये आख़िरी अशरे की ताक़ रात है और इसमें बदलता रहती है। अगरचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के बयान करदा क़राइन कि अल्लाह की पसन्दीदा गिनती ताक़ है और ताक़ गिनती में ज़्यादा पसन्दीदा गिनती सात है। सात ज़मीनें, सात आसमान, सात दिन, सात तवाफ़, सात आज़ाए सुजूद, सात बार सई और लैलतुल क़द्र में नौ हुरूफ़ हैं और ये लफ़्ज़ इस सूरत में तीन बार आया है, लिहाज़ा सत्ताइस हुरूफ़ हुए वग़ैरह और हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) के यक़ीन से मालूम होता है कि इसकी ज़्यादा गर्दिश सत्ताइसवीं में है। लेकिन ये नहीं कि हर बार यही रात हो।

(3) शबे क़द्र : अपने-अपने इलाक़ों या मुल्कों के ऐतिबार से है और हर मुल्क के लोग ताक़ रात की तअयीन अपने रोज़ों के ऐतिबार से करें।676